

भारतवर्ष का इतिहास

(महाभारत काल से लेकर प्राग्बौद्ध काल
तक का राजनीतिक, सामाजिक व
सभ्यता का इतिहास)

(द्वितीय खण्ड)

गुरु विरजानन्द दण्डी
सन्दर्भ पुस्तकालय
पु परिव्राण क्रमांक ५४३९
लेखक द्वयनन्द महिला महां

आचार्य रामदेव

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार

स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र
हरिद्वार

प्रकाशक :

स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
हरिद्वार (उ० प्र०)

वितरक :

भारतीय विद्या प्रकाशन
1 यू० बी०, जवाहर नगर, बैंगलो रोड,
दिल्ली-110007 (भारत)


चतुर्थ संस्करण— 1996

मूल्य – 350.00

मुद्रक

जैन अमर प्रीटिंग प्रेस
जवाहरनगर, बैंगलोरोड,
दिल्ली-110007

आचार्य रामदेव



जन्म - 31.7.1881

मृत्यु - 9.12.1939

आचार्य रामदेव

आचार्य रामदेव उच्चकोटि के विद्वान्, दार्शनिक तत्त्व वेदवेत्ता, सुधारक और धर्मचार्य थे, वे अपनी धुन के पक्के और उपयुक्त स्वभाव के थे, उनकी वाणी में महान् शक्ति थी, उनकी रुचि सांसारिक भोगों के प्रति नहीं थी, उनका ध्यान तो देश धर्म और जाति की सेवा के लिए था। जब स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल कांगड़ी के लिए कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया तो वे भी आगे आये। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए लम्बे समय तक काम किया तथा कन्या गुरुकुल, देहरादून के लिए तो उन्होंने अपने जीवन ही लगा दिया। उनके जन्म का नाम रामदास था परन्तु उन्होंने अपने नाम रामदेव को ही सार्थक किया। नारी जाति को अशिक्षा, लोकाचार, परम्परागत रूढ़ियों तथा अन्यविश्वास को चारदीवारी से उन्मुक्त कर विशुद्ध आर्य संस्कृति के जागरूक वातावरण में लाकर खड़ा करना उनके जीवन का लक्ष्य था। महर्षि दयानन्द सरस्वती का उन पर विशेष प्रभाव था। उनके समय में लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही थी, निश्चित है कि इस पद्धति से भारतीयता की भावना ही नष्ट होना स्वाभाविक था। उस युग की एक आवश्यकता थी कि ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा हो जो युग वाहिनी आर्य सभ्यता तथा संस्कृति से ओत-प्रोत हो महर्षि दयानन्द सरस्वती भी यही चाहते थे। गुरुकुल कांगड़ी इसी भावना का साकार आदर्श था। महात्मा मुन्शीराम के साथ आचार्य रामदेव भी थे, पर क्या इससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता थी कि कन्याओं के लिए भी वे ही सुविधाएँ दी जायें जो लड़कों के लिए दी गई थी। दिल्ली के दानी सेठ रघुमल की ओर से कन्या गुरुकुल खोलने की घोषणा तथा एक लाख रुपये दान की घोषणा की गई। इस समाचार से आचार्य जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। 1923 में दीपावली के दिन दरियांगंज की कोठी में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के संरक्षण में एक कन्या गुरुकुल प्रारम्भ किया गया। इसी कन्या गुरुकुल की बाद में देहरादून ले जाया गया, इस गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली पाठ्य विधि के निर्माण में आचार्य जी का विशेष योग था। कन्या गुरुकुल की पाठ्य विधि आचार्य जी की विद्वता, प्रतिभा और उदारता का प्रतिबिम्ब है। यह प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत सम्मिश्रण है। आदर्श और व्यवहार का मधुर सामंजस्य है।

आचार्य जी ने शिक्षा के अतिरिक्त आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए भी निरन्तर कार्य किया। वे आर्यसमाजों के उत्सवों में बड़े सहज स्वाभाविक शैली में विद्वतापूर्ण भाषण देने की क्षमता रखते थे। 1936 में आचार्य रामदेव जी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान और सार्वदेशिक सभा के वरिष्ठ उप-प्रधान बन गए थे।

यदि गुरुकुल कांगड़ी के पुस्तकालय को देखा जाए तो अनेक ग्रंथ ऐसे मिलेंगे

जिसमें आचार्य जी के लगाए चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। वे स्वाध्यायशील थे। उन्होंने वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के मूल पाठ के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ें थे। अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से उन्होंने बौद्ध और जैन साहित्य का विशेष अध्ययन किया था।

आचार्य जी का व्यक्तित्व बहुत गौरवपूर्ण था। उनका रहन-सहन भी बहुत सादा था उनके वस्त्र कीमती तो नहीं थे पर वे साफ सुधरे होते थे।

आर्यसमाज के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। महान् पुरुषों के जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्योति स्तम्भ का कार्य करते हैं। आचार्य रामदेव भी ऐसे ही ज्योति स्तम्भ थे। महात्मा नारायण स्वामी ने लिखा है, अंग्रेजी भाषा के अध्यापक रामदेव से उनका परिचय गुरुकुल वृन्दावन के उत्सव पर हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि राज्य और प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों में ब्राह्मण कों क्षत्रिय के अधीन रहना पड़ेगा। बस पंडित अखिलानन्द और पंडित तुलसीराम इसी बात से उनके घोर शत्रु बन गए परन्तु वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने मौलाना मौहम्मद अली, शौकत अली जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया क्योंकि उनकी विद्वत्ता अपार थी।

उनकी लेखन शक्ति भी उनकी व्यक्तित्व का परिचय देती है। परिणामतः भारत वर्ष का इतिहास, आर्य और दस्यु “फाउण्टेन हैड आफ रिलीजन” उनकी विद्वत्ता का सशक्त प्रमाण है।

कन्या गुरुकुल देहरादून तो उनका वास्तव में स्मारक है। उनकी सुपुत्री दम्यन्ती कपूर उसी त्याग और तपस्या से इस संस्था का संचालन कर रही है। शब्द के प्रचलित अर्थों में भले ही वे शहीद न हों पर मैं उन्हें शहीद ही मानता हूँ। उन्होंने आर्यसमाज के लिए अपने आप को शहीद कर दिया।

प्रस्तुत कृति आचार्य जी की इतिहास परक मौलिक दृष्टि का सुन्दर परिणाम है। इसके पुनर्मुद्रण से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

(डॉ धर्मपाल)

कुलपति

प्रस्तावना

महर्षि दयानन्द ने देश की स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए यह अनुभव किया था कि भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के बिना जनमानस को उसके उज्ज्वल अंतीत पर विश्वास नहीं कराया जा सकता। ब्रिटिश राज में भारतीय इतिहास का लेखन धूर्तापूर्ण दृष्टि का परिणाम है। आर्यों के बाहर से आकर इस देश में बस जाने की कल्पना उन्होंने इसलिए की, वह कह सके हमारी ही तरह यह देश तुम्हारा भी नहीं है। जैसे हम बाहर से आए हैं, वैसे ही तुम भी बाहर से आए हो, स्वामी जी ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया और सप्रमाण प्रतिपादित किया कि आर्य बाहर से नहीं आए युधिष्ठिर आर्यावर्त के अन्तिम चक्रवर्ती राजा थे और उनका आधिपत्य चीन, ईरान आदि के राजा स्वीकार करते थे। महाभारत के बाद आर्यों की राजशक्ति का हास हुआ तथा आर्यावर्त के छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो जाने पर बाहरी राजाओं ने इसे पददलित करना शुरू किया। महर्षि ने लिखा है कि स्वायंभुव मनु से पाण्डव पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्प्रश्चात् आपस के विरोध में लड़कर नष्ट हो गया। महाभारत के बाद किसी एक केन्द्रीय सत्ता के अभाव में विदेशी आक्रमण प्रांगंभ हो गए तथा प्राचीन आर्यों के धर्म, चिन्तन तथा जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई देने लगा। यज्ञों में पशुबलि, बहुदेववाद, जन्मना वर्ण व्यवस्था तथा अनेक अधं विश्वासों का आर्यधर्म में समावेश हो गया। इस विकृत व्यवस्था के विरुद्ध उपनिषद्काल में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में विकृतियों के विरुद्ध विगुल बजाया। 'चातुर्वर्ष्य मयासृष्टं गुणकर्म विभागशः' की धोषणा असाधारण थी। उन्होंने यज्ञ शब्द को भी नया अर्थ दिया। उनके बाद बुद्ध, महावीर, चार्वाक, आजीवक तथा नास्तिक सम्प्रदायों ने बेदोक्त धर्म को चुनौती दी। शुंग वंशी राजाओं के काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। भागवत और शैव धर्म आगे बढ़े फिर इनके भी भेदोमभेद हुए तथा दूसरी सदी ईसा पूर्व तक शिव, विष्णु, सुर्य शक्ति पूजक सम्प्रदायों का भी विकास हो गया। अश्वमेघ याज्ञी भारतीय सम्राट अपने खोए हुए पूर्व गौरव को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हुए। इनमें पुष्ट्रमित्र का नाम अग्रणी है जिसने बाहीक, कुरुदेश, यौधेम, मालव, आर्जुनायन तथा आग्रेय आदि गणराज्यों पर आर्य संस्कृति का ध्वज फहराया तथा आर्य विरोधी भवनों को सिन्ध्य नदी के पश्चिम में ढकेल दिया। शुंगों के उत्तराधिकारी कण्व तथा आन्ध्र सातवाहन इस क्षमता की रक्षा न कर सके। यवन, शक, पल्हव तथा हुक्षाणों ने आक्रमण कर इस देश के विविध क्षेत्रों में अपने राज्य स्थापित कर लिए। विदेशी आक्रान्ताओं के विरुद्ध जिन राजाओं ने तलवार उठाई उनमें गौतमी पुत्र सातकर्णि प्रसिद्ध है। विदेशियों से भारत को मुक्त कराने का श्रेय नाग भार शिव वंश के राजाओं को है जिन्होंने कुशाषों को परास्त कर अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्न किए।

इनके बाद वाकाटकों ने शक, कुशाणों के उन्मूलन के लिए संघर्ष जारी रखा। तदुपरान्त समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की तथा कुशाण और शक राजाओं को परास्त किया। उत्तर पश्चिमी भारत में बसे इन आर्य विरोधी राजाओं को हटाकार समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा 'अनेकाश्वमेघ याज्ञी' होने का गैरव पाया। गुप्त राजाओं के काल में आर्य संस्कृति का देश देशान्तरों में प्रसार हुआ। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में भाषा, धर्म, संस्कृति तथा दर्शन की दृष्टि से आर्य सभ्यता ने अपनी गहरी जड़े जमाई। कम्बुज, चम्पा, मलाया, सुमात्रा, डाग, बोर्नियों, बाली, सियाम (थाईलैण्ड), फिलिप्पीन तथा उपरलाहिन्द नाम से प्रसिद्ध अफगानिस्तान, मध्य एशिया, तिब्बत तथा उसके उत्तर में स्थित क्षेत्रों में वैदिक तथा पौराणिक धर्म एवं जीवनदर्शन का प्रचार हुआ। यहाँ के रहने वाले आर्य संस्कृति के रंग में रंग गए तथा भारत के समान ही दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी एशिया में एक वृहत्तर भारत का भूगोल मानचित्र में अंकित हो गया।

मध्ययुग में तुर्क अफगानों का आगमन हुआ। यद्यपि उत्तरभारत में गुर्जर प्रतिहार, गहड़वाल, चौहान, चंदेल, परमार, कलचुरी चालुक्य, लोहर तथा सेन वंश का राज्य था तथा दक्षिण में कल्याणी, चालुक्य, यादव, होयसल, पल्लव और चोलों के स्वतंत्र राज्य थे पर धीरे धीरे एकता के अभाव में इन सब की शक्ति क्षीण हो गई तथा उत्तरी भारत पर सुलतानों के शासन स्थापित हो गए जो आर्यों के जीवन दर्शन से सर्वथा भिन्न विश्वास के थे। मुस्लिम समाज ने आर्य व्यवस्था को झकझोरा तथा आर्यधर्म में नई जागृति की लहर पैदा की। इसे हम भक्ति आन्दोलन कहते हैं। स्वामी रामानन्द के कमण्डल से उत्तर-दक्षिण में संत वाणियों की गंगा फूट निकली। देश जो मृत प्रायः हो गया था, इस संजीवनी से पुनः उठ खड़ा हुआ। सोलहवीं सदी के प्रारंभ में मुगल शासन का प्रारंभ हुआ तथा दक्षिण में समर्थ स्वामी रामदास के नेतृत्व में आर्य चेतना का पुनरुत्थान हुआ। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के आते आते पाश्चात्य संस्कृति और जीवनदर्शन से आर्य संस्कृति का संधर्ष प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तथा वैदिक पौराणिक हिन्दू धर्म पर वैचारिक और राजनीजिक हमले शुरू हुए। इसी समय महर्षि दयानन्द सरस्वती का आगमन हुआ। उन्होंने जर्जर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दुर्दशा पर विचार करते हुए भारत को नई अङ्गड़ई के लिए प्रेरित किया। राजराममोहनराय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द सरस्वती तथा विवेकानन्द की अगुवाई में देश में नवजागरण का सूत्रपात हुआ। इन सब महापुरुषों में व्यापक आयामों के चयन के कारण महर्षि दयानन्द का कर्तृत्व सब से ऊँचा है। उन्होंने धर्म, दर्शन, राज्य, शासन, शिक्षा समाज संगठन, अर्थ व्यवस्था तथा रूढ़ियों और सामिजिक धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध सप्रमाण विचार दिए। सर्वांग व्यवस्था परिवर्तन की उनके

द्वारा सुझाई गई रूपरेखा ने उन्हें सर्वांग विचारक महापुरुष सिद्ध कर दिया। उनके समान धर्मा विचारकों के क्षेत्र सीमित थे तथा क्षेत्र विशेष में ही उनके कर्तृत्व का प्रभाव भारत पर पड़ा था। यही कारण है कि स्वामीजी ने सत्यार्थ प्रकाश में भारतीय जीवन और इतिहास की पुर्णपरीक्षा कर ऐसे समग्र सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की जो आर्यवर्त के प्राचीन गौरव के अनुरूप था तथा जिस के पुनर्निर्माण से आर्य युवकों तथा युवतियों का खोया हुआ अतीत लौट सकता था। उन्हें हताशा से बचा सकता था तथा समाज का आमूल चूल परिवर्तन कर सकता था। अब तो भारतीय इतिहास वेता स्वीकार करने लगे हैं कि १८५६ के स्वाधीनता संग्राम में स्वामी विरजानन्द सरस्वती तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रमुख भूमिका थी। स्वाधीनता तथा स्वदेशी का पहला उद्घोष उन्होंने ही किया था। आर्यवर्त के गौरव की प्रतिष्ठा के लिए ही उन्होंने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की बात उठाई तथा सत्यार्थ प्रकाश में युधिष्ठिर के बाद के राजाओं की तालिका प्रस्तुत की। वेद पर आक्षेप करने वाले पाश्चात्य तथा पाश्चात्य विद्वानों के पिछलगुणों का खण्डन किया। भारतीय इतिहास के शुद्ध लेखन की खोज में रूचि लेने वाले भारतीय विद्वानों को दयानन्द सरस्वती को ही मार्ग दर्शक स्वीकार करना होगा।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना कर स्वामी दयानन्द जी के सपनों को चरितार्थ किया। गुरुकुल का पाठ्यक्रम स्वामीजी द्वारा निर्दिष्ट पाठविधि के परिप्रेक्ष्य में ही तैयार हुआ। उसमें आधुनिक ज्ञान विज्ञान का समावेश कर आर्य पाठ विधि को युग सन्दर्भानुकूल रूप दिया गया। अध्ययन-अध्यापन का माध्यम आर्यभाषा हिन्दी निर्धारित की गई। जिस तरह महामनामालवीय जी के दाँए हाथ डॉ० राधाकृष्णनजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को संवारा, वैसे ही आचार्य रामदेवजी ने स्वामी-श्रद्धानन्दजी के साथ कँधे से कँधा मिल कर गुरुकुल को नया स्वरूप दिया। रामदेव जी 1906 ई० मे जालंधर से गुरुकुल आए। उनके साथ साथ डॉ० भारद्वाज तथा मास्टर गोवर्धन जी भी पधारे। गुरुकुल को परम्परागत पटिताऊ ढेर से निकाल कर गुरुकुल की पाठविधि को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से सम्बद्ध करने में इन तीनों महानुभावों की प्रमुख भूमिका रही है। रूद्धिवादी परिवेश में नियोजित आधुनिकता कि प्रवृत्ति तथा अध्यापन शैली के परिवर्तन से गुरुकुल के परम्परागत विचारों के पण्डित श्री गंगा दत जी तथा पण्डित श्री भीमसेन जी रूप्त हो गए और गुरुकुल छोड़ कर चले गए। 1907 में स्वामीजी ने सद्धर्म प्रचारक को हिन्दी में निकालना प्रांरभ किया। रामदेव जी ने इसी समय अंग्रेजी पत्रिका 'वैदिक मैगजीन' का प्रांरभ किया। यह पत्रिका पण्डित गुरुदत्त निकालते थे जो बाद में बंद हो गई थी। टालस्टाय तथा योगी श्री अरविन्द इस पत्रिका के प्रबल प्रशंसक थे। स्वामी दयानन्द पुराणों के कट्टर विरोधी थे। रामदेवजी ने 1919 में जयदेव शर्मा विद्यालंकार के सह लेखन में 'पुराणमत पर्यालोचन, लिखकर' पुराणों की

निस्सारता प्रकट की । तभी उन्होंने 'दिग्विजयी दयानन्द' लिखकर स्वामीजी के योगदान को स्थापित किया । 1917 में पण्डित भूमित्र शर्मा ने पण्डित कालूरामशास्त्री की पुस्तक 'पुराणकलंकाभास मार्जन' का उत्तर 'पुराणकलंक प्रकाश' नाम से दिया । पुराणों को स्वामीजी ने अनार्थ कोटि के ग्रन्थ माना था 1990-1991 में प्रकाशित 'पुराणादर्श' (3 भाग) तथा 1898 में प्रकाशित पण्डित रुद्रदत्त शर्मा कृत 'पुराणपरीक्षा' पुराणमत पर्यालोचन की भूमिकाएँ कही जा सकती हैं ।

आचार्य रामदेव इतिहास के गंभीर अध्येता थे । उन्होंने गुरुकुल के पाठ्यक्रम में इतिहास को अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया । भारतीय आर्य संस्कृति और चिन्तन का यथार्थ स्वरूप पाश्चात्य विद्वानों के सम्मुख प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास ग्रन्थ तीन खण्डों में क्रमशः 1910, 1911 तथा 1924 में प्रकाशित कराया ।

प्रथम भाग में वैदिक सभ्यता तथा महाकाव्य कालीन सभ्यता पर नया प्रकाश डालते हुए अप्रेज इतिहासकारों की भ्रान्ति पूर्ण स्थापनाओं का खण्डन किया गया । वैदिक युग, रामायण तथा महाभारत काल पर इतनी प्रचुर प्रामाणिक सामग्री कहीं और उपलब्ध नहीं होती । आर्यसमाज के भारतीय इतिहास विवरक दृष्टिकोण को समझने के लिए इस ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है । पण्डित भगवद्गद रिसर्च स्कालर तथा आचार्य रामदेव जी की इतिहास विषयक शोध पाश्चात्य इतिहासकारों के सर्वथा विपरीत है । आचार्य जी स्वयं इतिहास पढ़ाते थे । वह अनुभव करते थे कि यदि स्वातंत्र्य कामी स्वतंत्र चेता स्नातकों का निर्माण करना है तो उन्हें इतिहास स्वामी दयानन्द के दृष्टिकोण से पढ़ाना होगा । आर्य और दस्यु शब्द को लेकर जो भ्रामक उद्भावना पाश्चात्य इतिहासकारों ने की, उनका मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए 1918 में आचार्य जी ने 'आर्य और दस्यु' नामक शोध निबन्ध की रचना की । 1907 में लाहौर में प्रदत्त तथा बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित उनका भाषण 'वैदिक धर्म एण्ड यंग इण्डिया' भी उनके इतिहास रूप को प्रकट करता है । वेदों में लौकिक इतिहास का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों से स्वामी दयानन्द सर्वथा असहमत थे । अनित्य संसार का अनित्य इतिहास वेदों का प्रतिपाद नहीं है । वेदार्थ की यैगिक प्रक्रिया दर्शने वाले स्वामी जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में सप्रमाण बता दिया था कि वेदों में किसी जाति, देश, पदार्थ, भूगोल तथा व्यक्ति विशेष का लौकिक इतिवृत्ति उपन्यस्त नहीं है । पण्डित जयदेव शर्मा ने 'क्या वेद में इतिहास है' तथा पण्डित रामगोपाल शास्त्री ने 'क्या वेदों में आर्यों तथा आदिवासियों का युद्ध है' लिखकर पाश्चात्य इतिहासकारों को दुरभिसन्धि का भण्डाफोड़ किया था । पण्डित शिवशंकर शर्मा कृत 'वैदिक इतिहासार्थ निर्णय' 1909 में छपा और इसके एक वर्ष बाद 1910 में आचार्य रामदेव जी का इतिहास प्रकाशित हुआ । स्पष्ट है कि आर्यसमाज

ने भारतीय इतिहास विषयक फैली भ्रान्ति का निराकरण करने का बीड़ा उठाया हुआ था आचार्य रामदेव जी ने इतिहास लिखकर इस अभियान को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया।

आचार्य जी की इतिहास लेखन की मौलिक दृष्टि के कारण ही स्मरण नहीं किया जाएगा अपितु इतिहास लेखकों के निर्माता के रूप में भी उन्हें याद रखना जरूरी हो गया है। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त वेदालंकार, डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, हरिदत वेदालंकार तथा भीमसेन विद्यालंकार जैसे इतिहास लेखकों को जन्म देने का श्रेय गुरुकुल को ही है। भारतीय इतिहास के शोध क्षेत्र में इन स्नातकों ने अविस्मरणीय योगदान किया। जयचन्द्र जी की ख्याति 1925 में प्रकाशित उनकी 'पुस्तक भारत का भौगोलिक आधार' रही है। राष्ट्रीय इतिहास के अनुशीलन में प्रवृत्त इन इतिहास वेत्ताओं के प्रेरणा स्रोत आचार्य रामदेव ही थे। डॉ० सत्यकेतु जी ने 1928 में मौर्य साम्राज्य का इतिहास कौटिल्य के अर्थ शास्त्र तथा अन्य पुरातत्त्वीय सामग्री के आधार पर लिखा। हरिदत जी पुस्तकों में प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास और चन्द्रगुप्त जी का वृहत्तर भारत अनूठे तथा प्रमाणित ग्रन्थ है। डॉ० प्राणनाथ ने सिंधु घाटी सभ्यता को वेद युगीन प्रतिपादित कर पाश्चात्य इतिहास लेखकों की मूल स्थापना को ही उलट डाला। कहना यह कि प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्त्व तथा संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य रामदेव तथा उनके प्रतिभाशाली शिष्यों का अवदान स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है।

आचार्य रामदेव लगभग 26 वर्ष गुरुकुल में रहे। उन्होंने सच्चे अर्थों में गुरुकुल को राष्ट्रीय विद्यापीठ के रूप में विकसित किया। यहाँ पण्डित विश्वभरनाथ जी को स्मरण किया जाना आवश्यक है। उनकी सूझबूझ, उदारता तथा प्रशासन क्षमता और आचार्य जी विद्वत्ता तथा लगन ने गुरुकुल की छिकों को राष्ट्रीय रूप दिया। 1919 से 1921 तक की अवधि में गुरुकुल की ख्याति देश व्यापी हो गई। गांधी जी ने जब सरकारी शिक्षा तथा शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार का आह्वान किया तब राष्ट्रीय विद्यापीठों का महत्त्व समझ में आया। गुरुकुल की महत्ता का एक कारण यह भी था। 1932 में स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के लिए आचार्य जी गुरुकुल छोड़कर चले गए आपकी ही प्रेरणा से जयचन्द्र जी लाला लाजपतराय के नेशनल कॉलेज में इतिहास के अध्यापक बने तथा भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियों को भारत माँ की बलिवेदी पर न्यौछावर होने की प्रेरणा दी। प्रसन्नता का विषय है कि गुरुकुल के कुलपति माननीय डॉ० धर्मपाल जी ने आचार्य के इतिहास ग्रन्थ के पुनर्मुद्रण का संकल्प लिया। कुलाधिपति श्री सूर्यदेवजी, परिद्रष्टा न्यायमूर्ति श्री महावीर जी तथा कुलसचिव डॉ० जयदेव वेदालंकार ने ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग दिया। एतदर्थ मैं सभी का आभारी हूँ। डॉ० जगदीश विद्यालंकार यदि हरी भरी भाग दौड़कर इस कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न न कराते तो राष्ट्रीय इतिहास लेखन के पुनः प्रकाशन के यज्ञ में हम अवमृथ स्नान से वंचित रह जाते अतः उन्हे साधुवाद।

अन्त मे संस्कृत साहित्य के चूड़ान्त विद्वान् तथा मद्रास विश्वविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष डा० वी० राघवन प्रणीत गुरुकुल प्रशस्ति का एक श्लोक उद्घृतकर मंगल कामना करता हूँ कि स्वामी श्रद्धानन्द जी की यह कीर्ति पताका सदा-सदा इसी भाँति लहराती रहे,

गंगा गौरी गिरिगिरिशसात्रिध्यतों नित्यपूर्तं,
सिद्धैर्विद्यानियमनिधिभिस्साध्वनुध्यायमानम् ।
बद्धश्रंद्ध भरत धरणी प्राच्य संस्कार गुह्यै—
भूयो जीयाद् गुरुकुलमिदं काँगड़ी राजमानम् ॥

डा० विष्णुदत्त राकेश

डी० लिट०

आर्यसमाज स्थापना दिवस

२०.३.९६

आचार्य हिन्दी विभाग तथा निदेशक

स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

भूमिका

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ सीले का कथन है—“मैं तुम्हें निश्चय से कहता हूँ कि जब तुम अंग्रेज जाति का इतिहास पढ़ रहे होते हो, तब तुम इङ्ग्लैण्ड के भूतकाल का नहीं अपितु उस के भविष्यत का अध्ययन कर रहे होते हो। इस इतिहास में तुम्हारे देश का हित और तुम्हारी नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकार सन्त्रिहित हैं।” यह तथ्य प्रत्येक देश के इतिहास पर समानरूप से घटता है। भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में भी हम ठीक यही बात कह सकते हैं। भारतवर्ष का भविष्य उस के भूतकाल पर आश्रित है। यह आवश्यक है कि आने वाली सन्तति अपने पूर्वजों के चरित्र और वस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित हो, ताकि वह अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ उठा कर उन भूलों के बच सके जो कि पूर्व-पुरुषों के मार्ग में बाधक थीं और उन के गौरव को भली प्रकार स्थिर रख सके।

परन्तु यह खेद का विषय है कि जागृति काल में भी भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की गवेषणा की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया। बहुत कम भारतीय विद्वानों ने इस आवश्यक विषय के लिये यत्कञ्चित यत्न किया है। जिन विदेशी विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास की खोज में हिस्सा बटाया है, वे हमारे लिये धन्यवाद के पात्र अवश्य हैं, परन्तु भारतीय न होने से वे लोग भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास को उचित ढंग पर विकसित ही नहीं कर सके हैं। हम इसके लिये उन सब विदेशी ऐतिहासिकों को दोष नहीं दे सकते, यह होना स्वभाविक ही था। इस बात का हमें हर्ष है कि भारतवर्ष के कतिपय अर्वाचीन प्रतिभाशाली ऐतिहासिक इस बड़ी कमी को पूरा करने के लिये आजकल भरसक यत्न कर रहे हैं। इस विषय की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव करके ही मैंने अपना यह तुच्छ प्रयास किया है।

इस खण्ड में महाभारत काल से लेकर प्राग्बौद्धकाल तक का सामाजिक, राजनीतिक व सभ्यता का इतिहास वर्णित है। यह काल भारतवर्ष के इतिहास में नितान्त अन्धकार पूर्ण है, प्रायः ऐतिहासिक भारतवर्ष का इतिहास लिखते हुए इस काल को यूही छोड़ जाया करते हैं। कुछ लोग तो इसी कारण इस काल की सत्ता से ही इन्कार कर देते हैं। यह सब होते हुए भी मैं अपने

पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस खण्ड में एक भी बात मैंने बिना प्रमाण के नहीं लिखी है।

तिथि क्रम के सम्बन्ध में भी एक बात कह देना उचित होगा। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः ऐतिहासिक जिस तिथि क्रम को स्वीकार करते हैं, उससे मेरा मतभेद है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि महाभारत का महायुद्ध ईसवी सन् से ३१०० वर्ष पूर्व हुआ। यही बात स्वीकार करके मैंने प्राग्बौद्ध कालीन राजनीतिक इतिहास का वर्णन इस खण्ड में किया है।

भारतवर्ष के इतिहास का प्रथम खण्ड प्रकाशित हुए बहुत समय हो चुका है, यह खण्ड बहुत देर में प्रकाशित हो रहा है। इस के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण गंगा की पिछली भयंकर बाढ़ है। बाढ़ से पूर्व यह खण्ड लगभग सम्पूर्ण ही लिखा जा चुका था, परन्तु गंगा की बाढ़ अन्य बहुत ही छोटी बड़ी वस्तुओं के साथ इस ग्रन्थ की मूल हस्तलिखित प्रति को भी अपने साथ बहा ले गई। अब इस खण्ड को दुबारा नये सिरे से लिखना पड़ा है। आशा है प्रेमी पाठक इस विलम्ब के लिये क्षमा करेंगे। इस ग्रन्थ के अगले खण्ड भी यथावसर प्रकाशित करने का यत्न किया जायगा।

इस खण्ड के लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई है, उन की सूची अन्यत्र दी गई है। मैं उन ग्रन्थों के लेखकों, विशेष कर अपने मित्र प्रो० विनय कुमार सरकार, का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रो० सरकार के ग्रन्थों द्वारा मुझे इस खण्ड के तृतीय भाग के लिखने में पर्याप्त सहायता मिली है। अन्त में मैं अपने प्रिय शिष्य प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार और पं० चन्द्रगुप्त विद्यालंकार का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इन्होंने मुझे यह खण्ड लिखने में बहुत सहायता दी है।

१ चैत्र १९८३

गुरुकुल भूमि

रामदेव

विषय सूची

प्रथम भाग महाभारत कालीन सभ्यता

प्रथम अध्याय

पृष्ठ

युद्ध प्रबन्ध तथा शस्त्रार्थ

३-१५

पूर्व वचन, ३-सैन्य प्रबन्ध, ५-युद्ध सामग्री, ६-युद्ध विभाग के डाकूर, ६-विविध प्रकार के अस्त्र, ७-करिपय विचित्र अस्त्र, ९-अशनि, १०-युद्ध के नियम, १०-राजदूत का वध, ११-ब्राह्मणों का युद्धों को रोक देने का अधिकार, १२-रणव्यूह शिक्षा, १२-शिविर रचना, १३-निशायुद्ध, १३-शब्द न करने वाले चक्रों से युक्त रथ, १३।

द्वितीय अध्याय

राजा, शासन पद्धति और शासन

१६-३४

एक सत्तात्मक राज्य की सुवर्णीय प्रथाएं, १८-राजा की प्रतिज्ञाएँ, १९-राजा खनीनेत्र, २१-ज्येष्ठ पुत्र को राज्य न मिलना, २१-व्यवस्थापिका सभा, २४-निर्णयों का प्रकाशन, २४-राजा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, २५-राजचिन्ह, २६-अभिषेक उत्सव और प्रदर्शनियाँ, २६-राजधानी, २७-राजा के शिक्षक, २८-दरिद्र पोषण, २९-पुरोहितों और शासकों का सम्बन्ध, २९-चक्रवर्ती राज्य, २९-कर संग्रह का प्रबन्ध, ३०-कर का उद्देश्य, ३१-ऋण, ३३-ग्वालों पर कर, ३३-मुफ्त चरागाहें, ३४।

तृतीय अध्याय

सामाजिक आचार व्यवहार

३५-५३

वेदज्ञों का अभाव, ३५-ब्राह्मणों का अपमान, ३५-ब्राह्मणों को दास दक्षिणा, ३६-ब्राह्मणों की अनधिकार चर्चा, ३६-राक्षस विवाह, ३७-भर्ता वशीकरण, ३९-राजघराने की स्थियाँ, ४०-बाल विवाह, ४१-नियोग, ४१-नियोग की संख्या मर्यादा, ४४-रंगशाला में दर्शक स्थिये, ४५-पति से सहानुभूति, ४५-पर्दा, ४६-पति को नाम से सम्बोधन, ४६-राजाओं की विलासिता, ४६-रिश्वत, ४७-नर बलि, ४७-अशकुन, ४५-शपथ और गालियाँ, ४८-नैत्यिक अनुष्ठान और श्रेष्ठाचार, ५०-दासी दान, ५१-छाती पीट कर रोना, ५२-राज परिवार रक्षक, ५२-सिर सूंधना, ५२-प्रदक्षिणा करना, ५३-भक्ष्याभक्ष्य ५३।

चतुर्थ अध्याय

प्राकृतिक विज्ञान

५४-५८

ज्योतिष, ५४-चिकित्सा, ५६-गर्भ विज्ञान, ५६-अश्व चिकित्सा, ५७-शरीर ज्ञान, ५७-विश्व की उत्पत्ति, ५७-वृक्षों में जीव ५७।

पञ्चम अध्याय

शिल्प वैभव तथा वाणिज्य व्यवसाय

५९-६९

व्यापार व्यवसाय को राज्य की सहायता, ५९-पशु पालन, ६०-सूती और ऊनी वस्त्र, ६१-सोने का उपयोग, ६३-मणि, स्वर्ण मुद्रा, ६४-सोने की कुर्सियाँ, ६४-प्रेमो पहार, ६४-गृहनिर्माण विद्या, ६५-कृत्रिम पशु, ६७-गुप्त मार्ग, ६७-छत्र, ६८-पगड़ी और फैशन, ६८-कपड़े रँगना, ६८-नगर के कोटों पर शस्त्र, ६८-मार्ग दीप, ६९-विदेशों से पशु ६९।

द्वितीय भाग

राजनीतिक इतिहास

(महाभारत काल से प्रागबौद्धकाल तक)

प्रथम अध्याय

महाभारत काल के विविध राज्य

७३-८३

पूर्व वचन, ७३-महाभारत काल के विविध राज्य, ७४-(पाण्डव पक्ष के-मध्य देश से, पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण से; - कौरव पक्ष के-पूर्व से, मध्यदेश से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर से, मध्यभारत से, पश्चिम से, दक्षिण से)-अन्धकवृष्णि संघ, ७८-अन्य गणराज्य, ८३-अवन्ती का द्वैराज्य ८३ ।

द्वितीय अध्याय

साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति

८४-८९

तृतीय अध्याय

मगध के राजवंश

९०-९५

बाह्द्रथ वंश, ९०-(सहदेव, मार्जारि, श्रुतश्रवां, अयुतायु, निरामित्र, सुक्षत्र, बृहकर्मा, सेनजित, शत्रुञ्जय, महाबल, शुचि, क्षेम, सुब्रत, सुनेत्र, त्रिनेत्र, दृढ़सेन, सुचल, सुमति, सुनेत्र, सत्यजित, वीरजित, रिपुत्रज्य)-प्रद्योत वंश, ९३-(प्रद्योत, पालक, विशखूयूष, ननिन्दर्धन)-शिशुनाग वंश, ९५(शिशुनाग, काकवर्मा, क्षेप धर्म, क्षेत्रज्ञ, बिम्बिसार) ।

चौथा अध्याय

हस्तिनापुर का चन्द्रवंश

९६-९९

पाँचवाँ अध्याय

कोशल का सूर्यवंश

१००

छठा अध्याय

काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य १०१-१०२

सातवाँ अध्याय

सैमीरेमिस का आक्रमण १०३-१०६

आठवाँ अध्याय

प्रागबौद्ध काल के सोलह राज्य १०७-११०

मगध का राज्य, १०७-कोशल का राज्य, १०७-वत्स या वंश का राज्य, १०७-अवन्ती का राज्य, १०७-काशी, १०७-अङ्ग, १०८-चेदी, १०८-कुरु, १०८-पाञ्चाल, १०८-मत्स्य, १०८-शूरसेन, १०८-अस्सक या अश्मक का राज्य, १०९-गान्धार, १०९-काम्बोज, १०९-वैज्जेन का राज्य, १०९-मल्ल, १०९।

तृतीय भाग

शुक्रनीतिसार कालीन भारत

प्रथम अध्याय

शुक्रनीतिसार ११३-११९

पूर्व वचन, ११३-शुक्रनीतिसार, ११४-आचार्य शुक्र कौन है ?, ११४-काल निर्णय, ११४ ।

द्वितीय अध्याय

भौगोलिक अवस्था १२०-१२४

दिग्बिभाग, १२०-प्रान्त विभाग, १२०-छोटे प्रान्त, १२१-लंका, १२१-गण्डक, १२२-खश, १२२-पर्वत, १२२-नदियाँ, १२३-समुद्र, १२३-नक्षत्र, १२४ ।

तृतीय अध्याय

राजा और शासन प्रबन्ध

१२५-१४४

राजा की स्थिति, १२५-आदर्श राजा, १२६-युवराज की शिक्षा और स्थिति, १२८-मन्त्रिमण्डल, १३०-मन्त्रि परिषद् की महत्ता, १३३-मन्त्रियों की वैयक्तिक स्थिति, १३३-मन्त्रियों का कार्य, १३५-राजाज्ञाओं का प्रकाशन, १३७-राजा की दिनचर्या, १३९-राजकीय सेवाएँ, १४१-स्थिर सेवक, १४१-पद वृद्धि, १४२-निरीक्षक, १४३-गुप्तचर, १४३-आवागमन के साधन १४३।

चतुर्थ अध्याय

प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य

१४५-१५३

प्रजातन्त्र के उदाहरण, १४५-जनता की योग्यता, १४६-प्रजा के अधिकार, १४६-वैध शासन, १४७-व्यवस्थापिका सभा, १४८-तत्कालीन शासन का स्वरूप, १५०-स्थानीय स्वराज्य, १५१-(श्रेणी, गण, पूर्ण, संघ)।

पञ्चम अध्याय

न्याय व्यवस्था

१५४-१७४

न्याय विभाग, १५४-न्याय सभा, १५५-न्यायालय, १५८-न्यायालय की कार्रवाई, १५९-वादी को दण्ड, १६०-आवेदन और साक्षी, १६०-वारण्ट, १६२-प्रतिनिधि, (वकील) १६३-वकील का वेतन, १६३-गुरुतर अपराध, १६४-जमानत, १६४-अर्जी या प्रतिज्ञा के वाक्य, १६५-जिरह, १६६-उत्तरों का वर्गीकरण, १६७-अभियोग का प्रकार, १६७-अभियोगों का क्रम, १६८-साक्षी, १६८-साक्षियों के लिये निर्देश, १६९-मुद्रा पत्र (स्टाप्प पेपर), १७०-भूमी का मौरूसी होना, १७१-दैवी साक्षी, १७२-आय के भाग (शेयर), १७३-कुछ अन्य नियम, १७३-उपसंहार, १७४।

छठा अध्याय

सेना प्रबन्ध, शस्त्राख तथा युद्धनीति

१७५-१९६

सेना विभाग, १७५-सेना निर्माण, १७७-रथ, १७७-हाथी, १७७-घोड़े, १७८-सैन्य पालन, १८०-छावनियाँ, १८१-सैनिकों को शिक्षा, १८२-सेना के लिये आवश्यक सामान, १८३-सैनिकों के लिये अन्य नियम, १८३-सैनिकों की गणना, १८४-सैनिकों को वेतन, १८४-सैनिकों को दण्ड, १८५-बारूद के प्रमाण, १८६-शस्त्राखों के घेद, १८७-बन्दूक, १८७-तोप, १८८-बारूद बनाने की विधि, १८८-गोले और गोलियाँ, १८९-अन्य हथियार, १८९-अग्न्याखों का प्रयोग, १९१-षड्गुण, १९१-व्यूह, १९२-युद्ध के प्रकार, १९३-धर्मयुद्ध और कूटयुद्ध, १९४-विजित सम्पत्ति का विभाग, १९५।

सातवाँ अध्याय

राष्ट्रीय आय

१९७-२१६

आय के स्रोत, १९७-वाणिज्यकर, १९८-भूमि कर, १९८-खनिज कर, २००-जंगलात, २०१-पशु कर, २०१-श्रम, २०१-चार अन्य साधन, २०१-राष्ट्रीय ऋण, २०२-कर सिद्धान्त, २०२-मुद्रा पद्धति और विनियम पद्धति, २०५-बजट, २०७-व्यय के विभाग, २०७-राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त, २०९-राजकर्मचारियों का वेतन, २१०-भूत्यों को अवकाश, २११-रुणावकाश तथा वेतन, २१२-पेन्शन, २१२-इनाम, २१२-कर्मचारियों पर दण्ड का प्रभाव, २१३-आय व्यय के लेख पत्र, २१३-लेखपत्रों की स्वीकृति, २१४-आय व्यय का लेखा २१५।

आठवाँ अध्याय

समाज की आर्थिक दशा

२१७-२३१

धन कमाने के उपाय, २१७-शिल्प और व्यापार, २१९-कला, २२०-व्यवसायों में स्वतन्त्रता, २२२-सङ्घों द्वारा उत्पत्ति, २२३-श्रेणियाँ और

उनके अधिकार, २२४-आवागमन के मार्ग, २२५-सङ्कों की बनावट, २२६-मणियाँ, २२७-पदार्थों का मूल्य और मुनाफा, २२७-मूल्य और दाम, २२९-कृषि, २३० ।

नौवाँ अध्याय

भौतिक सभ्यता और धर्म

२३२-२५४

जंगलात, २३२-तोल और परिमाण, २३३-राजधानी, २३६-भवन निर्माण, २३८-सभा भवन, २३९-सरायें, २३९-विद्याएँ, २४०-राजकीय पत्र, २४२-खनिज, २४३-शराब और जूआ, २४५-प्रतिमा निर्माण, २४६-सरकार और देव मन्दिर, २४७-आश्रम व्यवस्था, २४८-वर्ण व्यवस्था, २४८-स्थियों की स्थिति, २५०-सती प्रथा, २५२-स्थियों के अन्य अधिकार, २५३ ।

चतुर्थ भाग

भारतीय सभ्यता का विदेशी में प्रसार

प्रथम अध्याय

चीन और भारत

२५६-२८०

पूर्व वचन, २५६-भारत और चीन का प्राचीन साहित्य, २५८-परम्परा से विद्यादान, २५९-अन्य साहित्यिक समानताएँ, २५९-यज्ञ, २६२-मृतात्माओं के लिये श्राद्ध, २६४-परमात्मा सम्बन्धी विचार, २६५-अध्यात्म सिद्धान्त, २६६-पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त, २६६-जगत की उत्पत्ति, २६६-योग और प्राणायाम, २६७-निष्काम कर्म, २६८-पूर्णयोगी और जीवन मुक्त, २६८-ऐतिहासिक प्रमाण, २७२-चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ ? २७३-प्रागबौद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव, २७७-भारतीय राजकुमार, २७९-भगदत्त, उपसंहार, २८० ।

द्वितीय अध्याय

भारत और ईरान

२८१-२८७

जिन्दावस्था के प्रमाण, २८१-सम्बन्ध शिथिल कब हुआ? २८२-धर्मों की समानता, २८४-अन्य समानताएँ, २८५-जिन्द अवस्था, २८५-भाषाओं में समानता, २८५-वैदिक शब्दों के विकृत रूप, २८७।

तीसरा अध्याय

एसनीज लोग और भारतीय आर्य

२८८-२९१

थैराप्यूट्स, २८८-एसनीज लोग, २८९-एसनीजों की प्रार्थनाएँ, २९०।

चौथा अध्याय

भारत और पश्चिम एशिया

२९२-३०१

मोहन जोदड़ों, २९२-हरप्पा, २९३-अन्य ऐतिहासिक प्रमाण, २९४-पद्मासन, २९६-भौतिक सभ्यता, २९६-चाल्डी और वैदिक साहित्य, २९८-हिन्दू और भारतीय सभ्यता, २९९।

पाँचवाँ अध्याय

भारत और यूनान

३०२-३१८

रामायण और इलियट, ३०२-मनु और मिनौस, ३०६-दार्शनिक विचारों में समानता, ३०६-(ईश्वर की एकता, प्रलय, सत्कार्यवाद, आत्मा की नित्यता आदि सिद्धान्त) -पुनर्जन्म का सिद्धान्त, ३११-वर्णव्यवस्था, ३१२-संस्कार, ३१२-शिक्षा पद्धति, ३१३-सतयुग, ३१४-शिक्षा के सिद्धान्त, ३१४-देवताओं में समानता, ३१५-(यम और प्लेटो, कृष्ण और अपोलो, काली और लावर्न, बैल)-त्रितु यज्ञ, ३१६-अन्य समानताएँ, ३१६-(अहिंसा, सत्य, पञ्चभूत)।

छठा अध्याय

इटली और भारत ३१९-३२८

जेनस और गणेश, ३१९-सैटर्न और सत्यव्रत, ३२०-सिरिस और श्री, ३२१-जूपीटर और इन्द्र, ३२१-जूनो और पार्वती, ३२१-मिनर्वा और दुर्गा, ३२२-मिनर्वा और सरस्वती, ३२२-जूनो और भवानी, ३२२-डायोनीसस और राम, ३२३-कृष्ण और मूसा, ३२३-रीतिरिवाज, ३२३-राजनियम, ३२४-चतुर्वर्ण, ३२६-धार्मिक आचार विचार, ३२६।

सातवाँ अध्याय

द्वूइड लोग तथा आर्य जाति ३२९-३३४

दार्शनिक विचार और रीतिरिवाज, ३२९-प्रथाओं में समानता, ३३१-समाज में द्वूइड लोगों की स्थिति, ३३३।

आठवाँ अध्याय

भारत और अमेरिका ३३५-३४२

पूर्वीय देश और अमेरिका, ३३५-चतुर्युग की कल्पना, ३३६-जल-प्लावन का विश्वास, ३३७-चोलुला का बुर्ज, ३३७-मृतकों का दाह, ३३८-भाषा की समानता, ३३९-वैज्ञानिक सादृश्य, ३३९-अनुश्रुति (Tradition), ३३९-क्वेटसालकटल और सालकटंकट, ३४०।

नौवाँ अध्याय

भारत और अफ्रीका ३४३-३५०

संस्कारों की प्रथा, ३४४-जातकर्म, ३४४-अन्न प्राशन, ३४४-मुण्डन, ३४५-मेखला, ३४५-वेदारम्भ, ३४५-मृतक संस्कार, ३४६-निरामिश भोजन, ३४७-अग्निपूजा, ३४७-ब्रह्मचर्य, ३४७-विवाह, ३४८-यज्ञाग्नि की साक्षी, ३४८-शिखा, ३४८-शिक्षा, ३४९-भिक्षा ३४९-प्रार्थनाएँ, ३५०।

दसवाँ अध्याय

भारत और मिश्र

३५१-३६२

प्रलय और उत्पत्ति, ३५१-मात (Maat) और ऋत, ३५२-प्राचीन मिश्री साहित्य और वेद, ३५३-वर्ण व्यवस्था, ३५४-सामाजिक और पारिवारिक जीवन, ३५४-चार ऋषि, ३५५-यम की तुला, ३५६-यज्ञानि, ३५६-सूर्यवंश, ३५६-इथ और इबु, ३५६-नाग पूजा, ३५७-आदिम और अतुम, ३५७-भाषाओं में समानता, ३५७-आत्मा की अमरता में विश्वास, ३५९-एक ईश्वर में विश्वास, ३६०-सदाचार के सिद्धान्त, ३६१-कर्नल आल्काट का मत, ३६१-कुछ अन्य विद्वानों के मत, ३६२।

सहायक पुस्तकों की सूची

१. अथर्ववेद
२. अनेकार्थ रत्नमाला
३. अभिज्ञान शाकुन्तल—कालीदास
४. अष्टादश पुराण
५. अक्षर विज्ञान—रघुनन्दन शर्मा
६. ऋग्वेद
७. कौटिल्य अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य-(श्याम शास्त्री द्वारा सम्पादित)
८. गीता-श्रीकृष्ण
९. दस उपनिषदें
१०. धर्मपाद
११. नैषद काव्य—श्री हर्ष
१२. पञ्चतन्त्र,—पण्डित विष्णु शर्मा
१३. बाल्मीकि रामायण,—बाल्मीकि
१४. बौद्धायन गृह्णसूत्र
१५. ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य-श्री शक्तिराचार्य
१६. ब्राह्मण ग्रन्थ
१७. मनुस्मृति-मनु
१८. महाभारत-व्यास-(कलकत्ता संस्करण)
१९. यजुर्वेद
२०. यात्रातत्त्व
२१. योगदर्शन-पातञ्जलि
२२. राजतरङ्गिणी-कल्हण- (स्टाइन द्वारा सम्पादित)
२३. शब्दार्थ चिन्तामणि
२४. शिव संहिता
२५. शुक्रनीति-आचार्य शुक्र
२६. सामवेद
२७. सांख्यतत्त्व कारिका
२८. Asiatic Researches. (Seven Volumes.)
२९. Bart John L. - The Origin of Civilisation and the Primitive Condition of Man.
३०. Besant, Annie-The Ancient Wisdom.
३१. Bluntschli, - Theory of the State.

32. Breasted, J.H. - A History of Ancient Egipitians.
33. Budge, E.A. Wallis - The Teaching of Amen-am-apt
34. Chaudhari, Roy-Political History of India
35. Collins, Clifton, W.-Plato.
36. Cook, Kenningale-The Fathers of Jasus.
37. Doane, T.W. - Bible Myths.
38. Encyclopidia Britainica.
39. Encyclopida of Religion and Ethics.
40. Exodus.
41. Farnell, L.R.-Higher Aspects of Greek Religion.
42. History of Greece.
43. Hutchinson, - Customs of the World, First Volume.
44. Iliod and Ramayan.
45. Indian Antiquery Vol. VIII.
46. Jaswal - Hindu Pality
47. Jones, M.E. Monkton-Ancient Egipit from Records.
48. Junod, Hanri H. - The Life of a South African Tribe. Two Volumes.
49. Kennedy, Vanes-Hndoo Mythology.
50. Kwangze Book.
51. Lillie, Arthur-India in Primitive Christianity.
52. Massey, Garald- A Book of the Beginning Vol. I
53. Messey, Garald - The Natural Genesis, Vol. II
54. Megasthenese-Fragments of India.
55. Mukerji, R. Kumud- History of Indian Shipping.
56. Oppert, Gustav-Weapons in Ancient India.
57. Parjitar-Ancient Historical Traditions.
58. Pattison, A.S. Pringle-The Idia of Immortality.
59. Pattrie, W.M. Flinders-Social Life in Ancient Egipit.
60. Perry, W.J. The Children of Sun.
61. Phillips, Maurice-The Teaching of the Vedas.
62. Plato-Laws of Plato.
63. Plato-Republic
64. Potter-Antiquities of Greece.
65. Priscott, William H. - History of the Conquest of Maxico.

66. Priscott, William - History of the Conquest of Peru.
67. Quatrafages, A. De-The Human Spicies.
68. Regozin, Jenaide A. - Vedic India.
69. Rouse, W. H. Denham-Greek Votive Offerings.
70. Russel, Rev. Michael-A Vew of Ancient and
Modern Egipt.
71. Sachu, Edward C. - Elbaruni's India 2 Vol.
72. Sarkar, Binoy Kumar - Chines Religion through
Hindu Eyes.
73. Sarkar, Binoy Kumar - Political Institutions and
theories of the Hindoos.
74. Sarkar, Binoy Kumar - Positive Backgrounds of
Hindu Sociology Vol.I
(Non-political)
75. Sarkar, Binoy Kumar - Positive Backgrounds Vol.
II (Political)
76. Sarkar, Binoy Kumar - Shukraniti. (Footnotes)
77. Schure, Edward-Pathagoras.
78. Shastri, Narayan-Age of Shankar.
79. Syce, - Religion Among Balionians.
80. Text of Toism, S.B.E.
81. Vidyarthi, Gurudatta - Our Past, Present and
Future.
82. Ward, William - A Vew of the History, Literature
and Mythology of the Hindus,
I. & IV. Vol.
83. Weighall, Arthur-Tutakhamen and Other Esseys.

पत्र पत्रिकाएँ

1. Letarary Digest, Newyark (Amarica)
2. Modern Review Calcutta.
3. Thiosophist. Madras.
4. Vedic Magazine, Lahore.
५. माधुरी, लखनऊ.
६. अलड्कार, गुरुकुल काँगड़ी.

प्रथम भाग

महाभारत कालीन सभ्यता.

“स्वायम्भुव राजा से लेकर पाण्डव धर्मन्त्र आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा, तत्पश्चात् परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये, क्योंकि इस परमात्मा की सुष्ठि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्रान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य; पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है, इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन जैसे कि मद्यमांस सेवन, विषयासक्ति, बाल्यावस्था में विवाह और स्त्रेच्छाचारादि बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि उसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों का पक्षपात अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है; और जब ये दोष हो जाते हैं तब परस्पर में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है जो कि उनका पराजय करने में से समर्थ होने, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया।” (सत्यार्थ प्रकाश, समुद्घास ११)

—स्वामी दयासन्द.

* प्रथम अध्याय *

बुद्ध प्रबन्ध तथा शखाल्ल.

पूर्व वचन.

महाभारत कालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला सम्पूर्ण साहित्य आज हमें उपलब्ध नहीं होता। उस सभ्यता के राजनीतिक तथा सभ्यता के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाला केवल एक ही ग्रन्थ “महाभारत” नाम से प्राप्त होता है। यह ग्रन्थ पूर्णरूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें सभ्य र पर पर्याप्त मिलावट भी होती रही है। परन्तु वह सम्पूर्ण मिलावट प्राचीन गाथाओं (Mythology) से संबन्ध रखने वाली है, इस कारण इस ग्रन्थ से महाभारत कालीन राजनीतिक तथा सभ्यता का इतिहास जानने में कोई बड़ी बाधा उपस्थित नहीं होती।

महाभारत एक भव्यतम भव्यत्वपूर्ण ग्रन्थ है; इस देश की वह एक अतुल सम्पत्ति है। यह ग्रन्थ बड़ा विस्तृत है, अष्टादश पुराण और गीता भी इसी महद् ग्रन्थ के भाग हैं। महाभारत द्वारा तत्कालीन भारतवर्ष का इतिहास, सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा आदि बहुत सी ज्ञातव्य बातें प्रामाणिक रूप से जानी जा सकती हैं। इसी ग्रन्थ के आधार पर हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड के अन्त में भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कर चुके हैं; इस भाग में महाभारतकालीन सभ्यता पर प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा।

भारतवर्ष के लग्बे इतिहास में जिस प्रकार उन्नति, अवन्नति, जय, पराजय, शान्तिपूर्ण राज्य और अराजकता के एक दूसरे से सर्वथा प्रतिकूल काल उपस्थित होते रहे हैं, उस प्रकार के दृश्य सम्भवतः संसार के किसी अन्य देश के इतिहास में प्राप्त न होंगे। परन्तु इस सम्पूर्ण इतिहास में भी महाभारत का काल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस काल में भारतवर्ष किसी दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर चढ़ा हुआ प्रतीत होता है और किसी दृष्टि से वह बहुत अवन्नत प्रतीत होता है। महाभारत की घटनाएँ भारतवर्ष के इतिहास में जो महान् युगपरिवर्तन लाई हैं, वैसा युगपरिवर्तन इत्यर्थे इतिहास में अन्य काई अकेली घटना नहीं ढासकी।

राजनीतिक दृष्टि से भग्नभारत कालीन भारत बहुत उच्चत प्रतीत होता है । इस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष राजनीतिक शासन की दृष्टि से एक हो चुका था; हस्तिनापुर सम्पूर्ण देश की राजधानी था । हस्तिनापुर के सम्बाद् भारतवर्ष तथा उसके अन्य उपनिवेशों के सम्बाद् हुआ करते थे । विभिन्न प्रान्तों तथा भारतवर्ष के उपनिवेशों में आधीनश विभिन्न मार्गडलिक राजा लोग शासन किया करते थे ; ये लोग केन्द्रीय सार्वभौम सम्बाद् को कर दिया करते थे । बहुत से अन्य देशों के साथ भारतवर्ष का ऐसा गौरवपूर्ण सम्बन्ध था कि वे देश भारतवर्ष को, आपत्तिकाल में सहायता लेने के लिए, समय २ पर स्वयं कर दिया करते थे । इसी प्रकार सरकार की रचना आदि अन्य राजनीतिक पहलुओं से भी तत्कालीन भारतवर्ष बहुत उच्चत प्रतीत होता है ।

परन्तु महाभारत कालीन सभ्यता के सम्बन्ध में हम एक साथ किसी एक परिणाम पर नहीं पहुँच सकते । इस के हमें दो भाग करने होंगे—भौतिक सभ्यता और सदाचार । भौतिक सभ्यता की दृष्टि से भी इस समय का भारतवर्ष बहुत उच्चत प्रतीत होता है । भौतिक सभ्यता के कुछ अङ्गों में इस समय का भारतवर्ष जितना अधिक उच्चत था, उन अङ्गों में वह उस से अधिक उच्चत महाभारत सं पूर्व कभी भी न हो पाया था । युद्धनीति, शक्ताख, प्राकृतिक विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य, व्यवसाय, आवागमन का प्रबन्ध—इन सब में महाभारत कालीन भारतवर्ष बहुत उच्चति कर चुका था, इन अङ्गों इतनी उच्चति वर्तमान यूरोप १८ वीं सदी के अन्त तक भी न कर पाया था । परन्तु सभ्यता के दूसरे अङ्ग सदाचार की दृष्टि से हम महाभारत कालीन भारतवर्ष को बहुत उच्चत नहीं कह सकते । महाभारत के युद्ध से बहुत समय पूर्व ही इस देश के निवासियों का सदाचार प्राचीन काल की अपेक्षा अवनत होने लगा था ।

महाभारत काल में ज्ञेन का प्रचार, राक्षस विवाह, सदाचार का नाश, मध्यमांस सेवन आदि बुराइयाँ भारतवासियों में प्रवेश कर चुकी थीं । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उस समय साधारण जनता का आचार बिलकुल अवनत हो चुका था । समाज में उपर्युक्त बुराइयाँ अवश्य थीं परन्तु इन बुराइयों को श्रद्धा और अभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था ; इन्हें मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समझा जाता था । सामाजिक आचार की उच्चति और पवित्रता के लिये सरकार भरसक यत्न किया करती थी । उस समय भी व्यास और भीष्म जैसे विद्वान् मौजूद थे । इन का समाज में

यथेष्टु मान था, और ये लोग सामाजिक आचार की उन्नति के लिए भरसक धज्ज किया करते थे । इस समय श्रियों की अवस्था अच्छी नहीं रही थी । खोजाति को पूज्य दृष्टि से न देखा जाता था । भरोसभा में सती द्वौपदी का बोर अपमान महाभारत काल पर सब से बड़ा कलंक है । इसी प्रकार, राक्षस विवाह, बणु विवाह आदि घृणित प्रथाओं के उदाहरण भी महाभारत काल में पाये जाते हैं ।

इस में सन्देह नहीं कि महाभारत के युद्ध से भारतवर्ष को बहुत भारी धक्का पहुंचा ; इस का यह परिणाम हुआ कि साम्राज्य युधिष्ठिर के कुछ काल अनन्तर ही भारतवर्ष का साम्राज्य छिन्न भिन्न होगया, यह विशाल देश भिन्न २ भागों में विभक्त होगया ; अलग २ प्रान्तों पर भिन्न २ वंश राज्य करने लगे । परन्तु इस से यह न समझ लेना चाहिये कि इस महायुद्ध के बाद भारतवर्ष फिर कभी उन्नति ही नहीं कर सका । महाभारत के युद्ध से लगभग २५०० बरस बाद मौर्य काल में फिर से सम्पूर्ण भारत मगध के एक छत्र शासनाधीन होकर केन्द्रित होगया । इस काल में भारतवर्ष राजनीतक दृष्टि से फिर से उतना ही उन्नत होगया जितना कि वह महाभारतकाल में था ।

एक और बात भी ध्यान रखने योग्य है । भारतवर्ष की वर्तमान राजधानी दिल्ली नगर की नींव साम्राज्य युधिष्ठिर ने रखली थी । दिल्ली को सब से प्रथम इसी काल में भारतवर्ष की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

सैन्य प्रबन्ध—महाभारत के महायुद्ध में भारतवर्ष के भिन्न २ प्रान्तों की सेनायें लाखों की संख्या में सम्मिलित हुई थीं । इस युद्ध में अन्य देशों से भी सैन्य सहायता पहुंचाई गई थी । महाभारत द्वारा प्रतीत होता है कि उस समय सैन्य प्रबन्ध बहुत अच्छे ढंग पर किया जाता था । सेना दो प्रकार की होती थी—I. स्थिर सेना ॥ I. स्वर्यसेवक सेना ।

I. स्थिर सेना का प्रबन्ध बहुत पूर्ण था । सैनिकों को वेतन ठीक समय पर दे दिया जाता था । सभापर्व में नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है—“क्या तुम अपने सैनिकों को उनका पूरा वेतन और भोजन का हिस्सा ठीक समय पर देते हो ? सैनिकों कर वेतन उन्हें सदैव ठीक समय पर दे देना चाहिये । मेरा विचार है कि तुम ऐसा ही करते हो और साथ ही अपने सैनिकों पर अस्याचार

(६)

भारतवर्ष का इतिहास ।

भो नहाँ करते ॥”^१

II. देश पर आपत्ति आई हुई देख कर देश के नवयुवक स्वयंसेवक बन कर सेना में भरती होते थे । बहुत से स्वयं सेवक बिना वेतन लिये, देश प्रेम से वशोभूत होकर ही इस सेना में सम्मिलित होते थे । उद्योग पर्व में भीष्म कहते हैं—“मैं सेना के सब कार्यों से परिचित हूँ । मैं स्थिर वेतन भोगी सैनिकों और अवैतनिक स्वयंसेवकों से भी कार्य करा सकता हूँ ॥”^२

इस से प्रतीत होता है कि उस समय देश के साधारण नवयुवक भी ज्यूहाभ्यास तथा शस्त्र चालनं का अभ्यास किया करते होंगे ।

युद्धसामग्री— उस समय राज्य की ओर से शखादि सामग्री को उचितरूप में रखा जाता था । सभापर्व में नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं— राज्य, तुम्हारे दुर्ग में सब धनधार्य और आयुधादिक उचित रीति से संग्रहीत हैं या नहीं ? तुम्हारा कोष, भण्डार, वाहन (सवारियें), द्वार पर प्रयुक्त होने वाले आयुध, तथा तुम्हारे कल्याण चाहने वालों से प्रदत्त आय आदि सभी ढीक हैं या नहीं ॥”^३

युद्ध विभाग के डाक्टर— सेनाएँ दुर्गों में रहा करती थीं और उन में युद्ध विभाग के डाक्टर रहा करते थे । उद्योग पर्व में हम पढ़ते हैं—“युधिष्ठिर अपनी सेना के कोष, यन्त्र, शस्त्र और वैद्यों को लेकर चला ॥”^४

इसी प्रकार भीष्म पर्व में लिखा है—“जब भीष्म शरशथ्या पर पड़े हुए थे, तो उन के लिये शस्त्र और लोह कीलकों के निकालने में चतुर,

१. कच्छिलस्य भस्त्रश्च वेतनश्च यशोचितम् ।

मम्प्राप्तकाले दातव्यम् ददाति नविकर्मसि ॥ ४८ ॥ (सभाऽ अ० ५.)

२. सेना कर्मश्यभित्रोऽस्मि व्यौहेतु विविधेतु च ।

कर्मकारर्यितुं चैष भृतामप्यभूतांस्तथा ॥ ८ ॥ (उद्योगऽ अ० १५४.)

३. कच्चित्कोषश्च कोषश्चित्वाहनं द्वारमयुधम् ।

आयश्च कृतकर्त्यागैस्तव भवतैरनुहितः ॥ ६७ ॥

कच्चिद्दुर्गाणि सर्वाणि धनधार्यायुधादिकैः ।

यन्त्रेष्वपरिपूर्णानि तथा शिल्पधनुर्धरैः ॥ ३५ ॥ [सभाऽ अ. ५]

४. कोषयन्त्रायुधञ्चैव येचैव्यमस्त्रिकित्सकाः ॥ [उद्योग, अ० १५ । ५८]

अनेक सुशिक्षित वैद्य अपनी सब सामग्री, शीज़ार आदि, लेकर उपस्थित हुए। इस पर भीष्मपितमह बोले कि सब वैद्यों को उचित धन देकर उन्हें सन्तुष्ट करो, मैंने क्षात्र धर्म में रह कर यह प्रशान्त परम्पराति प्राप्त की है थब मुझे वैद्यों से क्या प्रयोजन है ॥^३

उद्योगपर्व में रणभूमि में लगे हुए राजाओं के कैम्पों का वर्णन करते हुए लिखा है—“वहाँ पर सैकड़ों इस प्रकार के शल्य—विशारद वैद्य उपस्थित थे, जिन के पास सम्पूर्ण उपकरण (Instruments) विद्यमान थे और जिन को नियमित रूप से वेतन मिलता था ॥^४

विविध ग्रकार के अस्त्र—इस में सन्देह नहों कि महामारत काल में चाहुत भयंकर अस्त्र विद्यमान थे। तोप और बन्दूक के सदृश अश्वि की सहायता से चलने वाले भयंकर अस्त्र भी उस समय विद्यमान थे। भीष्मपर्व में युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है—“रथी लोग अपने रथों पर चढ़ कर कर्णि-पञ्च वाले बाणों और नालिकाखों (बन्दूक) से वीरों को युद्ध में मार कर सिहनाद करते लगे ॥^५

द्वीणपर्व में लिखा है—“उस समय राक्षस, जिन का बल सन्ध्या-काल होने से और भी बढ़ गया था, चारों ओर से पत्थरों की बहुत अधिक वर्षा कर रहे थे। लोहे के बने हुए चक्र, भुगुणिड, तीमर, शक्ति, शूल, पट्टिश और शतभियां (तोपें) बराबर खल रही थीं ॥^६

इसी ग्रकार भीष्मपर्व में युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए लिखा है—

१. उपतिष्ठतो वैद्योः शश्वौद्गुणकोविदाः ।

सर्वोपकारैर्युक्ताः कुपलैः साधुशिङ्गिताः ॥ १७ ॥

ताहृष्टवा जान्हवीयुक्तः प्रोवांच तनयं तव ।

धर्नरहवादिसञ्ज्ञनां पूजयित्वा चिकित्साः ॥ १८ ॥ [भीष्म पर्व. अ. १२३]

२. तत्रापश्च चिरिष्पिनः प्राचः शतशोदत्तवेतनाः ।

सर्वोपकारैर्युक्ता वैद्याः शास्त्रविशारदाः ॥ [उद्योग ० अ. १५१]

३. रथिनश्चरै राजदृ कर्पिनालीकदायकैः ।

निरुच समरे वीराशू चिह्नादाशू विनेदिरे ॥ ३१ ॥ [भीष्म ० अ. ६६]

४. तवेऽश्वमृष्टिरथयन्तमासीनत्रयमन्ततः ।

बलध्याकालाधिकवैर्युक्ताः राष्ट्रसैः चितौ ॥ ६८ ॥

आद्यवालि च चक्राणि भुगुणद्यः चक्षितोमराः ।

दत्तस्यविरताः भूताः शतघ्न्यः पट्टिशास्तथा ॥ ६९ ॥ [भ्रोण ० अ. ११५]

“युद्धमें गिरते हुए शक्ति, तोमर, तलवार, पट्टिश, प्राप्ति, परिघ, मिहिपाल और शतन्त्री (तोपें) आदि शब्दों से आहत योद्धाओं की लाशों से सारी पृथिवी ढक गयी ।”^१

भीषणपर्व में कलिङ्ग देश के राजा के हाथियों का वर्णन इस प्रकार किया है— “उसके पर्वत के तुल्य हाथी, मशीनों, तोमरों, तृणीरों, और घड़जाओं से सुशोभित थे ।”^२

इसी प्रकार—“भीष्म ने कभी शरों और कभी नालीकाल से छोड़े कहु बाणों से उसकी सम्पूर्ण सेना को ढक दिया ।”^३

द्वोणपर्व में—“शकुनि ने अर्जुन और कृष्ण पर लगड़, लोहगोलक, पथर, तोप, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, शूल, मुद्रर, पट्टिश, सकम्पन-झृष्टि, मस्तर, मुसल, कुठार, क्षरप्र, नालिकाल, बन्दूक, आदि शास्त्राखों की वर्षा की ।”^४

भीषणपर्व में—“भीष्म ने भी बाणों से शतन्त्री (तोपें) को भेद दिया ।”^५

“जिस प्रकार खूब भड़कती हुई आग बायु की सहायता पाकर सब और फैल जाती है उसी प्रकार भीष्म अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हुआ जल उठा ।”^६

उद्योगपर्व में—“जिस समय गारडोव को धारण करने वाला अर्जुन कण्ठिशर और नालीकाल और मर्मभेदी बाणों को चलाता है, तब उस के मुकाबले पर कोई भी नहीं आ सकता ।”^७

शान्तिपर्व में राज धर्म के प्रकरण में दुर्गनिर्माण बताते हुए लिखा है— “युद्ध कोट बना कर नगरों की रक्षा करनी चाहिये । द्वारों पर बड़े बड़े यम्भ रखवा देने चाहियें और दीवारों पर शतन्त्रियां (तोपें) चढ़ानी चाहियें । राजा को यह सब कार्य अपने हाथ में रखना चाहिये ।”^८

१. परिष्वैर्भिन्दिपालैश्च शतन्त्रीभिस्तशैव च ।

शारीरैः शशभिन्नैश्च समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५८ ॥ [भीष्म अ. ९७]

२. तस्य पर्वतसंकाशाः व्यरोचन्त महागजाः ।

यम्भतोमरतूणीर पताकाभिष्यशोभिताः ॥ ३४ ॥ [भीष्म ० अ. १७]

३. कर्णिनलिकनाराचैश्वकादयमाच तद्वलम् ॥ १३ ॥ [भीष्म ०, १०७ अ०]

४. द्वोपाऽ अ० ३० श्लो० १६-१७. ५. भीष्म ० अ० ११४ श्लो० ४१.

६. भीष्म ० अ० ११७ श्लो० ६१. ७. उद्योग ० अ० ५१ श्लो० ३.

८. शान्ति० अ० ६८ श्लो० ४४-४५.

“बनपर्व में इन्द्र द्वारा अर्जुन के लिये भेजे रथ का वर्णन करते हुए अशनि शख का अद्भुत वर्णन आता है । “अशनेशश्च ऐसा होता था कि उस में एक एक मन का गोला डाला जाता था । उस के नीचे चक्र लगे रहते थे । गोले घायु में ही फूट जाते थे और बड़ा भारी धक्का पहुँचाते थे । उस से बालों की तरह घोरनाद होता था ।” १

द्रोणपर्व में नारायणाश्च का वर्णन आता है कि—“प्रथम अगले भास्त्रों से जलते हुए बाण प्रगट हुए और सारी दिशाओं में फैल गये । उसके बाद तारों की तरह दीप्यमान सीसे (काष्ठर्णायस) के चमकते हुए गोले छोड़े गये । फिर चार चक्रों वाली विचित्र प्रकार की शतभिन्नां, बड़े २ गोले और ऐसे चक्र जिन की धाराएँ छुरे के समान तेज थीं, प्रगट हुए । वे ज्यों २ बढ़ते चले गये, त्यों २ वह अख भी बढ़ता गया । उस नारायण अस्त्र द्वारा वे सब शत्रु ऐसे मारे गये जैसे आग ने उन्हें भून दिया हो । जिस प्रकार शीतकाल के चले जाने पर अग्नि बाँस को जला देती है उसी प्रकार उस अख ने भी पाण्डवों की सारी सेना को भस्स कर दिया ।” २

कतिपय विचित्र अस्त्र—इन के अतिरिक्त अन्य भी विचित्र प्रकार के अस्त्रों का वर्णन महाभारत में आया है, जिन का प्रयोग सम्भवतः पृथ्वी-मरुडल के किसी अन्य भाग में कभी भी नहीं हुआ होगा ।

१. तथैवाशमयरवैव चक्रयुक्तस्तुलायुहाः ।

पायुस्फोटादनिर्दत्तं नहोषेष्वनास्त्वया ॥ ५ ॥ [बनपर्व० अ० ४२]

२. मादुरार्दस्तो वाण्यः दीप्ताश्च वदश्चयः ।

पाण्डवामृष्यविद्यन्तः दीप्तास्त्वया इव पद्मगाः ॥ १७ ॥

३. दिव्यः र्खं च सैन्यं च सनात्पुण्यत् भद्राद्वै ।

क्षयापरे क्षोत्रभाना ष्टोतौदीवान्धरेऽनसे ॥ १८ ॥

प्रादुरास्त् नदीपात् काष्ठर्णायसमवायुहाः ॥ १९ ॥

चतुर्ब्दका विचित्रात् यत्पूर्णोऽगुहाभद्राः ।

पक्षाण्य च तुराञ्चानि भरद्वालानीवभास्तः ॥ २० ॥

पद्मा वयास्युद्धमन्तं पाण्डवानां नहारयाः ।

दद्यात् तथा वदस्त्रै अवधुर्यत भनाचिष्य ॥ २१ ॥ [द्रोष पर्व० अ० २००]

अन्तर्धानात्म—धनाध्यक्ष कुबेर अपना अन्तर्धान नामक अख्य अर्जुन के प्रति देता है । वह उस का इस प्रकार वर्णन करता है कि “यह मेरा प्रिय अन्तर्धान नामक अस्त्र तू शहण कर, यह ओज और तेज के वरसाने वाला, दीसि को करने वाला, शत्रु के सुलाने और नाश करने वाला है, शङ्कर ने त्रिपुर का नाश करने के लिये भी इसी का प्रयोग किया था, इस से बड़े २ असुर जल गये थे । १ ”

अशनि:—“आठचक्रों से युक्त अशनि बड़ा पृथ्वीक अख्य था । इसे चद्र ने बनाया था । उस से कर्ण ने लेकर धनुष द्वारा रथ पर प्रदोग किया तो उस के प्रभाव से घोड़ों सहित रथ भस्मसात् हो गया और विजली की लपट पृथ्वी में प्रवेश कर गयी । २ ”

युद्ध के नियम:—इस प्रकार अन्य कितने ही विचित्र भव्यकर संहारक अलों का प्रयोग महाभारत के महायुद्ध में हुआ था । युद्ध विद्या में, प्राचीन आर्यों ने उच्चति की पराकाष्ठा की हुई थी । युद्ध के नियम भी मर्यादित हो चुके थे; जिनका भेंग करनन्त सर्व साधारण की दृष्टि तथा विचारों में बहुत ही शृणित पाप समझा जाता था । यह हो सकता है कि इन नियमों का पालन उस समय के सब योद्धा जन न करते हों परन्तु फिर भी इन नियमों की विद्यमानता अवश्य थी ।

युद्ध होने के पूर्व ही कौरव पालडव दोनों पक्षों ने युद्ध के धर्म को स्वापना की । उसका वर्णन भीष्यपर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है ।

“उन दोनों तरफ को सेनाओं का वह अद्वृत सङ्गम था । मानों युगम् काल में दो सखाओं का संगम हो । सारी पृथ्वी के युवा पुरुष सेनाओं में आ जाने के कारण अन्यत्र क्षेवल बाल और चृद्ध ही शोष रह गये थे । उस समय कौरव पालडव और सोमक धंशी राजाओं ने परस्पर प्रतिशाय कर युद्धों के ये नियम बनाये:—

१. तदिदं प्रति पृहीन्य अन्तर्वर्त्य मिर्य लत ।

बोकस्तेजो द्युतिकर्त प्रस्तापत्तरातिकृत ॥ ३० ॥

महालभा यद्यरेष त्रिपुरं निर्वर्तु पुरा ।

सदैषदस्त्रं निर्मुक्तं येष दग्धा चहातुराः ॥ ४० ॥ [यम पर्व अ० ४१]

२. चाहुधकां महायोरामशनो लद्रनिर्मितादु ।

तामवप्युत्प जग्राह कर्त्तेन्यस्य रथे धनुः ॥ ४५ ॥

चिक्षेप वैनांतस्यैव श्वन्दनात्सोऽवयप्यस्तुवे ।

साक्षसूत्पद्यजं यानं भस्मकृत्वा महाप्रभा ॥ ५५ ॥

विवेष वसुधां मित्या सुरास्त्र विविस्मयः ॥ ५७ ॥ [ब्रोण० १४८]

(१) युद्ध के प्रारम्भ तथा समाप्त होने पर परस्पर में हमारी प्रीति ही रहे । उस समय अपने प्रति पक्षी के साथ उचित और यथोच्चय ही व्यवहार करना चाहिये । आपस में एक दूसरे को छलना ठीक नहीं ।

(२) वार्युद्ध प्रवृत्त होजाने पर, प्रति पक्षी को भी वाणी से ही युद्ध करना चाहिये ।

(३) सेना से युद्ध छोड़ भागे हुवों को नहीं मारना चाहिये ।

(४) रथी रथी से, गजारोही गजारोही से, घुड़सवार घुड़-सधार से, पदाति पदाति से यथोचित रूप में यथेच्छ उत्साह और बल के साथ युद्ध करे ।

(५) प्रहार करने से पहिले बतला कर प्रहार करना चाहिये । विश्वास दिलाकर तथा घबराहट में डाल कर दूसरे पर प्रहार करना उचित नहीं ।

(६) किसी के साथ युद्ध में लगे हुवे को, युद्ध से विमुख पीठ दिखाने वाले को, निःशक्त और निश्कवच को नहीं मारना चाहिये ।

(७) घोड़ों, घोड़ों के सारथियों, तथा शखादि बना कर देने वालों या शखों को उठा कर लाने वाले नौकरों को न मारना चाहिये । प्रति पक्षी के झांझ मेटी, मृदंग आदि वाजे भी न तोड़ने चाहिये । १

राजदूत का वधः—राजदूत या सदेशहर का जीवन बहुत ही परिश्र होता था इसी से उसे कारागार में रखना भी महापाप समझा जाता था । उद्योग पर्व में दुर्योधन, दूतरूप से आये कृष्ण को कैद करना चाहता था । इस पर धृतराष्ट्र बोला:—

“हे राजन् ! ऐसा मत करो यह सेनातेन धर्म नहीं है । कृष्ण इस समय दूत बन कर आया है, यह हमारा विषय सम्बन्धी भी है । उसने कोई

१. ततस्ते समर्य चक्रः कुरुपाण्डवसोमकाः ।

धर्मान्वर्त्यापयोमादुः युद्धानं भरतर्वभ ॥ २६ ॥

निवृत्ते विहिते युद्धे स्वात्मीतिर्नः परस्परम् ।

यथापरं यज्ञायोर्व नच स्याङ्गलर्न तुनः ॥ २७ ॥

घाचा युद्धे प्रवृत्तानां वागेव प्रतियोगिनम् ।

निष्क्रान्ताः पृतनामध्याक्षं हन्तव्याः कदाचन ॥ २८ ॥

रथीव रथिना योध्यो गजेन गजधृतिः ।

सारवेनादः पदातिश्व पादमतेनैव भारत ॥ २९ ॥

यथायेभ्यं यज्ञाकार्यं यथोस्ताहं यथावलम् ।

समाभास्य प्रहृत्येत्य न विशस्ते न विहृते ॥ ३० ॥

एकेन यह संहृष्टः प्रपक्षो विमुखस्तया ।

हीणशक्तोविवर्त्य नहनव्यः कदाचन ॥ ३१ ॥

नसूते यज्ञयुर्येत्यु वज्र गजोपक्षीविजु ।

नलीरेष्वक्षसैजु महर्ष्यं कथंतरम् ॥ ३२ ॥ (भीष्म-अ० १)

अपराध नहीं किया फिर उसे किस प्रकार कारागार में डाला जा सकता है ? ” १

ब्राह्मणों का युद्धों तक को रोक देने का अधिकारः—महाभारत के शान्ति पर्व में बहुत से धर्म या नियम मर्यादा इस प्रकार की हैं जो कि स्वर्गीय समय की बनाई हुई प्रतीत होती हैं । उन मर्यादाओं को पालने में यथापि महाभारत के जगाने के लोग बहुत कुछ शिथिल थे तथापि उन को वे बहुत धारा की दृष्टि से देखते थे । उनको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन समयों में विद्वान् श्रोत्रिय आदि वेदज्ञ ब्राह्मणों को युद्धों को कराने और रोक देने का पूरा अधिकार होता था । यह नियम हमें शान्ति पर्व में निष्ठलिखित रूप में प्राप्त होता है ।

“यदि दोनों पक्षों की सेनायें युद्ध करने के लिये जुटी खड़ी हों और उन दोनों के मध्य में शान्ति कराने की इच्छा से कोई ब्राह्मण आजावे तब दोनों को युद्ध नहीं करना चाहिये । जो ब्राह्मण की आज्ञाका उल्लंघन करता है वह सनातन से चली आयी मर्यादा को तोड़ता है । यदि नीच क्षत्रिय इस मर्यादा को तोड़ देवे तो उसकी गणना क्षत्रियों में नहीं करनी चाहिए, न उसे किसी और सम्य समाज में बैठने योग्य समझना चाहिए ।” २

रण व्यूह शिक्षा:—महाभारत काल में क्षत्रियों को रण की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी । उन्हें नियम पूर्वक व्यूह-रचना का अभ्यास कराया जाता था । युद्ध के लिये उपयोगी, सभी प्रकार की ड्रिल नियम पूर्वक कराई जाती थी । द्रोणपर्व में व्यूहों का इस प्रकार वर्णन आता है :—

“भारद्वाज वंश में उत्पन्न श्रोणाचार्य ने इस प्रकार का वक्त सहित शक्ट व्यूह बनाया जो १२ गव्यूती (४८ मील) लम्बा और ५ गव्यूती (२० मील) चौड़ा था । इस व्यूह में अनेक राजा और अनेक धीर अपने २ शान पर नियत किये गये थे । हाथी और घोड़ों के समूह के समूह उसमें लग गये थे । इसका अगला भाग सूचि की तरह से था, और सूची मुख में धीर कृतवर्मा स्थित था । ३ ”

१. ततोद्योर्धनमिदं भूतराष्ट्रोऽवैद्युतः ॥
मैर्व दोषः प्रजापाल नैवर्धमः सनातनः ॥ १७ ॥
द्रुतश्च इष्टीकेयः सम्भन्धी च प्रियधनः ॥
शापायः कौवेयेतु वक्त्यन्वयमहर्ति ॥ १८ ॥ [उद्योग ३० अ० ८०]
२. शनीकाषोः संहतयो यदीपादु ब्रह्मणोऽन्तरा ॥
शान्तिमिळ्ळन्मुभयतो न योदुर्दं तदापैतु ॥ ८ ॥
मर्यादां शास्त्रतोभिन्नात्प्राद्युपायोऽभिलक्ष्येत् ॥
शशेषसंघयेदेतां मर्यादां चत्रिय व्रुता ॥ ९ ॥
शसंक्षेपस्तदूर्ध्वं स्यादनादेयसु संसदि ॥ १० ॥ [शान्ति ३ अ० ९६]
३. दीर्घोऽद्वदशगच्छुतिः यद्युपेषु विस्तुतः ॥
व्यूहः यशक्षयक्टो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २८ ॥
मनान् पतिभिर्विर्यत्वत् व्यवस्थितैः ॥
स्वाक्षर्यागमपयोगे विषेन विदिता स्वदृष्टः ॥ २९ ॥

शिविर रचना—महाभारत के जमाने में सेना के ठहरने के लिये घड़े शिविर (कैम्प) बनाये जाते थे—छोलदारियाँ तथा घड़े २ तम्भू और शामियाने सजाये जाते थे, जिस में सैनिक आनन्द पूर्वक युद्ध की तयारियाँ कर सकते थे । उद्योग पर्व में सेनाओं का वर्णन करते हुवे लिखा है—

“राजाओं के पृथक् पृथक् बहमूल्य शिविर अर्थात् डेरे ऐसे सजे हुवे थे मानों पृथक् तलपर विमान ही उतर आये हों ।” १

निशायुद्ध—महाभारत काल के आर्य चीर रात्रि के समय भी बहुत घार युद्ध करते थे । रात्रि के घोर अन्धकार होने से युद्ध करना तथा शश और मित्र को पहचानना और घोड़ों रथों व गजों का मार्ग देखना तथा सेनाओं का ठीक प्रकार से शासन करना कठिन था । इस लिये प्राचीन योद्धाओं ने अपने घोड़ों रथों और गजों के साथ किसी अगम्य विधि से दीषकों या लैम्पों के जोड़ लेने का प्रबन्ध कर रखा था । द्रोणपर्व में रात्रि युद्ध की तयारी का वर्णन करते हुवे लिखा है:—

“प्रत्येक रथ पर पांच लैम्प या प्रदीप जगाये गये । इसी तरह प्रत्येक गज पर तीन प्रदीप और प्रत्येक घोड़े पर १ महा प्रदीप रखा गया क्षणभर में सब दीपक ही दीपक जल गये” २

शब्द न करने वाले चक्रों से युक्त रथः—ग्रायः सभी प्राचीन सभ्यता का अनुसरण करने वालों जातियाँ और उन में भी विशेषतः यूनानी और भारतवर्ष की आर्यजातियाँ रथों पर सवार होकर युद्ध किया करती थीं । महाभारत के काल में शिल्पियों ने ऐसे रथों का भी आविष्कार कर लिया था जिन के चलते हुए चक्रों में से किसी प्रकार का शब्द तक नहीं होता था । उस के बक्क को पाराध पर रबर के टायर लगाये जाते थे या किसी और बस्तु का प्रयोग किया जाता था, इसका कुछ भी पता नहीं चलता; परन्तु शब्द रहित रथों का वर्णन महाभारत में निस्सनदेह आता है ।

उद्योगपर्व में सहदेव के विषय में लिखा है:—“जिस समय सरलतया गति करते हुवे, अक्ष द्वारा भी शब्द न करते हुवे, सुवर्ण के बने तारों से सुशो-

सूचीपद्मस्यर्थस्योगृदो व्यूहः कृतः उनः ॥ २४ ॥

शब्देत्तं महायूहं व्यूहाद्वोषो व्यवस्थितः ॥

सूचीमुखे महेश्वासः कृतवर्माश्वदस्थितः ॥ २५ ॥

१. शिविराणि महार्हणि तत्राज्ञां पृथक् पृथक् ॥

विमानानोव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ११ ॥ [उद्योग ० अ० १५५]

२. महाधनैराभरणैष दीपै शस्त्रैष दिवैरभिसम्पत्तद्भिः ॥ १५ ॥

रथे रथे पञ्चत्रिदीपिकास्तु प्रदीपिकामत्तगमेत्र यथः ॥

प्रस्पस्वमेक्ष महाप्रदीप कृतास्तुता । पादहय छौरवेते ॥ १६ ॥ [द्रोण ० अ० १६३]

भित, सुशिक्षित घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़ कर सहवेव राजाओं के गले काटेगा तब दुर्योधन को युद्ध के लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।” १

प्राचीन आर्यों की चीरता इस बात की अपेक्षा करती थी कि शत्रु के साथ भी आपत्ति में बड़े अनुग्रह का वर्ताव करना चाहिये और धायल हुवे हुवे शत्रु के घारों और ब्रणों की चिकित्सा करनी चाहिये ।

शान्तिपर्व में भीष्म पितामह धर्मयुद्ध के नियमों का प्रतिपादन करते हुवे कहते हैं—

“ऐसे शत्रु को न मारना चाहिये, जिस के प्राण निकलने वाले हों, जिसका कोई पुत्र नहीं, जिसका शख्त टूट गया हो, जो विपत्ति में पड़ा हुवा हो, जिसके धनुष की डोरी कट गई हो, या जिसके घोड़े मरगये हों, बणों और जखमों से पीड़ित शत्रु की अपने देश में चिकित्सा करनी चाहिये और अच्छा होने पर उसके देश में भेजदेना चाहिये ।” २

इसी प्रकार युद्ध में पकड़ी गयी कन्या के साथ भी बहुत सम्मान का व्यवहार होता था । शान्तिपर्व में लिखा है—

“विक्रम से लायी गयी कन्या से एक वर्ष तक यह भी न पूछे कि तू मुझे वरती है या किसी और को ?” ३ इसी प्रकार सालभर तक अन्य आहत धन को भी अपने उपयोग में न लाना चाहिये ।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में युद्ध के समयों में कमसर्यट का मह कमा बहुत नियमित था । अन्य भी सब प्रकारके खाद्य पदार्थोंकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रवन्धन किया जाता था । उद्योगपर्व के अन्तिम अध्याय में युधिष्ठिर की युद्ध यात्रा का वर्णन किया गया है । वहां इस प्रकार उल्लेख उपलब्ध होता है :— ४

“महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी कि वहनों के अश्वों, गजों और मनुष्यों के लिये उत्तम २ भोजनों को साथ ले चला जाय ।”

१. यदागतो द्वाहन कूजनाक्तं सुवर्णतारं रथमाततायी ॥

दान्तै युक्तं सहवैवोऽधिकृदः शिरांविराङ्गां देस्यन्ते मार्गेणौष्ठैः ॥२२॥ [उद्योग ० अ०४७]

२. निष्प्राणो नामिदन्तव्यो नामपत्यं कथञ्जुन ॥ १२ ॥

भग्नश्चो विपक्षसु कृतज्यो हतवाहनः ।

चिकित्स्यः स्यात्स्विविषये प्रायो वा स्वगृहे भवेत् ॥ १३ ॥

निष्प्राणः स च योक्तव्यः एषधर्मः सनातनः ॥ १४ ॥ (शान्ति अ० ६५)

३. नार्वाकृ संवत्सरात्कन्या प्रष्टुष्याविक्रमाहृता

एवमेवधनं सवै यज्ञवाच्यत्वहस्ता हृतम् ॥ ५ ॥ (शान्ति अ० ६६)

४. व्यादिदेश सवाहानां भद्रमभोज्यमनुत्तमम् ।

सगजाश्वमनुष्याणां येचशिल्पोपजीविनः ॥ ७ ॥

शकटाप्यवेशात् यानं युज्यक्षव सर्वतः ।

सम्भागवद्वक्षात्पि हयान्नामभुष्मानिष्ठ ॥ २६ ॥ (उद्योग पर्व १६७)

“इसी तरह गांधियां, दुकानें, यान, बैल आदि सभी कुछ साथ ले लिया जाय। सदनुसार सहखों हाथी और असंख्य धोड़े साथ ले लिये गये।”

इस प्रकार आलोचन करने से महाभारत कालीन सभ्यता भूमण्डल की किसी अन्य सभ्यता से नीची नहीं प्रतीत होती। प्रत्युत भूम शखों का वैभव सम्पत्ति, सेनासशाह और युद्ध के नियम, युद्ध के समय पारस्परिक वर्ताव आदि सभी वाले महाभारत कालीन सभ्यता की उच्चता को प्रगट करती हैं। जहां एक तरह हमें यह मालूम होता है कि महाभारत काल में भारतीयों ने सैनिक दृष्टि से अपूर्व उच्छिति की हुई थी, वहां वे युद्ध के धर्मानुकूल नियमों को भी सदा अपनी दृष्टि में रखते थे।



ऋद्वितीय-अध्याय*

~~~~~

### राजा-शासन पद्धति और शासन

भारतीय इतिहास के महाभारत काल में राजा एक प्रकार से एकायन्त्र शासक होता था, वह राज्य को अपनी सम्पत्ति समझता था। वह अपनी इच्छा से राज्य को ठीक उसी तरह दूसरे को दे सकता था, जिस प्रकार कि सर्वसाधारण अपनी मत्क्षयत वा सम्पत्ति दे सकता है। यदि ऐसा न होता तो युधिष्ठिर इतनी बे परवाही से अपने राज्य को जूए में न हरा देता। वह काल आचार के अधः पतन का था। महाराजा और जुद्ध राजा सभी अपनी प्रजाओं के अधः पतन में कारण बन रहे थे। प्रजा भी उन की पतित अवस्था को बुरा नहीं समझती थी। इसी कारण जब दुर्योधन कलिङ्ग के राजा चित्राङ्गुद को कन्या को स्वयम्भर में से ही बलात्कार हर लेगया तब भी सर्वसाधारण जनता ने इस निर्लज्जता के कार्य के विरुद्ध एक वचन भी कहने का साहस नहीं किया। शान्ति पर्व में कलिङ्ग देशाधिपति चित्राङ्गुद की कन्या के स्वयम्भर का वृत्तान्त आया है। उस समय की प्रथा के अनुसार स्वयम्भर के योग्य नियत रङ्ग भूमि में नाना शान्तों से आये हुवे राजा महाराजा इकट्ठे हुवे। महाभारत में उनके समागम और दुर्योधन के लज्जास्पद कार्य का इस प्रकार वर्णन किया गया है:—

एक बार कलिङ्गदेश की राज कन्या के स्वयम्भर के लिये सब राजाओं की निमन्त्रित किया गया। इस लिये राजपुर नामक नगर में सैकड़ों राजा एकत्रित हुवे। दुर्योधन भी कर्ण को साथ लेकर शीघ्र ही रथ पर आँख़ हो कर उपस्थित हुआ। शिशुपाल, जरासन्ध, भीष्मक, धक, कपोतरोमा, नील रुक्मी, खीराज्य का अधिपति शृणाल, अशोक, शतधन्वा भोज इत्यादि दक्षिण दिशा के राजा और म्लेच्छाचार्य आदि पूर्व उत्तर दिशाओं के राजा उपस्थित हुवे। सभी सोने के कड़ों और हारों से सुशोभित थे। सभी व्याघ्र के सदूश बलशाली और पराक्रमी थे। सब राजाओं के यथास्थान बैठ जाने पर धायी और सेवक के साथ वह राजकन्या रङ्गशाला में प्रविष्ट हुई। जब उसको एक क्रम से राजाओं के नाम और प्रशंसा सुनायी जा रही थी, उस समय वह कन्या शृतराङ्ग के पुत्र दुर्योधन को दिना ध्यान दिये हुवे ही आगे चल दी। दुर्योधन इस बात को न सह सका और सब राजाओं का अपमान करके उसने कन्या का मार्ग रोक लिया।

अपनी सेना और बल से मत्त दुर्योधन, भीष्म और द्रोण के भरोसे कन्या को रथ पर चढ़ा कर हर ले गया । उस की रक्षा के लिये शत्रुघ्नि से सज्जित होकर कर्ण भी साथ ही चला । इस पर सभी राजाओं का उस से बड़ा भारी युद्ध हुआ ।” १

यह कार्य कितना निर्लेजता से पूर्ण था ! परन्तु उस काल के अग्रिमी नेता, राजनीति के धुरन्धर विद्वान् भीष्म और द्रोण ने भी पापात्मा दुर्योधन के एक राजकन्या को बलात्कार से हरण करने का विरोध नहीं किया । दुर्योधन जैसे भोगी चिलासी राजा का वृद्ध पितामह भीष्म के भरोसे पर रहना आश्वर्यकर है । परन्तु इस में आश्वर्य भी क्या है ? क्या भीष्म ने स्वयं अपने भाई विचित्र वीर्य के लिये यही लजास्पद नीच कार्य नहीं किया था । इतना ही नहीं, भीष्म तो इस घृणित कार्य को न्यायानुकूल तक प्रतिपादित करते हैं—

“बलात्कार से हृद ली गई कन्या को धर्मज्ञाता लोग सब से उत्तम कहते हैं ।” ( आदि० अ० १०२ ) २

युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था । वह यद्यपि दुर्योधन के समान अभिमानी और दुरात्मा नहीं था तथापि उस में कुछ क्षुद्र और धैर्यनाशक निर्बल-तायें अवश्य थीं । युधिष्ठिर की इन निर्वलताओं को कर्णपर्व में एक शान पर बड़ी अच्छी तरह संग्रहीत किया गया है । अर्जुन स्वयं अपने बड़े भाई की इन शब्दों में चिन्दा करता है—

“तुम से हमें कुछ भी लाभ नहीं । हमने अपने तन मन यहाँ तक कि अपने पुत्रों तक को अर्पित करके तेरा ही इष्ट किया । फिर भी तू हमें इस प्रकार वाग्शर्तों से छेद रहा है ? ३

“बस, द्रौपदी के साथ आमोद करता हुआ हमें अब और अधिक अपमानित मत कर । तेरे लिये मैं महारथियों को मारता था, इसी से निराहों होकर तू हम पर ही कूर होगया । तेरे कारण ही हमें ज़रा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ ।” ४

१. ततः संश्राव्यमाणेषु राजां नामसु भारतः ।

प्रस्त्वक्षामद्वातराद्वृं सा कन्या वरवासिनी ॥ १५ ॥

दुर्योधनस्तु कौरवो नामर्षत्वं चनम् ।

प्रवदेष्व तां कन्यामसत्कृत्य नरधिपत् ॥

सवीर्यमदमत्त्वाद् भीष्मद्रोणाकुपायितः ।

रथमारोप्यतां कन्यामाजहर नरधिपः ॥

२. प्रमद्यतु हृतामाहु ज्यायहीं धर्मवादिनः ॥ ११ ॥

३. यतो हि निर्व्य तव कर्तुमिष्ट दारैः सुतीर्जितेनास्मामा च ।

एवं यमांवादिविशिखेन हस्तित्वतः सुखं न वर्य विद्युः किञ्चित् ॥ १२ ॥

४. मा माकमस्यो द्रौपदी तत्प संस्यो महारथान्प्रति हन्मि त्वदर्थे ।

तेनाविश्वृग्भी भारत निष्टुरोद्दित्वतः सुखं नाभिजानामि किञ्चित् ॥ १४ ॥

“तेरा राजा बनना भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू सदा ज्ञाए में  
सत्त रहता है । ख्यां हस प्रकार पाप कार्य करके तू हमारे द्वारा शत्रुओं को  
पराजित करना चाहता है ।”<sup>१</sup>

इसी प्रकारण में युधिष्ठिर ख्यां अर्जुन के उक्त कथन का इस प्रकार  
उत्तर देता है—

“मैं पापी हूँ; मुझे पाप करने का अभ्यास है । मैं मृदमति, आलसी,  
भीड़, बुद्ध का तिरस्कार करने चाला और कठोर चाली हूँ । मेरा कटुवचन सुन  
कर आ भेरा अनुसरण करके तुम क्या बना लोगे ।”<sup>२</sup>

एक सत्तात्मक राज्य की सुवर्णीय प्रथाएं—यह दुरवस्था होने  
पर भी दुर्योधन, जरासन्ध और युधिष्ठिर आदि व्यसनी और निरङ्गुश  
एकात्मक राजाओं और उन की कमज़ोर प्रजाओं के पास प्राचीन काल की  
अनेक सुवर्णीय प्रथाएं पैतृक सम्पत्ति की भाँति शेष थीं ।

भारत के प्राचीन सुवर्णीय युग में राजा की शक्ति तथा अधिकारों  
पर बहुत से प्रतिवन्ध स्थापित थे । उस समय का शासन एक प्रकार से प्रजा  
सत्तात्मक होता था, इस के नेता ब्राह्मण होते थे । यह जनतन्त्र शासन व्यवस्था  
सब को सान्य थी । वे प्रजा के अधिकारों की व्यवस्थाएं केवल कागज़ पर लिखी  
हुई न होती थी, इन का व्यवहार किंग्राटमक रूप से होता था । इस प्रकार के  
उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं जब कि सर्वसाधारण प्रजा ने मिल कर स्वयं  
अथवा ब्राह्मणों को अपना प्रतिनिधि बना कर शासन में आधिकार प्रोत्स करने  
और उनका लाभ उठाने में प्रभावशाली कार्य कर दिलाया । उस समय के ब्राह्मण  
जनता की केन्द्रीभूत सद्भावना के प्रतिनिधि और बुद्धिमत्ता, व्याय तथा त्याग  
की सूर्ति हुआ करते थे ।

राष्ट्र के शासनादि कार्यों में साधारण जनता की सम्मतियों का बहुत बल  
था । जब कभी किसी राजा ने साधारण जनता की आवाज़ की उपेक्षा की, वह  
अवश्य नष्ट हो गया । प्रजा की दुःखभरा आर्द्धे ने राज्य के राज्य उलट दिये ।  
प्रजा की सम्मति चाहे नियमाङ्कुशल हो वही नियम के प्रतिकूल, शासन व्यवस्था  
से व्यक्त संस्था द्वारा प्रकाशित की गई हो या साधारण व्यक्तियों द्वारा ही  
गणठ की हो—सब अवस्थाओं में उस में इतना बल होता था कि उस पर ध्यान  
दिये बिना काम ही नहीं चल सकता था । महाभारत काल के गुरुजन-भीष्म  
और द्रोणादि-प्राचीन काल के वसिष्ठ और विश्वमित्रादि के अवशिष्ट प्रतिनिधि

१. नवाभिनन्दामि तवाधिराज्यं यत्तत्वमत्तेष्वहिताय तत्त्वः ।

स्वयं कृत्वा पापमत्तार्थं जुष्टमस्माभिर्वै तर्तुमिष्टस्यर्तेस्त्वम् ॥ १६ ॥

( कर्ण पर्व, अ० ७० )

२. प्रापस्य पापव्यवसन्तन्त्रितस्य विष्वः बुद्धेत्वस्य भीरोः ।

वृद्धावसन्तुः बुद्धेत्वस्य चैक्यं किं ते विर्द्दं मेद्वानुष्टव्य रूपम् ॥ ४५ ॥

( कर्ण पर्व, अ० ७० )

चीन काल में वसिष्ठ विश्वामित्रादि प्रभावशाली ब्राह्मण ही जनता के भ्रातानाथ रूप से कार्य करते थे । वे न्याय मार्ग को छोड़ कर निरङ्गुशतापूर्वक आचरण करते हुए राजाओं की बड़ी प्रबलता से निर्द्वा करते थे । वे उन को न्यायानुकूल और प्रजा की हच्छा के विसर्जन चलने के लिये बाधित करते थे । इस उपर्युक्त स्थानना के लिये महाभारत में ही प्रबल और विश्वास करने योग्य प्रमाण प्राप्त होते हैं । उन में से कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं ।

### प्राचीन काल की शासन पद्धति

प्राचीन काल में राजा का सुख उद्देश्य ही प्रजारक्षण करना था । ‘राजा’ शब्द की अवृत्तिंशु और निरक्षिके अनुसार यही भाव सूचित होता है । शान्ति पर्व में भीयम कहते हैं—

“उत महात्मा महाराज पृथु ने (जो सब से प्रथम राजा कहलाया) धर्म शूर्वक शासन करते हुए प्रजा को प्रसन्न किया; इसी से उसे ‘राजा’ कहा जाने लगा ॥” १

**राजा की प्रतिज्ञाएँ**—राष्ट्र के महान् कार्य का भारी उत्तरदायित्व अपने पर लेने से पूर्व राजा जो प्रतिज्ञा करता था उस से प्रतीत होता है कि वह अपना सुख्यतम कर्तव्य प्रजा की सुखी करना ही समझता था । महाभारत के अनुसार मनुष्य समाज के इतिहास में सब लं प्रथम राजा ने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं उन में से एक प्रतिज्ञा का वर्णन शान्ति-पर्व में इस प्रकार किया है—

“तब हाथ जोड़ कर देख के पुनर पृथु से ब्रह्मपर्यायी के सामने कहा कि मुझ में धर्मार्थ को देखने वाली दूसरी बुद्धि पैदा हो जूकी है । इस बुद्धि से मैं क्षय करूँ यह मुझे समझाकर कहिये । आप मुझे जिस बात का आदेश देंगे मैं वही कार्य करूँगा, यह निश्चित मानिये ॥ २

यह सुन कर अधिष्ठियों ने उत्तर दिया—

“जो कार्य धर्मानुकूल है वह तुम्हें सर्वथा निश्चङ्क होकर करना चाहिये । अपने वैयक्तिक सुख का ध्यान न करते हुए तुम्हें काम, क्रोध, मोह, लोभ और मान को दूर ही से त्याग कर बरतना चाहिये । जो व्यक्ति पापाचरण करे उसको

१. तेन धर्मीत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना ।

रच्छिताष्ट्रः प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्दयते ॥ १२४ ॥

( शान्ति पर्व, अ० ५६ )

२. ततस्तु प्राज्ञलिंवेदयो महर्षीं तासु ग्राष ह ॥ १०० ॥

सुसूक्ष्मा मे समुत्पत्ता बुद्धि धर्मर्थं दर्शिते ।

अनया कि मर्या कार्यं तन्मे तवेन यंसत ॥ १०१ ॥

यस्मां भृत्यो वद्वन्नित कार्यमर्थं समन्वितम् ।

तदहं वै करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा ॥ १०२ ॥

( शान्ति पर्व, अ० ५६ )

सदैव सजग होकर रहनेवाले तुम दण्ड दो॥ अपने मन, कर्म और वचन से सदैव इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो कि मैं जब तक जीऊंगा, तब तक प्रजा की आवाज़ को ईश्वर की आवाज़ मान कर उस का पालन करूँगा । जो कार्य दण्डनीति सथा राज्य शासन के अनुकूल होगा उसे अवश्य पालन करूँगा,— मनमाना कार्य नहीं करूँगा । हे राजन् ! प्रतिज्ञा करो कि मैं द्विज और ब्राह्मणों को दण्ड नहीं दूँगा; प्रजा को संकर होने और अव्यवस्था में पड़ने से बचाऊँगा॥” १

तब पृथु ने कहा— “ब्राह्मण लोग अवश्य ही मेरे पूज्य हैं । आप ने जो आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा करूँगा ।” पृथु के यह वचन देने पर आचार्य शुक उसके पुरोहित और बालखिल्य उसके मन्त्री बने । महर्षिगण उसके पुरोहित हुए, ये सब मिला कर सात वर्ष के और आठवाँ वह स्वयं था ॥” २

इस प्रकार महाभारत के अनुसार मानवीय सृष्टि के सब से प्रथम राजा ने दण्डनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने और मनमाना कार्य न करने की प्रतिज्ञा की ।

यहाँ एक आशंका हो सकती है, इस प्रकरण में राजा द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं का तो वर्णन है परन्तु उन्हें तोड़ने के लिये किसी दण्ड का विधान नहीं है । परन्तु वास्तव में पृथु को प्रतिज्ञा भङ्ग का दण्ड बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों कि उस के पिता को इन प्रतिज्ञाओं के भङ्ग करने के अपराध में राज्यच्छयुत कर के उसे राजा बनाया गया था । इसी शान्ति पर्व में ही लिखा है कि—

१. तमुच्चस्त्र देवास्ते ते चैव परमर्षयः ।

नियतो यद्य धर्मो वै तमशङ्कः समाचर ॥ १०३ ॥

प्रिया प्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्मुषु ।

काम क्रोधौ च लोभञ्ज मानञ्जोतस्य द्वृतः ॥ १०४ ॥

यश्य धर्माद्य प्रतिचर्लेष्टोके कश्चन मानवः ।

निग्राह्य स्ते स्व ब्रह्म्यां शशद्वृमवेक्षता ॥ १०५ ॥

प्रतिज्ञाज्ञायिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा ।

पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥ १०६ ॥

यस्त्र धर्मं नियोक्तो दण्डनीति व्यपाश्रयः ।

तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशे न कदाचन ॥ १०७ ॥

अदश्या वे द्विजास्ति प्रतिजानीहि हे प्रभो ।

सोकं च संकटात्कृत्स्न ब्रातास्मीति परन्तप ॥ १०८ ॥

२. वैरायस्ततस्तानुवाच देवानृषि पुरोगमाङ् ।

ब्राह्मणा मे महा भागा नमस्याः पुरुषर्भाः ॥ १०९ ॥

श्वरनस्त्रिति वैरयस्तु तैलो ब्रह्मवादिभिः ।

पुरोधाश्चाभवस्तस्य शुक्रो ब्रह्मयोनिधिः ॥ १० ॥

मनितणो बालखिल्यश्च सारस्वत्यो गणस्तथा ।

महर्षिभिर्भवाश्च गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवद् ॥ ११ ॥

आत्मनाष्टन इत्येव ग्रतिरेषा पराच्च ॥ ११२ ॥

"राजा द्वैश के वश ही कर राजा वैन ने प्रजा पर अत्याचार किया तो नियमों के हाता अधियों ने मन्त्रों से शुद्ध की गई कुशाओं द्वारा ( कानून और संघ के बल पर ) उसे राज्यच्छुत कर दिया । "

### राजसत्ता पर लोक मत के प्रतिबन्ध के कुछ दृष्टान्त

केवल वैन ही नहीं अपितु महाभारत में अन्य भी बहुत से अत्याचारों राजाओं को राज्यच्छुत करने के दृष्टान्त मौजूद हैं ।

**राजा खनी नैन्द्र—**"राजा विविश के १५ पुत्रों में से सब से बड़े पुत्र खनीनैन्द्र ने अपने भाइयों को बहुत तंग किया; एक बड़ी सेना लेकर उसने सारा राज्य अपने आधीन कर लिया । परन्तु इतने बड़े राज्य को वह सम्माल में सका; उस का प्रजा उस से असन्तुष्ट हो गई । तब प्रिंजा ने उसे राज्यच्छुत करके उसके बड़े पुत्र सुवर्चा को राजसिंहासन पर बैठाया । सुवर्चा ने प्रजा को बहुत झुखी किया । अपने पिता को राज्यच्छुत हुआ देख कर ही वह, सत्यचरण और शुद्धाचार से युक्त हो कर प्रजा हित की दृष्टि से राज्य करने लगा । प्रजा सी उसको धर्मात्मा और तेजस्वी देख कर उसकी भक्ति बन गई ।" ३

**ज्येष्ठ पुत्र का राज्य न मिलना—**"राजा यथाति अपने बाद अपने सब से छोटे पुत्र पुरु को राज्य देना चाहता था । इस पर प्रजा के प्रतिनिधि हो कर ब्राह्मणों ने उस से कहा—“राजन्, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु को त्याग कर तुम पुरु को क्यों युवराज बनाने लगे हो ? यदु सब से बड़ा पुत्र है; उस के बाद तुवर्सु है; तुवर्सु के छोटे भाई शनिष्ठा के पुत्र दुर्लु और अनु-

१. म प्रजापु विधर्माणं रागद्वेष वशानुगमे ।

मन्त्र पूतैः कुर्यैर्ज्ञुः ऋषयोः ग्रहोदादिनः ॥ ८४ ॥

( शान्ति पर्व, अध्याय ५८ )

२. तेषां ज्येष्ठः खनीनैन्द्रः द्वातात् सर्वानपीडयत् ॥ ७ ॥

खनीनैन्द्रस्तु विक्रान्तो जित्या राज्यमक्षटकम् ।

नाशकद्वितीयं राज्यं नान्वरज्यन्तं प्रजाः ॥ ८ ॥

तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम् ।

शम्भ्यपिच्यन्त राजेन्द्रं मुदिताद्यभवस्तदा ॥ ९ ॥

संवितुर्विक्लिंगं दृष्टा राज्यारित्यसन्तु तत् ।

नियतो वर्त्यामास प्रजा हितं विकीर्षया ॥ १० ॥

ग्रहोदयः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः ।

प्रजासं वास्त्वरज्यन्त धर्मं नित्यं मनस्तिमस् ॥ ११ ॥

( अस्तमेष पर्व, अ० ४ )

हैं, इन सब के बाद पुरु का अधिकार है। राज्य की प्रथा देखते हुए हम कि इस अवस्था में पुरु ज्यों कर युवराज बनाया जा सकता है ? ” १

इस पर यशाति ने कहा—“हे प्रजा के नेता ब्राह्मणादि वर्णो ! बड़े पुत्र को युवराज न बनाने की सफाई मैं इस प्रकार देता हूँ । यदु ने मेरी आशा नहीं मानी इस कारण बुद्धिमानों के कथनानुसार वह मेरा पुत्र कहाने योग्य भी नहीं । पुत्र को धर्मानुकूल माता पिता की आशा का अवश्य पालन करना चाहिये । यदु तुवर्सु, दुहा और अतु इन चारों ने मेरी आशा म आद कर मेरा अपमान किया है, क्षेवल पुरु ने ही मेरा कहना भाना है । इस लिये मेरा उत्तराधिकारी पुरु ही है । आचार्य शुक्र ने भी यही वह दिया था अतः मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप भी मुझे इस की अमुमात दीजिये ॥” इस पर सब ने कहा—“जो पुत्र गुण-काल और ममता पिता का हित करने वाला है वह छोटा होता हुवा भी राज्य का अधिकारी है । तुम्हारी आशा पालन करने के कारण पुरु अवश्य राज्य के योग्य हैं, आचार्य शुक्र को वह भी यही है अतः हम इस का विरोध नहीं करते ॥” २

४. अभिषेकुकार्म न पति तुरु पुत्र कर्त्तव्यसम् ।

ब्राह्मण प्रसुलाः वर्णा इदं वचनमयुत्तरूः ॥ १८ ॥

कथं शुक्रस्य तुमारं देवयान्याः सुतं प्रभी ।

अग्रेषु यदुमतिक्रम्य राज्यं पूरु प्रयच्छसि ॥ १९ ॥

यदुस्तुष्टुस्तु द्विषु स्तुतोऽनु तुरुषुः ।

श्रस्मि द्वायास्तुतो द्विषु स्तुतोऽनु पुत्रेरेव च ॥ २० ॥

कथं ज्येष्ठानमिक्रम्य कनीयाहराज्यमर्थान्ति ।

स्तत्संबोधयामस्त्वां धर्मं त्वं प्रतिशासय ॥ २१ ॥

५. यथातिरिक्ताच-

ब्राह्मणे प्रसुलाव वर्णाः सर्वे गृहवन्तु मे वधः ।

ज्येष्ठं प्रति यज्ञा राज्यं न देवं मे कथञ्जनं ॥ २२ ॥

मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगोनानुपालितः ।

प्रतिकूलः पितृर्यस्तु न स पुत्रः सतां मतः ॥ २३ ॥

माता पित्रोवचनकृद् हितः पञ्चयस्य यः सुतः ।

सुपुत्रः पुत्रवद्यस्य वर्तते पितृमातुः ॥ २४ ॥

यदुनाहमवद्वातः तथा तुरुसुनापि च ।

द्विषु नाचानुनाचापि मत्यवज्ञाकृता भृशम् ॥ २५ ॥

युरुषानुकृतं व्राक्यं मनितद्वि विद्येषतः ।

कनीयाह मम दायादौ धृता तेन जरा मम ॥ २६ ॥

मम कामः स च कृतः पुरुषा मिल रविष्या ।

शुक्रेण च वरो दत्तो काठयेनोशसा न्वयम् ॥ २७ ॥

युवो यस्त्वानुवर्तेत स राजा पृथिवी पतिः ।

भवतोऽनुनयस्त्रेवं पुरुराज्ये अभिषेक्यताम् ॥ २८ ॥

इसी प्रकार महाभारत के उद्योगपर्व में वर्णन आता है कि प्रतीप राजा ने अपनी सब वैयक्तिक आकंक्षाओं और स्नोरणों को प्रजा को सुखी करने के लिए त्याग दिया । यह वर्णन इस प्रकार है ।

“सुप्रसिद्ध राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे । इन में देवापि सब से बड़ो बाल्हीक बीच का और शान्तनु सब से छोटा था । देवापि पिता भक्त, सत्यवादी और सब राष्ट्र के नामिकों का प्रिय था; परन्तु उसे कुछ रोग था । राजा प्रतीप ने स्वयं बूढ़ा हो जाने पर देवापि को ही अपना युवराज नियुक्त करने का निश्चय किया । परन्तु साधारण प्रजा तथा उनके नेताओं ने राजा के इस विचार का तीव्र विरोध किया, उन्होंने कहा कि यद्यपि देवापि बहुगुण सम्पन्न है तथापि उसे कुछ होने के कारण हम उसे राजा बनाना पसन्द नहीं करते । हीनाङ्ग राजा प्रभावशाली नहीं हो सकता । प्रजा की यह मांग सुन कर राजा को बहुत अधिक दुःख हुआ । देवापि भी संतप्त होकर चन में चला गया । तब अपने चन्द्र के घर से आकर प्रतीप का द्वितीय पुत्र बाल्हीक राजगद्वी बैठा । बाल्हीक ने भी अपने बृद्ध पिता की मर्त्य पर राज्य छोड़ दिया । अन्त में शान्तनु ने राज्य कार्य संभाला । ” ।

प्रकृतपः ऊः—यः पुनर्गुण सम्पन्नो माता पित्रोर्हितः सदा ।

सर्वमहति कल्याणं कनीवानपिस्तम् ॥ ३० ॥

अहः पूरुरिदंराज्यं वः सुवः प्रिय कृतव ।

वरदानेन शुक्ल्य न शक्यंवक्तुमत्तरम् ॥ ३१ ॥

अभ्यविज्ञतः पूर्वं राज्ये स्वे सुतमात्मनः ॥ ३२ ॥

( आदि० अ० ८५ )

१. प्रतीपः पृथिवीपालस्त्रियोकेषु विश्रुतः ॥ १४ ॥

तस्य पार्वितसिंहस्य राज्यं धर्मेण शासतः ।

त्रयः प्रजन्मिरु पुत्राः देवकल्पा परस्तिवनः ॥ १५ ॥

देवापिरभवच्छ्रेष्ठो बाल्हीकस्तदनन्तरम् ।

तृतीयः शान्तनुस्तात छृतिमाङ्ग मे पितामहः ॥ १६ ॥

देवापिस्तु महातेजास्त्वदोषी राजसत्तमः ।

शार्मिकः सत्यवादी च पितुः शुशूषणे रतः ॥ १८ ॥

पौर जानपदानन्त्रु सम्मतः साधुसन्तुतः ॥

सर्वेषां बाल बृद्धानां देवापि दयङ्गमः ॥ १९ ॥

वदाम्यः सत्यवन्धम् सबृतहितेतः ।

वर्तमानः पितुः शास्त्रे ब्राह्मणानांतजैव च ॥ २० ॥

श्रथ कालस्य पर्याये बृद्धो वृत्यतिरत्तमः ।

सम्भारानभिवेकार्य कारयामास शास्त्रतः ॥ २१ ॥

तं ब्राह्मणाश्च बृद्धश्च पौर जानपदैः सह ।

सर्वेनिवारणामासुः देवापेरभिवेचनम् ॥ २२ ॥

सतच्छ्रुत्वात् वर्तिरभिवेकनिशारणम् ।

**व्यवस्थापिका सभा. (Legislative Council.)**

महाभारत शान्ति पर्व में पितामह भीष्म ने शुद्धिष्ठर के सन्मुख एक-सत्रात्मक राज्य के दोषों का वर्णन कर के प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा बनाने की अनुमति दी है। इस सभा में चारों वर्णों का यथायोग्य प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस सभा की रचना इस प्रकार होनी चाहिये—

“इस सभा में चार ब्राह्मण हों जो आयुर्वेद में निपुण, विचार शील, प्रगल्भ स्मातक और शुद्ध हृदय हों। आठ युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय हों। इकोस धन शान्ति से सम्पन्न वैश्य हों। एक सूत हो जो आठ गुणों से युक्त, ५० वर्ष की अवध्या वाला, उच्च भावों वाला और ईर्ष्यारहित हो।”<sup>१</sup>

**निर्णयों का प्रकाशन—** प्राचीन राज्य शासकों ने नियामक सभा के निर्णयों को साधारण प्रजा तक पहुँचाने का भी पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ था। उपर्युक्त प्रकरण में ही हम पढ़ते हैं कि—

“इस सभा के निश्चय को तथा सभा द्वारा विचारित विषयों को राजा जनता तक पहुँचादे। जनता के मुख्य नेता भी उसे भली प्रकार जानलें। इस प्रकार के व्यवहार से राजा को सदैव प्रजा का निरीक्षण करना चाहिये।”<sup>२</sup>

अश्रुपूर्णे भवद्वाजा पर्यशोचत चात्मजम् ॥ २३ ॥  
 एवं वदान्यो धर्मसः सत्यसन्धश्च सोऽभवत् ॥ २४ ॥  
 ग्रियः प्रजानामपि त्वग देवेण प्रदूषितः ।  
 हीनाङ्गं पृष्ठिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवताः ॥ २५ ॥  
 इतिकृत्वा वृपं ओष्ठं प्रत्येषेधलद्विजर्जभाः ॥  
 ततः प्रश्यथिनाङ्गोऽसौ पुचशोक सन्निवितः ॥ २६ ॥  
 नित्रारितं वृपं इष्ट्वा देवापि: संश्रितो धनम् ॥  
 ब्राह्मीको मातुलकुलं त्यक्ता राज्यं समाप्नितः ॥ २७ ॥

१. चतुरो ब्राह्मणाश्च वैद्याश्च प्रगल्भाश्च स्मातकाश्च शुद्धिष्ठरः ।  
 वैत्रियांश्च तथा चाष्टौ बलिनः शत्रुपापिनः ॥ ७ ॥  
 वैश्याश्च विनेन सम्पन्नाश्च एकविंशतिसर्वया ।  
 श्रीश्वरद्वाश्च विनेताश्च शुद्धिष्ठरः कर्मलिपूर्वके ॥ ८ ॥  
 अष्टाभिश्वर्णैर्युक्तं सूर्तं पौराणिकं तथा—  
 पञ्चाशद्वर्ष्य वयसं प्रगल्भमन सूत्रकम् ॥ ९ ॥

( शान्तिः ० अ० ८५ )

२. ततः संप्रेषेद् राष्ट्रे राष्ट्रियाय च दर्शयेत्  
 अनेन व्यवहारेण द्रष्टव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ १२ ॥

( शान्तिः ० अ० ८५ )

**राजा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व—** प्राचीन समय में राजा ही राष्ट्र का मुख्य शासक होता था, इस लिये तत्कालीन विचारक और नीतिज्ञ राजा की सुशिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे । शान्ति पर्व में महाराज मान्धाता के सन्मुख ऋषि उत्तर ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन इस प्रकार किया है—

“हे राजन ! कमज़ोर की, तपस्की की और स्वांप की दृष्टि बहुत अस्त्वा होती है, इस लिये तुम कमज़ोर को कभी मत सताओ ॥ १४ ॥ अधिक बल होने से दुर्बल होना ही अधिक अच्छा है क्यों कि अधिक बल वाले का जब एतन होता है तब वह सर्वथा बलशब्द होकर दुर्बल से भी दुर्बल रह जाता है ॥ १५ ॥ बलवान् राजा यदि दुर्बल का अपमान करे, उसे मारे या उसे गाली दे तो घटना चक्र से तैयार हुवा हुवा दण्ड उस राजा का नाश करदेता है ॥ १६ ॥ इस लिये है मान्धाता ! अगर तुम बली हो, तो कमज़ोर के अधिकार को मत हृथिया अदै क्यों कि जिस प्रकार आग धरों को जला देती है उसी प्रकार दुर्बल की दृष्टि कहीं तुम्हें भी भस्म न कर दे ॥ १७ ॥ जब राजा अपने बचन, शरीर और क्रिया सभी से न्यायाचरण का दावा करता है तब उसे अपने पुत्र का भी अपराध क्षमा नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ राजा का धर्म है कि वह अपने भाग में से भी दुर्बलों को देकर उन्हें शक्तिशाली बनावे ॥ १९ ॥ राजा का धर्म है कि जहां वह अपनी साधारण प्रजा को सुखी करे वहां वह अभागे, अनाथ और बूढ़ों के आंसू भी पोंछ दे ॥ २० ॥ ३१ ॥

इसी प्रकार वसुमना राजा के प्रति दिए गए वामदेव के उपदेश का कुछ अंश हम वहां उद्धृत करते हैं—

१. दुर्बलस्य च यज्ञवृत्तमुनेराशीविष्टस्य च ।

अथियावृत्तं भन्ये भा॑स्य दुर्बलसापदः ॥ ११४ ॥

अवलं नैव बलश्चेयो यज्ञतिव्रतवद्वलस्य ।

बलस्यावलदृथस्य नकिन्निदवद्यिष्यते ॥ ११५ ॥

विनानितो हतः कुष्टस्त्रातारं नैव विदन्ति ।

अथानुय कृतस्तत्र दश्कोहन्ति नराधिष्ठ ॥ ११६ ॥

भास्म तात असेस्वित्वा भुजीया दुर्बलं जनम् ।

भात्वा दुर्बलवदूषि, दहन्त्वग्निरिवाशयत् ॥ ११७ ॥

षावतेहि यदासवं वाचा कायेन कर्षया ।

पुत्रस्यापि न चृष्टेऽसराद्वौ धर्मउच्यते ॥ ११८ ॥

सन्धिभज्य यदा भुंक्ते कृपतिर्दुर्बलाद् नरात् ।

यदाभवन्ति बलिनः सराद्वौ धर्म उच्यते ॥ ११९ ॥

कुपणानाथवृद्धार्द्वौ यदाकुपरिमार्जति ।

हृष्ट च जग्नेन वृत्तां सराद्वौ धर्म उच्यते ॥ १२० ।

( शास्त्रिय खण्ड ११ )

“किला, युद्ध, धर्मानुकूल शासन, मन्त्रचिन्तन और साधारण प्रजा का सुखी होना इन पार्चों द्वारा हो राष्ट्र की उन्नति होती है ॥ २३ ॥ अकेला राजा इन सब कार्यों का पूर्ण निरीक्षण नहीं कर सकता अतः उसे ये कार्य अलग मन्त्रियों पर छोड़ कर स्थिरता पूर्वक राज्य का शासन करना चाहिये ॥ २४ ॥ लोग उसी को राजा चुनते हैं जो उदार, अपनी सम्पत्ति के बाँट कर भोग करने वाला, कोमल स्वभाव, शुद्ध हृदय और अपनी प्रजा को आपत्ति में भी न छोड़ने वाला है ॥ २५ ॥ जो राजा विद्वानों से कठब्ब का उत्तम उद्देश सुन कर उस का पालन करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं बनता लोग उसी राजा के बश में होकर रहते हैं ॥ २६ ॥ ” १

ये सब महाभारत में वर्णित राजा के आकृत्य स्वरूप हैं । अब हम तत्कालीन राजाओं की वास्तविक दशा का वर्णन करते हैं—

**राज चिन्ह—** महाभारत आदि पर्व में, अङ्गदेश के राजा कर्ण के राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए, राजचिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है—

“उसी समय ब्राह्मणों ने पुष्प रस से मिश्रित सोने के घड़ों में रक्खे हुए जल से कर्ण का आभिषेक किया । इस प्रकार वह पराक्रमी अङ्गदेश का शासक बनाया गया । उस के सिर पर श्वेत छत्र रक्खा गया, इधर उधर चौंचर ढुलाये जाने लगे । सब लोग उसकी जय जयकार करते लगे ।” २

**आभिषेक-उत्सव और प्रदर्शनियाँ—** महाभारत कालमें राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के मनोरञ्जनार्थ और ज्ञानवृद्धि के लिये बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों की आयोजना भी की जाती थी । महाराज युधिष्ठिर के अनुमेय यज्ञ करते पर भी एक इसी प्रकार के विडियाधर का वर्णन उपलब्ध होता है—

“यहाँ में निमित्तिविदेशी राजाओं ने वहाँ दूर दूर देशों से लाए गए जल और स्तल के पशुओं को देखा । वहाँ उन्होंने गाय, भैंस, बूढ़ी औरतें, गानी

१. रषाचिकरणं युद्धं तदा धर्मानुशासनम् ।

मन्त्र चिन्ता सुखं लोके पञ्चभिवर्धतेनदी ॥ २३ ॥

जैता ध्येयेन शक्यानि सातयेन तु विनितुष्ट ।

तेषु सर्वं प्रतिष्ठान्व राजा भुद्ग्ले चिरं नदीषु ॥ २४ ॥

दातरं संक्षेपकारं नार्दयोपगतं युद्धिष्ठ ।

असन्त्वलभुव्यज्ञं जनाः कुर्वते वृप्तम् ॥ २५ ॥

यस्तु निश्चिवर्तं श्रुत्वा ज्ञानं तत् प्रतिपद्धते ।

भ्रातृननो भ्रतसुत्व्यज्ञं तं लोके युवि विशेषते ॥ २६ ॥

( आदिप० अ० ११ )

२. तत्स्तस्मिन्दृशे कर्ता सलाजकुमुरैर्घटः ।

काञ्छनैः काञ्छनैर्घटे मन्त्र विद्विन्महार्थः ॥ ३७ ॥

अभिषिक्तो धूपाद्युत्थय विवा युक्तो नहवलः ।

सुक्ष्मविवाच्यज्ञो जयशब्दो नरेण्य ॥ ३८ ॥

( आदिप० अ० १३८ )

के जीव, जंगली जीव, पश्ची, जेरज अण्डज तथा स्वेदज प्राणी और वनस्पति पर्वत तथा जल में पैदा होने वाले जीवों को देखा । ” १

**राजधानी—** शान्ति पर्व में राजधानी का वर्णन करते हुए इन बातों पर ध्यान देने को लिखा है—

“राजा को ऐसे नगर में अपनी राजधानी बनानी चाहिये जिस नगर में किला हो, पर्यात हथियारों का सुनीता हो, ज़मीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोट और खाई हों, जहां हाथों घोड़े रथादि खूब हों, जहां विद्रोह काटीगर और विश्वस्त प्रज्ञा रहती हो, जहां कई बीर और लड़ाकू जातियों का वास हो, जिस का व्यापार खूब उच्च न हो, जो सब और से सुरक्षित और सुन्दर हो; जिस के निवासी बीर और अन्नी हों, जिस में वेद पाठ, उत्सव और सभायें होती हों, जहां देवताओं की सदा पूजा होती हो । ऐसे नगर ही में राजा को अपनी सेना तथा मन्त्रियों सहित रहना चाहिये । इस प्रकार के नगर में रहता हुवा राजा अपनी सेना, कोष और व्यापार को बढ़ावे । वह ग्रन्थ और नगर के सब दीपों का निवारण करे । ” २

“राजा बड़ी पहचान से प्रेज्ञा की सुशिक्षा के लिये इस्ते नगर में आवार्य भृत्येवग्, पुरोहितों, आयुधवीरों, शिल्पियों, ज्योतिषियों और वैद्यों को नियुक्त

१. स्वलज्जा जलज्जा येच पश्चवः केदन प्रभो ।

स्वर्वनेव सवानी तानपश्यंसत ते वृषाः ॥ ३२ ॥

गारंजेव महिषीरचेव तथा छुटुङ्गियोरिच ।

ओदकानि च सत्यानि एव पदानि वर्यार्विच ॥ ३३ ॥

जरायुजारण्डजातानि स्वेदजःन्युम्बृदानिच ।

पर्वतहृष्णजातानि भूतानिदद्वृशुष्वते ॥ ३४ ॥॥

( श्वरमेष पर्व अ० ८५ )

२. यन्तुरुं दुर्गसम्पन्नं चान्यायुधसमानवतम् ।

द्वुष्माकारपरिल्ल इस्त्यश्वरथसङ्कुलम् ॥ ६ ॥

विद्वांसः शिल्पिनो च निचदाद्व बुरींहितः ।

धार्मिकद्व जनोवत्र दाव्यसुतमसास्थितः ॥ ७ ॥

उर्जेत्यनरलांगाऽव इत्परस्याभितम् ।

प्रतिद्व ड्यवहारङ्गे प्रशान्तमुत्तीभयम् ॥ ८ ॥

संप्रभं संतुकाद्व च उपरस्त निवेशनम् ॥

हृषगद्व जन सम्पन्नं व्रद्धोषेषाद्वादितम् ॥ ९ ॥

सभाजोटस्व चन्द्रनं लदा प्रजित देशतम् ॥

वश्यानात्यवलो राजा तत्पुरं स्वयमाविशेत ॥ १० ॥

तत्र कोर्श बर्सं रित्रं व्यवहारच्चवर्धयेत् ।

पुरे जनपदे चैष सर्वं दोषात्तिवर्तयेत् ॥ ११ ॥

( शान्ति० अ० ८६ )

करे । इन सब पदों पर बुद्धिमान, उदार, चतुर, विद्वान् और गुणी कुलीन ही नियुक्त किये जायें ॥ ३ ॥

राजा के शिक्षक— राजा का यह कर्तव्य है कि वह अभिमान रहित निष्ठाम और निष्पक्ष सम्यासी तथा विद्वानों की सम्मति को अत्यन्त आदर व श्रद्धा के साथ सुने—

“सर्वस्व त्यागी, कुलीन विद्वान् का राजा संदैष आसन, भोजन, विवास आदि द्वारा यथायोग्य सत्कार करे । कोई आपत्ति आने पर उन पर पूरा विश्वास करे क्यों कि प्रायः ऐसे साधु जन घर दृश्यु तक भी विश्वास कर लेते हैं । उस विद्वान् को वह अपना अर्थ सचिव बनावे, विशेष कार्य पड़ने पर उससे सलाह ले । बार बार पूछ कर उसे लंग भी करे परन्तु उसका सत्कार बहुत अधिक करे । इसी प्रकार के एक विद्वान् को स्वराष्ट्र सचिव और एक को परराष्ट्र दृत नियुक्त करे । एक को बनाध्यक्ष और एक को आधीन राज्यों का निरीक्षक (उपानवेश सचिव) नियुक्त करे । राजा इनके साथ सम्मान का व्यवहार करे इनकी अवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखें । परराष्ट्र दृत और बनाध्यक्ष का भी स्वराष्ट्र सचिव के धरावर सम्मान करे । ये तपस्त्री लोग मौका पड़ने पर राजा को पूरी सहायता देंगे ॥ ३ ॥

इस प्रकरण में कितनी सुन्दरता से राजा के सम्यासी और विद्वानों के ग्रन्ति कर्तव्यों तथा सम्बन्धों का निर्देश किया है । एक सबल राजा को एक

१. सत्यवृत्तारब्ध प्रयस्नेन प्राप्तार्थत्वेषु तु रोहितः ॥  
मदेष्वायाः स्वपत्रवद् शक्तिस्वर चिकित्सकः ॥ १५ ॥  
प्राजा: निधिविनोदान्ता दशः पूरा बहुश्रुताः ॥  
कुलीनः सत्यसन्पद्मः युक्तः सर्वेषुकर्म्मु ॥ १६ ॥

( शान्ति अ० ८० )

२. सर्वार्थ त्यागिनं राजा कुलेजातं बहुश्रुतम्  
पूजयेत्तादृशं दृशं यथनासन भोजनैः ॥ २७ ॥  
तस्मिद् कुर्यात् विश्वासं राजा कस्याद्विदापदि  
ताप्येषु हि विश्वासमपिकुर्वन्ति दत्यवः ॥ २८ ॥  
तस्मिन्निधीनादधीत प्रजां पर्याददीत च ।  
नवाप्यभीक्षणं सेवेत् भृशं वा प्रति पूजयेत् ॥ २९ ॥  
श्रान्तः कार्यः स्वराष्ट्रे पराष्ट्रे वचापरः ।  
श्रटवीषं परः कार्यः सामन्ततगरेष्वपि ॥ ३० ॥  
तेजु सत्कार मानाभ्यां सम्बिभागांश्चकारयेत् ।  
परराष्ट्राट्वीस्थेषु यथा स्वविषये तथा ॥ ३१ ॥  
ते कस्याद्विदवस्थायां शरणं शरणार्थिने ।  
राज्ञे दद्युयथाकामं ताप्ताः संचित ब्रताः ॥ ३२ ॥

( शान्ति अ० ८० ८१ )

निष्पक्ष विद्वान् परराष्ट्र दृत द्वारा कितना अधिक लाभ पहुँच सकता है । यदि आज कल भी इसी प्रकार के बीतराग पक्षपात हीन सन्यासी संसार भर के राष्ट्रों में दृत के तौर से नियुक्त होकर अन्तर्जातीय विश्वास की खापना करदें तो वर्तमान युग का बढ़ता हुवा जातियों का भयङ्कर संघर्ष सरलता से शाम्ल किया जा सकता है । परन्तु आज कल तो संसार के अग्रिमी नेता खयम् ही सङ्कृचित साम्राज्यवाद के भावों का प्रचार कर रहे हैं ।

**दरिद्र पोषण—**आज कल सभ्य संसार में दरिद्र और अपाहिजों का पालन करना राष्ट्र का कर्तव्य समझा जाता है । सभ्य देशों में इसके लिये “दरिद्र-पोषण नियम” ( poor laws ) बने हुए हैं । प्राचीन समय में भारत में भी यह कर्तव्य राजा का ही समझा जाता था । शान्ति पर्व में लिखा है—

“राजा सदैव अनाथ, दृढ़, निष्पत्तिहाय और विश्ववादीं की रक्षा करे, उन को आजीविका का प्रबन्ध करे । ” १

**पुराओहितों और शासकों का सम्बन्ध—**शान्ति पर्व में पितामह भीम ने महर्षि कथ्यप के वचनों को उधृत करते हुए कहा है कि ब्राह्मणों ( राष्ट्र के धर्म तथा आचार के प्रतिनिधि ) और क्षत्रियों ( राष्ट्र के शासक और अधिकारी ) में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

“क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों सदा एक दूसरै के पूरक और परस्पर मिले रहने वाले हैं । क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण सुरक्षित हैं और ब्राह्मणों के कारण ही क्षत्रियों की उन्नति बहुत नहीं होती । ये दोनों मिल कर एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं अगर इन का प्राचीन काल से आता हुआ यह मेल दृट जाय तो राष्ट्र भर में अज्ञान और मोह का राज्य हो जाता है । ” २

**चक्रवर्ती राज्य—**कुछ पुरातत्व वैताओं और ऐतिहासिकों का यह नितान्त अशुद्ध और भ्रमपूर्ण विचार है कि ब्रिटिश राज की खापना से पूर्व कभी सम्पूर्ण भारतवर्ष एक शासन छत्र के नीचे शासित नहीं हुआ ।

महाराजा युधिष्ठिर अपने समय का सम्पूर्ण भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजा हुआ है । उसका विशाल राज्य हिन्दू कुश पर्वत से ले कर कुमारी अन्तरीप तक फैला हुवा था । इस के अतिरिक्त कठिपय अन्य देश भी उस के शासनाधीन थे । महाभारत सभा पर्व में वर्णन आता है कि—

१. कृपणानाथ वृद्धानां विधवानाङ्गुयोविताम् ।

योगचेमङ्ग वृत्तीनां नित्यमेव प्रकल्पयेत् ॥ २४ ॥ ( शान्ति पर्व, अ० ८६ )

२. एतौ हि नित्यं संयुक्तवितरेतरधारणे ।

स्त्रं वै ब्रह्मणो योनिः यौनि चत्रस्य वै द्विजाः ॥ ११ ॥

उभावैतौ नित्यमित्रयम्नौ सम्प्राप्तुर्महतीं बुद्रतिष्ठात् ।

तयोः सन्धिर्भिद्यते वैतपुराणः ततः सर्वं नवति हि सम्प्रसुद्धम् ॥ १३ ॥

( शान्ति अ० ७५ )

“महाराज युधिष्ठिर के अभिषेक पर चोल, पांड्य, कम्बोज ( अफगानि-स्तान ), माँधार ( कंधार ), यवन( फारस ), चीन, काश्मीर, रोमेन्स ( रोम ), अङ्ग, वङ्ग, केलिङ्ग, तौष्णिलिप ( लङ्ग ), हिमालय ( तिब्बत ), अक्रीका और बर्बर देश—इन सभ देशों के राजा और महाराजा अपने अपने हिस्से का कर लेकर इन्द्रप्रथा आए थे । ” १

इसी प्रकार सभा पर्व के ३७ वें अध्याय में सिंहपुर और उत्तरीय यूरोप ( हरिवर्ध देश ) का विजय वर्णित है । इसी पर्व के ३१ वें अध्याय में द्राविड़ देश, और सुलाष्ट्र ( गुजरात या सूरत ) के विजयों का भी वर्णन है । २

महाभारत के इन प्रश्नागों से प्रतीत होता है कि महाराजा युधिष्ठिर का चक्रवर्ती राज्य था । केवल भारत ही नहीं अपितु कतियर अन्य देश भी उनके आधीन थे ।

### कर विभाग

महाभारत काल में राजा की आय के बहुत से साधन थे । भूमि की उपज घ्यांसार, कान्त तथा संसुद्र और धनीं की उत्पन्न एवं कर लिया जाता था; इसी प्रकार अन्य भी कई प्रकार के कर लिये जाते थे । परन्तु राष्ट्र की आय का मुख्य भाग भूमि तथा घ्यांसार पर लगाए कर से ही पूरा होता था ।

**कर संग्रह का प्रबन्ध** — शान्ति पर्व के ८७ वें अध्याय में राष्ट्र रक्षा तथा कर संग्रह के सम्बन्ध में पर्याप्त निर्देश प्राप्त होते हैं ।

“प्रत्येक गांव का एक प्रबन्ध कर्ता हो; फिर क्रमशः दस, बीस, सौ और

१. ( १ ) ग्रौर्द्धालु वैलालु वार्यदंशालु काम्परजः प्रददौ वहूलु ॥ ३ ॥

( २ ) वरिङ्गु सकृतसादाय मलकच्छ निवालिनः ।

( ३ ) उपनिन्युमहाराज हयालु गन्धारदेशजालु ॥ ८ ॥

( ४ ) प्रागज्योतिषाधिपः शूरोम्लेच्छामौमधिपो वली ।

यवनै सहितो राजा भगदन्तो महारथः ॥ १३ ॥

( ५ ) ग्रौष्णीकानन्तवासंश रोमकाशु दुरुषादकालु ॥ १८ ॥

( ६ ) चीनांस्तश्चैशकाश्चैश्वर्द्धालु वर्द्धरालु वनयासिनः ॥ २२ ॥

( ७ ) शकास्तुसंवाराः कङ्गाश्च रोमश्च शृङ्गेनस्तः ॥ २८ ॥

( सभा० ग्रा० ५६ )

( ८ ) बङ्गः कलिङ्ग मगधास्ताव्यलिप्तः सपुरुषकाः ।

दौवालिका सागरकाः ..... ॥ १५ ॥

( ९ ) शतशश्चकुर्थांस्तत्र तिहलाः समुपाहरलु ॥ ३७ ॥

( १० ) मलयाद्वदुराच्चै चन्दनागुरसंज्ञयालु

२. वर्ण चक्र महा बाहु; सुराष्ट्राधिपतितदा ॥ ६२ ॥

( सभा० ग्रा० ३५ )

एक हजार ग्रामों पर बड़े शासक हों। इन शासकों का कार्य शान्तिस्थापना और कर संग्रह है ।<sup>१</sup>

ग्राम का अधिकारी ग्राम से इकट्ठे किये कर को अपने से ऊपर के अधिकारी, १० ग्रामों के शासक, के पास पहुँचा देता था। वह अपनी कुल आय का निश्चित अंश अपने से ऊपर के अधिकारी को दे देता था। इस प्रकार राष्ट्र का कर क्रमशः राजा के कोष में पहुँच जाता था।

**कर का उद्देश्य**—प्रजा पर लगाए करों द्वारा जो आय होती थी उसका उद्देश्य केवल राजा की वैयक्तिक आय नहीं था। यह एक सर्व सम्मत बात थी कि राजा प्रजा की आय का जो शष्ठांश लेता है, वह प्रजा के सार्वजनिक सुख के लिये ही है। महाभारत शान्ति पर्व में एक जगह कहा है—

“हे कुरुनन्द, बुद्धिमान राजा प्रजा की रक्षा के लिये उन की आय का छटा भाग कर रूप में ले। इमानदारी से कमाये गए धन पर कुछ कर प्रजा घर व्यय करने के लिये लगाए। कान, नमक, सड़कों, जहाजों और हाथियों पर लगाए कर को इकट्ठा करने के लिये राजपुरुषों को नियुक्त करे ।”<sup>२</sup>

उस समय भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर भी लगाए जाते थे। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न अनुपात से कर लगाया जाता था। ये कर बहुत भारी न थे—सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कहीं करों द्वारा देश के व्यापार व्यवसाय आदि पर तो बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। प्राचीन प्रथा के अनुसार राजा प्रजा को पुत्र के समान समझता था अतः यद्यपि राष्ट्रांय आय प्रजा पर ही व्यय कर दी जाती थी तथापि उसे राजा की आय कहा जाता था। युद्ध के समय अथवा राष्ट्र पर आई किसी अन्य आपत्ति के समय राजा प्रजा के धनिक पुरुषों से धन उधार भी लेता था। यह धन आज कल की तरह प्रायः लम्बो अवधि के बाद ही चुकाया जाता था। कर इस तरह लगाया जाता था कि बाले से ले कर धनी से धनी व्यापारियों तक उस का बोझ उचित अनुपात से पड़े, कोई भी उस बोझ से सर्वथा वञ्चित न रह जाय। आवश्यकता पड़ते पर कर बृद्धि भी को जाती थी। जनता के नेताओं में भैद डाल कर राजा कर बढ़ाने का नीतिपूर्ण यज्ञ करता था। अमीर और रईसों का खूब सत्कार किया जाता था। कर संग्रह के सम्बन्ध में शान्ति पर्व में लिखा है :—

१. ( महाभारत, शान्ति पर्व, अ० ८७ श्लो ३-७ )

२. आददीत बलिज्ञापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दनं ।

सष्ठुभागमपि प्राज्ञः, तासामेवाऽभिगुम्ये ॥ २५ ॥

द्रश्यथर्सुगतेभ्यो यद् वसु वह्न्यप्रेव च ।

तदाददीत सहस्रं पौराणं रक्षणायवै ॥ २६ ॥

आकरे लवक्षे शुक्ले तरे नागबले तथा ।

न्यसेदमात्यान्तपतिः स्वाप्राद् वा उरुषाहिताश् ॥ २७ ॥

“ कई सजकर्मचारी प्रजा को लूटने वाले और पापाचारी होते हैं । राजा उन से सदैव प्रजा की रक्षा करें । व्यापारी वे कितना माल खरीदा है, उस पर अत्य व्यय कौन २ से हुए हैं तथा उसके परिवार का व्यय और आय क्या है यह सब बातें देख कर ही उस पर कर लगाना चाहिये जिस से कि प्रजा को व्यथा सम्बन्ध कम कष्ट हो । फल ( उत्पत्ति ) और कर्म ( श्रम ) को देख कर ही कर निष्ठित करना चाहिए । किसी भी उद्योग धन्के पर इस प्रकार कर लगाना चाहिये जिस से कि व्यवसायी और राष्ट्र दोनों का उस उद्योग में भाग हो सके । लोभ में पड़कर राजा को बहुत कर बढ़ा कर अपने और राष्ट्र के व्यवसाय पर कुठाराधात नहीं करना चाहिये । कर बहुत बढ़ा देने वाले राजा से प्रजा द्वेष करती है—इस प्रकार राजा को सदैव राज्य जाने का भय बना रहता है । राष्ट्र को बछड़ा करना चाहिये कर ही प्रजा पर कर लगाना चाहिये । गौ को अधिक दुह लेने से बछड़ा भी काम का नहीं रहता । इसी प्रकार प्रजा पर अत्यधिक कर लगा देने से राष्ट्र की अग्रामी आय बहुत कम हो जाती है । राजा को चाहिये कि वह प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रवासी, उपनिवेश तथा आधीन देशवासियों से अनुकरण पूर्वक व्यथाशक्ति सब उचित करों को प्राप्त कर ले । ” ।

## १. जिघांसवद् यापकामाः परस्वादादियनःशताः ।

११. अभ्यधिकृता दाम तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १२ ॥

विक्रयं क्रपमध्यानं भक्तज्ञु सपरिच्छद्म् ॥

योगदेहमज्ञु अप्रेव्य विणिं कार्येत्कराश् ॥ १३ ॥

उत्पत्तिं दानवृत्तिज्ञु शिर्षं अप्रेव्यत्वासकृत् ।

शिर्षप्रति करानेवं चिलिपतः प्रतिकारयेत् ॥ १४ ॥

उच्चारायचक्रा दाया महाराजा युधिष्ठिर ।

यथा यथा नसीदेश तथा कुर्यान्महीपतिः ॥ १५ ॥

फलं कर्मचं संस्पेदय ततः सर्वं प्रकल्पयेत् ।

फलं कर्मचं च निर्हेतु नक्षित्संप्रवर्तते ॥ १६ ॥

यथा राजा च कर्त्ताचं स्यातकर्मणि भागिनौ ।

समवेद्य तथा राजा प्रयोगः सततं करेत् ॥ १७ ॥

गोचिक्षादात्मनो मूलं परेषाज्ञापि तुष्णया ।

श्वेषद्वाराणि संकर्य राजा संप्रीतदर्शनः ॥ १८ ॥

प्रद्विष्टन्तं परिल्यार्तं राजानक्षित्खादिनम् ।

प्रद्विष्टस्य कुतः श्रेयो न अप्रियोलभते फलम् ।

वत्सौष्ठवेन दोग्धत्यं राष्ट्रमज्ञीय बुद्धिना ।

भूतो वत्सो जातवालः योहां बहति भारद ॥ २० ॥

न कर्म कुर्जे वत्सो वृशंदुर्ग्ये युधिष्ठिर ॥

राष्ट्रमव्यतिरुद्धर्य हि त वर्तमानं बुद्धिना ॥ २१ ॥

यौर याम यदत् वर्दात् संवितोषर्चितांस्तथा ।

यथा शक्तयुक्त्येत सर्वाय स्वस्यधर्मान्यि ॥ २२ ॥ ( महाभास्तित० ८७ )

**न्नुण—**राष्ट्र पर अचानक आई आपत्ति तथा युद्धादि के समय राजा प्रजा से उधार भी लेता था । यह धन प्रजा को अवश्य चुका दिया जाता था । शान्ति पर्व में कहा है—

“कभी राष्ट्र पर आपत्ति आए तो राजा को अपने सलाहकारों से सलाह लेकर यह घोषणा करनी चाहिये कि देशपर सहसा इस प्रकार की विपत्ति आपड़ी है । फलाने प्रबल शत्रु ने राष्ट्र पर धाकमण किया है, परन्तु अगर प्रजा सहायता दे तो उसे डरडे से सांप की तरह कुचला जा सकता है । शत्रु ने राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिये बड़े ज़ोरशोर से तैयारी की है । इस घोर आपत्ति के समय मैं रक्षा के लिये आप से धन चाहता हूँ । इस भय के नष्ट हो जाने पर यह धन लौटा दिया जायगा । अगर आप ने राष्ट्र की उचित सहायता न की तो शत्रु जीत जायगा, तब अप का कुछ भी नहीं बच सकेगा । मैं आपके परिवार का प्रतिनिधि बनकर आप के परिवारिक हित की दृष्टि से ही आप से यह धन चाहता हूँ । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राष्ट्र को किसी प्रकार का अनुचित कष्ट न देकर करसंग्रह करूँगा । इस प्रकार आदर पूर्वक मधुरता से राजा को धनका प्रबन्ध करना चाहिये ॥”

**रथालों पर कर—** राजा को ‘गोमि’ लोगों (जंगल में रह कर गाय मैसादि को पाल कर उनके दूध का व्यवसाय करने वाले लोगों) पर भी कर लगाने को कहा है । परन्तु यह कर मात्रा में बहुत कम होना चाहिये—


१. प्राणेव तु धनादानमसुभाव्य ततःयुनः ।  
संक्षिप्त्य स्वविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत् ॥ २६ ॥  
इयमापत्समुपक्ष्मा परचक्रोभयं महत् ।  
अपि चान्तायकल्पन्ते वेणोरिव फलागमः ॥ २७ ॥  
आरयो मे समुत्थाय बहुभिर्द्वयं स्युभिः सह ।  
इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम् ॥ २८ ॥  
आस्यामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये ।  
परिवाराय भवतः प्रार्थयिष्ये धनानि वः ॥ २९ ॥  
प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयच्छये ।  
नारयः प्रतिदास्यन्ति यदुरेयुर्बाधितः ॥ ३० ॥  
कलव्रसादितः कृत्वा सर्वं वो विनवेदितः ।  
आपिचेत्पुल दारार्थमर्थं सज्जय इष्यते ॥ ३१ ॥  
नन्दामिवः प्रभावेण तु त्राणामिव चोदये ।  
पश्याशयत्युपगृह्णामि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३२ ॥  
इतिवाचामधुरया झटण्या लोपचारया ।  
स्वरस्मीनभ्यवस्त्रेषु योगमाधाप्य कालवित् ॥ ३४ ॥

( महात शास्त्रित, अ० ८७ )

“क्योंकि गोमि लोगों को भी राजा द्वारा की गई रक्षा की परम आवश्यकता है अतः उन पर भी कुछ न कुछ कर अवश्य लगाना चाहिये । इन गोमि लोगों पर भी साम दानादि द्वारा राष्ट्र के सब नियम लागू होने चाहिये क्योंकि इन लोगों का कृषि व्यवसाय आदि पर बहुत प्रभाव होता है ।” १

**मुफ्त चरागा हैं—** महाभारत काल में जंगल और चरागा हैं राजा की सम्पत्ति नहीं गिने जाते थे । जंगल में बसने, विचरने तथा पशुओं को चराने में प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी । केवल वे जंगल पूर्ण रूप से राज्य द्वारा सुरक्षित थे जिन में कि हाथियों को पाला या उन्हें फंसाया जाता था । लोग हाथी को छोड़ कर अन्य जंगली जीवों का शिकार कर सकते थे; उन्हें जंगल से पकड़ कर अपने काम में लाने की भी उन्हें स्वतन्त्रता थी । उस समय आजकल की तरह प्रायः साधारण जंगल सुरक्षित ( Reserved ) नहीं किये जाते थे । कृषि प्रयाण भारतीय लोगों को इस से बहुत सुख था । महाभारत अनुशासन पर्व में राजा के अधिकारों की गणना करते हुए कहा है “वन, पर्वत, नदी और तीर्थ इनपर किसी का वैयक्तिक अधिकार नहीं ।” परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्र की ओर से इनकी उत्पत्ति आदि पर सर्वथा नियन्त्रण नहीं किया जाता था । राज्य की ओर से बनोंको अधिक उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता था । यह वन-प्रबन्ध शुक्राचार्य के समय का धर्मन करते हुए विस्तार से लिखा जायगा ।

१. उपेत्तिता हि नशेयुः गोमिनोऽत्यवासिनः ।  
तस्मान्तेषु विशेषेष मृदु पूर्व उमाचरेत् ॥ ३६ ॥  
सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीदण्डः ।  
गोमिनां पार्थ कर्तव्यः समित्यभागः प्रियाणि च ॥ ३७ ॥  
श्रावणमुपयोक्तव्यं फलं गोमितु भारत ।  
प्रभावयन्ति राष्ट्रज्ञ व्यवहारं कृषिन्तया ॥ ३८ ॥ ( महाराष्ट्रान्ति० च० ८७ )



## \* तृतीय अध्याय \*

~~~~~३०~~~~~

सामाजिक आचार व्यवहार.

महाभारत काल में धन और वैभव की दृष्टि से भारतवर्ष खूब सम्पन्न देश था। साथ ही उस समय आचार और व्यवहार की प्राचीन मर्यादाएँ ढीली होती चली जारही थीं। जो देश भौतिक देश्वर्य से खूब सम्पन्न होजाता है उस के निवासी प्रायः खामोशिक रूप से विलासी बन जाते हैं। इसी समय भारतवासियों के वैयक्तिक तथा सामाजिक आचार में अवनति प्रारम्भ हुई। वैदज्ञों की न्यूनता, बहु विवाह, नर बलि, वेश्या गमन, जूआ, भरी सभा में देवियों का अपमान ये सब बुराइयाँ इसी समय से खूब बढ़ने लगी, महाभारत में ही इन बुराइयों के पर्याप्त उदाहरण मौजूद हैं। तथापि इस समय प्राचीन उत्तम प्रथाओं और आचार-नियमों का सर्वथा अभाव नहीं होगया था।

वैदज्ञों का अभाव— शान्ति पर्व में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए पितामह भीष्म ने कहा है—

“आज कल वैदोक-व्यवस्था के अनुकूल आचरण करने वाले विद्वान् बहुत दुर्लभ हैं। प्रायः लोग अपना मतलब पूरा करने के लिये ही वैदोक आचरण करने का ढोंग करते हैं।” १

ब्राह्मणों का अपमान— उस समय, समाज के प्राचीन काल से चले आते हुए नेता—ब्राह्मणों का अपमान प्रारम्भ होगया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों वर्णों में थोड़ा बहुत संघर्ष भी शुरू होगया था। दुर्योधन ने महर्षि व्यास और विदुर के उपदेश को न मान कर उन की अवहेलना थी, द्रौपदी के खयम्बर में ब्राह्मण रूप में बैठे हुए अर्जुन को देख कर क्षत्रियों ने अपमान पूर्वक कहा था—

“आज क्षत्रियों के मुकाबले में ब्राह्मणों की खूब धज्जियाँ उड़ेंगी।” २

“राजा दुष्पद एक ब्राह्मण (ब्राह्मण वेष धारी अर्जुन) को अपनी कन्या”

१. दुर्लभ वैदिक्षांसो वैदोके मुख्यवस्थाः।

प्रयोजन महत्वात् मार्गमिष्ठन्ति संस्तुतम् ॥ (शान्तिः० मो० ख० अ० २१२)

२. अवहास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणः सर्वराजम् ॥ ६ ॥ (आदिः० अ० १५०)

करने लगा है यह देख कर क्षत्रिय बहुत कुद्र हुए ।” १

समाज बाह्यणों की इस प्रकार अवहेलना करने लगा था, इस में केवल समाज का ही दौष नहीं था। बाह्यणों का अपना आचार भी क्रमशः होने होचला था, इसी से समाज में उनको पहले का सा प्रभाव शेष नहीं रहा था। हम बाह्यणों के पतन के कुछ दृष्टाल्प यहां देते हैं—

ब्राह्मणों को दास-दक्षिणा— लोग अपने विद्यागुरु बाह्यणों की दास दासी भी भेट करने लगे थे। सभा पर्व में युधिष्ठिर की सम्पत्ति का घर्णन करते हुए दुर्योधन कहता है—

“अद्वैत सहस्र गृहस्थी ब्राह्मण स्नातकों को उन की तीस तीस दास दासियों सहित युधिष्ठिर पालता है ।” २

ब्राह्मणों की अनाधिकार चर्चा— प्राचीनकाल में स्वयंवर की प्रथा केवल क्षत्रियों में ही थी। परन्तु महाभारत के समय बाह्यणों ने भी स्वयंवरों में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब ब्राह्मण वेष में अर्जुन सम्मिलित हुआ था तब उस के साथ वैठे हुए तपस्त्रियों और ब्राह्यणों ने उसे खूब उत्साहित करने का यत्न किया था। इस पर कुद्र होकर क्षत्रियों ने कहा—

“स्वयंवर में सम्मिलित होने का अधिकार ब्राह्मण को नहीं है। यह प्रथा केवल क्षत्रियों में ही है— यही प्राचीन प्रथा है। यह क्षत्रिय कन्या अगर किसी क्षत्रिय को अपना पति नहीं चुनती तब इसे शाग में फेंक कर हमें अपने राज्यों में लौट जाना चाहिये ।” ३

इसी प्रकार तत्कालीन बाह्यणों में अर्थ लोकुपता भी बहुत बढ़ रही थी। आज कल की तरह उन दिनों देश भर इस बात को मानने लगा था कि मनुष्य धन का दास है। भीष्म पर्व में युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए भीष्म, कृष्ण, द्रोणादि अग्रिमी नेताओं ने कहा था—

“धन मनुष्य का दास नहीं है अपितु मनुष्य ही धन का दास है। इसी धन के कारण ही दुर्योधन ने हमें अपनी ओर वाँच लिया है ।” ४

१. तस्मैदित्यति कन्यान्तु ब्राह्मणाय तदाद्वये ।

कोपप्रातोन्महोपानमालोक्यान्येवपञ्चिकात् ॥ १ ॥ (आदि० अ० १६१)

२. अष्टाशीति तदत्यापि स्नातकाः गृहमेधितः ।

विशद्वासीक एकैको वानिवर्त्ति युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ (सभा० अ० ४६)

३. न च विप्रेष्वधीकारो विद्यते वरणं प्रति ।

स्वयंवरः द्विविद्यालाभितीयं प्रथिता श्रुतिः ॥ ७ ॥

अथवा यदि कन्येण न च कुद्र युद्धयति ।

अथवा देवां प्रतिञ्जित्य यामराद्वार्णि पार्श्ववाः ॥ ८ ॥ (आदि० १६१)

४. अर्थस्युपुरुषो दासो दासत्वयै नकर्हिचित् ।

इति सत्यं महाराज बहुऽस्मर्यमेति कोरवैः ॥ ५७ ॥ (आदि० ४३)

ब्राह्मणों में इस प्रकार कमज़ोरियां था जाने से ही समाज में उनका पुराना प्रभाव खिर नहीं रहा।

ख्री-समाज

ब्राह्मणों के साथ ही साथ अन्य वर्णों में भी बहुत सी कमज़ोरियां आ गई थीं। विशेष कर क्षत्रियों में कुछ रिवाज, जो किसी समय विशेष उद्देश्य से चलाए गए थे, बहुत ही बुरा और लज्जाजनक रूप धारण कर चुके थे। उन में बहु विवाह और कन्या ह्रण आदि की प्रथाएं चल पड़ी थीं।

राक्षस विवाह— उस समय क्षत्रियों में राक्षस विवाह बहुताथत से होने लगे थे। राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का बल पूर्वक हरण करके उस से विवाह कर लेता। अर्जुन का सुभद्रा हरण, कृष्ण का रुक्मिणी हरण और दुर्योगन का कलिङ्गराजपुत्री का हरण इस के उदाहरण है। तत्कालीन धर्म शास्त्र वेत्ताओं के अनुसार गुण, कर्म, विद्या और स्वभाव देख कर समान गुणशील कन्या से विवाह करना गन्यर्व विवाह है। ब्राह्मणों को इसी प्रकार विवाह करना चाहिये। कन्या और उस के पिता की अनुमति प्राप्त कर के क्षत्रिय को उस से विवाह कर लेना चाहिये। राक्षस विवाह के सम्बन्ध में वह कहते हैं—

“कन्या के सम्बन्धियों को धन का लालच दिलाकर उससे विवाह करना असुरों का कार्य है। राक्षस लोग कन्या के सम्बन्धियों को मार कर उस से बल पूर्वक विवाह भी कर लेते हैं। पांच प्रकार के विवाहों में से पहले तीन धर्मानुकूल हैं और राक्षस विवाह के ये दो रूप धर्म विरुद्ध हैं। यह असुर और पिशाच विवाह कभी नहीं करना चाहिये।”^१

इस प्रकरण में असुर और राक्षस विवाह को निप्प ठहराया गया है। परन्तु भीष्म ने स्वयं काशिराज की तीनों कन्याओं का हरण किया था अतः उस ने अपने कार्य को उचित सिद्ध करने के लिये एक जगह कहा है—

“कन्या का पिता गुप्तवान पुरुष को बुला कर अपनी कन्या को अलंकृत करके दहेज सहित कन्या दान करे। कई लोग में वहेज गी देकर और कई धन देकर कन्या दान करते हैं। कई लोग बल पूर्वक कन्या का हरण करके उस से विवाह कर लेते हैं। सत्कार पूर्वक कन्या को लेना आर्य विवाह है। सब से उत्तम आठवां प्रकार स्वयंवर विवाह का है। क्षत्रिय इसे बहुत पसन्द करते हैं। परन्तु

१. धनेन बहुधा ग्रीत्वा सम्प्रलोभ्य च याम्यवाश् ।

असुराणां बृशंसं वै धर्मसाहुमनीविषः ॥ ६ ॥

हृष्ट्वा छिन्वा च शीर्षणि रुदती रुदतींगृहात् ।

मूल्य हरणे तात राक्षसोविधिक्ष्यते ॥ ७ ॥

मृद्घानांतु भ्रो धर्माः दृष्टधर्माँ युधिष्ठिर ।

पैत्राम्यसाहुरसैषं न कर्त्रम्यौ कथमृत् ॥ ८ ॥ (भगवत्प्राप्ति ५५)

बल पूर्वक कन्या हरण करके विवाह करना उस से भी अधिक उत्तम है । इसा लिये; हे राजन्, मैं इन कन्याओं को हर लाया हूँ ॥^१

इसी प्रकार उद्योग पर्व में काशिराज की कन्या हरण की कहानी सुनाते हुए भीष्म ने कहा है—

“सब राक्षसों को हरा कर काशिराज की इन तीनों कन्याओं को मैं विचित्र धीर्य के लिए लाया हूँ । ये कन्याएं बहुबल द्वारा ही लाई गई हैं ॥^२

परन्तु इस लज्जा जनक प्रथा का बिहुल खुले आम प्रचार नहीं था । इस प्रथा के घोर विरोधी भी उस समय पर्याप्त संख्या में मौजूद थे । स्वयं पितामह भीष्म को झूँघ जामदग्न्य ने इस अनुच्छेद कार्य का दण्ड देने का प्रयत्न किया था । काशिराज की बड़ी कन्या अम्बा शाल्वराज को चाहती थी परन्तु भीष्म उसे बलपूर्वक हर ले आया था । परन्तु अम्बा का विवाह विचित्र धीर्य से न हुआ । शाल्वराज ने इस अवस्था में उसे लेना अस्वीकार कर दिया । तब अम्बा भीष्म से बदला देने के लिये तपस्विनी बन गई । अम्बा ने झूँघ जामदग्न्य के अपना कष्ट इस प्रकार सुनाया—

“मुझ रोती हुई को महारथी भीष्म बलपूर्वक सभा स्थल से उठा लाया ॥^३

इस कुमारी हरण प्रथा के साथ ही साथ उस समय बहुविवाह और एक ह्यो के बहुत से पति होने की लज्जा जनक प्रथाएं भी चल पड़ी थीं । तत्कालीन राजाओं में लियों के करण ही परस्पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं । यहाँ तक कि कतिपय नराधम राजा लोग पराई पक्षियों तक को चुराने का यज्ञ करने लगे थे । इसके अतिरिक्त पांचों पाण्डवों ने एक ही रुदी-द्रोपदी-से विवाह कर लिया था । महाभारत काल से पूर्व यह प्रथा नहीं थी । इस सम्बन्ध में आदि पर्व में लिखा है—

१. श्राव्य दानं कन्यानां गुणवद्भवः स्मृतं तु यः ७ ॥

श्राव्यं कृत्य यथा शक्ति प्रदाय च धनान्वयि ॥

प्रयज्ञदन्त्यपरे कन्यां मित्रूनैन गवामणि ॥ ८ ॥

विचेन कथितेनान्ये वलेनान्ये नुमान्य च ॥

प्रमत्नामुपयान्त्यन्ये स्वयमन्ये च त्रिदत्ते ॥ ९ ॥

शार्विणिं पुरस्कृत्य दारहृविन्दन्ति चापरे ॥

शृष्टं तमयोविस विवाहं कविभिरुतम् ॥ १० ॥

स्वयं वरन्तु राजन्याः प्रशंसन्तु पर्यान्ति च ॥

प्रमत्न्यतु हतामाहुञ्चर्पसीं धर्मवादिनः ॥ ११ ॥ (आदि०, अ० १०२)

२. इमाः काशिपतेः कन्या मयनिर्जित्य पार्थिवाह ।

विचित्रवीर्यस्य कृतेः धीर्यशुद्धा हतादति ॥ २ ॥

(उद्योग० अ० १७३)

३. पत्नामृतास्मि रुदती विद्राव्य पृथिवीपतीष्ठ ॥

(उद्योग० अ० १७४)

“एक राजा की तो बहुत सी रानियें हुआ करती हैं परन्तु एक रानी के बहुत से पति होना कभी सुना नहीं गया। हे युधिष्ठिर, तू इस लोक और धर्म से विरुद्ध कार्य को किस प्रकार करने लगा है ? ”^१

इस युग में देवियों का मान भी सुरक्षित नहीं रहा था। भरी समाँ में प्रतापी पोंडडवों की धर्मगति द्रोपदी का भयंकर अपमान होना इसका उत्तरवाच उदाहरण है।^२

भर्ता-वशकिरण — लियों में भी बहुत सी अनुचित प्रथाएं तथा भ्रममूलक विश्वास मौजूद थे। वे अपने पतियों को छल करट और जादू टोने आदि द्वारा वश में करने को प्रयत्न किया करती थी। इस सम्बन्ध में वनपर्व में सत्यभामा ने द्रोपदी से इस प्रकार पूछा है—

“हे द्रोपदी, तूने जिस व्रत, तप, मन्त्र, आषधि, विद्या, जादू, होम अथवा उपचार से अपने पतियों को वश में किया है वह विधि मुझे भी बतादे ताकि मैं उससे अपने कृष्ण को वश में कर सकूँ। ”^३

द्रोपदी ने उत्तर दिया—“सत्यभामा, तू यह कुलटा और बुरी लियों का कार्य मुझ से किस प्रकार पूछती है, इस भयङ्कर पाप के विषय में मैं तुझे किस प्रकार उपदेश दे सकती हूँ। कुलटा लियों अपने पतियों को विष देकर, उन पर जादू करके उन्हें मार भी देती है। भोजन और स्वर्ण में विषचूर्णादि का प्रयोग कर के कई लियों ने अपने पतियों को बूढ़ा, जलोदरी, कोढ़ी, नपुंसक, गूंगा या बहरा भी बना डाला है। पापिनी लियों ही ऐसा करती हैं—तुम से मैं कभी ऐसी आशा नहीं करती। ”^४

१. एकस्य बहूघो विहिताः महिष्यः कुरुनन्दन ।

नैकस्ता ब्रह्मः पुंसः भूयन्ते पतयः क्वचित् ॥ २७ ॥

लोकवेदविरुद्धं त्वं नार्थम् धर्मविच्छुचिः ।

कर्तुर्महसि कौन्तेय कस्मान्ते दुद्विरीदृशी ॥ २८ ॥

(आदि० अ० १५७)

२. सभायां पश्यतेरतः पातयित्वा पदा हनम् ।

न चैशालभदे ऋणमभिपञ्चा बलीयसा ॥ ८ ॥

(विराट० अ० ४३)

३. ब्रतघर्या सयोवास्ति स्नान मन्त्रौषधानि वा ।

विद्यावीर्यं मूलवीर्यं जयहोमागदास्तथा ॥ ७ ॥

ममाद्याचाद्व याञ्चालि यशस्यं भगवैवतम् ।

येन द्रुण्डे भवेन्नित्यं मम कृष्णोवशासुगः ॥ ८ ॥

४. आसस्त्वो लं समाक्षारं सन्त्वे मामनुपृष्ठसि ।

असदाचरिते मार्गं कथं स्यादनुकीर्तनम् ॥ १० ॥

अभित्र प्रहितांश्चापि गदाम् परमदारणात् ।

आदि पर्व में महिमती नगरी की स्थियों के सम्बन्ध में लिखा है—
“इस नगरी की स्थियों किसी के बश में नहीं आती थी । अग्नि ने उन्हें उच्चाहुलता का वर दिया हुआ था । इसे कारण इस नगरी में स्थियें व्याचारिणी ही कर यथेष्टु विचरा करती थीं ।”^१

इसी प्रकार कर्ण पर्व में शत्य द्वारा शासित मद्रप्रदेश के स्थियों में कर्ण ने कहा है—

“मद्रप्रदेश के बालहीक जाति की शील रहित स्थियाँ गुड़ की शंखाब पीकर गोमांस प्याज के साथ खाकर नंगी होकर नाचती और हँसती हैं । वे निर्लज्ज होकर खुले आम व्यभिचार करती हैं ।”^२

इस प्रकार में क्रोध में आकर कर्ण ने यदु देश की स्थियों के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कहीं हैं । ये बातें क्रोध में कही गई हैं अतः इन्हें अतिशयोक्त भी मान लिया जाय तो भी इस कथन में कुछ न कुछ सचाई माननी ही पड़ेगी ।

राजघराने की स्थियाँ—राज परिवारों की स्थियों में जल-विहार की प्रथा खूब प्रचलित थी । ओज कल भी राजपूतों में इस प्रथा का थोड़ा बहुत अवशेष पाया जाता है । इन जल विहारों में स्त्री और पुरुष दोनों शराब पीकर यथेष्टु विहार करते थे । गन्धर्व जाति की जल-क्रोडा विशेष प्रसिद्ध थी । आदि पर्व में कृष्ण के जल विहार का दृश्य इस प्रकार वर्णित है—

मूलप्रचारैर्ह त्रिष्ठ्रियच्छन्ति जियांसवः ॥ ५४ ॥

जिह्याय यानि पुरुषस्त्वका वाप्युप सेवते ।

तेव चूर्णीनि दंतानेन हन्त्युः विग्रमसंशयसु ॥ १५ ॥

जलोदरसमा युक्ताः स्थितिर्विष्णुः पस्तिस्त्वस्था ।

अपुमासकृताऽच्चीमिः जंडार्घ विधिरास्तथा ॥ १६ ॥

पापानुगासनुं पापास्ता पंतीनुपसज्जन्युत ॥ १७ ॥ (बन० शंठ २३२)

१. तस्यापुर्याः तदोचैष मांहस्मत्यां कुरुद्दृह ।

बौद्धुवरन्तिग्राहाय योजितः क्लन्तः किल ॥ ३७ ॥

रैवमनिवर्त्प्रादात् जीयमेप्रतिवारणे ।

स्वैरिस्यसत्त्व नायोहि यथेष्टु विचरन्तयुत ॥ ३४ ॥

(सभापर्व अ० ११)

२. धानागोद्वासवं पोत्वा गोमासं लश्यनैःसद ।

अपुपां सवाहानांमाशिमः शीलवर्जिताः ॥ १७ ॥

हसन्द्यय च हृष्यन्ति जियोमता विकासवः ।

गंगरागारवप्रेतु बहिर्मार्क्यानुलेपनाः ॥ १८ ॥

श्वाकृता मैयुने ताः कामचाराश्च सर्वायत ॥ १९ ॥

(अर्द० ४४)

“कोई प्रतश्न होकर नाचती है, कोई शोर करती हुई हँसती है और कोई शराब पीती है।”^१

बाल विवाह — इस समय बाल-विवाह भी प्रारम्भ होगया था । बार अभिमन्यु का १८ वर्ष की अवस्था में ही विवाह होगया था । महाभारत अनुशासन पर्व में भीष्म ने व्यवस्था दी है— “३० वर्ष का पुरुष १० वर्ष की कल्पा से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का मनुष्य ७ वर्ष की बालिका से विवाह कर सकता है।”^२

नियोग — प्राचीन शास्त्रकारों ने आपत्काल के लिये नियोग की आज्ञा दी है । विधवा रुदी पुत्रप्राप्ति की इच्छा होने पर नियोग कर के अपने वंश को चला सकती है । इसी प्रकार पति के रोगी व असमर्थ होने पर भी स्त्री पति को आज्ञा प्राप्त कर नियोग द्वारा सन्तानवती बन सकती है । यह प्रथा महाभारत के समय तक भी प्रचलित थी । नियोग के सम्बन्ध में महाभारत में कहा है कि—

“पति के मर जाने पर रुदी अगर ब्रूहस्पत्य पूर्वक न रह सके तो वह देवर से सन्तानोत्पत्ति कर सकती है।”^३

महाभारत में इस प्रथा के कई दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं । आदि पर्व में सत्यघती ने अपने पुत्र की विना सन्तान मृत्यु होजाने पर उसके भाई भीष्म को उसकी ख्याती से नियोग करने का आदेश दिया है—

“मेरा पुत्र और तेरा भाई विचित्र वीर्य निस्सन्तान बचपन में ही चल बसा है । उस की धर्मपत्नियाँ पुत्र की अभिलाषा करती हैं । उन से नियोग द्वारा के तुम मेरे कुल की रक्षा करो । मेरी आज्ञा से तुम्हें यह धार्मिक कार्य अवश्य

१. कश्यपाहृष्टः ननुत्तुकुशुश्च तथापराः ।

जसुश्च परानायः पपुष्णान्या वरासवम् ॥ २४ ॥

(आदि० २२४ अ०)

२. विशद्वर्षीं दशवर्षीं भार्यां विन्देतनग्निकाम् ।

यक्षिवशति वर्षीं वा समवर्षीमवानुयात् ॥ १२ ॥

(ग्रैनेशासन० अ० ४४)

३. यथेष्ट तत्र देया स्यात् नाच कार्या विचारणा ।

कुर्वते जीवतोऽयेषं मृतेनैवास्ति संशयः ॥ ५० ॥

देवरं प्रविशेत्कन्या । तच्येष्टापि तप्यः पुनः ।

तमेवानुव्रता भूष्णा पार्विग्राहस्य काम्यथा ॥ ५१ ॥

(अनुया० ४४)

करना चाहिये । अगर यह न कर सको तो स्वयं विवाह करके राज्य सम्भालो । महाराज भरत के बंश का यूं ही नाश न होने दो ॥”^१

इस पर भीष्म ने उत्तर दिया—“वाहे सूर्य प्रकाश रहित हो जाय, चाहे आग बर्फ के समान ठण्डी हो जाय और चाहे चाँद सूर्य के समान गरम हो उठे मैं अपनी प्रतिष्ठा भंग नहीं कर सकता ॥”

सत्यवती ने कहा—“मैं तेरे दृढ़ स्वभाव को जानती हूं । परन्तु तु आपद्धर्म समझ कर बंशरक्षा के लिये ही राज्य संशीकार कर ले । अथवा कोई ऐसा कार्य कर जिस से कि बंश और धर्म की रक्षा के साथ ही साथ हमारा सम्मान भी कायम रहे ॥”

तब भीष्म ने कहा—“अपने बचन से गिर जाना क्षत्रिय के लिये सब से बड़ा पाप है । इस लिये इस सम्बन्ध में तुम सुझासे कोई आशा न रखो । हाँ, महाराज शोन्तु के बंश का नाश भी नहीं हो जाना चाहिये इस लिये विद्रान पुरोहितों और आपद्धर्म बताने वाले बुद्धिमानों की सलाह लेकर इस समय के कर्तव्य का निश्चय करो ॥”^२

१. सत्यवती उघाचः—

सम पुद्रस्तव भाता वीर्यवाहु सुप्रियश्च यः ।

बाल एव गतः स्वर्गमधुवः पुरुषर्वभ ॥ ८ ॥

इमे महिष्याभातुस्ते काशिराज सुनेशुभे ।

रूप वीवत्त सम्पन्ने पुत्रकामे च भारत ॥ ९ ॥

तयोरुत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलत्य नः ।

मन्त्रिगोगान्महाब्रह्मो धर्मं कर्तुमिहार्हति ॥ १० ॥

राज्ये वै चामिषिच्यस्य भारताननुशास्यि च ।

दाराशु कुरुधर्मेण मा निमज्जीः पितामहाशु ॥ ११ ॥ (आदि०, अ० १०३)

२. भीष्म उघाच—

प्रभावसुत्सुनीदर्को धूमकेतुस्तथोष्मताम् ।

नस्यहं सत्यमुत्स्तृं धयवस्थेऽकथञ्जन ॥ १८ ॥

सत्यवती उघाच—

जानामि चैव सर्वं तन्मदर्थे यद्य भाषितम् ।

प्रापद्य धर्मं त्वमायेव्य वह वैनामहीं धुरम् ॥ २१ ॥

यथाते कुल तनुश्च धर्मश्च न परामवेत् ।

मुहूरश्च प्रहृष्ट्येरस्तथा कुरु परन्तप ॥ २२ ॥

भीष्म उघाच—

रात्रि धर्मानवेष्ट्य मानः सर्वाशु व्यनीनशः ।

सत्याच्युतिः च वियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते ॥ २४ ॥

शान्तनोरपिसत्तानं यथा स्यादद्वयं भुवि ।

तन्ते धर्मं प्रवद्यामि जात्रं रात्रि सनातनम् ॥ २५ ॥

शुन्धा तां प्रवियद्यस्व प्रात्रैः सहुरोहितैः ।

आपद्युधर्मार्थं कुशलैः स्नोकतम्ब्रमवेष्य च ॥ २६ ॥

महाभारत में जामदग्न्य परशुराम द्वारा किए गए क्षत्रियों के कलेभास का भी वर्णन आता है । क्षत्रियों को बहुत बड़ी संख्या में मार देने पर भी क्षत्रिय वंश नष्ट नहीं हो सका, इस का कारण क्षत्रिय पत्नियों का ब्राह्मणों के साथ नियोग कर के सन्तानोत्पत्ति करना ही है ।

आदि पर्व में राजा बलि की धर्मपत्नि राजी सुदोष्णा के साथ ऋषि दीर्घतमा द्वारा किए नियोग का वर्णन आता है । विचित्र वीर्य की धर्मपत्नियों ने भी महर्षि व्यास के साथ नियोग किया था, जिस से पाण्डु आदि तीन पुत्र पैदा हुए थे ।

इसी प्रकार कोई सन्तान न होने पर महाराज पाण्डु ने अपनी धर्मपत्नि कुन्ती को इन शब्दों में नियोग करने की आज्ञा दी थी— “हे कुन्ति ! अपना, बनाया हुवा, खरीदा हुवा, कृतिम आदि कई प्रकार के पुत्र होते हैं । इनमें से पहले के अभाव में अगले की इच्छा करनी चाहिये । आपत्काल में देवर से भी सन्तानोत्पत्ति कर लेनी चाहिये । इस देवर से उत्पन्न हुए पुत्र को मनु ने अपने पुत्र से भी बढ़ कर कहा है । इस लिये स्वयं पुत्रोत्पन्न करने की शक्ति न होने के कारण मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे समान या मुझ से भी श्रेष्ठ किसी व्यक्ति से सन्तान लाभ कर । शरदरडायनी नामक एक वीर पति ने भी एक द्विज से नियोग कर के तीन शूरवीर पुत्रों को ग्रास किया था । इसी प्रकार तू भी किसी तपस्वी ब्राह्मण द्वारा मेरे लिये सन्तान लाभ कर ॥”^१

इस पर कुन्ती ने पतिव्रत धर्म पर दृढ़ रहने की इच्छा प्रगट करते हुए नियोग न करने की इच्छा उत्तराई । तब पाण्डु ने कहा— “पति की जीवित-वस्था में उस की सहमति के बिना नियोग करना महापाप है परन्तु उसकी आज्ञा होने पर नियोग न करना भी महापाप है । प्राचीन समय में ऋषि श्वेतकेतु ने भी यही बात कही थी । सौदारास ने अपनी पति मदयन्ती को ऋषि वसिष्ठ के साथ नियोग करने की आज्ञा दी थी, और इस प्रकार उसने पुत्र लाभ किया था । स्वयं मेरा जन्म भी नियोग ही से हुवा है । इन सब कारणों से तू

१. एवमुच्चावचैरस्त्रेः भागवेण महात्मना ।

त्रिःसम्पूर्णस्वा पृच्छिवी कृतानिक्षितिया पुरा ॥ २७ ॥

एवं निकृत्रिये लोके कृते तेन महर्षिणा ।

उत्पदितान्यपत्पानि ब्राह्मणैर्बैद्यरागैः ॥ ५ ॥

याणि ग्राहस्य तनय इति वेदेषु भावितम् ।

धर्मं मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्युः ॥ ६ ॥

लोकेष्याचरितो दृष्टः चत्रियाणां पुनर्भवः ।

ततः पुनः समुदितं चत्रं समभवन्तदा ॥ ७ ॥

(आदिं० अ० १०४)

२. स्वयं जातः प्रणीतस्य, परिकीर्तस्य यः सुनः ।

पौनर्भवस्य कानीनः स्वैरिक्यां पश्य जायते ॥ ६२ ॥

दतः कीतः कृत्तिमस्य उपगच्छेत्स्वयं च यः ।

सहोद्रो ज्ञातिरेतास्य हीनपोनिषृतस्य यः ॥ ६३ ॥

मेरी यह आशा मान कर धर्म उग्रत न होगी । मेरी आशा से तू किसी तपस्थी ब्राह्मण से गुणी पुत्र उत्पन्न कर । इस प्रकार मैं भी पुत्रवान बन सकूँगा ॥ १
इस पर कुन्ति ने युधिष्ठिरादि तीन पुत्ररक्ष पैदा किये थे ।

नियोग की संख्या मर्यादा — महाभारत में नियोग द्वारा उत्पन्न सन्तान की संख्या सीमा का भी एक स्थान पर उल्लेख है । राजी कुन्ति के तीन पुत्र हो जाने पर भी पाराङु को सन्तोष नहीं हुआ । उस ने उसे चौथा पुत्र

पूर्वपूर्वतमामावे मस्ता लिप्सेत वै मुत्तम् ।

उत्तमाद् देवरात्पुरुः कांक्षन्ते पुत्रमापदि ॥ ३४ ॥

अपर्यं धर्म फलं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः ।

आन्तम शुक्रादपि पृथे मनुः स्वायम्मुक्तोव्रवीत् ॥ ३५ ॥

तस्मात्प्रहेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयम् ।

सदृशाच्छ्रेयसोवात्प्य विद्युचपर्यं यशस्त्वित् ॥ ३६ ॥

शृणु कुन्ति कथामेतां शरदारडायनीं प्रति ।

सा वीरपती गुरुणा नियुक्ता पुत्र जन्मनि ॥ ३७ ॥

पुष्पेण प्रयता ज्ञाता निश्चि कुन्ति चतुष्पद्ये ।

धरयित्वा द्विं तिर्दं हृत्वा पुंसवनेऽनिलम् ॥ ३८ ॥

कर्मशय वसिते तस्मै ता तेनैव सहायस्त् ।

तत्र त्री॒ष्ट जनयामास दुर्जयादी न्महारथाश् ॥ ३९ ॥

तथा त्वमपि कल्याणी ब्राह्मणात्पसोधिकात् ।

मस्तिष्योगाद् यत्तिष्यमपत्येत्पदनंप्रति ॥ ४० ॥

(आदि० १२०)

१. अयुज्जरन्त्याः पति नार्या श्रद्धाप्रभृति पातकम् ।

भू॒णहत्या समंघोरं भविष्यत्पुत्रावहम् ॥ १७ ॥

भार्या॑ तथा ठुञ्जरातः कौमार ब्रह्मचारिणीम् ।

प्रतिष्ठतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ १८ ॥

पत्न्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्रार्थमेव च ।

न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदवेहि ॥ १९ ॥

इति तेन पुरा भीरु मर्यादा स्यापिता बलात् ।

उद्भालकस्य पुत्रेण धर्म्या॑ वै इवेतकेतुना ॥ २० ॥

सौदासेन धरम्भोरु नियुक्ता पुत्र जन्मनि ।

मदयन्ती जगामर्षि॑ वसिष्ठमिति तः श्रुतम् ॥ २१ ॥

तस्माल्लेभे च सा पुत्रमश्मकं नाम भाविनीः ।

भर्तुः कल्माषपादस्य भार्या॑ मिथ चिकीर्षवा ॥ २२ ॥

अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेच्छणे ।

कृष्णद्वै पायमाद् भीरु कुरुणं वंश दृद्ये ॥ २३ ॥

श्रातः एतानि कारणानि सर्वाणि समीक्ष्य वै ।

ममैतद् वचनं धर्म्य॑ कर्तुमहस्यनिन्दिते ॥ २४ ॥

मस्तिष्योगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपवाधिकात् ।

पुत्राश् गुण चमायुक्तातुत्पादयितुर्हसि ॥ २५ ॥

(आदि०, अ० १२२)

उत्पन्न करने को कहा । इस पर कुन्ती ने उत्तर दिया—“धर्मशाला आपत्काल में नियोग द्वारा अधिक से अधिक तीन पुत्र उत्पन्न करने की आशा देते हैं । नियोग द्वारा चौथा पुत्र उत्पन्न करने पर स्त्री व्यभिचारिणी और पांचवां पुत्र उत्पन्न करने पर वेश्या बन जाती है । इस लिये तुम सुके इस अधर्म की आशा न दो ।”^१

रंगशाला में दर्शक खियें— आचार्य द्रोण ने अपने शिक्षणालय में शिक्षाप्राप्त क्षत्रिय स्नातकों की परीक्षा के लिये एक रंगशाला तैयार कराई थी । इस रंगशाला में खियों के लिये भी मञ्चों तथा गैलरियों का प्रबन्ध किया गया था । इस रंगशाला में दर्शक रूप से राज घराने की खियें भी सम्मिलित हुई थीं ।

“राजा के कारीगरों ने बड़ी निपुणता से रंग भूमि में दर्शकों के लिये स्थान तैयार किया । राजाओं, खियों और नगरवासियों के लिये अलग अलग मञ्च (गैलरियां) बनाए । ”^२

“महारानी गान्धारी और कुन्ती राज परिवार की अन्य खियों और सहेलियों के साथ देव-खियों के समान मञ्च पर आकर बैठ गईं । ”^३

पति से सहानुभूति— खियां बिदा होते हुए अपने पति के सम्मान के लिये उन्हें छोड़ने जाया करती थीं । आश्रमवासिक पर्व में महाराज धृतराष्ट्र और गान्धारी राजगृह छोड़ कर तपोवन जा रहे हैं । द्वोपदी उत्तरा आदि राज प्रवार की खियें भी उन के साथ चलने को तैयार हो गईं ।^४

१. पाषङ्कुस्तु दुनरेवैनां पुत्रलोभान्महायशा: ।

वक्तुमैचक्षदृ धर्मपत्नीं कुन्तीत्वैनमथाब्रवीत् ॥ ८५ ॥

नातश्चतुर्थप्रसव मापत्स्वपि वदन्त्युत ।

प्रतः परं स्वैरिणी स्याद् बन्धकी पञ्चमे भवेत् ॥ ७६ ॥

स त्वं विद्वाद् धर्ममिममधिगम्य कर्यं तुमाम् ।

अपत्यायं चुमुक्ताम्य ममादादिव भाष्टं ॥ ७७ ॥

(आदि० अ० १३३)

२. प्रेक्षागारं चुविहितं चक्षस्ते तत्य शिल्पिनः ।

राजा: सर्वाद्युधोपेतं छीणाऽचैव नर्षभ ॥ १० ॥

मञ्चांश्चकारयामासुः तत्र ज्ञानपदा जनाः ॥ ११ ॥ (आदि० अ० २३६)

३. गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतांवर ।

खियां राजा: सर्वास्ता: सप्रेष्याः सपरिच्छदाः ॥ १४ ॥

हर्षदारुकुमञ्चमेत् दद्विष्यो यथा ॥ १५ ॥ (आदि० अ० १५६)

४. ततो निष्पेतुर्बाह्यण छियाणां ।

विर्षा शूद्राणाऽचैव भार्याः समन्तात् ॥ १६ ॥ (आश्रमवासिक० अ० १५)

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर तथा उन के भाइयों के महाप्रश्नान के समय भी यही दृश्य देखने को मिलता है।^१

पर्दा— प्राचीनकाल में खियों में परदे का रिवाज बिल्कुल नहीं था यह बात आदि पर्व में पाण्डव के कुत्ती के प्रति कहै गए इस वचन द्वारा सिद्ध होती है—“प्राचीन काल में खियां बिना किसी प्रकार के आवरण के यथेच्छ घृमती फिरती थीं”^२

परन्तु महाभारत के समय पर्दे का रिवाज अवश्य प्रचलित हो गया था । महाभारत में इस के लिये पर्याप्त साक्षियाँ प्राप्त होती हैं । खी पर्व में पति पूत्रादि के शोक से युद्ध भूमि में रोती हुई खियों के सम्बन्ध में लिखा है—

“जिन नारियों को पहले देखता भी नहीं देख सकते थे वे आज खुले आम सब लोगों के सामने रो रही थीं”^३

पति को नाम से सम्बोधन— महाभारत काल में खी और पुरुष यूहश के एक समान आवश्यक भाग समझे जाते थे । पति भी पति का नाम लेकर उसे बुला सकती थी । विराट पर्व में कीचक से अपमानित होकर द्वीपदी ने कहा है—“हे भीम ! तुम्हारे अपमानित होने पर और युधिष्ठिर के शोक मन होने पर मैं किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ”^४

सामाजिक लोकाचार और प्रथाएं.

महाभारत युग के सामान्य लोकाचार में कठिपय अद्वृत विशेषताएं प्रतीत होती हैं । इन लोकाचारों द्वारा तत्कालीन सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । हम संक्षेप से इन व्यवहारों का निर्दर्शन करेंगे—

राजाओं की विलासिता— तत्कालीन साधारण नागरिकों में सहभोज, उत्सव, और अभिनय आदि करने की प्रवृत्ति खूब बढ़ गई थी । श्री लोगों के ओलिम्पस के मेले की तरह महाभारत काल में भी नागरिकों और राजपरिवारों के मनोरञ्जन के लिये बड़े २ सान्मुख्यों की आयोजना की जाती थी । विशेष कर राजा लोगों में विलास की धराकाष्ठा होगई थी । प्रायः राजाओं का अधिकांश समय मध्यपान, जुआ, खियों और खेलों में ही बोत जाता था । सभा पर्व में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है—

१. ग्रात्मना सम्प्रेर राजा निर्ययै यजसाहृष्टात् ।

पौरेरनुगतो द्वारं सर्वेन्तः पुरैस्तथा ॥ २५ ॥ (महाप्रस्तानिक, अ० १)

२. आनावृतः किल पुराचिव आसकृ वरानने ।

कामचार विहरिण्यः स्वतन्त्रस्यासहासिनि ॥ ४ ॥ (आदि० अ० १२२)

३. शृदृष्टं पूर्वाः या नार्यः पुरा देवगणैरपि ।

पृथग् जनेन दृश्यन्ते तात्तदा निहतेश्वराः ॥ ८ ॥

४. रथयेवं निरयं प्राप्नो भीमे भीम पराक्रमे ।

शोके यौधिष्ठिरे मग्ना नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ १३ ॥ (विराट०, १८)

“क्या तुम्हारे अमात्य तुम्हारे मद्यपान, जुआ, स्वी चिलास और अन्य व्यसनों के व्यय का हिसाच रखते हैं ?”^१

रिश्वत— राज्य के अधिकारी लोग उस समय रिश्वत भी लेने लगे थे । इसी प्रकरण में नारद ने युधिष्ठिर से पूछा है—

“कहो राजधानी में रहने वाले लोग या राष्ट्र वासी शत्रुओं से रिश्वत ले कर तुम्हारा विरोध तो नहीं करते ।”^२

“कहो तुम्हारे न्यायकर्ता धन के लोभ में आकर धनी और गरीब के मुकदमों का भूता निर्णय तो नहीं करते ।”^३

नरबलि— महाभारत के समय तान्त्रिक सम्प्रदाय जन्म ले चुका था । ये लोग घोर तान्त्रिक विधि से देवताओं की पूजा करते थे । जरासंघ शिव का उपासक था । उसने एक युद्ध में हारे हुए राजाओं को पशुपति पर बलि चढ़ाने के लिये कैद किया था । सभापर्व में कृष्ण ने जरासंघ से कहा है—

“राजा को श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कभी नहीं करनी चाहिये और तू इन राजाओं को पकड़ कर रुद्र पर बलि चढ़ाना चाहता है । आज तक कभी मनुष्यों को बलि चढ़ाने की बात हमने नहीं सुनी, इस नरबलि द्वारा देवगण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते ।”^४

इस से प्रतीत होता है कि पशुबलि तो महाभारत के कुछ समय पूर्व भी प्रचलित थी परन्तु नरबलि उस समय के लिये एक नई बात थी । इसके बाद कृष्ण कहते हैं— “तू इन राजाओं का समान वर्ण हो कर इन्हें बलि का पशु बनाने लगा है, तेरे समान नासमझ और कौन होगा ।”^५

अशकुन— उस समय शकुनों पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास हो गया था । लोग प्रत्येक शुभ या अशुभ कार्य के लिये पहले शकुन देखा

१. कच्छिक्षपाने वाने वा कीड़ासु प्रमदासु च ।
प्रतिज्ञानन्ति पूर्वार्पहे व्ययं ठ्यसनं तव ॥ ८९ ॥ (सभा० अ० ५)
२. कच्छित्यैरा नसहिता येच ते राष्ट्रवासिनः ।
त्वयासहविशद्यन्ते परैःक्रीता कथञ्जन ॥ ९१ ॥ (सभा० अ० ५)
३. उत्पन्नाङ् कच्छिदाङ्गस्य दिद्रिस्य च भारत ।
श्राव्यान्निमित्या पश्यन्ति तवामात्या हृताधनैः ॥ ९०६ ॥ (सभा० अ० ५)
४. राजा राजः कथं साधूश हिंस्यन्ति पतिसन्तम ।
तद्राचः सन्निन्गृष्ण त्वं रुद्रायोर्पिजहीर्षसि ॥ ९ ॥
मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन ।
सकथं मानुषैर्देवं यद्यमिडङ्गसि शंकरस् ॥ ११ ॥ (सभा० अ० २२)
५. सद्बर्णेति सदर्णानां पशुसंजां क्रिष्णति ।
कोऽन्यपर्यं यथाहि त्वं जरासन्ध वृश्यामति ॥ १२ ॥
(सभा० अ० २२)

करते थे । महाभारत का महायुद्ध प्रारम्भ होने पर इसी प्रकार के भयङ्कर अशकुनों का वर्णन मिलता है । इन में से प्रायः अशकुन असम्भव प्रतीत होते हैं । भीष्म पर्व के दूसरे और तीसरे अध्याय में विस्तार से इन अशकुनों का वर्णन है । हम नमूने के तौर पर उन में से कुछ अशकुनों का यहां निर्देश करते हैं—देव मूर्ति का कांपना, उस का खून उगलना या उस के शरीर में पसीना आना । बिना बजाए युद्ध के बाजों का बजना, बालों से धूलि और मांस की वर्षा होना, गाय के पेट से गधे का पैदा होना, बिना मौसम के वृक्षों का फूलना और फलना—इस प्रकार के बीसियों अशकुनों का इस प्रकरण में वर्णन है ।

शपथ और गालियाँ—समाज की वास्तविक आचार सम्बन्धी अवस्था का ज्ञान करने के लिये गालियों और शपथों के द्वारा पर्याप्त सहायता मिल सकती है । उस समय जैसी शपथें की जाती थीं या जैसी गलियाँ दी जाती थीं उन से समाज के असली चित्र पर अच्छा प्रकाश डलता है ।

महायुद्ध में त्रिगत और संशाप्तक लोगों ने कुद्ध होकर अर्जुन को को मारने की प्रतिज्ञा की । अर्जुन को मारने की शपथ खाते हुए उन्होंने कहा कि यदि वे अर्जुन को न मारेंगे तो—

“कूठ बोठने वाले, ब्रह्महत्या करने वाले, शराबी, गुरुपत्नियों से द्वयभिन्नार करने वाले, ब्राह्मण या राजा का धन चुराने वाले, शरणागत को छोड़ने वाले, भिखमंगों को मारने वाले, दूसरों के घरों में आग लगाने वाले, श्राद्ध के दिनों में मैयुन करने वाले तथा आत्मघाती लोग जिस लोक में जाते हैं अथवा अमानत को हजम कर जाने वाले, वेद नाशक, नर्पुत्रक से युद्ध करने वाले, दीर्घों को दुःख देने वाले, नास्तक या माता को निस्सहाय छोड़ देने वाले लोग जिस लोक को जाते हैं हम भी उसी लोक में जावें,—यदि हम अर्जुन को मारे बिना युद्धक्षेत्र से वापिस लौटें” ॥

१. ये वै लोकाश्चात्मिनां येच वै ब्रह्मघातिनाम् ।

मद्यपस्यच ये लोका गुरुदारतस्य च ॥ २८ ॥

ब्रूद्धस्वहर्षिणप्रचैत्र राजपिण्डापहारिणः ।

शरणागतं वा त्यजतः याचमानं तथाद्यनतः ॥ २९ ॥

आगारदाहिनाऽचैत्र, ये च गं निन्दतामपि ।

न्यासापहारिणाऽचैत्र शर्तनाशयतां च ये ॥ ३० ॥

स्वभार्यमृतुकालेषु ये मोहान्नाभिगच्छति ।

आदुमैयुनिकानां च येचाप्यात्मपकारिणाम् ॥ ३१ ॥

अपकारिणां च ये लोकाः येच ब्रह्मद्विषामपि ।

क्लीतेन युद्धमानानां येच दीनानुसारिणाम् ॥ ३२ ॥

आदुमैयुनिकानाऽच ये च गं निन्दतामपि ।

नास्तिकानाश्च येतोका येतिनमातृ परित्यजाम् ॥ ३३ ॥

सानाप्तुयामहे लोकान् येच पापकृतामपि ।

यद्याहत्या निवर्त्तेभ वर्त्म सर्वेष्वधनञ्जयम् ॥ ३४ ॥

(द्वोषापव अ० १७)

इस का अभिप्राय यह हुआ कि उपर्युक्त कार्य करने वाले लोग उस समय बहुत घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे । तत्कालीन समाज का यह चित्र पर्याप्त सन्तोष जनक है ।

इसी प्रकार महारथी अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतीक्षा करते हुए जो शपथें ली थीं, वह इस प्रकार हैं-

“मातृ धाती, पितृ धाती, गुरुदारा गामी, क्षुद्र, साधुनिन्दक, साधुओं से छेष करने वाले, विश्वासधाती, खो निन्दक, ब्रह्मधाती, गोहत्यारे, स्वादु वस्तुओं द्वारा मुफ्त में बिना काम किए पेट भरने वाले, वेदपाठी के अपमान करने वाले, नंगे, शोकार्त, बन्ध्या लियें, रिश्वत लेने वाले, असत्यधादी, धूर्त, छलीं, अकेले स्वादु चीज़ खाने वाले, आश्रित की रक्षा न करने वाले, अयोग्य ब्राह्मण को श्राद्ध में खिलाने वाले, मद्यप, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतज्ञ, भ्रातृ निन्दक और धर्म भ्रष्ट लोग जिस लोक को जाते हैं, अगर मैं जयद्रथ को न मार सकतो मैं भी उसी लोक को जाऊँ ॥”

इनी शपथों द्वारा भी तत्कालीन सामाजिक दशा के पक्ष में पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । उपर्युक्त कार्यों को उस समय अतीव निन्दनीय और हैथ समझा जाता होगा जब कि अर्जुन भीषण प्रतीक्षा करते हुए इन घृणास्पद कार्यों का निदेश कर रहा है ।

१. ये लोका मातृहन्तृणं येचापि वित्तधातिनाम् ।
गुरुदार रतनां च यिश्ननानाञ्च ये सदा ॥ २५ ॥
- साधुनसूयतां ये च येचापि परिवादिनाम् ।
ये च निजेषुहर्तृणां येच विश्वास धातिनाम् ॥ २६ ॥
- भुक्तपूर्वा लियं येच निन्दतामयशस्तिनाम् ।
ब्रह्मधातानां च ये लोकाः येच गोचातिनामपि ॥ २७ ॥
- पायसं वा यवान्नं वा शाकं कृशमेवया ।
संयावापूष मांसानि ये च लोका वृथाध्नानाम् ॥ २८ ॥
- श्रद्धमन्यमानो याह्य याति बृद्धाश्च साधुहृ गुरुंस्तथा ।
स्पृशतोब्राह्मणाङ्ग गाञ्छु पादेनानिष्टया भवेत् ॥ २९ ॥
- अप्सु इलेच्छम पुरीषञ्जु मूर्च्छं सुज्ञतांगतिम् ।
तां गच्छेयं गति कष्टां न चेदुच्यां जयद्रथम् ॥ ३० ॥
- नग्नस्य म्लायमानस्य या च वन्ध्यातिथेर्गति ॥
उत्कोचिनां मृदोकीनां बृद्धकानां यागतिः ॥ ३१ ॥
- स्वात्मायहारिकां याच याच मिद्याभिर्यस्तिनाम् ।
भृत्यैः सदैश्यमाणानां युवदाराचितैस्तथा ॥ ३२ ॥
- आसंविभल्य लद्राणां यागतिमिष्टमग्नताम् ।
तांगच्छेयं गति ओरं त चेदुम्यां जयद्रथम् ॥ ३३ ॥
- मद्यपो भित्तमर्यादः कृतज्ञो भ्रातृनिन्दकः ।
तेषां गतिमियां चिप्रं न चेदुहन्यां जयद्रथम् ॥ ३४ ॥ (दोषापब अ० ७३.)

नैतिक अनुष्ठान और श्रेष्ठाचार — शान्ति पर्व में साधारण नैतिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में भीष्म कहते हैं—

“भनुओं को सार्य में, गउओं के बीच में, धान्य और अनाज के खेतों में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिये । शौच के अनन्तर देवताओं का तर्पण कर के नदी में नहाना चाहिये, इस से पुण्य होता है । सूर्य की ओर मुख कर के सम्बन्धा करनी चाहिये, सूर्य उदय हो जाने पर सोते रहना अत्यन्त अनुचित है । आतः और सायं दोनों समय सम्बन्धा करनी चाहिये । हाथ, पैर और मुख ये पांच अङ्ग धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर के चुपचाप भोजन करना चाहिये । अन्न तथा भक्षण पदार्थों की निन्दा नहीं करनी चाहिये, गीले पैर सोना हानिकर है । सादु भोजन खाना चाहिये । प्रातः काल उठते ही हाथ धोने चाहिये; शुद्ध स्थान, बैल, देव, गोशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य और वैट इन को प्रदक्षिण्य करनी चाहिये । गृहपति, अतिथि, जौकर और बन्धुओं को एक समान भोजन करना चाहिये । सायं और प्रातः इन दो समयों को छोड़ कर अन्य समय भोजन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार केवल दो समय भोजन करने वाला व्यक्ति सदौपवासी कहाता है । नियम पूर्वक यज्ञ करता हुवा, केवल ऋषु और काल में ही खीगमन करने वाला पुण्य गृहस्थ में भा ब्रह्मचारी ही कहलाता है । बैठे बैठे ढेले तोड़ना और दाँतों से नाखून काटना दीर्घायु में बाधक हैं । केवल आशुर्वद से स्वीकृत मांस ही खाना चाहिये, अन्य मांस, यथा पीठ का मांस, खाना हानि कारक है । गृहस्थ चाहे स्वदेश में हो चाहे विदेश में, अतिथि को भूला न रहने दे । उचित लाभ अपने पास रख कर शेष गुरुओं को दान कर देना चाहिये । गुरुओं को आसन देकर उन का स्तकार करने से आयु दग्ध और धन प्राप्त होता है । उदय होते हुए सूर्य और नंगी खी की नहीं देखना चाहिये । धर्मानुकूल मैथुन भी सदैव गुप्त स्थान पर ही करना चाहिये । जब जब कोई मिले,—कुशल प्रश्न अवश्य करना चाहिये । सायं प्रातः ब्राह्मणों की नमस्कार करना चाहिये । भोजन में दायाँ हाथ ही काम में लाना उचित है । सूर्य की ओर मुख करके मूत्र करना और अपना मलमूत्र दखना अनुचित है । खो के साथ कभी नहीं सोना चाहिये । बड़ों को ‘तू’ नहीं कहना चाहिये, बराबर बालों और छोटों को ‘तू’ कर के बुलाना बुरा नहीं । जान दूध कर पाप कर के मूर्ख लोग हों फिर उसे छिपाया करते हैं ।”^१

१. पुरीष यदि वा सूत्र ये न कुर्वन्ति मानवाः ।

राजमार्गं गवां मध्ये धात्यमध्ये च ते भुभाः ॥ ३ ॥

शौष्ठमावश्यकं कृत्वा देवतानां च तर्पयत् ।

धर्ममाहुमनुष्याणा मुष्पस्पृश्य नदीं भवेत् ॥ ४ ॥

सूर्यं सदौपतिष्ठेत न च सूर्योदये स्वपेत् ।

सर्वं प्राप्त्वैतु सम्भास्ति हृष्पृष्ठं तथोत्तरात् ॥ ५ ॥

दासी दान— महाभारत में दास प्रथा के प्रसाण ब्राह्मणों हैं। दासों को बेचने, खरीदने औंदि का पूर्ण अधिकार उन के सामियों को हीता था। प्रायः द्वियाँ ही दासी बनाईं जाती थीं। कर्ण पर्व में कर्ण अर्जुन को दिखला देने वाले के लिये इनाम की घोषणा करता है—

पञ्चाङ्गोभीजनं भुक्त्यात् प्राङ् मुखो मौनमास्तिः ।
ननिन्दयादक्ष भव्यांश्च स्वादु स्वादु च भव्येत् ॥ ६ ॥
आर्द्रपाञ्चि समुच्छेत् नार्दपादः स्वपेक्षिणि ।
देवर्जीनारदः प्राह एतदाचार लक्षणम् ॥ ७ ॥
शुर्वि देशमन्त्राहं देवं गोष्ठञ्चुच्यथस् ।
ब्राह्मणं धार्मिकं चैत्यं नित्यं कुर्यात् प्रदक्षिणम् ॥ ८ ॥
अतिष्ठीनाङ्गु र्देवं प्रेष्याणां स्वजनस्य च ।
सामान्यं भोजनं भूत्वैः पुष्टये प्रसन्सते ॥ ९ ॥
सायं प्रातर्मनुष्याणामशनं देवनिर्मितम् ।
कात्तरात् भोजनं दृष्ट्युपवादी तथा भवेत् ॥ १० ॥
होमकाले तथा ज्ञाहत् ज्ञातुकाले तथा व्रजहृ ।
शनन्य ख्लीजः प्राचो व्रह्मचारी तथा भवेत् ॥ ११ ॥
स्त्रीष्टमर्दी तृणच्छेदी नववादी तु यो नरः ।
नित्योच्छष्टः स डुकुलको नेहायुर्विन्दते महत् ॥ १२ ॥
यजुषा संस्कृतं मांसं निवृतोमांस भव्यणात् ।
नभव्येद् वृथामांसं पृष्ठ मांसं च वर्जयेत् ॥ १३ ॥
स्वदेशे परदेशे वा अतिर्थि नोपवासयेत् ।
काम्य कर्म फलं लक्ष्या गुरुलामुष्यादयेत् ॥ १४ ॥
गुरुभ्य आसनं देयं कर्तव्यं चाभिवादनम् ।
गुरुनभ्यर्थं युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १५ ॥
नेत्रोतादित्यमुद्यान्तं न च नशां परच्छियम् ।
मैयुनं सततं धर्म्यं गुह्ये चैव समाचरेत् ॥ १६ ॥
इर्यने दर्शके नित्यं सुख प्रश्नमुदाहरेत् ।
कायं प्रातर्श विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम् ॥ १७ ॥
देवागारे गवांसद्यै ब्राह्मणानां क्लिया पथे ।
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्दरेत् ॥ १८ ॥
प्रत्यादित्यं नमेहेत नपश्येदात्मनाः शकृत् ।
सह खियाथ शयनं सह भोज्वं च वर्जयेत् ॥ १९ ॥
त्वंकारं नामधेयञ्ज्ञे ज्येष्ठानां परिवर्जयेत् ।
अवरप्राणं समानाना मुभयेणां न दुष्यति ॥ २० ॥
हानशूलं कृतं यापद्यादित्यन्य वहु ग्राताः ।
वैनं मनुष्याः पश्यन्ति परवस्त्येव दिवौक्षण् ॥ २१ ॥

“अगर कोई मुझे अर्जुन को दिखा दे तो मैं उसे श्यामा, जघान, अच्छे स्वर वाली, चतुर और अलंकारों युक्त खियां हूँगा ।”^१

छाती पीट कर रोना — भारतवर्ष में खियों किसी की मृत्यु होजाने पर इकट्ठी होकर छाती पीटती हुई रोती हैं। किसी की मृत्यु के बाद यह एक आवश्यक प्रथा सी बन गई है। महाभारत काल में भी खियां इसी प्रकार शोक के अवसरों पर छाती पीट कर रोया करती थीं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश सुन कर राज धराने की खियां खूब ज़ोर से रोते लगीं—

“राज धराने की खियां ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। वे अपने बालों को नोचती और चिल्हाती थीं, हाय हाय करके छाती और सिर पीट रही थीं।”^२

राज परिवार रक्षक — राज धराने की खियों, उनकी सखियों और कुमारियों की रक्षा के लिये दाराध्यक्ष नाम से कुछ पुरुष नियुक्त किए जाते थे। इन का काम राजपरिवार की खियों की रक्षा तथा निरीक्षण करना था, ये रक्षक प्रायः बूढ़े और नर्पुसक होते थे।

“खियों के बूढ़े रक्षक राजपरिवार की खियों को लेकर नगर की तरफ गए। ये दाराध्यक्ष हाथों में बैठ लिये हुए थे।”

सिर सूंधमा — वयोवृद्ध लोग अपने प्रिय लोगों के ग्राति अपना ग्रेम दिखाने के लिये उनके सिर सूंधते थे। उद्योग पर्व में आता है कि—

“कन्या के प्रदक्षिणा कर लेने पर उसका सिर सूंध कर झूंपि करव उससे बिदा हुए।”^३

१. तथा ध्यस्मै पुनर्दद्यां खोणां शतमसंकृतम् ।

श्यामानां मिष्ठ कश्ठीनां गोवदाद्य विपश्चिताम् ॥ ७ ॥

(कर्ण पर्व अ० ३८)

२. ततस्तु योवितो राजश्वकन्दन्त्यो वै मुहुर्मुदुः ।

कुर्य इव शब्देन नादयम्यो महीतलम् ॥ ८५ ॥

आजच्छुष्टुःकरजैश्चापि पाविभिष्य शिरांस्त्वुत ।

लकुञ्जुष्टु तदा केयाद्य क्रोशन्यस्तत्र तत्रह ॥ ८६ ॥

हाहाकार निनादिन्यो विनिधनाना उरांतिव ।

प्रोशयन्यस्तत्र रुद्धुः क्रन्दमानाः विशाम्यते ॥ ८७ ॥

(शत्य० अ० २८)

३. (क) ततो वृद्धा महाराज योवितां रक्षिणोनराः ।

राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ ८८ ॥

(ख) वेच्चव्यापक्त इत्याश्च दाराध्यक्षा विशाम्यते ॥ ८९ ॥

(ग) वाहनेषु समारोष जग्धयक्षाः प्राद्रवद्य भयाम् ॥ ९० ॥

(शत्य० अ० २९)

४. इत्यामन्त्र्य सुथर्मां स कृत्वा चमिग्रदधिष्ठात् ।

कन्यां चिरचि उपाप्राय प्रविवेश महीतलम् ॥ ९१ ॥

(उद्योग० अ० ९६)

प्रदक्षिणा करना— बिदाई के समय छोटे बड़ें की प्रदक्षिणा करते थे, जीव पर्व में आता है— “कृप, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि ने बिदा होते समय धूतराष्ट्र की प्रदक्षिणा कर के गंगा की तरफ अपने घोड़ों को बढ़ाया।”^१ इसी प्रकार जब युधिष्ठिरादि वारणावत की ओर जाने लगे तब सब पुराणी उनके पीछे चल दिये। परन्तु—

“युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर वे उस की प्रदक्षिणा कर के वापिस चले आये।”^२

भद्र्या भद्र्य— उस समय भक्ष्याभक्ष का धार्मिक दृष्टि से प्रायः कोई विशेष विवेक नहीं किया जाता था। मांस भक्षण साधारण रूप से प्रचलित हो चुका था। मांस भक्षण के सम्बन्ध में महाभारत में जगह जगह प्रमाण प्राप्त होते हैं। शान्तिपर्व तथा अनुशासन पर्व में एक स्थान पर भक्ष्याभक्ष्य का प्रश्न उठाया गया है, परन्तु इन स्थानों पर मांस भक्षण का निषेध नहीं किया गया।^३ राजा युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पशु हिंसा का निर्दर्शन है।^४ इसी प्रकार श्राद्ध के समय भी मांस प्रयोग का निर्देश है।

१. इत्येवमुक्ता राजानं कृत्वाचापि प्रदक्षिणम् ।

कृपश्च कृतवर्मा च द्वे गुप्तश्च भारत ॥ १८ ॥

आवेच्यमाणा राजानं धूतराष्ट्रं मनीषिणम् ।


गङ्गामनु महात्मानः स्तरामि स्वानचोदयज्ञ ॥ १९ ॥ (जी पर्व अ० ८१)

२. एवमुत्तका ततः पौराः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ।

आशीर्विरभिवन्दयैताश्च जग्मुनेर्गरमेव हि ॥ १८ ॥ (आदिपर्व अ० १४७)

३. (अनुशासन अ० ११५ , शान्ति अ० २६२)

४. (अश्वमेध पर्व अ० ८८, शोष ४०)



* चतुर्थ अध्याय *

प्राकृतिक विज्ञान

प्रथम अध्याय में महाभारत कालीन युद्ध कौशल और अख्य शख्य आदि पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल सके हैं, इस अध्याय में तत्कालीन प्राकृतिक विज्ञान के कठिपय निर्दर्शनों को उद्धृत किया जायगा। उस समय ज्योतिष, वृक्षविद्या, गर्भविद्या आदि विज्ञान पर्याप्त व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, महाभारत में इस के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं।

ज्योतिष— नक्षत्र विद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन सम्पत्ति हैं। वैदों में ग्रहों और नक्षत्रों के सम्बन्ध में अनेक सूक्त हैं। ज्योतिष सम्बन्धी बहुत सी बातें भारतवासियों के नैतिक अनुष्ठानों का अङ्ग बन गई थीं। महाभारत के समय भी साधारण प्रजा तक नक्षत्र विज्ञान की बहुत सी बातों से साधारणतया परिचित थी। आदिपर्व में द्वौपदी को दूषद उपदेश देता है कि—

“जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा का श्रवण से और अरुन्धती नक्षत्र का वसिष्ठ से है तू वही धनिष्ठ सम्बन्ध अपने पतियों से जोड़ रहना ।”^१

महायुद्ध के समय धोर नक्षत्रों का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

“सूर्य का राहु से ग्रस्त होना, श्वेतग्रह का चित्रा को अतिक्रमण करना, धूम केतु का पूर्व नक्षत्र में उदय होना, अङ्गारक की महानक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में वृहस्पति का भग्न नक्षत्र को अतिक्रमण करके राहु का ग्रास करना, शुक्र का पूर्व प्रोष्टपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत ग्रह का धूम सहित अग्नि के समान चमकना, ऐन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, भ्रुव का खूब प्रज्वलित होकर बाईं ओर को हट जाना। चित्रा और स्वाति में कूर ग्रह का होना, वक्र और अनुवक्त चाल से अग्नि रूप में होकर श्रवण नक्षत्र का बहारपशि नक्षत्र मरडल में लाल रूप धारण करना, बड़े सप्तर्षियों का प्रकाश नष्ट हो जाना, वृहस्पति और श्वनि का विशाला नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदय रहना, चतुर्दशी पञ्चदशी और भूतपूर्वी शोडशी इन तिथियों में भी सूर्य और चन्द्र दोनों

१. रोहणी च यथासीमे दमयन्तो यथानसे ।

यथा ये अवयोभद्रा वसिष्ठे चायरुन्धती ।

यथा कारायणे लक्ष्मी स्त्रशात्वं भव भत्तु ॥ ६ ॥ (आदि० अ० २५१)

का ग्रहण होना, और उल्कापात ये सब चिन्ह जनता के भयंकर विनाश और भारी घिपति के सूचक हैं ।”^१

इस का अभिप्राय यह है कि तत्कालीन भारतवासी इन उपर्युक्त ग्रहों की गति, स्थिति और अवस्था का ज्ञान खूब गहराई तक रखते थे। परन्तु इस से यह न मान लेता चाहिये कि उनका सम्पूर्ण उत्तोतिष्ठ ज्ञान बिलकुल शुद्ध था; कई नक्षत्रों के विषय में उनका ज्ञान सर्वथा भ्रम पूर्ण था, उदाहरणार्थ चन्द्र में वह एक खरगोश को बैठा हुबड़ मानते थे। भीष्मपर्व में सुदर्शन द्वीप का वर्णन करते हुए लिखा है—

“महाराज, यह द्वीप चारों ओर से मण्डलाकार है। इस द्वांप पर नदियाँ भीलें, बादल के स्तम्भ रखत, नाना प्रकार के नगर और उद्यान हैं, इसे चारों ओर से सुदृढ़ नै देता हुआ है। जिस प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखता है उसी प्रकार सुर्दर्शन द्वीप में चन्द्र मण्डल का अतिविष्व दिवाई देता है। अतिविष्व के अनुसार अगर हम चन्द्र के चार भाग करें तो उन में से दो भागों में पीपल का एक बड़ा वृक्ष है और शेष दो भागों में एक बहुत बड़ा खरगोश है।”^२

१. अभीदण्ठ कम्पये भूमिरकं राहुरपैति च ।

इथेतो ग्रहस्तधा चिन्मयं समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२ ॥

भूमकेतुर्महायोरुप्यमक्रम्य तिष्ठति ।

सेनयोरशिवं धोरं करिष्यति महाग्रहः ॥ १३ ॥

मधात्वङ्गारको ध्रुक् ग्रन्थे च वृहस्पतिः ।

भग्नं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यं पुत्रेण यीड्यते ॥ १४ ॥

शुक्रः प्रोष्टपदे यूर्ध्वं समारुद्धा विरोचते ।

घनरेतु परिक्रम्य सहितः समुदीक्ष्यते ॥ १५ ॥

इवेतो ग्रहः प्रज्वलितः सधूम इव पावकः ।

शेन्द्रौ लेजस्त्व नक्षत्रं जयेष्ट्रामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६ ॥

ग्रहः प्रज्वलितो धोरमपसन्त्यं प्रवर्तते ।

रोहणीं पीड्यस्तौतातुभी शशिभास्करी ॥ १७ ॥

चित्रास्त्रात्यन्तरे वैश्विष्ठितः परष्प ग्रहः ।

घकानुवक्रं कृत्वा च अवणं पावक प्रभः ॥ १८ ॥

ब्रह्मरात्मि समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १९ ॥

प्रसन्नयुरुक्ताः सनिध्यैता शक्राशनि सम प्रभाः ॥ २० ॥

विनिसृत्य महोरुक्तामिस्तमिरं सर्वतो दिशम् ।

अन्योन्यमुपष्टितद्विस्तत्रचोक्तं महर्षिभिः ॥ २१ ॥

भूमिपाल सहस्राणां भूमिः पास्यति शोकितम् ॥ २२ ॥

(भीष्मपर्व अ० ३)

२. सुदर्शनं प्रवह्यामि द्वीपम्बुकुरनन्दन ।

परिमरणलो महाराज द्वोपोऽसौ चक्रस्तिथः ॥ १३ ॥

नदी जल प्रतिच्छासः पर्वतैश्चाभ्य संभ्रमैः ।

पुरैश्चिविधाकारैः रस्यैर्जन पदेस्तथा ॥ १४ ॥

ज्योतिष विज्ञान के अनुसार चन्द्र का यह चित्र नितान्त अशुद्ध है ।

चिकित्सा— उस समय चिकित्सा दो प्रकार से की जाती थी—मन की प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर—जिसे भाज कल मैट्मरिक होलिङ् कहते हैं—और औषधियों द्वारा । कर्ण पर्व में युधिष्ठिर के सम्बन्ध में लिखा है कि “वह औषधि और मन्त्र चिकित्सा के प्रभाव से शीघ्र ही स्वस्थ होकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिये चला गया ।”^१

उस समय घार्वों को भरने के लिये ‘विशल्यं करणी’ नाम की एक औषधि प्रयुक्त की जाती थी । गहरे से गहरे घार्वों को भरने में भी यह औषधि आश्र्य कारी प्रभाव दिखाती थी । युद्ध के समय इस औषधि का खूब प्रयोग किया जाता था । भीष्म पर्व में लिखा है—“विशल्यंकरणी औषधि का उपचार करने से दुर्योधन के घाव बहुत शीघ्र अड़े हो गए ।”^२

गर्भ विज्ञान— खी पर्व में विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा है—

“जन्म होने के बाद से ही प्रणियों की सब क्रियाएं दूषिगोचर होनी प्रारम्भ होती है । पांच मास बीत जाने पर उस में कुछ वेतनता आने लगती है । इस समय वह सर्वाङ्ग सम्पूर्ण हो जाता है, वह चारों ओर से मांस और रक्त से घिरा रहता है । अन्त में वात के वेग से सिर नीचे और पैर ऊपर किये हुए योनिद्वार में आकर अत्यन्त कष्ट अनुभव करता है ।”^३

वृत्ते: पुष्पफलोपेतैः सम्पन्न धनधान्यवाहृ ।

लक्षणेन समुद्रेण समन्नात् परिवारतः ॥ १५ ॥

यथा हि पुष्पः परवेदादर्थे मुखमात्मनः ।

यंत्रं सुदर्शनं द्रीपो दृश्यते चन्द्रमस्ते ॥ १६ ॥

द्विरंशो पिप्पलस्तत्र द्विरंशो च शशो महाशृ ।

सर्वैषधि समावायः सर्वतः परिवारतः ॥ १७ ॥

(भीष्म० अ० ५)

१. एवमुक्त्वा ददौ शास्त्रै विशल्यंकरणीं शुभाम् ।

शौषधीं वीर्यसम्पदां विशल्यस्त्राभवस्तदा ॥ ११ ॥

(भीष्म० अ० ८२)

२. श्रव्योपयाऽस्त्वरितो दिदुः मन्त्रौषधिभ्यां विक्षो विशल्यः ॥ ७० ॥

(महा० कर्ण० ८८)

३. जन्म प्रभृति धूतानां क्रिया सर्वोपलक्ष्यते ।

पूर्वमेवैहकलते वसते किञ्चिदन्तरम् ॥ २ ॥

ततः सप्तम्येतीते मात्रेवासमकल्यत् ॥

ततः सर्वाङ्गं सम्पूर्णो गर्भो वै सतु जायते ॥ ३ ॥

आमेष्य मध्येवसति मांस शोषित सेपने ।

ततस्तु वायुवेगेन कर्षयादोद्याधः शिरः ॥ ४ ॥

सौनि ह्रारमुषगम्य वहृहृष्टे यस्तु मृद्धति ॥ ४ ॥ (महा० ख००. अ० ४)

आश्वचिकित्सा—उस समय अध्यतिकित्सा के उत्तम उत्तम साधनों का अविश्कार हो चुका था । माद्री के बड़े पुत्र नकुल को अध्यविद्या का एक विशेषज्ञ समझा जाता था । विराट पर्व में नकुल ने स्वर्य कहा है—

“मैं अध्यात्मिका और अश्व चिकित्सा में खूब निपुण हूँ ।”^१

शरीर ज्ञान—शान्ति पर्व १८५ अध्याय में शरीर विज्ञान के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत निर्देश है । पांच भूतों से बने शरीर को पञ्चवायुण् ही लिंग रखती है । प्राण वायु मूर्धा और शरीर की अग्नि में क्रिया करती है । बुद्धि, अहंकार, विषय और पञ्चभूत ये सब प्राण से ही गतियुक्त होते हैं । अपान समान के साथ ही मनुष्य के मध्य भाग में कार्य करता है । मनुष्य के प्रयत्न कर्म और बल में उदान सब से अधिक आवश्यक है । यह शरीर के सब जोड़ों में रहता है, इत्यादि । प्राचीन वैद्य तथा चिकित्सक इसी शरीर विज्ञान के आधार पर अपनी चिकित्सा करते थे ।

विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त—विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शान्ति पर्व में लिखा है—“उस वायु और जल के पिण्ड में सम्पूर्ण तम को निवारण करने वाला अग्नि उत्पन्न हुआ । तब अग्नि, वायु और जल मिल कर एक बादल के रूप में हो गया, यह बादल धीरे धीरे कठिन होकर भूमि बन गया ।”^२

आज कल के वैज्ञानिक भी विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लगभग इस से मिलता जुलता सिद्धान्त ही मानते हैं ।

वृक्षों में जीव—आर्ष सिद्धान्त के अनुसार संसार के प्रत्येक पदार्थ में एक चेतन शक्ति काम कर रही है । वृक्ष और बनस्पतियों में चेतनता है, वे स्वयं बढ़ती हैं । इस सम्बन्ध में हम शान्ति पर्व में वार्णत भृगु और भारद्वाज के सम्बाद का कुछ अंश उद्धृत करते हैं—

“भृगु ने कहा—कठिन वृक्षों में भी निःसन्देह आकाश होता है, उन में कभी नए फूल निकलते हैं, कभी नये पत्ते । गर्भों से पत्ता मुरझा जाता है, फल फूल भी कुम्हला जाते हैं, इस से वृक्षों में स्पर्श की शक्ति

१. कुशलोऽस्यश्व शिवायां तथैवाश्व चिकित्सने ॥ ३ ॥

(विराट प्र० ३)

२. तस्मिन् वायवस्तु संघर्षं दीप्तेजा महाबलः ।

प्रादुरभूत्यश्चिलः कृत्वा निस्तिमिर्ण नभः ॥ १४ ॥

अग्निः पदन रंयुक्तः खं समाज्जिपतेजलम् ॥

सोग्निर्माहत संयोगाद् घनत्वमुपजायते ॥ १५ ॥

स उधातत्वं माप्त्वा भूमित्वमनुगच्छति ॥ १६ ॥

(शान्ति प्र० १८३)

सिद्ध होती है। वायु, मेघ गर्जन और जिली के गिरने से फल फूल भड़ जाते हैं, इस लिये वृक्ष में सुनने की शक्ति भी माननी चाहिये। लता वृक्ष पर चढ़ जाती है, उस के चारों ओर लिपट जाती है, इस लिये उस में देखने की शक्ति भी मालती चाहिये। अच्छी गन्ध और अनुकूल वायू के प्रभाव से वृक्ष फलते फूलते हैं, रोग रहित हो जाते हैं अतः उन में गन्ध शक्ति भी स्वीकार करनी होगी। वे पैरों से पानी सींचते हैं, रोगी हो जाते हैं, उन के रोग की चिकित्सा भी की जाती है इस लिये उन में रसना शक्ति भी माननी चाहिये। वृक्ष को वृद्धि के लिये जल वायु दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें दुब सुख भी अनुभव होता है। कटा हुआ वृक्ष फिर उग आता है अतः मेरा विश्वास है कि वृक्ष अचैतन नहीं है॥”^१

तत्कालीन शिल्पके कुछ नमूने पहले अध्यायों में दिखाए जानुके हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध के समय जो प्रदर्शनों को थी वह इसका एक उत्तम उदाहरण है। तत्कालीन रंग शालाएं, वेद शालाएं, राज प्रासाद और इन्द्र प्रस्त में मर्यकी बनाई अद्भुत वस्तुएं भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण हैं। चित्रकारी, धातु का कार्य, गान्धर्व विद्या और धनुर्वेद आदि कलाओं और शिल्पों के प्रमाण तो महाभारत में जगह जगह प्राप्त होते हैं। इन सब उदाहरणों से तत्कालीन भौतिक शिल्प पर्याप्त उन्नत प्रतीक होता है।

१. भृगुर्वाचः—

घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः ।
तेषां पुष्प फल व्यक्तिनित्यं समुपद्यते ॥ १० ॥
उष्मतो म्लायते पर्यं त्वक् फलं पुष्पमेवच ।
म्लायते शीर्यते चर्त्पि स्पर्शस्तेनात्वं विद्यते ॥ ११ ॥
वाय्वग्न्यशनि निर्घीषैः फलं पुष्पं विशीर्यते ।
ओक्तेण वृक्षते शब्दः तस्माच्छृश्वन्ति पादपाः ॥ १२ ॥
वस्त्रो वेष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति ।
न ह्यदृष्टेष्व मार्गोऽस्ति तस्मात् पर्यन्ति पादपाः ॥ १३ ॥
पुरया पुरयैस्तथागन्पै धूपश्चैव गच्छति ।
आरोगाः पुण्यताः सन्ति तस्माच्चिन्निति पादपाः ॥ १४ ॥
पादैः सलिलं पानात्त्वं व्याधीनां ज्ञापि दर्शनात् ।
व्याधिप्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसना दुमे ॥ १५ ॥
वक्षेषोन्पलं न लेन यथोच्चैः जलमाददेत् ।
तथा पवनं संयुक्तः पाहैः पिबति पादपाः ॥ १६ ॥
सुख दुःखयोश्च ग्रहणात् विक्षस्यच विरोहणात् ।
जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं त विद्वाते ॥ १७ ॥

* पञ्चम अध्याय *

—१५६५—

शिल्प वैभव तथा वाणिज्य व्यवसाय.

महाभारत काल में भौतिक उच्चति की दृष्टि से भारत वर्ष संसार भर में सब से उच्चत देश था। भारत वर्ष का शिल्प तथा आन्तरिक और बाह्य व्यापार खूब बढ़ा चढ़ा था। उन दिनों भौतिक उच्चति के व्यापार, शिल्प, कृषि और गो-रक्षा (पशु पालन) ये चार मुख्य साधन समझे जाते थे, इन का सम्मिलित नाम 'वार्ता' था। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में वार्ता विद्या पर कोई एक ग्रन्थ नहीं मिलता है। हाँ, कृषि, व्यापार, समुद्र यात्रा आदि विषयों पर मिश्र २ तन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पशु पालन पर हस्त्यायुर्वेद और नकुल कृत शालि होत्र आदि दो चार ग्रन्थ ग्रास होते हैं। वाणिज्य के लिये ब्राह्मण काल का मायावेद प्रसिद्ध है, इस के द्वारा तत्कालीन महाजनी के सम्बन्ध में बहुत सी वार्ते ज्ञात होती हैं। महाभारत द्वारा भी यद्यपि तत्कालीन भार्ता का पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। तथापि उसमें बहुत से खलों पर वार्ता की चर्चा अवश्य है। सभा पर्व में नारद ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए हैं उन में इस सम्बन्ध के भी कुछ प्रश्न हैं—

“क्या तुमने हस्तिसूत्र, अश्वसूत्र और रथ सूत्रों का अध्ययन किया है ? क्या तुम धनुर्वेद और मन्त्र सूत्र के अनुसार अभ्यास करते हो ?”^१

इस से प्रतीत होता है कि इन विषयों पर उस समय प्रभूत मात्रा में साहित्य उपलब्ध होता था जो कि आज कल प्राप्त नहीं होता।

व्यापार व्यवसाय को राज्य की सहायता— उस समय व्यापार और शिल्प के कार्यों की राज्य की ओर से भी सहायता की जाती थी। मिश्र २ व्यवसायों को मिश्र २ अनुग्रात में राज्य की ओर से सहायता और परितोषक आदि देकर उत्सासित किया जाता था। उपर्युक्त प्रकरण में ही नारद पूछते हैं—

“क्या तुम अपने सजातियों, गुरुओं, वृद्धों, व्यापारियों और आश्रित शिद्धियों की धन द्वारा सहायता करते हो ?

“क्या तुम्हारे कर संग्रह करने वाले अधिकारी धन लाभ के लिये आप विदेशी व्यापारियों से ठीक और उचित कर लेते हों ? क्या तुम्हारे राष्ट्र के

१: कद्मित्सूत्राणि बर्वर्णिष्य गृह्णाति भरतवर्षम् ।

एस्ति सूत्रास्तसूत्राग्निरथसूत्राग्निवा विभो ॥ १२० ॥

कद्मिदस्यस्यते सम्यक् गृह्णते भरतवर्षम् ।

धनुर्वेदस्य सूत्रं वै यन्त्र सूत्रवृद्ध नागस्म् ॥ १२१ ॥

व्यापारी विना धोखेबाजी के अच्छा माल तैयार करते हैं ?

“क्या तुम राष्ट्र के सब शिल्पियों को चार चार मास बाद नियत किया हुआ धन और उपकरणादि देते हो ?

“क्या तुम्हारा कृषि विभाग और उद्यान विभाग ठीक २ चल रहा है ?

“क्या देश का व्यापार व्यवसाय तुम्हारी सहायता से सज्जनों के हाथ में ठीक चल रहा है ? राष्ट्र की उच्चति के लिये व्यापार व्यवसाय का उन्नत होना नितान्त आवश्यक है ।” ३

पशु पालन— पशु पालन वार्ता का एक मुख्य भाग है। प्राचीन समय के वार्ता विद् (अर्थ शास्त्र) पशु पालन को बहुत महत्त्वादेते थे। चल सम्पत्ति में पशु ही सब से मुख्य थे। पशुओं की चिकित्सा और शिक्षा के लिये राज्य की ओर से इस कार्य में निषुण मनुष्य नियुक्त किए जाते थे। महाभारत के समय युद्धों के लिये हाथी और घोड़ों को इतना निषुण कर दिया जाता था कि वे एक साथ हजारों की संख्या में युद्ध के लिये विधिपूर्वक सहायक हो सकें। गोपालन के लिये भी राज्य की ओर से यथेष्ट प्रबन्ध किया जाता था। विराट पर्व में लहदेव अपना नाम तन्त्रपाल रख कर राजा विराट के पास जाकर कहता है—

“पांचों पाँडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़ा है। उसके प्रथम विभाग में सौ सौ गौवों के १८ हजार रेवड़ थे। दूसरे विभाग में १० हजार और तीसरे में २० हजार रेवड़ थे। मैं राजा युधिष्ठिर का ‘गोसंख्य’ (Registrar of the cattle records) था। मैं ने इन गौओं का पूरा हिसाब रखा हुवा था। मैं पशु पालन, पशु वृद्धि और पशु चिकित्सा के सब उपाय जानता हूँ। मैं अच्छे बैलों की पहचान और लक्षण भी जानता हूँ। मैं ऐसे बैलों को भी जानता हूँ जिन

२. कठिचत्तगतीन युद्ध वृद्धाक्ष विष्णुः शिल्पिनः चिताह ।

श्रभीद्वग्नमनुगृह्णाति धनधार्यनेन दुर्वाक्ष ॥ ७१ ॥

कञ्जिद्व्यागता द्वाराद् विष्णु लाभ कारकात् ।

यथोक्तमवहर्यन्ते शुश्कं शुक्लोपंजीविभिः ॥ ७१४ ॥

कञ्जित्ते पुरुषाः राजहु सुरे राष्ट्रे च मानिताः ।

उपानयन्ति पश्यानि उपधाभिरविज्ञताः ॥ ७१५ ॥

इव्योपकरणं कठिचत् सर्वदा सर्व शिल्पिनाम् ।

चातुर्मास्यवरं सद्यग्नि नियतं सद्यप्रयज्ज्वसि ॥ ७१८ ॥

कठिचत्ते कृषितन्त्रेतु गोपु युष्य फलेतु च ॥ ७१७ ॥

कठिचत्तनुष्ठिना तात वार्ता ते साधुमिर्जनैः ।

वर्तायां सधितस्तात लोकोयं शुखमेष्यते ॥ ७८ ॥

के मूल को सूध कर ही बन्ध्या गौण सन्तान उत्पन्न करने लायक बन जाती है ।”^१

इस पर विराट् ने उत्तर दिया— “मैं घोड़ों के स्वभाव और उन्हें सधाने के सम्पूर्ण उपाय जानता हूँ । दुष्ट घोड़ों को सधाने के उपाय और कमज़ोर घोड़ों को मज़बूत करने के आयुर्वेदीय उपाय जानता हूँ । मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी नहीं बिगड़ता । मेरे पास एक भी बिगड़ी हुई घोड़ी नहीं है फिर घोड़े बिगड़ ही कैसे सकते हैं ।”^२

सूती और ऊनी वस्त्र— महाभारत के समय तक भारत का वस्त्र अवसाय बहुत उन्नत हो चुका था । यहाँ से बहुत महीन २ वस्त्र तैयार होकर विदेशों में भी जाया करते थे । यूनानी ऐतिहासिक हिराडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में ऊन वृक्षों पर लगती है । इस समय भारत में रुई, ऊन, केले के पत्तों और नाना प्रकार के रेशम से कपड़े बना करते थे । सभा पर्व में महाराज युधिष्ठिर के लिये अन्य देशीय राजाओं द्वारा लाए गए उपहारों का वर्णन इस प्रकार है—

“कार्पसिक देश की जो सैकड़ों दास दासियाँ उपहार लेकर आई थीं, वे सभा में प्रवेश ही न पा सकीं ।”^३

१. पञ्चानां पारहु युवाणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः ।
तस्याहुशतसाहस्रा गवांदर्गाः शतशतम् ॥ ८ ॥
तेषां गोसंख्य एवासं तन्मपालेति मां विदुः ।
शपरे दशत्राहस्राः द्विस्ताब्नास्तश्यापरे ॥ १० ॥
भूतं भद्रं भविष्यत्त्वं यद्व संख्यागतं गवाम् ।
नमेऽस्त्यविदितं किञ्चित्स्मन्नादययोजनम् ॥ ११ ॥
जिप्रं च गावोबुद्धा भवन्ति न तातु रोयो भवतीह कस्तत ।
तैत्तैरुपायै विदितं ममैत्तदृशताति शिशपानि मयि स्तितानि ॥ १२ ॥
कथमाश्यापि जानामि राजश्य पूर्जित लक्षणात् ।
- येषां सूचमुपाद्याय अपि वस्त्र्या प्रसूते ॥ १४ ॥ (विराट० अ० १०)

२. यस्त्वानां प्रकृतिं वेद्वि विनयं चापि सर्वशः ।
दुष्टानां प्रतिपर्तिं च कृत्स्नं च चिकित्सितम् ॥ ७ ॥
न कातरं स्याम्यम जातुवाहनं नमेऽस्तिदुष्टा वक्षवाः कुतो हयाः ॥ ८ ॥
- (विराट० अ० १२)

३. एवं वस्त्रि समादाय प्रवेशं लोभिरेन ए ।
शर्तदाती सहस्राणां कार्पसिक शिवादिमास् ॥ ७ ॥ (अभा० ५१)

“चोल और पाण्डित देश के लोग उपहार में हीरे, मोती और महीन वस्त्र लाए ।”^१

“सिंहलद्वीप से सैकड़ों शानदार गढ़े आए थे ।”^२

“दक्षिण देश का राजा अपने साथ पेटियां, मालाएं और पगड़ियां लाया ।”^३

“उत्तर देश वासियों ने अपनी भैंट में दिव्यवस्त्र, गहने दुशाले और मृगचर्म दिये ।”^४

“कम्भोज देश के राजा ने चूहे और बिली के बालों से बने और सोने की पच्चीकारी से युक्त परदे भैंट किए ।”^५

“हमालय वासियों ने हिमालय के पहाड़ी बकरों की ऊन के वस्त्र और सुन्दर सूत तथा रेशम के वस्त्र उपहार में दिए ।”^६

“पूर्व देश के राजा अपने साथ कोमती आसन, सचारियां, सर्जे, कबच और शख अल्प लाए ।”^७

इस के साथ ही महाभारत में जगह जगह आए हुए ‘सूक्ष्म कम्बल वासिनो’ और ‘पीत कौशेय वासिनो’ आदि विशेषण उस समय के उच्चत शिल्प वैभव का प्रमाण दे रहे हैं ।

धातु शिल्प

प्राचीनकाल में धातु शिल्प पर्याप्त उन्नत था । सोना, चांदी, टीन और सीसा इन धातुओं की अनेक सुन्दर और उपयोगी वस्तुएँ तैयार की जाती थीं । आज कल की तरह लोहे का उपयोग उस समय भी अन्य सब धातुओं

१. मणि रस्नानि भास्वन्ति काङ्क्षनं सूक्ष्म वस्त्रकम् ॥ ३५ ॥ (सभा० ५२)

२. शतशश कुशास्त्रं सिंहलाः समुपारहत् ॥ ३७ ॥ (सभा० अ० ५२)

३. ततो दिव्यनि वस्त्राणि दिव्यान्न्याभरणानि च ।

क्षौमाजिनानि दिव्यानि तस्य ते प्रददुः काम् ॥ १६ ॥

४. दाचिषात्यः संनहने चुग्णाते च मागधः ॥ ७ ॥ (सभा० अ० ५३)

५. ग्रोर्णात् वैलाक्ष वार्षदंशात् जाततृप परिष्कृतात् ।

प्रावारात्निन मुख्यांशु कम्बोजः प्रददौ वहत् ॥ ३ ॥ (सभा० ५१)

६. जर्णान्त्रात् वचैऽ कोटजं पदजं तथा ।

कुरीकृतं तदैश्वात्र कमलार्भं वहत्याः ॥ २५ ॥

सूक्ष्मं वस्त्रं सकार्पावं आविकं मृदु चाजिनस् ॥ २७ ॥ (सभा० अ० ५१)

७. शासदानि विविक्ति यानानि शयनानि च ॥ ३१ ॥ (सभा० ५१)

८. मुख्यस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं चपु ।

ज्ञेयं अमुमलं सीसं छीसस्यापि मलं मलम् ॥ ८६ ॥ (उत्तोग० १८)

की अपेक्षा अधिक किया जाता था । तीर के फल, तलवार, शतहिन आदि रस्ताएँ लोहे से ही बनाए जाते थे ।

सोने का उपयोग — उस समय सजावट के लिये सोने और चांदी का बहुत प्रयोग किया जाता था । महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आष हुए राजा लोग निम्नलिखित सोने का सामान उपहार रूप में लाए थे—

“राजा लोग बहुत सा सोना चांदी देकर सभा मण्डप में ब्रवेश पासके ।”^१

“पूर्व देश के राजा मणि और सोने अद्वितीय की चित्रकारी से युक्त हाथी दांत के कवच, नरना प्रकार के शश और सोने के पत्रों से मढ़े रथ देकर अन्दर ब्रविष्ट हो सके ।”^२

“खश और दीर्घवेणु आदि देशों के राजा ‘पीपीलिक’ नामक सोना लाए । इस सोने को चीटियां खोदती हैं ।”^३

इस पीपीलिक सोने का वर्णन मैगस्थनोजु के यात्रा वृत्तान्त में भी उपलब्ध होता है ।

“किरात लोगों ने रत्नों और सोने के ढेर महाराज युधिष्ठिर को दिए ।”^४

“अङ्ग बङ्गादि देशों के सब राजाओं ने एक २ हजार हाथी दिए, राजा चिराङ् ने दो हजार हाथी तथा सुराष्ट्र के राजा ने २६ हाथी और २००० घोड़े भेंट किए । इन सब हाथियों के हौदों पर तथा घोड़ों की ज़ीनों पर सोने चांदी का काम किया हुआ था ।”^५

१. प्रमाणराग सम्पन्नाङ् वक्तुतीर समुद्रवाहृ ।

बल्यर्थं ददतस्तस्मै हिरश्यं रजतं बहु ॥ ११ ॥ (सभा० ५१)

दत्वाप्रयेणं प्राप्तस्ते युधिष्ठिर निवेशने ॥ ३० ॥ (सभा०-५१)

२. मणि काम्बुन चिदाणि गजदन्त मयानि च ।

कषचानि विचित्राणि शस्त्राणि विविधानिच ॥ ३३ ॥

रथाश विविधाकाराङ् जातरूप परिष्कृतगृह ॥ ३३ ॥ (महा० सभा० ५१)

३. तद्वैपीलिकं नाम उभूतं यत्पियोलकै ।

जातरूप द्रोणमैर्यं महार्षुः पञ्चशो वृपाः ॥ ४ ॥ (सभा० ५२०)

४. चर्मरत्र सुवर्णानां गन्धानांच राशयः ॥ १० ॥

५. दत्तैकैकोदश शततान्कुञ्जाराङ् कवचावृवाहृ ॥ २१ ॥ (सभा० ५२)

विराटेन तु मत्स्येन बल्यर्थं हेममालिनाम् ।

कुञ्जाणां सहस्रे ह्रे मत्तानां समुषाहते ॥ २६ ॥

यासुराङ्गद्वसुदानो राजाष्ट्रदिशति गजाहृ ।

अक्षवानां च सहस्रे ह्रे राजाङ् काञ्जुन मालिनाम् ॥ २७ ॥

“युधिष्ठिर के दान से प्रतिदिन ८८ हज़ार गृहस्थी ज्ञातक और १० हज़ार यती सोने चाँदी के वर्तनों में भोजन करते थे ।”^१

“मत्स्य देश के राजा ने सोने से मढ़े हुए जुआ खेलने के पांसे महाराज युधिष्ठिर को भेट किये ।”^२

मणि— सोना चाँदी के अतिरिक्त मोती और मणियां भी उस समय प्रभूत मात्रा में प्रयोग में लाई जाती थीं। समुद्रों से मोती निकाले जाते थे। मणियों में वैदूर्य मणि विशेष कीमती समझी जाती थी। उपर्युक्त प्रकरण में ही आता है—“लंका के राजाने समुद्र के सारभूत वैदूर्य मणिके हैर मेंट में दिये ।”^३

पारडु के साथ माद्री का विवाह होने पर भोष्म ने सज्जा और नकली सोना, रत्न, आभूषण, मोती आदि उपहार रूप में दिये थे।

स्वर्ण मुद्रा— आदि पर्व में वर्णन आता है कि— “पारडु के घन जाने पर उसकी दोनों दियरों ने अपने सिर में लगाने की मणि, सोने के सिक्के, बहुमूल्य आभूषण आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दीं ।”^४

सोने की कुर्सियाँ— “श्री कृष्ण जब पारडवों के समीप आए तब पारडवों ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। उन्हें सोने के एक बहुमूल्य आसन पर बैठाया गया। उन के बैठ जाने पर सब पारडव भी अपने २ आसनों पर बैठ गये ।”^५

प्रेमोपहार— “श्री कृष्ण ने पारडवों के विवाह पर उन्हें वैदूर्य मणि से चित्रित सोने के आभूषण, बहुमूल्य वस्तु, विविध प्रकार के शाल दुशाले,

१. अष्टाशीति सहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः ।

दशान्यानि सहस्राणां यतीनामूर्ध रेतसाम् ॥ ४७ ॥

भुजते क्रमयात्रीभिः युधिष्ठिर निवेशने ॥ ४८ ॥ (समा० ४२ ॥)

२. मत्स्यः स्ववाङ् एकलठयः हेमवद्वानुपानही ॥ ८ ॥ (समा० ४२ ॥)

३. समुद्रसां वैदूर्यं सुकासंघास्तथैव च ॥ ३६ ॥ (समा० ४२ ॥)

४. ततश्चूडामणिं निष्कमङ्गदे कुरुदलानिच ।

वासर्वि महार्दीणि ऋणामाभरणानि च

प्रदाय सर्वं विप्रेभ्यः पारडुः पुनरभाषतः ॥ ३८ ॥ (आदि० अ० ११६)

५. आसने काञ्चने शुद्धे निषसाद महामनाः ।

अनुज्ञातास्तु ते तेन कृष्णेनामित तेऽसा ।

आसने पु महार्हे तु निषेदुर्विषयां त्रयः ॥ ३ ॥

महीन खालें तथा वस्त्र, कुर्सियें, रथ, सोने चाँदी के वर्तन, नौजवान सुन्दर दासियें तथा लाखों सिक्के उपहार में दिये ।”^१

गृहनिर्माण विद्या — भवन निर्माण विद्या का प्राचीन ताम वास्तु विद्या है। प्राचीनकाल का सब से बड़ा शिल्पी और इज्जतीयर विश्वकर्मा हुआ है। भारत के शिल्पी आजूतक अपने को उस का वंशज कहते हुए अभिमान अनुभव करते हैं। महाभारत के समय तक गृह निर्माण विद्या बहुत उच्चत अवस्था तक पहुंच चुकी थी। खारडव चन्द्र के दाह के अनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने जो किला बनवाया था उस के भगतावशेष आज भी उस की मज़बूती का परिचय दे रहे हैं। इसी किले में मय नामक असुर जाति के एक व्यक्ति ने जिस गौरवपूर्ण राज सभा का निर्माण किया था उस का वर्णन ऋषिवर व्यास के शब्दों में इस प्रकार है—

“उस राज सभा के वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उस की लम्बाई १० हज़ार हाथ थी। उस के भवन अरिन, चांद और सूर्य के समान चमकते थे। उस की ऊंची अद्वालिकाओं ने बादल को तरह आकाश को घेर रखदा था। उस में लगाया हुआ समर्पण सामान बहुत बढ़िया था, उस के कोट में सुन्दर पत्थर लगे थे। विश्वकर्मा ने उस के लिये नाना प्रकार के अमूल्य चित्र तैयार किए। इस सभा भवन के मुकाबले का संसार भर में एक भी भवन नहीं था। उस की रक्षा के लिये बड़े बड़े बलवान योद्धा नियुक्त किए गए। इस के अंगन में एक तालाब बनाया गया इस में नकली बेले बनाई गई; इन बेलों के पत्ते वैद्युर्य मणि से बनाए गए थे, इन की तनुएँ अन्य मणियों से और फूल सोने से बनाए गए। इस तालाब में सुगन्धित पानी भरा रहता था। इस तालाब में नकली मछलियाँ और कछुए भी थे। इस तालाब को सोडियाँ

१. ततस्तु कृतदर्शन्यः पाशुभ्यः प्राहिणोदुरिः ।
वैद्युर्य मणि चित्राणि हैमान्याभरणानि च ॥ १३ ॥
- वासांसित्र महार्हणि नानादेश्वानि माधवः ।
कट्टलाजिन रत्नानि स्पर्शवन्विशुभानि च ॥ १४ ॥
- शयनासन यानानि विधिवानि महान्ति च ।
वैद्युर्यमणि चित्राणि शतशोभा जनानिच ॥ १५ ॥
- रुप यौवन दाविश्यैरुपेताश्च स्वलङ्कृतः ।
प्रेष्यासमप्रन्ददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रशः ॥ १६ ॥
- रथांश्च दान्ताहृ सौयणीहृ शुभैः पट्टैरलङ्कृताहृ ।
कोटिशश्च सुवर्णञ्च तेषामकृतक्षय यथा ॥ १७ ॥
- बीतीकृतमेस मात्मा प्राहिणोस्मधुसूदनः ॥ १८ ॥ (आदि० अ० २०१)

बिल्हौरी पत्थर लो थी । सब से विचित्र बात यह थी कि यद्यपि तालाब में लबालब योनी भरा हुवा था तथापि यह एक जल रहित सुन्दर बाटिका के समान प्रतीत होता था । इस तालाब के चारों ओर सुन्दर चूतरे बने हुए थे । इस सुन्दर तालाब को देख कर सभी राजा लोग धोखा खा जाते थे । इस विशाल सभा भवन के चारों ओर सुगन्धित फूलों से लदे हुए सुन्दर बृक्ष थे ।

इस सभाभवन को १४ मासों में तैयार कर के इस की सूचना मश्नने महाराज युधिष्ठिर को दी ॥

१. सभा चक्षा महाराज शातकुम्भं मय दुम्पा ॥ २२ ॥
दश किङ्कुहसहस्राणि समन्तादायता नवत् ।
यथा वैनहैर्यशार्कस्य सोमस्य च दशा सभा ॥ २३ ॥
भाजमाना तथात्यर्थं दधार परमं वपुः ।
प्रतिग्रन्थीव प्रभया प्रभामर्कस्य भास्वरास् ॥ २४ ॥
प्रभवौ ज्वलनानेव दिव्यादिव्येन वर्चेता ।
नवमेच प्रतीकाशा दिनमावृत्य विष्टुता ॥ २५ ॥
आयता विपुला रस्या विषाम्पा विगतकुमा ।
उत्तम द्रव्यसंवर्जना रत्नप्रकाशा मालिनी ॥ २६ ॥
बहु चिक्का बहुधना निर्मिता विश्वकर्मणा ।
नदाशाहीं सुधर्मा वा ब्रह्मणेष्वाय तादृशी ॥ २७ ॥
सभा रूपेष्व संवदक्षा यांचके मतिमाहू मयः ।
तां स्म तत्र भयेनोक्ताः रक्तित च वहन्ति च ॥ २८ ॥
सभामष्टौ सहस्राणि किङ्कुरा नाम्वराक्षसाः ।
अन्तरिक्षवराः थोरा महाकाया महाबला ॥ २९ ॥
रक्ताचा पिङ्गलाक्षाण्यु शुक्लिकर्णः प्रहारिणः ।
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिसां मयः ॥ ३० ॥
वैदूर्यं पत्रं विततां चणिनालोउडवलाम्बुजाह ।
हैम सौगन्धिकशर्तौ नालाद्विज गणयुनास् ॥ ३१ ॥
पुष्पतैः पंकजैश्चित्रां कूर्मर्मतस्यैश्च काञ्जनैः ।
चित्रस्फटिक सोपानो निष्पङ्कु यस्तिलां शुभेऽस् ॥ ३२ ॥
मन्दानिलासमुद्घृतं सुक्ता विन्दुसिराचितास् ।
महामणि शिलापट्ट बहुपर्यन्तविदिकास् ॥ ३३ ॥
मणिरत्नचितां ताल्तु केचिदभ्येत्य पार्थिवाः ।
दृष्ट्यपि नाभ्यजानलत तेऽज्ञानात्प्रपतन्त्युत ॥ ३४ ॥
यां सभांमेभितो नित्यं पुष्पवन्तेमहाकुमाः ।
आसक्ताना विधा नीला शीतच्छाया मनोरमाः ॥ ३५ ॥
ईदृशीं तां सभां कृत्वा मासैः परिचरुर्दशैः ।
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजवृत्त्यवेददत् ॥ ३६ ॥ (सभा० अ० ३)

इसी समा भवन में विश्वकर्मा ने एक विचित्र चमत्कार दिखाया था । इस ने स्फटिकों द्वारा एक ऐसा फर्श बनाया था जो पानी से भरा हुआ तालाब मालूम होता था । और ऐसे तालाब 'बनाए थे' जो जल पूर्ण होने पर भी सखे फर्श के समान जान पड़ते थे । एक ऐसे ही ॥ तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था, एक सूखे फर्श पर वह कपड़े उठा कर चला था ॥ १

इसी प्रकार ऐसे दरवाजे बनवाए गए थे जो खुले होने पर भी दीवार के समान प्रतीत होते थे, दूसरी ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए गए थे जो खुले हुए फाटक के समान जान पड़ते थे । दुर्योधन ने इस से भी धोखा लाया था । महाभारत के समय ये सब शिल्प के अद्भुत चमत्कार उपलब्ध होते हैं ॥ २

कतिष्ठ अन्य शिल्प

कृत्रिम पशु—महाभारत के समय और उस से पूर्व भी पशुओं के चर्म द्वारा उनका जीता जागता हुवा सा रूपाबना कर बड़े बड़े भवनों की सजावट की जाती थी । मनु ने भी 'काष्ठमयो हस्ति' और 'चर्ममयो मृग' का जिकर किया है । सभापर्व एक स्थान पर पाठ्डबों की उपमा कृत्रिम चर्ममय मृग से दी है ॥ ३

गुप्त मार्ग—उन दिनों युद्ध के समय सैन्य शिवरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये गुप्त मार्ग भी हुवा करते थे । वन पर्व में शत्रुघ्नीज के सैन्य शिवरों में इस प्रकार के गुप्त मार्गों का वर्णन उपलब्ध होता है ॥ ४

१. स्फटिकं स्वलभासाद् जलमित्पभिशंकया ॥ ३ ॥

स्व वस्त्रोत्कर्णं राजा कृतवाहु बुद्धिमोहितः ॥ ४ ॥

हतः स्फटिकं तोयां वै स्फटिकाम्बुज शोभिताम् ।

वार्षी मन्त्वा स्वलमिव सवासाः प्राप्ततज्ज्ञे ॥ ५ ॥

आकारं रथमापस्तु न स ताहु समुदैचत ।

पुनर्वस्त्रमुत्क्षय प्रतिरिष्यक्षिव स्पलाम् ॥ १० ॥

२. ह्वारन्तु पिहिताकारं स्फटिकं प्रेव भूमिपः ।

प्रविश्यक्षाहतोऽस्त्रिभिर्व्याघूर्णित इवस्थितः ॥ ११ ॥

ताहृष्यं चापरं द्वारं स्फटिकोऽकपाटकम् ।

विघ्नृप्यज्ञ कराभ्यां तु निष्क्रम्याग्रे परांतह ॥ १२ ॥

ह्वारन्तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः ।

तद्वयनं चेति मन्वानो ह्वारस्यानादुपारमत ॥ १४ ॥ (सभा० अ० ५७)

३. यथाकला वद्वतिलाः यथा चर्ममय मृगः ।

तथैव पास्त्रवाः सर्वैयथा काक यद्व इति ॥ १५ ॥ (सभा० अ० ७६)

४. आनीकानां विभागीत यन्म्यातः संवृताभवत् ॥ ५ ॥ (बत० अ० १६)

छत्र—भारत में राजाओं पर छत्र रखने का रिवाज बहुत पुराना है। राजा पर प्रति समय राजछत्र अवश्य रहता था। संस्कृत में छत्र का दूसरा नाम धातपत्र है जिसका अर्थ धूप से रक्षा करने वाला है। इस से प्रतीत होता है कि उन दिनों धूप से रक्षा करने के लिये साधारणतया छाते का प्रयोग होता था। भीष्मपर्व में युधिष्ठिर के छाते का वर्णन आता है—

“हाथी दांत की मूँठ वाला वह सफेद छाता बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता था ।”^१

पगड़ी और फैशन—भीष्म पर्व में योद्धाओं की पगड़ियों का वर्णन आता है। इसी प्रकरण में सैनिकों ने जिन फैशनों से दाढ़ी मूँठ कटाए हुए थे उनका भी वर्णन है! ^२

युद्ध के दिनों में राजा युधिष्ठिर के कैम्प में सोने के लैम्पों में सुगन्धित तेल जला कर प्रकाश किया जाता था। कैम्प के चारों ओर सुनहरी पगड़ियाँ पहिन कर शरीर रक्षक लोग पहरा देते थे।^३

कपड़े रंगना—द्रोण पर्व में भीम के कवच का वर्णन इस प्रकार है— घह लोहे का बना हुआ था। सोने के तारों से उस पर चित्रकारी की हुई थी। पीला, लाल, श्वेत और काला इन चार रंगों से रंगे हुए कपड़े द्वारा वह ढका गया था।^४

नगर के कोटों पर शस्त्र—प्रत्येक नगर की रक्षा के लिए उस के चारों ओर एक सुरुदृ कोट बनाया जाता था। इन कोटों पर यथेष्ट परिमाण में बड़ी बड़ी मशीनें और तोपें रक्खी जाती थीं। शान्ति पर्व में भीष्म कहते

१. समुच्छितं दन्तशलाक्षमयं सुपाशुद्धं छत्रमतीव भाति ॥ ६ ॥ (भीष्म० अ० २२)

२. उष्णीषैश्च तथा चित्रैः ॥ ७३ ॥

क्षैत्यशापविदु श्च ॥ ७५ ॥

पूर्वेन्दुद्यु तिभिर्चैव वदनैश्चारु कुष्ठलैः ।

क्ष्यामशुभिरस्यं धीराणां समलंकृतैः ॥ ७६ ॥ (भीष्म० अ० ७)

३. प्रदीपैः काञ्जुनैस्तत्र गन्धतैलादृ सेचितैः ।

परिवृद्धमहात्मानः प्रज्वलद्विः समन्नतः ॥ ३१ ॥

काञ्जुनोच्छीषिकस्तत्र देवभक्तर् पाण्यादैः ।

प्रोत्सारयन्तः शनकैस्तं जनं सर्वतोदिशम् ॥ ३३ ॥ (भीष्म० अ० ९८)

४. तस्य कार्ष्णीदत्तं वर्म हेम विवं महर्द्विसत् ।

शीतरक्ताद्वित वितै वर्मवासोभिषु सुवेषितः ॥ १२ ॥ (द्रोष० अ० १२७)

हैं—“नगर के फाटकों पर बड़ी बड़ी मशीनें रखनी चाहिये । कोट पर जगह जगह शतांचित्यें (तीव्रे) पड़ी रहनी चाहिये ।” १

मार्ग दीप— मार्गों पर और सुन्दर भवनों के आंगन में प्रकाश करने के लिये आज कल की तरह थम्बे लगा कर उन पर लैम्प भी जलाये जाते थे । अश्वमेध पर्व में बलराम द्वारा बसाय गये रेवतक पर्वत का वर्णन आता है । इस के घर और बाग बहुत सुन्दर थे । मार्गों पर बहुत ही मनोहारी स्तम्भ दीपों द्वारा प्रकाश किया जाता था । इन लैम्पों की बदौलत यहां २४ घण्टे दिन ही बना रहता था । २

विदेशों से पशु— युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बहुत से विदेशी राजा लोग अपने साथ अच्छे अच्छे पशु भी उपहार में देने के लिये लाये थे । कस्मोज का राजा दो बहुत ही दुर्लभ जातियों के ३०० घोड़े तथा ३०० ऊंठ अपने साथ लाया था । मरुकन्ठ से १० हज़ार दासियां भैंट में मिले । आभीर देश वाले गाय, बकरी, भेड़, ऊंट और गधे अपने साथ लाये । चीन का राजा वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े अपने साथ लाया । इसी प्रकार इन उपयोगी पालतू पशुओं के अतिरिक्त बहुत से राजा लोग उपहार में देने के लिये नाना प्रकार के मृग और पक्षी भी लाये थे । इन भेटों से ही महाराज युधिष्ठिर को हज़ारों बहुत ही बढ़िया हाथी और घोड़े प्राप्त हो गये । ३

इन सब निर्दर्शनों द्वारा महाभारत के समय भौतिक वैभव तथा व्यापार व्यवसाय आदि बहुत उच्चत अवस्था में प्रतीत होते हैं ।

१. द्वारेषु च गुरुवेष यन्त्रालि स्थापयेत्पदा ।

आगेपयेच्छतश्चीश्च स्वाधीनानि च कारयेत् ॥ ४४ ॥

(शान्ति० ६१)

२. दीपकृचैष्य सौवर्णे भौजणमुपशोभितः ।

गुहानिर्भार देशेषु दिवामूलो क्षूष्यते ॥ ७ ॥ (अश्वमेध०, ५८)

३. सभापर्व शा० ५१, ५२, ५३ ।



द्वितीय भाग

राजनीतिक इतिहास

[महाभारतकाल से प्राग्बौद्धकाल तक]

* प्रथम अध्याय *

पूर्व वचन

महाभारत काल के विविध राज्य.

पूर्व वचन— प्राग्बौद्ध काल का राजनीतिक इतिहास लिख सकना सरल कार्य नहीं है। महाभारत काल के बाद भारत में कौन सी राजनीतिक घटनायें हुईँ; इस का वृत्तान्त प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। पुराणों में केवल राजवंशों की वंशावलियाँ मात्र ही दी गई हैं। ये भी अपर्याप्त और अपूर्ण हैं। विविध पुराणों की वंशावलियाँ परस्पर विरुद्ध हैं, उन में कई शानों पर गहरे मत-भेद हैं। काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रंथ भी इस काल के सम्बन्ध में हमारी कोई सहायता नहीं करते। इस काल के ग्रीक व चीनी विदेशी यात्रियों के कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होते। पुरातत्त्व विभाग की शोध ने भी इस काल पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। इस काल के कोई शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। इस अवस्था में इस अन्धकारमय काल का राजनीतिक इतिहास लिखना असम्भव प्राय ही है। विदेशों व भारतीय ऐतिहासिकों ने इस काल के सम्बन्ध में अभी तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। श्रीयुत पार्जीट्र ने यद्यपि प्राग्-महाभारत काल पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (Ancient Histroical Tradition) में पर्याप्त प्रकाश डाला है, पर महाभारत काल के बाद के विषय में उन्होंने विविध वंशावलियों को संगृहीत मात्र करना ही पर्याप्त समझा है। मिश्रवन्धुओंने महाभारत से पहले इतिहास को पर्याप्त सफलता के साथ क्रमबद्ध किया है, पर बाद के हजारों वर्षों को वे भी बिना कुछ लिखे छोड़ गये हैं। श्रीयुत राय चौधरी ने इस काल पर कुछ प्रयत्न अवश्य किया है, पर उन्होंने अपनी पुस्तक Political History of Anceint India में इस काल के लिये वैदिक और ब्राह्मण साहित्य को अपनी अन्वेषणा का आधार माना है। हम अपनी पुस्तक के पहले खण्ड में इस साहित्य की प्राचीनता को अच्छी प्रकार सिद्ध कर चुके हैं, अतः महाभारत के बाद के काल के लिये इसका प्रयोग किसी अवस्था में नहीं किया जा सकता। श्रीयुत दलाल ने प्राचीन राजनीतिक इतिहास को लिखने के लिये बहुत उत्तम प्रयत्न किया है। पर इस काल के सम्बन्ध में वे आधे दर्जन से

अधिक पृष्ठ म लिख सके । इस से स्पष्ट है कि इस काल का राजनीतिक इतिहास सर्वथा अन्धकारमय है । फिर भी प्राचीन साहित्य का अनुशीलन करने पर इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो थोड़ी बहुत बातें ज्ञात हो सकी हैं, उन्हें कमिक रूप से लिखने का हमें यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि यह वृत्तान्त अपूर्ण तथा अपर्याप्त होगा । हम बिखरी हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं को संगृहीत मात्र कर सकेंगे, इस से अधिक कर सकना वर्तनान समय में सम्भव नहीं प्रतीत होता ।

महाभारत काल के विविध राज्य.

महाभारत युद्ध के समय सम्पूर्ण भारतवर्ष एक राज्य के आधीन था । उस समय यह देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था । महाभारतयुद्ध में पाँडवों और कौरवों का पक्ष लेकर जो विविध राजा समिलित हुवे थे, उन से इन राज्यों का अच्छी तरह अनुशीलन किया जा सकता है । महाभारत युद्ध में पाँडवों का पक्ष लेकर निम्नलिखित राज्य समिलित हुवे थे—

(१) मथुरादेश से—

१. पाञ्चाल—इस देश का का राजा द्वृपद था । यह पाँडवों का श्वसुर था । पाञ्चालराज द्वृपद अपने देश के विविध सरदारों, उपराजाओं तथा अपने १० लड़कों सहित पाँडवों की सहायता के लिये आया था । पाञ्चाल सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था । पाँडवों की सम्पूर्ण सेना का मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न ही था । पाञ्चाल सेना में उत्तरीय प्रदेशों में रहने वाली कुछ राक्षस जातियाँ भी शामिल थीं ।

२. मत्स्य—इस देश का राजा विराट् था । विराट् को लड़की उत्तरा का अर्जुन के लड़के अभिमन्यु के साथ विवाह हुवा था । पहले गौवों के लिये हुवे युद्ध में पाँडव लोग मत्स्य-राज की सहायता भी कर चुके थे । मत्स्य-राज अपनी सेना में अराकली पर्वतमाला में निवास करने वाली कुछ स्वतन्त्र जातियाँ भी लाया था ।

३. चेदी—इस का राजा धृष्टकेतु था ।

४. कारुष

५. दशार्ण

६. काशी—इस का राजा अभिभू था ।

७. पूर्वीय कोशल

८. पश्चिमीय मगाथ— इसका राजा सहदेव था । जरासन्ध की मृत्यु के बाद मगाथ का राज्य अनेक भागों में विभक्त हो गया था । पश्चिमीय मगाथ पर सहदेव का राज्य था । यह अपनी सेना में विन्ध्या-चल पर्वतों में निवास करने वाली कुछ जंगली जातियाँ भी लाया था ।

(२) पश्चिम से—

पाँडवों की सहायता के लिये पश्चिमीय भारत से यादव लोग कृष्ण के नेतृत्व में सम्मिलित हुवे थे । यादव लोग गुजरात तथा उसके पूर्ववर्ती प्रदेश में रहते थे । इन के साथ ही भोज, अन्धक, वृश्णि, सात्वत, माघव, दशाह, आहुक, कुकुर आदि अनेक जातियाँ भी विद्यमान थीं । इन में प्रजातन्त्रराज्य स्थापित था । स्वारी जाति अपना शोसन स्वयं करती थीं । ऐसे राज्य को 'गण-राज्य' कहते थे । महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने पर ये गण-राज्य एक नीति का निर्वारण न कर सके । कृष्ण की सहानुभूति पाँडवों के साथ थी । इसी तरह से अन्य भी अनेक प्रमुख पुरुष पाँडवों का पक्ष लेना चाहते थे । एर इन गण-राज्यों ने कौरवों का पक्ष लेना निश्चित किया । ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के प्रश्न पर ये गण-राज्य विभक्त होगये थे । कृष्ण ने, जो कि यादवों का नेता था, पाँडवों का पक्ष लिया था, यद्यपि यादवों की सेना कौरवों के साथ थी । इसी तरह सात्वतों का मुख्या 'युगुधान' सात्यकि एक अक्षौहिणी सेना लेकर पाँडवों की सहायता के लिये आया था ।

(३) उत्तर-पश्चिम से—

१. पांच कैकय राजकुमार उत्तर पश्चिम से पाण्डवों की सहायता के लिये आये थे । वैसे कैकयों ने कौरवों का साथ दिया था, परन्तु राजघरानों के आन्तरिक भगड़ों के कारण पांच राजकुमार पाण्डवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे ।
२. अभिसार—इस देश का राजा चित्रसेन था ।

(४) दक्षिण से—

१. पाण्डय देश— यहां का राजा 'सारङ्खूधवज' था । यह द्रविड़ देश से भी बहुत सी सेनायें लाया था ।
२. चोल

(७६)

भारतवर्ष का इतिहास ।

३. केरल

४. काश्मी

महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर सम्मिलित होने वाले राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं—

(१) पूर्व से—

१. पूर्वीय मगध

२. विदेह

३. प्राग्जयोतिष या आसाम—यहां का राजा भगदत्त था । इसको सेना में चीनी लोग भी शामिल थे ।

४. अङ्ग—इस का राजा कर्ण था ।

५. वज्र—सम्भवतः यह देश अङ्ग राज कर्ण के आधीन था ।

६. कलिंग—इस का राजा श्रुताशुध था ।

७. पुण्ड्र

८. उत्कल

९. मेकल

१०. आनन्द

(२) मध्यदेश से—

१. शूरसेन—प्राचीन काल में मथुरा के समीप यह शक्ति शाली राज्य था ।

२. वत्स

३. कोशल—इस देश के राजा का नाम वृद्धश्ल था ।

(३) उत्तर-पश्चिम से—

१. सिन्धु और सौवीर—इन का राजा जंयद्रथ था । यह वज्रा शक्ति शाली राजा थे ।

२. पञ्चनद

३. गान्धार—इस देश का राजा शकुनि था ॥

४. त्रिगर्त्त—यहां का राजा सुशमो था ।

५. मद्र—यहां का राजा शत्र्यु था ।

६. करम्बोज—यहां का राजा सुदक्षिण था ।

७. कैकय देश

८. वाहोक

६. अम्बष्ट—यहाँ का राजा श्रुतायुष था ।

१०. शिवि

(४) उत्तर से—

कौरवों की सहायता करने के लिए उत्तर से बहुत सी पार्वत्य जातियां आई थीं । ये हिमालय की पर्वत मालाओं में निवास करती थीं । खश, किरात, पुलिन्द, हंसपाद आदि इन में मुख्य हैं ।

(५) मध्यभारत से—

१. यादव—इन का नेता कृतवर्मा था । ये वर्तमान बड़ौदा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में निवास करते थे ।

२. अवन्ति—इस प्रदेश के विन्द और अनुविन्द नाम के दो राजा थे । यह राज्य बहुत शक्ति शाली था । इस की दो अक्षोक्षिणी सेना कौरवों की सहायता के लिये आई थीं ।

३. माहिष्मती या माहिष्मक—इस का राजा बल था ।

४. विद्यर्भ

५. निषध

६. कुन्तल

(६) पश्चिम से—

१. शालव—इस का राजा उग्रकर्मा था ।

२. मालव—यह एक गण राज्य था । यह प्रदेश पञ्चाब में था, वर्तमान मालवा में नहीं ।

३. क्षद्रक

(७) दक्षिण से—

१. आनन्द या आन्ध्रक

२. कुक्कुर

३. अन्धक

इनके सिवाय कौरवों का पक्ष लेकर अश्वातक, विच्छिल, चूलिक, रेत्रक, विकुञ्ज आदि अन्य भी बहुत सी जातियां व छोटे छोटे राज्य सम्मिलित हुवे थे ।

ऊपर दी गई सूची से यह सरलता के साथ जाना जा सकता है, कि महाभारत काल में भारत वर्ष किन विविध राज्यों में विभक्त था । निःसन्देह इन में से कई राज्य आकार तथा महत्त्व की दृष्टि से बहुत छोटे थे, पर उनकी पृथक् सत्ता में कोई सन्देह नहीं है । इन विविध राज्यों में शासन पद्धति भी मिल थी । कुछ राज्य राजतन्त्र थे, तो कहीं में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हुवा हुवा था ।

अन्धक-वृष्णि संघ—महाभारत काल के विविध राज्यों में अनेक विध शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं । इन में अन्धक वृष्णियों के राज्य (संघराज्य) में प्रजातन्त्र शासन विद्यमान था । महाभारत का निम्नलिखित संदर्भ अन्धक वृष्णि संघ पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है—

“भीष्म ने कहा—इस सम्बन्ध में यह प्राचीन इतिहास उद्भूत करने योग्य है । इस में वासुदेव और महर्षि नारद के परस्पर संघाद को उल्लिखित किया गया है । वासुदेव ने कहा—राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले महत्व पूर्ण विषयों को ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता, जो मित्र न हो । ऐसे मित्र से भी नहीं कहा जा सकता, जो परिडत न हो और ऐसे परिडत मित्र से भी नहीं कहा जा सकता, जिसका अपने ऊपर पूरा अधिकार न हो । तुम मेरे मित्र हो और तुम मैं शेष गुण भी विद्यमान हैं, अतः मैं तुम से कुछ बातें कहना चाहता हूँ । तुम्हारी सर्वतोमुखी बुद्धि को देख कर मैं तुम्हारे सम्मुख एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ ।

मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कहने को तो वह ऐश्वर्य है । पर वस्तुतः वह दासता के सिवाय कुछ नहीं है । यद्यपि आधी शासन-शक्ति मेरे हाथों में है, पर मुझे निरन्तर दूसरों के कदु वचन सुनने पड़ते हैं ।

हे देवर्ण ! जिस तरह अग्नि की इच्छा करने वाला निरन्तर अरणि को रगड़ता है, इसी तरह वाणी से कहे हुवे दुर्वचन निरन्तर मेरे हृदय को जलाते रहते हैं ।

यद्यपि सङ्करण में बल की प्रचुरता है, गद में सुकुमारता है, प्रद्युम्न में रूप की प्रधानता है, तथापि हे नारद ! मैं सर्वथा निःसहाय हूँ, मेरा अनुयायी कोई नहीं है ।

हे नारद ! अन्य अन्धक और वृष्णि लोग पूरे बलवान् और समहाभाग हैं । वे पराजित नहीं किये जा सकते । उन में राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है । ये अन्धकवृष्णि जिसके पक्ष में हो जावे, उसके पास सब कुछ है ।

ये जिसके विरुद्ध हो जावें, उसके पास कुछ नहीं है, वह जरा देर भी विद्यमान नहीं रह सकता । १

आहुक और अकुर के संबन्ध में यह बात है कि वे जिसके पक्ष में हों, उस के लिये इस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती । वे जिसके विरुद्ध हों, उसके लिये उस से अधिक आपत्ति की और कोई बात नहीं हो सकती । मेरे लिये कठिन है कि मैं किसके साथ रहूँ ?

मेरी अवश्या जुआरियों की उस माता की तरह है, जो न एक की बिजय ब्राह्मती है और न दूसरे की पराजय ।

हे महामुनि नारद ! मेरी तथा मेरे ज्ञातियों की स्थिति को ध्यान में रख कर कृपया मुझे यह बतलाओ कि दोनों के लिये कौन सी बात हितकर हो सकती है । मैं इस समय बहुत क्लेश में हूँ ।

नारद ने उत्तर दिया—

हे कृष्ण ! गण राज्य (प्रजातन्त्र) में दो प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं, एक बाह्य और दूसरी आभ्यन्तर । पहली वे जो दूसरों द्वारा उत्पन्न की जाती

प्रीष्य उचाच

१. अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्
संवादं वासुदेवस्य महर्षेनारदस्य च ॥ १ ॥

वासुदेव उचाच

नामुहृत्परमं मन्त्रं नारदार्हति वेदितुम्
अपस्थितो वापि सुहृतपस्थितो वायनात्मवाश ॥ ३ ॥
स ते सौहृदमास्याय किञ्चिद्वृद्धिमि नारद
कृत्स्नां बुद्धिं च ते मेष्यं संपृच्छे त्रिदिवङ्गम ॥ ४ ॥
दास्यमैश्वर्यवादेन जातीनां वै करोम्यहम्
आर्धभोक्ताऽस्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च चमे ॥ ५ ॥
आरणीमन्त्रिकासो वा मथनाति हृदयं मम
वाचा दुरुक्तं देवर्यं तन्मां दहति नित्यदा ॥ ६ ॥
बलं चक्रधर्यो नित्यं सौकोमायं पुनर्गदे
रुपेण मनः प्रइयुम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥ ७ ॥
अन्ये हि सुमहाभागाः बलवन्तो दुरासदः
नित्योत्थानेन चपचाः नारदान्यकवृण्णयः ॥ ८ ॥
वस्य न स्युनैव स स्याद्यस्य स्युः कृत्स्नमेव तत्
त्रृपोरेन प्रवरतोर्वचोम्येकतरं न च ॥ ९ ॥

हैं और दूसरी बे जो सबंहें उत्पन्न को जाती हैं। तुम्हारी वर्तमान अवध्या मैं यह आम्यन्तर आपत्ति है; जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रही है। इसे अपने ही लोगों ने उत्पन्न किया है। अकूर और भोज के अनुयायियों ने, उन सब परिवारों के साथ, जो कि आर्थिक प्राप्ति की आशा से वा काम तथा वीरता की स्वर्धा से उन के साथ हो गये हैं, स्वयं प्राप्त राजनीतिक शक्ति (एश्वर्य) को अन्य स्थान पर निहित कर दिया है। जिस प्रकार से कि उलटो किये हुवे भोजन को फिर नहीं खाया जा सकता, इसी तरह उस राज्य शक्ति को, जो कि अब अच्छी तरह जड़ जमा चुकी है और 'ज्ञाति' का शब्द जिसका मुख्यतया सहायक बना हुवा है, अब वापिस नहीं लिया जा सकता। अब वम्बु उत्प्रसेन से राज्य किसी भी तरह लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस से ज्ञातियों में पूर्ण पड़ जाने का भय है। हे कृष्ण ! विशेषतया तुम अब उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते।

और यदि अब यह मुश्किल कार्य किसी तरह सिद्ध भी हो जाय (अर्थात् वम्बु उत्प्रसेन से प्रधान पद छीन कर उसे राज्य शक्ति से विरहित कर दिया जाय) तब भी हानि, महान् व्यय आदि के खतरे हैं, और हो सकता है कि इस से सब का विनाश ही हो जाय ।^३

२. स्यातां यस्याहुकाकूरौ किंतु दुःखतरं ततः

यस्य चापि न तौ स्यातां किं तु दुःखतरं ततः ॥ १० ॥

सोऽहं कितवमातेव द्वयोरेवमहायुते

नैकस्य जयमाशंसे द्वितीयस्य पराजयम् ॥ ११ ॥

ममैवं क्षिरयमानस्य नारदोभयदर्शनात्

वक्तुमहसि यज्ञेर्यो ज्ञातीनामपत्मस्तथा ॥ १२ ॥

नारद उवाच ।

आपदो द्विविधाः कृष्ण बाह्याशाम्यन्तराश्वह

प्रादुर्भवन्ति वास्त्व्यं स्वकृता यदि वानातः ॥ १३ ॥

सेयमाम्यन्तरा तुम्यमापत् कृच्छ्रा स्वकर्मजा

अकूरभोजप्रभवा सर्वे ज्ञाते तदन्वयाः ॥ १४ ॥

आर्थहेतोर्हिकामाद्वा वीरवीभत्सयापि वा

आत्मना प्राप्तमैस्वर्यमन्त्यत्र प्रतिपादितम् ॥ १५ ॥

कृतस्मूलमिदानीं तत् ज्ञातिशब्दं सहायवत्

न शक्यं पुनरादातुं शास्त्रमस्त्रमिव स्वयम् ॥ १६ ॥

वधूग्रसेनतो राज्यं नाप्तुं शक्यं कर्यन्ते

ज्ञातिशेद भयाकृष्ण स्वया चापि विशेषतः ॥ १७ ॥

तज्जु लिद्येत् प्रयत्नेन कृत्वा कर्म सुदुष्करम्

महाव्यं व्ययो वा स्याद्विनाशो वा पुनर्भवेत् ॥ १८ ॥

इस लिये है कृष्ण ! एक ऐसे शख का प्रयोग करो, जो लोहे का बना हुआ नहीं है । जो बहुत ही नरम व सृङ है, फिर भी जो हृदय को छेदने में समर्थ है । उस शख का बार-बार परिशोधन करके अपने ज्ञातियों की जिहाओं को ठीक करो ।

वासुदेव ने कहा— हे मूर्ते ! वह शख कौन सा है, जो लोहे का बना हुआ नहीं है । जो बहुत ही नरम व सृङ है, फिर भी जो हृदय को छेदने में समर्थ है और जिसका बार-बार परिशोधन करके मैंने अपने ज्ञातियों की जिहाओं को ठीक करना है ?

नारद ने उत्तर दिया—

जो शख लोहे से बना हुआ नहीं है, वह यह है— दूसरों के गुणों को स्वीकृत कर उनका यथायोग्य संत्कार करना, सहनशक्ति, क्षमा, मार्दव और अपनी शक्ति के अनुसार निरंतर दान करते रहना । जो ज्ञाति लोग बोलने की इच्छा रखते हैं, उन के कड़वे तथा भावशूल्य वाक्यों का तुम ख्याल न करो । उनका उत्तर देते हुवे तुम उनके हृदय, वाणी और मन को शान्त करने का प्रयत्न करो ।

जो महापुरुष नहीं हैं, जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है, जिसके बहुत से सहायक व अनुयायी नहीं हैं— ऐसा आदमी राज्य के महान् राजनीतिक भार का सफलता पूर्वक बहन नहीं कर सकता है । साफ और समतल रास्ते पर तो हर एक ही बैल भार को उठा ले जा सकता है, पर बिकट मार्ग पर केवल अनुभवी उत्तम बैल ही भार को ले जा सकता है ।

प्रजातन्त्र (सङ्कु) राज्यों का विनाश पारस्परिक फूट व भेद से होता है । हे केशव ! तुम सङ्कु के 'मुख्य' हो । यह सङ्कु तुम्हारी प्रधानता में नष्ट न हो जावे । ऐसा प्रयत्न करो कि यह सङ्कु नष्ट न हो ।

बुद्धिकृशलता, सहिष्णुता, इन्द्रियनिग्रह और धनसंत्याग—ये गुण हैं, जो कि उस प्राज्ञ 'मुख्य' में होने चाहिये, जो सफलता से सङ्कु का सञ्चालन करना चाहता हो । हे कृष्ण ! अपने पक्ष की उन्नति करना, अपने दल का उन्नावन करना हमेशा धन, यश और आयु का लाने वाला होता है । इस प्रकार से कार्य करो, जिससे कि ज्ञातियों का विनाश न हो ।

१. अनायदेन शस्त्रेण मृदुना हृदयच्छिदा ।

जिहामुद्धर सर्वेषां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ १६ ॥

हे प्रभो ! तुम भविष्य नीति, वर्तमान नीति, युद्ध नीति तथा बाह्य गुण्य के प्रयोग में पूरी तरह निपुण हो । राजनीति की ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात न हो । अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज, इन के लोग तथा शासक सब तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं ।

महाभारत का यह संदर्भ अन्धक वृष्णि संघ के शासन प्रकार पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश ढालता है । इससे स्पष्ट मात्रम पड़ता है कि अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज गण-राज्य थे । इनका परस्पर मिल कर एक सङ्कुराज्य (Federation) बना हुआ था, जिस में कि मुख्यतया दो दल थे । दोनों दलों में महा यत्नभेद था और ये एक दूसरे को पराजित करने के लिये निरंतर संघर्ष करते रहते थे । संघराज्य की सभा में बहुत गरम चहस हुआ करती थी । इस में शासकों पर कहु अक्षेप किये जाते थे । उनका उत्तर भी दिया जाता था । सम्पूर्ण संघ के दो 'मुख्य' या प्रधान होते थे । महाभारतकाल में इन दोनों पर बधु उप्रेसेन और कृष्ण निर्वाचित थे । सङ्कु की सभा में आहुक और अक्षर दो मुख्य नेता थे, जिनके कि सब लोग अनुयायी थे ।

वासुदेव उचाच ।

आनायसं सुने शस्त्रं सृदु विद्याम्यहं कथम् ।
येनैवामुद्दुरे जिह्वां परिमृज्यानुमृज्य च ॥ २० ॥

नारद उचाच ।

शक्वाच्चदानं सततं तितिज्ञाऽर्ज्जवमार्दवम् ।
वथाहंप्रतिपूजा च शस्त्रमेतदत्ययस्म् ॥ २१ ॥
शातीनां वक्तकामानां कटुकानि लघूनि च ।
गिरा त्वं हृदयं धारं शमयस्य मनांसि च ॥ २२ ॥
नामहापुरुषः कश्चिच्चानात्मा नामहायवाश ।
महतीं खुरमादाय समुद्योरसा वहेत ॥ २३ ॥
सर्वं एव गुरुं भारमन्वयन्वहते समे ।
दुर्गे प्रतीतः सुग्रो भारं वहति दुर्वहम् ॥ २४ ॥
श्रीद्वाद्विनाशः सङ्घानां सङ्घमुख्योऽसि केशव ।
यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं सङ्घस्तथा कुरु ॥ २५ ॥
नान्यत्र बुद्धिचास्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।
नान्यत्र धनसन्त्यागात् गुणः प्राप्नेऽवतिष्ठते ॥ २६ ॥
भन्यं पशस्यमापुर्यं स्वपद्मोद्वावनं सदा ।
शातीनामविनाशः स्थाद्यथा कृष्ण तथा कुरु ॥ २७ ॥

(महाभारत आन्तिपर्व अ० ६९ ।)

महाभारत का अहं धर्णत बिलकुल स्पष्ट और विशद है। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी को आवश्यकता नहीं है।

अन्य गण-राज्य— अन्यक वृत्तिय सङ्ग के सिवाय महाभारतकाल में अन्य भी अनेक गण-राज्य विद्यमान थे। महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे २ राज्यों में 'मालव' 'क्षुद्रक' 'आन्ध्रक' आदि का भी उल्लेख है।। हमें अन्य ऐतिहासिक शासनों द्वारा ज्ञात है कि ये राज्य प्रजा तन्त्र थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र, मैगालनीज के यात्रा विवरण आदि में इन्हें मण-राज्य ही लिखा गया है। बहुत संभव है, कि महाभारत काल में भी इनमें प्रजातन्त्र राज्य ही स्थापित हो। महाभारत में कई स्थानों पर 'क्षुद्रक-मालव' इस तरह का इकट्ठा प्रयोग हुवा है। इससे सूचित होता है, कि इन का परस्पर मिलकर 'सङ्ग-राज्य' (Federation) बना हुआ था।

इन के सिवाय महाभास्त काल में किरात, दद्द, औदुम्बर, पारक, शाहीक, शिवि, त्रिगर्त, यौधेय, अस्वष्ट, पौण्ड, वङ्ग आदि भी विविध राज्य प्रजातन्त्र थे।^३ इन पर राजा का शासन नहीं था। अपिनु श्रेणि का शासन था। इसी लिये महाभारत में इन्हे 'श्रेणिमन्तः' कहा गया है। इनकी विविध शासन पद्धतियों पर महाभारत से विशेष प्रकाश नहीं पड़ता।

अवन्ती का द्वैराज्य— गण-राज्य पद्धति के सिवाय महाभारत काल में अन्य भी अनेक शासन पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इन में अवन्ती देश का राज्य विशेषतः उल्लेखनीय है। अवन्ती के हमेशा दो राजा होते थे। महाभारत युद्ध के समय इन दो राजाओं के नाम 'विन्द' और 'अनुविन्द' थे।

इस तरह महाभारत कालीन भारतवर्ष अनेक विद्य शासनपद्धतियों वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। मुख्यतया बहुत से देशों में इस कोल में राजा लोग शासन कर रहे थे।

२. कैरातः दद्दा दर्वा: सूरा वैयामकास्तशा-

श्रौदुम्बरा दुर्दिभागः पारदा धाहिकैः सह ॥ १३ ॥

कश्मीराश्च कुमाराश्च घोरका हंसकायनाः ।

शिविलिंगतर्योथेया राजन्या मद्रकैक्याः ॥ १४ ॥

शन्मष्टाः कौशुरास्ताक्षर्या वस्त्रपाः पद्मवैः ।

द्युग्रातयच्च मौलेयाः सह चुद्रकमालवैः ॥ १५ ॥

पौरिद्रुकाः कुकुराश्चैव शकाऽचैव यिशास्पते ।

अङ्गः वङ्गाश्च पुरद्राश्च शाठावत्या गयास्तशा ॥ १६ ॥

सुजातयः श्रेणिमातः श्रेयांस्तः शत्रुधारिणः ॥ १७ ॥

(महाभारत सभापर्व छ० ५२)

* द्वितीय अध्याय *

साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति.

प्राचीन भारतीय इतिहास में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति स्पष्टरूप से दिखाई देती है। यद्यपि भारतवर्ष अलेक राज्यों में विभक्त था, पर यह प्रवृत्ति थी कि सम्पूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया जावे। इस के लिये अनेक शक्ति-शाली राजवंश विशेष-रूप से प्रयत्न-शील थे। पहले पहल सूर्यवंशी राजाओं ने इस दिशा में कोशिश की। महाभारत काल में मगध के राजवंश ने साम्राज्य निर्माण के लिये विशेष रूप से प्रयत्न किया था। उस समय मगध का राजा जरासन्ध था। महाभारत में इसे सम्राट् लिखा है। सम्राट् जरासन्ध ने बहुत से राजाओं को पराजित कर अपने आधीन किया हुवा था। जरासन्ध की राजधानी गिरिब्रज थी। प्राच्यदेश, मध्यभारत और मध्य-देश के बहुत से राज्य गिरिब्रज की अधीनता स्वीकृत करते थे।

चेदों का राजा शिशुपाल जरासन्ध का मुख्य सहायक था। १ उसी तरह करुण का राजा वक्र, २ अङ्ग का राजा कर्ण तथा वड्ड और पौरड्ड राज्य जरासन्ध के मुख्य सहायकों में थे। ३ प्रारज्योतिष (आसाम) के राजा भगदत्त ४ तथा दक्षिणात्य के राजा भीष्मक को जरासन्ध ने अपने अधीन-

१. तं स राजा जरासन्धं संग्रित्य किल सर्वशः ।

राज्ञ् सेनापतिर्जीतः शिशुपालः प्रतापशङ् ॥ १० ॥

२. तमेव च महाराज शिष्यवत् समुपस्थितः ।

वक्रः करुषाधिपतिर्मायोधी महाब्रलः ॥ १५ ॥

३. वड्डपुष्टिकिरातेषु राजा बलसमत्वितः ।

पौरड्डको वसुदेवेति योऽसौ लोकेऽभिविशुतः ॥ २० ॥

४. भगदत्तो महाराज वृद्धसत्त्वं पितुः सदा ।

स वाचा प्रणस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १५ ॥

किया हुआ था । भीष्म के नेतृत्व में कुह लोग भी जरासन्ध के साथी थे । मगध के इस प्रतापशाली सम्राट् ने अपने कोप को विशेषतया प्रजातन्त्रराज्यों पर अकट किया था । यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि साम्राज्य विस्तार के इच्छुक सम्राटों के मार्ग में सब से बड़ी बाधा प्रजातन्त्रराज्य (गण घ सङ्क राज्य) उपस्थित करते हैं । उनमें स्वतन्त्रता और समानता का भाव उन्हें बहुत ही विकट संघर्ष के लिये तैयार कर देता है । और वे पराधीन जीवन के स्थान पर मृत्यु को अधिक पसन्द करते हैं । पहले अन्धकवृष्णियों का असिद्ध सङ्क-राज्य मथुरा के समीप था । साम्राज्यवादी जरासन्ध ने इस प्रतापशाली सङ्क को नष्ट करने का प्रयत्न किया । अठारह बार मगथ की सेनाओं ने इस पर आक्रमण किये ।^१ परन्तु यह नष्ट नहीं किया जा सका । पर अन्त में प्राच्यदेशों के साम्राज्यवादी राष्ट्रों की सम्मिलित सेना ने अन्धकवृष्णियों को पराजित कर दिया । और वे अपना पुराना स्थान छोड़ कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका के समीप जा बसे । जरासन्ध के आक्रमण यहाँ पर भी हुवे, पर द्वारिका में अन्धकवृष्णि सङ्क अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने में सफल हुआ ।

अन्धकवृष्णि सङ्क के सिवाय जरासन्ध ने अन्य भी अनेक प्रजातन्त्र राज्यों पर आक्रमण किया था । इन में से कुछ का निर्देश करना पर्याप्त होगा । उस समय उत्तर दिशा में १८ गण या कुल राज्य थे । महाभारत में इन के नाम इस प्रकार दिये हैं— शूरसेन, भद्रकार, वोध, शाल्व पट्चर, सुस्थल, मुकुन्द, कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन, आदि । इन पर आक्रमण कर जरासन्ध ने इन्हें पराजित कर दिया था और ये अपने पुराने स्थान छोड़कर पश्चिम दिशा में चले जाने को बाधित हुवे थे ।^२

१. भाता यस्याकृतिः शूरो जमदग्न्यसमोभवत् ।

स भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥ २२ ॥

(महाभारत सभापर्व श्लोक १४)

२. इनका विवरण महाभारत में उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मुख्यतः उसको वर्णनीय विषय कुह राज्य है । यह विवरण हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में विस्तृतरूप से पाया जाता है ।

३. उदीच्याम्बु तथा भोजाः कुलान्यष्टादश प्रभोः ।

जरासन्धभयादेव प्रतीर्चीं दिशमास्थितः ॥ २५ ॥

शूरवेना भद्रकारा वोधाः शाल्वाः पट्चरा ।

सुस्थलाम्बु मुकुन्दाम्बु कुलिन्दोः कुन्तिभिः सह ॥ २६ ॥

इसी प्रकार उत्तर का कोशल-राज्य जरासन्ध की महत्वाकांक्षाओं का विशेषतया निशाना बना था । यह राज्य भी जरासन्ध से ही घबराकर दक्षिण में चला गया था । और इस तरह दक्षिण कोशल की स्थापना हुई थी ।^१ जरासन्ध ने पाञ्चाल-रैल्य का भी विनाश किया था ।^२ अन्य भी बहुत से राज्यों को मगध सम्बाट के अपने आधीन किया था । उन सब का यहाँ उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जरासन्ध ने कितने राजाओं को अपने आधीन किया था, इस बात की कल्पना इस से हो सकती है कि महाभारत में लिखा है कि जरासन्ध शङ्कर को सन्तुष्ट करने के लिये यज्ञ में राजाओं की बलि देता था और इस निमित्त से उसने बहुत से राजाओं की चैद किया हुआ था ।^३

इस तरह साम्राज्य के प्रथल में महाभारत कोल में मगध के सम्बाटों की सफलता हुई थी, परन्तु मगध के सिवाय अन्य राज्य भी इस के लिये अयत्त कर रहे थे । महाभारत काल में इन्द्रेश्वर के राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से साम्राज्य विस्तार की इच्छा की । प्राचीन समय में राजसूय यज्ञ करना प्रत्येक राजा अपना उच्चतम धर्म समझता था । राजसूय करके सम्बाट पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा शक्ति शाली राजाओं में सदा बिद्यमान रहती थी । राजा युधिष्ठिर में भी यह आंकड़ा शक्ति शाली राजाओं में सदा बिद्यमान रहती थी । राजा युधिष्ठिर में भी यह आंकड़ा प्रादुर्भूत हुई । पर मगध सम्बाट जरासन्ध के होते हुए इस में सफलता होनी कठिन थी । अतः कृष्ण की समर्पण से पाण्डवों ने पहले जरासन्ध का विनाश करना ही आवश्यक

१. शालवायनाद्वय राजानः सोदर्यानुचरैः यह ।

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः पूर्वाः कुनितु लोशलम् ॥ २७ ॥

तथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य भयर्दिताः ।

मत्स्याः सत्यस्तषादाद्वय दक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ २८ ॥

२. तत्रैव सर्वपाञ्चालाः जरासन्धभयर्दिताः ।

स्वराज्यं सम्परित्यज्य विद्वताः सर्वतो दिशम् ॥ २९ ॥

(महाभारत सभापर्व अ० १४:)

३. स्वया चोपहृता राजवृ चलिया लोकवासिनः ।

तदागः क्रूरमुत्पान मन्यसे किमगनायसम् ॥ ३ ॥

राजा राजः कथं साधुवृ हिस्याशूनपति सत्तम ।

तद्राजः सञ्जिगृह्य त्वं सद्रायोपजिहोर्वसि ॥ ४ ॥

(महाभारत सभापर्व अ० २२,)

समझा । यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण को जरासन्ध का विनाश करने की क्यों इच्छा थी । कृष्ण अन्धकवृष्णि सङ्कु का 'मुख' या प्रधान था । जरासन्ध ने स्वयं इस सङ्कु पर कई बार आक्रमण किये थे । एक बार कालयवन नाम के अन्य शक्तिशाली राजा को भी अन्धकवृष्णि सङ्कु पर आक्रमण करने के लिये प्रेरित किया था । जरासन्ध के साम्राज्यवाद के ही कारण अन्धकवृष्णि संघ मथुरा छोड़ कर द्वारिका में बस जाने के लिये बाधित हुआ था । फिर, जरासन्ध अधार्मिक राजा था । साम्राज्यवाद के प्राचीन भारतीय आदर्श का परित्याग कर राजाओं के विनाश के लिये प्रवृत्त हुआ था । भारत के प्राचीन साम्राज्यवादी सम्भाट् राजाओं का विनाश नहीं करते थे । वे केवल उन से आश्रीनता मात्र स्वीकृत करा लेते थे । पर जरासन्ध राजाओं और राज्यों का मूल से उन्मूलन करता था । इस अवस्था में कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिये यह आवश्यक था कि वह मगध के साम्राज्यवाद को नष्ट कर प्राचीन आदर्शानुसार इन्द्रप्रस्थ के साम्राज्यवाद को सहायता दे ।

राजा युधिष्ठिर मगध के साम्राज्यवाद को नष्ट करने में सफल हुवा । जरासन्ध मारा गया और उसके कैदखाने से बहुत से राजा मुक्त कर दिये गये । मगध के राजसिंहासन पर जरासन्ध के लड़के सहदेव को विडाया गया, जिसने कि पाँडव राजा को अपना सामी मानवा स्वीकृत कर लिया ।^१ जरासन्ध की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य दुःखे-दुःखे होगया । प्रागज्योतिष में भगदत्त स्वतन्त्र होगया । अङ्ग, बङ्ग, पुरुष तथा पूर्वीय भारत के अन्य राज्य मगध के प्रभाव से मुक्त हो गये । इन पर अङ्गराज कर्ण ने एक नवीन प्रभुन्ब की स्थापना की । दाक्षिणात्य देश का राजा भीमक स्वतन्त्र हो गया और उसने पाँडवों से मित्रता करली । वैदी तथा कारुष का नवीन संघ बना, जिसका राजा शिशुपाल को स्वीकृत किया गया । ये राज्य पाँडवों के साम्राज्यवाद में बाधा डालने वाले थे । राजा शिशुपाल युधिष्ठिर की उन्नति नहीं सह सकता था । वह जरासन्ध का सेनापति था और अब पाँडवों की उन्नति में हर प्रकार से विघ्न डालने का यत्न करता था । परिणाम यह हुवा

१. आभ्यषिष्ठत तत्रैव जरासन्धात्मजं मुदा ।

गत्वैकत्वं च कृप्येन पार्यभ्यां चैव सत्कृतः ॥ ४२ ॥

कि कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया ।^१ वेदिराज शिशुपाल को मार कर उसके पुत्र धृष्टकेतु को राजगढ़ी पर बिठाया गया । यह धृष्टकेतु पांडवों और कृष्ण का मित्रथा, तथा महाभारतयुद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था ।

इस तरह साम्राज्यवाद का मार्ग पांडवों के लिये दिक्षणटक ही गया थे सरलताके साथ दिविजय कर सके । पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर -चारों दिशाओं में पांडवों ने आक्रमण किये और राजाओं से आधीनता स्वीकृत कराई । इस दिविजय का वृत्तान्त लिखने की आवश्यकता नहीं है । इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि यह साम्राज्य प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुकूल था । तथा उस समय का सब से बड़ा महापुरुष कृष्ण इस में सहायक था । मगध के नाशकारी साम्राज्यवाद का नाश कर पांडव लोग अपना साम्राज्य बना सके और युधिष्ठिर को भारत का सम्राट् बनाया गया ।

हस्तिनापुर के शौरघ लोग पांडवों के इस साम्राज्यवाद को स्पर्धा की दृष्टि से देखते थे । वे इस नवीन साम्राज्य को सहन न कर सके । उन्होंने नीति द्वारा पांडवों को राज्यन्युत कर स्वयं इन्द्रप्रस्थ घर अधिकार प्राप्त कर लिया । पांडवों और कौरवों के बीच आगे जगकर जो भयानक संग्राम हुआ—उसी को महाभारत युद्ध कहा जाता है । इस युद्ध में नाम को तो कौरघ और पांडव लड़ रहे थे, पर वस्तुतः भारतीय साम्राज्यवाद की परस्पर विरुद्ध विविध शक्तियाँ आपस में युद्ध कर रही थीं । इस युद्ध के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम हुवे, जिन में सब से अधिक महत्व की बात यह है कि अनेक प्राचीन राज्य नष्ट हो गये और राज्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । महाभारत कालीन अनेक राज्य पिछले काल में हमें दृष्टि गोचर नहीं होते । ये प्रायः सभी इस युद्ध में नष्ट हो गए । केवल शक्ति शाली राज्य महाभारत के बाद कायम रह सके । अपनी यह शापना की स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । महाभारत काल में पञ्चाब में अनेक राज्य थे । प्रायः ये सभी राज्य कौरवों के पक्ष में सम्मिलित हुवे थे । महाभारत युद्ध में इन के रोजा तथा इनकी सेनायें मार दी गईं । इस का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि ये राज्य बहुत निर्बल ही गये । पञ्चाब के किसी

१. महाभारत सभार्थ अध्याय ४५.


२. इस दिविजय का वर्णन महाभारत के सभार्थ में ३५ वें अध्याय से लेकर ३२ वें अध्याय तक किया गया है ।

भी अवशिष्ट शक्तिशाली राजा के लिए यह बहुत सरल होगया कि वह सुगमता से इन्हें दृष्ट करके अपने राज्य को फैला सके । पञ्चाब में यही हुआ । तक्षशिला के राजा नाता तक्षक ने पञ्चाब के प्रायः सभी राज्यों को जीत लिया और अपने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसने कि कुरुदेश सक पर अक्षयण किये । यही प्रक्रिया हमें अन्य स्थानों पर भी दिखाई देती है ।

महाभारत युद्धके बाद मध्यदेश में ३ मुख्य राज्य रह गये थे । हस्तिनापुर में चन्द्रवंश का राज्य, मगध का राज्य तथा कोशल में सूर्यवंश का राज्य । इन के सिवाय अन्य भी अनेक राज्य मध्यदेश में अवशिष्ट रहे थे, पर प्रायः वे इन्हीं राज्यों के अधीन थे । इन तीनों राजवंशों के सम्बन्ध में हमें थोड़ी बहुत बातें मालूम हैं । पुराणों में इन की वंशावलियाँ उपलब्ध होती हैं, जो कि अनुशीलन योग्य हैं ।

साथ ही वाञ्छाल, काशी, हैह्य आदि के राजवंशों के सम्बन्ध में भी पुराणों द्वारा कुछ प्रकाश पड़ता है । राजतरङ्गिणी काश्मीर के राजवंश के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख योग्य बातें बतलाती हैं । हम इनका यथा स्थान वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे ।

बौद्धकालीन भारत में राज्यों का विभाग किस प्रकार था, इस सम्बन्ध में बौद्ध ग्रथों से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं । उस समय के राज्यों तथा राजाओं के विषय में हमें बहुत कुछ मालूम है । इधर महाभारतकाल के सम्बन्ध में भी महाभारत से बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है । कठिनता बीच के समय की है । यह काल विलकुल अन्धकार में है । फिर भी प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से जो कुछ ज्ञात किया जासकता है, उसे हम क्रमिक रूप से उद्धृत करने का प्रयत्न करेंगे ।



* सीसरा अध्याय *

—→॥३३॥—

मगध के राजवंश

बाह्द्रथवंश

[३१३६ ई० पू० से २१३७ ई० पू० तक]

(१) सहदेव— महाभारत युद्ध से कम से कम १४ वर्ष पूर्व सप्त्राट् जरासन्ध की हत्या की गई थी। जरासन्ध को मार कर कृष्ण तथा पाण्डवों ने सहदेव को मगध के सिंहासन पर आरूढ़ किया था। परन्तु सहदेव का सम्पूर्ण मगध राज्य पर अधिकार नहीं था। जरासन्ध के पतन के बाद न केवल मगध का सप्त्राज्य दुकड़े दुकड़े हो गया था, अपितु मगधराज्य में भी इभाग हो गए थे। महाभारत काल में सहदेव के सिवाय दण्ड और दण्डधर नाम के दो अन्य राजा पूर्वीय मगध में शासन कर रहे थे। इन का राज्य मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज में था। इनके सिवाय सहदेव का एक और भाई था, जिसका नाम जयसेन या जयत्सेन था। सम्भवतः वह भी मगध के किसी भाग का स्थानी था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने पाण्डवों का पक्ष लिया था, अन्य तीन राजा कौरवों के पक्ष में लड़े थे।

महाभारत युद्ध में सहदेव मारा गया था। जरासन्ध व सहदेव के वंश को बाह्द्रथ वंश कहा जाता है। सहदेव की मृत्यु का समय ३१३६ ई० पू० (महाभारत युद्ध कलि युग के प्रारम्भ से ३७ वर्ष पहले हुवो था) है।

(२) मार्जारि— यह सहदेव का लड़का था। ३१३६ ई० पू० में अपने पिता की मृत्यु होने पर मार्जारि राजगद्वी पर बैठा। भिन्न भिन्न पुराणों में इस के चिवित्र नाम पाये जाते हैं। इसे भाषावत पुराण में मार्जालीय, विष्णु-पुराण में सोमाधि, ब्रह्मारण्ड पुराण में सोमापि, और मत्स्य पुराण में सोमवित् लिखा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद मगध का राज्य फिर से एक हो गया था। अन्य तीनों राजा कौरवों के पक्ष में लड़े थे, अपनी सेनाओं सहित वे कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे गये थे। सम्भवतः उन के साथ ही उन के राज्य समाप्त हो गये और विजयी पाण्डवों के पक्षपाती मार्जारि ने सम्पूर्ण मगध पर अपना अधिकार जमा

लिया । मार्जारि की राजधानी गिरिव्रज थी । यह नगरी महाभारत काल में दण्डवर के आधोन थी । पर महाभारत युद्ध के बाद मार्जारि ने इसे हस्तगत कर के अपनी राजधानी बना लिया था । मार्जारि ने कुल ५८ वर्ष तक राज्य किया ।

(३) श्रुतश्रवा—कहीं कहीं इसे श्रुतवान् भी लिखा गया है । इस ने ५८ वर्ष तक राज्य किया । इस का शासन काल ३०११ ई० पू० से ३०१७ ई० पू० तक है । वायु और ब्रह्मारड पुराणों के अनुसार इस का शासन काल ६७ वर्ष है ।

(४) अयुतायु—यह श्रुतश्रवा का लड़का था । कहीं कहीं इस का नाम अप्रतीषि, अप्रतापो, अयुतायु, अयुवायु, अमृधून आदि भी लिखा गया है । इस ने ३०१७ ई० पू० से २६८१ ई० पू० तक कुठ ३६ साल राज्य किया । कहीं कहीं इस का शासन काल २६ वर्ष भी लिखा है ।

(५) निरामिन्द्र—यह अयुतायु का पुत्र था । इस ने २६४२ ई० पू० से २६४१ ई० पू० तक ४० वर्ष राज्य किया । वायु पुराण में इस का शासन काल १०० वर्ष लिखा है ।

(६) सुकृत—इस ने २६४१ ई० पू० से २६८३ ई० पू० तक ५८ वर्ष राज्य किया । इसके सुकृत, सुरक्ष, सुक्षता, सुक्षत आदि अनेक नाम पाये जाते हैं ।

(७) वृहत्कर्मा—इसने २६८३ ई० पू० से २८६० ई० पू० तक २३ वर्ष राज्य किया ।

(८) सेनाजित्—इसका शासनकाल ५० वर्ष (२८६० ई० पू० से २८१० ई० पू०) है ।

(९) श्रुतञ्जय—इस ने २८१० ई० पू० से २७७० ई० पू० तक ४० वर्ष राज्य किया ।

(१०) महाबल—(२७७० ई० पू० से २७३५ ई० पू० तक) यह श्रुतञ्जय का लड़का था । इसने ३५ वर्ष राज्य किया । इसके विभु, विप्र, रिपुञ्जय आदि भी नाम हैं । प्रतीत होता है कि यह राजा बड़ा पराक्रमी, बुद्धिमान्, तथा यशस्वी था । पुराणों ने इसे 'महाबलो महाधाहुः महाबुद्धि-पराक्रमः' इन विशेषणों से सुशोभित किया है ।

(११) शुचि— (२७३५ ई० पू० से २६७७ ई० पू० तक) इसने ५८ वर्ष राज्य किया । कहीं कहीं इसका शासनकाल ६४४७ वर्ष भी लिखा है ।

(१२) लेम— (२६७७ ई० पू० से २६४८ ई० पू० तक) इसो २८ वर्ष राज्य किया, क्षम, क्षेत्र, क्षेत्र आदि भी इसके नाम पुराणों में उल्लिखित हैं ।

(१३) सुव्रत— (२६४८ ई० पू० से २५८५ ई० पू० तक) इसने ६४ साल राज्य किया । वास्तु पुराण ने इसका शासन काल ६० वर्ष लिखा है ।

(१४) सुनेत्र— (२५८५ ई० पू० २५५० ई० पू० तक) इसने ३५ साल राज्य किया ।

(१५) निर्वृति— (२५५० ई० पू० से २४६२ ई० पू० तक) इस ने ५८ साल राज्य किया ।

(१६) विनेत्र— (२४६२ ई० पू० से २४४४ ई० पू० तक) इसने ३८ साल राज्य किया । पुराणों में इस के सुव्रत, सुधर्म, सुश्रुत, शुश्रम, श्रम, शम, सम, सुसव, सुव्रत, आदि भी नाम प्राप्त होते हैं ।

(१७) द्रढसेन— (२४४४ ई० पू० से २३६६ ई० पू० तक) इसने ५८ साल राज्य किया ।

(१८) सुचत्व— (२३६६ ई० पू० से २३६३ ई० पू० तक) इसने ३५ वर्ष शासन किया ।

(१९) सुमति— (२३६३ ई० पू० से २३४१ ई० पू० तक) इसने २२ राज्य किया ।

ब्रह्मारण पुराण में सुचत्व तथा विष्णु पुराण में सुमति को छोड़ दिया गया है ।

(२०) सुनेत्र— (२३४१ ई० पू० से २३०१ ई० पू० तक) इसने ४० वर्ष राज्य किया ।

(२१) सत्याजित— (२३०१ ई० पू० से २२१८ ई० पू० तक) इसने ८३ वर्ष राज्य किया ।

(२२) वीरजित— (२२१८ ई० पू० से २१८३ ई० पू० तक) बहुत सी पुराणों में इसे विश्वजित लिखा गया है ।

(२३) रिपुञ्जय— (२१८३ ई० पू० से २१३३ ई० पू० तक) इस का शासन काल ५० वर्ष है । रिपुञ्जय बाह्द्रथ वंश का अन्तिम राजा है । बाह्द्रथ

बंश में सहदेव से लेकर कुल २३ और मार्जारि से लेहर कुल २२ राजा हुए। इस वंश का शासन काल १००६ वर्ष (२१३६ से ११०० पूँ २१३३ १०० पूँ) तक है। यराणों में मोदे तोर पर इसका शासन काल १००० वर्ष लिख दिया गया है।

प्रधोत वंश

[२१३३ १०० पूँ से ११०० १०० पूँ तक]

मगथ का राजा रिपुञ्जय पुत्र विहीन था। उसके केवल एक पुत्री थी। रिपुञ्जय के प्रवानामात्य वा सेनापति का नाम 'पुलक' था। पुलक ने रिपुञ्जय का घात कर दिया और अपने लड़के प्रधोत वा बालक की राजगद्दी पर बिठाया। ^१ पुलक स्थान राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि उसका कोई अधिकार न था। अतः उसने अपने लड़के प्रधोत के लिये अधिकार उत्पन्न कर दिया। रिपुञ्जय की लड़की को विवाह प्रधोत के साथ कर दिया गया और प्रधोत नियमानुसार रिपुञ्जय का उत्तराधिकारी बन गया। किस घटुण्टन से वो किस भाँति रिपुञ्जय का घात किया गया था, इस का कोई चुत्तान्त उपलब्ध नहीं है। प्रधोत से एक नवीन वंश प्रारम्भ होता है, जिसे कि उसके नाम से प्रधोतवंश कहा जाता है। ^२

पुराणों के अनुसार प्रतीत होता है कि राजा रिपुञ्जय का शासन काल बहुत घटनामय था। इस काल की सब से मुख्य घटना यह है कि अवन्ती के ग्रामीन राजवंश का अन्त कर दिया गया था। महाभारतकाल में अवन्ती बड़ा शक्तिशाली राज्य था। वहाँ द्वैराज्य शासनपद्धति प्रचलित थी; और वहाँ के राजा दो अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुवे थे। इस शक्तिशाली राज्य का पिछले समय का इतिहास पूरी तरह अन्यकारमय है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद अवन्तिदेश बहुत निर्बल हो गया था। पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। अवन्तिराज्य के निर्बल राजाओं को रिपुञ्जय के शासन काल में जीत लिया गया था। और

१. विष्णु पुराण में—

'योऽयं रिपुञ्जयो नाम बाहद्रशोऽन्यस्तस्य सुनिको नामामात्यो भविष्यति ।
स चैनं स्वामिनं दत्या स्वपुत्रं प्रधोत-नामानमभिवेष्यति ।'

२. देखो— Narayan Shastri—The Age of Shankara Appendix I. P. 16.

यह राज्य मगध के साम्राज्यवाद का ग्रास बन गया था । इसी तरह वीतहोत्र वंश का भी रिपुञ्जय के समय अस्ति किया गया । पुराणों के अनुसार कलियुग के प्रारम्भ से लेकर वीतहोत्र वंश के २० राजाओं ने राज्य किया । रिपुञ्जय कलियुग के प्रारम्भ से लगा कर २२ वाँ राजा था । अतः ये दोनों समकालीन ही थे । वीतहोत्रों का राज्य भी मगध के साम्राज्यवादी सम्बाटों ने अपने आधीन कर लिया ।

क्या आश्चर्य है कि इन विजयों का करने धारा सेनापति पुलक ही हो । मौर्य सम्भाट वृहद्रथ के समय सेनानी पुष्यमित्र ने जो कुछ किया था, सम्भवतः वही रिपुञ्जय के समय पुलक ने भी किया और पुष्यमित्र की ही तरह अपने स्वामी को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया ।

(१) प्रथोत—(२१३३६० पू० से २११० ई० पू० तक) इसने २३ वर्ष राज्य किया । प्रथोत होता है कि प्रथोत ने अपने पिता की विजयनीति को जारी रखा । पुराणों में लिखा है कि यह सर्वथा नीति रहित था । राजनीति, धर्मनीति, आदि के किसी सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करता था । इसने बहुत से क्षतियों का संहार कर उनके राज्यों को आधीन किया था । अनेक पड़ौसी राजा इसके आधीन थे ।^१ अन्य दोष भी इसमें कम न थे एक पुराण में इसे 'मन्मथातुर' लिखा है ।

[२] पालक—(२११० ई० पू० से २०८६ ई० पू० तक) यह प्रथोत का लड़का था और इसने २४ वर्ष राज्य किया ।

(३) विश्वद्यूष—(२०८६ ई० पू० से २०३६ ई० पू० तक) यह ५० वर्ष तक मगध के राजसिहासन पर आरुद्ध रहा ।

(४) सूर्यक—(२०३६ ई० पू० से २०१५ ई० पू० तक) इसने २१ वर्ष राज्य किया । इस के जनक, मृजुक, मूर्जक आदि अनेक नाम उल्लिखित हैं ।

(५) नगिन्दर्घन—(२०१५ ई० पू० से १६६५ ई० पू० तक) इसने २० वर्ष राज्य किया । इसके भाँवर्तिवर्धन, कोर्तिवर्धन, वर्विवर्धन आदि अनेक नाम पुराणों में लिखे मिलते हैं ।

१. नियन्ता चत्रियाणां च बालकः पुलकोऽहः ।

स वै दणतवामन्त्रो भविष्यो नयवर्जितः ॥

भयो विशत् समा राजा भविता मन्मथातुरः ।

नन्दिवर्धन के साथ प्रद्योतवंश के इन पाँच राजाओं ने १३८ वर्ष तक शाज्य किया।

शिशुनागवंश

[१६४५ ई० पू० से १६३५ ई० पू० तक]

१. शिशुनाग — प्रद्योतवंश के अन्तिमराजा नन्दिवर्धन को मार कर शिशुनाग राजगढ़ी पर बैठा। शिशुनाग पहले काशी में रहता था, सम्भवतः यह धर्म का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योतवंश के अन्तिम राजा के समय इसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और उस का धार्त कर संघर्ष मगध के राजसिंहासन पर आलड़ हो गया। अपने पुत्र को इस ने काशी में शासन करने के लिये नियत किया। शिशुनाग का शासन काल ४० साल (१६४५ ई० पू० से १६५५ ई० पू० तक) है।

२. काकवर्ण — (१६५५ ई० पू० से १६१९ ई० पू० तक) इस ने कुल ३६ वर्ष तक राज्य किया। इस को धनेक लानों पर शक्वर्ण भी लिखा गया है।

३. चैमधर्म — (१६१९ ई० पू० १६१३ ई० पू० तक) इस ने २६ वर्ष राज्य किया।

४. कौचज्ञ — (१६१३ ई० पू० से १५५२ ई० पू० तक) इस का शासन काल ४० वर्ष है।

५. विम्बिसार — (१५५२ ई० पू० से १४१५ ई० पू० तक) इस ने ३८ वर्ष राज्य किया। राजा विम्बिसार भगवान बुद्ध का समकालीन था। इस के सम्बन्ध में बौद्ध तथा जैन साहित्य से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। विम्बिसार ने मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किया तथा अज्ञ देश की अपनी आधीन किया। विम्बिसार के साथ हम मगध के राजनीतिक इतिहास को समाप्त करते हैं। आगे बौद्धकाल का इतिहास प्रारम्भ होता है, जिस पर कि यहां हमने विचार नहीं करता है।



* चौथा अध्याय *

— शुद्धिमुद्रा —

हस्तिनापुर का चन्द्रवंश

महाभारत युद्धके बाद हस्तिनापुर का चन्द्रवंश सब से अधिक शक्तिशाली था। पारांडव इस भयङ्कर युद्ध से पहले भी साम्राज्य स्थापित करने में सफल मनोरथ हुवे थे। उनके विरोधी तद्वारों के संघर्ष करने पर भी अन्त में वे ही सफल हुधे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिहासन पर आरूढ़ हुवे। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार युधिष्ठिर ने कृष्ण के आदेश से अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। महाभारत में इस यज्ञ का वृत्तान्त बड़े विस्तार के साथ लिखा है। प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ कर के राजपौत्र चक्रवर्ती सप्तराज्य के पद को प्राप्त किया करते थे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर के लिये यह पद प्राप्त करना कठिन नहीं था। किंर भी उसे अनेक युद्ध करने पड़े। अश्वमेध यज्ञ की रीति के अनुसार जो घोड़ा छोड़ी गया था, उसे अनेक स्थानों पर रोका गया और अर्जुन ने घोड़े की सच्छन्द गति रखने के लिये बहुत से युद्ध किये। अन्त में पारांडवों को सफलता हुई और उन्होंने बड़ी धूम धाम के साथ अश्वमेध यज्ञ किया।

महाभारत युद्ध में पारांडवों के बहुत से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय मित्रों का संहार हुवा था। उन के शमीक से तप्त हो कर तथा प्राचीन परिपाटी के अनुसार पारांडवों ने बनवास करना स्वीकृत किया। वे अर्जुन के पौत्र परीक्षित को अपना विशाल साम्राज्य देकर स्वयं त्रिविष्ट्रप (तिष्ठत) की तरफ आग्रह बना कर रहने के लिये चले गये।

राजा परीक्षित अर्जुन के लड़के अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मरा गया था, अतः परीक्षित ही युधिष्ठिर के बाद राजा बना। पुराणों में परीक्षित के सम्बन्ध में बहुत सी कथायें लिखी हुई हैं। इन में से उस के तक्षक सर्प द्वारा डासे जाने की कथा बहुत प्रतिष्ठित है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिये जंगल में गया। वह रास्ता भूल गया और हिरण का पीछा करते करते एक झूँझि की कुटी में जा पहुँचा। इस झूँझि का नाम शमीक था। शमीक समाधिस्थ थे, पर परीक्षित ने इसका कोई खायाल नहीं किया।

वह उससे हिरण किथर भागा हैं, यह पूछने लगा । पर समाधिस्थ होनेके कारण
ऋषि ने कोई उत्तर न दिया । इस पर राजा को कोश आ गया और उसने एक
मरे हुवे सांप को ऋषि के गले में डाल दिया । ऋषि समाधिस्थ थे, उन्होंने मैं
इस पर कुछ भी ध्यान न दिया, पर इसी बीच में ऋषि का लड़का वहाँ पर आ
पहुंचा और उसने पिता का अपमान देख कर राजा को शाप दिया कि
जुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से होगी । इसी के अनुसार तत्क्रम सर्प के काटने
से परीक्षित की मृत्यु हुई, यद्यपि राजा ने उस से बचने के लिये नानाविध
ज्ञायार्थों का आश्रय लिया था । महाभारत तथा पुराणों में इन उपायों का बड़े
सत्रोरञ्जक तरीके से वर्णन किया गया है ।

पुराणों में तक्षक सर्प द्वाया परीक्षित के इसे जाने को कहानी की तरह
लिखा है, पर वस्तुतः यह एक महान् तथा को प्रगट करता है । इस तथा के
पहले पहल श्रीयुत पार्जीन ने प्रगट किया था । बात असल में यह है कि
पुराणों ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना को ओलंकारिक रूप में वर्णित
किया है । हम जानते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत की राजधानी प्राचीन समय
में तक्षशिला नगरी थी । यहाँ पर नाग वंश के राजा राज्य करते थे । महा-
भारत युद्ध के बाद ये राजा बहुत प्रबल हो गये थे और इन्होंने सर्वपूर्ण
पश्चिमोत्तर भारत पर अपना राज्य खापित कर लिया था । राजा परीक्षित के
समय में नाग राजा का नाम तक्षक था । अपने राज्य को बढ़ाने की इच्छा से
इसने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया और परीक्षित का घात कर दिया । पिछले
वर्णन को दृष्टि में रखने से पुराणों की इस कथा की यह व्याख्या अच्छी तरह
समझ में आजाती है । परीक्षित के बाद राजा जनमेजय हस्तिनापुर की गढ़ी
पर बैठा । जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निश्चय
किया । उसे यह भी फिक थी कि हस्तिनापुर के साम्राज्य को फिर से खापित
किया जाय । अतः उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया । पुराणों में
लिखा है कि इस यज्ञ के प्रभाव से सर्प या नाग लगातार अश्रि में गिर-गिर
कर धर्वसं होने लगे । नागराज ने तक्षक वंश के प्रभाव से बचने के लिये बहुत
प्रयत्न किया । पर अन्त में वह भी अश्रि में धर्वसं हो गया । इस कथा का
अभिप्राय केवल यही है कि जनमेजय के प्रयत्नों से नाग सेनाओं तथा तक्षक
का विनाश हुआ । महाभारत के अनुसार जनमेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण
किया और इसको जीत कर अपने आधीन कर लिया । इस तरह नागराज
तक्षक का पराभव कर जनमेजय ने अपने साम्राज्य तथा सम्राट पद की
स्थापना की ।

(६८)

भारतवर्ष का इतिहास ।

जनमेजय ही के दरबार में वैशम्यायन ने व्यास द्वारा बनाए हुए महा-भारत का पाठ किया था । इस दण्ड से राजा जनमेजय का शासनकाल बहुत महत्त्वपूर्ण है । पुराणों में जनमेजय को 'परपुरञ्जय' विशेषण दिया गया है । इससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रसिद्ध विजेता था ।

राजा जनमेजय के बाद शतानीक हस्तिनापुर की राजगढ़ी पर बैठा । इस के शासन की कोई धटना नहीं है ।

शतानीक के बाद उसका लड़का 'अश्वमेघदत्त' राजा बना । यदि इस नाम से कुछ अनुमान कर सकता सम्भव हो, तो यह सरलता से कल्यना की जा सकती है कि इस के पिता ने भी शत्रुमेघ यज्ञ किया था । पुराणों में शतानीक को 'बलचान्' और 'सत्यविक्राम' विशेषण दिये गये हैं ।

अश्वमेघदत्त के बाद उसका लड़का अधिसीमकृष्ण राजा बना । पुराणों की रचना पहले पहल रसी के शासनकाल में हुई थी । पुराणों में लिखा है कि 'अधिसीमकृष्ण वर्तमान समय में राज्य कर रहा है ।'

अधिसीमकृष्ण के बाद उसका लड़का निचक्षु राजस्त्रहास्त्र के पर आरूढ़ हुआ । इस के समय में गङ्गा में कड़ी बाढ़ आई, जिसमें हस्तिनापुर नगर बह गया । निचक्षु ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी नगरी को अपनों राजधानी बनाया । यह धटना बहुत महत्त्व की है । अब से चन्द्रवंश के विशाल राज्य की राजधानी हस्तिनापुर के स्थान पर कौशाम्बी बन जाती है ।

निचक्षु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुराणों से कुछ छात नहीं होता केवल उन के नाम ही पौराणिक वंशावलियों में दिये गये हैं । हम भी भारत से वंशावलि देना ही पर्याप्त समझते हैं—

| | |
|---------------------|---------------|
| १. अर्जुन | ६. उष्ण |
| २. अभिमन्त्र | १०. विश्रारथ |
| ३. परीक्षित | ११. सुचिद्रथ |
| ४. जनमेजय | १२. वृष्णिमत् |
| ५. शतानीक (प्रथम) | १३. सुरेण |
| ६. अश्वमेघदत्त | १४. सुनीथ |
| ७. अधिसीमकृष्ण | १५. रुच |
| ८. निचक्षु | १६. तृचक्षु |

| | |
|----------------|------------------------|
| १७. सुखीबल | २४. बृहद्रथ |
| १८. एतिष्ठुव | २५. वसुदाम |
| १९. सुनय | २६. शतानीक (द्वितीय) |
| २०. मेघ्राष्टी | २७. उदयन |
| २१. नृपञ्जय | १८. वहीनर |
| २२. मृदु | २८. दण्डपाणि |
| २३. तिरम | ३०. निरामित्र |

३१. क्षेमक

क्षेमक के सोथ चन्द्रवंश या पौरववंश की वंशावलि समाप्त होती है। सभ्वतः, निवृक्षु के पीछे पौरववंश की शक्ति निरन्तर कम होती गई। मगध का साम्राज्यवाद धीरे धीरे झोर पकड़ने लगा। जो स्थान महाभारतकाल में हस्तिनापुर को प्राप्त हुआ था, वह उस के गङ्गा की बाढ़ में बहने के साथ ही समाप्त हो गया। इस समय में मध्यप्रदेश से कौशल राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी पौरववंश के हास में सहायता की।

महात्मा बुद्ध के समय में कौशलस्वी के राजसिंहासन पर राजा उदयन राज्य कर रहा था। बौद्ध साहित्य से हमें मालूम होता है, कि बुद्ध के समय कौशलस्वी के राजा उदयन तथा अवन्ती के राजा प्रद्योत में परस्पर संघर्ष थल रहा था। उदयन के समय पर बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य बहुत प्रकाश छालते हैं, पर उससे पहले राजाओं का इतिहास सर्वथा अन्यकारमय है।



* पांचवाँ अध्याय *

—३३३—

कोशल का सूर्यवंश।

महाभारतकाल में कोशल का राजा बृहद्वल था। यह कौश्वों का पक्ष छोड़कर महाभारत युद्ध में सम्मिलित हुआ था। इसके उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में नामों के सिवाय कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत युद्ध के बाद कोशलदेश बहुत कमज़ोर होगया था। संभीप ही हस्तिनापुर के शक्तिशाली सम्राट् चिदमान थे, अतः यह शक्ति न पकड़ सका। वर धीरेधीरे यहाँ के राजा शक्तिशाली होते गये और हम देखते हैं कि बौद्ध काल में कोशल का राजा प्रसेनजित् एक शक्तिशाली राजा था, जो कि साम्राज्य निर्माण के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा था। एक तरफ वह मगध के महत्वाकांक्षी सम्राट् अजातशत्रु से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ समीर पथ छोड़े राज्यों—शाक्य प्रजातन्त्र तथा काशी राज्य—को विगलने का प्रयत्न कर रहा था। बृहद्वल और प्रसेनजित् के बीच के राजाओं के सम्बन्ध में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन राजाओं की वंशाचलि अद्धृत करना ही पर्याप्त है—

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| १. बृहद्वल | १२. सुप्रतीक | २३. रणञ्जय |
| २. बृहन्क्षण | १३. सुप्रतीय | २४. सञ्जय |
| ३. उरुद्देव | १४. मरुदेव | २५. शुद्धोधन |
| ४. वत्क्षा | १५. लुमक्षत्र | २६. शत्रुघ्न |
| ५. वत्सव्यूह | १६. किञ्चार | २७. राहुल |
| ६. प्रतिव्योम | १७. अत्तरिक्ष | २८. प्रसेनजित् |
| ७. भानु | १८. सुवर्ण | २९. क्षद्रक |
| ८. दिवाकार | १९. अमित्रजित् | ३०. कुण्डक |
| ९. सहदेव | २०. बृहद्राज | ३१. सुरथ |
| १०. बृहदश्व | २१. धर्मिन् | ३२. सुमित्र |
| ११. भानुरथ | २२. कृतञ्जय | |

सुमित्र के साथ कोशल का प्राचीन सूर्यवंश—जिसमें महाराजा रामचन्द्र उत्तम हवे थे, समाप्त होगया।

* छटा। अैध्यरेय *

काश्मीर का राजवंश तथा अन्य राज्य।

असिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कल्हण द्वारा विरचित राजतरङ्गिणी से काश्मीर के प्राचीन इतिहास को बहुत कुछ जान होता है। इस ग्रंथक्रति से प्राचीनौदकाल सम्बन्धी काश्मीर के इतिहास पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। इस इसका संक्षिप्त रूप से यहाँ उल्लेख करेंगे।

महाभारत काल में काश्मीर पर गोनन्द प्रथम राज्य कर रहा था। यह शाजा भगव राजा जरासन्ध का मित्र था और इसने अन्धकवृष्णि सङ्घ पर किये गये आक्रमण में जरासन्ध की सहायता की थी। काश्मीर की सेनाओं ने यमुना के तट पर अपने कैम्प गाड़ थे। परन्तु इस युद्ध में गोनन्द प्रथम कृष्ण के भाई बलभद्र द्वारा मार दिया गया और काश्मीर की सेना अपने मनोरथ में सफल न हुई। अन्धकवृष्णि सङ्घ विनष्ट नहीं हुआ।

गोनन्द प्रथम को मृत्यु के बाद उसका लड़का दामोदर प्रथम राजा बना। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते के लिये इसने भी अन्धकवृष्णि सङ्घ पर आक्रमण किया। पर इस बार फिर काश्मीर की सेनाएँ पराजित हुईं और दामोदर प्रथम युद्ध में मारा गया।

मृत्यु के समय दामोदर नवयुवक ही था। उसके अभी कोई सन्तान न थी। अतः अन्धकवृष्णि सङ्घ के 'मुख्य' वा प्रधान कृष्ण की सम्मति से दामोदर की विश्रवा ल्ली यशोवती को राजगद्वी पर विठाया गया। यशोवती गर्भवती थी, अतः ढीक समय पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गोनन्द रखा गया। इतिहास में इसे गोनन्द द्वितीय कहा जाता है।

गोनन्द द्वितीय के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम नष्ट हो चुके हैं। कल्हण स्वयं लिखता है कि गोनन्द के ३५ उत्तराधिकारियों के नाम विस्मृति के सागर में डूब गये हैं और उनके नाम तथा कृत्य के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है।^१

१. आज्ञायभद्राज्ञनहनामकृत्यास्ततः परंशु ।

एञ्जिशन्नहीपाला मग्ना विस्मृतिस्मारे ॥ ८३ ॥

(राजतरङ्गिणी प्रथमस्तरः)

३५ विस्मृत राजाओं के बाद राजतरङ्गिणी फिर हमारी सहायता करती है। हम काश्मीर के राजसिंहासन पर लब नाम के राजा को राज्य करता पाते हैं। इसने 'लोलोर' नामी नगर बनवाया, जिसमें कि पत्थर की ८० लाख इमारतें थीं, लब की मृत्यु के बाद 'कुश' राजगढ़ी पर बैठा। कलहण ने कुश द्वारा दिये गये दान का उल्लेख किया है।

कुश के बदि खगेन्द्र राजा बना। यह बहुत शक्तिशाली राजा था। इस ने तक्षशिला के नाग कुल का अन्त किया था। हम पहले दिखला चुके हैं कि महा-भारतयुद्ध के बाद तक्षशिला में नाग वंश बहुत शक्तिशाली हो गया था। इस का विनाश काश्मीर के राजा खगेन्द्र ने किया।

खगेन्द्र की मृत्यु पर सुरेन्द्र काश्मीर का राजा बना। यह बहुत भर्मात्मा राजा हुआ है। सुरेन्द्र पुत्र हीन था अतः उस के साथ गोनन्द का राजवंश समाप्त हो गया और गोधर काश्मीर के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। गोधर का लड़का सुवर्ण महात्मा बुद्ध का समकालीन था। स्वतन्त्र राज्य के रूप में काश्मीर को स्थित बहुत काल तक विवरान रही। अन्त में मौर्य सम्राट् अशोक ने इसे अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया।

अन्य राज्य

मगथ, पौरव, कोशल और काश्मीर के सिवाय अन्य राज्यों के सम्बन्ध में पुराणों से कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। अन्य राजवंशों की वंशावलियां तक नहीं मिलती। पुराणों से केवल इतना पता लगता है कि ऊपर वर्णित राजवंशों के सिवाय पञ्चाल में २७, काशी में २४, हैह्य देश में २८, कलिञ्ज में ३२, अश्मक देश में २५, मिथिला में २८, शूरसेन में २३ और वान होत्र में २० राजाओं ने राज्य किया। साथ ही पुराणों में यह भी लिखा है कि यह सब राजा समकालीन थे। साम्राज्यवादी शक्तिशाली राजाओं के प्रयत्नों से धीरे २ ये राज्य नष्ट हो गये। अवन्ति और वोत होत्र के राजाओं का मगध सम्राट् रिपुञ्जय के महामन्त्री और प्रयोतवंश के संसापक पुलिक ने अन्त किया। इसी तरह कोशी का अन्त करने के लिये कोशल तथा मगथ के राजा निरन्तर प्रयत्न करते रहे। कलिञ्ज बहुत समय तक अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सका। पर मगथ राज महापश्चन्द्र ने उस पर आक्रमण कर उसे भी अपने आधीन कर लिया। इसी तरह से अन्य राज्य भी साम्राज्यवादी राजाओं द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दिये गये।

* सातवाँ अध्याय *

—३०५—

सैमीरेमिस का आक्रमण।

[१६६४ ई० पू० के लगभग]

प्राचीन पाञ्चात्य-साहित्य में बहुत सी ऐसी कथाएँ संयुक्त हैं, जिनका भारतवर्ष के साथ सम्बन्ध है। इनसे भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक लोग भारत और विदेशों के राजनीतिक सम्बन्ध का प्रारम्भ प्रायः सिकन्दर के भारतीय आक्रमण से करते हैं। परन्तु वात यह नहीं है। सिकन्दर से पूर्व भी भारत का विदेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध था और अनेक विदेशी आक्रान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किये थे।

प्राचीन पाञ्चात्य-साहित्य के अनुसार सब से पहला विदेशी आक्रान्ता ओसिरिस है। यह २२२० ई० पू० के लगभग मिश्र में राज्य कर रहा था। इसने बहुत से प्रदेशों को जीत कर अपने आधीन किया और भारत पर सी आक्रमण किये। भारतीय सेनायें ओसिरिस के शक्तिशाली तथा मायावी सैनिकों के सम्मुख न ठहर सकीं और भारत मिश्र-सम्राट् के आधीन हो गया। ओसिरिस तीक्ष्ण वर्ष तक भारत में रहा और अपरिमित तथा अवाधि रूप से राज्य करता रहा। विजित प्रदेशों में अपनी विजय को अनन्त काल तक स्मरण रखने के लिये उस ने बहुत से स्तम्भ लगवाये थे, जिन पर कि अपनी विजयों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऐसे विजय-स्तम्भ भारत में गङ्गानदी के तट पर भी स्थापित कराये गये थे। ओसिरिस ने भारत में अनेक नदीय घासों का भी प्रचार किया था।

ओसिरिस के बाद दूसरा विदेशी आक्रान्ता हरक्युलीज़ है। पाञ्चात्य कथाओं में यह सब से अधिक बलवान् और साहसी व्यक्ति है। अपने समय में कोई भी व्यक्ति इसे पराभूत न कर सकता था। हरक्युलीज़ ने भारत पर भी आक्रमण किया। और इस देश को अपने आधीन कर लिया। यहाँ उस ने अनेक नगर बसाये और भारत के सब से प्रसिद्ध नगर पाटलीषुंत्र में भी अपने गृहों का निर्माण कराया।

इन दोनों आक्रान्ताओं का वर्णन केवल पाञ्चात्य कथाओं में पाया जाता है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे वस्तुतः इतिहास-सिद्ध व्यक्ति हैं। बहुत से पाञ्चात्य लेखकों ने भी इन प्राचीन कथाओं की स्थिता में लम्बे प्रणाल किया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत पर पहले पहल सैमीरेमिस ने आक्रमण किया । यह असीरिया की रानी थी । सैमीरेमिस के पति का नाम 'नीनस' था । प्रसिद्ध प्राचीन लगर 'निनेवा' की स्थापना इसी ने की थी । यह असीरिया और बैबिलोनिया के संयुक्त विशाल साम्राज्य का स्वामी था । नीनस का विशाल साम्राज्य सिन्धनदी से नाइल नदी तक और पश्चिया की खोड़ी से टेनेस के तट तक फैला हुआ था । पति की मृत्यु पर सैमीरेमिस इस विस्तृत साम्राज्य की शासिका बनी । साम्राज्य विस्तार की इच्छा से सैमीरेमिस ने भारतवर्ष पर आक्रमण करने की तैयारियां प्रारम्भ कीं । इस देश की अतुल सम्पत्ति, हरे भरे मैदान, वैभव आदि को कथायें सम्पूर्ण पाञ्चाल्य झगत में विद्युत्त हीं । सैमीरेमिस ने ऐसे समृद्ध देश को जीतने का पूरा निश्चय कर लिया । सारे साम्राज्य से सेनायें एकत्रित को जाने लगीं । असीरिया के आधीन सेव देशों के सब उत्तम सैनिकों को वैकिंश्या की सीमा पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी गई । १५६४ ई० पू० के लगभग भारत पर आक्रमण प्रारम्भ किया गया ।

सैमीरेमिस ने सुना हुआ था कि भारतीय सेनायें हाथियों को महत्व देती हैं । खलयुद्ध में हाथियों के ऊपर ही विजय आश्रित होती है । जिस के पास हाथी अधिक होते हैं, वही विजयी होता है । हाथी भारतवर्ष में ही पाये जाते हैं । असीरिया की सेना में हाथियों का सर्वथा अभाव था । अतः इस कमी को पूरा करने के लिये सैमीरेमिस ने निश्चय किया कि कृत्रिम हाथी बनवाये जावें । ऊँटों के ऊपर मैसों की खालों को इस तरह मढ़ा गया कि वे हाथी प्रतीत होने लगें । बहुत सी खालों को जोड़ कर इस तरह सीया गया कि हाथी की शक्ति बन जाय । इन्हें ऊँटों पर मढ़ दिया गया और इस तरह सैमीरेमिस की हस्ति-सेना तैयार हो गई । उस का विचार था कि अनन्त हाथियों की सेना देख कर भारतीय लोग डर जावेंगे और सरलता से भारत को अपने आधीन किया जासकेगा ।

भारत पर आक्रमण करने के लिये सिन्ध नदी को पार करना आवश्यक था । इसके लिये जहाज तथा नौकाओं की आवश्यकता थी । सम्पूर्ण साम्राज्य के जलयानों को एकत्रित होने का हुक्म दिया गया और फिजिसिया, साइ-प्रस आदि के ग्रवीण मछाह अपने अपने जहाजों के साथ सैमीरेमिस की सहायता के लिये सिन्ध के समोप इकट्ठे होगये । साथ ही नवीन जहाजों के निर्माण के लिये सारे जङ्गलों को काट दिया गया और असीरियन साम्राज्य के कुशल कारीगर जहाज बनाने के कार्य में लग गये ।

सैमीरेमिस की सेना में ४० लाख पदाति और अध्यारोही थे, १ लाख रथ, ३ लाख झुँड तथा ३ हजार जहाज थे । इसके सिवाय ४ हजार नौकाओं

भी उसकी जलसेना में शामिल थीं। इस विशाल सेना को लेकर सैमिरेमिस ने वैकिङ्ग से प्रथान किया। जब वह सिन्ध नदी के समीप पहुँची, तो उसने देखा कि सरमुख शत्रु की जलसेना युद्ध के लिये तैयार है। प्राचीन पाञ्चात्य लेखकों के अनुसार उस समय भारत के राजा का नाम स्टारोबेट्स (Staurobates) था। सम्भवतः यह पश्चिमोत्तर भारत का शासक था, इसके बैश आदि के समन्ध में प्राचीन लेखक कोई परिवर्य नहीं देते। स्टारोबेट्स ने सैमिरेमिस का मुकाबला करने के लिये पूरी तरह से तैयारी की थी। वह भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये सब तरह से उद्यत था।

सामने शत्रु की सेना को देखकर सैमिरेमिस ने एक दम हमला करने की आज्ञा दी। यद्यपि असीरियन सेनाओं का सेनापति डेरेकृष्ण था, पर भारतीय आक्रमण में सैमिरेमिस स्वयं सेनाओं का सञ्चालन कर रही थी। सैमिरेमिस की जलसेना ने बड़े बेग भारतीय जहाजों पर आक्रमण किया। बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा। दोनों ओर से अद्भुत वीरता प्रदर्शित की गई। परन्तु अन्त में सैमिरेमिस की विजय हुई। उसकी सेना में फिज़ी-सिया तथा अन्य जलशक्ति प्रधान देशों के बहुत से जहाज़ तथा सैनिक थे। जलयुद्ध में उनका अनुभव अद्वितीय था। एक हजार से अधिक भारतीय जहाज डूबा दिये गये और बहुत से कैद कर लिये गये। विजय के मद से मत्त होंकर सैमिरेमिस ने सिन्ध के समीपवर्ती सीमा प्रदेश को लूटने का हुक्म दिया। असीरिया की सेनाओं ने स्वच्छन्दरूप से लूटमार की। दूर दूर तक के प्रांतों तथा नगरों को ध्वंस कर दिया गया। बहुतसी लूट असीरियन विजेताओं के हाथ आई।

यद्यपि सिन्ध नदी के युद्ध में भारतीयों की पराजय हुई थी, पर स्टारोबेट्स ने हिम्मत न छोड़ी। उसने फिर अपनी सेना को एकत्रित किया और सिन्धु नदी से कुछ दूरी पर सैमिरेमिस का मुकाबला करने के लिये तैयार हो गया। सैमिरेमिस ने जहाजों और नौकाओं के द्वारा सिंध नदी पर पुल बना कर अपनी विशाल सेना को पार उतार दिया और स्टारोबेट्स पर आक्रमण किया। पुल की रक्षा के लिये ६० हजार आदमी वहाँ छोड़ दिये गये।

सैमिरेमिस ने अपने कृत्रिम हाथियों को जिनकी संख्या ५० हजार से कम न थी—सब से आगे रखा। इतने हाथियों को देखकर पहले भारतीय सेना घबरा गई। परन्तु पीछे से उन्हें मालूम पड़ गया कि ये हाथी असली न होकर कृत्रिम हैं। सब जगह इस समाचार को फैला दिया गया। और सम्पूर्ण भारतीय सेना का सारा आतঙ्क इस समाचार से दूर होगया।

युद्ध प्रारम्भ हुआ । भारतीय घुड़ सवारों और रथारोहियों ने सैमीरेमिस के कृत्रिम हाथियों पर हमला किया । परन्तु समीप जाकर ऊटों पर मढ़ी हुई कच्ची खालों से उन्हें इतनी दुर्गति आई कि वे घबरा गये । बहुत से घोड़े बायिस भाग खड़े हुवे । अनेक सवार नीचे गिर पड़े और भारतीय सेना में खलबली मच गई । अवसर देखकर सैमीरेमिस ने अपने बीर योद्धोओं को आक्रमण करने की आशा दी । भारतीय सेना के पैर उखड़ गये । पर ऐसे समय में स्टॉरेवेट्स ने अपूर्व रणकुशलता प्रदर्शित की । उसने अपनी सेना को सम्भालने का पूरा प्रयत्न किया । उसे सफलता हुई और अपनी पदाति सेना को लेकर उसने फिर हमल किया । पीछे से हस्ति-सेना ने भी विदेशियों पर चढ़ाई करदी । घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत देर तक लड़ाई होती रही पर अन्त में असीरियन सेना घबरा गई । भारत के हाथी संग्राम क्षेत्र में बड़े आवेश के साथ विदेशी सेना को पद दलित कर रहे थे । दूसरी तरफ सैमीरेमिस के नकली हाथी असली हाथियों का कमन कर सक, वे भार स्वरूप हो गये और उन्होंने असीरियन सेना के सञ्चालन में अनेक बाधायें उपस्थित करनी शुरू कर दीं । परिणाम यह हुवा कि असीरियन आक्रमनार्थी का धैर्य छूट गया । वे भागने लग गये । भारतीयों ने सिन्ध नदी तक उनका पीछा किया और विदेशी सेना बुरी तरह कतल की गई ।

इस सारे समय में स्टॉरेवेट्स एक हाथी पर बैठा हुआ सेना का सञ्चालन कर रहा था । अस्त में उसका सैमीरेमिस के साथ साक्षात्कार हुवा । दोनों में संग्राम छिड़ गया । सैमीरेमिस ने चाहा कि स्टॉरेवेट्स को मार कर अपने पराजित होते हुवे पक्ष को सम्माल ले । पर उस का मनोरथ सफल न हुवा । स्टॉरेवेट्स बड़ा बीर पुरुष था । समुख युद्ध में उसने सैमीरेमिस को पराजित कर दिया । वह बुरी तरह धायल हुई और अपनी सेना के साथ स्वयं भी भाग खड़ी हुई । सिन्ध बड़ी को धार करने में भी असीरियन सेना का संहार हुआ । भारतीय सेना उनका पीछा कर रही थी और उनके पास सिन्ध के तंग पुल पर से गुज़रने के सिवाय अन्य कोई रास्ता न था । परिणाम यह हुवा कि बहुत से विदेशी सिन्ध में ढूब कर मर गये । बहुत थोड़े असीरियन सैनिक सक्षल सिन्ध नदी को पार कर सके ।

अनेक लेखकों ने लिखा है कि सैमीरेमिस भी इस युद्ध में मारी गई । कुछ लेखकों के अनुसार वह केवल २० सैनिकों के साथ अपने देश को बायिस लौटी । इस तरह, भारतवर्ष पर विदेशियों का यह पहला ऐतिहासिक आक्रमण समाप्त हुवा । इस में भारत को बड़ी भारी विजय हुई ।



* आठवाँ अध्याय *

४५६

प्राचीनौद्ध काल के १६ राज्य.

बौद्ध साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के समय से कुछ पहले भारत में १६ राज्य (बोड्ड महाजनपद) विद्यमान थे। इन राज्यों का संक्षिप्तरूप से इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है—

१. मगध का राज्य—इसकी राजधानी राजगृह थी। यहाँ शैशवांश के राजा राज्य कर रहे थे। महात्मा बुद्ध के समय में बिम्बसार और फिर अजातशत्रु मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुवे। इस समय में मगध के राजा बहुत शक्तिशाली थे। वे साम्राज्य फैलाने का बड़ी तेज़ी के साथ प्रयत्न कर रहे थे।

२. कोशल का राज्य—इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय में यहाँ राजा प्रसेनजित् और फिर राजा विहूडम (पुराणों के अनुसार क्षुद्रक) ने शासन किया। कोशल के राजा भी बहत प्रतापशाली थे। वे भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में प्रयत्न शील थे।

३. वत्स या वंश का राज्य—इस की राजधानी कौशामिंद्र थी। पार्णवों के वंशज इसी स्थान पर राज्य करते थे। बुद्ध के समय में यहाँ परम्परा और फिर उद्ययन ने राज्य किया।

४. अवन्ति का राज्य—इस की राजधानी उज्जैन थी। यहाँ पर बुद्ध के समय में राजा प्रद्योत राज्य कर रहा था।

प्राचीनौद्धकाल में ये चार राज्य सब से अधिक शक्तिशाली थे। इन में परस्पर साम्राज्य के लिये संघर्षण चल रहा था। मगध और कोशल तथा अवन्ति और वत्स विशेष रूप से एक दूसरे का विनाश करते के लिये प्रयत्न कर रहे थे।

५. काशी—प्राचीन समय में काशी का राज्य बहुत प्रबल था। परन्तु पीछे से समीप वर्ती मगध और कोशल के साम्राज्यवाद में पिस कर यह विनष्ट हो गया। बौद्ध काल से पहले इस की पृथक् सत्ता विद्यमान थी। परन्तु मगध और कोशल दोनों इस को निगल लाने के लिये यज्ञ कर रहे थे। अन्त में यह राज्य मगध साम्राज्य में लीन हो गया।

६. अंग — यह राज्य मगध के पूर्व में था और इस की राजधानी चम्पा थी। किसी समय में यह राज्य भी बहुत शक्तिशाली था। कुछ समय के लिये मगध भी इस के अधीन हो गया था और राजगृह को अंग राज्य के अन्तर्गत समझा जाता था। अंग का राजा ब्रह्मदत्त वट्सराज की सहायता से मगध को पराजित कर ने में समर्थ हुवा था। परन्तु शक्ति के संघर्ष में, अन्त में मगध कीही विजय हुई और मगध के राजा बिमिसार ने अंग को जीत कर अपने संघ उप में मिला लिया।

७. चेदि — यह राज्य यमुना के समीप था। जिस प्रदेश को वर्तमान समय में बुन्देलखण्ड कहा जाता है, वह तथा उसके समीपवर्ती देश को ही प्राचीन समय में चेदि राज्य कहते थे। इस की राजधानी शुक्रमती नगरी थी।

८. कुरु — इस की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यहां पर भी युधिष्ठिर के वंशराज राज्य करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यिछले समय में हस्तिनापुर का राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। मुख्य राजवंश पहले हस्तिनापुर और पीछे कौशाम्बी में राज्य करता रहा और इन्द्रप्रस्थ में एक नवीन राज्य की व्यापना हुई। सम्भवतः यह राज्य आगे चल कर एक गणराज्य वा प्रजातन्त्र राज्य के रूप में परिणत होता है।

९. पाञ्चाल — प्राचीन समय में पाञ्चाल का प्रदेश दो भागों में विभक्त था। उत्तर पाञ्चाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पाञ्चाल की राजधानी काश्मिल्य थी। इन में उत्तरीय पाञ्चाल का राज्य अधिक शक्तिशाली न था। उस को जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पाञ्चाल में संघर्ष चल रहा था। अहिच्छत्र का राज्य कभी कुरु राज्य के अधीन होता था, तो कभी दक्षिण पाञ्चाल के। पाञ्चाल राज्य का इतिहास सर्वथा अन्धकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे से यहां पर भी गणराज्य स्थापित हो गया था।

१०. मत्स्य — इसकी राजधानी विराट् नगर या वैराट् थी। यह नगर वर्तमान जयपुर राज्य में है। यह राज्य बहुत शक्तिशाली न था। पड़ीस के साम्राज्यवादी राज्य इसे जीतने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे। पहले यह चेदि राज के अधीन हुवा और किर मगध ने सदा के लिये इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कुरु और पाञ्चाल की तरह पीछे से इस में गण-राज्य स्थापित होगया था।

११. शूरसेन — इस राज की राजधानी मथुरा थी। यहां यदु या याद्रव वंश राज करता था। बुद्ध के समय में शूरसेन राज पर 'अवन्तिपुत्र' नामी राजा का अधिकार था।

१२. असंसक या अशमक का राज्य— इसकी राजधानी 'पोटलि' नगरी थी। इसे आधीन करने के लिये भी सभी पवर्ती राज्य प्रयत्न कर रहे थे। एक समय में यह काशी के भी आधीन रह चुका था। परन्तु बुद्ध के समय में इसकी स्वतन्त्र सत्ता थी।

१३. गान्धार— इसकी राजधानी नक्षशिला थी। पश्चिमोत्तर भारत का बहुत सा प्रदेश गान्धारराज्य के अन्तर्गत था। महात्मा बुद्ध के समय में गान्धारराज्य पर राजा पुकुसाति राज्य कर रहा था। पुकुसाति ने मगधराज विम्बिसार के पास एक दृतमण्डल भेजा था।

१४. काम्बोज— इसकी राजधानी द्वारक थी। पिछले समय में यहाँ भी गण राज्य की खापना हो गई थी। काम्बोज के इतिहास के सम्बन्ध में कोई उल्लेख योग्य घात ज्ञात नहीं हो सकी है।

१५. वैज्ञेन राज्य संघ— प्राचीद्वाद्वाद काल में वैज्ञेन राज्य संघ की बहुत महत्ता थी। इसमें आठ गण राज्य समिलित थे। इन आठ संघात्मक राज्यों (अष्टकुल) में विदेह और लिच्छवी राज्य सब से अधिक महत्वपूर्ण थे। इनके सिवाय शाक्त्रिक और वज्जी राज्य भी अच्छे शक्तिशाली थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इसी तरह लिच्छवी राज्य को राजधानी वैशाली थी। शाक्त्रिक राज्य का मुख्य नगर कुरुक्षेत्र था। जैनधर्म का प्रवर्तक आचार्य महावीर यहीं उत्पन्न हुआ था।

वैज्ञेन के सङ्ग राज्य को नष्ट करने के लिये मगध के साम्राज्यवादी राजाओं ने बहुत प्रयत्न किये। पर वैज्ञेन की शक्ति कम न थी। यह सङ्ग राज्य बड़े धैर्य के साथ साम्राज्यवाद का मुकाबला करता रहा। अन्त में अजातशत्रु ने अपने प्रधानमन्त्री वस्सकार की कूटनीति से इस सङ्ग राज्य का विनाश किया।

१६. मल्ल— यह राज्य वैज्ञेन राज्य-सङ्ग के उत्तर में था। इस में गण-तन्त्र राज्य विद्यमान था।

इन सोलह राज्यों के सिवाय निम्नलिखित गण-राज्य भी प्राचीद्वाद्वाद काल में विद्यमान थे—

१. सुसुमार पर्वत के भग्ग
२. अल्कण्प के बुली

(११०)

भारतवर्ष का इतिहास ।

३. केसपुत्र के कालाम
४. रामगाम के कोठिय
५. पिण्डलिवन के मोरिय
६. कपिलवस्तु के शाक्य

महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में ही हुआ था । बौद्ध साहित्य के आधार पर प्राचीनबौद्ध काल के विविध राज्यों को जो सूची दी गई है, वह पूर्ण नहीं है । परन्तु उससे उस समय के भारत के राजनीतिक चिभागों पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है ।

महाभारत काल के विविधराज्य किस प्रकार प्राचीनबौद्ध काल के इन राज्यों में परिणत हो गये, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं है । परन्तु इस समय के इतिहास में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । बहुत से राज्य-जहाँ पर कि पहले राजा लोगों का शासन था— इस काल में गण-राज्य बन गये । किन परिस्थियों ने इन्हें इस रूप में परिवर्तित होने के लिये धार्धित किया था, इसका ठीक तरह समझना अभी सम्भव नहीं है ।



तृतीय भाग

शुक्रनीतिसार कालीन भारत

प्रथम अध्याय

—२०५४०५०५०५०—

शुक्र नीति सार

पूर्ववचन— महाभारत के आधार पर हम तत्कालीन सभ्यता तथा सामाजिक दशा पर अपने इतिहास के इस खण्ड के प्रथम भाग में पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। इस भाग में महाभारत से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तक के भारतीय सभ्यता के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जायगा।

प्रायः सभी पाश्चात्य ऐतिहासिक इस समय का इतिहास लिखते हुए सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का आश्रय लिया करते हैं। परन्तु हम ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में इस बात को भली प्रकार सिद्ध कर चुके हैं कि सूत्र ग्रन्थों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण काल महाभारत से बहुत पूर्व है, इस अवस्था में महाभारत के बाद का इतिहास लिखते हुए हम इन ग्रन्थों का आश्रय नहीं ले सकते।

दुर्भाग्य से भारतवर्ष के इतिहास का यह काल निरान्त अन्धकार पूर्ण है। कलिष्य पैरामिक गाथाओं को छोड़ कर प्राचीन संस्कृत साहित्य के किसी भी ग्रन्थ द्वारा इस काल के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। इसी कारण द्वितीय भाग में इस काल के राजनीतिक इतिहास का अनुशीलन करते हुए हमने केवल पुराण ग्रन्थों को ही आधार माना है। परन्तु इस काल को सभ्यता का इतिहास लिखते हुए हमें एक और ग्रन्थ से बहुत प्रामाणिक और असूत्य सहायता मिल सकती है। यह ग्रन्थरत्न आवार्य शुक्र के अनुयायियों द्वारा संग्रहीत और प्रणीत “शुक्र नीति सार” है। हमारी स्थापना है कि इस ग्रन्थ का निर्माण काल महाभारत के बाद से लेकर महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व तक के बीच में ही किसी समय है। अतः प्रथम अध्याय में शुक्रनीति सार के काल निर्णय के सम्बन्ध में कुछ लिख कर इस ग्रन्थ के आधार पर ही तत्कालीन सभ्यता तथा सामाजिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालेंगे।

शुक्र नीति सार— यद्यपि आचार्य शुक्र महाभारत काल से भी बहुत पुराने हैं तथापि यह शुक्रनीति सार नाम का दण्डनीति तथा राजधर्म का प्रतिपादक ग्रन्थ महाभारत के बाद ही इस रूप में लाया गया है । यह शुक्राचार्य द्वारा प्रणीत शुक्रनीति नहीं है, उस के आधार पर लिखा हुआ सार-ग्रन्थ है, यह इस के नाम से ही प्रतीत होता है । शुक्र द्वारा प्रणीत सम्पूर्ण शुक्रनीति आज उपलब्ध ही नहीं होती ।

आचार्य शुक्र कौन है ?— शुक्राचार्य यादव वंश के प्रारम्भ के समय के हैं । वह दैत्य गुरु, मध्याभव, सौदासर्चि, कविपुत्र, काव्य, भृगुपुत्र, उशना आदि बहुत से नामों से प्रसिद्ध हैं ।^१ देवों से युद्ध छिड़ने पर दैत्यों ने उन्हें अपना प्रधानामात्य और पुरोहित चुना था । दैत्यों के राजा का नाम वृषपर्वा था, शुक्र उसी के प्रधानामात्य थे । इसी समय की कथा, देवयानी, यथाति और शर्मिष्ठा आदि की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं । शुक्र का एक और परिचय भी प्राप्त होता है,—मनुष्य समाज का सब से पहला राजा वेनका पुत्र पृथु हुवा है, शुक्राचार्य इस के प्रधानामात्य थे । दूसरी ओर उन्हीं दिनों देवताओं के गुरु और प्रधानामात्य बृहस्पति थे । ये दोनों आचार्य अपने समय के सर्वोत्तम वक्ता और नीतिशास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिकव्यक्ति थे । दोनों एक दूसरे से खूब प्रतिस्पर्धा करते थे । पीछे से आने वाले दण्डनीति शास्त्र के सभी विद्वानों ने इन दोनों आचार्यों का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया है ।

पञ्चतन्त्र में प्राचीन गुरुओं को प्रणाम करते हुए सब से पूर्व मनु, उस के बाद बृहस्पति और शुक्र, फिर पराशर और व्यास का नाम लिया गया है ।^२ कौटल्य अर्थशास्त्र में भी जगह जगह “इत्यौशनसः” लिख कर आचार्य शुक्र के सम्प्रदाय की प्रामाणिकता स्वीकार की गई है ।

काल निर्णय— प्राचीन संस्कृतसाहित्य में औशनस दण्डनीति बहुत उत्कृष्ट और प्रामाणिक भानी गई है परन्तु वर्तमान समय में शुक्रनीति-सार नाम से उपलब्ध होने वाले ग्रन्थ का काल निर्णय करना बहुत कठिन

१. शुक्रो मध्याभवः काव्यः उशना भार्गवः कविः ।

सौदासर्चिः दैत्य गुरुः चिष्णवः ॥

(अनेकार्थ स्तनमाला अ० २ । ३३ । ३४)

२. मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय समुत्ताय ।

चारकयाय च विदुषे नमोस्तु तय शास्त्रकर्तृस्यः ॥

(पञ्चतन्त्र कथामुख)

है । इस समय शुकनीति सार के भिन्न २ संस्करणों में जो थोड़ा बहुत भेद पाया जाता है उस को देख कर उसे शुक द्वारा निर्मित ग्रन्थ मानना कठिन हो जाता है । यह माना जा सकता है कि सम्भवतः आचार्य शुक के विस्तृत ग्रन्थ को इस नाम से सार रूप में संक्षिप्त कर दिया गया हो ।

महाभारत शमनित पर्व में सम्पूर्ण दण्डनीतियों का उद्भव इस प्रकार माना गया है—

“दैत्यों से पराजित होकर सब देवता मिल कर ब्रह्मा के पास गए, और उनको अपना कष्ट सुनाया । इस पर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें निपुण बनाने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक एक शास्त्र सुनाया । अन्त में ब्रह्मा ने कहा कि सब लोकों के उपकार के लिये और त्रिवर्गों में धर्म, अर्थ और काम की स्थापना के लिये मैंने तुम्हें यह शास्त्र सुनाया है । यह दण्ड के सहित संसार की रक्षा में समर्थ हो कर निग्रह (दण्ड) और अनुग्रह (कृपा) करता हुवा संसार में व्याप्त रहेगा । यह शास्त्र नियम बनाने और दण्ड विधान का निर्देश करता है इस लिये इसे दण्डनीति शास्त्र कहा जायगा । यह बांडगुण्य रूप (सन्धि, विग्रह, यान, धासन, संत्रय और द्वैधी भाव) से महात्मा लोगों में भी रहेगा; इस में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का वर्णन किया गया है । इसी नीति को सब से पूर्व शंकर ने ग्रहण किया । शंकर के बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, शाणु, उमापति आदि नाम प्रसिद्ध हुए ।

इस के बाद शिव ने देखा कि यह ग्रन्थ तो इतना बड़ा है कि इसे पढ़ते २ मनुष्य की सम्पूर्ण आयु ही व्यतीत हो जायगी, इस लिये संक्षेप कर के उसने १ लाख की जगह १० हजार अध्याय कर दिये । इस संक्षेप को विशालाक्षकृत दण्डनीति शास्त्र समझना चाहिये । इन्द्र ने इस को और अधिक संक्षिप्त करके ५ हजार अध्यायों का कर दिया । इस सार का नाम चाहुदण्डक (या बाहु दन्तक) दण्ड नीति शास्त्र प्रसिद्ध हुवा । इस के बाद बृहस्पति ने बाह्स्पत्य दण्डनीति शास्त्र नाम से इसे और अधिक संक्षिप्त कर के ३ हजार अध्यायों का कर दिया । अन्त में आचार्य शुक ने इसी दण्डनीति को और अधिक संक्षिप्त करके १ हजार अध्यायों का कर दिया । इस प्रकार यह शुकनीति दण्ड शास्त्र संक्षिप्त हो कर इस रूप में पहुंचा है ॥”^१

१. तानुवाच सुराहु चर्वीह स्वयंभूभगदङ्गतः ।
अयोऽहं चिन्तयिष्यामि येतु वोभीः सुरप्तभाः ॥ २८ ॥
ततोऽध्याय शतं चक्रे सहस्राणां स्वसुद्विजम् ।

इस प्राचीन प्रवाद के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह केवल ५ अध्यायों वाला शुक्लनीति सार उस १ सहस्र अध्यायों वाली शुक्लनीति का अत्यन्त संक्षिप्त सार माना है। यह सार महाभारत के बाद ही बनाया गया। महाशय गुस्ताक और्गर्ट पी. एच. डी. ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के शब्द, सैन्यसंगठन और राज नीतिक सिद्धान्त' (Weapons, Army Organisation and Political Maxims in Ancient India) में लिखा है—

"शुक्ल नीति के दूसरे श्लोक में ही लिखा है कि ब्रह्मा का नीतिशास्त्र सौ, सौ श्लोकों वाले एक लाख अध्यायों का था।^३ जिस प्रकार मानव धर्मशास्त्र भी अब उतना बड़ा उपलब्ध नहीं होता, जितना कि वह प्राचीन काल

यत् धमस्तथैवार्थः कामश्चैत्राभिः वर्णितः ॥ ७७ ॥

एतत्कृष्णा शुभंशास्त्रं ततः स भगवान् प्रभुः ।

देवानुवाच संहृष्टः सर्वाङ्गं शुक्रं पुरोगमान् ॥ ७८ ॥

उपकाराय लोकस्य विवर्गस्थापनाथ च ।

नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाषिता ॥ ७९ ॥

दरेदेन उहिता होषा लोक रक्षण कारिका ।

निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥ ८० ॥

दरेदेन नीयते वेदं दश्छं नयति वा पुनः ।

दश्छनीतिरिति ख्याता लीङ्गोकानतिवर्तते ॥ ८१ ॥

षट्गुण्यरसारेषां स्थास्यत्यग्ने महात्मसु ।

धर्मार्थं कामं मोक्षाश्च सकलाद्यवश्यन्विताः ॥ ८२ ॥

ततस्तर्ता भगवान्नीतिं पूर्वं जग्राह शंकरः ।

बहुरूपो विशालासः शिवः स्याषुकमपतिः ॥ ८३ ॥

प्रजानामायुषो द्रासं विज्ञाय भगवान् शिवः ।

सञ्जुक्तेष्य ततः शास्त्रं महात्मं ब्रह्मणकृतम् ॥ ८४ ॥

वैश्वलाक्ष्मिति प्रीक्षः तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत ।

दशाध्याय सहस्राणि सुब्रह्मण्यो महात्माः ॥ ८५ ॥

भगवान्पि तत् शास्त्रं देवात्प्राप्य महेश्वरात् ।

प्रजानां हितमन्विद्धक्षलं संचिक्षेप पुरन्दरः ॥ ८६ ॥

सहस्रैः पञ्चमिस्तापि यद्गतं वाहुदन्तकम् ।

अध्यायानां सहस्रैस्तु विभिरेव वृहस्पतिः ।

संचिक्षेपेश्वरो बुद्ध्या वार्हस्यत्यं यदुच्यते ॥ ८७ ॥

अध्यायानां सहस्रेण काव्यं संक्षेपमन्वीत् ।

तच्छास्त्रमितप्रज्ञो योगाचार्यो महायशाः ॥ ८८ ॥

एवं लोकानुरोधेन शास्त्रमेतत् महर्षिभिः ।

संचिक्षमायुर्विज्ञाय मर्यानां ह्रासमेव च ॥ ८९ ॥ (महाभारत शान्ति० अ० ५८)

१. शतश्लोक श्लोकमिते नीतिसारमध्योक्तवान् ॥ २ ॥ (शुक्र० अ० १)

में था, उसी प्रकार महाभारत के लेखानुसार शुकनीति भी आज प्राचीन विस्तृत रूप में प्राप्त नहीं होती। शुकनीतिसार के चतुर्थ अध्याय में लिखा है कि इस में कुल मिला कर २२०० श्लोक हैं।^१ वद्यपि प्राचीन लिखित पुस्तकों की पद्य संख्याओं में कुछ कुछ भेद है तथापि एक शुकनीतिसार ऐसा भी उपलब्ध होता है जिस में ठोक २२०० श्लोक ही हैं। परन्तु अन्य हस्तलिखित पुस्तकें इस में संदेह डाल देती हैं।^२

शमन्ति पर्व, राजधर्म प्रकरण के ५८ वें अध्याय में शुक्र को शास्त्रकार माना गया है।^३ इसी प्रकार कामन्दकीयादि में भी उसे शास्त्रकार स्त्रीकार किया गया है। महाभारत में भी इस के उदाहरण मिलते हैं। इसी आधार कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रन्थ महाभारत से पूर्व बना। परन्तु इस के विरुद्ध भी युक्तियां प्राप्त होती हैं।

महाभारत, कामन्दक, हरिवंश, पञ्चतन्त्रादि में वात्सविक शुकनीति के उदाहरण भी पाये जाते हैं उन में से कुछ यहाँ दिये जाते हैं—

“न विश्वसेद्विविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्” इत्यादि नीतिवाक्य शुकनीति, कामन्दक, हरिवंश और पञ्चतन्त्र में समान रूप से पाये जाते हैं, कुछ पद्यों में थोड़ा बहुत पाठ भेद अवश्य है।

पञ्चतन्त्र में “नागिन शेषं शत्रुं शेषम्” पद्यों की शुक्र के नाम से उद्धृत किया गया है, यह पद्य शुकनीति में भी उपलब्ध होता है।

कामन्दक नीतिशास्त्र तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में उशना के नाम पर २० अमात्य रखने का उद्धरण दिया है। यह भी शुकनीति में प्राप्त होता है।

इस प्रकार इन ग्रन्थों में शुकनीति के अन्य भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं अतः हम कह सकते हैं कि शुकनीति का प्रादुर्भाव इस सब ग्रन्थों से पूर्व हो चुका था। परन्तु पाठभेद अवश्य प्राप्त होते हैं इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उन दिनों स्मृतिग्रन्थों के शब्दानुक्रम को इतनी मुख्यतः दी नहीं जाती थी जितनी कि स्मृतिसिद्धान्तों को। इसी से किसी स्मृतिकार

१. मन्थाद्यैरादृतोयोर्षः तदर्थो भागवेण वै।

द्वार्विशति शतं शोका नीतिसारे प्रकीर्तिताः ॥ २४६ ॥

(शुक्र० श्र० ४)

२. वर्तमान शुक्र नीति के कलकत्ता में जीवानन्द के प्रबन्ध से छपे संस्करण में

२५८४ पद्य हैं।

३. वैशालीनाम् भगवान् काव्यशैव महातपा

सहस्रात्मो महेन्द्रस्य तथा प्राचेतसो मनुः ॥ २ ॥

(महात शान्ति० श्र० ५८)

के सिद्धान्त को अपने शब्दों में ही यक कर कर के नवीन समृतिकार सन्तुष्ट है जाते थे ।

अब प्रश्न यह है कि शुक्रनीति इस प्रकार संक्षिप्त क्व हुई । हमारी सम्भति में इस का एक मात्र यही उत्तर है कि वर्तमान शुक्रनीतिसार शुक्र का बनाया हुआ ही नहीं है, प्रत्युत महाभारत काल के बाद किसी अन्य ने आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों को लेकर इस ग्रन्थ की रचना की है । इस का सब से प्रबल प्रमाण यही है कि इस सार में दृष्टि और सुभद्रा तथा दुर्योग्यन और जन्मेजय के दृष्टिगत हिए गए हैं ।^१ इस से हम इस का काल कामन्दक, कौटिल्य आदि नीतिग्रन्थों की रचना से पूर्व, अर्थात् बौद्ध काल से पूर्व, निर्धारित कर सकते हैं ।

महाभारत राज धर्मानुशासान में उशना की निम्नलिखित उक्ति का उल्लेख किया गया है—

“धर्म की अपेक्षा करके राजा अपने धर्मानुसार शब्द उठा कर धात करने के लिये आते हुए वेदान्त पारंगत ब्राह्मण को भी दण्ड दे । जो नष्ट होते हुए धर्म को रक्षा करता है, वही धर्म को पहिचानता है; इस से राजा कभी अधर्म न करे क्योंकि मन्यु पर मन्यु विजय पाता है ।”^२

शुक्रनीति में यही बात इस प्रकार कही है—“शब्द उठा कर आते हुए आततायी ब्राह्मण (भ्रूण) को भी मार कर मनुष्य भ्रूणहा नहीं होता अपितु यदि वह उसे न मारे तभी भ्रूणहा होता है ।”^३

१. रामकृष्णन्दादि देवैः कूटमेवादृतं पुरा ।

कूटेन निहतो बालिर्यवनो नामुचिस्तज्ञा ॥ ३६० ॥

न कूटनीतिरभवच्छ्रो कृष्ण सदृशो दृष्ट ।

श्रुजुनं प्रायितास्वस्य सुभद्रा भगिनी छलात् ॥ ५४ ॥

(शुक्र ० अ० ५)

दण्डको दृपतिः कामात् क्रोधाच्च जनमेजयः ॥ १४४ ॥

नष्टा दुर्योग्यनाव्यास्तु दृपाः शूरखलाधिकाः ॥ ११ ॥

२. उद्यम्य शब्द मायान्तमपि वेद परगम् ।

निगृहीयात् स्वधर्मेण धर्मपैत्री नराधिपः ॥ २८ ॥

विनश्यमाणं धर्मं हि यो न रक्षेत् स्वधर्मवित् ।

न तेन धर्मं हास्यात् मन्युस्तंपर्यु मृक्ष्वति ॥ ३० ॥

(महा० शान्ति० अ० ३०)

३. उद्यम्य शब्दमायान्तं भ्रूणमप्याततयिनम् ।

निहत्य भ्रूणहानस्यात् श्रहत्वा भ्रूणहामवेत् ॥ ३३६ ॥

(शुक्र ० अ० ४)

शुकनीति में ब्राह्मण के लिये 'भूमि' शब्द आया है; इसी के स्थान पर इस की व्याख्या करके महाभारत में 'वेदान्त पार ब्राह्मण' शब्द रखा गया है। यह महाभारत में शुक से ही उद्धृत किया प्रतीत होता है।

शान्तिपर्व के ५७ वें अध्याय में उशना की एक और उक्ति का उल्लेख है—“भूमि शत्रु से युद्धन करने वाले राजा तथा ब्राह्मण को और भिक्षा न देने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार ग्रस लेती है जिस प्रकार कि सांप बिल में रहने वाले जीवों को निगल जाता है।”^३

शुकनीति में यही श्लोक इस से कुछ भिन्न रूप से पाया जाता है।^३

इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शुकनीति सार का निर्माण काल महाभारत के पश्चात् और बौद्ध काल से पूर्व है।

१. द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पेविलशयनिव ।

राजानन्नावियोद्वारं ब्राह्मणञ्चा प्रवासिनम् ॥ ३ ॥

(महाऽशान्तिऽ अ० ५७)

२. राजानं चावियोद्वारं ब्राह्मणञ्चापि प्रवासिनम् ।

भूमिरेतौ निर्गति सर्पेविलशयनिव ॥ ३३ ॥

(शुक्र० अ० ४ vii)



द्वितीय अध्याय

→॥३७॥←

भौगोलिक अवस्था

शुकनीति कोई काव्य, इतिहास, पुराण या अलंकार ग्रन्थ नहीं। उस के द्वारा किसी वंश का चरित्र, किसी जाति का इतिहास, मनोरञ्जक ऐतिहासिक गाथाएँ, अथवा अत्युक्ति पूर्ण मानव चरित्रों का वर्णन नहीं जाना जा सकता। वह शुद्ध रूप से एक नीति शास्त्र है जिस में दरड-नीति तथा राज धर्म के सम्बन्ध में आदर्श विचार प्रगट किए गए हैं। इस नीति शास्त्र में उदाहरणों के रूप में जो कुछ कहा गया है उस में ज़रा भी अत्युक्ति नहीं है। यह ग्रन्थ पद्यों में इस लिये है कि उस समय पद्यरूप में ही ग्रन्थ लिखने की प्रथा थी। शुकनीति में भूगर्भ विद्या, खनिज विद्या, ध्रुगोल और भौतिक विज्ञान आदि विषयों के वर्णन के लिये बहुत कम स्थान है, तथापि उस में उदाहरण के रूप से जहां कहीं किसी देश व जाति की प्रथाओं और व्यवहारों का विवेश किया है, उस के आधार पर तत्कालीन भौगोलिक स्थिति और जातियों के सम्बन्ध में यत्क्षित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

दिग्विभाग— शुकनीति में राजधानी का स्थान चुनते हुए दिशाओं की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कहा गया है। राज महल के भवनों का क्रम दिशाओं के अनुसार ही होना चाहिये। पूर्व की ओर राजा के घरों की धुलाई और सफाई के लिये मकान होने चाहिये, उत्तर की ओर राजा का अद्भुतालय हो, इत्यादि। इस दिग्विभाव के आधार पर ही तत्कालीन वास्तुविद्या (भवन निर्माण विद्या) आधित थी।^१

प्रान्त विभाग—दिशाओं के आधार पर ही भारत उस समय पांच भागों में विभक्त था—पूर्व देश, दक्षिण देश, पश्चिम देश, उत्तर देश और मध्य देश। शुकनीति में इन सब विभागों की भिन्न २ प्रथाओं का वर्णन कई स्थानों पर आता है।

“पश्चिमोत्तर देश के निवासी वेद से भिन्न किसी और ग्रन्थ को प्रामाणिक मानते हैं।”^२

१. शुक ० अ० ११२१४ स्तोक से राजधानी निर्माण प्रकरण।

२. सर्वकर चतुर्दर्शी एकत्रैकत्र यावनाः।

वेदभिन्न प्रमाणास्ते प्रत्यगुत्तर याविनः ॥ ३५ ॥

“दक्षिण देश के ब्राह्मण अपनी ममेरी बहिन से विवाह कर लेना बुरा नहीं समझते । मध्यदेश के शिल्पी और बढ़ई गी का मांस भी खाते हैं ।”^१

“उत्तर देश में स्त्रियों भी शराब पीती हैं । रजस्वला होने पर भी उन्हें छूया जा सकता है ।”^२

इन उपर्युक्त प्रथाओं के आधार पर हम इन विभागों की स्थिति बहुत सुगमता से जान सकते हैं । आज तक भी महाराष्ट्र और मद्रास में ब्राह्मणों में मामे की कन्या से विवाह करना बुरा नहीं समझा जाता । इस लिये आज कल का दक्षिणी भारत ही शुक का दक्षिण देश है । सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने भी भारत के पांच विभागों का वर्णन किया है । सम्भवतः ये पांचों विभाग भी वही शुक के पांच देश ही हैं । यह मान कर वर्तमान पञ्चाब और अफगानिस्तान उस समय का उत्तर देश, आसाम बंगाल पूर्व देश, सिन्धु गुजरात पश्चिम देश, महाराष्ट्र और मद्रास दक्षिण देश और युक्त प्रान्त मध्यदेश समझना चाहिये ।

छोटे प्रान्त—चीनी यात्रियों के कथनानुसार तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि आचार्य शुक पूर्व देश-बिहार में उत्पन्न हुए थे । परन्तु उनके विचार तथा उन का व्यक्तिव केवल अपने प्रान्त तक ही सीमित नहीं था । उन्होंने अपने विचार सम्पूर्ण भारत की प्रथाओं तथा अंचस्थाओं को दृष्टि में रख कर विकसित किये हैं । उन्होंने राज्य के लेखकों की योग्यता के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि वे सब प्रान्तों तथा उन की भाषाओं का भली भाँति ज्ञान रखते हों ।^३ इसी प्रकार प्रचलित तुलाओं के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक प्रान्त के बाट भिन्न २ हैं ।^४ विदेश यात्रा तथा प्रवास के सम्बन्ध में भी कई बातें शुकनीति में कही गई हैं ।

लंका—शुकनीति में लंका द्वीप का भी वर्णन है—“लंका के निवासी

१. उद्गृहते दाच्चिलात्मैर्मतुलस्य शुता द्विजः ।

मध्यदेशे कर्मकाराः श्रिस्पिनश्च गवाचिनः ॥ ४८ ॥

(शुक्र० अ० ४८)

२. मत्स्यादाश नराः सर्वे व्यभिचार रताः क्षियः ।

उनरे मद्यापा नार्यः स्पृश्या नृणां रजस्वतः ॥ ५० ॥ (शुक्र० अ० ४. ४.)

३. गणना कुशलो यस्तु देशभाषा प्रभेदवित् ।

अशन्दिग्धमगृहार्थं विलिखेत् स च लेखकः ॥ १७ ॥ (शुक्र० अ० २)

४. तत्साहादङ्कः प्रेसो हर्मणस्ते तु विश्वितः ।

खारिका स्थाद्विद्यौ तद्वदेशे प्रमाणकम् ॥ ३८ ॥

(शुक्र० अ० ३ ४)

नकली मोती बनाने में बहुत बहुत निपुण हैं, इस लिये मोती खरीदते हुए उन की पहचान भली प्रकार कर लेनी चाहिये । ”^१

गण्डक— “गण्डक देश के निकट हीरे और मोती बहुत अच्छे निकलते हैं । ”^२ यह प्रान्त सम्मधनः गण्डक नदी के दृष्ट पर स्थित महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थान कुशी नगर का प्रान्त है ।

खशः— “खश प्रान्त के वासी अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर उस को खी से स्थां चिवह कर लेते हैं । उन में यह प्राचीन प्रथा है इस लिये इस बात को पाप नहीं समझा जाता । ”^३

राजतरङ्गिणी के अनुसार खश जाति के लोग काश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में बसे हुए थे ।

पर्वत— शुक्रनीति में हाथी की उपमा पर्वत आदि से कई स्थानों पर दी है । पर्वतों की उपयोगिता शुक्र ने इन साहित्यिक उपमाओं के लिये ही सीमित नहीं रखी है अपितु इन की प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाने के लिये शुक्र ने लिखा है कि राजधानी पर्वतों से बहुत दूर नहीं बनानी चाहिये ।^४ “अगर राजधानी के निकट ही कोई पहाड़ी न हो तो उस के चारों ओर मज़बूत दीवार बनानी चाहिये । ”^५

इसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा के लिये गिरि दुर्ग बनाने का भी विधान है । ये दुर्ग बहुत ऊँचाई पर होते हुए भी ऐसे स्थान पर होने चाहिये जहां पानी प्रभूत मात्रा में प्राप्त हो सके । ये गिरि दुर्ग रक्षा के लिये सर्वोत्तम

१. तदेव हि भवेत् वेष्यमवेष्यानीतराणि च ।

कुर्वन्ति कृत्रिमं तद्वत् सिंहलदीप वासिनः ॥ ॥ ६२ ॥

(शुक्र० अ० ४)

२. रत्ने गण्डकोद्धते मान दोषो न सर्वथा ।

पाषाण चातु जायातु मान दोषात् विविन्दयेत् ॥ १५३ ॥

(शुक्र० अ० ४ iv)

३. खश जाता प्रगृह्णन्ति भातृभार्यामभृत्काम् ।

अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमार्हाः ॥ ५१ ॥

(शुक्र० अ० ४ v)

४. आसिन्धु नैगमाकृते नातिदूर महीधरे ।

मुरम्य सम भूदेशे राजधानीं प्रकल्पयेत् ॥ २५४ ॥

(शुक्र० अ० १)

५. स्वहीनं प्रतिप्राकारो खस्मीर महीधरः ।

परिकृ — कार्या खातात् द्विगुण विसरः ।

होते हैं । दुर्गा में केवल खाई से घिरे हुवे दुर्ग सब से निष्ठ दर्जे के और यह गिरि दुर्ग सर्वोत्तम होते हैं ।”^१

नदियाँ— नदियों के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत सी शिक्षाएं दी हैं—“मनुष्य तैर कर नदी को पार करे अपितु नौका द्वारा ही उसे पार करे ।”^२ नदियों पर पुल बनाने चाहिये जिस से दोनों ओर की सड़कों का परस्पर सम्बन्ध हो सके ।”^३

नदियों का वास्तविक उपयोग उन के द्वारा कृषि की सिंचाई करना हो बताया गया है “भूमि की सिंचाई कूप, तालाब और नदी इन तीनों में से किस से होती है यह ध्यान में रख कर ही राजा उन पर कर नियुक्त करे ।”^४

“कृषि सब से उत्तम कार्य है । और कृषि की माता नदियाँ हैं ।”^५

इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि उस समय नदियों द्वारा यथेष्ट लाभ उठाया जाता था ।

समुद्र— शुक्र द्वारा वर्णित भारत को सीमा आसमुद्र विस्तृत है अतः शुक्र को समुद्रों के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ज्ञान था । शुक्र नीति में उवार-भाटे की ओर भी संकेत है—

“वे राजा जो देश को सम्पन्न बनाते हैं, लोगों को इस प्रकार प्रिय होते हैं जिस प्रकार कि चांद समुद्र को प्रिय प्रतीत होता है ।”^६ इसी

१. जल दुर्गं स्मृतं तज्जैरासमन्ताम्महाजलम् ।
शुवारि पृष्ठोच्च घरं विविक्ते गिरि दुर्गमम् ॥ ४ ॥
परिखादैरिणं श्रेष्ठं पारिचं तु ततो वनह् ।
ततो धन्वं जर्जं तस्माद्विरिदुर्गं ततः स्मृतम् ॥ ६ ॥
(शुक्र० अ० ४ ५)

२. नदीं तरेच्च बाहुभ्यां………॥ २४ ॥ (शुक्र० अ० ३)

३. नदीनां सेनवः कार्य विविधा सुमनोहराः ।
मौकादि जल यानानि शरणानि नदीषु च ॥ ६१ ॥
(शुक्र० अ० ४)

४. तडाग वापिका कूप मातृकाद्वेव मातृकात् ।
देशाक्षदीमातृकात् तु राजानुकमतः सदा ॥ ११५ ॥

(शुक्र० अ० ४)

५. कृषिस्तु चोत्तमा धृतिर्या सारिन्मातृका मता ॥ २७४ ॥ (शुक्र० अ० ३)

६. राजास्य जगतो हेतुवृद्धयै वृद्धमिसम्मतः ।
नयनानन्द जनकः शशाङ्क इव तोययेः ॥ ६४ ॥

(शुक्र० अ० १)

(१२४)

भारतवर्ष का इतिहास ।

तरह उपमा के रूप में सामुद्रिक जहाजों का भी जिकर है ।^३

इतना ही नहीं उस समय समुद्र पार के देशों को विजय करने की कल्पना भी थी । शुक्रनीति के प्रथम अध्याय में मार्गलिक आदि शासकों की परिभाषा सब समुद्रों तथा सातों महाद्वीपों का अधिपति की है ।

नक्षत्र — नक्षत्र दो प्रकार के हैं, स्थिर और गति शील ।^४ इनका ज्ञान ज्योतिष विद्या से हो सकता है । गरमी सरदी आदि ऋतु भेद तथा काल की रचना ग्रह और नक्षत्रों की गति से ही होती है ।^५ नक्षत्र और ग्रहों की गति तथा उदय अस्तादि का काल घड़ी और पल गिन कर जिस विद्या से जाना जाता है वह ज्योतिष विद्या है ।^६

१. यदि न स्याक्षरपतिः सम्युक्त नेता ततः प्रजाः ।

प्रकर्णधारा जग्नधौ विष्णवेतेह नौरिषि ॥ ६५ ॥

(शुक्र० ग्रा० १)

२. जंगम स्थावराणांशु हीशः स्वतपसा भवेत् ।

(शुक्र० १ । ५३)

३. वृष्टि शीतोष्ण नक्षत्र गतिरूप स्वभावतः ।

इष्टानिष्टाधिक न्यूनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥ २१ ॥

(शुक्र० ग्रा० १)


४. नक्षत्र ग्रह गमनैः क.लो येन विद्यीयते ।

संहिताभिश्च होराभिः गणितैर्जर्णीतिषं हि तत् ॥ ४५ ॥

(शुभ० ग्रा० ४)



तृतीय अध्याय



शासन व्यवस्था (क)



राजा और शासन प्रबन्ध

शुक्रनीति एक नीति ग्रन्थ है जिस में कि आचार्य शुक्र के राजनीतिक और समाज सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा आदर्शों का वर्णन है। इस के द्वारा हम तत्कालीन राजाओं का इतिहास नहीं जान सकते; तथापि इस से इतना अवश्य ज्ञात हो सकता है कि उस समय समाज में राजा की स्थिति क्या थी, शासन प्रबन्ध किस प्रकार का था, कौनसी शासन व्यवस्था आदर्श समझी जाती थी। शुक्रनीति को पढ़ने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन राज्य व्यवस्था पर्याप्त उन्नत थी, प्रजा का शासन में पर्याप्त हाथ था। उस समय एक प्रकार से भारत में 'मुकुट-धारी प्रजातन्त्र शासन' (Crowned Republic) थी।

राजा की स्थिति— आचार्य शुक्र के अनुसार राजा के पद पर विद्यमान व्यक्ति की व्यक्ति रूप से कुछ भी विशेषता नहीं है। राजा सार्वजनिक हित का उत्तरदायी प्रतिनिधि होता है इस कारण इस महान पद के प्रति आचार्य शुक्र ने विशेष सम्मान और विनय के भाव प्रगट किये हैं। परन्तु यह राजा सदैव प्रजा का आज्ञाकारी सेवक ही होना चाहिये—

“ईश्वर ने राजा को प्रजा के नौकर रूप से पैदा किया है। इस सेवा के बदले प्रजा राजा को देतन रूप में अपनी आय का कुछ भाग (कर) देती है अतः राजा को सदैव प्रजा का लालन ही करना चाहिये।”^१

व्यक्ति रूप से राजा की कुछ भी महत्ता नहीं है। इस बात का निर्दर्शन आचार्य शुक्रने बहुत कठोर शब्दों में किया है, उन्होंने व्यक्ति रूप से राजा की उपमा कुत्ते तक से दे डाली है।

“अगर एक कुत्ते को सजा कर बढ़िया रथ पर बैठा दिया जाय तो

१. स्वभाग भृत्या दास्यन्वे प्रजानाम् दृष्टः कृतः ।

ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ॥ १८८ ॥

(शुक्र० अ० १)

क्या वह राजा के समान शानदार प्रतीत नहीं होता ? इसी से तो कर्तव्य पालन न करने वाले राजा की उपमा कवि लोग कुच्चे से ही देते हैं ।^१

राजा की यह स्थिति मान कर आचार्य शुक उसे सदैव प्रजा की सम्पत्ति का सन्मान करने तथा उस पर चलने का निर्देश करते हैं—“राजा अपने उस कार्यकर्ता को पदचयुत कर दे जिस के विरुद्ध १०० नागरिक मालिश करे हो ।”^२

“राजा को सदैव अपने मन्त्रियों, राज सभा के सदस्यों तथा सहकारियों की सलाह लेकर ही राज्य कार्य करना चाहिये, स्वयं अपनी सम्पत्ति के अनुसार कोई कार्य नहीं करना चाहिये । जो राजा के बल अपनी इच्छा के अनुसार ही राज्य का कार्य करता है, उस से प्रजा असन्तुष्ट हो जाती है और सदैव उसे राज्यचयुत होने का भय बना रहता है ।”^३

इस प्रकार आचार्य शुक के अनुसार राजा एक प्रकार से केवल मात्र अपनी प्रजा का आज्ञा पालक भूत्य ही है । शुक्लोति के प्रारम्भ में ही राजा में ईश्वर तथा देवताओं का अंश स्वीकार किया गया है । परन्तु यह दैवीय महत्त्व राजा व्यक्ति की नहीं है उस के महान कार्य तथा उच्च पद की है ।

आदर्श राजा— आचार्य शुक के अनुसार राजा की स्थिति शासन विभाग के प्रधान (Executive head) की है अतः उस की इस महान उत्तरदायिता को दृष्टि में रख कर आचार्य शुक ने उस के सदाचारी होने पर बहुत बल दिया है । राजा को सदैव सावधान हो कर इन्द्रिय दमन द्वारा रहना चाहिये । उसे कभी अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिये । जो व्यक्ति अपने मन का ही दमन नहीं कर सकता वह सागर

१. राजयानारूढितः किं राजा स्वान समोऽपि च ।

शुना समो न किं राजा कविभिर्भाव्यतेज्ज्ञ सा ॥ ३७ ॥

(शुक्र० अ०१)

२. प्रजा शतेन संट्रिष्टं संत्यजेदधिकारिणम् ।

अमात्यमपि संवीक्ष सृष्टदत्याय गामितम् ॥ ३७६ ॥

(शुक्र० अ०१)

३. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्पुमते स्थितः ।

सर्वदास्यान्तपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥

प्रमुः स्वातन्त्र्यमाप्तो हानर्थायैव कर्त्यते ।

भिक्ष राष्ट्रो भवेत् सद्योभिक्ष प्रकृतिरेव च ॥ ४ ॥

(शुक्र० अ० २)

पर्यन्त विस्तृत भूमि का शासन किस प्रकार करेगा । ”^१

राजा को अगर किसी इन्द्रिय का भी कोई व्यसन लग जाय तो उसे सदैव मृत्यु का भय बना रहता है अतः उसे निर्व्यसनी होना चाहिये । ^२

इसी प्रसङ्ग में आचार्य-शुक्रने इन्द्र, दण्डक, नहुष, रावण आदि बहुत से राजाओं के उदाहरण दिये हैं । ये राजा व्यसनी थे और इसी कारण इन का नाश हो गया । ^३

इस प्रकार पूर्ण सदाचार तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए राजा को प्रजा का पालन करना चाहिये । प्रजा को सुखी तथा राष्ट्र को समृद्ध करना ही राजा का एक मात्र कर्तव्य है ।

जो राजा खर्यं अपने दुर्गुण नहीं जानता वह स्वर्यं अपना नाश ही कर रहा होता है । अतः राजा को सदैव गुप्तचरों द्वारा यह मालूम करने का यत्न करना चाहिये कि प्रजा उसकी समालोचना किस प्रकार करती है । जब कभी प्रजा राजा से ज़रा भी असन्तुष्ट हो, उसे अपने गुप्तचरों द्वारा प्रजा के अपने प्रति असन्तोष के कारण को जान लेना चाहिये । यही नहीं, राजा के अपने कर्मचारी तथा आमात्य उस की किस प्रकार की आलोचना करते हैं, कौन उसे कितना चाहता है यह सब राजा को गुप्तचरों द्वारा जानना चाहिये । परन्तु अपनी

१. विष्यामिष लोभेन मनः प्रेत्यतीन्द्रियम् ।

तत्त्विरुद्धवात् प्रयत्नेन जिते तस्मै जितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥

एकस्यैव हि योशक्तो मनसः सक्षिवर्हणे ।

महीं सागर्पर्यन्तं स कथं ह्यवजेष्यति ॥ १०० ॥

(शुक्र० अ० १)

२. एकैकरो विनिभन्नित विषया विश्वं संचिभाः ।

किं उनः पञ्चं मिलताः न कथं नाशयन्ति हि ॥ १०४ ॥

नट गायक गणिका मल्लवण्डार्थं जातिषु ।

योतिशक्तो वृग्गे निव्यः सहि शशुमुखे स्थितः ॥ १२८ ॥

बुद्धिमन्तं सदाद्वैषि मोदने वज्रकैः सह ।

स्यादुरुपुं नैव वेति स्वात्म नाशाय सनृपः ॥ १२९ ॥

(शुक्र० अ० १)

३. धर्मं पुत्रं नलाद्यास्तुः सुशूतेन विनाशिताः ।

सकापट्यं धनायालं द्युतं भवति तद्विदाम् ॥ ११० ॥

व्यायच्छन्त बहुषः खीरु नाशं गता ग्रसी ।

इन्द्र दण्डक नहुष रावणाद्याः सदा ह्यतः ॥ ११४ ॥

(शुक्र० अ० १)

निन्दा सुन कर राजा को लोगों पर नाराज़ नहीं होना चाहिये—अपने दोष हटाने का प्रयत्न करना चाहिये । अपनी प्रशंसा सुन कर उसे खुश नहीं होना चाहिये । इस प्रसङ्ग में शुक ने राम का सीता को निर्वासित करने का दृष्टान्त भी दिया है ।^३

इस प्रकार आदर्श राजा का कर्तव्य है कि वह व्यवस्था पूर्वक अपने को इधर तथा दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधि समझ कर दण्डनीति के बाहर पर शासन करे ।

युवराज की शिक्षा और स्थिति—राष्ट्र में युवराज की विशेष स्थिति और महत्ता है । वह भावी में राष्ट्र का शासक बनेगा, इस लिये राजा को अपने जीवन काल में ही उसे राज्य के बहुत ही महत्व पूर्ण कामों में लगाना चाहिये जिस से कि वह भावी के लिये पूरी तरह तैयार हो सके । अपने जीवन में ही राजा को अपने सुयोग्य उपेष्ठ पुत्र को युवराज नियुक्त कर देना चाहिये । अपने पुत्र के अभाव में भाई के योग्य पुत्र को, उसके अभाव में किसी अन्य योग्य लड़के को गोद लेकर उसे युवराज बना देना चाहिये ।^४

बचपन से ही राजा को अपने पुत्रों के निरीक्षण तथा सुशिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये । अन्यथा राजकुमार ही किसी से बहकाये जाकर राज्य के लोभ में अपने पिता का घात कर सकते हैं । मनुष्य में महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, इस के बशीभूत होकर पुत्र पिता की भी हत्या कर बैठते हैं, भाई की

१. वृषो यदा तदा लोकः चाभ्यते भिद्यते यतः ॥

गूढाचारैः भावयित्वा स्ववृत्तं दूषयन्ति के ॥ १३१ ॥

भूषयन्ति च कैमैवैरभात्याद्याऽस्तु तद्विदः ।

मयि कीदूकु च सम्प्रीतिः केषामप्रीतिरेव वा ॥ १३२ ॥

मुकीर्त्यै संत्यजेन्निर्त्यं नावमन्येत वै प्रजाः ।

शोको निन्दति राजंस्त्वां चारैः संग्रावितो यदि ॥ १३४ ॥

कोपं करोति दौरात्म्यादात्म दुर्गुण लोपकः ।

सीता साध्यपि रामेण स्त्यक्ता सोकापवादतः ॥ १३५ ॥ (शुक्र० अ० १)

२. कल्पयेद् युवराजाश्च श्रीरसं धर्मपत्रिजम् ॥ १४ ॥

स्वकनिष्ठं पितृव्यं वानुजं वाग्नजसम्भवम् ।

पुत्रं युत्रीकृतं दत्तं यौवराज्येऽभिवेच्ययेत् ॥ १५ ॥

क्रमादभावे दीहितं स्वप्रियं वा विद्योजयेत् ॥ १६ ॥

(शुक्र० अ० २)

तो गिनती ही क्या है । १

इस लिये राजपुत्रों को सुयोग और सदाचारी अध्यापकों की अध्यक्षता में एकान्त में रहना चाहिये ।

गुप्तचर्चे द्वारा उनका वृत्तान्त जानते रहना चाहिये । राजपुत्रों को भूल फूर भी बिलासी नहीं बनाना चाहिये । उन्हें तपस्या पूर्वक वीर और सुशिक्षित रहने का यत्न करना चाहिये । २

राजतन्त्र—शासन में राजकुमारों की संरक्षा तथा सुशिक्षा का प्रश्न एक बहुत ही महत्व पूर्ण प्रश्न है । संसार के सब देशों की राजसत्ता में ऐसे बीसियों उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिन में कि राजपुत्रों ने ही राज्य के लोभ से अपने पिता या बड़े भाई का खून करने के लिए यत्न किया है । इस लिये आचार्य शुक्र ने भी इस समस्या पर विशेष बल दिया है—‘राजकुमार अगर विगड़ भी जावे तो उसे निर्वासित नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह इस प्रकार शत्रु राष्ट्रों से स्वाधायता लेकर राज्य पर आक्रमण करने का यत्न करता है ।’ ३

इस प्रकार पुत्र के पूर्ण शिक्षित हो जाने पर विधि पूर्वक राजा को उसका ‘युवराज्याभिषेक’ करना चाहिये । शुक्र ने कहा है कि—“युवराज और मन्त्रि-

१. स्वर्धम् निरताश्च शूराश्च भक्ताश्च नीतिमतः सदा ।
संरचयेद्राजपुत्राश्च बालानपि सुधत्रतः ॥ १७ ॥
लोलुप्यमानास्तेऽर्थेषु हन्तुरेनमरचिताः ।
स्वयमाणा यदि छिङ्रं कथच्चित् प्राप्तुवन्ति ते ॥ १८ ॥
पितरज्ञापि निचलि भ्रातरं त्वितरं तु किम् ।
द्वाषो बालोऽपीच्छतिस्म स्वाम्यं किं व पुनर्युवा ? ॥ २० ॥
(शुक्र० अ० २)

२. स्वात्मन्त्र सक्षिकर्त्ते राजपुत्रास्तु रचयेत् ।
सदू भूत्यैषापि तत् स्वान्तं छलैर्गत्वा सदा स्वयम् ॥ २१ ॥
शौर्यं युद्धताश्च सर्वकला विद्या विदोऽज्ञातः ।
सुविनीताश्च प्रकुवीतं क्षमात्याद्यै वृपः सुताश् ॥ २३ ॥
(शुक्र० अ० २)

३. राजपुत्रः सुदुर्वृत्तः परित्यागं हि नार्हति ।
क्षिरयमातः स पितरं परानाग्रित्य हन्ति हि ॥ २६ ॥
(शुक्र० अ० २).

(१३०)

भारतवर्ष का इतिहास ।

मरणल यही दोनों राजा की दाँड़ी और बांड़ी भुजाए हैं । ”^३

युवराज को सदैव यह समझ कर कि मैं राज्यकार्य सीख रहा हूँ, पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिये; प्रजा की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं को समझने का यज्ञ करना चाहिये । युवराज को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राजा तथा प्रजा दोनों के अनुकूल आचरण करने में ही उस का हित है । ^४

मन्त्रिमण्डल— हम पहले ही कह चुके हैं कि आचार्य शुक्र के अनुसार राजा की स्थिति केवल मात्र शासनविभाग के अध्यक्ष मात्र की है । राष्ट्र का नियामक-विभाग (Legislation) उस के हाथ में नहीं है । उसे मन्त्रि-मण्डल तथा राज सभा की समर्पिति से ही सब नियम बनाने चाहिये । इतना ही नहीं अपितु शासन-विभाग में भी उसे बहुत सा कार्य मन्त्रियों की सहायता से ही करना चाहिये । शुक्रनीति के दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा है—“जो विलक्षुल छोटे २ कार्य हैं वे भी एक अकेले आदमी से होने कठिन हैं, फिर शासन का महान कार्य एक ही व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है; इस लिये राजा को अपने सभी कार्य नीति-शास्त्र में कुशल और अनुभवी मन्त्री-मण्डल की सहायता से ही करने चाहिये ।”^५

परन्तु इन मन्त्रियों की नियुक्ति किस आधार पर तथा कितने समय के लिये होती थी, इनके कर्तव्य क्या थे, ये सब बातें शुक्र नीति में विस्तार के साथ नहीं पाई जातीं ।

१. युवराजोऽमात्यगणौ भुजावेतौ महीभुजः ।

तावेष नयने कर्णी दद्दसव्यौ क्रमात् स्मृतौ ॥ १२ ॥

(शुक्र० अ० २)

२. पितुराजोऽङ्गुष्ठनेन प्राप्यापि पदमुत्तमस् ।

तस्माद् भ्रष्टा भश्ननीह दासवद्राज उत्रकाः ॥ ४१ ॥

तत्कर्म नियतं कुर्याद् येन तुष्टो भवेत् यिता ।

तत्र कुर्यात् येन पिता मनागपि विषेदति ॥ ४३ ॥

विद्युया कर्मणा शीलैः प्रजाः संरक्षयश्च सदा ।

त्यागी च सत्यसम्यग्नः सर्वाश्च कुर्यात् वशे स्वके ॥ ४८ ॥

(शुक्र० अ० २)

३. यद्यप्यल्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करस् ।

पुलवेषामहायेन किमुराज्यं महोदयस् ॥ १ ॥

सर्वविद्यासु कुशलो नपो ह्यपि सुमन्त्रवित् ।

मन्त्रिभिस्तु विनामन्त्रं नैकायं विनायेत् क्वचित् ॥ २ ॥

(शुक्र० अ० २)

मन्त्रिपरिषद् की रचना—महामति कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् की रचना में आचार्य शुक को उद्धृत करते हुए लिखा है कि इन के सिद्धान्त के अनुसार मन्त्रिपरिषद् में २० सदस्य होने चाहिये । शुकनीति सार में १० मंत्रियों का वर्णन है । यह मंत्रिमण्डल ८ सदस्यों का भी हो सकता है—

सुमन्त्रः पण्डितो मन्त्री प्रधानः सचिवस्तथा ।

आमात्यः प्राद्विवाकश्च तथा प्रतिनिधि स्मृतः ॥ ७२ ॥ (शुक० आ० २)

शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान मण्डल की रचना इसी आधार पर की थी । उस के अनुसार हम इन आठों सचिवों के कार्य का विभाग इस प्रकार कर सकते हैं—

१. सुमन्त्र—अर्थ सचिव (Minister of Finance)

इस का कार्य राष्ट्र के आय व्यय का प्रबन्ध करना, बजट बनाना, आय वृद्धि के उपाय सोचना, करों का प्रबन्ध करना, व्यापार पर नियन्त्रण रखना, कोष रक्खा और प्रत्येक राष्ट्रीय आर्थिक बात के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

२. पण्डितामात्य—विधान सचिव (Minister of Law)

इस का कार्य कानूनों का रूप बनाने में मन्त्रिमण्डल को सहायता करना, ^३ उन क्षात्रियों को धर्म और स्मृति का विरोधी न होने देता और इस सम्बन्ध में राजा के सम्मुख पूर्ण उत्तरदायी होना है ।

३. मन्त्री—अन्तर्राष्ट्र सचिव (Home Minister)

इस का कार्य राष्ट्र की घरेलू बातों का प्रबन्ध करना, पोलोस आदि द्वारा शान्ति रखा का यत्न करना, नगर समितियों तथा गण पूगादि का नियन्त्रण, प्रजा की सुशिक्षा का प्रबन्ध और इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

४. प्रधान—सभाध्यक्ष (President of the council)

यह जन-सभा ^३ का ग्राध्यक्ष होता था और इसी अधिकार से मन्त्री मण्डल में सम्मिलित सभाभा जाता था । इस का कार्य सभा की बैठकों में शान्ति और व्यवस्था रखना है ।

५. सचिव—युद्ध सचिव (Minister of war)

इस का कार्य सेना की व्यूहशिक्षा का प्रबन्ध करना, सैनिक व्यय पर नियन्त्रण रखना, मुद्रादि का प्रबन्ध तथा इन बातों के लिये राजा के सामने उत्तरदायी होना है ।

६. अमात्य—कृषि तथा कर सचिव (Minister for Revenue and Agriculture)

१. पुरोधाइच प्रतिनिधि: प्रधान: सचिवस्तथा ॥ ६८ ॥

मन्त्री च प्राद्विवाकश्च पण्डितस्य सुमन्त्रकः ।

आमात्यो द्रूत इन्पेता राज्ञः प्रकृतयो दश ॥ ७० ॥ (शुक० आ० २)

२. शुक्रनीति प्रथम आध्याय के ३५२-३५३ स्तोकों के अनुसार उस समय जन-सभा की सभा चिह्न होती है । इस विषय पर विस्तार से हम आगले आध्याय में लिखेंगे ।

इस का कार्य प्रजा पर कर नियुक्त करने में गर्भ सचिव की सहायता करना, कर जमा करने का प्रबन्ध करना, भूमि का माप रखना, उपेक्षितों बनाने के लिये यत्न करना और इस सम्बन्ध में राजा के सामने उत्तरदायी रहना है ।

७. प्राइवेट विवाहक—न्यायसचिव (Minister of Justice and Chief Justice)

यह व्यक्ति स्वयं राष्ट्र का प्रधान न्यायालय होता था, और इसी अधिकार मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था, इस का कार्य राष्ट्र भर के न्यायालयों का नियोजन करना, न्याय सम्बन्धी विवादों का निर्णय देना और इस सम्बन्ध में राजा के सम्मुख उत्तरदायी होना है ।

८. प्रतिनिधि—(Representative)

प्रतिनिधि का वास्तविक कार्य नहीं आना जा सका है ; सम्भवतः यह राजा के प्रतिनिधि रूप से मन्त्रि-मण्डल में होगा । मन्त्रिमण्डल में इस का एक विशेष स्थान है । राजा की अनुपस्थिति में यही उपकार कार्य करता है । आचार्य शुक्र ने इम के चतुर और कार्यकुशल होने पर विशेष बल दिया है ।

दूसरे सिद्धान्त के अनुसार अगर मन्त्रिमण्डल में १० सदस्य अभीष्ट हों तो ये दो सचिव और होंगे—

९. पुरोहित-धर्म सचिव (Minister of Religion)

इस का कार्य राष्ट्र के धार्मिक कृत्यों और उत्सवों का प्रबन्ध करना, राजा का पुरोहित बन कर रहना और प्रजा के आचार का नियोजन करना है ।

१०. दूत—(Minister of Diplomacy)

इस का कार्य विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखना है । आवश्यकता पड़ने पर आन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध या विघ्न करने के लिये राजा इसी को सम्पूर्ण अधिकार देकर अपने प्रतिनिधि के रूप से भेजता है ।

इन मन्त्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए हम ने, शिवाजी के समय शुक्रनीति के आधार पर जिस प्रकार मन्त्रिमण्डल, (अष्टप्रधान मण्डल) की रचना की गई थी—उस से भी सहभ्यता ली है । शुक्रनीति में इन दोनों की परिषदों के सम्बन्ध में ये निर्देश प्राप्त होते हैं—

उपर्युक्त प्रकार से आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिमण्डल में १० व्यक्ति होने चाहिये । परन्तु कुछ अन्य आचार्यों के मत से मन्त्रिमण्डल में ८ ही व्यक्ति होने चाहिये । इन दोनों मन्त्रिमण्डलों में एक विशेष व्यवस्था सम्बन्धी भेद है । आचार्य शुक्र के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के १० सदस्य होने चाहिये और 'पुरोहित' इन में सब से मुख्य है, ^१ राष्ट्र की रक्षा और उन्नति मुख्यतया उसी पर

१. भारतीय शासन व्यवस्था में पुरोहित को मुख्यतर बहुत प्राचीन है । रामायण काल में भी पुरोहित ही प्रधानामान्य का करता था ।

परन्तु दूसरे आचार्यों के अनुसार मन्त्र-परिषद् के जो आठ सदस्य हैं उन में पुरोहित का नाम नहीं है। इस से सिद्ध होता है कि शुक्र के अनुसार “पुरोहित” शब्द प्रधानमात्र का वाचक है, जिस को महान् शक्तियों के आधार पर ही राज्य की उन्नति आश्रित है। इस अवस्था में राजा बहुत अधिक सीमित अधिकारों वाला ही रह जाता है। शासन-विभाग में भी उस के बहुत अधिक अधिकार नहीं बचते। परन्तु दूसरे भ्रत के अनुसार मंत्रिमंडल एक प्रकार से राजा का सहायक मात्र है। राजा स्वयं ही प्रधान मंत्री का कार्य भी करता है, आठों मंत्री अपने अपने विभागों द्वारा उस की सहायता करते हैं।

मन्त्रि परिषद की महत्ता—ये मंत्री केवल राजा को सलाह मात्र देने वाले ही नहीं थे। राजा पर इन का बहुत अधिक प्रभाव होता था। मंत्रिपरिषद् से सलाह लिये बिना वह कुछ न कर सकता था। आचार्य शुक्र ने मंत्रियों की महत्ता अनुभव करते हुए प्रवल शब्दों में उन्हें शक्तिशाली बनते को कहा है—

“इन मंत्रियों की सलाह के बिना राज्य का नाश हो जायगा, इस लिये मंत्रियों को चाहिये कि वे राजा को सदैव उत्तम सलाह और सहायता देते रहें। जिन मन्त्रियों से राजा नहीं डरता उन से राष्ट्र की उन्नति-संवर्धना असम्भव है, वे केवल खियों के आभूषणों की तरह ही राष्ट्र की नाम मात्र के लिये कुछ शान बढ़ाते हैं। जिन मन्त्रियों को होते हुए बल और कोश नहीं बढ़ता उन से लाभ ही कम है।”^१

मन्त्रियों की वैयक्तिक स्थिति—इन १० मन्त्रियों में ‘पुरोधा’ सब से बड़ा है; राष्ट्र की उन्नति और रक्षा मुख्यतया उसी पर ही निर्भर है। पुरोधा के बाद प्रतिनिधि और उस के बाद प्रधान की स्थिति है, उसके बाद क्रमशः सचिव, मन्त्री, प्राङ्गिवाक, परिषद्त, सुमन्त्र, अमात्य और दूत की स्थिति है।^२

१. विना प्रकृति सन्मन्त्राद्वाराज्यनाशो भवेद् धर्वम् ।

रोधनं न भवेत् तस्मात् रात्रस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ ८१ ॥

न विभेति न पो वेभ्यस्तै स्यात् किं राज्यवर्धनम् ।

यथालङ्घार वस्त्राद्यैः खियो भूष्यास्तथा हि ते ॥ ८२ ॥

राज्यं प्रजा बलं कोशः सुष्टुपत्वं च वर्धितम् ।

यन्मन्त्रयतोरि नाशस्तै मन्त्रिभिः किं प्रयोजनम् ॥ ८३ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. पुरोधा प्रथमं श्रेष्ठः सर्वेभ्यो राजराष्ट्रभृत् ।

तदतुयात् प्रतिनिधिः प्रधानस्तदनन्तरम् ॥ ७४ ॥

सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदतु चोच्यते ।

प्राङ्गिवाकस्ततः प्रोक्तः परिषद्तस्तदनन्तरम् ॥ ७५ ॥

इमन्त्रस्तु ततः ख्यातो ह्यमात्यस्तु ततः परम् ।

द्वात्स्तथा क्रमादेते पूर्वं श्रेष्ठा यथा गुणाः ॥ ७६ ॥

इन सब में प्रधानामात्य ही सब से अधिक महत्वपूर्ण है अतः उसे सब विद्याओं में निपुण और कर्तव्यशील होना चाहिये । वह जितेन्द्रिय हो, वह निर्व्यसनी और दुर्बलता रहित हो । वह छहों शाखा पढ़ा हो, युद्ध-विद्या में में कुशल हो । यह इतना प्रभावशाली हो कि उस से डर कर राजा भी सदैव धर्मनीति का ही अनुसरण करे । वह राष्ट्र की रक्षा में समर्थ और राजनीति शाखा में प्रवीण हो । उस के पास किसी को दरड देने व किसी को इनाम देने के अवाधित अधिकार हों । १

प्रतिनिधि की काम करने की सूफ बड़त प्रबल होनी चाहिये, प्रधान खूब अच्छी तरह निरीक्षण करने वाला हो, सचिव सेव्य संचालन में निपुण हो । मन्त्री राज नीतिश हो और परिणित धर्म और कानून का वास्तविक तत्व समझता हो, प्राङ्गिवाक समाजशास्त्र का विद्वान हो, दुनियाँ का व्यत्रहार समझता हो । अमात्य अवसर को पहचानता हो, सुमन्त्र राष्ट्रीय आय-ठाय-शास्त्र में प्रत्रीण हो; दूत मनुष्य को पहचानता हो, अवसर को समझता हो और बात चीत करने में चतुर, निर्भय और समझ दार हो । २

१. मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नत्वैविद्या: कर्मतत्परः ।

जितेन्द्रियो जितकोधो लोभमोहविवर्जितः ॥ ७७ ॥

षड्ङ्गवित् साङ्गधनुर्वेद विच्चार्य धर्मवित् ।

यत् कोपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेत् ॥ ७८ ॥

नीतिशास्त्रात्यद्युहादि कुशलस्तु पुरोहितः ।

सैशाचार्यं पुरोधा यः देशानुग्रहयोक्तमः ॥ ७९ ॥

(शुक्र० अ० २)

२. कार्याकार्यं प्रविचाराता स्मृतः प्रतिनिधिस्तुः सः ।

सर्वदर्शीं प्रधानस्तु सेनावित् सचिवस्तथा ॥ ८४ ॥

मन्त्री तु नीतिकुशलः परिणितो धर्मतत्ववित् ।

लोकशास्त्रनयशस्तु प्राङ्गिवाकः स्मृतः सदा ॥ ८५ ॥

देशकाल प्रविचाराता ह्यमात्य इति कथ्यते ।

आयव्ययप्रविचाराता सुमन्त्रः स च कीर्तिः ॥ ८६ ॥

शङ्खिताकारवैष्णवः स्मृतिमाष्ट देशकालाग्निः ।

षाढ्गुणव्यमन्त्रविद्वाग्मो दीतभीर्दृत इष्यते ॥ ८७ ॥

(शुक्र० अ० २)

मन्त्रियों का कार्य—इन मन्त्रियों के कार्यों का विभाग आचार्य शुक्र ने इस प्रकार किया है—

“राष्ट्र के लिये कौन सा कार्य हितकर है कौन सा अहितकर, कौन सा कार्य बहुत आवश्यक है, इन सब बातों की सलाह राजा को देना; चाहे राजा उस की सलाह पर न भी चले तथापि अपनी बात को मनवाने का यज्ञ करना ‘प्रतिनिधि’ का कार्य है ।”^१

“सब राज कर्मचारियों तथा सभा के नियमानुकूल और नियम विरुद्ध कार्यों का निरीक्षण करना ‘प्रधान’ का कार्य है ।”^२

“सेना के हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ऊँट और बैलों का निरीक्षण करना, सैनिकों को ठूँड़ाभ्यास बैठड़ तथा झरिड़ीयों से बातचीत करने की शिक्षा देने का प्रबन्ध करना, कौन सी सेना आगे चले, कौन सी पीछे रहे, किस के पास राष्ट्र का झारड़ा रहे, कौन कैसे शख्स धारण करे, नौकर कहां रहें—इन सब बातों का अध्ययन करना; शख्साओं का उच्च ज्ञान, सेना में कितने सैनिक काम के लायक हैं, कितने काम के अयोग्य हैं, कितने नये और कितने पुराने हैं इन सब बातों का पता रखना; सेना के पास कितना बालू, कितने शख्स और गोले हैं इन का ज्ञान रखना, और इन सब बातों की सूचना राजा को देना ‘सचिव’ का कार्य है ।”^३

१. अहितञ्चापि यत् कार्यं सद्यः कर्तुं यदोचितम् ।

अकर्तुं यद्वितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा ।

बोधयेत् कारयेत् कुर्यात् कुर्यात् बोधयेत् ॥ ८८ ॥

२. सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातं च यत् किल ।

सर्वेषां राजकृत्येत् प्रधानस्तद्विवित्येत् ॥ ८९ ॥

३. गंजानाञ्च तथास्वानां रथानां पदगामिनाम् ।

सुदृढानां तथोद्ग्राणां वृष्टाणां सद्य एव हि ॥ ९० ॥

वायमाषासु संकेत ठूँड़ाभ्यासन शालिनाम् ।

प्राक् प्रत्यक्गामिनां राज्यचिन्हशक्त्वात्त्वधारिणाम् ॥ ९१ ॥

परिचारगणानां हीनमध्योन्नत्मकर्मणाम् ।

आख्याणामस्त्र जातीनां उद्धु स्वतुरगीणः ॥ ९२ ॥

कार्यक्रमम् प्राचीनः सायस्कः कनि विद्यते ।

कार्यावमर्थः कर्त्यस्ति शख्सगोलाग्निर्वृण्युक् ॥ ९३ ॥

सांग्रामिकस्त्र कर्त्यस्ति सम्भारस्ताम् विचिन्त्य च ।

सचिवस्थापि तस्मि कार्यं राज्ञे सम्यक् निवेदयेत् ॥ ९४ ॥

“साम, दान, दण्ड, भेद इन में से कौन सा कहाँ व्यवहृत किया जाय, किस के व्यवहार से कैसा फल होगा, यह सब सोच कर इस की सलाह ‘मन्त्री’ राजा को दे ।”^१

“कौन सी साही सज्जी है कौन सी झूठी है, तर्क और प्रमाणों के आधार पर सुकहड़में मैं कौन सा पक्ष सच्चा है, जूरियों की सम्मति किस दले के पक्ष में है इन बातों की मन्त्रणा और सूचना जूरियों के साथ ‘आड़ विवाह’ राजा को दे ।”^२

“समाज का आचार कैसा है, वह किस प्रकार उपलब्ध ही सकता है, कौन से कार्य शास्त्र और समृद्धि सम्मत हैं, कौन से विशद्ध हैं, इनकी सलाह ‘परिदृष्टि’ राजा को दे ।”^३

“कोश में इतना धन जमीं है, इस वर्ष इतनी आय होगी, इतना व्यय होगा और यह शेष रहेगा; राष्ट्र की चल और अचल सम्पत्ति कितनी है इस विषयक परामर्श ‘सुमन्त्र’ राजा को दे ।”^४

“राष्ट्र में कितने शहर और कितने गाँव हैं, कितना भाग जगलों से आच्छादित है, कितनी जमीन में कृषि की जाती है, कितनी उपज होती है, उस पर कितना कर लिया जाता है; खाली भूमि में से कितनी बँजर है कितने पर खेती ही सकती है; राष्ट्र में कितनी कानून हैं उन से वर्ष भर में क्या निकलता है,

१. साम दानञ्ज भेदश्च दण्डः केषु कदा कथम् ।

कर्तव्यः किं फलं तेभ्यो बहु मध्यं तथात्यकम् ।

अत त सञ्चिन्त्य निष्ठित्वं मन्त्री सबै निवेदयेत् ॥ १५ ॥

२. साक्षिभिर्लिङ्गितै भैरवैश्वर्यै भूतैश्च मानुषाङ् ।

स्वेऽन्तोत्पादितसम्प्राप्त व्यवहाराह विचिन्त्य च च ॥ १६ ॥

दिव्यसंसाधनाद्वार्यि केषु किं साधनं परेष्व ।

युक्ति प्रत्यक्षानुमानोपमानैलौक शास्त्रतः ॥ १७ ॥

अहुतम्मतं संसिद्धाह विनिष्ठित्य समाप्तितः ।

संसभ्यः प्राह्विवाकस्तु नृपं संबोधयेत् सदा ॥ १८ ॥

३. वर्तमानाश्च प्रस्तीना धर्माः के लोकसंग्रिताः ।

शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा विशुद्धयन्ते च केऽधुना ॥ १९ ॥

लोकशास्त्रविशुद्धाः के पश्चितसलाह विचिन्त्य च ।

नृपं संबोधयेत् तैश्च परत्रेषु सुखप्रदैः ॥ २० ॥

४. इयस्तु सञ्चितं द्रव्यं वस्त्रेऽप्स्त्रिमश् तृष्णादिकम् ।

क्षययोधूतमिष्यक्षैव येषं स्थावरजङ्घमम् ।

इयस्तीति वै राजे सुमन्त्रो विनिवेदयेत् ॥ २१ ॥

कितनी सम्पत्ति विना किसी मालिक के है, कितने; कोरी हुई है, कितना कर जमा किया गया है। इन सब बातों की सूचना 'अमात्य' राजा को दे ॥'

राजाज्ञाओं का प्रकाशन— आवार्य शुक्र के अनुसार राजा के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य वेद वाक्य नहीं है। उस की प्रत्येक बात राष्ट्र का कानून नहीं मानी जा सकती। राष्ट्रीय-विधान नियमपूर्वक राजा द्वारा अन्तिम स्वीकृति लिये जाने के पश्चात् राजकीय घोषणा द्वारा प्रचारित करने के बाद से ही नियम का रूप धारण कर सकते हैं। किसी नियम के लागू होने से पूर्व उस का प्रकाशन आवश्यक है। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में लिखा है—

"राजा को चाहिये की वह राष्ट्रीय कानूनों को लिखवा कर या खुदवा कर चौराहों पर लगवा दे;—कोई दुष्ट व्यक्ति या शत्रु (विद्रोही) नियमों का उल्लंघन करे तो उसे पूर्ण दण्ड दे ॥" ३

"राजा को सिंहासनासुर होते ही निम्नलिखित आज्ञाएँ अपने राज्य में प्रकाशित करनी चाहिये—मेरे राष्ट्र के सेवकों को खियों, बच्चों, विद्यार्थियों, नौकरों अथवा दाक्षों से भी कठोरता पूर्वक बातचीत नहीं करनी चाहिये। किसी व्यक्ति को भार में, माप्त में, सिक्के में, रसों में, धातुओं में, घी, दूध, चरवी या तेल में कभी मिलावट नहीं करनी चाहिये। कोई मनुष्य किसी से कोई बयान अथवा गवाही ज़बरदस्ती अथवा घूस देकर न लिखवाए, कोई किसी से घूस न ले, नौकर को रुपया देकर स्वामी के काम में बाधा न डाले। कोई बड़माश, चोर, व्यभिचारी या राष्ट्रद्वेषी को अपने यहाँ आश्रय न दे। कोई मान्य जनों का अपमान न करे। कोई व्यक्ति पति और पत्नि, स्वामी और सूत्य, गुरु और शिष्य, पिता और पुत्र अथवा भाइयों में फूट डालने

१. अमात्य का काम राष्ट्र को गणना तालिकाएँ (Imperial gazetteer)
प्रकाशित करना हीता था ।

१. पुराण च कति ग्रामा ग्ररथानि च सन्ति हि ।

कर्विता कति भूः केन प्राप्ते भागस्तथा कति ॥ १०२ ॥

भागयेवं विवितं कस्मिन् कल्याणां च भूमिका ।

भागद्रुढर्यं वत्सरेऽस्मिन् शुल्कदस्त्रादिजं कति ॥ १०३ ॥

आकृष्ट-पञ्चं कति च कति चारण्यसम्भवम् ।

कतिचाकर संजातं निधिप्राप्तं कतीति च ॥ १०४ ॥

आस्वामिकं कति प्राप्तं नाइकं तस्कराहृतम् ।

सञ्चितन्तु विनिश्चित्यामात्यो राजे विवेदयेत् ॥ १०५ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. लिखित्या शासनं राजा धारयीत चतुष्पये ।

सदा चोदयतदर्शः स्वादसाधुषु च शत्रुषु ॥ ३७३ ॥ (शुक्र० अ० १)

का यत्न न करे । कोई मनुष्य बाघड़ी, कुआं, पञ्चायत का स्थान, धर्म-शाला अथवा शराब घर के मार्गों को न रोके, किसी अंग हीन या कमज़ोर व्यक्ति को भी मार्ग में न रोका जाय । मेरी विशेष आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति जूआ न खेले, शराब न पीए, शिकार न खेले और शत्रु धारण न करे । पशु, जमीन, सोना, चांदी, रत्न, मादक पदार्थ, विष आदि वेचने की रजिस्टरी करवाना आवश्यक है । क्रय, विक्रय, दान और ऋण के लिये भी रजिस्टरी करवाना आवश्यक है । कोई वैद्य बिना अधिकारपत्र (Licence) लिये चिकित्सा नहीं कर सकता । किसी को ये काम नहीं करने चाहिये-भयंकर गाली गलौच, शपथें लेना, नये सामाजिक नियम उद्घोषित करना, वर्ण संकरता, खोई हुई चीज़ों को छिपाना, राज्य के रहस्यों का प्रकाशन और राजा की निन्दा । स्वधर्म त्याग, असत्य भाषण, व्यभिचार, भूठी साक्षी, बूस लेना नियम से अधिक कर लेना, चोरी, हत्या आदि बुरे कार्य भी नहीं करने चाहिये । नौकरों को किसी प्रकार से भी खासी के विरुद्ध भड़काना नहीं चाहिये । भार और लम्बाई के माप राज्य द्वारा ही मिश्रित होंगे । जब कभी कोई अपराध हो जाय तो लोगों को चाहिये कि वे अपराधी को पकड़ कर सरकार के हथाले करदें । बैल आदियों को सड़कों पर खुला छोड़ देना मना है । जो व्यक्ति इन आज्ञाओं का उल्लङ्घन करेगा उसे मैं भारी दरड़ दूँगा ॥” ३

१. शासनं त्वीदृशं कायं राजा नित्यं प्रजासु च ॥ २८३ ॥
दासे भृत्येऽथ भायर्थां पुत्रे शिष्येऽपि वा क्वचित् ।
वाग्दद्वपर्यं नैव कायं महूर्शसंस्थितैः ॥ २८४ ॥
तुला शासनमानानां नाणकस्यापि वा क्वचित् ।
निर्व्योक्तानाञ्च धातूनां सजातीनां धृतस्य च ॥ २८५ ॥
मधुदुर्धवसादीनां पिष्ठादीनाञ्च सर्वदा ।
कूटं नैव! तु कायं स्याद् बलाच्च लिखितं जनैः ॥ २८६ ॥
उत्कोच ग्रहणं नैव स्वामीकार्यविलोभनम् ।
दुर्वृत्त कारिणञ्जोरं जारं मद्द्वेषिणं द्विष्म ॥ २८७ ॥
न रचन्त्वप्रकाशं हि तथान्यानपकारकाश् ।
माकृषां पितृषाञ्चैव पूज्यानां विदुषामपि ॥ २८८ ॥
नावमानं नोपहासं कुरुः सद्वृत्तशालिनम् ।
न भेदं जनयेयुर्वै ननायर्योः स्वामिभृत्योः ॥ २८९ ॥
भ्रातृणां गुरुशिष्याणां न कुरुः पितृपुत्रयोः ।
क्षापी कृपारामसीमा धर्मशालातुरालयाञ्च ॥ ३०० ॥

राजा की दिनचर्या— राष्ट्र की उत्तरदायिता सब से बढ़ कर राजा पर ही है । अतः उसे अपना जीवन खूब नियमित रखना चाहिये । आचार्य शुक की सम्मति में राजा का दैनिक समय विभाग इस प्रकार होना चाहिये । एक दिन, अर्थात् २४ घण्टों में, ३० मुहूर्तों के हिसाब से ही शुक ने राजा का दैनिक समय विभाग निश्चित किया है—^१

मार्गान्नैव प्रबाधेयुर्हीनाङ्ग विकलाङ्गकाश ।
द्युतञ्ज मध्यपामञ्ज मृग्यां शशधारणम् ॥ ३०१ ॥
गोगजाश्वोष्महिर्वी नृणां वै स्यावरस्य च ।
रजतस्वर्णरत्नानां मादकस्य विषय च ॥ ३०२ ॥
क्रयो वा विक्रयो वापि मद्यसंधानमेव च ।
क्रयपत्रं दानपत्रं क्षणनिर्णयं पत्रकम् ॥ ३०३ ॥
राजारथा विनानैव जैः कार्यं चिकित्सितम् ।
महापापाभिशप्तं निधि ग्रहणमेव च ॥ ३०४ ॥
नवसमाज नियमं निषेदं याति दूषणम् ।
अस्वामिनाइकं धनसंग्रहं मन्त्र भेदनम् ॥ ३०५ ॥
नृप दुर्गुणालापन्तु नैव कुरुः कदाचन ।
स्वधर्मं हानिमनृतं परदाराभिर्मर्शनम् ॥ ३०६ ॥
कूटसाह्यं कूटलेख्यमप्रकाशं प्रतिग्रहम् ।
निर्धारित कराधिक्यं स्तेयं साहसमेव च ॥ ३०७ ॥
मनसापि न कुर्वन्तु स्वामिद्वोहं तथैव च ।
भृत्या शुल्केन भागेन वृद्धा दर्पात् बलाच्छलात् ॥ ३०८ ॥
आधषणं न कुर्वन्तु यस्य कस्यापि सर्वदा ।
परिमाणोन्मानमानं धार्या राजविमुद्रितम् ॥ ३०९ ॥
गुणसाधनसंदर्भा भवन्तु निखिला जनाः ।
साहसाधिकृते दद्याः विनिगृह्याततायिनम् ॥ ३१० ॥
उत्सृष्टा वृषभाद्या यैस्तैस्ते धार्या शुयन्त्रिताः ।
इतिमच्छासनं श्रुत्वा येन्यथा वर्तयन्ति ताङ् ॥ ३११ ॥
विनिष्पामि दर्शेन भवता पापकारकात् ।
इति प्रबोधयेत्त्रित्यं प्रजा शासनडिपिदौः ॥ ३१२ ॥ (शुक० अ० १)

१. उन्धाय पश्चिमे यामे मुहूर्तं द्वितीये वै ।
- नियतायस्य कत्यस्ति छ्यपश्च नियतः कर्ति ॥ २७६ ॥
- कोश भूतस्य द्रव्यस्य व्ययः कर्ति गतस्तथा ।
- व्यवहारे मुद्रिताय व्यय शेषं कर्तीति च ॥ २७७ ॥
- प्रत्यक्षतो लेखनम् जात्वा चाद्य व्ययः कर्ति ।

३० मुहूर्त = ६० दण्ड = २४ घण्टे ।

-
- | | |
|---|---|
| २ | " — राजकीय आय व्यय पर विचार । |
| १ | " — शौच और स्नान । |
| २ | " — धार्मिक कर्तव्य सन्ध्या आदि । |
| १ | " — व्यायाम । |
| १ | " — इनाम वाँटना । |
| ४ | " — अनाज, दस्त, धातु आदि का बाजारी भाव निश्चित करना । |
| १ | " — भोजन और विश्राम । |
| १ | " — नई और पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण । |
| २ | " — न्यायाधीशों से परामर्श । |
| २ | " — शिकार आदि |
| १ | " — सेना के व्यूहाभ्यास (Parade) का निरीक्षण । |
| १ | " — सार्थकालीन सन्ध्या । |
| १ | " — भोजन । |
| २ | " — गुपचरों से जात चौत |
| ८ | " — निद्रा । |
-

३० मुहूर्त

भविष्यति च तत्त्वम् द्रव्यं कोशान् निर्हरेत् ॥ २७८ ॥
 पश्चात् वेगनिर्मोक्षं स्नानं मौहूर्तिकं मतम् ।
 सन्ध्या पुराण दानैश्च मुहूर्त द्विवयं नयेत् ।
 गवाश्वयान व्यायामैनयेत् प्रान्तमुहूर्तकम् ॥ २७९ ॥
 पारितोषिकदानेन मुहूर्तन्तु नयेत् सुधीः ।
 धान्यवस्त्र स्वर्णरत्न सेना देश विलेखनैः ॥ २८० ॥
 आयव्यथैर्मुहूर्तानां चक्षन्तु नयेत् सदा ।
 स्वस्थचिन्ता भोजनेन मुहूर्तं चमुहूर्तन्पः ॥ २८१ ॥
 ग्रन्थजीकरणाङ्गीर्ण नवीनानां मुहूर्तकम् ।
 ततस्तु प्राहृविवाकादि बोधित व्यवहारतः ॥ २८२ ॥
 मुहूर्तं द्वितयश्चैव मृगया क्रीडनैनयेत् ।
 लूहाभ्यासैर्मुहूर्तन्तु मुहूर्तं सन्ध्या तसः ॥ २८३ ॥
 मुहूर्तं भोजनैव द्विमुहूर्तं च वार्त्या ।
 गृष्णवारै श्रावित्या निद्रयाष्ट मुहूर्तकम् ॥ २८५ ॥
 यदं विहरतो रात्रः मुखं सम्यक् प्रजायते ।
 अहोरात्रं विभज्यैव त्रिशूलस्तुमुहूर्तकैः ॥ २८५ ॥ (शुक्र० अ० १)

राजकीय सेवा— उस समय आजकल की तंरह राजकर्मचारियों की व्यवस्था बहुत सुसंगठित थी । ग्रत्येक विभाग के अधिकारियों की संख्या उन का पद तथा सम्मान निश्चित होते थे । इन सेवाओं में योग्य पुरुष अपनी योग्यता के आधार पर ही समिलित किए जाते थे ।

“ग्रत्येक विभाग में तीन मनुष्य नियुक्त करने चाहिये । इन में से जो सब से अधिक योग्य हो उसे इन का प्रधान नियुक्त करना चाहिये । ग्रत्येक विभाग पर दो दो निरीक्षक नियुक्त करने चाहिये । ये कार्यकर्ता तीन, पाच, सात अथवा १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जाय । कार्यकर्ताओं की योग्यता देख कर उन को पदवृद्धि की जाय, उन को अयोग्य पाकर उन से वह पद छोन लिया जाय । जो जिस अधिकार के योग्य हो उसे उस से बड़ा अधिकार नहीं देना चाहिये । अन्यथा वह बहुत अव्यवस्था उत्पन्न करता है ।”^१

स्थिर सेवक— प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये अलग २ स्थिर कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये—“राष्ट्र के हाथी, घोड़ा, रथ, ऐंडल, पशु, ऊँट, मृग और पक्षियों के प्रबन्ध के लिये अलग अलग कर्मचारी नियुक्त करने चाहिये । इसी प्रकार सुवर्ण, रत्न, स्थिर और अस्थिर सम्पत्ति आदि के प्रबन्ध के प्रबन्ध के लिये भिन्न २ कार्यकर्ता नियुक्त किये जाय । राष्ट्र के बाग, भ्रमणीय स्थान, भवन, धार्मिक स्थान और जनता की सम्पत्ति के लिये अलग २ निरीक्षक नियत किये जाय । ग्रत्येक शहर और गाँव में ये दो अधिकारी नियुक्त किये जाय—त्यायाधीश, नगर का प्रधान, कर संग्रह करने वाला, लेखक, चुही का अध्यक्ष और समाचार चाहक ।”^२

१. एकसिमन्नधिकारे तु पुरुषाणां व्रयं सदा ।

नियुज्ञीत प्राचतम् मुख्यमेकन्तु तेषु वै ॥ १०८ ॥

द्वौ दधकौ तु तत्कार्यं हायनैस्तच्चिवर्तयेत् ।

विभिन्ना पञ्चभिर्विषयं समर्भिर्दशभिरच वा ॥ ११० ॥

दृष्टा तत्कार्यं कौशल्ये तथा तौ परिवर्तयेत् ।

नाधिकारं चिरं दद्याद्यस्मै कस्मै सदा नृपः ॥ १२१ ॥

अधिकारे लमं दृष्टा ल्यधिकारे नियोजयेत् ।

अधिकार मदं पोत्या को न मुद्देत् पुनरिचरम् ॥ ११२ ॥

२. गंजाश्वररयं पादानं पशुष्व मृगर्वचकासु ॥ ११७ ॥

सुवर्णं रत्नं रजतं वस्त्राणामधिपात्रं पृथक् ।

विनानामधियं धार्माधियं पाकाधियं तथा ॥ ११८ ॥

आरामाधियतिं चैव सौधं गैहाधियं पृथक् ।

सम्भारं देवतृष्णिं पर्ति दामं पर्ति सदा ॥ ११९ ॥

साहस्राधिपतिं चैव ग्रामनेतरमेव च ।

भगवारं तृतीयं तु लेखकं च चतुर्थकं ॥

शुल्कग्राहं पञ्चमञ्चं प्रतिहारं तत्त्वैव च ॥ १२० ॥

षट्कमेतत्त्रियोक्तव्यं ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे ॥ १२१ ॥ (शुल्क ३० अ० ३)

इन सब पदों पर योग्य पुरुषों को ही नियुक्त करना चाहिये । इन की नियुक्ति में जातपात का विचार नहीं करना चाहिये—

“जिस प्रकार पिघला कर सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्मचारियों के कार्य, सहवास तथा गुणशीलादियों से उन की परीक्षा होती है । कर्मचारी की सदा परीक्षा करते रहना चाहिये, जिस से कि जो विश्वास योग्य हो उसी पर विश्वास किया जाय; उन की जाति और कुल पर ही सन्तोष नहीं करना चाहिये । मनुष्य का सम्मान उस के गुण कर्म और समाव से ही होता है, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिये । जात पात और कुल का विचार तो केवल भोजन और विवाह में ही करना चाहिये ।”^१

पद वृद्धि—राजकीय सेवाओं में कोई भी मनुष्य अपनी प्रतिभा और योग्यता के आधार पर सम्मिलित हो सकता है । परन्तु फिर उसकी पद वृद्धि करते हुए यदैव उसकी योग्यता के साथ ही साथ सेवा काल की अवधि का भी व्यापार रखवा जायगा—

“कोई बहुत योग्य हो तो उस की पद वृद्धि कर के उस के थान पर उस के योग्य उत्तराधिकारी, उस के नीचे काम करने वाले व्यक्ति, को उस पद पर नियुक्त कर देना चाहिये । उस के बाद फिर ऐसे व्यक्ति को जिस का सेवाकाल उस से कम हो । अगर एक अधिकारी का पुत्र बहुत योग्य हो तो उसे ही उसके थान पर नियुक्त कर देना चाहिये । राजकीय सेवाओं में शामिल हुए २ व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसके सेवाकाल की अवधि के हिसाब से उस की पद वृद्धि होती रहे ।”^२

१. परीक्षकैद्रावित्ता यथा स्वर्ण परीक्ष्यते ।

कर्मण सहवासेन युग्मः शील कुलादिभिः ॥ ५३ ॥

भूत्यं परीक्षयेन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत् सदा ।

नैव जातिर्न कुलं केवलं लक्षयेदपि ॥ ५३ ॥

कर्मशील गुणः पूज्यास्तथाजाति कुलेन हि ।

न जात्या न कुलेनैव शेषत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥

विवाहे भोजने नित्यं कुलजाति विवेचनम् ॥ २६ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. जातः कार्यं चम्प द्वृष्टा कार्येन्ये तं नियोजयेत् ।

तत् कार्यं कुशलं चान्यं तत् पदामुग्नं खलु ॥ ११३ ॥

नियोजयेद्वृत्ते तु तदभावे तथापरम् ।

तदगुणे यदि तत्पुत्रः तत्कार्ये तं नियोजयेत् ॥ ११४ ॥

यथा यथा श्रेष्ठयै ह्यधिकारी यदा भवेत् ।

आमुकमेण संयोज्यो शून्ते तं प्रकृतिं नयेत् ॥ ११५ ॥ (शुक्र० अ० २)

निरीक्षक — राज्य के प्रत्येक विभाग तथा कार्ब पर निरीक्षक अवश्य नियुक्त करने चाहिये— “जो कार्य जितना अधिक महत्वपूर्ण हो, उस पर उतने ही अधिक निरीक्षक नियुक्त किए जायें । अथवा उस कार्य के अध्यक्ष रूप से एक बहुत ही योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाय ।”^१

गुप्तचर — शासन कार्य भली प्रकार चलाने के लिये राजा को गुप्तचर रखने का आदेश आचार्य शुक्र ने दिया है । ये गुप्तचर विश्वास पात्र और बुद्धिमान हों । राजा प्रतिदिन रात के समय एकान्त में इस विभाग के अध्यक्षों से मिलकर राज्य के वास्तविक रहस्य जाना करे । गुप्तचर रखने की व्यवस्था केवल शुक्र ने ही नहीं दी है, बहुत प्राचीन काल से—रामायण काल से भी पूर्व—राजा अपने दोष जानने के लिये गुप्तचर रखा करते थे । ये गुप्तचर राज्य के निवासियों की राजा और सरकार के सम्बन्ध में की हुई आलोचनाओं को राजा तक पहुँचाते थे, ताकि राजा अपनी वास्तविक स्थिति से अभिज्ञ रह सके । इन आलोचनाओं को सुन कर राजा जहां अपने दोष जान सकता है, वहाँ उसका कौन सा कर्मचारी कैसा है—इस बात का भी पता रख सकता है ।^२

ये गुप्तचर न केवल साधारण प्रजा की आलोचनाओं को जानने के लिये ही रखने चाहिये अपिन्तु राजकर्मचारियों पर उन की वास्तविक स्थिति जानने के लिये भी गुप्तचरों को नियुक्त करना चाहिये ।

आवागमन के साधन — आज कल के राष्ट्रों के शासन की उत्तमता तथा खिरता में आवागमन के साधनों का अच्छा होना एक मुख्य कारण है । रेल और तार आदि द्वारा समूचे देश के समाचार एक ही दिन में राजधानी की सरकार को ज्ञात हो जाते हैं । बिना आवागमन के अच्छे साधनों के एक बड़े देश में एक ही सरकार सफलता पूर्वक शासन नहीं कर सकती । इसी लिये आचार्य शुक्र ने राजा को आदेश दिया है कि वह—

“दस हज़ार कोस दूर तक के समाचार एक ही दिन में जान ले ।”^३

इस से प्रगट होता है कि राज्य के समाचार जानने के लिये उस समय सरकार कितना पूर्ण प्रबन्ध रखता करती होगी । राजधानी में प्रतिदिन समाचार भेजने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्येक नगर तथा गाँव में एक एक प्रतिनिधि रखना चाहिये ।

१. अधिकारि बलं दृष्टा योजमेद्वर्यकान वहूत् ।

अधिकारिणमेकं वा योजयेद्वर्यकैविना ॥ ११६ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. शुक्र० अ० १ । १३० इसोक से १३६ तक ।

३. अयुत क्रोशजां वार्तां हरेदेवा दिवेन वै ॥ ३६७ ॥ (शुक्र० अ० १)

(१४४)

भारतवर्ष का इतिहास ।

इस काव्य के लिये उस समय सड़कों का पूर्ण प्रबन्ध था। राज्य भरमें सहृदृ और सुरक्षित सड़कें थीं; जिन पर यात्रियों के आराम के लिये सराय, घुड़शालाएं, बृक्ष और मोल दर्शक पत्थर आदि लगाए जाते थे।^१ इन सड़कों का वर्णन हम आर्थिक अवस्था के प्रकरण में करेंगे।

१. शुक० अ० १ राजमार्ग प्रकरण ५



चतुर्थ अध्याय

—॥३४॥—

शासन व्यवस्था (ख)

प्रजा के अधिकार और स्थानीय स्वराज्य

आचार्य शुक ने जिस प्रकार की शासन पद्धति का वर्णन किया है उसे हम 'मुकुटधारी प्रजा-तन्त्र शासन' कह सकते हैं। उन के अनुसार शासन में प्रजा की स्थिति क्या होनी चाहिये इस का वर्णन हम इस अध्याय में करेंगे। परन्तु इस से पूर्व हम यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि उस समय प्रजा के अधिकार के सम्बन्ध की ये सब बातें केवल अव्यवहारिक आदर्श राजनीतिक सिद्धान्त मात्र ही न थीं, अपितु ये सब बातें उस समय व्यवहार में भी आया करती थीं, अपनी यह स्थापना सिद्ध करने के लिये हम केवल दो उदाहरण देना पर्याप्त समझते हैं।

(१) महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से कम से कम ५०० वर्ष पूर्व हुआ था उन के पिता का नाम, शुद्धोधन था। सभी ऐतिहासिक इस बात से सहमत हैं कि शाक्यवंशीय शुद्धोधन कपिलवस्तु के जन-तन्त्र शासन के निर्वाचित प्रधान थे। कपिलवस्तु में उस समय शुद्ध रूप से जन-तन्त्र शासन ही था। प्रजा स्वर्य राज्याधिकारियों को निर्वाचित किया करती थी, इसी प्रकार उस समय अन्य भी कतिपय छोटी-रियासतों में प्रजातन्त्र शासन होने का प्रमाण मिलता है।

(२) सम्राट् चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनान के राजदूत की हैसियत से आए हुए मैगास्थनीज़ ने अपने भारतवर्ष के वर्णन में यहाँ के निवासियों का जिकर करते हुए लिखा है—‘सातवीं जाति मन्त्री और सभासद् लोगों को है—अर्थात् वे लोग जो राज काज की देखभाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से ही यह श्रेणी सब से छोटी है परन्तु अपने उक्त वित्तीय और बुद्धि के कारण सब से अधिक प्रतिष्ठित है क्यों कि इसी वर्ग से राजा के मन्त्री गण राज्य के कोवां-ध्यक्ष और विचारकर्ता, जो भगड़ों को निपटाते हैं—लिये जाते हैं। सेनाके नायक और प्रधान न्यायाधीश गण भी इसी वर्ग के होते हैं।’

1. The Fragments of the India of Megasthenes. Fragment I. Para 51.

बद्यपि ये उदाहरण शुक्रनीति सार के निर्माण से कुछ पीछे के ही तथापि इस से सिद्ध होता है कि उस समय भारतवर्ष में प्रजा के अधिकारों का स्वीकार किया जाना कोई आश्वर्यकारी बात नहीं थी ।

जनता की योग्यता— इङ्ग्लैण्ड के सुप्रसिद्ध वार्षिक जै० एस० मिलने किसी देश की जनता को प्रजातंत्र शासन के योग्य सिद्ध करने के लिए दो परखें दी हैं—देश की जनता प्रतिनिधि-शासन के नियमों के संचालन में व्यवहारिक रूप से सहायक हो । कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक के पाप को छिपाये नहीं । लोग उस शासन व्यवस्था के मार्ग में बाधक न हों ।” आचार्य शुक्र ने भी राजा के राज्यारोहण करते ही उसे जनता के लिये इसी कर्म की उद्देश्यना करने का आदेश दिया है । राजा राष्ट्र के नियमों के संचालन में प्रजा से व्यवहारिक संहावता की आकंक्षा करे । राजनियमों के पालन में जनता किसी प्रकार भी बाधक न हो । इस प्रकार उस समय जनता कितनी सुसंगठित दित और समझदार समझों जाती थी, यह ज्ञात होता है ।

प्रजा के अधिकार— पाश्चात्य देशों में जिस सिद्धान्त को १६ वीं सदी में आकर स्वीकार किया गया, वह सिद्धान्त भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से सर्वमान्य है राष्ट्र भर में राजा सब से अधिक उत्तरदायी व्यक्ति है परन्तु वह राष्ट्र की जलना का स्वामी नहीं नौकर है । वह प्रजा पर मनमाना निरंकुश शासन नहीं कर सकता अपिन्तु वह राजा ही तभी तक रह सकता है जब तक कि वह प्रजा के अधिकारों की रक्षा करता है, राष्ट्र के नियमों का पालन करता है, अगर वह निरंकुश हो उठे तो प्रजा को यह अधिकार है कि वह उसे राज्यच्युत भी कर सके । स्वेच्छाचारी राजा को राज्यच्युत करने का यह वैध उपाय आचार्य शुक्र ने लिखा है—“यदि राजा निरंकुश अध्यार्थिक और आचार भ्रष्ट हो उठे तो उसे राष्ट्र का नाशक समझ कर प्रजा राज्य च्युत कर दे । उस के खान पर प्रधानामात्र (पुरोहित) प्रजा के नेताओं और प्रतिनिधियों की अनुमति लेकर उसके बंशज किसी योग्य पुरुष को राजा नियुक्त करदे ।”^३ तत्कालीन इङ्ग्लैण्ड में कोई इस प्रकार का स्वरूप भी न ले सकता था ।

१. शुक्र० अ० १ छोड़ २८७-८८ और ३१० ।

२. गुणनीति बल द्वे शी कुलप्रतोप्यधार्मिकः ।

तृष्णो यदि भवेत् तन्तु त्यजेद्राष्ट्रविनाशकम् ॥ २७ ॥

तत्पदे तस्ये कुलं गुणयुत्तं पुरोहितः ।

अकृत्यनुमतिं कृत्वा स्यापयेद्राज्व गुप्तये ॥ २७५ ॥ (शुक्र० अ० ३ ।)

“राजा के बिना प्रजा में अव्यवस्था फैल जाती है और प्रजा के सहयोग के बिना राजा का राजतंत्र ही नहीं रहता इस लिये राजा और प्रजा दोनों अन्योन्याश्रित हैं। राजा अगर न्याय मार्ग पर चले तो वह अपने को और प्रजा को धर्म अर्थ और काम से युक्त कर देता है; अगर वह अन्यायान्वरण करे तो वह जहां राष्ट्र को हानि पहुँचाता है वहां स्वयं भी नष्ट हो जाता है।”^१

वैध शासन—राष्ट्र में राजा को वैयक्तिक महत्ता ज़रा भी नहीं है। राष्ट्र के सम्बन्ध में वह जो मौखिक आज्ञाएँ दे उन्हें राजाज्ञा ही नहीं समझना चाहिये। वास्तविक वैधशासक राजा की मुद्रा है, राजा की मुद्रा से अङ्कुत प्रत्येक आज्ञा जनता को अवश्य शिरोधार्य करनी चाहिये—

“राज्याधिकारी राजा की लिखित आज्ञाओं के बिना कोई भी कार्य न करें। राजा भी अपनी प्रत्येक छोटी से छोटी आज्ञा भी लिखित रूप से ही प्रकाशित करें। मनुष्य स्वभाव से भ्रमपूर्ण है इसलिये लिखित नियम ही प्रामाणिक मानने चाहिये। वह राजा और वे राज कर्मचारी जो लिखित आज्ञाओं के बिना कार्य करते हैं शासक नहीं अपितु चोर हैं। वे लिखित आज्ञाएँ जिन पर राजा की मुद्रा अङ्कित है, वास्तव में राजा हैं, राजा अङ्कित रूप में राजा नहीं है।”^२

“राजा की मुद्रा से अंकित लिखित आज्ञा सब से उत्तम आज्ञा है, राजा की लिखित आज्ञा भी उत्तम है; मन्त्री आदियों की लिखित आज्ञाएँ मध्यम हैं; नगर समितियों के अधिकारियों की लिखित आज्ञाएँ तीसरे दर्जे की हैं फरन्तु इन सब के द्वारा कार्य सिद्ध हो सकता है।”^३

१. न तिष्ठन्ति स्वधर्मे विना पालेन वै प्रजा ।

प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नैव शोभते ॥ ६६ ॥

न्याय प्रवृत्तो न पतिरात्मानमथ च प्रजा ।

त्रिवर्गेणोपसन्ध्यते निहन्ति भ्रुवमन्यथा ॥ ६७ ॥ (शुक्र० अ० १)

२. न कार्यं भृतकः कुर्यान्वृत लेखाद्विना क्रचित् ।

न ज्ञायेऽस्तेवत्तेन विनार्थं वा महन्वृपः ॥ २०० ॥

भ्रान्तेः पुरुष धर्मत्वाल्लेख्यं निर्णायिकं परम् ।

अलेख्यमाज्ञापयति ह्यालेख्यं यत् करोति वा ।

राजकृत्यमुभौ चोरौ तौ भृत्य न पती सदा ॥ २०१ ॥

भृप सर्विन्दितं लेख्यं नृपस्तन्न नृपो नृपः ॥ २०२ ॥

३. समुद्र लिखितं राजा लेख्यं तज्जोन्नमोन्नमम् ।

उत्तमं राज लिखितं मध्यं मन्त्रादिभिः कृतम् ।

पौरलेख्यं कनिष्ठं स्यात् सर्वं संसाधनं चमम् ॥ २०३ ॥

“युवराज और मन्त्रियों से लेकर साधारण राज्याधिकारी तक सब शासकों को चाहिये कि वे अपने दैनिक, मासिक, वार्षिक और बहु वार्षिक विवरण लिख कर राजा के पास भेजा करें। राजा की मुद्रा से अंकित लिखित कानूनों को संगृहीत करते रहना चाहिये, ताकि बहुत समय ब्यतीत हो जाए और भी उन के अनुसार कार्य करने में कोई वाधा उपशित न हो सके।”^१

व्यवस्थापिका सभा— शुकनीति में बड़ी स्पष्टता के साथ व्यवस्थापिका सभा का वर्णन पाया जाता है। व्यवस्थापिका सभा को उस समय सभा ही कहा जाता था। यह सभा राष्ट्र के नियमों का निर्वाचन करती थी, आवश्यक शासन सम्बन्धी कार्यों में भी राजा को सलाह दिया करती थी। सभा की बैठकों में चारों जातियों तथा गण पूगादियों के प्रतिनिधि, मन्त्रि मण्डल के सदस्य, स्वर्ण राजा द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्र के कार्यकर्त्ता समिलित हुवा करते थे। यद्यपि शुकनीतिसार द्वारा यह ज्ञात नहीं होता कि इस सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार और कितने समय के लिये होता था, इस के अधिकार कहां तक थे, मन्त्रि परिषद् और राजा का इस से क्या सम्बन्ध था, तथापि सभा की सत्ता और उस की यत्किञ्चित् महत्ता का ज्ञान अवश्य होता है—

“राजा को चाहिये कि वह मंत्रि परिषद् के सभ्यों, राज्य के मुख्य अधिकारियों और जनता द्वारा निर्वाचित सभा के सभासदों की अनुमति पर चल कर ही कार्य करे, यथेच्छ कार्य न करे।”^२

हमारा अनुमान है कि सभ्य और सभासद में अन्तर है। मंत्रि परिषद् के सदस्य को सभ्य कहा जाता था और जन सभा के सदस्य को सभासद्। सभ्य, सभासद् और अधिकारी ये तीनों ‘सभा’ के सदस्य होते थे।

आचार्य शुक ने राजा के छोटे सेवकों के कार्य लिखते हुए दौवारिक के लिये निर्देश दिया है कि—

१. यस्मिन् यस्मिन् इ कृत्ये तु राजा योधिकृतो नरः ।

शमात्य युवराजादियथानुक्रमतश्च सः ॥ २८४ ॥

दैनिकं मासिकं वृत्तं वार्षिकं बहुवार्षिकम् ।

तत् कार्यजात् लेख्यन्तु राजे सम्यङ् निवेदयेत् ॥ २८५ ॥

राजाद्विकृत लेख्यस्य धारयेत् स्मृति पत्रकम् ।

कालेतीते विस्मृतिर्वा भान्तः संजायते वृषाम् ॥ २८६ ॥ (शुक० अ० २)

२. सभ्याधिकारि प्रकृति सभासत्सुमते स्थितः ।

सर्वदा स्यान्वयः प्रातः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥ (शुक० अ० २)

“वह जब देखे कि सभा भवन में सभासद आगए हैं तब वह राजा को उन का नमस्कार निवेदित करे और बापिस आकर उन के शान की सूचना उन्हें दे ।”^१

“राज- सभा में जब पुरोहित (प्रधानामात्य) आए तब राजा को खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिये, उस से कुशल प्रश्न करने चाहिये । मन्त्री परिषद् के अन्य सभ्यों का भी इसी प्रकार सम्मान करना चाहिये । जब राज्याधिकारी सभा में आएं तब राजा को शान से बैठे रहना चाहिये; राज्याधिकारी उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करें ।”^२

“राजा को अपने मित्रों, सम्बन्धियों तथा शरीर रक्षकों के साथ राज-सभा में जाना चाहिये । राजा का सिहासन सभा-भवन के मध्य में हो तथा अन्य सदस्य उस के चारों ओर बैठें ।”^३

राजा सभा में जाने से पूर्व मन्त्र परिषद् के सभ्यों से सब विषयों पर प्रकान्त में सलाह कर ले, अगर रातका समय हो तो यह मन्त्रणा महल में और अगर दिन का समय हो तो बाग के साफ़ मैदान में होनी चाहिये ।”^४

इस प्रकार शुक्रनीति के आधार पर उस समय जन-सभा की सज्जा सिद्ध होती है । इस जन सभा का सभापति ‘प्रधान’ होता था जो कि इसी हैसियत से मन्त्र परिषद् का एक प्रभाव शाली सदस्य था ।

१. दृष्ट्वागताङ् सभामध्ये रात्रे दशडघरः क्रमात् ।

निवेद्य तक्षतीः पश्चात् तेषां स्थानानि सूचयेत् ॥ २११ ॥ (शुक्र० अ० २)

२. पुरोगमनमुत्कानं स्वासने सन्निवेशनम् ।

कुर्यात् स कुशल प्रश्नं क्रमात् बुस्तिम दर्शनम् ॥ २८० ॥

राजापुरोहितादीनां त्वन्नेषां स्नेह दर्शनम् ।

अधिकारी गणादीनां सभास्थस्य निरालसः ॥ २८१ ॥

३. सुहद्विर्भातुभिः सार्दू सभायां पुत्र बाल्घवैः ।

राजकूत्यं सेनपैश्च सभ्याद्यैरिचन्तयेत् सदा ॥ ३५२ ॥

सभायां प्रत्यगद्वृत्य ब्रह्मे राजासनं स्मृतम् ।

दघसंस्था वाम संस्था विशेषुः पार्वत्कोष्ठगाः ॥ ३५३ ॥

४. अन्तर्वेशमनि रात्रौ वा दिवारथे विशेषिते ।

मन्त्रयेऽप्मन्त्रिभिः सार्दू भासि कृत्यन्तु निर्जने ॥ ३५१ ॥ (शुक्र० अ० २)

तत्कालीन शासन का स्वरूप— उपर्युक्त विवेचना से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि शुकनीति के अनुसार राष्ट्र में प्रजा की स्थिति बहुत महत्व पूर्ण है; राजा राष्ट्र का सब से अधिक महत्व पूर्ण व्यक्ति होते हुए भी बिलकुल सीमित अधिकारों वाला है। वह राष्ट्र की व्यवस्था तथा साधारण विधानों से ऊपर नहीं है, इन के आधीन है। इस शासन को हम “नियमित राजतन्त्र” (Constitutional Monarchy) कह सकते हैं। अपनी इस शासन को हम कुछ विस्तार के साथ पुष्ट करना चाहते हैं।

जर्मनी के सुप्रसिद्ध राजनीतिशास्त्रज्ञ ड्लंशले ने अपनी The Theory of the State नामक पुस्तक में नियमित राजसत्ता का स्वरूप इस प्रकार वर्ताया है—

“नियमित राज-सत्ता (Constitutional Monarchy) में—

१. राजा का सम्मान तथा उस की शक्तियाँ राष्ट्र की शासन व्यवस्था (Constitution) से शासित रहती हैं। इस पद्धति में राजा न तो राष्ट्र की शासन व्यवस्था से जुदा होता है और न उस से ऊपर होता है अपितु वह उस का एक अङ्ग होता है। यह निश्चित नहीं कि यह शासन व्यवस्था लिखित रूप में ही हो अपितु इस में राष्ट्र की प्रथाएँ आदि भी शामिल हैं।

२. इस पद्धति में राजा न केवल शासन-व्यवस्था ही मानने को वाधित है अपितु उसे राष्ट्र के साधारण विधान भी मानने होते हैं। प्रजा से उसे केवल व्यवस्थानुकूल बलने की आशा ही रखनी चाहिये।

३. राष्ट्र के विधानों का निर्माण करते हुए उन के लिये प्रजा के प्रति-निधियों की सहमति भी आवश्यक है। इस के बिना कोई विधान प्रजा के लिये मान्य नहीं हो सकता।

४. प्रजा पर कर लगाने में भी प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति आवश्यक है।

५. राष्ट्र के शासन में राजा के लिये मन्त्रियों की सहायता लेना आवश्यक है। राजा की आज्ञाओं पर उस विभाग के मन्त्री के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

६. मन्त्रियों तथा अन्य अधिकारियों का उत्तरदायित्व अवाध्य रूप से आवश्यक है।

७. राष्ट्र का न्याय विभाग शासकों के आधीन नहीं है, वह उनका भी निरीक्षण करता है।

“व्यक्ति तथा श्रेणियों के अधिकार के बल धैर्यकिं और निज् ही नहीं समझे जाएंगे, उन्हें सामाजिक अधिकार स्वीकार किया जायगा। उनकी अवहेलना ठीक उसी प्रकार नहीं की जा सकती जिस प्रकार कि स्वयं राजा के अधिकारों की।”¹

आचार्य शुक्र द्वारा घर्णित शासन-व्यवस्था भी ठीक इन्हीं सिद्धान्तों पर अधित है। उस में भी प्रजा के अधिकारों को इतनी ही महत्ता दी गई है, इसीलिये हम ने उस शासन व्यवस्था का नाम ‘नियमित राज-सत्ता’ ही दिया है।

स्थानीय स्वराज्य

आचार्य शुक्र ने अपने नीतिशास्त्र में स्थानीय स्वराज्य (Local self govt.) को बहुत मुख्या दी है। इस सम्बन्ध में उनके बताये हुए निर्देश और विचार आजकल भी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैं। उन के अनुसार प्रत्येक नगर और गाँव में अलग २ प्रथन्य समितियाँ होनी चाहिये। इन में कुछ सदस्य नागरिकों द्वारा निर्वाचित तथा कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामङ्ग रहने चाहिये। इन नगर समितियों के पास शासन, न्याय तथा अपने स्थानीय नियम बनाने के अधिकार भी होने चाहिये। इतना ही नहीं व्यवसाय तथा पेशे के दृष्टि से भी प्रजा को संघ बनाने चाहिये, इन संघों को भी शासन, न्याय तथा स्थानीय नियम बनाने के यथोचित अधिकार होने चाहिये। इन संघों के लिये शुक्रनीति में गण, पूरा और संघ ये तीन शब्द आते हैं।

“किसानों, श्रमियों, शिलियों, महाजनों, नर्तकों, सन्यासियों तथा तस्हरों के संघों और नगर समितियों को अपने झाड़े आपस में बिटा लेने का अधिकार होना चाहिये।”²

इसी तरह मुरुद्दमों में जब मध्यस्थ (जूटी) नियत करने हों तो उनका निर्वाचन भी अभियुक्त तथा अभियोगों के संघों द्वारा ही करवाना चाहिये।

1. Theory of the State. Bluntschli. Page 437-38.

2. के नाया: कार्यकारी विलिप कुनीदि श्रेष्ठी नर्तका:

लिङ्गिस्तान्करा: कुर्यु: स्वेत धर्मेष्व निर्णयम् ॥ १८ ॥ (शुक्र अ० ४. V.)

“श्रेणियां (नगर-समितियों) उन मामलों का निर्णय करें जो कुलों (परिवारों) द्वारा विर्णीत नहीं हो सके हैं; गण (जातियों के संघ) उन मामलों का निर्णय करें जिनका निर्णय श्रेणियों द्वारा नहीं हो सका और श्रेणियों द्वारा भी अनिर्णीत मामलों का निर्णय सरकार करे । ” ३

“राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के रीतिरिवाजों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये और उसे जातियों, ग्राम समितियों और कुलों के सानीय नियमों तथा रिवाजों का भी अध्ययन करना चाहिये । न्याय करते हुए इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिये नहीं तो प्रजा में भयंकर आन्दोलन उठ बड़ा होता है । ” ४

इस प्रसंग में ‘तस्कर संघों’ का कुछ परिचय दे देना आवश्यक है । ये तस्कर-संघ क्या थे ? तस्कर शब्द का अर्थ चोर है, इस लिये यह शब्द कई बार बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है । चोरों के संघों को भी न्याय सम्बन्धी कुछ अधिकार देना बहुत हास्यास्पद प्रतीत होता है । हमारी सम्मति में इन तस्करसंघों के दो अभिग्राय हो सकते हैं—

१. संस्कृत के शब्दार्थ चिन्तामणि कोश में तस्कर शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है—“तस्कर दो प्रकार के होते हैं—प्रकाश और अप्रकाश, राजा को चाहिये कि वह इन सब तस्करों का ज्ञान रखें । प्रकाश तस्कर वे होते हैं जो नाना प्रकार का थोड़ा २ सौदा बेच कर निर्वाह करते हैं और अप्रकाश तस्कर वे होते हैं जो दलाली द्वारा कमाते हैं । ” ५

तस्कर शब्द की इस व्याख्या के अनुसार तस्कर संघों का अभिप्राय खोचिवालों का संघ और दलालों का संघ प्रतीत होता है ।

१. राजा ये विदिताः सम्यक् कुलश्रेणि गणादयः ।

साहस स्तेय वर्ज्यानि कुरुः कार्याणि ते नृणाम् ॥ ३० ॥

२. प्रत्यहं देश दृष्टैश्च शाक दृष्टैश्च हेतुभिः ।

जाति जानपदाश्च धर्माश्च श्रेणिधर्मास्त्वैव च ।

समीक्ष्य कुल धर्माश्च स्व धर्मं प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥

देश जाति कुलानां च ये धर्माः प्राक् प्रवत्तिताः ।

तदैव ते पालनीयाः प्रजा प्रचुर्यतेऽन्यथा ॥ ४८ ॥

(शुक्र० अ० ४.)

३. द्विविधाश्च तस्कराश्च विद्यात् पर द्रव्यायहारकाश्च ।

प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च चार चतुर्महीपतिः ॥

प्रकाशाद्युक्तास्तेषां नाना पश्योदम्भेविनः ।


क्षम्भव वद्युक्तास्त्वेते येष्टेनारविकादयः ॥

(शब्दाच्चिन्तामणि, तरकर शब्द)

२. कोटिल्य-अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर आटिक्स-संघों का वर्णन आता है, ये आटिक्स जनपदों को समेताओं पर निवास किया करते थे । इन के चारुरिक, शवर, पुलिन्द, चण्डाल, अरण्यचर आदि अनेक भेद अर्थ शास्त्र में वर्णित हैं । सम्भावतः तस्कर संघों से इन आटिक्स संघों का भी अभिभ्राय सम्भव ज्ञासकता है ।^१ इस के अनुसार ये तस्कर संघ सीमाप्रान्त के चिदेशी शासकों के आक्रमण से भारत की रक्षा करते थे, आवश्यकता पड़ने पर डाके आदि डाल कर उन्हें तंग भी करते थे । सरकार इस के लिये इन्हें कुछ धन देती थी और इन के सामीय उपनिषदों का मान करती थी ।

१. कोटिल्य अर्थ शास्त्र, और २ अधिः १ अ०-

१३. अधिः १ अ०-



पद्धति अध्याय

~~~~~

### न्याय-व्यवस्था

**न्याय विभाग**—आचार्य शुक्र के अनुसार न्यायविभाग राष्ट्र के शासन विभाग से बिल्कुल अलग और स्वतन्त्र है। राजा इन दोनों विभागों में सम्बन्ध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति है; प्राइविवाक इस विभाग का मुख्य अध्यक्ष है। न्याय-विभाग के शासन विभाग के व्याधीन न होने से ही उचित न्याय तथा प्रजा का धर्मानुकूल शासन सम्भव है। यदि न्यायकर्ता और शासक एक ही व्यक्ति हों तो अत्याचारी और व्याधीन शासकों पर आय और कानून का नियन्त्रण रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इस अवस्था में शासकों की अवृत्ति विगड़ने की ओर ही होगी। प्रजा की दुखभरी आहों पर ध्यान देने वाले कोई भी बलशाली व्यवस्था शेष न रहेगी। इस लिये राष्ट्र के कल्याण को हाथ में रख कर न्याय विभाग और शासन विभाग का पूर्यक होना नितान्त आवश्यक है।

हस्ती तथ्य को ध्यान में रख कर आचार्य शुक्र ने व्यवस्था दी है कि—  
 “प्राइविवाक ( Chief Justice ) अपनी सभा ( Council ) में बैठा हुआ यवाहों, लिखित पत्रों, भोग्य द्रव्यों और अपने सामग्रे कही गई सच्चेया फूटी व्याधों से मुकद्दमे पर अच्छी तरह विचार कर के दिव्य परीक्षा अथवा युक्ति, अनुकूलि, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र द्वारा परीक्षा कर के बहुसम्मति द्वारा निर्णय कर के अपना फैसला राजा के सामग्रे रखें। तब राजा उस पर हस्ताक्षर करे और अपराधी को यथायोग्य दण्ड दे।”<sup>३</sup>

उपर्युक्त उद्धरण में न्याय-विभाग का अध्यक्ष और उस की सभा ये दोनों अध्यान व्याधीश और जूरी क्रमोशुल की ही धोतक हैं। राष्ट्र के प्रधान व्याया-

३. साविभिर्लिखितैः भगवैश्वलै भूतैवत्त्वं मातुषाह् ।

स्वेनोत्पादित सम्बाधं व्यवहारह विचिन्त्य च ॥ ८६ ॥

दिव्य संवाधनाद्वाराग्य केषु किं साधनं परम् ।

युक्ति प्रत्यक्षानुभानोपमालैर्वेद व्याधिः ॥ ८७ ॥

बहु सम्भव संविद्वाह विनिश्चत्य समाप्तिः ।

क्षम्यः प्राइविवाकस्तु दृष्टं संबोधयेत् सदा ॥ ८८ ॥ ( शुक्र च० ३ )

धीश का कार्य यथासमव राजा स्वर्यं करे; जिन अवस्थाओं में वह ऐसा न कर सके उन में वह अपने स्थान पर वेदों के अच्छे हातों, जितेन्द्रिय, कुलीन, दूसरों के चित्त को दुखित न करने वाले, स्थैत्यमात्र, परलोक से डरने वाले, धर्मनिष्ठ, कोश्यून्य ब्राह्मण को न्याय-विभाग का अधिष्ठाता बनावे। यदि कोई ब्राह्मण इस योग्य न मिले या ब्राह्मण के मुकाबले में कोई अधिक योग्य क्षत्रिय मिल जाय तो उसी द्वारा यह कार्य करावे। क्षत्रिय के अभाव में वैश्य भी नियुक्त किया जा सकता है।”<sup>१</sup>

**न्याय-सभा**—“न्याय-सभा ( Jury Commission ) के सभासद् व्यवहार कुशल, शील और गुणों से युक्त, शत्रु के साथ भी न्यायानुकूल अचरण करने वाले, सत्य वक्ता, आलस्य रहित, काम क्रोधादियों को जीतने वाले और मधुरभाषी हों। सभी जातियों के ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को राजा न्याय-सभा का सदस्य बनाये।”<sup>२</sup>

इसी प्रकार किसान, राजा आदि शिल्पयों के संघों के सदस्यों का परस्पर कोई विवाद हो तो उस का निर्णय उन्हीं के धर्म तथा रिवाजों के अनुसार करना चाहिये; जूरी भी इन्हीं संघों द्वारा नियुक्त करवाने चाहिये।

“तपस्त्रियों के विवादों का निर्णय तथा मायाविद्या और योगविद्या जानने वालों के भगड़ों का निर्णय भी राजा को स्वर्यं न कर के तीनों वेदों के हाता ब्राह्मणों से करवाना चाहिये क्यों कि अशुद्ध निर्णय हो जाने पर ये लोग नाराज़ होकर राष्ट्र को छोड़ पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जंगल के वसियों के विवादों का निर्णय जंगल वासी, सैनिकों के विवादों का सैनिक ही निर्णय करें, जिस समूह का भगड़ा हो, उसी समूह के प्रतिनिधि मध्यस्थ बन कर उसका

१. यदा न कुर्वन्त्यपतिः स्वर्यं कार्यं विनिर्णयत् ।

तदा तत्र नियुक्तजीत ब्राह्मणं वैद पारगम् ॥ १२ ॥

दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकरत्विष्यस् ।

परव भीरुं धर्मिष्ठमुद्युक्तं क्रोधवर्जितम् ॥ १३ ॥

यदा विप्रो न विद्वाच्च स्यात् व्यतिवं तत्र योजयेत् ।

वैश्यं वा धर्मशास्त्रं शूद्रं यद्जेन वर्जयेत् ॥ १४ ॥

२. व्यवहार विदः प्राचा वृत्तः शील गुणान्विताः ।

रिपौ भित्रे समावेच च धर्मशास्त्रं सत्यवादिनः ॥ १६ ॥

निरालसा जितक्रोधः काम लोभः प्रियवृद्धाः ।

राजा नियोजितब्राह्मणे सम्भाः सर्वात्मु जतिषु ॥ १७ ॥ ( शुक्ल अ० ४० ४ २ )

३. युक्त आध्यात्म ४, ४ इलेक्ट्र ५२-होक १८-२० ।

निर्णय करें । इस प्रकार राजा लोक व्यवहार तथा न्याय व्यवहार के लिये धार्मिक सुरादीक्षित सम्मानों को कार्य में लाए वे ।”<sup>१</sup>

“लोक और वैदिकों के जानने काले पांच, सात या तोन ब्राह्मण जिस सभा में हों, वह सभा यह के सदृश पवित्र है । व्यवहार सम्बन्धी अभियोगों को सुनने के लिये वैश्यों को नियुक्त करना चाहिये । शास्त्र और कानून जानने वाले व्यक्ति को चाहे निर्णायक नियुक्त किया जाया या न किया जाय, उसे सदैव सत्य कह ही देना चाहिये ।”<sup>२</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय किसी अभियोग में केवल न्यायाधिकारियों, अभियुक्तों और गवाहों को ही शोलने का अधिकार नहीं होता था अपितु दर्शकों को भी अगर कोई बात सूक्ष्मजाय तो वह बात वे न्यायधीश से कह सहते थे, इस के लिये उन्हें साधारण अवश्य में रोक न थी । न्याय ठीक हो, इसी ओर सम्पूर्ण यत्त किया जाता था । जूरी बनने वाले व्यक्ति के लिये आचार्य शुक्र ने कहा है—“मनुष्य या तो सभा में जावे हीं नहीं, अगर वह जाता है तो वहां सच्ची वात कहे, सच्ची वात न कह कर चुरा चाप रहने वाला या भूड़ शोलने वाला मनुष्य पायी होता है ।”<sup>३</sup>

“राजा जिन स्थिरों, गणों या कुलों पर पूरा विश्वास रखता हो उन को डाका या चोरी आदि के मामलों को छोड़ कर झेष स्थानीय विवादों के अधिकार दे । कुल जिस बात का विवार न कर सके उस का निर्णय श्रेणियाँ करें,

१. तपस्विनां तु कार्यविद्वै वैविद्यैरेव कारयेत् ।

मायायोगविदां चै न स्वयं कोपकारकात् ॥ २१ ॥

सम्यग् विदान सद्यपनो नोपदेशं प्रकल्पयेत् ।

उत्कृष्ट जातियोलानां गुरुव्याचार्यं तपस्विनात् ॥ २२ ॥

आरथकास्तु स्वकैः कुर्युः सर्विकाः सर्विकैः सह ।

सैनिका सैनिकैरेव ग्रामेऽन्युभावादिभिः ॥ २३ ॥

अभियुक्ताश्च ये वत्र यस्तिवन्ध नियेष्वनाः ।

तत्रत्य गुण दोषानां त यत्र इ इचात्काः ॥ २४ ॥

राजा तु धार्मिकाहू सध्यात् नियुक्त्यात् चुपरौदितात् ।

व्यवहारभुर्व वोकुं ये शक्ता पुङ्कवा इति ॥ २५ ॥

२. लोक वेदत्त धर्मज्ञाः यज्ञ सद्य व्रयोवि वा ।

यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा वज्ञ सदृशी सभा ॥ २ ॥

शोतारो वणिगस्तत्र धर्मव्या सुविचवलाः ॥ २७ ॥

आनियुक्तो वा नियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमर्हति ।

दैवीं वाचं स यदति यः शास्त्रं उपजीवनि ॥ २८ ॥

३. सभा य न प्रवेष्यता वत्तार्य वा सम्प्रसस्त् ।

शब्द वह विव वह वायि नहो भवति किल्विदी ॥ २९ ॥ ( शुक्र ४० ४ ४ )

‘‘हह अभियोग श्रेणियों के बाद गण और गण के बाद राजा के न्यायालय में जाना चाहिये । कुछादियों से उक्षष सभा के सम्बन्ध हैं, उन से उत्कृष्ट उनका अच्यक्ष-न्यायाधीश है । परन्तु वास्तविक मुख्यता तो न्यायानुकूल निर्णय की है । ऊँच, नीच और सब प्रकार के भगड़ों का निर्णय राजा को करना होता है इस लिये सब से ऊरंग राजा की सत्ता है ।’’<sup>१</sup>

एक ही अभियोग में जूरी कमीशन को परिवर्तित करके अथवा उस की कई बैठकें करवा कर भी विचार किया जाता था—“न्याय-सभा के सम्बन्धों द्वारा अलग २ एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार भी विचार करवा कर विर्खय करना चाहिये । बादों और प्रतिवादों को, शेष सम्बन्धों तथा लेखकों और और दर्शकों को जो सदस्य न्यायानुकूल बातों से प्रसन्न करता है उसे ‘सभा-स्तार’ कहना चाहिये ।”<sup>२</sup>

‘‘किसी अभियोग का निर्णय करने में ये दस चीज़ें सहायक हैं— राजा, अधिकारी, सम्भ, समृतियें ( कानून ), गणक, लेखक, सोना, अग्नि, जल और राज-पुरुष ( पोलीस ) । राजा को न्यायासन पर बैठ कर इन्हीं दस अंगों की सहायता से ही न्याय करना चाहिये ।’’<sup>३</sup>

इन दसों के कार्य निम्नलिखित है—“चक्रा या प्राण विचारक न्यायाच्यक्ष है, शासक राजा है, और कार्य की परीक्षा करने वाले सम्भ लोग हैं, समृति निर्णय

१. राजा ये विदिता सम्यक् कुल श्रेणिगणादयः ।

साहसस्तेय वर्ज्यानि कुर्वुः कार्याणि ते नृणाम् ॥ ३० ॥

विचार्य श्रेष्ठिभिः कार्यं कुर्वेदन्न विचारितम् ।

गणेषु श्रेष्ठविचारं गणाशातं नियुत्तमैः ॥ ३१ ॥

कुलादिभ्योऽधिकाः सम्यस्तेभ्योऽध्यवोऽधिकाः कृतः ।

सर्वेषामधिको राजा धर्माधिम नियोजकः ॥ ३२ ॥

उत्तमाधम मध्यानां विवादानां विचारणात् ।

उपर्युपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वर बुद्धयः ॥ ३३ ॥

२. एक द्वित्रि चतुर्थां व्यवहारानुकिळनम् ।

कार्यं पृथक् पृथक् सम्भ राजा श्रेष्ठोत्तरैः वह ॥ ३४ ॥

अर्थं प्रत्यर्थिनी सम्भात् लेखक प्रेक्षकांश्च यः ।

धर्मवाक्ये रज्जयति स सभास्तारतामियात् ॥ ३५ ॥

३. नृपोधिकृत सम्भात् समृतिर्गणक लेखकौ ।

हेमाग्यमुस्त्वदुरुषा साधनाङ्गानि वै दश ॥ ३६ ॥

एतदृशाङ्गं करणं यस्यामध्यात्म्य पार्थिवः ।

न्यायात् पश्येत् कृतमति सासभाध्यर सम्प्रिणा ॥ ३७ ॥ ( मुक० ग्र० ४ व० )

देती है और जप, दान और दम का उपदेश देती है । शपथ के लिये सोना और ज्ञान है । एकासे के लिये जल है, गणक बस्तु की परीक्षा करे और लैखक गदा-हिंदों और निर्णय को लिखे ।” १

“राजा को गणक और लैखक उस प्रकार के रखने चाहिये जो शब्द शास्त्र और भाषा के दोषों को जानने वाले तथा भिन्न २ भाषाओं में प्रवीण हों ॥” २

**न्यायालय**—न्यायालय को प्राचीन काल में धर्माधिकरण कहा जाता था क्योंकि इस सभा में धर्म शास्त्र और स्मृति शास्त्रों के आधार पर अभियोगों और विवादों का निर्णय किया जाता था—“इस धर्म सभा में व्यवहारों को देखने की इच्छा वाला राजा उत्तम प्रनिन्द्रियों और ब्राह्मणों के साथ प्रवेश करे, और धर्म नन पर वैड कर उदासित अभियोगों को देखे । पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों के प्रति समर्पणी होकर राजा दोनों पक्षों से उन के बयान ले । प्रतिदिन देश में प्राप्त होने वाले उदाहरणों तथा शास्त्रों में दिये हेतुओं के अनुसार राजा राष्ट्र, सम्ब्रहणों तथा कुलों के स्वार्थों को रक्षा करे ॥” ३

“वहले से चले आए हुए राष्ट्र और जाति के कनूनों तथा प्रथाओं के आधार पर ही न्याय करना चाहिये जिस से प्रजा विरुद्ध होकर विगड़न उठे ॥” ४

१. दशनमपि चेतेषां कर्म प्रोक्तं पृथक् पृथक् ।  
दक्षाध्यज्ञो नपः शास्त्रा सन्याः कार्यपरीक्षकाः ॥ ४० ॥  
स्मृतिविनिर्णयं इति ते जपं दानं दमं तथा ॥ ४१ ॥  
शपथार्थं हिरव्याप्तिं शास्त्रवृत्तिं सुव्ययोः ।  
गणको गत्येदर्थं लिङ्गेन्यायं च सेवकौ ॥ ४२ ॥
२. शब्दाभियान तत्वज्ञै गणना कुशलो युधी ।  
नाना लिङ्गिनौ कर्त्तव्यो राजा गणक सेवकौ ॥ ४३ ॥
३. धर्मशास्त्रानुवारेष द्वयं शास्त्र विवेचनम् ।  
प्राचाधिकिये स्थाने धर्माधिकारणं हि तत् ॥ ४४ ॥  
व्यवहाराश्च टिटूलस्तु ब्राह्मणोः सह पार्थिवः ।  
मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रै विनीतः प्रविशेत सभाम् ॥ ४५ ॥  
धर्मादनमधिष्ठाय कार्य दर्थनमारभेत् ।  
पूर्वोत्तर समो भूत्वा राजा पृच्छेद विवादिनौ ॥ ४६ ॥  
प्रस्थदं देश दृष्टैरेव शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः ।  
जाति जानपदान्त्र धर्माद्य श्रेणिधर्मास्त्रभेत् च ।  
समीक्ष्य कुल चर्मास्त्र स्व धर्मं प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥
४. देश जाति कुलानां च ये धर्माः प्राकृ प्रथनिर्ताः ।  
तपैव से पालनेयाः प्रजा प्रज्ञान्तेन्यथा ॥ ४८ ॥      ( शुद्ध ३०.४.७ )

**न्यायालय की कार्यवाही**—मुद्रै को अर्थी और मुद्राला को प्रत्यर्थी कहा जाता है । कोई अभियोग प्रारम्भ होने पर पहले अर्थी धर्मासन पर बैठे हुए राजा को भुक्तकर नमस्कार कर के अपना अभियोग लिखित रूप में ठीक २ उस के सामने निवेदित करें । राजा उसे साम पूर्वक शान्त कर के उस अभियोग के सम्बन्ध में अपना कानून बताला दे और फिर विनीत अर्थी से कहे कि 'तुम डरो नहीं, सच सच कहो; तुम्हें क्या कष्ट है ? किस से तुम्हें शिकायत है ? तुम्हें किस दुष्ट ने क्या, किस प्रकार, कहां; कैसे कष्ट पहुँचाया है ?' यह कह कर वह अर्थी का उत्तर सुने, उस की आवाज़ और ढंग से यह पहचानने का यत्न करे कि वह सत्य वात कह रहा है या नहीं । लेखक अर्थी की बातों को न्यायालय द्वारा स्वीकृत भाषा में लिखता चला जाय । जो लेखक अर्थी या प्रत्यर्थी की बात को कुछ का कुछ लिख दे उसे राजा चौर की तरह दरड़ दे । इसी प्रकार अगर सभा के सम्बन्ध ( जूरी ) भी कमी इसी तरह कुछ का कुछ लिख दें तो राजा उन्हें भी चौर की तरह दरड़ दे ।'

"राजा के अभाव में प्राङ्गविवाह ( प्रधान न्यायाधीश ) को धर्मासन पर बैठ कर इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिये । प्राङ्गविवाह दोनों वादी प्रतिवादियों से प्रश्न ( जिरह ) करता है इस लिये उसे प्राङ्गविवाह कहते हैं; वह सभ्यों द्वारा विवेचन करता है अथवा सत्यासत्य का निर्णय करता है इस लिये भी प्राङ्गविवाह कहाता है ।"

१. धर्मासन गतं पृष्ठा राजां मन्त्रिभिः सह ।

गच्छेत्तिवेद्यमानं यत् प्रतिशुद्धयमधर्मतः ॥ ५७ ॥

यथा सत्यं चिन्तयित्वा लिखित्वा च समाहितः ।

नत्या च प्राज्ञतिः प्रहो द्युर्थी कार्यं निवेदयेत् ॥ ५८ ॥

यथार्हमेनमभ्यर्थ्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

सान्नवेन प्रश्नमध्यादो स्व चर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ५९ ॥

काले कार्यर्थिनं पृच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितस् ।

किं कार्यं का च ते पीड़ां मा मैवो द्वृहि मानव ! ॥ ६० ॥

केन कस्मिन् कदा कस्मात् पीडितोऽसि दुरात्मना ।

एवं पृष्ठा स्वभावोक्तं तत्त्वं संशृण्याद् वचः ॥ ६१ ॥

प्रतिशुद्ध लिपि भाषा-भस्त्रदुक्तं लेखको लिखेत् ॥ ६२ ॥

आन्यदुक्तं लिखेदन्योऽर्थं प्रत्यर्थिनां वचः ।

चौरत् त्रासयेद्राजा लेखकं द्वागतन्द्रियः ॥ ६३ ॥

लिखितं तादृशं सभ्या न विक्रियः कदाचन ।

बलाद् गृह्णन्ति लिखितं दब्दयेत् तांस्तु चौरत् ॥ ६४ ॥

२. प्राङ्गविवाहको नृपाभावे पृच्छेदेवं सभागतम् ॥ ६५ ॥

वादिमै पृच्छति प्राङ्गव वा विवाको विविनकर्त्ततः ।

विचारयति सम्बैर्वा धर्माधर्माद् विवक्ति वा ॥ ६६ ॥ ( शुक्र० अ० ४. v. )

“सभा के श्रेष्ठ पुरुष को सम्म कहते हैं। स्मृति नियमों और आचार से राहत दुष्टों से पीड़ित हों कर दुखी आदमी राजा के पास आकर अपनी शिकायत करता है, इसी से कचहरी के लिये धर्माधिकरण शब्द प्रयुक्त होता है।”<sup>१</sup>

“राजा स्वयं कभी किसी से भगड़ा या विवाद न करे। राजा के कर्म-चारियों को भी कभी किसी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाना चाहिये। राजा कभी लोभ या क्रोध से पीड़ित हो कर किसी को कष्ट न दे। राजा सूचकों और स्तोभकों की सलाह ले कर उन अभियोगों का भी निर्णय करे जिन की दखास्त किसी प्रार्थी ने नहीं दी है। विशेषतः उन बातों का निर्णय जिन से कि उस के अपने अधिकारियों का सम्बन्ध है बिना किसी प्रार्थी के निवेदन के भी करे। राजा की आङ्ग लिये बिना ही जो लोग शास्त्र के अनुकूल उस से न्याय के लिये निवेदन करते हैं वे स्तोभक कहाते हैं। जिन लोगों को प्रजा के दोष देखने के लिये राजा ने स्वयं नियुक्त किया है वे सूचक कहाते हैं।”<sup>२</sup>

**वादी को दण्ड—** “वह वादी दण्ड के योग्य है जो उद्धत, कठोरता से बोलने वाला, गर्वित या क्रोधी हो अथवा न्यायाधिकारियों के बराबर आसन पर बैठने का यत्त करे।”<sup>३</sup>

**आवेदन और साक्षी—** ‘‘अर्थी की लिखित प्रार्थना ‘आवेदन पत्र’ कहाती है। प्राढ़ विवाह अथवा अन्य न्यायाधिकारियों के प्रति इजहार देते हुए कही गई भाषा बहुत सरल होनी चाहिये, जिसे सब कोई समझ सके।

१. सभायां ये हिता योग्याः सम्भास्ते चापि साधवः॥ इ७॥

स्मृत्याचार इयेवेन मार्गेणाधिष्ठितः परैः।

आवेदयति चेद्रात्रे व्यवहार पदं हि तत् ॥ इ८ ॥

२. नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नायस्य पूरुषः।

न रागेण न लोभेन न क्रोधेन ग्रसेन्तृपः ५

परैप्राप्तिनार्थक्त्वा चापि स्वमनीषया ॥ इ९ ॥

क्षलानि चापराधांश्च पदानि न पतेस्तथा ।

स्वयमेतानि गृहीयान्नपस्त्वयैदकैविना ।

सूचक स्तोभकाभ्यां वा श्रुत्वा चैतानि तत्पतः ॥ ७० ॥

शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्थी नापि राजा प्रबोदितः ।

आवेदयत्ति यत् पूर्वं स्तोभकः स उदाहृतः ॥ ७१ ॥

नृपेण विनियुक्तो यः परदोषानुवीक्षणे ।

नृपं संसूचयेऽज्ञातवां सूचकः स उदाहृतः ॥ ७२ ॥

३. उद्धतः कूरवाग्वेशो गर्वितश्वरूप एव हि ।

सहासनश्वातिमानी वादी दस्तमवाप्न्यात ॥ ८८ ॥ ( शुक्र० अ० ४. v. )

अर्थी के इस आवेदन पत्र को पूर्व पक्ष समझना चाहिये, न्यायाधीश यदि उचित समझे तो अर्थी द्वारा निर्दिष्ट गवाहों से अतिरिक्त गवाहों की भी गवाहियाँ ले अथवा उन में से भी कुछ गवाहियाँ व्यर्थ समझ कर छोड़ दे । इस आवेदन पत्र पर अर्थी के हस्ताक्षर करवा कर न्यायालय की मोहर कर देनी चाहिये ।”<sup>१</sup>

“न्याय सभा के जो सभ्य बिना स्पष्ट किये ही राग लोभादि के वशीभूत हो कर अन्याय करें राजा उन्हें यथोचित दण्ड देकर पदच्युत कर दे ।”<sup>२</sup>

“राजा पूर्व पक्षी के इजहार की आहा और अग्राहा बातों पर अच्छी तरह विचार करे । पूर्व पक्ष को भली प्रकार सुन लेने के उपरान्त राजा प्रार्थी को बाहर भेज दे । फिर उस अपराध स्वीकार न करने वाले प्रत्यर्थी को राजा अपनी आज्ञा द्वारा पकड़वा कर न्यायालय में बुलावे । प्रत्यर्थी को इस प्रकार पकड़ना आसेध कहाता है । यह आसेध सान, समय, प्रवास और कार्य के सनुसार चार प्रकार का होता है । प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह भूल कर भी इस आसेध का उल्लङ्घन न करे । परन्तु जो राजकर्मचारी प्रत्यर्थी को आसेध करते हुए उसे अनुचित उपायों से तंग करता है वह स्वयं ही अपराधी है ।”<sup>३</sup>

१. अर्थिना कथितं राजे तदावेदन संचकम् ।

कथितं प्राइविवाकादौ सा भाषाविल बोधिनी ॥ ९० ॥

सपूर्वपक्षः सभ्यदिस्तं विमृश्य यथार्थतः ।

अर्थितः पूर्येषु नं तत्साख्यं मधिकं त्यजेत् ॥ ९१ ॥

वादिनश्चिन्तितं साख्यं कृत्वा राजा विमुद्रयेत् ॥ ९२ ॥

२. अशोधितिवा पक्षे ये ह्युत्तरं दापयन्ति ताश्च ।

रागाहोभादू भयाद्वापि स्मृत्यर्थं वाधिकारिणः ।

सभ्यादीशू दण्डयित्वा तु ह्यमिकारान्निर्वत्येत् ॥ ९३ ॥

३. ग्राह्याग्राह्यं विवादान्तु हुविमृश्य समाप्येत् ।

सञ्चातपूर्वपक्षं तु वादिनं सञ्चिरोधयेत् ॥ ९४ ॥

राजान्तया सनुरुपैः सत्यवार्गमर्मनोहरैः ।

निरालसेन्हितजैश्च दृढ़ शक्ताक्षं धारमिः ॥ ९५ ॥

बक्तव्येषुर्थं ह्य तिष्ठन्तं उक्तामन्तं च तदूचः ।

आसेधयेदू विवादार्थी यावदाह्वान दर्शनम् ।

प्रत्यर्थिनं तु शपथैराजया वा वृपसं च ॥ ९६ ॥

स्थान सेधः कालकृतः प्रवासात् कर्मणस्तथा ।

आसेधयदनासेधैः स दण्डयो न त्वतिकमी ॥ ९८ ॥

आसेध काल आविष्टु आसेधं योऽतिर्वत्ते ।

स विनेवोन्यथा कुर्वन्नासेद्वा दस्तभाग् भवेत् ॥ ( शुक्र० अ० ४. v.)

**वारण्ट—** “जिसका अभियोग हो और जिस पर अभियोग हो अथवा जिस पर अभियोग होने की आशंका हो उसे राजा अपनी मुद्रा से ओंकात आज्ञा से राजकर्मचारियों द्वारा न्यायालय में बुलाये । इन वारण्टों द्वारा राजा रोगियों, बालकों, बूढ़ों, नवकार्यों में संलग्न, आपदास्तों, दुखियों, राजकार्य में लगे हुओं, उत्सवों में मस्त और मत्त तथा कष्ट में पड़े हुए नौकरों को न बुलाए । अकेली युवती, कुलदेवी, प्रसूता, उच्च वर्ण की कन्या, और विधवा खियों को भी राजा वारण्ट द्वारा ज़बरदस्ती न्यायालय में न बुलावे ।”<sup>१</sup>

“इसी प्रकार राजा चिवाह कार्यों में संलग्न, रोगा, यज्ञ में व्यग्र, आपदास्त, किसी अन्य अभियोग में फँसे हुए, ग्नालों, किसानों, शिलियों, युद्ध में गए हुवों और नवालिगों को भी वारण्ट निकाल कर न बुलावे ।”<sup>२</sup>

“परन्तु अगर कार्य बहुत अधिक आवश्यक हो, इन के बिना नहो सकता हो तो राजा को इन्हें भी वारण्ट निकाल कर बुलाना चाहिये, परन्तु इस अवस्था में उन के आने जाने के लिये तेज़ सवारियों का पूर्ण प्रबन्ध उसी को करना चाहिये । अभियोग की ठीक जाँच पड़ताल करने के बाद अगर उस में किसी वानप्रश्य या सन्यासी की गवाही की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भी बुलवाना चाहिये, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस में उन का अधिक समय व्यय न हो ।”<sup>३</sup>

१. यस्याभियोगं कुरुते तत्वेनाऽशङ्क्यायथा ।

तमेषाह्नानयेद्राजा मुद्राः पुष्टेण वा ॥ १०० ॥

अकर्त्य बाल्य दृष्टिविषमद्य क्रियाकुलाह् ।

कार्यान्तिपाति व्यासनी नृपकार्यान्तिपात्राकुलाह् ।

मनोन्मन्त्र प्रमसात्त भूत्यानाऽह्नयेन्द्रयः ॥ १०२ ॥

न हीन पद्मां युवतीं कुरु जातां प्रहृतिकाम् ।

सर्व वर्णान्तमां कन्यां नातात प्रभुकां द्वियः ॥ १०३ ॥

२. निर्येष्टुकामो रोगान्तो यिष्युद्यत्सने स्थितः ।

अभियुक्तस्थान्येन राजकार्याद्यतस्तथा ॥ १०४ ॥

गदां प्रचारे गोपालाः शशावापि कृषीदलाः ।

शिलिपनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च विग्रहे ॥ १०५ ॥

अपाम व्यजहारश्च द्रुतो दानोन्मुखो व्रती ।

विषमस्थाश्च नासेध्या न चैतानाऽह्नयेन्द्रयः ॥ १०६ ॥

३. कार्त्तं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलावलम् ।

अकल्यादीनपि शैनैर्यन्नैराह्नयेन्द्रयः ॥ १०८ ॥

ज्ञात्वाभियोगं ये इय स्तुष्टे प्रवर्जितादयः ।

तानप्याह्नयेद्राजा युक्तकार्येष्वकोपयः ॥ १०९ ॥ ( शुक्र० अ० ४ ॥ )

**प्रतिनिधि ( वकील )**— व्यवहार ( कानून ) से अनभिज्ञ अर्थाँ या प्रत्यर्थीं अपना पक्ष पुष्ट करने के लिये किसी योग्य कानूनदाँ को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है । मूर्ख, पागल, बृद्ध, स्त्री, बालक और रोगियों की ओर से उन का कोई बन्धु या अन्य नियुक्त मनुष्य उन का पक्ष स्थापित कर सकता है । अगर किसी दादी या प्रतिवादी के अभियोग को उस के पिता, माता, पित्र, बन्धु, भाई या अन्य कोई जानकार और अधिक अच्छी तरह उपस्थित करना चाहें तो उन्हें इस की आज्ञा देनी चाहिये । जो कोई जिस की आज्ञा से कार्य करे वह कार्य आज्ञा देने वाले का ही समझा जायगा, उस का अपना नहीं । वकील जो कुछ कहता है वह उस के मुबक्किल का कथन समझता चाहिये ।”

**वकील का वेतन—**“अभियोग को जीत लेने से जितना धन प्राप्त हो उस का १६ वां भाग वकील को मेहनताने के रूप में देना चाहिये । ज्यों ज्यों अभियोग द्वारा रक्षणीय द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाय त्यों त्यों वकील की भूति कम होती जाती है । यह भूति रक्षणीय द्रव्य की मात्रा का २० वां भाग, ४० वां भाग, ८० वां भाग अथवा कम से कम १६० वां भाग होनी चाहिये । अगर एक ही पक्ष की ओर से बहुत से वकील नियुक्त किये जायें तो उनका मेहनताना और किसी प्रकार ही विश्वित होना चाहिये ।

“वकील को स्मृति, आचार नियम और कानूनों का हाता होना चाहिये । कानून के आधार पर ही उसे अपना पक्ष पुष्ट करना चाहिये, वह अगर धूस आदि देकर अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने का यत्न करे तो उसे भी दण्ड मिलना चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्तों के लिए राजा को स्वयं वकील नियुक्त करदेना चाहिये । यह वकील अपार लोभवश अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन न करे तो इसे भी दण्ड मिलना चाहिये । अभियुक्त को राजा अपनी इच्छा के अनुसार वकील नियुक्त करने के लिये बाधित न करे । जो व्यक्ति न तो वादी या प्रतिवादी में से किसी का रिस्तेदार है और न वकील है वह अगर

इ. व्यवहारनभियोग हान्यकार्यकुलेन च ।

प्रत्यर्थिनार्थिना नज्जुः कार्यः प्रतिनिधिस्तदा ॥ १५० ॥

श्रापगल्भ जङ्गोन्मत् वृद्धुस्त्री बालं रोगिणाम् ।

पूर्वोत्तरं वदेद् वन्धुनिशुक्तो वायवानः ॥ १५१ ॥

पिता माता सुहृद् वन्धुर्भाता सम्बन्धिनो इपि च ।

यदि कुर्युरपस्थानं वादं तत्र प्रवत्तयेत् ॥ १५२ ॥

यः कश्चित् कारयेत् किञ्चित्क्षियोगाद् येन केवलितः ।

तत् तेनैव कृतं ज्ञेयमनिर्वायं हि तत् स्मृतम् ॥ १५३ ॥ ( शुक्ल शा० ४.४. )

कसी अभियुक्तके पक्ष या विपक्षमें बिना पूछे कुछ कहे तो उसे दण्ड मिलना चाहिए। अभियोग प्रारम्भ होजाने पर अगर अभियुक्त या अभियोगी की मृत्यु हो जाय तो उस मुकद्दमे को उस के पुत्र या सम्बन्धी जारी रख सकते हैं ।”

**गुरुतर अपराध—** “इन अपराधों के अभियुक्त को बकील करने का अधिकार नहीं होना चाहिये, इन में अभियुक्त स्वयं ही अपना पक्ष पुष्ट करे—हत्या, चोरी, व्यभिचार, अभक्षण भक्षण, कठोरता, जालसाजी, राज द्रोह और डकैती ।”<sup>१</sup>

**जमानत—** “यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में राजा की आज्ञा द्वारा बुलाया जाकर घमरड़ या परिवार की महत्त्वाके बल पर आने से इकार करे तो उसे इस बात का भी, अभियोग की गुरुता के अनुसार दण्ड मिलना चाहिये। अभियोग खलने पर वादी या प्रतिवादी को अगर कोई विशेष कार्य हो तो उन्हें जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है। जो व्यक्ति उन की जमानत ले उसे न्यायालय में यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये— ‘मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह मनुष्य जो कुछ नहीं चुकायेगा वह मैं चुकाऊँगा।’ इसे मैं अमुक तिथि को न्यायालय में अवश्य उपस्थित कर दूँगा, इस बात को आप कोई चिन्ता न कीजिये, जो कार्य यह नहीं करेगा, वह मैं कर दूँगा। यह मनुष्य अमुक कार्य करता है, आप विश्वास कीजिये यह असत्य व्यवहार नहीं करेगा। जो व्यक्ति जमानत ले वह ईमानदार,

१. नियोगितस्यापि भूर्ति विवादात् षोडाशांशिकम् ।

विशत्यंशां तददुर्बुद्धा वा तददुर्बुद्धिकाम् ॥ ११४ ॥

यथा द्रव्याधिकं कार्यं हीना हीना भृतिस्तथा ।

यदि बहु नियोगी स्यादन्यथा तस्य पोषणम् ॥ ११५ ॥

धर्मज्ञो व्यवहारज्ञो नियोक्तव्योऽन्यथा न हि ।

अन्यथा भृतिगृह्णन्तं दस्त्वयेव नियोगिनम् ॥ ११६ ॥

कार्यो नित्यो नियोगी न नपेण स्वमनीषया ।

लोमेन ग्रन्थादा कुर्वद्व नियोगी दण्डमर्हति ॥ ११७ ॥

यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोग कृत ।

परार्थ वादी दण्डयाः सादू व्यवहारेतु विवक्षुबु ॥ ११८ ॥

प्रवर्तयित्वा वादन्तु वादिनौ तु मृतौ यदि ।

तनुपुणे विवदेत तज्जो हान्यथा तु निवर्तयेत ॥ ११९ ॥

२. मनुष्य मारणे स्तेये परदाराभिमर्शने ।

अभक्ष्य भक्षणे चैव कन्या हरण दूषणे ॥ १२१ ॥

पारणे कूटकरणे नप्रदोहे च साइसे ।

प्रतिनिधिन दातव्यः कर्त्ता तु विवदेत स्वयम् ॥ १२२ ॥

( शुक्र० अ०४. v.)

धनी, चतुर और सम्माननीय होना चाहिये । जमानत दोनों दलों से लेनी चाहिये, परन्तु अच्छा यही है कि जब तक सत्यासत्य का निर्णय न हो जाय तब तक वादि प्रतिवादी को नजरबन्द ही रखवा जाय ; उनका व्यय चाहे सरकार दे या चाहे वे स्वयं दे । उनके परिवार का खर्च देने के लिये सरकार उत्तरदाता नहीं । ”<sup>१</sup>

**आर्जी या प्रतिज्ञा के वाक्य—** “वादी को अपना पक्ष ऐसा रखना चाहिये जिस में हेत्वाभास न हों, उस की युक्तियाँ सन्देह जनक और असम्भव न हो । भाषा के ये दोष हैं, न्यायाधीश को इन का ध्यान रखना चाहिये—उस से कई मतलब निकलना, कोई अर्थ न होना, युक्ति शास्त्र ( तर्क ) के विरुद्ध होना, रुक २ कर बोलना या बहुत कम बोलना । भाषा अप्रसिद्ध, उचित्रद्वाल, निष्प्रयोजन, निरर्थक, असाध्य व विरुद्ध नहीं होनी चाहिये । ”

“जो किसी ने न देखा हो न सुना हो वह अप्रसिद्ध है जैसे—मुझे एक गूँगे ने शाली दी अथवा बन्ध्या के पुत्र ने मारा । ये बातें निष्प्रयोजन और निरवाच का उदाहरण हैं—यह पढ़ता है अपने घर में आनन्द करता है, इस के घर का दरवाजा बाजार में खुलता है इत्यादि । मेरी दी हुई कन्या का मेरा यह जमाई उपयोग करता है, यह बन्ध्या होकर गर्भ धारण नहीं करती, यह मरा हुवा मनुष्य नहीं बोलता—ये बातें असाध्य का उदाहरण हैं । यह संसार मेरे दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होता—इत्यादि बातें निरर्थक हैं । वादी का पूर्व पक्ष इन दोनों से

१. आहूतो यत्र नागच्छेद् दर्पाद् बन्धुवलान्वितः ।  
अभियोगानुरूपेण तस्य दर्शनं प्रकल्पयेत् ॥ १२३ ॥
- दृतेनाहृनितं प्रापाधर्षकं प्रतिवादिनम् ।  
दृष्ट्वा राजा तयोर्षिन्त्यो यथा हि प्रतिभूस्त्वतः ॥ ११४ ॥
- दास्याम्यमत्तमेतेन दर्शयामि तवन्तिके ।  
रन्मार्धिं दापयिष्ये ह्यस्मात्ते न भय क्वचित् ॥ १२५ ॥
- अकृतञ्च करिष्यामि ह्यनेनायञ्च वृत्तिमात् ।  
आस्तीति न च मिद्यैतदद्वी कुर्यादतन्मिद्रयः ॥ १२६ ॥
- प्रगल्मो बहु विश्वस्तानधीनो विश्राती धनी ।  
उभयो प्रतिभूर्गीहः समर्थः कार्यं निर्णये ॥ १२७ ॥
- विवादिनौ सन्त्रिष्य ततो वादं प्रवर्तयेत् ।  
स्वपुष्टौ परपुष्टौ वा स्वभृत्या पुष्ट रक्षकौ ।
- सपाधनौ तत्वमिच्छुः कूट साधनशङ्कया ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

( १६६ )

### भारतवर्ष का इतिहास ।

रहित होनी चाहिये । इस प्रकार का निर्दोष पूर्व पक्ष लिखा जाने के बाद फिर उत्तर पक्ष लिखना चाहिये ॥” ३

“दोनों पक्ष लिखे जाने के बाद पहले अभियोगी से प्रश्न करने चाहिये और फिर उस के बाद अभियुक्त से । राज्याधिकारियों से प्रश्न स्वयं न्यायाधीश को ही करने चाहिये ॥” ३

**जिरह**—चादी या प्रतिवादी ने जो बात डर या धूर्तता से नहीं कही है, अथवा अशुद्ध बात कह दी है, उस को भिन्न २ प्रकार के प्रश्न कर के जान लेना चाहिये ॥” ३

१. प्रतिर्वा दोष निर्मुक्त साध्यं सत्कारकान्वितम् ।  
निश्चितं लोक सिद्धान्तं पक्षं पच्छिदो विदुः ॥ १२८ ॥  
आन्यार्थं आर्यहीनञ्च प्रमाणागम वर्जितम् ।  
सेष्य हीनाधिकं भृष्टं भाषा दोषां उदाहृताः ॥ ४३० ॥  
आप्रसिद्धुं निराबाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम् ।  
आसाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विषर्जयेत् ॥ १३१ ॥  
न केनचिच्छुतो दृष्टः सो अप्रसिद्धु उदाहृतः ।  
आहं मूलेन संशयो बन्ध्या पुत्रे ण ताङ्गितः ॥ १३२ ॥  
आधीते सुस्वरं गाति स्वर्गेष्व विहरत्ययम् ।  
धन्ते मार्गं सुखं द्वारं मम गेहं समीपतः ।  
इति ज्यें निराबाधं निष्प्रयोजनमेव च ॥ १३३ ॥  
सदा मदृत्तं कन्यायां जामाता विरहत्ययम् ।  
गर्भं धन्ते न बन्धयेऽयं मृतोर्य न प्रभावते ।  
किमर्थं मिति तज्ज्ञेयमसाध्यञ्च चिरद्वक्तम् ॥ १३४ ॥  
मद् दुःखं सुखतो लोको द्रुयते न च नन्दति ।  
निरर्थं मिति या त्ते यं निष्प्रयोजनमेव वा ॥ १३५ ॥  
विनिश्चिते पूर्वपक्षे ग्राह्याग्राह्य विशोधिते ।  
प्रतिर्वाते स्थिरोभूते सेषायेदुत्तरं ततः ॥ १३६ ॥
२. तत्राभियोक्ता प्राक् पृष्ठो ह्यभियुक्तस्त्वनन्तरम् ।  
प्राढ् विवाकः सदस्याद्यैदाप्यते ह्युत्तरं ततः ॥ १३८ ॥
३. मोहादू वा यदि वा शाक्यात् यज्ञोक्तं पूर्ववादिना ।  
उत्तरान्तर्गतं वा तत् प्रश्नैर्गाहं द्वयोरपि ॥ १४३ ॥ ( शुक्र ० अ० ४. ८१ )

**उत्तरों का वग़र्किरण**—बादी या प्रतिचादी द्वारा दिए गए उत्तर चार प्रकार के हो सकते हैं—स्वीकृति, इन्कारी, प्रत्यवस्कन्दन, और पूर्वन्याय। बादी द्वारा लागये दोष को उसी प्रकार स्वोकार कर लेना स्वीकृति कहाता है। विषेश की कही बात को अस्वीकार कर के उस के विरोध में उस द्वारा बताए तथ्यों अथवा भाषा में से दोष निकालना अस्वीकृति कहाता है, यह—‘मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता, यह झूठ है, मैं तब वहां नहीं था मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था, इन चार प्रकारों से हो सकता है। बादी द्वारा दिये गए वयान के स्वीकार करते हुए उसी से उसके प्रतिकूल अर्थ निकालना प्रत्यवस्कन्दन है। अपने पक्ष में न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे ही एक पुराने मामले के निर्णय को उद्धृत करना पूर्वन्याय कहाता है। यह तीन प्रकार का होता है—पुराने निर्णय को उद्धृत करना, वह निर्णय देने वाले न्यायाधीश को गवाह रूप में उपस्थित करना या इस सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति की गवाही देना।’<sup>१</sup>

**आभियोग का प्रकार**—“अभियोग का सारा कार्य दोनों दलों-बादी और प्रतिचादी-की उपस्थिति में ही होना चाहिये। जो न्यायाधीश ऐसा नहीं करते उहें चोर की तरह दखल देना चाहिये। अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों के वयान विधि पूर्वक लिख लेने के बाद ही अभियोग पर विचार प्रारम्भ होना चाहिये। किसी अभियोग के चार भाग किये जा सकते हैं—पूर्वपक्ष की स्थापना,

१. सत्यं मिद्योभरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा ।

पूर्वन्याय विधिवश्चैमुत्तरं स्याच्चतुर्विधम् ॥ १४४ ॥

अङ्गीकृतं यथार्थं यद्वाद्युक्तं प्रतिशदिना ।

सत्योन्तरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश्च सा स्मृता ॥ ११४५ ॥

भ्रुत्या भाषार्थमन्त्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति ।

अर्थतः शब्दतो वापि मिद्या तच्चेयमुत्तरम् ॥ १४६ ॥

मिद्यैतक्षाभिजानामि तदा तत्र न सञ्चिधिः ।

अजातश्चास्मि तत्कालै इति मिद्या चतुर्विधम् ॥ १४७ ॥

अर्थिना त्तिखतो ह्यर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा ।

प्रपद्य कारणं द्वूपात् प्रत्यवस्कन्दनं हि तत् ॥ १४८ ॥

अस्मिन्दर्थे ममानेन वादः पूर्वमधूततदा ।

जितोऽयमिति चेद्वूपात् प्राढ् न्याय स उदाहृतः ॥ १४९ ॥

जययत्रेण सम्यैर्वा साच्चिभिर्भावयाम्यहम् ।

मया जितः पूर्वमिति प्राढन्यायः त्रिविधः स्मृतः ॥ १५० ॥ ( शुक्र० अ० ४. vi )

( १६८ )

भारतवर्ष का इतिहास ।


उत्तर पक्ष की स्थापना, क्रिया( जिरह आदि ) और निर्णय ॥ ७

**अभियोगों का क्रम** — “साधारण अवस्था में जिस क्रम से अभियोग आएं उसी क्रम से उन पर विचार करना चाहिये, अथवा अभियोग की महत्त्व के अनुसार उन का क्रम निश्चित करना चाहिये, जो अभियोग जितना अधिक संगीन अथवा आवश्यक हो उस पर उतना शीघ्र विचार किया जाये, अथवा वर्णों के क्रम से अभियोगों की तिथि निश्चित करनी चाहिये ॥ ८

**साढ़ी** — अभियोग में साक्षियों का स्थान सब से अधिक महत्व पूर्ण है, इस लिये इन के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने बहुत विस्तार के साथ निर्देश दिये हैं । हम संक्षेप से उन में से कुछ बातें यहां देंगे—

“साक्षी निम्न लिखित प्रकार के होते हैं—

साधन ( गवाही )



तत्व सच्ची गवाही को कहते हैं और छल भूटी गवाही को । च्यायाधीश को इन दोनों की पहचान करने का पूणे यत्न करना चाहिये । गवाहियों से भी दोनों दर नहीं करनी चाहिये अन्यथा उन से बड़ा भ्रम और द्वेष पैदा हो सकता

१. अन्योजन्योः समन्वन्तु वादिनो पञ्चमुत्तरम् ।

न हि गृहन्ति ये सभ्या दशद्वास्ते चौरवत् सदा ॥ १५१ ॥

लिखते शोधिते सम्यक् संति निर्दोष उत्तरे ।

अर्थि प्रत्यर्थिनोर्वापि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १५२ ॥

पूर्वपत्तःस्मृतः पदो द्वितीयशीत्तरात्मकः ।

क्रियापादस्तृतीयस्तु चतुर्थो निर्णयाभिधः ॥ १५३ ॥

२. क्रमागतात् विवादास्तु पश्येद् वा कार्यं गौरवात् ॥ १५६ ॥

यत्वं वाभ्यधिका पीड़ा कार्यं वाभ्यधिकं भवेत् ।

वर्णानुक्रमतो वापि नयेत् प्रवृत्त विवादयेत् ॥ १५७ ॥ ( शुक्र अ० ४. v. )

है । सब साक्षियों अभियुक्त और अभियोगी दोनों की उपस्थिति में लेने चाहिये ।”<sup>३</sup>

**साक्षियों के लिये निर्देश** — “जिस प्रनुष्य को बुद्धि, स्मृति और कान दोष युक्त नहीं हैं, जो बहुत दिनों के बाद भी अपनी बात नहीं बदलता वही साक्षी बनने योग्य है । साक्षी यथा सम्भव किसी मकान का मालिक, स्वतन्त्र, बुद्धिमान, अप्रवासी और जवान होना चाहिये । स्थियों की साक्षी स्थियों के अभियोगों में ही लेनी चाहिये । हत्या, डाका, अपमान और स्थियों को बुराने के अपराधों में साक्षियों को बहुत महत्ता नहीं देनी चाहिये । बालक, स्थियों, स्त्रियों, अधिकारी, और शत्रुओं की साक्षी नहीं लेनी चाहिये । न्यायालय में आए हुए किसी साक्षी को साक्षी देने के लिए कहा जाए और वह इन्कार करे तो उसे दरड़ देना चाहिये; इसी प्रकार किसी जानकार को साक्षी देने के लिए बुलाया जाय और वह आने से इन्कार करे अथवा भूट बोले तो उसे भी दरड़ देना चाहिए ।”<sup>३</sup>

५. तत् साधनन्तु द्विविधं मासुपूर्णं दैविकं तथाः ॥१६६॥  
 क्रिया स्थास्त्रिलिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति मानुषम् ।  
 दैवं घटादि तद्वृत्तं भूतात्मासाक्षियोगेत् ॥ १६४ ॥  
 तत्त्वं क्लान्तुसरित्वात् भूतं भव्यं द्विधा स्मृतम् ।  
 तत्त्वं सत्यर्थाभिधायि कूटाद्याभिहितं क्लान्तम् ॥ १६५ ॥  
 क्लान्तं निरस्य भूतेन व्यवहारात् नयेन्नप्यः ।  
 युक्तवानुमत्ततो लित्यं सामादिभिरपक्षमैः ॥ १६६ ॥  
 न काल हरणं कर्त्य रात्रा साधनं दर्शने ।  
 महात् दोषो भवेत कालादुर्म व्यापत्ति लक्षणः ॥ १६७ ॥  
 अर्थं प्रत्यर्थं प्रत्यक्षं साधनाति प्रदर्शयेत् ।  
 अप्रत्यक्षं तयोर्नैव गृहीयात् साधनं नयः ॥ १६८ ॥  
 ६. यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रं च नित्यशः ।  
 सुदीर्घेणापि कालेन स वै साक्षित्वमहति ॥ १६९ ॥  
 गृहिणो न पराधीनः सूर्यस्त्राप्वासिनः ॥ १७० ॥  
 युवानः साक्षिणः कार्याः स्थियः खीजु च कीर्तिः ॥ १७१ ॥  
 साहसेषु च सर्वेषु स्तेयं संग्रहणेषु च ।  
 वागदशदयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ १७२ ॥  
 बालोऽज्ञानादसत्यत् खी पापाभ्यासाच्च कूटकृत ।  
 चिक्षुयात् चन्द्र्यवः स्नेहाद्वै रनिर्यातनादसि ॥ १७३ ॥  
 प्रत्यक्षं वादयेत् साक्ष्यं न परोक्षं कथंचन ।  
 वाङ्मीकरोति यः साक्ष्यं दरख्यः स्याद्गदेशितो यदि ॥ १७४ ॥  
 यः साक्षात्नैव निर्दिष्टो नाहूतो तैव देशितः ।  
 छूयात् मिथ्येति तथ्यं का दख्यः सोपि नराधमः ॥ १७५ ॥ ( शुक्र अ० ४. v )

साक्षियों के आने पर न्यायाधीश को चाहिये कि वह उन्हें सत्य सत्य कहने के लिये भली प्रकार समझाए और उनकी गवाही सुनने के बाद वकीलों को उन से जिरह करने की आज्ञा भी दे ।<sup>१</sup>

“परन्तु किसी अभियोग का निर्णय करने के लिए केवल साक्षियों पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिये । क्योंकि वे बहुत बार स्वेह, लोभ, भय या क्रोध से झूठ बोल देते हैं ॥”<sup>२</sup>

**मुद्रापत्र (Stamp Paper)**—स्टैम्प पेपर को उस समय ‘लिखित’ कहा जाता था । ये लिखित दो प्रकार के होते थे—राजकीय और लौकिक ( official and nonofficial ) ये देश काल के अनुसार अपने हाथ से लिखे हुए या किसी दूसरे के हाथ से लिखे हुए, गवाही सहित या बिना गवाही के होते हैं । लौकिक लिखित इन सात कार्यों के लिये होते हैं—विभाग, दान, विक्रय, स्वीकृति, प्राप्ति, सम्बंधान और ऋण । राजकीय लिखित इन तीन कार्यों के लिये होता है—शासन की आज्ञा देना, विज्ञापन ( नोटिस ) और निर्णय । धन के विभाग सम्बन्धी सभी लिखतों पर धन के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये अन्यथा वह उतने प्रमाणिक न होंगे । सम्पत्ति और धन सम्बन्धी सभी लिखितों पर साक्षियों तथा भूमि या नगर के अधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिये । राजकीय लिखितों पर राजा की मुद्रा तथा उस विभाग के प्रधानाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिये । इन लिखितों पर काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रान्त, नगर, स्थान, जाति, अंकृति और आयु आदि सभी कुछ अंकित होने चाहिये, जिन लिखितों पर ये सब अंकित न होंगे वे बहुत कमज़ोर समझे जायेंगे । जिन का क्रम या भाषा ठीक न होगी वे निरर्थक होंगे । जो लिखित अवधि समाप्त होने के बाद लिखे जायेंगे अथवा जो पागलों, बच्चों या लियों से लिखाए जाएंगे या जिन्हें बल पूर्वक लिखवाया जायगा वे प्रमाणित नहीं होंगे ।”<sup>३</sup>

१. शुक्र० अ० ५. v. स्नेह १९८ से २०८ तक ।

२. स्नेह लोभ भय की थी: कूटसावित्त्व शंक्या ।

केवल: साक्षिभिन्नैव कार्यं सिद्ध्यति सर्वदा ॥ २१४ ॥

३. राजकीय लौकिक च द्विविधं लिखितं स्मृतम् ।

स्वहस्त लिखितं वान्य हस्तेनापि विलेखितम् ।

असाच्चिमत् साच्चिमव् विद्विदेश स्थितेस्तयोः ॥ १७३ ॥

भाग दान क्रियादान संखिदान वृणादित्तः ।

सम्पूर्ण लौकिकं चैतत् विविधं राज शासनम् ।

( शुक्र० ४. अ० ७. )

**भूमि का मौखिकी होना** — आचार्य शुक्रके अनुसार भूमि पर निरन्तर निवास के अधिकार को संवीकार करना चाहिये—“किसी व्यक्ति का अगर एक भूमि से ज़रा भी भुक्ति सम्बन्ध नहीं है तो उस भूमि पर वह अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता, चाहे वह उसे से पढ़े पर क्यों न लिखाए रखती हो । किसी व्यक्ति की कोई छोटी सी चल सम्पत्ति भी अगर निरन्तर किसी अन्य व्यक्ति के पास रही हो तो उस पर उसका अधिकार नहीं रहता । किसी व्यक्ति की भूमि अगर निरन्तर २० बरस तक किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में रहे तो उस पर उसका अधिकार नहीं रहता । जिन पृष्ठे लिखाए भी अगर कोई व्यक्ति लगातार ६५ बरस तक एक भूमि को उपरोक्त में लाता रहे तो वह भूमि उसी की हो जाती है । निम्नलिखित पर अक्षयि व्यतीत हो जाने पर भी उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते— गिरवी, सीमा की भूमि, नावालिंग की जायदाद, द्रुस्ट की सम्पत्ति, दासियों का धन, राज कर और विद्वानों के लिये दो हुई सम्पत्ति ।”<sup>३</sup>

शासनार्थ चापनार्थ निर्णयार्थ त्रितीयकम् ॥ १७४ ॥  
 सातिद्विकृद्य भिमते भागपत्रं सुखतियुक् ।  
 विद्विकृचान्यथा पित्रा कृतमप्यकृतं स्मृतम् ॥ १७५ ॥  
 दायादभिमतं दान क्रद विद्विष्य पत्रकम् ।  
 स्थापतस्य ग्रामपादि सातिके चिद्विकृत स्मृतम् ॥ १७६ ॥  
 राजा स्वहस्त संयुक्तं स्वसुद्राविन्हतं तथा ।  
 राजकीयं स्मृतं लेख्यं प्रकृतिभिष्य सुद्रितम् ॥ १७७ ॥  
 निवेश्य कालं वर्षं च मासं पञ्चं तिर्थं तथा  
 वेलं प्रदेशं विश्यं स्थानं जात्याकृतो वयः ॥ १७८ ॥  
 यत्रैतानि न लिखन्ते हीरं लेख्यं तदुच्यते ।  
 भिन्न क्रमं ठुक्कमार्थं प्रकीर्णीयं निरर्थकम् ॥ १७९ ॥  
 अतीतकाल लिखितं न स्यात् तत् साधनजमम् ।  
 शाप्रगल्भेन च लिया बलात्कारेण यत् कृतम् ॥ १८० ॥  
 शापगमेषि बलं नैव भुक्ति स्तोकापि यत् तो ॥ १८१ ॥  
 यं कविद्विष्य वर्षाणि विक्षयी प्रेचते धनी ।  
 भुज्यमानं परैर्थं न स तं लक्ष्युमर्हति ॥ १८२ ॥  
 वर्षाणि विक्षयित्वा भूमुख्ता तु परेहि ।  
 सति राति समर्थस्य तस्य सेह न विदुयति ॥ १८३ ॥  
 श्रानागमापि यत् भुक्तिविच्छेदो परमोचिकाता ।  
 चष्टि वर्षीत्विका सापहन्तुं शक्यह न केनचित् ॥ १८४ ॥  
 अद्यि: सीमा दालधनं निलेपोपनिधिस्तथा ।  
 राजस्वं श्रोतुयस्वं न च भोगेन प्रखश्यति ॥ १८५ ॥ ( शुक्र० शा० ४ व. )

**दैवी साक्षी—** उस समय दैवी साक्षी लेने की भी प्रथा थी,—अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा अभियुक्त की सत्यता पहचाने का यत्न किया जाता था, इस दैवी साक्षी का कोई अभिप्राय स्थान नहीं होता। इतना अवश्य प्रगट होता है कि कोई मानुषीय साक्षी प्राप्त न होने पर ही दैवी साक्षी लेने का यत्न किया जाता था। मानुषीय साक्षी के मुकाबले में दैवी साक्षी बहुत कमज़ोर समझी जाती थी। दैवी साक्षी इन सामग्री से ली जाती थी—“अग्नि, विष, घड़ा, पानी, धर्म, अधर्म, चावल और शपथ। इस में से अपराध की मुख्यता के अनुसार अगली अगली वस्तु लेनी चाहिये, शपथ सब से छोटे अपराध के लिये है। अग्नि द्वारा इस प्रकार साक्षी लेनी चाहिये—लोहे का गोला आग से लाल कर के हाथ में रख कर नौ कदम चलाना चाहिये, धर्मकर्ते अङ्गारों पर सात कदम चलाना चाहिये; जिहा से तपे, हुए लोहे के चट्टानाएँ चाहिये, इत्यादि।

अगर एक मनुष्य मानुषी साक्षी दे और दूसरा दैवी तो न्यायाधीश को मानुषी साक्षी ही स्वीकार करनी चाहिये। अगर मानुषी साक्षी का कुछ अंश भी प्राप्त हो जाय तो उसे सम्पूर्ण दैवी साक्षी से अधिक प्रामाणिक समझना चाहिये।”<sup>१</sup>

**आय के भाग ( Shares )—** किसी सम्मिलित व्यवसाय से जो आय होती है उस के विभाग के लिये की शुक्रतीति में खूब विस्तार से नियम बताए गए है। भिन्न २ संघों में आय विभाग की रीति भिन्न २ है। हम उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं— “राजा की आज्ञा से चेत्र लोगों ने जो धन विदेशों से लूटा हो उस में से छठा भाग राष्ट्र के कर रूप में देकर शेष

१. अग्निक्रिय घटस्तोयं धर्माधर्मीं च तयदुलाः ।

शपथाप्तैऽनिर्दिष्टा मुनिर्निर्दिष्ट निर्णये ॥ २३८ ॥

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं कार्यं दृष्ट्वा नियोजयेत् ।

लोकप्रत्यवतः प्रोत्तं सर्वं दिव्यं गुरुस्मृतम् ॥ २४० ॥

तपायोगोलक्षं धृत्वा गच्छेत्यपद करेत् ।

तपाङ्गारेषु वा गच्छेत् पद्मभ्यां सधनपदानि हि ॥ २४१ ॥

तप्तैल गतं लेहमार्चं इस्तेन निहरेत् ।

सुनप्त लोहपात्रं वा जिह्वायासंसिहेदपि ॥ २४२ ॥

यद्योक्ते मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयात् वैविकीम् ।

मानुषीं तत्वं गृहीयात् तु दैवीं क्रियां नृपः ॥ २४३ ॥

यद्योक्ते देशं प्रान्तापि क्रिया विद्येत् मानुषी ।

स ग्राह्या न तु पूर्णाणि दैविकी वदतां नणाम् ॥ २४० ॥ ( शुक्र ० अ० ४ ८ )

धन उन्हें बराबर २ बांट लेना चाहिये । अगर उन में से कोई व्यक्ति विदेशियों द्वारा पकड़ लिया जाय तो उसे दुड़वाने के लिये शेष सब को बराबर २ धन देना चाहिये । जो संघ ( Componies ) सोना, अनाज, रस आदि का व्यवसाय करते हैं उन की आय का चिभाग हिस्सेदारों के हिस्सों के अनुपात से ही होना चाहिये । जो हिस्सेदार हिस्से की पहले से निश्चित, बराबर, कम या अधिक मात्रा के नियत समय पर दे दें और संघ द्वारा हिस्सेदारों के लिये निश्चित अन्य कार्य भी कर दें उनका अपने हिस्से के अनुपात से आय पर पूर्ण अधिकार है । ”<sup>१</sup>

इस प्रसंग में हमारी तस्कर संघों के सम्बन्ध में की हुई दूसरी कल्पना और भी अधिक पुष्ट हो जाती है । ये चौर स्पष्ट रूप से राष्ट्र द्वारा आज्ञाएँ थे ।

**कुछ अन्य नियम—** जो भनुष्य चौर से, मालिक से पूछे बिना किसी अन्य व्यक्ति से अथवा गुप्त रूप से कोई सामान खरीदता है वह भी चौर के समान दण्डनीय है । जब सूद पर उधार लिये धन का सूद मूलधन से दुगना हो जाय तो फिर उस पर और सूद नहीं लगना नाहिये । किसी बकली चीज़ को असली कह कर बेचने वाले को चौर के समान दण्ड देना चाहिये । राजा प्रतिदिन की चांदी की बिक्री का पांचवां, चौथा, तीसरा या आधा भाग कर रूप से ले इस से अधिक नहीं । जो व्यक्ति धातुओं में खोट मिला कर उन्हें बेचे उसे दुगना दण्ड देना चाहिये । ”<sup>२</sup>

१. पर राष्ट्र धन यज्ञौरैः स्वाम्याज्ञाध छृतस् ।

राज्ञे षष्ठ्यामुद्धृत्य विभजेरद् समांशकस् ॥ ३११ ॥

तेषां चेत् प्रसुतानां च ग्रहणं समवाप्न्यात् ।

तन्मोक्षार्थं च यद्यन्तं वहयुस्ते समांशतः ॥ ३१२ ॥

प्रयोगं कुर्याते ये तु हेम धात्य रसारदिना ।

समन्यूनाधिकैरशैर्लभिस्तेषां तथाविधः ॥ ३१३ ॥

समोन्युनोऽधिको द्वांशो योज्जित्प्रस्तवैष सः ।

व्यवं दद्यात् कर्म कुर्यात् लाभं गृहीत चैव हि ॥ ३१४ ॥

२. अस्वाभिकेभ्यश्चैरभ्यो विशृहति धनं तु यः ।

अ ग्रन्तमेव क्रीणाति स दण्ड्यश्चैवन्नयः ॥ ३१८ ॥

मूलानु द्विगुणा वृद्धिर्गृहीता चाधर्मिण्यकात् ।

तदीन्नमर्यमूलं तु दाययेन्नाधिकं ततः ॥ ३२२ ॥

कृट चण्डस्य विक्रेता स दण्ड्यश्चैरवत् सदा ॥ ३२७ ॥

**उपसंहार—** “ग्रामीन समय के बुद्धिमतों द्वारा प्रचलित की गई व्यवहार पद्धतियों का हमने संक्षेप से वर्णन किया है, यह व्यवहार अनन्त है, इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में हम ने संक्षेप से न्याय के सम्बन्ध में कुछ विधान बताए हैं इन के गुण दोषों की आलोचना यहां नहीं की, वह लोक व्यवहार से हो परखी जा सकती है ।”<sup>१</sup>

पञ्चमांशं चतुर्थांशं तृतीयांशं तु कर्षयेत् ।  
 शर्थं वा राजताद्राजा नाथिकं तु दिने दिने ॥ ३२९ ॥  
 धातूनां कृष्ट कारी तु द्वितीयो दण्डमर्हति ॥ ३३७ ॥  
 १. लोक प्रसारैकत्पक्षो मुनिभिर्विघृतः पुरा ।  
 व्यवहारोनन्तपथः स बर्तु नैव शक्यये ॥ ३३८ ॥  
 उक्त राष्ट्र प्रकरण समाप्तात् पञ्चमं तथा ।  
 अत्रानुका गुणा दोषास्तेज्ज्ञया लोक शास्तः ॥ ३३९ ॥ ( शुक्र अ० ४ । )



## छठा अध्याय

### सेना-प्रबन्ध, शस्त्रास्त्र तथा युद्धनीति

यद्यपि शुक्रनीतिसार एक नीति ग्रन्थ है, इस लिये उस में लिखी अधिकांश बातें आचार्य शुक्र के राजनीति सम्बन्धी आदर्श मात्र कही जा सकती हैं तथापि उस में वर्णित सेना-प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि एक राजनीतिक शासन-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था या कार्य-विभागादि के सम्बन्ध में तो अपने आदर्श अवश्य रख सकता है परन्तु सेना-प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्रों का वर्णन करते हुए उसे अपनी कल्पना को लगभग चिश्राम ही दे देना होगा।

आचार्य शुक्र कोई चतुर सेनापति नहीं थे, वह एक महान् नीतिशास्त्री है, इस लिये सेना के प्रबन्ध तथा शस्त्रास्त्र के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने सीधी तरह स तत्कालीन सैन्य व्यवस्था का वर्णन मात्र ही किया है। उन्होंने जो सेना के विभाग और बारूद आदि बनाने के गुरु वर्णित किये हैं वे उस समय उसी प्रकार प्रचलित थे—यह बात निश्चित समझनी चाहिये। इतनी भूमिका के साथ हम इस अध्याय को प्रारम्भ करते हैं।

**सेना विभाग**— “सेना दो प्रकार की होती है स्वगमा और अन्यगमा। स्वयं चलने वाली सेना को स्वगमा कहते हैं और रथ, घोड़े और हाथी इन तीन पर चलने वाली सेना को अन्यगमा। मुख्यतया हम सैन्य बल के दो विभाग कर सकते हैं—अपनी सेना और मित्र राष्ट्र की सेना। इन दोनों के भी फिर दो भाग होते हैं—स्थिर सेना (Standing army) और नई भरती की हुई सेना। इन दोनों के भी उपयोगी और अनुपयोगी ये दो विभाग हो सकते हैं। इस प्रकार सधी हुई, न सधी हुई, राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित, सीधा राष्ट्र द्वारा नियन्त्रित न की हुई, संस्कार द्वारा शस्त्र प्राप्त करने वाली और स्वयं शस्त्रों का प्रबन्ध करने वाली, संस्कार द्वारा रथ प्राप्त करने वाली और स्वयं रथों का प्रबन्ध करने वाली इत्यादि द्वैधी भावों से सेना के

( १७६ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

अनेक विभाग किए जा सकते हैं । ” ३

“उपर्युक्त प्रकार से सेना के भिन्न २ विभागों के निम्नलिखित नाम हैं ॥—  
मैत्र-मित्र राष्ट्र द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिये प्राप्त सेना ।  
स्वीय—राष्ट्र की निजू सेना जिसे वेतन देकर रकबा जाता है ।

मौल—राष्ट्र की पुरानी शिर सेना ।

साधस्क—नए रंगरूट ।

लार—युद्ध करने के योग्य सेना ।

असार—युद्ध करने के अयोग्य सेना ।

शिक्षित—वह सेना जो व्यूहादि बनाने में खूब कुशल है ।

अशिक्षित—जिसे व्यूहाभ्यास नहीं ।

शुलभीभूत—जिस सेना के नायक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं ।

अगुलमक—जिस के नायक स्वयं सेना द्वारा चुने जाते हैं ।

दत्ताख्य—जिस सेना को सरकार अख्य देती है ।

अदत्ताख्य—जो स्वयं अपने शहरों का प्रबन्ध करते हैं ।

कृतगुलम—वह सेना जिस का निर्माण सरकार द्वारा नियुक्त नायकों ने किया है ।

स्वयंगुलम—जो स्वयं अपना निर्माण करती है ।

आरथयक—किरातादि जंगली जातियों से निर्मित वह सेना जो सर्वथा स्वतन्त्र होती है ।

१. स्वगमांञ्यगमा चेति द्विधा सेना पुथक् विधा ॥ २ ॥

स्वगमा या स्वयं गन्ती यानगांञ्यगमा स्मृता ।

पादातं स्वगमं चान्यद्वयाश्व गजगं विधा ॥ ३ ॥

सेना बलं तु द्विविधं स्वीयं मैत्रं च तद्विधा ।

मौल साधस्क भेदाम्बरं सारासरं पुनर्द्विधा ॥ ४ ॥

अशिक्षितं शिक्षितञ्च गुरुमी भूतमगुरुमक्षम् ।

दत्ताख्यादि स्वशक्तास्त्रं स्वदार्थं दत्त वाहनम् ॥ ५ ॥

२. सौजन्यात् साधकं मैत्रं स्वीयं भूत्यर प्रपालितम् ।

मौलं बहूद्वानुवन्धं साधस्कं यत् तदन्यथा ॥ १० ॥

सुषुद्धकमुकं सारमसारं विपरीतकम् ।

शिक्षितं व्यूह कुशलं विपरीतं अशिक्षितम् ॥ ११ ॥

गुरुमीभूतं साधिकारी स्वस्वामिक गुरुमक्षम् ।

दत्ताख्यादि स्वामिना यत् स्वशक्ताख्यमतोन्यथा ॥ १२ ॥

कूलगुरुमं स्वयं गुरुमं तद्वच दत्त वाहनम् ।

आरथयकं किरातादि यत् स्वाधीनं स्वजेतसा ॥ १३ ॥ ( शुक्र० अ० ४, vii.)

**सेना निर्माण—** “राजा को चाहिये कि वह सैनिकों का वेतन बढ़ा कर, उन्हें खूब व्यायामादि करवा कर, अच्छे २ शत्रु देकर और बुद्धिमान शास्त्रज्ञ लोगों से सलाह लेकर अपने सैन्य बल को खूब बढ़ावे। सेना का अनुपात इस प्रकार होना चाहिये” ।

अगर सेना में एक घुड़ सवार हो तो इस अनुपात से अन्य सेना होनी चाहिये—

पैदल—४

बैल—५

ऊँट—८

हाथी—३२

रथ—८४

तोरे—२४

**रथ—** उस समय प्रायः बड़े बड़े योद्धा रथों पर बैठ कर ही युद्ध किया करते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, कृष्ण आदि सब बड़े बड़े योद्धा रथारोही ही थे। इन लोगों के रथ खूब मज़बूत और हल्के होते थे। शुक्रनीति में युद्ध के रथों के सम्बन्ध में कहा है—“युद्ध के लिये रथ लोहे के बने होने चाहिये, वे पहियों द्वारा सरलता से धूम सकते हों, रथारोही के लिये बैठने की जगह ऊँची हो, सारथी का स्थान रथ के मध्य में हो, रथ के अन्दर यथेष्टु हथियार रखे होने चाहिये, उन का छाता ऐसा होना चाहिये जिसे सब ओंर धूमाया जा सके, वे सुन्दर हों और उन के घोड़े खूब उत्तम हों ।”

**हाथी—** उन दिनों युद्धों के लिये हाथी एक अत्यन्त आवश्यक सम्बन्ध था, हाथियों को पालने का मुख्य उद्देश्य युद्ध ही समझे जाते थे।

१. सेना बलं सुभृत्या तु तपोऽभ्यासैस्तशास्त्रिकम् ।

वर्धयेच्छास्त्रं अनुर संयोगाद्वि बलं सदा ॥ १७ ॥

चतुर्गुणं हि पादात्मश्वतो धारयेत् सदा ।

पञ्चमांशांस्तु वृषभानष्टांशांश्च क्रमेलकाश् ॥ १८ ॥

चतुर्थाशाश्च गजानुष्ट्राद्वजाद्वृष्णि रथाश्च सदा ।

रथानु द्विगुणं राजा वृहत्त्रालीकमेव च ॥ २० ॥

२. लोहसार मयरचक्रं सुगमो मञ्जुकासनः ।

स्वादोलायित रुद्रस्तु मध्यमासन सारथिः ॥ २६ ॥

शस्त्रास्त्रं सन्ध्यायुर्दर दृष्टच्छायो मनोरमः ।

सर्वंविधो रथो राजा रथ्यो नित्यं सदश्वकः ॥ ३० ॥ ( शुक्र० अ० ४, vii )

हाथियों की पहिचान, उन की लम्बाई, चौड़ाई तथा उन के स्वभाव के सम्बन्ध में शुक्रनीति में बहुत से निर्देश दिए हैं— “नीले तालु और नीली जिहा वाले, टेड़े दांतों वाले, देर तक क्रोध या मस्ती की हालत में रहने वाले, पीठ हिलाने वाले, जिन के पैरों के १८ से कम भाग हों, या जिन की पूँछ ज़मीन को छूती हो वे हाथी बुरे हाथी होते हैं, इन के अतिरिक्त अन्य हाथी अच्छे होते हैं। हाथी चार प्रकार के होते हैं— भद्र, मन्द्र, मृग और मिश्र।”<sup>१</sup>

“इन की लम्बाई चौड़ाई इस प्रकार होती है—<sup>२</sup>

१ हाथ = २ फीट	भद्र	मन्द्र	मृग
ऊँचाई—	७ हाथ	६ हाथ	५ हाथ
लम्बाई—	८ ”	८ ”	७ ”
पेट की परिधि—	१० ”	६ ”	८ ”

इन सब की विस्तृत पहिचान आचार्य शुक्र ने दी है। सेना के लिये इस पहिचान से परख कर ही हाथियों को रखना चाहिये और उन्हें युद्ध के लिये शिक्षित करना चाहिये।

घोड़े— वर्तमान समय में युद्ध के साधनों और प्रकारों में इतनी उन्नति और परिवर्तन हो जाने पर भी सभी हुई घुड़सवार सेना की महत्ता अभी तक कम नहीं हुई है। युद्ध के लिये घोड़ों को इस प्रकार सधाने की प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है। आचार्य शुक्र ने घोड़ों की पहिचान तथा स्वभाव आदि के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उन्हें पढ़ कर अब तक आश्र्य होता है। घोड़ों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान बहुत विस्तृत और बड़ी गहराई तक गया हुआ था। हम उदाहरण के लिये उन में से दो निर्देश यहां देते हैं—

“सब से उत्तम घोड़े का मुँह ४० अंगुल, उत्तम घोड़े का ३६ अंगुल,

१. नील तालुनील जिहो वक्रदन्तो त्यदन्तकः ।

दीर्घद्वेषी क्रमदस्तथा पृष्ठ विभूनकः ॥ ३१ ॥

दशष्टान नखा मन्दो भूर्वशोधन पुच्छकः ।

एवं विधोऽन्ति गजो विपरीतः शुभावहः ॥ ३२ ॥

भद्रो मन्द्रो मृगो मिश्रो गजो जात्या चतुर्विधः ॥ ३३ ॥

( शुक्र० आ० ४ vii.)

२. शुक्र० आ० ४ vii. स्तोक ३४—४३ ।

मध्यम का ३२ अंगुल और निकृष्ट का २६ अंगुल लम्बा होता है ।” १

“घोड़े की आयु के अनुसार उस के दांत और जबड़ों के रंग में निम्न-  
लिखित परिवर्तन आता है— २

वर्ष				रंग
१ म	.....	.....	.....	सफेद
२ य	.....	.....	.....	काला और लाल
३—६	.....	.....	.....	गहरा काला
६—६	.....	.....	.....	काला
६—१२	.....	.....	.....	पीला
१२—१५	.....	.....	.....	सफेद
१५—१८	.....	.....	.....	शीशो का रंग
१८—२१	.....	.....	.....	शहद का रंग
२१—२४	.....	.....	.....	शंख का रंग

“घोड़ा अगर कभी हिन हिनाए तो उसे पासों पर मारना चाहिए, अगर हिचकिचाए तो कानों के नीचे, अगर सीधा न चले तो गले पर, अगर क्रोधित हो तो अगली दोनों टाँगों के बीच में, अगर सुस्त हो तो पेट पर, अगर डरा हुआ हो तो छाती पर और अगर ठीक न चले तो पिछले भाग पर मारना चाहिए। घोड़े को अशुद्ध स्थान पर कभी नहीं मारना चाहिये, नहीं तो वह बिगड़ जाता

१. वन्त्वारिंशाङ्गुल मुखो वाजो यश्चोत्तमोत्तमः ।

पट्टिशदंगुलमुखो द्युत्तमः परिकीर्तिः ॥ ४३ ॥

द्वात्रिशदंगुलमुखो मध्यमः स उदाहृतः ।

आष्टाविंशत्यङ्गुलो यो मुखे नीचः प्रकीर्तिः ॥ ४४ ॥

२. दन्तानामुद्रमैर्वर्णैरायुक्तेयं वृषाश्रवयोः ॥ १५८ ॥

अश्रवस्य षट् सिता दन्ताः प्रथमादौ भवन्ति हि ।

कृष्णा लोहित वर्णास्तु द्वितीयेऽन्तेष्ट्योगताः ॥ १५९ ॥

तृतीयेऽन्तेत् सन्दशौ क्रमात् कृष्णौ पद्मदतः ।

तत्पार्श्व वर्त्तनौ तैत् चतुर्थं पुनरुद्धनौ ॥ १६० ॥

अन्त्यौ द्वौ पञ्चमाऽन्तेत् सन्दशौ पुनरुद्धनौ ।

मध्य पाश्वत्तर्गतौ द्वौ द्वौ क्रमात् कृष्णौ पद्मदतः ॥ १६१ ॥

नवमाद्वात् क्रमात् पीतौ तौसितौ द्वादशाद्वदतः ।

दशपञ्चाद्वतस्तौतु काचाभौ क्रमशः स्मृतौ ॥ १६२ ॥

आष्टादशाद्वतस्तौ हि मध्याभौ भवतः क्रमात् ।

शङ्खाभौ चैकर्विशाद्वा चतुर्विशाद्वदतः सदा ।

द्विं सज्जालनं पातो दन्तानाज्ज्ञ विके विके ॥ १६३ ॥ ( शुक्र० शा० ४ vii, )

है। सब से अच्छे धोड़े को एक घण्टे में ६४ मील चलना चाहिये ॥<sup>३</sup>

**सैन्य पालन** — आचार्य शुक्र के अनुसार राष्ट्र की सेनाका पालन सेना को भिन्न २ सूबेदारों के पास रख कर करना चाहिये । सूबेदारों की आय के अनुपात से उन के सैनिक निश्चित होने चाहिये । जिस सूबेदार की आय १ लाख रुपया वार्षिक हो उसे निम्नलिखित प्रकार से सेनारखनी चाहिये—<sup>२</sup>

१०० पृथक ( Reserve force.)

३०० बन्दूक धारी पैदल:

८० धुड़ सवार

१ रथ

२ तोपें

१० ऊँट

२ हाथी

२ छकड़े

१६ बैल

६ लेखक

३ मन्त्री

१. हर्षिते कज्ज्योहृन्यात सखलिते पक्षयोस्तथा ।

भीते कर्णान्तरे चैत्र ग्रीवासून्मार्ग गामिनि ॥ १२३ ॥

कुपिते बाहुमध्ये च भ्रान्तचिन्ते तशोदेरे ।

आश्व सन्ताङ्गते प्राज्ञीर्नान्य स्थानेयु कर्हिचित् ॥ १२४ ॥

आश्वा द्रुषिते स्कन्धेरखलिते जघनान्तरे ।

भीते वचस्थलं हन्यात् वक्तुन्मार्गगामिनि ।

कुपिते पुच्छ संघाते भ्रान्तेजानुद्वयं तथा ॥ १२५ ॥

गच्छेत् षोडश मात्राभिन्नमोऽप्नो धनुः शतम् ॥ १२६ ॥

( १२० धनु = २००गज् । ५० मात्रा = ४ सैकण्ड श्रातः १८ = मात्रा द०. ४ सै० )

२. सवयः सारवेशोऽच शशास्त्रं तु पृथक् शतम् ॥

लघुनालिक युक्तानां पदातीनां शतत्रयम् ॥ २२ ॥

अशीत्यश्वासू रथं चैकं बृहन्नालद्वयं तथा ।

उष्ट्राशू दश गजौ द्वौ तु शकटौ षोडशर्वभासू ॥ २३ ॥

तथा लेखक शटकं हि मन्त्रितयमेव च ।

धारयेन्नपतिः सम्यग्यत्सरे लक्ष कर्षभासू ॥ २४ ॥

यथा यथा न्यून गतिरस्वो हीनस्तथा तथा ॥ १२८ ॥ ( शुक्र० अ० ४.vii. )

“उस सूबेदार को अपना वार्षिक बजट इस प्रकार बनाना चाहिये—”

		मासिक	वार्षिक
चैयत्किक आवश्यकताओं तथा दान के लिये	...	१५००	१८०००
६ लेखकों का वेतन	...	१००	१२००
३ मन्त्रियों का वेतन	...	३००	३६००
पारिवारिक व्यय	...	३००	३६००
शिक्षा	...	२००	२४००
पैदल और घुड़ सवार सेना के स्थिति	...	४०००	४८०००
हाथी, ऊँट आदि	...	४००	४८००
स्थिर कोश के लिये बचत	...	१५००	१८०००
<hr/>			
योग	८३००	९६६००	
		( लगभग १ लाख )	

सैनिकों के वेतन में से उन की पोषाक का व्यय काट लेना चाहिये।”

सूबेदारों की वार्षिक आय के इस प्रकार व्यय होने के खाले से दो एक अन्य मनोरञ्जक बातें भी ज्ञात होती हैं। इस बजट के अनुसार लेखकों का मासिक वेतन १६ रुपया और सूबेदारों के मन्त्रियों का मासिक वेतन १०० रुपया मासिक सिद्ध होता है, इस के द्वारा तत्कालीन समाज के जीवन निर्वाह के माप का अनुमान सरलता से किया जा सकता है। दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उस समय राष्ट्र की ओर से ही प्रजा की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्यायों में विस्तार से लिखेंगे।

**छावनियाँ**— “सेना के घोड़े और बैलों को पानी के समीप रखना चाहिये, हाथी और ऊँटों को जंगलों में और पैदल सिपाहियों को बड़े शहरों के

१. सम्भार दान भोगार्थं धनं सार्थसहस्रकम् ।

लेखकार्थं शतं मासि मन्त्रियर्थं तु शतत्रयम् ॥ २५ ॥

त्रिशतं पुच्छारार्थं विद्वदर्थं शतद्वयम् ।

साद्यरव पदगार्थं हि राजा चतुः सहस्रकम् ॥ २६ ॥

गजोद्धृ वृष्णनालार्थं छत्री कुर्याचतुः शतम् ।

शेषं कोशे धनं स्थाप्यं राजा सार्थ सहस्रकम् ॥ २७ ॥

अतिवर्थं स्ववेशार्थं दैनिकेभ्यो धनं हरेत् ॥ २८ ॥

( शुक्र० अ० ४ vii. )

समीप रखना चाहिए । राष्ट्र-भर में चार चार मील के अन्तर पर सौ सौ सैनिकों को रखना चाहिए ॥<sup>१</sup>

**सम्भवतः** सेना को इस प्रकार फैला कर रखने का उद्देश्य शान्ति रक्षा का कार्य हो ।

“समय समय पर आवश्यकतानुसार हाथी, ऊंठ, घोड़े और बैलों द्वारा युद्ध सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी चाहिये । वर्षा ऋतु को छोड़ कर साधारण अवस्था में सामान ढोने के लिये छकड़े सर्वोत्तम होते हैं ॥<sup>२</sup>

**सैनिकों को शिक्षा**— वायों ( बिगुल बैरड आदि ) द्वारा बनाए गए संकेत इस प्रकार गुप्त रखने चाहिये कि उन्हें अपने सैनिकों को छोड़ कर अन्य कोई न समझ सके । घुड़ सवार, हाथी-सवार और पैदलों के लिये वायों के अलग २ चिन्ह निश्चित करने चाहिये । इन में से किसी विभाग का कोई सैनिक चाहे आगे, पीछे, दाँप, बांप, कहीं ठहरा हुआ हो उसे अपना संकेत सुन कर तत्क्षण उस का पालन करना चाहिए । सैनिकों को प्रतिदिन टोलियां बनाना ( Grouping ), फैलना, घूम जाना, संकुचित हो जाना, चलना, तेज़ चलना, और एक दम पीछे लौटने का अभ्यास कराना चाहिये । इसी प्रकार सीधी पंक्ती में मैं एक साथ आगे जाना, सीधे खड़ा होना, एक साथ लेट जाना, मुक्त कर खड़ा होना, गोल घूमना, सूचिव्यूह, शकट व्यूह, अर्धचन्द्र व्यूह आदि का भी अभ्यास कराना चाहिये । साथ ही हिस्सों में फट जाना, एक दम एक लम्बी पंक्ती बांध लेना, शब्दों को तरीके से एक साथ उठाना और रखना, लक्ष्य भेद तथा एक साथ शब्द चलाने की शिक्षा भी देनी चाहिये ॥<sup>३</sup>

१. अशूरे तु वृषभाश्वानां गजोष्ट्राणान्तु जङ्गले ।

साधारणे पादातीनां निवेशाद्वर्णं भवेत् ॥ १७६ ॥

शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रे नियोजयेत् ॥ १७७ ॥

२. गजोष्ट्र वृशभाश्वाः प्राक् प्रेष्टः सम्भारवाहनैः ।

सर्वेभ्यः यकटा प्रेष्टा वर्षाकालं विना स्मृताः ॥ १७८ ॥ ( शुक्र० अ० ४ vii. )

३. व्यूहरचन संकेताङ्ग वायाभाषा समीरिताङ्ग ।

स्व सैनिकैर्विना कोपि न जानीयात् तथा विधाव् ॥ २८८ ॥

नियोजयेत् मतिमाङ् व्यूहाकानविधाव् सदा ॥ २८९ ॥

शश्वानाङ्ग गजानाङ्ग पदातीनां पृथक् पृथक् ।

उच्चैः संग्रावयेद् दृश्य ह संकेताद् सैनिकाङ्ग नृपः ॥ २९० ॥

वाम दक्षिण संस्थो दा मध्यस्थो वाम संस्थितः ।

अन्त्या ताङ्ग सैनिकैः कार्यमनुशिष्टं यथा तथा ॥ २९१ ॥

सम्मीलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च ।

आकुञ्जनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम् ॥ २९२ ॥

पर्यायेण च साम्मुख्यं समुत्थानञ्जु लुण्ठमस् ।

संस्थानं चाष्ट दल चक्रवद्गोल तुल्यकम् ॥ २९३ ॥

“सैनिकों को व्यूहाभ्यास की शिक्षा देने के लिए इन बातों का भी प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये—शब्दों को एक साथ ऊपर उठाना, उन्हें शीघ्र नीचे कर लेना, इस कार्य को शीघ्र शीघ्र कर सकना, शब्द चलना, संकुचित होकर अपनी रक्षा कर लेना, दो दो, तीन तीन या चार चार सैनिकों का कदम मिलाते हुए चलना और सीधा, उलटा या बाँध पार्श्व में मुड़ना ।”<sup>१</sup>

सेना के लिये आवश्यक सामान—आचार्य शुक्र के अनुसार सैनिकों को किसी से लेन देन करने का सीधा अधिकार नहीं होना चाहिये, उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अलग वस्तु भण्डार होने चाहियें । उन्हें शहरों से बाहर छावनी में रखना चाहिये । ये सब बातें वास्तव में बहुत लाभदायक हैं—

“शहर के बाहर परन्तु शहर के समीप सैनिकों के लिये छावनियां बनानी चाहिये । सैनिकों को शहर के वासियों से लेन देन करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उनके लिए सब वस्तुओं के भण्डार पृथक् होने चाहियें । सैनिकों को कहीं एक साथ एक वर्ष से अधिक नहीं रखना चाहिये ।”<sup>२</sup>

सैनिकों के लिये अन्य नियम—यह समझा जाता है कि सैनिकों पर जनता के हित का दृष्टि से कठोर नियन्त्रण रखने की प्रथा बिल्कुल नवीन है । आज से चार सौ वर्ष पूर्व पश्चिम के सभ्य राष्ट्रों तथा मुसलमान देशों की सेनायें मौका पड़ने पर साधारण जनता को अपनी शक्ति के गर्व से बहुत तंग किया करती थीं । परन्तु शुक्रनोति से विदित होता है कि उस समय सैनिकों पर सरकार का कठोर शासन रहा करता था—

सूचि तुल्यं शकटबद्धुं चन्द्रसमन्तु वा ।

पृथग् भवनमस्पाल्पैः पर्याप्तैः पङ्क्तवेशनम् ॥ २७३ ॥

शब्दाश्वयोर्धरणञ्च सन्धानं लक्ष्यभेदनम् ।

मोक्षणञ्च तथाश्वाणां शब्दाणां परिघातनम् ॥ २७४ ॥ ( शुक्र० अ० ४ vii )

१. द्राक् सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मोक्षः पुनः पुनः ।

स्वगूहनं प्रतीघातः शब्दाश्व पदविक्रमैः ॥ २७५ ॥

द्वाभ्यां विभिन्नतुर्भिर्वृद्धि पङ्क्तो गमनं ततः ।

तथा प्राग् भवनं चापसरणं तूपसर्जनम् ॥ २७६ ॥

२. ग्रामादूबहिः समीपे तु सैनिकाश्व धारयेत् चदा ।

आम्य सैनिकयोर्न स्यादुत्तमर्जाधर्मर्णता ॥ २७८ ॥

सैनिकार्थं तु पश्यानि सैन्ये सन्धारयेत् पृथक् ।

नैकत्र वासयेत् सैन्यं वत्सरन्तु कदाचन ॥ २८० ॥

“सरकार को सैनिक नियमों की घोषणा प्रति सप्ताह छावनियों में करते रहना चाहिये । सैनिकों के लिये ये नियम होने चाहियें—वे हत्या और उदाहरणता न करें, सरकारी कार्यों के करने में ढोठ न करें, राज्य के अपराधियों के प्रति उदासीन न रहें, राजा के शत्रुओं से मित्रता न करें, सरकार की विशेष आज्ञा के बिना वे शहरों में न जायें । वे अफसरों की समालोचना न करते रहें, उन से मित्रता के भाव से रहें । वे अपने शख्स, अख्य, और पोषाक को सदैव साफ ( तैयार ) रखें । सैनिकों को अपना भोजन, पानी, बर्तन आदि साथ रखने चाहिये । सरकार यह घोषणा करे कि जो सैनिक सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दण्ड मिलेगा ।”<sup>१</sup>

**सैनिकों की गणना**—शुक्र नीति के अनुसार सैनिक गणना ( Roll Call ) का जिस प्रकार का वर्णन मिलता है वह आज कल की दृष्टि से भी भी सर्वथा पूर्ण है—‘प्रातः सायं दोनों समय सैनिकों की हाज़िरी लेनी चाहिये; रजिस्टरों में सैनिकों का नाम, जाति, लम्बाई, मोटाई, उमर, निवास भूमि, प्रान्त और शहर का नाम लिखा होना चाहिये ।’<sup>२</sup>

**सैनिकों को वेतन**—“लेखक को चाहिये कि वह सैनिकों को वेतन देते हुए उनकी सेवा की अवधि, वेतन की मात्रा, कब तक का वेतन दिया जा चुका है, कितना शेष है, इस समय उसे कितना इनाम ( भत्ता ) दिया गया है, यह सब दर्ज कर ले । वेतन देकर सैनिकों से प्राप्ति के लिये हस्ताक्षर करवा कर ‘वेतन पत्र’ काट दे । जो सैनिक सधे हुए हों उन्हें पूरा वेतन और नए

१. दैशासयेत् स्वनियमाद् सैनिकानष्टमे दिने ॥ ३८१ ॥

चश्डत्वमातायित्वं राजकार्ये विलम्बनम् ।

अनिष्टैपेच्छणं रातः स्वर्धम परिवर्जनम् ॥ ३८२ ॥

स्वजन्तु सैनिका नित्यं सज्जापमपि वा परैः ।

वृपात्रया विना ग्रामं न विशेषुः कदाचन ॥ ३८३ ॥

स्वाधिकारिगणस्यापि हापराधं दिशन्तु नः ।

मित्रभावेन वर्तेद्यं स्वामि कुल्ये सदाविलैः ॥ ३८४ ॥

सूज्जवलानि च रक्तन्तु शश्चाख्य वसनानि च ।

ग्रन्तं जलं प्रस्थमात्रं पात्रं वहून्नसाधकम् ॥ ३८५ ॥

शासनादन्यथा चाराश्च विनेभ्यामि यमालयाद् ॥ ३८६ ॥

२. सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात् सज्जणनं नृपः ।

आत्याकृति वयोदेश ग्राम वासाश्च विमृश्य च ॥ ३८७ ॥

रंगरुदों को आधा वेतन देना चाहिये ।”<sup>१</sup>

**सैनिकों को दण्ड—** सैनिकों का दण्ड विधान साधारण जनता के दण्ड विधान से बहुत कठोर होना चाहिये । आचार्य शुक्र के अनुसार सैनिकों को दण्ड देने के लिये जुर्माना करने की अपेक्षा उन्हें शारीरिक दण्ड देना अधिक अच्छा है—

“पीटने से मनुष्य और पशु प्रायः दृढ़ कर रखे जा सकते हैं, विशेष कर सैनिकों पर जुर्माना आदि न करके उन्हें सदैव शारीरिक दण्ड देना अधिक अच्छा है ।”<sup>२</sup>

सैनिकों के लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था बहुत से अपराधों के लिये है—

“उन सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिये जो कि दुष्टों या शत्रुओं ( विद्रोहियों ) से गुप्त सम्बन्ध रखते हैं । सदैव उन सैनिकों का पता लगाते रहना चाहिये जांकि सेना में शत्रुओं की प्रशंसा और राजा निन्दा करते रहते हैं, ऐसे सैनिकों को भी प्राणदण्ड देना चाहिये । जो सैनिक आराम खसन्द हों उन्हें सेना से निकाल देना चाहिये ।”<sup>३</sup>

इस सेना विभाग का मुख्य अध्यक्ष ‘सचिव’ होता था । यह मन्त्रि-मण्डल में युद्ध सचिव का कार्य करता था । अपने विभाग के सम्पूर्ण शब्दन्ध के लिये यह शक्तिसहित उत्तरदायी था ।

### सत्कर्त्त्वीन् शस्त्राश्रमः

कतिपय ऐतिहासिकों का मन्तव्य है कि भारतवर्ष में बाहुद और बन्दूक आदि का प्रयोग मुसलमानों के इस देश में आने के बाद से ही ग्राम-

१. कार्यं भूत्यवर्धिं दैर्यं दत्तं भूत्यव्य लेखयेत् ।

कति दत्तं हि भूत्यवर्धो वेतनं परितोषिकम् ॥

तत्प्राप्तिपत्रं गृणीयाद्वाद्वेतनं पत्रकम् ॥ ३८८ ॥

सैनिकः गिरिता ये ये तेषु पूर्णा भूतिः स्मृता ।

व्यूहाभ्यासे नियुक्ता ये तेष्वर्दुर्भूतिमावहेत् ॥ ३८९ ॥

२. मुताङ्गैविनेत्रया हि मनुष्याः पश्वः सदा ।

सैनिकास्तु विशेषेण न ते वै धन् दण्डतः ॥ १७५ ॥

३. सत्कर्त्त्वाभितं सैन्यं नाशग्रेष्ठव्योगतः ॥ ३९१ ॥

वृपस्यासदृ गुणरताः के गुणदृवेषिणो नराः ।

आसदृ गुणोदासीनाः के हन्यात्ताह विमृशत् नपः ।

सुखसत्त्वास्तप्तज्ञे भूत्याह गुणिनोऽपि नपः सदा ॥ ३९२ ॥ ( शुक्र ४० ४. viii. )

हुवा है। वे लोग बारूद के आविष्कार का श्रेय अरब वासियों को ही देते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए ही भारतवासियों को बारूद का परिचय हुवा है। परन्तु वह सिद्धान्त सर्वथा अयुक्तियुक्त और प्रमाण विरुद्ध है। अपने इतिहास के इसो खण्ड के प्रथम भाग में हम महाभारत के प्रमाणों द्वारा उस समय अन्याख्यों और बारूद आदि की सत्ता सिद्ध कर चुके हैं। शुक्रनीतिसार में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बारूद के फारमूले प्राप्त होते हैं; इस ग्रन्थ में तोप, बन्दूक, गोले आदि का वर्णन कई श्लोकों पर प्राप्त होता है। केवल शुक्रनीति ही नहीं अपितु अन्य कतिपय सूति ग्रन्थों, पुराणों तथा साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा मुसलमानों से बहुत पूर्व भारतवर्ष में बारूद तथा बन्दूक आदि की सत्ता सिद्ध होती है। उन ग्रन्थों के तथा कतिपय अन्य प्रमाण यहाँ दे देना अनुचित न होगा—

१. सन् १७८८ में महाशय लंग्ले (M. Langle) ने फ्रान्स की साहित्य-परिषद् (French Institute) के सामने एक निबन्ध पढ़ा था जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि अरब के लोगों ने भारतवासियों से बारूद बनाना सीखा और फिर उन से यूरोप के अन्य देशों ने। इसी बात को जै. वैकमैन ने अपनी पुस्तक 'आविष्कारों' का इतिहास' (History of Inventions and Discoveries) में सिद्ध किया है।

२. मनुस्मृति में एक श्लोक आता है; उस का अर्थ है—“लङ्घाई में कोई व्यक्ति अपने शत्रु को छिपे हथियारों से, तेज़ या विष में बुके हुए तीरों से अथवा आग फेंक कर न मारे।”<sup>१</sup> इस श्लोक से स्पष्टतया किसी ऐसे हथियार की फलक मिलती है जिसके द्वारा कि आवश्यकता घड़ने पर अश्विवर्षा की जाती होगी।

३. हरिवंश पुराण में आए हुए एक श्लोक का अभिप्राय इस प्रकार है—“राजा सागर ने भार्गव ऋषि से अन्याख्य प्राप्त करके सप्ततालजंघों को मार कर सारी पृथिवी को जीता।”<sup>२</sup>

४. महाराज तथा महाकवि हर्ष द्वारा विरचित नैपथ्य काव्य में एक श्लोक आता है जिस का अभिप्राय इस प्रकार है—

१. न कुतैरायुर्वैर्व्यात् युद्धमानो रणे रिषुम् ।

न कर्तिभिर्नापि दिग्भैर्नाग्निज्ञित तेजनैः ॥ ८३ ॥ (मनुस्मृति अ० १०)

२. शार्गनेयमस्त्रं लघ्वा च भार्गवात् सगरो नृपः ।

जिगाय पृथिवीं हस्ता तालजंड्याहू सहैयाहू ॥

(हरिवंश पुराण अ० १४ श्लो० ३३)

“दमयन्ती की दोनों भुवें मदन और रति की भुवों के समान जान पड़ती हैं; उस की नाक के दोनों छेद कामदेव को बन्दूकों के समान हैं, जिन से कि वह सभे संसार को जीतता है।”<sup>१</sup>

इन सब प्रमाणों से यह भली प्रकार सिद्ध होता है कि बन्दूक आदि आग्नेयाख्यों का प्रयोग भारत वर्ष में बहुत प्राचीन काल से चला आता है।

**शस्त्राख्यों के भेद**— शुक्रनीति के अनुसार उस समय के शश्वाख्यों के सम्बन्ध में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है—

“जो मन्त्र, मशीन या आग की सहायता से फेंका जाय उसे अख कहते हैं, इन से भिन्न हथियारों-तलवार बर्डी आदि-को शब्द कहते हैं। अख दो प्रकार के होते हैं—मन्त्र की सहायता से फेंके जानेवाले और यन्त्र की सहायता से फेंके जानेवाले। जीतने की इच्छा वाले राजा को युद्ध में मान्त्रिक अखों के अभाव में यान्त्रिक अख तथा तेज़ शख्यों का प्रयोग करना चाहिये। इन शब्द अखों के आकार और तीक्ष्णता के भेद से अनेक नाम हो जाते हैं।”<sup>२</sup>

**बन्दूक**— “नालिक अख दो प्रकार के होते हैं—छोटे ( बन्दूक ) और बड़े ( तोप )। इस नालिक अख में एक टेढ़ी और ऊपर तक गए हुए छेद वाली नालिका होती है जो ढाई हाथ ( ५ फीट ) लम्बी होती है। इस अख के एक सिरे पर एक बिन्दु बना होता है इस से निशाना साधा जाता है, इस के नीचे एक स्थान होता है जिस में बारूद रखवा जाता है, इस पर मशीन द्वारा दबाव डालने से आग पैदा होती है। इस अख का कुन्दा मज़बूत लकड़ी का बना होता है, इस के द्वारा बारूद और गोली दोनों को छोड़ा जा सकता है। नालिका का छेद बीच की ऊँगली के बराबर मोटा होता है, रखने के लिये एक मज़बूत धातु की शलाका बनी होती है। इस लघु नालिका द्वारा पैदल और घुड़ सवार दोनों युद्ध कर सकते हैं। जिस नालिका का छेद जितना बड़ा, मज़बूत और गोल होता है उस

१. धनुषि पञ्च वाण्योरुदिते विश्वजयाय तद्भुवौ ।

नालिके न तदुच्च नातिके त्ययी नालिका विमुक्तिमाण्यौ ।

( नैषध. सर्ग २ श्लोक २८ )

२. ग्रस्यते चिप्पते यन्तु मन्त्र यन्त्राग्निभिष्य यत् ॥ १८१ ॥

ग्रस्तं तदन्यतः शश्वमसिकुन्तादिकञ्च यत् ।

शश्वन्तु द्विविधं त्येयं नालिकं मान्त्रिकं तथा ॥ १८२ ॥

यदा तु मान्त्रिकं नालिकं नालिकं तत्र धार्येत् ।

सह शस्त्रेण नपतिविजयार्थन्तु सर्वदा ॥ १८३ ॥

लघु दीर्घकार धारा भेदैः शश्वत्र नामकम् ।

ग्रस्यन्ति नवं भिन्नं व्यवहाराय तद्विदः ॥ १८४ ॥

से उतना अधिक दूर तक निशाना मारा जा सकता है।”

**तोप** — “बड़ी नालिका के एक सिरे पर कील लगा होता है। जिस के द्वारा उस का मुंह यथेच्छ घुमाया जा सकता है। इस का खाका मज़बूत लकड़ी का बना होता है, इसे लकड़ों पर उठा कर ले जाया जाता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये यह एक मुख्य साधन है।”<sup>१२</sup>

**बारूद बनाने की विधि** — बारूद बनाने के लिये इस अनुपात से निम्नलिखित सामान लेना चाहिये—सुवर्ची नमक के पाँच हिस्से, गन्धक का एक हिस्सा और आक, स्नूही या किसी ऐसे ही पेड़ की लकड़ी के कोइले का एक हिस्सा, यह कोइला इस प्रकार बना चाहिये जिस से कि धूआँ न निकला हो, इन तीनों चीजों को अलग अलग खन्ड बर्तनों में खूब बारीक पीस लेना चाहिये और फिर इन्हें मिला देना चाहिये। इस चूर्ण में स्नूही या आक का रस डाल कर इसे धूप में सुखाना चाहिये और फिर इसे खांड की तरह चूर्ण बना लेना चाहिये। यही बन्दूक में छोड़ने का बारूद है।

गन्धक और कोहले की मात्रा उतनी ही रख कर सुवर्ची नमक की चाह या छः मात्राएँ भी डाली जासकती हैं।”

१. नालिके द्विविधं ज्यें वृहत् चुद्र विभेदतः ॥ १८५ ॥

तिर्थगूर्ध्वं चिक्कद्रूमूलं नालं पञ्च वितस्तिकम् ।

मूलाग्नयो र्लद्र भेदि तिल विन्दु युनं सदा ॥ १८६ ॥

यन्त्राधातात्रि चूद्र ग्राव चूर्णधिक्षण्मूलकम् ।

मुकाषोपाङ्गु बुधनज्ञु मध्याङ्गजविलान्तरम् ॥ १८७ ॥

स्वान्तेऽग्निं चूर्णं सन्ध्यात् शलाका संयुनं दृष्टम् ।

लघु नालिक मध्येतत् प्रधार्यं पञ्चादिभिः ॥ १८८ ॥

यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्फूल विलान्तरम् ।

यथा दीर्घं बृहद्गोलं दूर भेदी तथात्तथा ॥ १८९ ॥

२. मूल कील भ्रमाङ्गद्रय सम सन्ध्यान भाजि यत् ।

बृहत्तालिक संश्यं तत् काष्ठु बुधन विनिर्मितम् ।

प्रवाह्यं शकटाद्यैस्तु बुधुन्तं विजय प्रदम् ॥ २०० ॥

३. सुवर्चिलवणात् पञ्च पलानि गन्धकात् पलम् ।

अन्तर्धूमं विषकार्कं स्तुत्याद्वारतः पलम् ॥ २०१ ॥

शुद्धात् संग्राह्य संज्वूर्यं समील्य प्रपुटेद्रसैः ।

स्तुत्यकाणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ।

पिष्टा शकरवचैतदग्निचूर्णं भवेत् खलु ॥ २०२ ॥

सुवर्चिलवणात् भागाः षड्वा चत्वार एव वा ।

दालाक्षार्याग्निचूर्णे तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत् ॥ २०३ ॥ ( शुग्रो अ० ४. vii.)

**गोले और गोलियाँ—**“तोप के गोले लोहे के होते हैं; ये दो प्रकार के होते हैं एक में बारूद भरा होता है दूसरे केवल लोहे के ही होते हैं। बन्दूक की गोलियाँ प्रायः सीसे की बनाई जाती हैं, ये किसी अन्य धातु से भी बनाई जा सकती हैं।”<sup>१</sup>

“नालाख ( तोप ) लोहा या किसी अन्य मज़बूत धातु से बना होना चाहिये, इसे सदैव सच्छ रखना चाहिए और सशस्त्र लोगों का इस के चारों ओर पहरा रहना चाहिये । निषुण लोग कई प्रकार से बारूद तैयार करते हैं—कोइला, गन्धक, सुवर्चि पथर, हरिताल, सीसा, हिंगुल, लोह चूर्ण, कपूर, जतु, नील, सरल वृक्ष के रस आदि से भी बारूद तैयार किया जाता है । इस बारूद का रंग आवश्यकतानुसार सफेद, काला या मटियाला रखना जा सकता है । तोप में गोलों को रख कर उन्हें आग छुवा कर लक्ष्य पर फेंकते हैं । नालाख को पहले साफ करना चाहिये फिर बड़ी सावधानी से बारूद को इस के सिरे के पास बाले स्थान पर रखना चाहिये, इस पर गोले को रखना चाहिये और फिर गोले पर छुल बारूद डाल देना चाहिये । इस बारूद को आग दिखा कर गोले को लक्ष्य पर छोड़ना चाहिये ।”<sup>२</sup>

**अन्य हथियार—**तक्कालीन अन्य शब्दाख्यों का विस्तार से परिचय देने की आवश्यकता नहीं । हम संक्षेप से उनका दिर्घान मात्र कराएंगे—

१. गोलो लोहमयो गर्भ धुटिकः केवलोऽपि वा ।  
सीसस्य लघु नालार्थं हान्तर्धातुभ्योपि वा ॥ २०४ ॥
२. लोह सारमयं वाधी नालास्त्रं त्वन्य धातुजम् ।  
नित्यं सम्मार्जनं स्वच्छमस्तपातिभिरावृतम् ॥ २०५ ॥  
अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चि लवणस्य च ।  
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च ॥ २०६ ॥  
हिंगुलस्य तथा कोन्त रजसः कर्पूरस्य च ।  
जतोर्नील्याश्च सरल निर्यासस्य तवैव च ॥ २०७ ॥  
समन्यूनाधिकैरशैरग्नि त्रूष्णीन्यनेकः ।  
कल्पयन्ति च तद्विद्याश्चनिद्रिका भादि मन्ति च ॥ २०८ ॥  
चिपन्ति चाग्नि संयोगाद्वौलं लक्ष्ये सुनालगम् ॥ २०९ ॥  
नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्नि द्वृष्णकम् ।  
निवेशयेन्द्रुष्टेन नालमूले यथा दृढम् ॥ २१० ॥  
ततः शुगोलकं दद्यात् ततः कर्पेग्नि द्वृष्णकम् ।  
कर्ण त्रूष्णग्निं दानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत् ॥ २११ ॥

बाण—ऐसा हो जिस के द्वारा ४ फीट लम्बा तीर सरलता से छोड़ा जा सके ।

गदा—अष्ट कोण हो, छाती की ऊंचाई तक लम्बी हो ।

पटीश—मनुष्य के कद के बराबर लम्बा हो, दोनों पासों से तेज़ हो, एक ओर मुड़ा लगा हो ।

एक धार—थोड़ा गोलाई लिये हुए हो, एक ओर से तेज़ और चार अंगुल चौड़ा हो ।

कुर प्रान्त—बीच में चौड़ा, मज़बूत मूँठ वाला और चांद के समान चमकीला हो ।

तलवार—चार हाथ लम्बी और उस्तरे के समान तेज़ हो ।

भाला—२० फीट लम्बा हो, सिरेपर शंकु के समान तेज़ भाला लगा हो ।

चक्र—१२ फीट परिधि युक्त, उस्तरे के समान तेज़ किनारे वाला तथा अच्छे केन्द्र वाला हो ।

पाश—यह ६ फील लम्बा डरडा हो जिस पर तीन तेज़ नोकें और एक लोहे की झंजीर लगी हों ।

कवच—यह घुटनों से ऊपर तक लम्बा हो, इस पर लोहे की टोपी भी लगी हो, देखने में अच्छा हो ।

करज—यह ठोस लोहे का बना हुआ हो, इसका एक सिरा खूब तेज़ हो ।

जिस राजा के पास ये शक्ति प्रभूत मात्रा में हों, और जिसके मन्त्री पड़गुण युक्त युद्ध नीति में खूब निपुण हों उसी को किसी से युद्ध छेड़ने का साहस करना चाहिये नहीं तो अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ता है ।”<sup>१</sup>

१. लक्ष्य भेदी तथा बाणों धनुज्यां विनीयोजितः ।

भवेत् तथा तु सन्याय द्विहस्तश्च शिलीमुखः ॥ २१२ ॥

श्राद्धाश्चाप्यु बुध्ना तु गदा हृदय सम्मिता ।

पटीशः स्वसमो हस्त बुधनश्चीभयतो मुखः ॥ २१३ ॥

ईश्व्रक्रिचैक धारो विस्तारे चतुरंगुलः ।

कुर प्रान्तो नाभि समो दृढ़ मुष्टि मुचन्द्ररुक् ॥ २१४ ॥

खड्डः प्राप्तश्चतुरहस्त दण्ड बुधनः कुरानकः ।

दश हस्तमितः कुन्तः फलाशः शङ्कु बुधनकः ॥ २१५ ॥

चक्रं षड्स्त परिधि कुरप्रान्तं मुनाभि युक् ।

त्रिहस्त दर्ढः त्रिशिखो लोहरञ्जु मुपाशकः ॥ २१६ ॥

**अग्न्यास्त्रों का प्रयोग** — उपर्युक्त बन्दूक, स्त्रोप आदि अग्न्यास्त्रों का उपयोग केवल युद्धादि के समय ही नहीं होता था, साधारण अवस्था में पुलीस और फौज के लोग भी बन्दूकें लेकर ही नगर रक्षा किया करते थे। अर्थात् इन अस्त्रों का प्रयोग करना कोई बड़ा गौरवपूर्ण असाधारण कार्य नहीं समझा जाता था अपितु आज कल की तरह बन्दूकें साधारण कार्यों के लिये भी प्रयुक्त होती थीं। शुक्रनीति प्रथम अध्याय में नगर रक्षा के प्रसङ्ग में कहा है—

“नगर के चारों ओर बालों दीवार पर सदैव बन्दूक हाथ में लिए हुए मज़बूत सिपाहियों पहरा रहना चाहिये।” फिर राजा के तुरगीगण में तोपों को भी गिनाया गया है।<sup>१</sup>

इस प्रकार शुक्रनीति के अनुसार तत्कालीन शस्त्राख बहुत पूर्णता तक पहुंचे हुए प्रतीत होते हैं।

### युद्ध नीति

राजा को राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध नीति में निपुण लोगों की सदैव आवश्यकता रहती है। इन के बिना अच्छे सेना तथा अच्छे शस्त्राख होते हुए भी राजा युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। शुक्रनीति में इस युद्धनीति को पद्मगुण नीति कहा है।

**षट्कृष्ण** — ये षट्कृष्ण सन्धी, विग्रह, यान, आसन, समाश्रय और द्वैधी भाव हैं। वे क्रियाएँ जिन से कि दो प्रबल शत्रु मित्र हो जाते हैं सन्धी कहाती हैं। जिन उत्तरायों से शत्रु को तंग किया जाय या आधीन कर लिया जाय वे विग्रह कहाते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने तथा शत्रु को नष्ट करने के लिये जाने को यान कहते हैं। आसन उस अवस्थिति को कहते हैं जिस

गोधूम सम्मित स्थूलपत्रं लोहमयं दृढम् ।

कवचं शिरसाण्मूर्द्धं काय विशोभनम् ॥ २१७ ॥

तीव्रायं कर्जं प्रेषं लोहसमयं दृढम् ॥ २१८ ॥

यो वै सुपुष्ट समारसतया षट्कृष्ण मन्त्रवित् ।

बहूस्त्रं संयुतो राजा योद्युमिच्छेत् स एव हि ।

अन्यथा दुःखमाप्नोति स्वराज्याद्भ्रस्तेऽपि च ॥ २१९ ॥ ( शुक्र० अ० ४. vii. )

१. यामिकैः रक्षितो नित्यं नालिकास्त्रैष्वं संयुतः ।

सुबहु दृढ़ युलम्बं सुगवाक्प्रणालिकः ॥ २२० ॥

बृहस्पतिक यन्त्रालि ततः स्वतुर्गोगणः ॥ २२५ ॥ ( शुक्र० अ० ५. )

में स्थित होकर अपनी रक्षा और शत्रु का नाश किया जा सके। आश्रय उन उपायों को कहते हैं जिन से कि दुर्बल भी बलवान् हो जाता है। अपनी सेना को अलग अलग खण्डों में फैला देने को द्वैधी ओव कहते हैं।”<sup>१</sup>

इन षट् गुणों में खूब प्रवीण मन्त्रियों की सलाह लेकर ही राजा को युद्ध की घोषणा तथा युद्ध का प्रत्येक कार्य करना चाहिये।

“साम, दान आदि उपायों में भेद और षट् गुणों में समान्त्रय सर्वांत्तम हैं। सब युद्धों में इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिये।”<sup>२</sup>

युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व ही अपनी शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये। अगर शक्ति कम हो तो युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिये, परन्तु एक बार युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर फिर जब तक ज़रा भी शक्ति या सामर्थ्य शेष है—युद्ध बन्द नहीं करना चाहिये। क्षत्रिय के लिये युद्ध से बड़ कर और कोई उत्तम कार्य नहीं है। खट पर पड़े २ बीमारी से हाय, हाय करते हुए भरनों एक क्षत्रिय के लिये पाप है।”<sup>३</sup>

**व्यूह—** प्राचीन भारतीय युद्धनीति में व्यूह रचना का स्थान बहुत महत्व पूर्ण है। यह समझा जाता था कि व्यूह बनाने में खूब कुशल छोटी सेना भी एक बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। ये व्यूह अनेक प्रकार के होते थे।

१. सन्धि च विग्रहं यानमासनं च समाग्रप्रम् ।

द्वैधीभावं च सन्त्विद्यान्मन्त्रस्यैतांस्तु षट् गुणाश् ॥ २३४ ॥

यमिः क्रियाभिर्बलवाल् मितां योति वै रितुः ।

सा क्रिया सन्त्विरित्युत्ता विमृशेत् तां तु यतः ॥ २३५ ॥

विकर्षितः सम् वाधीनो भवेच्छत्रुस्तु येन वै ।

कर्मणा विग्रहस्तं तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिर्निपः ॥ २३६ ॥

शत्रुनाशार्थं गमनं यानं स्वाभीष्टु सिद्धुये ।

स्वरक्षणं शत्रु नाशो भवेत् स्थानात् तदासनप् ॥ २३७ ॥

यैर्गुणो बलवाश् भूयाद् दुर्बलोऽपि स आश्रयः ।

द्वैधीभावः स्वसैन्यानां स्थापनं गुल्मतः ॥ २३८ ॥

२. उपायेषु भूतमो भेदः षट् गुणेषु समाग्रयः ।

कार्योऽप्तौ सर्वदा तौ तु नृपेण विजितोऽुणा ॥ २३९ ॥

ताम्यां विना तैव कुर्यात् युद्धं राजा कदाचन ॥ २४० ॥

३. उपायाश् षट् गुणान् वीक्ष्य शत्रोः स्वस्यापि सर्वदा ।

युद्धं प्राजात्यये कुर्यात् सर्वस्व हरणे सति ॥ २४१ ॥

आधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छत्या भरणं भवेत् ।

विसृजश् इलेष्म पित्तानि कृपणं परिदेवयश् ॥ २४२ ॥ ( शुक्रो अ० ४. vii. )

किसी में सेना को फैला दिया जाता था, किसी में संकुचित कर दिया जाता था,,  
किसी में उस को एक विशेष स्वरूप में खड़ा किया जाता था । इन अनेक व्यूहों  
में से कुछ व्यूह निम्न लिखित हैं ।—

**कौञ्च व्यूह**—इस में कौञ्च पक्षी के आकार के समान सेना को खड़ा किया  
जाता था, इस व्यूह का गला पतला, पूँछ मध्यम आकार की और पंख मोटे होते  
थे, यह व्यूह इसी रूप में चलता भी था ।

**श्येन व्यूह**—बाजू के आकार का । पंख लम्बे, गला और पूँछ मध्यम  
और मुँह छोटा ।

**मकर व्यूह**—मगरमच्छु के आकार का । चार टांगे, लम्बा और पतला मुँह,  
शथा दो होंठ ।

**सूनि व्यूह**—आठ छल्ले के समान चक्र हों, मुँह केवल एक ही हो ।

**सर्वतो भद्र व्यूह**—इस व्यूह के आठ पासे होते हैं ।

**शकट व्यूह**—रथ के आकार का ।

**सर्प व्यूह**—सर्प की तरह कुरड़ली दार ।

**युद्ध के प्रकार**—मन्त्रों की सहायता से किया गया युद्ध सर्वोत्तम  
है, आग्नेयाखों से किया गया मध्यम, शर्खों से किया गया कनिष्ठ और बाहु-  
युद्ध निष्ठ होता है । मन्त्रों की सहायता से बाण और शक्तियाँ चला कर जो  
युद्ध किया जाता है वह मान्त्रिकात्र युद्ध होता है । तोष और बन्दूक से गोला  
बारूद बरसाने को नालिकात्र युद्ध कहते हैं, यह सब से अधिक भयकर होता  
है । बाण भाला आदि शस्त्र चला कर जो कनिष्ठ युद्ध किया जाता है वह  
प्रायः बन्दूक और तोषों के अभाव में ही करना चाहिये । आपस में मुकामुकी

१. क्रौञ्चान् ऐ गतिर्याद्वृक् पंक्तिः सम्प्रजायते ।

तादृक् सञ्चारयेत् क्रौञ्च व्यूहं देश बलं यथा ॥ २७८ ॥

सूहम ग्रीवं मध्य पुञ्चं स्थूल पचन्तु पद्मितः ।

बृहत्पर्जन्मध्यालयुच्छं श्येने मुखे तत् ॥ २८० ॥

चतुष्पात् मकरो दीर्घं स्थूल वक्तु द्विरोहकः ।

सूची सूहममुखो दीर्घं सम दण्डान्तरन्धयुक् ॥ २८१ ॥

चक्रव्यूह चैक मार्गो लाल्प्रथा कुरड़लीकृतः ।

चतुर्दिव्यष्टि परिधि सर्वतो भद्रसंचकः ॥ २८२ ॥

ममार्गाद्वावलयी गोलकः सर्वतो मुखः ।

अकटा शकटाकारो व्यालो व्यालाकृतिः सदा ॥ २८३ ॥

( शुक्र० अ० ४ च० )

या बाल आदि खांच कर जो युद्ध किया जाता है वह बाहु युद्ध होता है ।”<sup>२</sup>

“सैनिकों को युद्ध से पहले शराब पिला कर उत्तेजित कर के युद्ध भूमि में लेजाना चाहिये ।”<sup>३</sup>

**धर्मयुद्ध और कूट युद्ध**—आचार्य शुक्र ने धर्म युद्ध और कूट युद्ध में भेद किया है । धर्म युद्ध में बहुत से नियमों का ध्यान रखना चाहिये, परन्तु कूट युद्ध में सब प्रकार की धोखे वाजी आज्ञाप्त है, उस में केवल विजय और शत्रु नाश ही उद्देश्य होना चाहिये । धर्मयुद्ध में—“हाथी सवार को हाथी सवार से, पैदल को पैदल से, घुड़सवार को घुड़सवार से और रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिये । इतना ही नहीं जिस के पास जैसा हथियार हो उसे वैसे ही हथियार वाले से युद्ध करना चाहिये ।

धर्म युद्ध में इन लोगों को नहीं मारना चाहिये—भय से छिप कर बैठे हुए, नपुंसक, हाथ जोड़ते हुए, खुले हुए बालों वाले, मैं तेरा हूं ऐसा कहने वाले, सोए हुए, बिना कवच के, नंगे, निरख, न लड़ने वाले, दर्शक, किसी दूसरे से लड़ते हुए, पीते हुए, खाते हुए, किसी दूसरे काम में लगे हुए, डरे हुए और भागने वाले । इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिये—बृद्ध, बालक और स्त्री ।

परन्तु ये सब नियम धर्म युद्ध के लिये हैं । कूट युद्ध में इन में से कोई नियम लागू नहीं होता, उस में विजय प्राप्त करना ही उद्देश्य होना चाहिये । प्राचीन काल में राम, कृष्ण आदि महापुरुषों ने भी छल से ही बाली और नसुचि

२. उत्तमं मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्त्रेण मध्यमम् ।

शस्त्रैः कनिष्ठं युद्धयन्तु बाहुयुद्धं ततोधमम् ॥ ३३४ ॥

मन्त्रेति भाषाशक्तिं बाषाश्यैः शत्रुनाशनम् ।

मान्त्रिकास्त्रेण तद्युद्धं सर्वयुद्धोत्तमं इमृतम् ॥ ३३५ ॥

नालाश्यि द्वृणं संयोगाग्निव्यये गोल निपातनम् ।

नालिकास्त्रेण तद्युद्धं महात्रासकरं रिपोः ॥ ३३६ ॥

कुत्तादि शस्त्रं संघातै रिपूणां नाशनञ्च यत् ।

शस्त्रं युद्धन्तु तज्ज्ञेयं नालाश्याभावतः सदा ॥ ३३७ ॥

कर्पणैः सन्धि मर्मणां प्रतिलोमानुलोमतः ।

अन्यनैर्घोतनं शत्रोर्युक्त्या तद्व बाहु युद्धकम् ॥ ३३८ ॥

३. पायवित्त्वा मदं सम्यक् सैनिकाशृं शौर्यवर्द्धनम् ।

उत्तेजितांश्च निर्द्वैधाशृं वीराशृं युद्धे नियोजयेत् ॥ ३३९ ॥

( शुक्र० अ० ४. viii.)

यवन को मारा था ।” ९

हमारा अनुमान है कि यह धर्म युद्ध के नियम भारतवर्षीय तथा अन्य पूर्वीय राजाओं के संघ के नियम होंगे । वे सब राष्ट्र जो परस्पर इस प्रकार की सन्धी करते होंगे, इन्हीं नियमों पर चलते हुए आपस में युद्ध भी करते होंगे । कूट युद्ध उन जातियों व राष्ट्रों से किया जाता होगा जो राष्ट्र कि इस ‘पूर्वीय संघ’ की सन्धियों में शामिल न होंगे ।

इसी प्रसंग में आचार्य शुक्र ने कूट युद्ध के बहुत से उपायों का निर्देश किया है । धन का लोभ देकर, धोका देकर, शत्रु सेना में फूट डाल कर किसी भी प्रकार से शत्रु को पराजित करना इस युद्ध का उद्देश्य है ।

**विजित सम्पत्ति का विभाग**— “युद्ध में जो पक्ष जीतता है उस का दूसरे पक्ष की सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होजाता है । विजित दल के सोना, चांदी, अनाज आदि पर विजयी दल का अधिकार होजाता है । विजयी होजाने पर राजा को चाहिये कि वह सैनिकों को उन की चहादुरी के अनुसार उस प्राप्त धन में से पर्याप्त भाग देकर उन्हें प्रसन्न करे । विजयी राजा को शत्रुओं से समुचित कर लेकर उन का सम्पूर्ण राज्य अथवा उस का कुछ भाग अपने शासन के अधीन कर लेना चाहिये । इस के अनन्तर उस विजित देश की

१. गजो गजेन यतव्यस्तुरगेण तुरङ्गमः ।

रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च ।

एकेनैकश्च शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वास्त्रकम् ॥ ३५४ ॥

न च हन्यात् स्थलारुदं न कूरीवं न कृताज्ञलिम् ।

न मुक्तकेशमासीनं न तवास्त्रीति वरदिनम् ॥ ३५५ ॥

न सुप्तं न विसच्चाहं न नग्नं न निराधुधम् ।

न युद्धयमानं पश्यन्तं युद्धयमानं परेण च ॥ ३५६ ॥

पिबन्तं न च भुज्ञानमन्त्यकार्यकुलं न च ।

न भीतं न परावृत्तं सतांर्थममनुस्मरत् ॥ ३५७ ॥

वृष्टो वालो न हत्तयो नैव च्छी केवलो नपः ।

यथायोर्यं तु संयोज्य निघ्नः धर्मो न हर्ष्यते ॥ ३५८ ॥

धर्म युद्धे तु, कूटे वै न सन्ति नियमा चामी ।

न युद्धं कूट सदृशं नाशनं वलवद्रिपोः ॥ ३५९ ॥

रामकृष्णन्नादि देवैः कूट मेवाद्रितं उरा ।

कूटेन निहतो वालियवनो नामुचिस्तथा ॥ ३६० ॥

( शुक्र अ० ४. vii. )

( १६६ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

जनता को भी प्रसन्न करने का यह ही करना चाहिये ॥” १

इस प्रकार युद्ध के अनन्तर साधारण सेना को विजित देश में खुली लूटभार करने देने के आचार्य शुक्र नितान्त विरुद्ध हैं ।

१. कृष्ण हेम च कुर्यं च यो यज्ञयति तस्य तत् ।

दद्यात् कार्यानुरूपं च हृष्टो योद्ग्राह प्रहर्षयन् ॥ ३७२ ॥

विजित्य च रिपेनेवं समादद्यात् कर्त तथा ।

राज्यांशं वा सर्वेराज्यं नन्दयीत ततः प्रजा ॥ ३७३ ॥ ( शुक्रः प्र० ४, viii.)



## सातवां अध्याय

॥३०॥ शुक्रीय आय व्यय

### राष्ट्रीय आय व्यय

वर्तमान समय के अर्थ शास्त्रज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय आय व्यय का हिसाब बहुत उच्चत अवस्था तक पहुंच चुका है। आज कल के राष्ट्रीय बजटों में आय व्यय का विश्लेशण जिस ढंग से किया होता है वह स्पष्ट और विस्तृत होता है। इसी कारण शुकनीति में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना अगर हम इङ्ग्लैंड के सुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्रज्ञ मार्शल ड्वारा वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय से करने लगें तो वह हमें बहुत सन्तरेषप्रद प्रतीत न होगा। परन्तु यदि हम इस ढाई, तीन सहस्र वर्ष पुराने नीति शास्त्र में वर्णित राष्ट्रीय आय व्यय की तुलना फ्रांस के १६ वीं सदी के सुप्रसिद्ध नीतिशास्त्रज्ञ बोडिन (Jean Bodin) के राष्ट्रीय आय व्यय से करें तो आचार्य शुक का विश्लेषण उस की अपेक्षा बहुत उच्चत प्रतीत होगा। बोडिन ने जहां राष्ट्रीय आय के स्रोतों के छः विभाग किये हैं वहां आचार्य शुक ने इस के नौ विभाग किये हैं। अस्तु; हम इस तुलना के विस्तार में न जाकर अपने प्रकरण को प्रारम्भ करते हैं।

**आय के स्रोत**—शुकनीति में अमात्य (अर्थ सचिव) के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए उसे इन नौ साधनों से आय प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है—<sup>३</sup>

१. भाग—भूमि कर
२. शुक्र—व्यापार, वाणिज्य पर कर
३. दण्ड-जुर्मानों की आय
४. अकृष्टपचया—प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थ
५. आरण्यक—जंगल की आय
६. आकर—कानों द्वारा आय
७. निधि—राष्ट्र ने जो धन अमानत (Deposites) के तौर पर धनी नागरिकों के पास रखा हुआ है, उसकी आय
८. अस्वामिक—जिस सम्पत्ति का कोई मालिक नहीं।
९. तरस्कराहित—तस्कर जातियों द्वारा प्राप्त

“तस्कराहित” के दो अभिप्राय हो सकते हैं—सीमा प्रान्त की तस्कर जातियों द्वारा विदेशी राष्ट्रों से लूट कर लाया गया धन, जिस में से कुछ भाग वे सरकार को देती हैं। अथवा चोरों के पास से पोलोस द्वारा बरामद किया हुवा चोरी का माल, जिस में से कुछ भाग सरकार अपने श्रम के बदले रख लेती है।

इन नौ साधनों में से चौथा, सातवां, आठवां और नौवां ये चार साधन राष्ट्र की आय के खिलाफ साधन नहीं हैं। ये साधन मुख्य नहीं अपितु गौण हैं। इन की आय अनिश्चित हैं।

शुक्रनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय विभाग में राष्ट्रीय आय को जो तालिका दी है उस के अनुसार राष्ट्रीय आय के १० साधन होते हैं। इन के सम्बन्ध में शुक्रनीति में निम्न लिखित निर्देश प्राप्त होते हैं—

**बाणिज्य कर—** ( शुल्क ) यह कर चुंगी और आन्तरिक कर (Excise) इन दोनों रूपों में लगाया जाता था—“आहकों और व्यापारियों के माल पर लगाए राज कर को ‘शुक्र’ कहते हैं। यह कर सीमा पर ( चुंगी ) तथा मरिडियों में ( Excise ) लगाया जाता है। प्रत्येक पदार्थ पर किसी न किसी रूप में एक घार कर अवश्य लग जाना चाहिये। किसी पदार्थ पर दुहरा कर नहीं लगाना चाहिये। किसी पदार्थ के मूल्य का ३२ वां भाग उस पर शुल्क लगाना चाहिये। ३० वां या ११ वां भाग कर लगाने से भी वस्तुओं के मूल्य में कोई बहुत बढ़ा अन्तर नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति लागत के दाम से भी कम मूल्य पर अपना सामान बेच रहा है तब उस पर कर नहीं लगाना चाहिये। कर तभी लगाना चाहिये जब कि बेनने वाले को पर्याप्त लाभ हो रहा हो।”<sup>१</sup>

ये ३२ प्रति शत से लेकर ६५ प्रति शत कर की दर बहुत अधिक नहीं है।

**भूमि कर—** ( भोग ) की दर भूमियों की उपज के अनुसार भिन्न होनी चाहिये—“उन भूमियों पर जो तालाब, नहर, कृआं, वर्षा या नदी से सींची

१. विक्रेतु क्रेतुतो राज भागः शुल्कमुदाहतस् ।

शुल्क देशा हट्टमार्गः कर सीमा: प्रकोटितः ॥ १०८ ॥

वस्तुजातस्यैक वारं शुल्कं ग्राह्यं प्रयत्नतः ।

क्रित्वै वासकुचुल्कं राष्ट्रे ग्राह्यं नृपैश्चलात् ॥ १०९ ॥

द्वाविशांशं हरेद्राजा विक्रेतु: क्रेतुरेव वा ।

विशांशं वा षोडशांशं शुल्कं मूल्याविरोधकम् ॥ ११० ॥

न हीन सम मूल्याद्वि शुल्कं विक्रेतुतो हरेत् ।

लाभं दृष्टा हरेच्छुल्कं क्रेतुतस्य सदाः ॥ १११ ॥ ( शुक्र० अ० ४ i.i. )

जाती हैं, उन की उपज के अनुसार उपज का चौथाई, तिहाई या आधा भाग कर लगाना चाहिये। जो भूमि अनुपजाऊ और बंजार हो उस की उपज का छाता भाग ही कर रूप में लेना चाहिये।<sup>१</sup>

यह भूमि कर प्रत्येक किसान से अलग अलग नहीं लिया जाता था अपितु गांव के एक धनी व्यक्ति से ही सारे गांव की भूमि का लगान ले लिया जाता था, लगान का सारा उत्तरदायित्व उस पर ही रहता था। किसान लोग उसी की अपने लगान का अंश दें देते थे। इस प्रकार लगान जमा करने का तरीका पूरी तरह केन्द्रित था—“भूमि कर निश्चित होने पर उस की सम्पूर्ण मात्रा राजा को गांव के एक धनी से ले लेनी चाहिये अथवा गांव के एक मनुष्य को ज़ामिन बना कर उस से एक निश्चित समय के बाद लगान लेते रहना चाहिये।”<sup>२</sup>

इस से प्रतीत होता है कि सम्भवतः कुछ वर्षों के लिये लोगों को लगान जमा करने के टेके दिये जाते होंगे। लगान जमा करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे उनका वेतन प्राप्त लगान का ३३, ३२, ३०, ३५ या ३६ होता था।<sup>३</sup>

यह अन्तर भी भूमि की उपजाऊ शक्ति के धोधार पर ही होता था।

भूमि कर की मात्रा भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार सरकार ही निश्चित करती थी। आचार्य शुक्र ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि अगर ज़मीदार को खेती करने से पर्याप्त लाभ हो तभी उस पर उपर्युक्त मात्रा में भूमिकर लगाना चाहिये—

“वही कृषि सफल समझनी चाहिये जिस के द्वारा कि ज़मीदार को अपने कुल खर्च—जिस में सरकारी लगान भी शामिल है—से दुगुना लाभ अवश्य हो। इसी के अनुसार उत्तम, मध्यम और निम्न भूमि निश्चित करनी चाहिये। जिस भूमि से इस से कम आय हो वह ‘दुःखद’ भूमि है।”<sup>४</sup>

१. तद्वाग वायिका कूव मातृकादूदेव मातृकात् ।

देशाक्षदी मातृकात् तु राजानुक्रमतः सदा ॥ ११५ ॥

तृतीयांशं चतुर्थाशांसमर्द्धशत्तु हरेत् फलम् ।

षष्ठांशमूषरात् तदृष्टं पाषाणादि समाकुलात् ॥ ११६ ॥

२. नियम्य ग्राम भूभागमेकस्माद् धनिकाद्वरेत् ॥ १२४ ॥

गृहीत्वा तत्प्रतिभुवं धनं प्राक् तत्समन्तु वा ।

विभागयो गृहीत्वापि माति माति ऋतौ ऋतौ ॥ २५ ॥

३. षोडश द्वादश दशाष्टांशतो वाधिकारिणः ।

स्वांशात् षष्ठांशं भागेन ग्रामपात् सन्नियोजयेत् ॥ १२६ ॥

४. बहुमध्याल्प फलतस्तारतम्यं विमृश्य च ।

राज भागादि व्ययो द्विगुणं सम्पत्ते यतः ।

कृषि कृत्यन्तु तज्ज्ञेष्टं तन्यूनं दुःखदं नृपाम् ११४ ॥ ( शुक्रो शा० ४. ii )

जिस भूमि को अभी उत्तराञ्चल बनाने का यत्त्र किया जा रहा हो उस पर भूमि कर नहीं लगाना चाहिये—“जो लोग अभी नया व्यवसाय शुरू करें, नई भूमि पर कृषि प्रारम्भ करें, अथवा जो लोग कूआं, नहर या तालाब अदि खुदवा रहे हों उन पर तब तक सरकार को लगान नहीं लगाना चाहिये जब तक कि सर्व से आय दुगानी न होने लगे । ”<sup>१</sup>

“सरकार को किसानों की आय देख कर क्षी उन पर लगान लगाना चाहिये । ”<sup>२</sup>

“राजा को ज़मीदारों से लगान इस प्रकार लेना चाहिए जिस अकार कि माली वृक्षों से फूल तौड़ता है, ताकि ज़मीन्दारों का नाश न हो । छंगमन कोइले के व्यापारियों की तरह नहीं लेना चाहिए । ”

कोइले के व्यापारी कोइला बनाने के लिये लेकड़ी को जला कर उसका नाश कर देते हैं, परन्तु माली सदैव फूल इस अकार इकट्ठे करता है कि उस के द्वारा वृक्ष को किसी प्रकार की हानी न पहुँचे । लगान इकट्ठा करने की यह उपमा इतनी अच्छी है कि सप्तराषि अकबर के बज़ीर अब्दुल काज़िर ने भी इसे ‘आइने अकबरी’ में उद्धृत किया है ।

लगान जमा करने का प्रबन्ध बहुत ही उत्तम था, इस में मुगल काल की तरह कई अव्यवस्था न हो सकती थी—“सरकार को चाहिये कि वह सब किसानों की, उन पर लगाए हुए कर की मात्रा आदि अपनी मुद्रा से अंकित कर के दे । ”<sup>३</sup> इसी के अनुसार किसानों से कंर लिया जायगा ।

आचार्य शुक के अनुसार उस समय रैयतवारी नहीं अपितु ज़मीन्दारी की प्रथा ही सिद्ध होती है । परन्तु ये ज़मीन्दार स्वयं किसान हैं; ये जितनी ज़मीन बोते हैं उस पर इन का स्वतंत्र अधिकार है ।

खनिज कर—शुकनीति द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात नहीं होता कि कानै राष्ट्र की सम्पत्ति समझी जाती हैं या वैयक्तिक, तथापि कानों की उत्पत्ति पर कर की मात्रा इतनी निश्चित की गई है कि उस की आय का पर्याप्त भाग राष्ट्र के कलश में आजाय । इस साधन से भी सरकार को एक अच्छी रकम प्राप्त होती थी । खनिज कर की दरै इस प्रकार है—

१. कुर्वन्त्यन्त् तद्विधं वा कर्षन्त्यभिनवं भुवम् ।

तद् व्यय द्विगुणं यावन्त तेभ्यो भागमाहरेत् ॥ ११८ ॥

२. लाभाधिक्यं कर्षकादेर्यथा दृष्टा हरेत् फलम् ॥ ११९ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ११. )

३. हरेत् कर्षकाद्वागं यथा नष्टो भवेत् सः ।

मालाकार द्वय ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत् ॥ ११३ ॥

४. दद्यात् प्रतिकर्षकाय भाग पञ्च स्वचिन्हितम् ॥ १२४१ ( शुक्र० अ० ४. ११. )

“सोमे पर ५० प्रतिशत, चांदी पर ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत, लोहे और जस्त पर ६८ प्रतिशत और होरे, खनिज शीघ्रे तथा सीसे पर ५० प्रतिशत खनिज कर लगाना चाहिये ।”<sup>१</sup> सरकार यह धन भी कर रूप में ही लेगी ।

**जंगलात्** — राष्ट्रीय आय का चौथा साधन जंगलों की उपज पर लगायन गया कर है । यह कर जंगलों की घास, लकड़ी तथा ऐसी ही अन्य उपजों पर लगता है । इस की दर इस प्रकार है—“वनों की उपज के अनुसार यह दर ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत, २० प्रतिशत, १५ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत, १० प्रतिशत या ५ प्रतिशत होनी चाहिये ।”<sup>२</sup>

**पशु कर** — राष्ट्रीय आय का पांचवां साधन पालतू पशुओं पर लगाया हुआ कर है—“बकरी, भेड़, गौ, भैंस और घोड़ों की जितनी संख्या बढ़े उनके मूल्य पर १२ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत कर लगाना चाहिये; और बकरी, गौ, तथा भैंस के दूध से जो आय हो इस पर ६ $\frac{2}{3}$  प्रतिशत कर लगाना चाहिये ।”<sup>३</sup>

**अम** — राष्ट्रीय आय का यह छठा साधन कुछ विचित्र प्रतीत होता है । राष्ट्र के शिलिंगों और कारीगरों को राष्ट्र के लिये कुछ दिन तक बाधित रूप से कार्य करना पड़ता था ।<sup>४</sup> उन का यह कार्य ही उन पर कर समझा जाता था ।

**चार अन्य साधन** — (७) महाजनों को रुपया उदार देने से जो व्याज मिलता है उस पर ३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत कर लगाना चाहिए।<sup>५</sup> (८) मकानों पर कर ।<sup>६</sup> (९) दूकानों पर और मण्डियों पर कर ।<sup>७</sup> (१०) सहकरें तथा गलियों की मुरम्मत के लिए उन पर बलने वालों पर लगाया गया कर ।<sup>८</sup>

१. स्वर्णदूर्च च रजतात् तृतीयांश्च तावतः ।

चतुर्थशन्तु षष्ठीशं लोहात् वंगाच्च सीसकात् ॥ १५८ ॥

त्राद्यं चैव चारादूर्च खनिजात् व्यय शेषतः ।

२. विधा वा पशुधा कृत्या सम्भा दशाधायि वा ॥ ११६ ॥

तृष्णकाहुपि हरकात् विशत्यंशं हरेत् फलम् ।

३. अजावि गोमहिष्याल्क वृद्धितोऽष्टांशमाहरेत् ।

महिष्यजावि गो दुग्धात् योद्यांशं हरेन्द्रिः ॥ १२० ॥

४. कारु शिलिंग गणात् पचे दैनिकं कर्म कार्यत् ॥ १२१ ॥

५. वाहुविकावू कौसीदात् द्वाविशांशं हरेन्द्रिः ।

६. गृहाद्याधार भूशुल्कं कृष्ण भूमेरिवाहरेत् ॥ १२८ ॥

७. तथा चापयिकेभ्यु रथ्य भूशुल्कमाहरेत् ।

८. मार्ग संस्कार रक्षार्थं मार्गगेभ्यो हरेत् फलम् ॥ १२९ ॥ ( शुक्र० अ० ४, )

इन उपर्युक्त १० विभागों में जनता की आय के सभी स्रोत अन्तर्गत हो जाते हैं । कोई भी सम्पत्ति ऐसी नहीं बचती जिस पर किसी न किसी रूप में कर न लगा हो ।

इस प्रकरण से यद्यपि यह प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र व्यवसाय तथा वाणिज्य पर सरकार का कठोर नियन्त्रण रखने के पक्ष में हैं, तथापि वह राष्ट्रीय व्यवसाय चलाने के पक्ष में हैं या नहीं—यह बात सउष्टुप्रतीत नहीं होती । केवल—“मध्यम राजा वैश्यों का अनुसरण करता है ।”<sup>१</sup> इस एक पद से राष्ट्रीय व्यवसायों की संतानों की कुछ भलक मिलती है । परन्तु केवल इसी एक आधार से कोई परिणाम निकालने का साहस हम नहीं कर सकते । इस पद का अभिप्राय सम्भवतः यह भी हो सकता है कि जो राजा अपनी वैयक्तिक आय बढ़ाने लिये व्यवसाय करे वह मध्यम होता है । यहां तक कि नमक की उत्पत्ति पर भी राष्ट्र का एकाधिकार होने का प्रमाण शुक्रनीति में नहीं मिलता ।

करों की पूर्वोक्त सब दरें साधारण अवस्था के लिए हैं । आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के हित के लिये हन दरों को कुछ समय के लिये बढ़ाया भी जा सकता है । धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों की जायदाद पर साधारण अवस्था में कर नहीं लगाया जाता, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन पर भी कर लगाया जा सकता है ।<sup>२</sup> राष्ट्र के धनी पुरुषों से ऐसे समय धन की एक विशेष मात्रा ली जा सकती है ।<sup>३</sup>

**राष्ट्रीय ऋण—** राष्ट्र पर कोई आपत्ति आने पर अथवा कोई अन्य आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय ऋण लेने का विधान शुक्रनीति में हैं । यह ऋण सरकार देश के धनी धनी नागरिकों से लेती थी । वे लोग सरकार को यह ऋण देने के लिये बाधित होते थे । आपत्ति हट जाने पर सरकार उन के यह धन व्याज सहित वापिस कर देती थी ।<sup>४</sup>

**कर सिद्धान्त—** “जिस राष्ट्र की शक्ति जितनी अधिक हो उसका खजाना उतना ही बढ़ता है, जिस राष्ट्र का खजाना भरा हुआ हो उस की शक्ति बढ़ती है—दोनों बातें परस्पर सहायक हैं । राजा को चाहिये कि वह जिस किसी

१. ....मध्यमो वैश्य वृत्तिः ॥ १९ ॥

२. दण्डमूभाग शुल्कानामाधिक्यात् कोश वर्धनम् ।

अनापदि न कुर्वीत तीर्थ देव कर ग्रहात् ॥ ९ ॥

३. यदा शत्रु विनाशार्थ बल संरक्षणोद्यतः ।

विशिष्ट दण्ड शुल्कादि धनं लोकात् तदा हरेत् ॥ १० ॥

४. धनिकेष्ट्यो भूति दत्या स्वापत्तौ तदुन्त हरेत् ।

राजा स्वापत्समुत्तीर्णस्तत् स्वं दद्यात्सवृद्धिकम् ॥ ११ ॥ ( शुक्रो अ० ४. ३.)

प्रकार भी सब उपायों से धन संग्रह करे और उस के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करे।”<sup>१</sup> इस प्रकार इस प्रसङ्ग में आचार्य शुक्र ने धन की महिमा बता कर धन-संग्रह के लिये सभी उचित और अनुचित ( येन केन प्रकारेण ) उपायों को भरतने का निर्देश किया है। कर संग्रह के इन उचित और अनुचित उपायों की उन्होंने स्वर्यं ही संक्षिप्त व्याख्या करदी है—

“वह मनुष्य जो धन को उचित उपायों से कमाता है और उचित ढंग पर खर्च करता है, पात्र है; इस से उलटा करने वाला व्यक्ति अपात्र है। राजा को चाहिये कि वह अपात्र का सम्पूर्ण धन ज़बरदस्ती ले ले, यह करने से राजा को पाप नहीं लगता है। पापी व्यक्ति का सारा धन राजा को छीन लेना चाहिये। धोखे से, बल से या चोरी से शत्रु राष्ट्र का धन छीन लेना चाहिये। परन्तु इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो राजा अपनी प्रजा को धन प्राप्त करने के लिये तंग करता है प्रजा उस के विरुद्ध हो जाती है और शत्रु उस देश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।”<sup>२</sup>

इस प्रकरण में तो आचार्य शुक्र एक साम्यवादी प्रतीत होते हैं। उन के अनुसार जो व्यक्ति सभाज की रचना का अनुचित उपयोग उठा कर, बुरे उपायों से, धनी बन जाते हैं उन की सम्पत्ति राष्ट्र को ज़प्त कर लेनी चाहिये। यह कर-सिद्धान्त साम्यवादियों का है।

आय के ये स्रोत कर रूप में नहीं हैं, इन्हें ऊपर की आय समझना चाहिये, इन से पूर्व हमने जिन आय के स्रोतों का वर्णन किया था वे सब कर रूप में ही थे। शत्रु राष्ट्रों को अपने आधीन लाकर उन से भैंट लेने के पक्ष में ही आचार्य

१. बल मूलो भवेत् कोशः कोशमूलं बलं स्मृतम् ।

बल संरक्षात् कोश राष्ट्र वृद्धिरिच्छयः ॥ १४ ॥

येन केन प्रकारेण धनं सञ्ज्ञित्यात् नृपः ।

तेज संरक्षयेद्राष्ट्रं बलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २ ॥

२. स्वागमी सदूख्ययी पात्रमपात्रं विपरीतकम् ।

अपात्रस्य हरेत् सबै धनं राजा न दोषभाक् ॥ ६ ॥

अपर्यम शीलात् नृपतिः सर्वशः संहरेद्दुनम् ।

क्षलाद् बलाद्वदस्यु वृत्या परराष्ट्राद्दुरेत् तथा ॥ ७ ॥

त्यक्ता नीतिं बलं स्वीयं प्रजा पीडनतो धनम् ।

सञ्ज्ञितं येन तत्स्य स राज्यं शत्रुसाद्वेत् ॥ ८ ॥

( शुक्र० ग्र० ४० ३३ )

शुक्र ने अपनी राय दी है। इन भेटों से राष्ट्र का कोश बहुत बढ़ता है।<sup>१</sup> इन भेटों को छोड़ कर राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय आदि किसी अन्य साधन का वर्णन शुक्रनीति में नहीं प्राप्त होता।

इस कर प्रकरण से हम करों के सम्बन्ध में निम्न लिखित परिणाम निकाल सकते हैं—

१. राष्ट्र भर की सब समाजों, जातियों तथा संघों पर समान रूप से कर लगाना चाहिये।<sup>२</sup> कोई भी समूह करों से वञ्चित न रखा जाय।
२. जिस व्यक्ति या समूह पर जो कर निश्चित किया जाय वह उसे शीघ्र ही ले लेना चाहिये। उसको चुकाने की प्रतीक्षा देर तक नहीं करनी चाहिये—“भूमि कर, भूति, आयात नियोत कर, व्याज और जुर्माना आदि शीघ्र ही चुका लेने चाहिये।”<sup>३</sup>
३. कर संग्रह कर्त्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने हिसाब को खूब स्पष्ट रखें। कर की दर, वस्तु परिमाण, प्राप्त कर आदि की विस्तृत सूचियाँ उन्हें बनानी चाहिये।
४. कर राष्ट्र के सामूहिक हित के लिये ही लिया जाता है यह बात सदैव स्वरण रखनी चाहिये। इस लिये सदैव लाभ पर ही कर लेना चाहिये। सब प्रकार के करों- चुंगी, आन्तरिक कर और भूमि कर-को उसी अवश्य में पुष्ट किया जासकता है जब कि वे लाभ घर लिये जा रहे हों। भूमि कर तब लेना चाहिये जब कि किसान को अपने व्यय से कम से कम दुगनी आय अवश्य हुई हो। भूमि में या कृषि के साधनों में जब सुधार किया जा रहा हो तब भी कर नहीं लेना चाहिये। नये व्यवसायों से तब तक कर नहीं लेना चाहिये जब तक कि उन से आय न होने लगे।<sup>४</sup> इस प्रकार कर-मुक्ति द्वारा नए व्यवसायों को संरक्षण देना चाहिये। प्रत्येक पदार्थ पर एक बार कर अवश्य लगाना चाहिये, साथ ही किसी वस्तु पर दुहरा कर नहीं लगाना चाहिये।

१. मालाकारस्य बृत्यैव स्वप्रजा रक्षणे च ।

शत्रुं हि करदीकृत्य तदुनैः कोशवद्वन्म् ॥ १८ ॥

२. सर्वतः फलभुग् भूत्वा दासवत् स्यात् रक्षणे ॥ १३७ ॥

३. भूदिमागं भूति शुल्कं वृद्धिमुक्तोचकं करम् ।

सद्य एव हरेत् सर्वं नतु कालविलक्षनैः ॥ १२३ ॥

४. शुक्र० श्र० ४. ii. शोक १०८, ११४, और ११८ ।

( शुक्र० श्र० ४.ii. )

इस प्रसंग में हम एक और बार आचार्य शुक की कर सम्बन्धी उपमा की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं— “राजा को घजा से कर इस श्रेकार लेना चाहिये जिसे प्रकार कि भाली वृक्षों से फल था फूल चुनता है ।”<sup>१</sup>

**मुद्रा पद्धति और विनिमय भाध्यम**—शुकनीति के अनुसार उस समय बड़ी स्पष्टता से मुद्रापद्धति का प्रमाण मिलता है । यह कहना कि उस समय केवल वस्तु विनिमय ( बार्टर ) की प्रथा थी, नितान्त भ्रममूलक है । इन उदाहरणों से उस समय मुद्रा पद्धति स्पष्टतया सिद्ध होती है—

“वे वस्तुएं जो संसार में बहुत कम पाई जाती हैं—हीरों के दाम से बिकती हैं । किसी वस्तु का मूल्य समय और स्थान के अनुसार निश्चित होता है । अनुपयोगी वस्तुओं का कोई दाम नहीं होता । महंगे दाम, भ्रमध्यम दाम और सस्ते दाम सभी बुद्धिमानों के व्यवहार के अनुसार निश्चित होते हैं ।”<sup>२</sup> इन सिद्धान्तों में दामों के सम्बन्ध के मूल्य २ शर्थशास्त्रीय नियम—न्यूनता, मांग, ऊपलब्धि और उपयोगिता—संक्षेप से आजाते हैं ।

शुकनीति चतुर्थ अध्याय के पञ्चम विभाग में ऋण, व्याज आदि की जो संख्याएं दी, हैं उन से भी स्पष्टतया उस समय किसी मुद्रापद्धति की सक्षम सिद्ध होती है ।

उस समय धातुओं और हीरों का दाम इस प्रकार था—“एक रक्ती हीरे का दाम थोंच सर्व मुद्राओं के बराबर होता है । अगर हीरा एक रक्ती से भारी तथा आकार में बड़ा हो तो उस का दाम २५ सर्व मुद्रा होता है ।”<sup>३</sup> इस प्रसंग में भिन्न भिन्न मणियों और हीरों के दाम भी दिए गए हैं ।

१. हरेच कर्षकाद्वार्गं यथा नष्टो भवेत् सः ।  
मालाकार इव ग्राह्यो भाग्यो नाह्नरकार वत् ॥ ११३ ॥

२. रक्त भूतन्तु तत्त्वं स्याद् यद्यदप्तिमं भुवि ।  
यशोदेशं यथाकालं मूल्यं सर्वस्य कल्पयेत् ॥ १०६ ॥  
न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारक्तमस्य च ।  
नीच मध्योन्तमत्वन्तु सर्वस्मिन् मूल्यं कल्पने ।  
चिन्तनीयं बुर्धेलोकाद् वस्तुजातस्य सर्वदा ॥ १०७ ॥

३. एकस्यैव हि वज्रस्य त्वेकं रक्तिमितस्य च ।  
सुविस्तृत दलस्यैव मूल्यं पञ्च सुवर्णकम् ॥ ६८ ॥  
रक्तिकादल विस्ताराच्छेषं पञ्चगुणं यदि ।  
यथा यथा भवेन्नूनं हीन मौल्यं तथा तथा ॥ ६९ ॥

मोतियों का दाम इस प्रकार निकाला जाता है—“एक मोती का जितने रक्ती भार हो उसे १४<sup>३</sup> से गुणा कर के २४ से भाग दे देना चाहिये । इस प्रकार प्राप्त रक्तियों की संख्या के समान सोना ही उस मोती का दाम होगा ।” <sup>३</sup> यह दाम सर्वोच्च मोतियों का है, मध्यम और साधारण मोतियों के दाम उनकी चमक के अनुसार निश्चित होते हैं । <sup>३</sup>

धातुओं के दाम में परस्पर यह अनुपात होता है—

सोना = १६	चांदी
चांदी = ८०	ताम्बा
ताम्बा = १३	ज़िङ्क
ज़िङ्क = २	नीन
” = ३	सीसा
ताम्बा = ६	लोहा

होरों के दोष स्वाभाविक होते हैं । परन्तु धातुओं के मल अस्वोभाविक होते हैं, इस लिए धातुओं को शुद्ध करके ही उन के सिक्के बनाने चाहिये । वास्तव में यही उपर्युक्त सात धातुएँ ही असली धातुएँ हैं, अन्य धातुएँ कांसी, पीतल आदि—इन्हीं के मेल से बनती हैं । ज़िङ्क और ताम्बा मिला कर कांसी बनाई जाती है और ताम्बा तथा रांगा मिला कर पीतल ।” <sup>३</sup>

१. व्यङ्गि चतुर्दश हतो वर्गे मौक्तिक रस्तिजः ।

चतुर्विंशतिभिर्भक्तोलब्धावृ मूल्यं प्रकल्पयेत् ॥ ८४ ॥

उत्तमन्तु शुवर्णार्चमूनं यथा गुणम् ॥ ८५ ॥

२. रजतं चोड्य गुणं चवेत् स्वर्णस्यमूल्यकम् ॥ ८२ ॥

ताच्च रजत मूल्यं स्यात् प्रायोऽश्रिति गुणं तथा ।

ताम्बाधिकं सार्दुर्गुणं वङ्गं वङ्गात् तथा परे ॥ ८३ ॥

रङ्ग सीसे द्वित्रिगुणे ताम्बाल्लोहं तु शङ्खगुणम् ।

मुल्यमेतद्विशिष्टन्तु ह्युत्तं प्राड़ मूल्य कल्पनम् ॥ ८५ ॥

३. रन्ते स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुप्रक्रियाः ।

अतो धातुहृ सम्यरीदय तन्मूल्यं कल्पयेद्दुष्पः ॥ ८७ ॥

सुवर्णं रजतं ताम्बं वङ्गं सीसं च रङ्गकम् ।

लोहं च धातवः सम श्वेषामन्ये तु चङ्गात ॥ ८८ ॥

यथा पूर्वं तु श्रेष्ठं स्यात् स्वर्णं श्रेष्ठतरं मतम् ।

वङ्गं ताच्च भवेत् कांस्यं पित्तलं ताच्च रङ्गम् ॥ ८९ ॥

( शुक्र० अ अ० ४ ii.)

ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सोना और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के "खोकत मुद्रा" ( Legal tender ) थे । इस प्रकार उस समय द्विधात्वीय मुद्रा पद्धति थी । सोने के सिक्के को 'सुवर्ण' और चांदी के सिक्के को 'कर्षक' कहा जाता था । एक सुवर्ण का भार १० माशे होता था और ५ सुवर्णों के बाबार ८० कर्षकों का दाम होता था । <sup>३</sup> साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इन सिक्कों में उतने दाम की धातु वास्तव में होती थी, जो दाम कि इन पर लिखा रहता था । आचार्य शुक्र के अनुसार विनियम मध्यम रूप धन ( Money ) को द्रव्य कहा जाता है ।<sup>४</sup> द्रव्य और धन में वही भेद है जो Money और Wealth में है ।

**बजट** — राष्ट्रीय वार्षिक बजट बनाने का कार्य शुक्र नीति के अनुसार दो व्यक्तियों के आधीन होता है—सुमन्त्र और अमात्य । सुमन्त्र राष्ट्र के प्राप्त और अप्राप्त धन की सूचियाँ तैयार करता है । राष्ट्र की चल और अचल सम्पत्ति, ऋण, समर्पण व्यय, बचत अदि की विस्तृत तालिकाएँ भी वही तैयार करता है । अमात्य 'कर सचिव' का कार्य करता है । पूर्वोक्त १० आय के खोतों की तालिकाएँ बनाना उसका कर्तव्य होता है ।<sup>५</sup> ये दोनों विभाग अपने अपने सम्बन्ध की सब गणनाएँ विस्तार से प्रकाशित करते रहते हैं ।

**व्यय के विभाग** — एडम स्मिथ के अनुसार यूरोप के मध्ययुग में राजाओं के कार्य बहुत सीमित हुआ करते थे । जनता के प्रति उन के कर्तव्य बहुत कम होते थे । धीरे २ विकास होते होते अब जनता के प्रति सरकारों के कर्तव्य बहुत बढ़ गए हैं । परन्तु आचार्य शुक्र के अनुसार हम प्राचीन भारत के विषय में यह बात नहीं कह सकते हैं । शुक्र नीति द्वारा स्पष्टतया प्रतीत होता है कि उस समय भी प्रजा के प्रति सरकार के कर्तव्य कम नहीं होते थे । आज कल की तरह राष्ट्र की सामूहिक तथा वैयक्तिक उच्चता करना ही राष्ट्र का उद्देश्य समझा जाता था; प्रथम अध्याय

१. आचार्य रस्किको माषो दशमाषै सुवर्णकम्

स्वर्णस्य तत् पञ्चसूल्यं रजताशीति कर्षकम् ॥ ७० ॥

( शुक्र० अ० ४. ii. )

२. रजत स्वर्णतामादि व्यवहारार्थं मुद्रितम् ।

व्यवहार्यं वराटाद्यं रत्नान्तं व्रद्यमीरितम् ।

स पशु धान्य रत्नादि तृणान्तं धन संचिकम् ॥ ३५४ ॥

व्यवहारे चाधिकृतं स्वर्णाद्यं धन संचिकम् ॥ ३५५ ॥

( शुक्र० अ० २ )

३. शुक्र० अ० २० स्तोक १०१—१०५ ।

मैं कहा है— “राजा को प्रति वर्ष शिल्प में उन्नत व्यक्तियों तथा विद्वानों का सम्मान करना चाहिये । उसे सदैव इस प्रकार का यत्न करना चाहिये जिससे कि राष्ट्र में विद्या तथा विज्ञान की उन्नति हो ।”<sup>१</sup>

“राजा को सदैव राष्ट्र में बसने वाले इन लोगों की इज्जत करनी चाहिये; इनको वज्रीफे, वेतन आदि देकर उत्साहित करना चाहिये— तपस्ची, दानी, जो श्रुति और स्मृति में पारंगत हैं, पौराणिक (इतिहासक), शास्त्रज्ञ, इयोतिषी, मान्त्रिक, डाकूर, कर्मकारडी, तान्त्रिक तथा अन्य गुणी युग्म ।”<sup>२</sup>

यह व्यय किस अनुपात से करना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमें दो तालिकाएं शुक्रनीति पें ही उपलब्ध होती हैं। पहली तालिका के अनुसार प्रत्येक सामन्त शासक को, जिस की वार्षिक आय १ लाख कर्ष है, इस अनुपात से भय करना चाहिये।<sup>३</sup>

## विभाग

## सम्पूर्ण आय का—

१. ग्रामों के अधिकारियों का वेतन	...	१३	भाग
२. सेना	...	३	”
३. दात्र	...	१८	”
४. जनता की शिक्षा तथा मनोरञ्जन	...	५४	”
५. राज कर्मचारी	...	१४	”
६. उच्च स्थिर सेवक	...	१४	”
		१३ = १	
		२४	२

१. समाप्तिविदं संदृष्ट्वा तत्कार्ये तज्जियोजयेत् ।

विद्या कलोत्तमात् दृष्ट्वा वस्त्रे पूजयेऽच तात् ॥ ३६८ ॥

विद्या कलानां वृद्धिः त्यात्तथा कुर्यान्वयः सदा ॥ ३६९ ॥ ( शुक्र अ० १ )

२. तपस्विनो दानशीला श्रुति स्मृति विशारदः ।

पौराणिकाः शाश्व विदो दैवज्ञा मान्त्रिकाश्च ये ॥ १२२ ॥

आयुर्वेदविदः कर्मकारडजास्तान्त्रिकाश्च ये ।

ये चान्ये गुणिनः श्रेष्ठाः बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ॥ १२३ ॥

तात् सर्वात् पोषयेद् भूत्या दानैर्मनैः सुपूजितात् ।

हीक्षे चान्यथा राजा द्वाकीर्ति चापि विन्दति ॥ १२४ ॥ ( शुक्र अ० २ )

३. त्रिभिर्देयैः वलं धाय दानमुद्दीश्यकेन च ॥ ३१५ ॥

अर्द्धशेन प्रकृतयो द्वाकीर्त्यनाधिकरिणः ।

अर्द्धशेनात्मभोगश्च कोशोऽशेन रक्षयते ॥ ३१६ ॥

आयस्यैव शब्दिभागैर्वर्यं कुर्यात् तु वस्त्रे ।

सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ॥ ३१७ ॥

शेष इ भाग को राष्ट्र की सामरिक आवश्यकताओं के लिये खिर कोश में जमा करते जाना चाहिये ।

इस का अभिप्राय यह हुवा कि जनता की उच्चति के लिये राष्ट्रीय आय का  $\frac{1}{3}$  वां भाग व्यय किया जाता था और सेना के लिये  $\frac{1}{4}$  भाग व्यय होता था । यह सैनिक व्यय यद्यपि भारत धर्ष के चर्तमान सैनिक-व्यय के मुकाबले में बहुत कम है तथापि इसे कम नहीं समझना चाहिये । हमारी सम्मति में यह बात उस समय के लिये बहुत गौरव पूर्ण नहीं है ।

राष्ट्रीय व्यय की दूसरी तलिका हम छटे अध्याय में १८१ पृष्ठ पर दे चुके हैं, उसे यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है । उस के अनुसार खिर कोश के लिये बचत करने की मात्रा कुल आय का केवल  $\frac{1}{3}$  टा भाग है ।

**राष्ट्रीय व्यय के सिद्धान्त—** राष्ट्रीय व्यय की उपर्युक्त दोनों तालिकाओं के अनुसार हम व्यय के तीन भाग कर सकते हैं— सेना, राष्ट्र और स्थान ( यज्ञ ) । <sup>१</sup> जो राजा राष्ट्रीय आय का उपयोग अपने तथा स्त्री पुत्रादियों के लिए ही करता है वह इस लोक तथा परलोक में दुख ही प्राप्त करता है । <sup>२</sup> इस का अभिप्राय यही है कि राजा को यथा शक्ति वैयक्तिक व्यय कम करने चाहिये । राष्ट्र से अभिप्राय जनता का है । जनता की उच्चति तथा मनोरञ्जक के लिये भी स्पष्ट रूप से शुकनीति में व्यय करने का आदेश है ।

राष्ट्रीय व्यय में सब से मुख्य भाग सेना का है । प्रथम तालिका के अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का चौथाई भाग और द्वितीय तालिका के अनुसार सम्पूर्ण आय का आधा भाग सैनिक-प्रबन्ध तथा अस्त्रादि में व्यय करना चाहिये । ये अंक बहुत अधिक प्रतीत होते हैं । परन्तु अगर यूरोप के १९ वां सदी के आरम्भ से लेकर गत महायुद्ध तक के सब युद्धों का सम्पूर्ण व्यय तथा इसी काल में यूरोप के सब देशों की सम्पूर्ण आय का अनुपात निकालें तो आचार्य शुक का सैनिकव्यय-विधान बहुत अधिक प्रतीत नहीं होगा । सरकार का सर्व सम्मत उद्देश्य राष्ट्र की ओन्टरिक तथा बाह्य आपत्तियों से रक्षा करना है, इस उद्देश्य के अनुसार एक उच्चति शील स्वतन्त्र राष्ट्र के लिये सेना पर पर्याप्त व्यय करना स्वाभाविक है । प्रसिद्ध अमेरिकन सेनापति स्ट्रॉकटन के शब्दों में सैनिक व्यय शान्ति रक्षा का खिर बोमा है ।

१. तेन संरक्षयेद्राष्ट्रं बलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २॥ ॥

२. स्त्री पुत्रार्थं कृते यश्च स्वोपभोगाय केवलम् ।

नरकायैव स ज्ञेयो न परत्र सुखप्रदः ॥ ४॥ ( शुक्र० अ० ४ i.l.)

आचार्य शुक्र ने भी यही बात कही है—“अच्छी सेना के बिना राज्य, धन, या प्रभाव की रक्षा नहीं हो सकती । जो बलवान् है, लोग उसके मित्र बन कर रहते हैं । जो दुर्बल है, उसके सभी सत्रु बन जाते हैं; साधारण लोगों में भी यही बात देखी जाती है फिर राष्ट्र के लिये तो क्या कहना है ।”<sup>१</sup> इसलिये सेना पर ध्यय किए गए धन को भी उत्पादक ध्यय ही समझना चाहिये ।

प्रति वर्ष जो धन भावी आवश्यकताओं के लिये बचाया जाय, वह सम्पूर्ण धन मुद्रा रूपमें ही नहीं बचाना चाहिये । परन्तु उसके कुछ भाग से अनाज, दबाइयाँ, खानिज पदार्थ, धास, लकड़ी, अख, शस्त्र, बारूद, बरतन, कपड़े आदि खरीद कर जमा करते जाना चाहिये ।<sup>२</sup> यह सामान आवश्यकता पड़ने पर बहुत काम आता है । इस धन से बढ़ी, राज आदिकों के औज़ार खरीद कर भी स्थिर कोश में जमा करने चाहिये ।<sup>३</sup>

### राज कर्मचारियों का वेतन.

**वेतन**—वेतन तीन प्रकार का होता है—कार्य के परिमाण से, काल के परिमाण से, कार्य और काल दोनों के परिमाण से । इस गटे के भार को तू बहाँ रख देतो तुझे इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य के मान से वेतन कहाता है । प्रति दिन, प्रति मास या प्रति वर्ष इतना वेतन मिलेगा—यह काल के परिमाण से वेतन हुआ । तुम यदि इतने काल में इतना कार्य करोगे तो इतना वेतन मिलेगा, यह कार्य और काल के परिमाण से वेतन कहलाता है ।<sup>४</sup>

१. सैन्याद्विना नैव राज्यं न धनं न पराक्रमः ।

बलिनो धशणः सर्वे दुर्बलस्य च शत्रवः ।

भवन्त्यस्य जनस्यापि नृपस्य तु न किं पुनः ॥ ४ ॥ ( शुक्र० अ० ४ vii. )

२. गृहीयात् सुप्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नृपः ॥ २८ ॥

श्रोणधीनां च धातृनां तुषकाष्ठादिकस्य च ।

यन्त्र शस्त्राच्छिर्वृण्डं भास्त्रादेवीससां तथा ॥ ३० ॥

यद्यच्च साधकं द्रव्यं यद्यत्कार्यं भवेत् सदा ।

संग्रहस्तस्य तस्यापि कर्तव्यः कार्यं सिद्धिदं ॥ ३१ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ii. )

३. यन्त्राणि धातुकारणां संरक्षेत् वीक्ष्य सर्वदा ॥ ४० ॥ ( शुक्र० अ० ४. iv. )

४. कार्यमाना कालमाना कार्यं कालमितिनिधा ।

भृतिरक्ता तु तद्वितौः सा देवा भाषिता यथा ॥ ३८२ ॥

शयं भारस्त्वया तत्र स्थायस्त्वैतावतीं भृतिम् ।

दास्यामि कार्यमाना सा कीर्तिं तस्मिदेष्यैः ॥ ३८३ ॥

वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने ।

एतावतीं भृति तेऽहं दास्यामीति च कालिका ॥ ३८४ ॥

एतावता कार्यमिदं कालेनापि त्वया कुतम् ।

भृतिमेतावतीं दास्ये कार्यकालमिता च सा ॥ ३८५ ॥

सरकार म तो किसी का वेतन मारे और न किसी को वेतन देर में दे ।<sup>१</sup>

जितने वेतन से सेवक का अपना तथा उसके माता पिता आदि परिवार के व्यक्तियों का पालन हो सके, उतना वेतन मध्यम वेतन होता है । इन के पालन के अतिरिक्त और भी अधिक दृढ़य मिलने पर श्रेष्ठ वेतन कहाता है । जिस वेतन से केवल एक ही व्यक्ति का पालन हो उसे हीन वेतन समझना चाहिये । राजा को चाहिये कि वह व्यक्ति की योग्यतानुसार उसे वेतन दे । योग्य सेवक को इतना वेतन अवश्य देना चाहिये जिससे कि उसका और उसके परिवार का पालन भली प्रकार हो सके । जो सेवक योग्य होते हुए भी कम वेतन पर रखके जाते हैं वे राजा के स्थंय बनाए हुए शत्रु हैं । ये राजा को सब प्रकार की हानि पहुँचाते हैं; आपन्ति आने पर ये शत्रु से मिल जाते हैं ।<sup>२</sup>

शूद्रों को केवल इतना ही वेतन देना चाहिये जिस से कि उनका भोजन घस्तादि का गुजारा भली प्रकार हो सके, अधिक वेतन देने से वे उसे मांस, शराब आदि में व्यय करने लगते हैं, जिसका पाप वेतन देने वाले पर ही पड़ता है । नौकर मन्द, मध्य और शीघ्र इन तीन प्रकार के होते हैं । इनका वेतन भी कमशः सम, मध्य और श्रेष्ठ इन तीन प्रकार का होता चाहिये ।<sup>३</sup>

**भृत्यों को अवकाश—** सेवकों को घर के कार्य के लिए एक दिन में एक पहर और रात को तीन पहर का अवकाश देना चाहिये—इस प्रकार आठ पहरों में से ४ पहर नौकर को अवकाश मिलेगा । जो नौकर केवल दिन के लिए ही हों उन्हें दिन में आधा पहर अवकाश देना चाहिये ।

१. न कुर्याद् भृति लोपं तु तथा भृतिविलम्बनम् ।

२. अवश्य पोष्य भरणा भृतिर्मध्या प्रकीर्तिं ॥ ३६६ ॥

परिपोष्या भृतिः श्रेष्ठा समाचाच्छादनार्थिका ।

भवेदैकस्त भरणं यथा सा हीन संचिका ॥ ३६७ ॥

यथा यथा तु गुणवालु भृतकस्तद् भृतिस्तथा ।

संयोज्या तु प्रयत्नेन नपेणात्म हिताय वै ॥ ३६८ ॥

अवश्य पोष्य वार्गस्य भरणं भृतकाम्बृतैः ।

तथा भृतिस्त संयोज्या तद्योग्य भृतकाय वै ॥ ३६९ ॥

ये भृत्या हीन भृतिकाः शब्दवस्ते स्वयं कृताः ।

परस्य साधकास्ते तु दिद्रि कोश प्रजाहराः ॥ ४०० ॥

३. अच्छाच्छादन मात्रा हि भृतिः शूद्रादिषु स्मृता ।

तत्पाप भागन्यथा स्यात् पोषको मांस भोजितु ॥ ४०१ ॥

मन्दो मध्यस्तथा शीघ्रत्विधो भृत्य उच्यते ।

समामध्या च श्रेष्ठा च भृतिस्तेषां क्रमात् स्मृता ॥ ४०२ ॥ ( शुक्र० अ० २. )

( २१२ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

उत्सव आदियों पर भी नौकरों को अवकाश देना उचित है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर ट्यौहार के दिनों में भी उन से काम लिया जा सकता है।<sup>१</sup>

**रुग्णावकाश तथा वेतन**— रोगी होने पर उन दिनों का चौथाई वेतन काट लेना चाहिये। लम्बी बीमारी होने पर अगर सेवक ५ मास का अवकाश ले तो उसे उस अवधि में ३ मास का ही वेतन देना चाहिये। और अधिक लम्बा, एक वर्ष तक, रुग्णावकाश लेने पर आधा वेतन देना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर १५ दिन का रुग्णावकाश बिना कुछ भी वेतन काटे देना चाहिये। अगर सेवक बीमार पड़े तो कम से कम एक वर्ष तक तो उसे बर्खास्त न कर के उस के थान पर उतने समय के लिये एक और आदमी रख कर काम चलाना चाहिये। अगर बहुत गुणी कर्मचारी हो तो वह जब तक बीमार रहे उसे आधा वेतन देते रहना चाहिये।<sup>२</sup>

**पेन्शन**— जिस व्यक्ति ने निरन्तर ४० बरस तक सरकारी सेवा की हो उसको इस सेवा के बाद उसके अन्तिम दिनों के वेतन का आधा वेतन जीवन पर्यन्त पेन्शन स्वरूप देते रहना चाहिये। यदि उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई बालक-पुत्र या कन्या-नाबालिङ हो, अथवा स्त्री जीवित हो तो उसकी पेन्शन का आधा भाग उन्हें देते रहना चाहिये।<sup>३</sup>

१. भृत्यानां गृहकार्यार्थं दिवा यामं समुन्सृजेत् ।

निशि याम त्रयं नित्यं दिन भृत्येर्घयामकम् ॥ ४०४ ॥

तेभ्यः कार्यं कारयीत श्वत्सवाद्यौर्विना नृपः ।

आत्यावश्यं तूत्सवेऽपि हित्वा श्राद्धुदिनं सदा ॥ ४०५ ॥

२. पाद हीनां भृतिं त्वार्तं दद्यात् चैमासिकीं ततः ।

पञ्च वत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिकव्यं यथा तथा ॥ ४०६ ॥

षाणमासिकीं तु दीर्घार्तं तद्दुर्दु न च कल्पयेत् ।

नैव पञ्चार्दु मार्जन्य हातव्याल्पयपि वै भृतिः ॥ ४०७ ॥

सम्पत्क्षसरोर्वितस्यापि ग्राह्यः प्रतिनिधिस्ततः ।

सुमहद्युग्ण वर्तिनं त्वार्तं भृत्यद्वु कल्पयेत् सदा ॥ ४०८ ॥

सेवां विवा नृपः पद दद्यात् भृत्याय वत्सरे ॥ ४०९ ॥

३. चत्वारिंशत् समा नीता सेवया येन वै नृपः ।

ततः सेवां विवा तस्मै भृत्यद्वु कल्पयेत् सदा ॥ ४१० ॥

यावज्जीवं तु तत्पुत्रेऽचमेवाले तद्दुर्कम् ।

भार्यायां वा मुशीलायां कन्यायां वा स्वप्रेषते ॥ ४११ ॥ ( शुक्र० अ० २. )

**इनाम**—एक वर्ष के बाद सेवक को उस के वेतन का आठवां भाग इनाम रूप में देना चाहिये; अथवा किये कार्य के आठवें भाग का वेतन बिना कार्य कराए ही दे देना चाहिये ।<sup>१</sup>

स्वामी की सेवा करते हुए जिसका देहान्त होजाय उसका वेतन उस के पुत्र के पास पहुँचा देना चाहिये । जब तक उस का पुत्र नाबालिंग रहे उसे सहायता देते रहनी चाहिये; जब वह बालिंग हो जाय तब उसकी योग्यतानुसार उसे भी किसी सेवा पर नियुक्त कर लिया जाय । सेवक के वेतन का छटा या चौथाई भाग स्वामी को अपने पास रख लेना चाहिये और दो तीन वर्ष बाद उस के वेतन का आधा या पूरा भाग उसे दे देना चाहिये ।<sup>२</sup>

**कर्मचारियों पर दण्ड का प्रभाव**—कठोर बाणी का प्रयोग, वेतन की न्यूनता, अपमान या प्रबल दण्ड, इन सब के द्वारा भी राजा सेवकों के हृदय में शत्रुता का बोज बोता है । इस के प्रतिकूल सेवकों को सम्पत्ति देने से उन्हें राजा पूरी तरह अपने वश में कर लेता है । अधम लोग धन चाहते हैं, मध्यम धन और मान दोनों चाहते हैं, परन्तु उत्तम पुरुष मान ही चाहते हैं । क्यों कि मान ही बड़े पुरुषों का धन है ।<sup>३</sup>

**आय व्यय के लेख पत्र**—राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खूब विस्तार से रजिस्टर आदि बने रहते थे, जिस से कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो सके । इन में आय, व्यय, लेन, देन, किस विभाग में व्यय हुवा-आदि के खाने बने रहते थे । इन लेख पत्रों पर उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर होते थे, उन की अनुमति से ही कोई व्यय किया जा सकता था ।

१. श्रष्टमांशं पातितोऽर्थं दद्यात् भृत्याय वस्त्रे ।

कार्यष्टमांशं वा दद्यात् कार्यं द्रागयिकं कृतम् ॥ ४१२ ॥

२. स्वामि कार्यं विनष्टो यस्तत्पुत्रेनद् भृति वहेत् ।

यावहु बालोऽन्यथा पुत्र गुणान्दृष्टा भृति वहेत् ॥ ४१३ ॥

षष्ठांशं वा चतुर्थांशं भृतेर्भृत्यस्त् पालयेत् ।

दद्यात् तदर्थं भृत्याय द्विविवर्त्यस्तिलं तु वा ॥ ४१४ ॥

३. वाक् पारुष्यान्यून भृत्या स्वामी प्रबल दशवतः ।

भृत्यं प्रशिद्धयेत्तिन्यं शुत्वमपमानतः ॥ ४१५ ॥

भृति दानेन ऊनुष्टा मानेन परिवर्धिताः ।

सान्त्वता मृदु वाचा ये न त्यजन्त्ययिष्य हि ये ॥ ४१६ ॥

श्रद्धमा धनमिच्छन्ति धनमानौ तु मध्यमाः ।

वन्नमा मानमिच्छन्ति मानो हि महातं धनम् ॥ ४१७ ॥ ( शुक्र० अ० २.)

**लेख पत्रों की स्वीकृति**— लेख पत्रों पर अन्तिम स्वीकृति राजा की छी जाती है, राजा को चाहिये कि वह हस्ताक्षर करते समय व्यय की जाँच पड़ताल कर लिया करे। उस लेखपत्र पर प्राद्विवाक, दूत और रिडिंग को, यह लिख कर कि “यह लेख अपने विरुद्ध नहीं है”, अपने हस्ताक्षर करने चाहिये। फिर अमात्य को उस पर लिखना चाहिये— “यह लेख ठीक लिखा है”। फिर सुमन्त्र उस पर लिखे— “इस पर टीक तरह से विचार किया गया है”। तब प्रधान यह लिखे— “यह लेख सत्य और यथार्थ है”। फिर प्रतिनिधि लिखे— “यह स्वीकार करने योग्य है”। फिर युवराज और पुरोहित क्रमशः यह लिखें— “यह स्वीकार कर लिया जाय” और “यह लेख मुझे स्वीकृत है”। सब मन्त्रियों को हस्ताक्षर करने के साथ ही साथ अपनी मुद्रा भी अङ्कित कर देनी चाहिये। अन्त में राजा उस पर “स्वीकृत है” यह लिख कर अपनी मोहर करदे।

यदि युवराज आदि बहुत कार्य व्यग्र होने से स्वयं उस लेख पत्र को न देख सकें तो उस पर लिख दें—“इसे अमुक व्यक्ति को ठीक तरह से दिखा दिया गया है”। परन्तु मन्त्री को मोहर करके उस की ठीक २ जाँच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिये। अगर राजा के पास समय न हो तो वह उस पर “देख लिया” यही लिख दे।<sup>3</sup>

१. राजा स्वलेख्य चिन्हं तु यथाभिलिप्तिं तथा ।

लेखात्मुपूर्यु कुर्याद्विद्वच्छ्वा लेख्यं विचार्य हि ॥ ३६२ ॥

मन्त्री च प्राद्विवाकश्च परिडितो दूत संत्रकः ।

स्वाविरुद्धं लेख्यमिदं लिखेणुः प्रथमं त्विमे ॥ ३६३ ॥

अमात्यः साधु लिखनमस्त्वयेत् प्रालिखेदयम् ।

सम्यापिचारितमिति मुमन्त्रो विलिखेत् ततः ॥ ३६४ ॥

सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम् ।

अङ्कीकर्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिर्लिखेत् ॥ ३६५ ॥

अङ्कीकर्तव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम् ।

लेख्यं स्वाभिमतं चैतत् विलिखेत् पुरोहितः ॥ ३६६ ॥

स्व स्व मुद्रा चिन्हतं च लेख्यान्ते कुरुवेत् हि ।

अङ्कीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेत् ततो नृपः ॥ ३६७ ॥

२. कार्यान्तरस्याकुलत्वात् सम्यग् द्रष्टुं न शक्यते ।

युवराजदिभिर्लेखं तदनेन च दर्शितम् ॥ ३६८ ॥

समुद्रं विलिखेयुर्ये मन्त्रं मन्त्रिगणस्ततः ।

राजा दृष्टिमिति लिखेत् ग्राक् सम्यग्दर्शनयमः ॥ ३६९ ॥ ( शुक्र० शत० २. )

**आय व्यय का लेखा—** रजिस्टर में पहले आय लिखे और फिर अय; अथवा आधे पृष्ठ पर आय लिखे और आधे पर व्यय। इन आधे २ हिस्तों में जो जो संख्याएँ लिखी गई हैं, उनका योग दोनों के नीचे कर देना चाहिये। यथा सभ्मव संख्याएँ एक दूसरे के नीचे ही लिखनी चाहियें। यदि राशियाँ अधिक हों तो उन्हें एक पंक्ती में भी लिखा जा सकता है।<sup>३</sup>

सुगमता के लिये हम एक कल्पित उदाहरण यहां देते हैं—

८ चैत्र शुक्ले २०७१ विक्रमाब्दे ।

राज कोशस्व आय व्यय लेखम् ।

आय	व्यय
३०००००] भौम करः दर्शार्ण देशीयः	२०००] गजानां मासिकं भोजनम्
४०००००] सौबोराणां सुपायनी कृतम्	२०००००] कर्मचारिभ्यो वेतनम्
५०००००] सामुद्रिक व्यापारिणां शुलकम्	२०००] गज सेवकानाम्
१०००००] कालिकातातः	८०००] अश्व सेवकानाम्
२०००००] मद्रासतः	१६००००] राजधानी सेवकानाम्
३०००००] सुम्बापुरीतः	१००००००] युद्ध सामग्री प्रेषणार्थम्
५०७००००] सर्वयोगः ।	५०००] दुःखित दीने भोजनार्थम्
इ—	१३०७००००] सर्व योगः ।
प्रधानः— मन्त्री—	युवराजः— राजा—

१. ग्रायमदौ लिखेत् सम्यक् व्यम् पश्चात् तथागतम् ।

वामेवार्यं व्ययं दक्षे पत्र भागौ च लेखेत् ॥ ३७० ॥

यत्रोभौ व्यापक व्याप्त्यौ वामोद्दृ भागानौ क्रमात् ।

आधारार्थेय रूपौ वा कालार्थं गणितं हि तत् ॥ ३७१ ॥

आधोऽधश्च क्रमात् तत्र व्यापकं वामतो लिखेत् ।

व्याप्त्यानां मूल्य मानादि तत्पद्भूत्यां सन्निवेश्येत् ॥ ३७२ ॥

कर्त्त्वगानां तु गणितमधः पद्म्भूत्यां प्रजायते ।

यत्रोभौ व्यापक व्याप्त्यौ व्यापकवेन संस्थितौ ॥ ३७३ ॥

सजातीनां च लिखनं कुर्याच्च समुदायतः ।

यथा ग्रामं तु लिखनमाद्यन्तं समुदायतः ॥ ३७४ ॥ ( शुक्र० अ० २.)

( २१६ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

इस से यह ज्ञात होता है कि किसी भी विभाग में राष्ट्रीय आय व्यय करते हुए उस पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति आवश्यक होती थी, चाहे वह कोई भी विभाग क्यों न हो । प्रत्येक लेख पर सब मन्त्रियों की मोहरें भी लगाई जाती थीं । अन्तिम स्वीकृति राजा से ली जाती थी, परन्तु यह स्वीकृति नाम मात्र की ही होती थी ।

---



## \* श्राठवाँ अध्याय \*

### समाज की आर्थिक दशा।

मनुष्य समाज में धनियों का सम्मान बहुत प्राचीन काल से चला आता है। आचार्य शुक्र से धन की यह महिमा छिपी नहीं हुई है। उन्होंने लिखा है— “धनियों के द्वार पर अछे २ गुण लोग नौकरों की तरह लड़े रहते हैं। धनी मनुष्य के दोष भी लोगों को गुण प्रतीत होते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष समझे जाते हैं। बहुत गरीब होने के कारण ही बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत से शहर छोड़ कर भाग गए हैं, बहुत से पहाड़ों में चले गए हैं, बहुतों ने आत्म-हत्या की है और बहुत से पागल और दास बन गए हैं।”<sup>१</sup>

**धन कमाने के उपाय—** धन की उपर्युक्त महिमा अनुभव करते हुए आचार्य शुक्र ने कहा है— “मनुष्य को जिस किसी ब्रकार भी धनबान बनने का यत्न करना चाहिये। धन कमाने के ये आठ उपाय हैं— (१) विद्रोह के आधार पर कमाना—पढ़ाना आदि (२) राजकीय सेवाएँ (३) सेना में प्रविष्ट होकर कमाना (४) कृषि (५) रुपया उधार देकर उस पर सूद लेना (६) व्यापार-थोक या फुटकर (७) शिल्प और व्यवसाय (८) भीख मांगना।”<sup>२</sup>

१. तिष्ठन्ति सधन द्वारेण गुणिनः किञ्चुरा इव ॥ १८२ ॥

दोषा अपि मुण्डायन्ते दोषायन्ते गुणा अपि ।

धनवतो निर्धनस्य निन्द्यन्ते निर्धनोऽखिलै ॥ १८३ ॥

सुनिर्धनत्वं प्राप्त्यैके मरणं भेजिरे जनाः ।

ग्रामायैके चलायैके नाशायैके प्रवद्वजुः ।

उन्मादमेके पुष्ट्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां वशम् ।

दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामर्थं हेतुना ॥ १८४ ॥

२. सुविद्यया सुसेवामिः शौर्येण कृषिभिस्तथा ।

कौसीद वृद्धया पश्येन कलाभिष्ठ प्रतिग्रहैः ।

थया कथा चापि वृत्या धनवाङ्म स्यात्तथा चरेत् ॥ १८५ ॥

( शुक्र० श्र० ६ । )

इन सब उपायों की कुछ व्याख्या तथा आलोचना भी आचार्य शुक्र ने स्वयं ही कर दी है— “सरकारी नौकरी धन कमाने का अच्छा साधन है, परन्तु वह बहुत ही कठिन है, बुद्धिमान लोग ही उसे कर सकते हैं, साधारण लोगों के लिये वह तलवार की धारा के समान असाध्य है। पुरोहित का कार्य बहुत आराम का है और उस से धन भी पर्याप्त मिलता है। कृषि, जो कि नदिनों पर निर्भर है, भी कर्माई का उत्तम साधन है।<sup>१</sup> भूमि ही सब धनों का प्रारम्भिक स्रोत है, भूमि के लिये राजा भी अपने प्राण देकर्ते हैं। धन और जीवन की रक्षा मनुष्य उपभोग के लिये करता है, परन्तु जिस मनुष्य ने भूमि की रक्षा नहीं की उसके धन और जीवन दोनों निरर्थक हैं।<sup>२</sup> आचार्य शुक्र की सम्मति में व्यापार विशेष लाभ कर नहीं है।<sup>३</sup> इस बात से विशेष आश्रय नहीं होना चाहिये। एक और प्रकरण में आचार्य ने शुक्र ने व्यवहार को धनोपार्जन का एक उत्तम साधन बताया है और साथ ही व्यापारिक संघों, श्रेणी और गणों का भी वर्णन किया है; इस से प्रतीत होता है कि उस समय व्यापार में बड़ी तोक्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो चुकी होगी, साधारण लोगों के लिये व्यापार विशेष लाभकर नहीं बताया। इस का अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि व्यापार अर्थ शास्त्रीय परिभाषा में अनुत्पादक है क्योंकि जब पुरोहित के कार्य को उत्पादक बताया गया है तब व्यापार को अनुत्पादक नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार शुक्रनीति के तीसरे अध्याय में सूद ऋण आदि की भी विस्तार से व्याख्या की गई है।

१. राजसेवां विना द्रुव्यं विपुलं नैश जप्ते ।

राज सेवातिगहना बुद्धिमद्विविना न सा ।

कर्तुं शक्या चेतरेण हृतिधरेव सा सदा ॥ २७७ ॥

आधर्शर्यादिकं कर्म कृत्वा या गृह्णते भृतिः ।

सा किं महाधननायैव ?………… ॥ २७८ ॥

कृषिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सरिमातृका मतः ।

मध्यमा वैश्य वृत्तिस्तु शूद्र वृत्तिस्तु चाधमा ॥ २७९ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

२. खनिः सर्वधनस्येयं देवदैत्यविमर्दिनी ।

भूम्यर्थं भूमि पतयः स्वात्मानं नाशयन्त्यपि ॥ १७८ ॥

उपभोगाय च धनं जीवितं येन रचितम् ।

न रचिता तु भूर्येन किं तस्य धनजीवितैः ॥ १८० ॥ ( शुक्र० अ० ५ )

३. “““द्वाणिज्यमलमेव किम् ? २७६ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

**शिल्प और व्यापार — शुक्रनीति** में अनेकों शिल्पों तथा व्यवसायों का वर्णन उपलब्ध होता है । इन सब का यहां विस्तार से वर्णन करना असम्भव है, हम संक्षेप से इन व्यवसायों के नाम ही गिना देंगे । लगभग ५० व्यवसाय ऐसे हैं जिन की सरकार को अत्यन्त आवश्यकता रहती है, अतः सरकार को इन व्यवसायों के करने वाले लोगों को उत्साह और सहायता देनी चाहिए । इन में (१) गायक, बजाने वाले, नाचने वाले, मखौलिए, चित्रकार आदि भी शामिल हैं । शेष में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं (२) शिल्पी ( इज्जनीयर ), किला बनाने वाले, शहर का खाका बनाने वाले, बाग बनाने वाले तथा सड़कें बनाने वाले आदि (३) मशीन बनाने वाले, तोपची, बड़ी २ तोपें और घन्दूकें बनाने वाले तथा हल्की मशीनें, बारूद, गोले, धारण, तलवार, धनुष, ऊदा, हथियार, औज़ार आदि बनाने वाले । (४) सुनार, जौहरी, रथ, और आभूषण बनाने वाले और बढ़ी । (५) नाई, धोबी और भंगी । (६) डाकिये, दर्जी, समन ले जाने वाले, युद्ध में बैट्ट बजाने वाले, खलासी, खानों में काम करने वाले, शिकारी, किरात और मुरम्मत करने वाले । (७) जुलाहे, खाराम, घर साफ करने वाले, सामान की सफाई करने वाले, गन्धी और कवच बनाने वाले । अनाज साफ करने वाले, तम्बू लगाने वाले । (८) गायक और घेश्यार्दि । इन सब को इन के कार्यों की महत्ता या लघुता के आधार पर इन्हें सरकार की ओर से नियुक्त करना चाहिये ।<sup>१</sup>

१. ये चार्ये साधकोंस्ते च तथा विन विरञ्जकाः ।

सुभृत्यास्ते यपि सन्धार्य नृपेणात्म हितय च ॥ १६३ ॥

वैतालिकाः सुकृत्यो वेच दश्छ धराष्य ये ।

शिल्पज्ञात्य कलावन्तो ये सदायुपकारिणः ॥ १६४ ॥

दुर्गुणा सूचका भाणा नर्तका बहुरूपिणः ।

आराम कृतिमधन कारिणो दुर्ग कारिणः ॥ १६५ ॥

महानालिक यन्त्रस्थ गोर्ही लक्ष्य विभेदिनः ।

लघुयन्त्रानेय दूर्ण साण गोलात्वि कारणः ॥ १६६ ॥

अनेक यन्त्र शाखाक्ष धनु-नूणादि कारिकाः ।

स्वर्णत्राद्यालङ्कार घटका रथकारिणः ॥ १६७ ॥

पाषाण घटका सोह कारा धातु विलोपकाः ।

कुम्भकाराः शौलिकाश्च तचायो मार्गकारकाः ॥ १६८ ॥

मार्पिता रजकाश्चैव वासिका मलहारिकाः ।

वार्ताहराः सौचिकाश्च राजचिन्हाग्र धारिणः ॥ १६९ ॥

मेरी पठह गोपुच्छ शङ्कु देशवादि निस्त्वनैः ।

ये व्यूह रक्तका यानव्यपयनादि बोधकाः ॥ २०० ॥

**कला**—राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में विद्या और कला दोनों की उन्नति के लिये यत्त करे। विद्या किसी सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान को कहते हैं और कला से अभिप्राय शिल्प का है। आचार्य शुक ने ६४ कलाओं का वर्णन किया है। इन में निम्न लिखित २३ कलाओं का सीधा उद्गम वेदों को माना गया है।

इन २३ में से ७ कलाएँ मनोरक्षण के लिये हैं—नाचना, घायवन्त्र बजाना, वस्त्र और आभूषणों से शरीर की सजाना, अनेक हाव-भाव कर सकना, मालाएँ गूंथना और लोगों को प्रसन्न कर सकना।<sup>१</sup> १० कलाओं का सम्बन्ध चिकित्सा और आयुर्वेद से हैं फूलों में से आसव, निकालना आदि, चिकित्सा के लिये चीरा-फाड़ी (operations) करना, दवाइयों का पाक, आयुर्वेदोक्त दवाइयों को बोना, धातु पत्थर आदि की जला कर उन की भस्में बनाना खाँड़ और गुड़ द्वारा ही सब बीमारियों का इलाज करना, धातुओं और धौषधियों का गुणज्ञान, मिली हुई धातुओं को शुद्ध करना, एक धातु को देख कर उसकी पूरी रचना को पहिचानना, भिन्न २ क्षार बनाना।<sup>२</sup> ५ कलाओं

नविका खनका व्याधः किरात भारिका अपि ।

शख सम्मार्जन करा जल धान्य प्रवाहिकाः ॥ २०१ ॥

आपणिकाश् गणिका धायजाया प्रजीविनः ।

तनुवरयाः शाकुनिकाश्चित्रकाराश्च चर्मकाः ॥ २०२ ॥

गृहसम्मार्जकाः पात्र धान्य वस्त्र प्रमार्जकाः ।

घायावितानस्तरण कारकाः शासकाश्चिपि ॥ २०३ ॥

हीनाश्च कर्मणश्चैते योज्याः कार्यानुरूपतः ॥ २०४ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

१. हाव भावादि संयुक्तं ननेत् तु कला स्मृता ।

अनेक धाय करणे ज्ञानं तद्वादने कला ॥ ६७ ॥

वस्त्रालङ्कार सन्धानं छीं पुसोद्ध कला स्मृता ।

अनेक रूपाविभावाकृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ६८ ॥

श्यायास्तरण संयोग पुष्पादि ग्रथनं कला ॥

घृताद्यनेक क्रीडाभिः रजनं तु कला स्मृता ॥ ६९ ॥

अनेकासन सन्धानैः रतेज्ञानं कला स्मृता ।

कला सप्तक मेतद्विग्नान्वर्त्ते समुदाहतम् ॥ ७० ॥ ( शुक्र० ४ ॥५ ॥ )

२. मकरन्दास धादीनां मद्यादीनः कृतिः कला ।

शश्य गूढाहृतौ ज्ञानं गिरावद्य व्यधेकला ॥ ७१ ॥

हिण्डादि रस संयोगादस्त्रादि पत्तनं कला ।

वृक्षादि प्रसवारोप पालनादि कृतिः कला ॥ ७२ ॥

पाषाण धात्वादिदृतिसंद्रुस्मी करणं कला ।

यथदिनुविकारणं कृति ज्ञानं कला स्मृता ॥ ७३ ॥

धार्मौषधीनां संयोग क्रियादानं कला स्मृता ।

का सम्बन्ध सैनिक कार्यों से है—हथियारों को एक साथ उठाना और इकट्ठा छोड़ना, कदम मिलाते हुए चलना, महु युद्ध, बाहु युद्ध, विशुल द्वारा संकेत करने का अभ्यास, व्यूह बनाना, हाथी सवारों और घुड़ सवारों का एक पंक्ती में तरोंके से युद्ध करना ।' तन्त्रों के अनुसार भिन्न २ आसनों पर खित होकर तप करना भी कला है । परन्तु ये छहों कलाएं कला होने हुए भी शिल्प के कार्य नहीं हैं ।

इनके अतिरिक्त अन्य कलाएं ये हैं—मिट्टी, पत्थर या धातु के बर्तन बनाना, इन पर रोगन करना, चित्र आदि बनाना, तालाब, नहर और चौक आदि बनाना, बड़ी और छोटी धड़ियाँ तथा बाजे बनाना, कपड़ों को हल्का, मध्यम या गाढ़े रंग से रंगना, पानी वायु या आग की शक्ति से कार्य लेना, नौका और रथ आदि बनाना, धागा और रस्सियाँ बैटना, भिन्न २ प्रकार से बुनना, मोतियों की पहिचान करना और उन में छेद करना, सोना तथा अन्य धातुओं की परीक्षा करना, नकली सोना और नकली मोती बनाना, भिन्न २ धातुओं से आभूषण बनाना, चमड़े को नरम करना, पशुओं की खाल को उनके शरीर से छुदा करना, दूध दोहना, कपड़े सीना, तैरना, घर के बर्तन और सामान आदि साफ करना, कपड़े धोना, नाई का काम, तेल निकालना, खेतों करना और बाग लगाना, दूसरों को खुश करना, बांस आदि से टोकरे बुनना, शीषे के बर्तन बनाना, पानी के नलके लगाना, लोहे के औज़ार बनाना, धोड़े हाथी और ऊठों के हौदे बनाना, बच्चों को पालना, उन्हें खुश रखना, अपराधियों को चाबुक लगाना, बहुतसी भिन्न २ लिपियोंमें लिख सकना, और पान लगाना ।<sup>३</sup>

ये सब कुल मिला कर ६४ कलाएं हैं । इन में से अधिकांश शिल्प हैं और कुछ पेश हैं ।

धातु संकर्य पार्श्वक्य करणन्तु कला स्मृता ॥ ७५ ॥

संयोगापूर्व विज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता ।

ज्ञार निष्काशन ज्ञानं कलासंज्ञन्तु तत् स्मृतम् ।

कला दशक मेतद्वि द्व्यायुर्वेदागमेषु च ॥ ७५ ॥

१. यस्त्र संधान विच्चेषः पादादि न्यासतः कला ।

सन्ध्याधाताकृष्टि भेदैर्मस्त्वयुद्धं कला स्मृता ॥ ७६ ॥

कालाभिसंक्षिते देशे यन्त्राद्यस्त्रनिपातनम् ।

वायु संकेतो व्यूह रचनादि कला स्मृता ॥ ७० ॥

गजाश्व रथ गत्या तु युद्ध संयोजनं कला ।

कला पञ्जकमेताद्वि धनुर्वेदागमे स्थितम् ॥ ८१ ॥

२. मृत्तिका काष पाषाण धातु भास्त्रादि सत्क्रिया ।

पृथक् काला चतुर्ष्कं तु चित्राद्यालेखनं कला ।

**व्यवसायों में स्वतन्त्रता** — उपर्युक्त आठ पेशों और ६४ कलाओं में पढ़ाने से लेकर चमार तक के सब कार्य अन्तर्गत हो जाते हैं। परन्तु इन कार्यों के लिए आचार्य शुक्र ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी है कि असुक वर्ण का व्यक्ति ही असुक कार्य करे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये अधिक अनुकूल सिद्ध हो वह वही कार्य करे। उदाहरणार्थ राजकर्मचारी बनने का कार्य उन लोगों को करना चाहिये जो दिमागों शक्ति में उत्तम हों, शासन करना जानते हों। इस प्रकरण

तड़ाग वापी प्रासाद समझूमि क्रिया कला ।  
 घटयादानेक यन्त्रायां वायानान्तु कृतिः कला ॥ ८४ ॥  
 हीन मध्यादि संयोग वर्णार्थै रज्जनं कला ।  
 जल वाय्यग्नि संयोग निरोधैश्च क्रिया कला ॥ ८५ ॥  
 नौका रथादि यानानं कृतिज्ञानं कला स्मृता ।  
 सूखादि रज्जु करण विज्ञान्तु कला स्मृता ॥ ८६ ॥  
 अनेक तन्तुं संयोगैः पठ वन्ध्यः कला स्मृता ।  
 वेधादि सदसज्जानं रत्नानाञ्चु कला स्मृता ॥ ८७ ॥  
 स्वर्णादीनान्तु याथात्म्य विज्ञानञ्चु कला स्मृता ।  
 कृत्रिम स्वर्ण रत्नादि क्रिया ज्ञानं कला स्मृता ॥ ८८ ॥  
 स्वर्णाद्यालङ्कार कृतिः कलालेपादि सत्कृतिः ।  
 मादवादि क्रियाज्ञानं चर्मणान्तु कला स्मृता ॥ ८९ ॥  
 पशु चर्माङ्गु निर्हीं क्रियाज्ञानं कला स्मृता ।  
 दुग्ध दोहादि विज्ञानं चृतान्तान्तु कला स्मृता ॥ ९० ॥  
 सीवने कञ्जुकादीना विज्ञानान्तु कलात्मकस् ।  
 ब्राह्मादिभिश्च तरणं कला संज्ञं जले स्मृतम् ॥ ९१ ॥  
 मार्जने गृह भास्त्रादैर्विज्ञानान्तु कला स्मृता ।  
 वस्त्र सम्मार्जनश्चैव चुरकर्म कलेत्युभे ॥ ९२ ॥  
 तिलमांसादि स्नेहानां कला निष्कासने कृतिः ।  
 सीराद्याकर्षणे ज्ञानं वृक्षाद्यारोपणे कला ॥ ९३ ॥  
 मनोकूल सेवायाः कृतिः ज्ञानं कला स्मृता ।  
 वेणुपत्रादि पात्राणां कृति ज्ञानं कलास्मृता ॥ ९४ ॥  
 काच पात्रादि करण विज्ञानान्तु कला स्मृता ।  
 संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ ९५ ॥  
 लोहाभिसार शस्त्रावृक्ष कृति ज्ञानं कला स्मृता ।  
 गजाश्व वृषभोष्ट्राणां पश्याणादि क्रिया कला ॥ ९६ ॥  
 शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कला ।  
 सुयुक्त ताड़न ज्ञानमपराधिजने कला ॥ ९७ ॥  
 नाना देशादि वर्णानां सुसम्यग् लेखने कला ।  
 ताम्बूल रक्षादि कृति विज्ञानान्तु कला स्मृता ॥ ९८ ॥

( शुक्र० अ० ४ iii )

से यह भी नहीं प्रतीत होता कि किसी पेशे में खास लोगों को ही शामिल होने की व्यवस्था हो; अन्य लोग इच्छा करने पर भी उस में शामिल नहो सकें। अर्थात् उस किसी की श्रेणी प्रथा ( Gild system ) का अभास, जिसे कि पाञ्चाल्य अर्थ शाल्वन मध्ययुग का मानते हैं, इस प्रकरण में नहीं पाया जाता ।

**संघों द्वारा उत्पत्ति—** शुक्रनीति में सपष्ट रूप से संगठित व्यवसायों की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह की ज्वाइएट स्टौक कम्पनियों का वर्णन, जिन का मूल धन जमा करने के लिए हिस्से बेचे जाते हैं, दूसरे अध्याय में है। इन के लेख को “सामयिक पत्र” कहा जाता था— “हिस्से-दार लोग व्यापार या व्यवसाय चलाने के लिये अपने २ हिस्सों का धन दे कर उस के लिये जो लेख पत्र लिखते हैं उन्हें सामयिक पत्र कहा जाता है।”<sup>१</sup> इस प्रकार का सम्मिलित उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिये ही नहीं होता था, अन्य पेशों के लोग भी संघ बना कर अपना कार्य करते थे— “यह सम्मिलित उद्योग की प्रथा केवल व्यापारियों के लिये ही नहीं है, किसान लोग भी ऐसा ही किया करते हैं।”<sup>२</sup> “जो लोग सोना, अनाज, रस आदि बेचने के कार्य सम्मिलित उद्योग द्वारा करते हैं, उन्हें अपने अपने हिस्सों के अनुसार लाभ हुए हुए धन को बाँट लेना चाहिये।”<sup>३</sup> इसी तरह— “जो सुनारे संघ बना कर व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने कार्य के अनुसार लाभ का विभाग करना चाहिये।”<sup>४</sup>

ब्रह्मकर संघों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। “उन लोगों के मुखिया को, जो लोग कि मिल कर महल, मन्दिर या तालाब बनवाएँ, शेष सब से दुगना, लाभ मिलना चाहिये।”<sup>५</sup> इस मुखिया का अभिगाय कार्य का संचालन तथा संगठन करने वाले से है। यही नहीं, नाचने और गाने वालों के संघ भी हुआ करता थे। इन संघों पर भी वही नियम लागू होते थे जो

१. मेलित्वा स्वधनांशंकृ व्यवहाराय साधका: ।

कुर्वन्ति लेखपत्रं यस्तत्त्वं सामयिकं स्मृतम् ॥ ३१३ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. विष्णानां कर्त्याणामेष एव विभिः स्मृतेः ॥ ३१५ ॥

३. प्रयोगं कुर्वते ये तु हेम धात्य रसादिना ।

सम न्यूनधिकैरशैलभस्तेषां तथाविधिः ॥ ३१६ ॥

४. हेम कारादयो यत्र शिर्षं सम्भूय कुर्वते ।

कार्यनुस्तुपं निर्वेशं लभेरस्ते यथार्हतः ॥ ३०७ ॥ ( शुक्र० अ० ४. v. )

५. हर्म्यं देवगृहं वापि वापिकोयस्तराणि च ।

सम्भूय कुर्वतां तेषां प्रमुखो द्वयंशमहति ॥ ३०८ ॥

कि अन्य आवस्यक संघों पर होते थे ।<sup>१</sup> इन संघों का आधार भूत सिद्धान्त यह था— “जो हिस्सेदार प्रत्येक हिस्से ( share ) की संघ द्वारा पहले से निश्चित ब्राह्मण, कम या अधिक मात्रा को नियत समय पर दे दें और संघ द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य भी कर दें उनको अपने २ हिस्से के अनुपात से आय का भाग मिलेगा ।”<sup>२</sup>

**श्रेणियाँ और उनके अधिकार—** उपर्युक्त संघ केवल आर्थिक उद्देश्य से ही बने होते हैं, इन के सदस्यों में परस्पर केवल आर्थिक संबन्ध “ही होता है, अन्य वैयक्तिक मामलों में उनका संघ कोई दखल नहीं देता । परन्तु यही पेशेवार संघ अगर और अधिक संगठित होजाय, अर्थात् संघके सदस्यों का परस्पर सामाजिक संगठन भी ही जाय, तब इन्हें ‘श्रेणी’ कहा जायगा । उपर्युक्त सभी पेशे वालों के संघ श्रेणी रूप में परिवर्तित हो सकते हैं । एक श्रेणी के सदस्य, एक पेशे के व्यक्ति और एक पेशे वाले कई संघ दोनों ही ही सकते हैं । इन श्रेणियों के लिये हम “गिल्ड” शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं । यूरोप के मध्यकालीन gilds से इन श्रेणियों की रचना की तुलना भी की जा सकती है ।”<sup>३</sup>

तत्कालीन नियमों में इन श्रेणियों की सत्ता सरकार स्वीकार करती थी— “इन श्रेणी, पूर्ण और गर्णों के सम्बन्ध में अगर कोई विवाद उठ जाए हो तो उस का निर्णय गवाहों, लिखित प्रमाणपत्रों तथा प्रचलित अधिकार से करना चाहिये । अगर कोई व्यक्ति श्रेणी आदि से छेष करता हो तो उसकी गवाही, उन के विरुद्ध मामलों में, नहीं सुननी चाहिये क्योंकि वह व्यक्ति द्वेशवश सत्य नहीं कहेगा ।”<sup>४</sup>

इन श्रेणियों का संगठन केवल आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य से ही नहीं होता था, इनको सरकार की ओर से कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे । सरकार इनके उपनियमों को स्वीकार करती थी, आवश्यकता पड़ने पर एवं उनकी प्रामाणिता का सम्मान करती थी । ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों को,

१. नर्तकानामैव धर्मः सद्विरेश उदाहृतः ।

तालज्ञो लभतेर्यद्दु गायकास्तु रमांशिनः ॥ ३१० ॥

२. समो न्यूनोऽधिको द्व्यंशो योऽनुक्तिप्रस्तवैव सः ।

व्ययं दद्यात् कर्म कुर्यात् लाभं गृहीत चैव हि ॥ ३१४ ॥

३. स्थावरेतु विवरदेतु पूर्ण श्रेणिगणादितु ।

.....साक्षिभिर्लिखिते नाथ भुक्तवा चैतात् प्रसाधयेत् ॥ २६५-६६ ॥

श्रेणियादितु च वर्गेतु कष्ठिच्चेत्यतामियात् ।

तस्य तैभ्यो न साहस्रं स्थाद्वैष्टाः सर्वं एव ते ॥ १३३ ॥

( शुल्क अ० ४. v. )

अपराध करने वार, थोड़ा बहुत दखल भी दे सकती थीं। इस प्रकार इनकी सक्ता साम्राज्यान्तर्गत सामाजिकों के समान प्रतीत होती है।

इन श्रेणियों को दो राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ( १ ) अपने लिये उपनियम बताना। ( २ ) अपने झगड़ों का स्वयं निर्णय करना— “न्यायाधीश को चाहिये कि वह न्याय करते हुए जाति, श्रेणी, तारां संघ आदि के उपनियमों को भी अवश्य ध्यान में रखें।”<sup>१</sup> “किसान, बढ़ई, कारीगर, महाजन, गायक, तपस्त्री और तस्तरों की श्रेणियों को स्वयं अपने विवादों का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये।”<sup>२</sup> “वे कुछ, श्रेणी और गण जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, अपने सदस्यों के खूत और डाके आदि गुरुतर अपराधों को छोड़ कर अन्य मामलों का निर्णय स्वयं कर सकते हैं।”<sup>३</sup> कुलों का निर्णय सब से छोटी अदालत का निर्णय समझा जाता था, इस के बाद क्रमशः श्रेणी, गण और सरकारी न्यायालयों में अपील की जासकती थी।<sup>४</sup>

कुल का अभिप्राय विरादही से है। गण और पूरा पक ही संस्था के पर्याप्तवाची हैं। हमारी सम्मति में गण ‘शहर के संघ’ ( Municipality ) को कहा जाता होगा। ये नगर संघ नागरिक झगड़ों का स्वयं निर्णय करते थे। इन के अधिकारों का क्षेत्र नगर की सीमा तक सीमित होगा।

**आदामन के मार्ग**— शुक्रनीति में सड़कों आदि का जो वर्णन है उस से प्रतीत होता है कि उस समय मार्गों की महता से सरकार अपरिचित नहीं थी। सड़कों का परिमाण उन के उपयोग और उन की राजनीतिक महत्ता के अनुसार रक्खा जाता था। राष्ट्र भर के प्रत्येक गांव और शहर को सड़कों द्वारा मिलाया हुआ था। इन सड़कों की रक्षा खूब अच्छी प्रकार की जाती थी। मार्गों पर डाका डालने वालों के लिए फांसी के दरड का विधान है—“सरकार का कर्तव्य है कि यात्रियों के आराम के लिये सड़कों को रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करे। जो रास्तों पर डाका डालें उन का वध कर देना चाहिये।”<sup>५</sup>

१. जानिजानयदाश्च धर्मात् श्रेणिधर्मास्तज्ज्ञय च ।

समीक्ष्य कुल धर्मात् स्वधर्म प्रतिपालयेत् ॥ ४७ ॥

२. कीनाशः काहकाः शिल्प कुतीदि श्रेणिनर्तका ।

शिल्पनस्तस्करा कुरुः स्वेन धर्मेण निर्णयम् ॥ १८ ॥

३. राजा ये विदिता सम्यक कुल श्रेणि गणादबः ।

साहसस्त्येव वज्यानि कुरुः कार्यणि ते नृणाम् ॥ ३० ॥

४. विचार्य श्रेणिभिः कार्यं गणेयन्न विचारितम् ।

गणेषु श्रेणविचारातं गणाज्ञातं तियुक्तकैः ॥ ३१ ॥ ( शुक्र ४० ४ ४ ॥ )

५. मार्गं संरक्षणं कुर्यात् नयः यान्य सुखाय च ।

पान्थं प्रयीडिका मे ये हन्तव्यामने प्रथतः ॥ ३१५ ॥

इन सङ्कों की प्रति वर्ष मुरम्मत कराई जाती थी— “सरकार को चाहिये कि वह सङ्कों पर प्रति वर्ष पत्थर कुटवा कर उनकी मुरम्मत करवाया करे। यह कार्य चोरों और कैदियों से करवाना चाहिये।”<sup>१</sup> चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रकरण में भी कैदियों के लिये यही दण्ड कहा है।<sup>२</sup>

सङ्कों की मुरम्मत के लिये जो व्यय होता था, वह उन पर चलने वालों पर इसी उद्देश्य से कर लगा कर पूरा किया जाता था।<sup>३</sup>

सङ्कों चौड़ाई के अनुसार भिन्न २ प्रकार की होती थी। इन के उद्देश्य भी भिन्न २ होते थे। “पद्य पगदण्डी को कहते हैं, यह ४२ फीट चौड़ी होती है। बीधी गाँव की गलियों को कहते हैं, यह ७५ फीट होती है। मार्ग साधारण रास्तों को कहते हैं, ये १५ फीट चौड़े होते हैं। ये तीनों मार्ग प्रत्येक गाँव में यथेष्ट होने चाहिये जिस से कि उसका सम्बन्ध राजधानी से से हो सके।”<sup>४</sup> “इन के अतिरिक्त राज मार्ग—जो कि एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं— २५ फीट से ४५ फीट तक चौड़े होने चाहिये। राज-मार्गों का उद्देश्य सामान को इधर उधर ले जाना है, जहाँ आवश्यकता हो, चाहे शहर में और चाहे गाँव में, राज-मार्ग बनाने चाहिये। इन सब मार्गों का सम्बन्ध राजधानी से होना चाहिये।”<sup>५</sup>

“बीची ओर पद्य ये दोनों गाँवों में ही होनी चाहिये, बड़े शहरों और राजधानी में नहीं।”<sup>६</sup> “इन सङ्कों पर सरायें भी बहुतायत से होने चाहिये।

१. मार्गाद्वि दुधा शर्करैर्वा घटिताद् प्रतिवत्सरम् ।

अभियुक्त निरुद्धैर्वा कुर्यात् ग्राम्यं जनैन्यः ॥ २६८ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

२. मार्ग संस्करणे योन्या ॥ १०८ ॥

निगड़ैवन्ययित्का तं योजयेन्मार्गं संस्कृतौ ॥ १५ ॥ ( शुक्र० अ० ४ i. )

३. मार्ग संस्कार रक्षाय मार्गोन्म्यो हरते फलम् ॥ १५८ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ii. )

४. कर चयात्मिका पद्या धीयिः पञ्चकरात्मिका ।

मार्गो दश करः प्रोक्तो धामेतु नगरेतु च ॥ २६२ ॥

प्राक् पश्चाद्विणोदकृ तात् ग्राममध्यात् प्रकल्पयेत् ।

पुरं द्वावा राजमार्गाद्वि सुबहूम्नल्पयेन्मृपः ॥ २६३ ॥

५. राजमार्गस्तु जतायाद्विद्वितु नृपणहात् ।

उत्तमो राजमार्गस्तु त्रिशद्वस्त्रमितो भवेत् ॥ २६० ॥

मध्यमो विंशति करो दशपञ्चकोधमः ।

परममार्गस्तथा चैते पुरायामादितु स्थिताः ॥ २६१ ॥

६. न धीयि न च पद्यां हि राजधान्यां प्रकल्पयेत् ॥ २६४ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

ये सहायें पानी के निकट और सुरक्षित स्थान पर हों, इन के कमरे एक बराबर और एक पंक्ती में हों।<sup>१</sup>

**सड़कों की बनावट**— सड़कें खूब साफ रखी जाती थीं। इन्हें बीच में से कुछ ऊँचा और दोनों ओर को ढलवाँ बनाया जाता था ताकि इन पर पानी खड़ा न हो सके। जहाँ नाले आदि आने थे वहाँ पुल बनाये जाते थे। सड़कों के दोनों ओर नालियाँ होती थीं, ताकि उनके द्वारा सारा पानी निकल जाय। शहरों में सड़कों के पास जो मकान होते थे उन का मंह सदैव सड़क की ओर ही होता था। और घरों के पिछवाड़े की ओर गलियाँ और गन्द निकलने की नालियाँ होती थीं।<sup>२</sup>

इस प्रकार शुक नीति द्वारा सड़कों का बहुत उश्त्र वर्णन प्राप्त होता है।

**मारण्डियाँ**— प्रत्येक शहर में सामान बेचने के लिये बाज़ार और मारण्डियाँ होती थीं। इनका विभाग क्रम से किया जाता था— “मारण्डियों में दूकानें और गाँधाम अलग २ सामान के क्रम से बनाने चाहिये। सड़कों की दोनों तरफ से धन के क्रम से समान पेश वाले लोगों को बसाना चाहिये। यह प्रबन्ध शहर और गाँधाम दोनों में हों।”<sup>३</sup>

दूर से आए हुए व्यापारियों को ठहराने का भी यथोचित उत्तम प्रबन्ध किया जाता था, इस का वर्णन हम भौतिक सभ्यता के प्रकरण में करेंगे।

**पदार्थों का मूल्य तथा मुनाफा**— पिछले अध्याय में हम शुक-नीति सारकालीन धातुओं का आपेक्षक मूल्य बताता चुके हैं; परन्तु उस समय चाँदी या सोने की तुलनात्मक क्रय शक्ति क्या थी यह ठीक २ बता सकना बहुम कठिन है। तथापि शुकनीति के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं जिन के आधार पर हम वस्तर्भीं के तत्कालीन मूल्य

१. यन्यशाला ततः कार्या सुग्राम सुजलाशय।

सजातीय गृहाणां हि समुदायेन पंक्तिः ॥ २५७ ॥

२. कूर्म पृष्ठ मर्मा भूमिः कार्याः ग्राम्यैः सुसेतुका।

कुर्यान्मार्गश्च पार्श्व खाताञ्चिर्गमार्थं जलस्य च ॥ २६६ ॥

राजमार्ग मुखानि स्युः गृहाणि सक्तजान्यपि।

गृह पृष्ठे सदा वीर्यमल निर्हरणस्यलम् ॥ २६७ ॥

३. सजाति पश्य निवहैराप्णे पश्य वेशनम् ॥ २५८ ॥

धानिकादि क्रमेणैव राजमार्गस्य पार्श्वयोः।

स्त्रे हि पत्नन् कुर्यात् ग्रामञ्चूष्ट नराधिपः ॥ २५९ ॥ ( शुक्रो अ० १ )

को वर्तमान रूपयों की संख्या में जान सकते हैं। पदार्थों के मूल्य की वह तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये दाम साधारण तथा उत्तम पदार्थों के भिन्न २ हैं। निश्चलिखित पशुओं का अधिकतम मूल्य इस से अधिक नहीं होना चाहिये।<sup>१</sup> इसका अभिप्राय यही है इन पशुओं का मूल्य उस समय लगभग होना ही रहा करता होगा। यह स्वतंत्र रखना चाहिये कि उस समय सोना और चाँड़ी के अपेक्षित मूल्य का अनुपात एक और सौलह था।

### साधारण एश

नाम	मूल्य	आधुनिक रूपयों में
गाय	१ पल	५ रुपया
बकरी	३ "	४ "
मेड़	३ "	२ "
मैदा	१ "	६ "
हाथी	२५० से ५०० तक	२००० से ४००० तक
घोड़ा	" "	" "
ऊँ	७ या ८	५६ या ६४
भैस	"	"

१. सुशृङ्खवर्णा सुदुधा बहुदुर्घासु वहस्ता ।  
 तदृश्यरूपा वा महती दृश्यापिक्षाय गौर्भवेत् ॥ ९५ ॥
- पीतवत्सा प्रहुदुर्घास तद्वृत्त्यर्थं राजतं पलम् ।  
 अत्राप्य य रक्तं स्त न्देशा मूल्यमजार्धकम् ॥ ९६ ॥
- दृश्य सुदुशीलस्य पलं मेषस्य राजतम् ।  
 दश वाष्टौ पलं मूल्यं राजतं तृतमं गवाम् ॥ ९७ ॥
- पलं मेष्या अवेश्यापि राजतं दृल मुत्तमम् ।  
 गवां सर्वं सार्थातुर्यं महिष्या दृश्यमुत्तमम् ॥ ९८ ॥
- सुशृङ्खवर्ण वलिनो वोदुः शीघ्रमगमस्य च ।  
 अष्टताशयृष्ट्यैव मूल्यं शृष्टिपलं स्पृतम् ॥ ९९ ॥
- महिषस्योत्तमं मूल्यं वम वाष्टौ पलानि च ।  
 द्विनिरन्तःसहस्रं वा मूल्यं शैष्टं गजाष्वयोः ॥ १०० ॥
- उप्रस्य माहिषसमं सूक्ष्यमुत्तममीर्तिम् ॥ १०१ ॥
- योजनानां शतं गन्ता चैकेनाद्वाश्व उत्तमः ।  
 मूल्यं तस्य सुशरणानां शैष्टं पञ्च अतानि हि ॥ १०२ ॥
- त्रिंशत्योजनगन्ता वै उप्रं शैष्टस्तु तस्य वै ।  
 पलानां तु शतं मूल्यं राजतं परिकीर्तितम् ॥ १०३ ॥
- वलेनोच्चेन युद्धेन मदेनाप्रतिमो गजः ।  
 यस्तस्य मूल्यं निष्काणां द्विसहस्रं प्रकीर्तितम् ॥ १०४ ॥ ( शुक्र ४. ii. )

उसम पशु

नाम	मूल्य	आधुनिक रूपों में
गाय	८ से १० पल	६४ से ८० रुपया
बकरी	३ "	८ "
मैड	३ "	८ "
मेस	८ से १५ "	१५ से १३० "
बैल	६० "	४८० "
सर्वोत्तम घोड़ा	५०० सुवर्ण	८००० "
" ऊंट	१०० पल	८०० "
" हाथी	२००० निष्क	६६६६ "

इस तालिका द्वारा हम तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पदार्थों के मूल्य का अवलोकन बड़ी सुगमता से कर सकते हैं । यद्यपि इस तालिका द्वारा चाँदी की तत्कालीन क्रय शक्ति उसको वर्तमान क्रय शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रतीत होती है; तथापि वह मुगल कालीन भारत की अपेक्षा बहुत ही कम है । सद्ग्राद् अकबर के समय इन पशुओं का मूल्य इस तालिका में वर्णित मूल्य की अपेक्षा बहुत कम था । इस का अभिप्राय यही है कि भारतवर्ष व्यावसायिक उन्नति की दृष्टि से शुक्रनीति के समय में मुगलकाल की अपेक्षा अधिक उन्नत था ।

दूसी प्रकार व्यापारियों के लाभ को भी नियन्त्रित करने का यज्ञ किया जाता था । “व्यापारियों को व्यवसाय में अपने व्यय का ३२ से लेकर ५२ तक (अर्थात् ३२ से ६२ प्रतिशत तक) लाभ लेना चाहिये । यह लाभ खानीय अवश्याओं और लागत के दामों के अनुसार ही निश्चित होना चाहिये ।”<sup>१</sup> खानीय अवश्याओं का अभिप्राय आवागमन के व्यय, मरडी की भूमि का किराया और राजकर आदि से है । प्रतोत होता है कि शुक्रनीति में वर्णित पूर्वोक्त वस्तुओं के दाम यही लाभ मान कर निश्चित किए गए हैं ।

**मूल्य और दाम—** “एक चीज़ के बनने में या प्राप्ति में उस पर जितना व्यय हुआ है वह उसका मूल्य है । एक वस्तु का दाम मुख्यतया उसकी प्राप्ति में कष्ट तथा उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निश्चित होता है ।”<sup>२</sup>

१. द्वार्चिशांशं चोड्यांशं लाभं परये नियोजयेत् ।

नाव्यथा तद्वृद्ययं वात्वा प्रदेशाद्यनुरूपतः ॥ ३२० ॥ ( शुक्र० अ० ४. v. )

२. येन अययेन संविद्वस्तद् व्ययस्तस्य मूल्यकम् ॥ ३५६ ॥

सुलभासुलभत्वाद्वायुणत्वं गुणसंब्रयैः ।

पशा क्षामात् पदर्थानामर्हं हीनाधिकं भवेत् ॥ ३५७ ॥ ( शुक्र० अ० ५. )

इस का अभिप्राय यही है कि वस्तुओं के दाम उन पर हुए व्यय तथा उन की उपयोगिता के आधार पर बदलते रहते हैं परन्तु सिक्कों तथा विनिमय मध्यम खानिजों—यथा हीरा—आदि के दामों में परिवर्तन नहीं आने देना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार अन्य पदार्थों के दामों में प्रतिदिन परिवर्तन आता रहता है, उस प्रकार सोना और चाँदी के सिक्कों के मूल्य में नहीं आना चाहिये । विशेषकर धातुओं का मूल्य गिरना तो व्यापार के लिये विशेष हानिकर है—“धातुओं और खनिजों के मूल्य में हीनता नहीं आनी चाहिये । इन की मूल्य-हानि सरकार के दोष से ही होती है ।”<sup>१</sup>

मूल्य और दामों के सम्बन्ध में शुक्रनीति की यह उपर्युक्त व्यापता वर्तमान अर्थशाखों सिद्धान्तों के अनुसार भी पूर्ण और तथ्य है । इस प्रकारण में हम शुक्रनीति में वर्णित उपयोगिता पर आश्रित मूल्य के सिद्धान्त की ओर भी अपने पाटकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार मुख्यतया किसी वस्तु की उपयोगिता द्वारा ही उसका दाम निश्चित होता है—“किसी गुणहीन वस्तु का कोई दाम नहीं होता ।”<sup>२</sup> “किसी वस्तु के कम, अधिक या मध्यम दाम उस की उपयोगिता के आश्रित पर ही निश्चित होते हैं । उसकी यह उपयोगता बुद्धिमानों द्वारा ही निश्चित की जाती है ।”<sup>३</sup> “जो वस्तुएँ बहुत अधिक उपयोगी और अत्यन्त दुलभ हैं उनके दाम उनकी माँग के अनुसार निश्चित होते हैं ।”<sup>४</sup>

**कृषि—** भारत वर्ष की भूमि बहुत उपजाऊ होने से यह देश बहुत आचीन काल से कृषिप्रधान देश माना जाता है । यहां कृषि को सदैव आदर की दृष्टि से देखा जाता रहा है । आचार्य शुक्र ने व्यापार व्ययसाय की अपेक्षा कृषि को अधिक अपेक्षित दी है ।<sup>५</sup> धन कमाने का यह सर्वोत्तम उपाय है, प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने के लिए कृषि, व्यापार या नौकरी का आश्रय लेना चाहिये ।<sup>६</sup>

१. न हीनं मणिधातुनां क्वचिङ् मूल्यं प्रकल्पयेत् ।

मूल्य हानिस्तु चैतेषां राज दौष्टेचन जायते ॥ ३४८ ॥ ( शुक्र० अ० २. )

२. न सूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारात् मस्य च ।

३. नीच मध्योत्तमत्वन्तु सर्वस्त्वं शूल्यं कल्पने ।

चिन्तनीयं बुद्धैर्लोकाद् वस्तु ज्ञातस्य सर्वदा ॥ १०७ ॥

४. अत्यन्त रमणीयानां दुर्लभानां च कामतः ॥ ८३ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ii. )

५. कृषिस्तु चोत्तमावृतिर्या सरिन्मातृका मता ॥ २७२ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

६. कौसीद बृद्धया परयेन कलाभिष्ठ प्रतिग्रहैः ।

यया कृषा चापि बृद्ध्या धनवाहस्यान्तश्चरेत् ॥ १८१ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

सरकार को चाहिये कि वह राष्ट्र के व्यवसाय तथा कृषि दोनों की वृद्धि के लिए शिलिंगों तथा कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता दे, उन्हें इन कार्यों में अपनी ओर से नियुक्त करे।<sup>१</sup> कृषकों और जमींदारों के संघों का वर्णन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, इन संघों को यथेष्ट अधिकार प्राप्त थे।<sup>२</sup> उन दिनों जिस प्रकार व्यवसाय में समिलित उद्योग किया जाता था, उसी प्रकार कृषि में भी करने की प्रथा थी, इस के लिये उचाइन्ट स्टौक कंपनियाँ बना करती थीं। उन दिनों भारतवर्ष के ग्रामों और नगरों में खानीय स्वराज्य प्रथा प्रचलित थी। इन ग्राम संघों में प्रायः कृषकों की अधिकता रहती थी, इस कारण कृषिकार्य खूब। सम्मान पूर्ण कार्य समझा जाता था। कृषि में लिंगों भी अपने पतियों की सहायता करती थीं।<sup>३</sup>


सरकार कृषकों से भूमिकर लेती थी। भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार इस कर की दर भिन्न २ होती थी। आचार्य शुक्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को भूमिकर उसी अवस्था में लेना चाहिये जब कि कृषकों को कृषि से पर्याप्त लाभ हो रहा हो। भूमिकर के रेट हम सातवें अध्याय में दे चुके हैं, ये रेट बहुत अधिक नहीं हैं, इस कारण हम सुगमता से अनुमान कर सकते हैं कि उस समय के कृषक बहुत आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते होंगे।

१. कारु शिलिंग गणन राष्ट्रे रचेत् कार्यानुमानतः ।

अधिकारू कृषि कूल्ये वा भूत्य वर्त्म नियोजयेत् ॥ ४७ ॥

२. शुक्र० अ० ४ vi. स्लोक १८

३. कृषि पर्यादि पुङ्कृत्ये भवेयुस्ता; प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ ( शुक्र० अ० ४ vi. )



## \* नौवां अध्याय \*

### भौतिक सम्यता और धर्म।

यद्यपि धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से शुकनीतिसार काल को 'आदर्श काल' कहने का साहस नहीं किया जा सकता, तथापि हम यह स्थापना बड़ी दृढ़ता से कर सकते हैं कि शुकनीति के आधार पर ज्ञात होने वाली भारतवर्ष की पुरानी भौतिक सम्यता वर्तमान वृद्धिशक्तिकाल के भारतवर्ष की भौतिक अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तम है। इस अध्याय में हम शुकनीति के आधार पर फुटकर प्रमाण देकर अपनी यह स्थापना पुष्ट करने का यत्न करेंगे।

**जंगलात—** आचार्य शुक जंगलों की महत्त्व से भली प्रकार परिचित थे; उन्होंने राष्ट्र के अन्य विभागों में जंगलात को भी एक पृथक् विभाग स्वीकार किया है, इस विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था। अमात्य जंगलों से सबन्ध रखने वाले सब अंक अपने पास रखता करता था।<sup>१</sup> इन सरकारी बन्द जंगलों द्वारा भी सरकार को अच्छी आय हुआ करती थी।

आचार्य शुक ने जंगलों के चार मुख्य उपयोग बताए हैं— १. मनुष्य जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जा सकता है, इन में तृतीय आश्रम 'वानप्रश्ठ' जंगलों में ही व्यतीत करना चाहिये।<sup>२</sup> २. राजा के शिकार के लिये कुछ जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिये। शिकार करते हुए राजा को भयंकर पशुओं का ही वध करना चाहिये।<sup>३</sup> ३. जंगल सैनिक कार्यों के लिये बहुत उपयोगी हैं। जंगलों द्वारा यह कार्य दो प्रकार से किया जाता है, बनदुर्ग बना कर और वन्य सेना का प्रबन्ध करके। बन दुर्ग को शुकनीति

१. पुराण च कति ग्रामा अरथानि च सन्ति हि ॥ १०२ ॥ ( शुक्र० अ० २ )

२. ( शुक्र० अ० ४. ii. १ से ३. )

३. व्याप्रादिभिर्वनचरैः समुरादैश्च परिभिः ।

क्रीझेत् मृगयां कुर्यात् दुष्ट सत्वान्निपातयश् ॥ ३३ ॥ ( शुक्र० अ० ५. )

में सर्व श्रेष्ठ किलों में गिना गया है । , वह से रहने वाली सेना को 'किरात' नाम से कहा गया है । प्राचीन युद्धों में शत्रुघ्न के जंगलों में आग लगा कर उन्हें तड़करने का बल किया जाता था । "किरात सेना" ऐसे समयों में जंगलों की रक्षा करती थी । २४. जंगलों का वौथा उपयोग राष्ट्रीय आय में है । जंगलों से शहरीर, जलाने की लकड़ी, घास, बाँस आदि की प्राप्ति होती है । सरकार हन सब वस्तुओं के टेके दिया करती थी । इन टेकेदारों को जो आय होती थी, उस पर भिन्न २ अनुपात से आय कर लगता था । इस आय कर का अनुपात हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में लिख चुके हैं ।

इन जंगलों में आवश्यकतानुसार भिन्न २ किसों के वृक्ष, पौदे और भाड़ियाँ बोई जाया करती थीं । यह कार्य करने के लिये सरकार नियुण व्यक्तियों को नियुक्त करती थी । जंगलों में कांटेदार वृक्ष बोए जाते थे और शहरों के निकट फलों के वृक्ष छाया के लिये लगाए जाते थे । <sup>३</sup> इसी प्रकरण में बीसों प्रकार के फलों के नाम भी गिनाए गए हैं ।

इस प्रकरण में यह बता देना भी आवश्यक होगा कि शुकाचार्य ने अपने ग्रन्थ में आयुर्वेदीय वनस्पतियों की उत्पत्ति की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है । उनका कहना है कि संसार में ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो किसी द्वाई के काम न आसके । ४ उन्होंने वनस्पतियों के जो आयुर्वेदीय प्रयोग बताए हैं उन्हें हम प्रकरणान्तर होने से यहाँ नहीं दे सकते ।

**तोल और परिमाण**—शुक्रनीति में एक रत्ती से लेकर एक टन तक के समान बाटों का वर्णन है । ये तोल नियम लिखित हैं—

१. महा कषटक वृक्षोदैः व्याप्तं तटनुर्गमम् ॥ ३ ॥ ( शुक्र ० अ० ४. vi. )

२. तृणाञ्च जल संभारा ने चान्ये शत्रुपोषकाः ।

सुभ्यङ् निरुद्ध ताष्ट यत्रात् परित्थिरमासनात् ॥ २८६ ॥

( शुक्र ० अ० ४. vii. )

३. शुक्रनीति अ० ४ vi. ४४ से ५०,

४. ग्रमन्त्रं शब्दरं नास्ति नास्ति मूलं ग्रनौषधम् ।

ग्रयोग्यः पुष्पो नास्ति योजकसत्र दुर्लभः ॥ १३८ ॥ ( शुक्र ० अ० २. )

५. गुच्छा माषसत्या कर्षः पदार्धः प्रस्थ एव हि ।

यथोन्नरा दश गुच्छाः पञ्च प्रस्थस्य चढ़काः ॥ ३८५ ॥

ततश्चाष्टाङ्कः प्रोक्तो श्वर्मणस्तेतु विश्वतिः ।

स्त्रातिका स्याद्विद्यते तद्देशे देशे प्रमाणकम् ॥ ३८६ ॥ ( शुक्र ० अ० २. )

परिमाण		बर्तमान पैमाने में			
	१ गुज़्ज	...	...	...	१ रस्ती
१० गुज़्ज	= १ माप	...	...	...	१० "
१० माप	= १ कर्प	...	...	१. तोला	४ "
१० कर्प	= १ पदार्थ	...	२ छटाक	—	४० "
१० पदार्थ	= १ प्रस्त्र	१ सेर ४ "	४ "	१६ "	
५ प्रस्त्र	= १ आढक	६, ८ "	—	२० "	
८ आढक	= १ अर्मण	१ मन १२ "	१ "	२ "	६४ "
२० अर्मण	= १ स्वरिका	२६ "	१, १२ "	३ "	७२ "

( लगभग १ टन )

एक चार अडुल चौड़े, चार अडुल लम्बे और पांच अडुल गहरे बर्तन में जितना पानी आता है उसे एक प्रस्त्र परिमाण कहते हैं।

आचार्य शुक ने दो नाप प्रमाणिक माने हैं एक प्रजापति का नाप और दूसरा मनुष्यका। ये दोनों नाप इस प्रकार हैं—

प्रजापति	मनु	पैमाना
(क) ८ यव	५ यव	१ अंगुल
२४ अंगुल	२४ अंगुल	१ हाथ
४ हाथ	५ हाथ	२ दण्ड
अतः ७६८ यव	६०० यव	१ दण्ड

१. पञ्चांड्युलावर्टं पावं चतुर्ड्युल विस्तृतम् ।

प्रस्त्रं पादं तु तज्ज्वरं य परिमाणे चदा बुधैः ॥ ३८७ ॥ ( शुक० अ० २ )

२. करैः पञ्च सहस्रैर्वै क्रोशः प्रोक्तः प्रजापतेः ।

हस्तैश्चतुर्द्वयैर्वा मनोः क्रोशस्य विस्तरः ॥ १९४ ॥

सार्व द्विकोटि हस्तैश्च वैत्रं क्रोशस्य ब्रह्मणः ।

यज्ञविशशतैः प्रोक्तं वेक्षत्वद्विनिवर्तनम् ॥ १९५ ॥

मध्यमामध्यम पर्व दैर्घ्यं यज्ञ तदड्युलम् ।

यवोदरैरभिस्तद्वै ध्यं स्यौल्यन्तु पञ्चभिः ॥ १९६ ॥

चतुर्विशत्यड्युलैस्तैः प्रजापत्यः करं स्मृतः ।

स शेषो भूमिसाने तु तदन्यास्त्वयमा मताः ॥ १९७ ॥

चतुः करात्मको दण्डो लघुः पञ्च करात्मकः ।

तदड्युलं पञ्च यवै मानवं मानमेव तत ॥ १९८ ॥

वसु षण्मुनि संख्याकैर्यवै दण्डः प्रजापतेः ।

यवोदरैः षट् शतैस्तु मानवो दण्ड उच्यते ॥ १९९ ॥

प्रजापति	मनु	पैमानम्
( ख ) ५००० हाथ	... ४००० हाथ	= १ कोश
अतः ५००० × ५०००	... ४००० × ४०००	
अथर्वा	अथोत्	
२५००० ००० वर्ग हाथ	... १६००० ००० वर्ग०	= १ वर्ग कोश
( ग ) २५०० परिवर्तन्	...	= १ वर्ग कोश
अतः १०००० वर्ग हाथ	...	= १ परिं क्षेत्र फल
अतः १०० हाथ	...	= परिं की एक मुजा।
( घ ) २५ दण्ड	२५ दण्ड	= १ निवर्तनं
अतः २५ × ७६८ यव {	२५ × ६०० यव {	= १ निवर्तनं
अथर्वा १६२०० } १५०० यव }	१५०० यव }	
अथवा २५ × ४ = १०० हाथ	२५ × ५ = १२५ हाथ	= १ निवर्तनं
इसी प्रकार २५ × ४ × २४अंगुल } २५ × ५ × २४अंगुल } = १ निवर्तन	= ३०० अंगुल }	
, " २५ × ४ × २४ × ८ } १६२०० यव } १५००० यव }		= १ निवर्तनं

पञ्चविश्विभिरदृष्टेभयोस्तु निवर्तनम् ।  
 विश्वास्तैरंगुलैर्यवैक्षि पञ्चवहस्तकैः ॥ २०० ॥  
 सपाद शत हस्तैश्च मानवन्तु निवर्तनम् ।  
 जन विश्विति साहस्रैर्द्विश्वतैश्च यवोदरैः ॥ २०१ ॥  
 चतुर्विश्व शतैरेव शंगुलैश्च निवर्तनम् ।  
 प्राजापत्यन्तु कश्यते शतैश्चैव करैः लदा ॥ २०२ ॥  
 सपाद षट शता दष्टा उभयोश्च निवर्तने ।  
 निवर्तनात्प्रिं सदोभयोर्वै पञ्च विश्वितः ॥ २०३ ॥  
 पञ्च सप्तति साहस्रैरङ्गुलैः परिवर्तनम् ।  
 मानवं शटि साहस्रैः प्राजापत्यं तथाङ्गुलैः ॥ २०४ ॥  
 पञ्चविश्वाधिकैर्स्तैरेकलिशच्छतैर्मनोः ।  
 परिवर्तनमाख्यातं पञ्चविश्वतैः करैः ॥ २०५ ॥  
 प्राजापत्यं पाद हीनं चतुर्वक्ष यवैर्मनोः ।  
 आशीत्यधिक साहस्र चतुर्वक्ष यवैः परम् ॥ २०६ ॥  
 निवर्तनानि द्वाविश्वनुमानेन तस्य वै ।  
 चत् सहस्र हस्ताः स्पृहस्ताश्चाष शतानि हि ॥ २०७ ॥

( २३६ )

## भारतवर्ष का इतिहास ।

(अ)	$25 \times 25$ वर्ग दरड़ ] = $625$ वर्ग दरड	$5 \times 25$ वर्ग दरड ] = $125$ वर्ग दरड	१ निवर्तन का क्षेत्र फल
	$625 \times 4$ = $2500$ हाथ	$125 \times 4$ = $500$ हाथ	१ परिवर्तन का क्षेत्र फल
अतः	$2500 \times 25$ अंगुल = $60000$ अंगुल	$500 \times 25$ = $12500$ अंगुल	१ परिवर्तन या १ नि- वर्तन का क्षेत्र फल
	$60000 \times 8$ यव = $480000$ यव	$12500 \times 5$ यव = $62500$ यव	" "
(च)	१०० हाथ	१२५ हाथ	१ निवर्तन
	$125 \times 32$ हाथ = $4000$ हाथ		३२ निवर्तन
		$\frac{4000}{5} = 800$ दरड	३३ निवर्तन

**राजधानी** - समय नगरों का निर्माण जिस ढंग से होता था, वह तत्कालीन भारत के लिये गौरव की वस्तु है। भारतवर्ष के प्राचीन नगरों के जो अवशेष आज उपलब्ध होते हैं वे प्रायः मुगलकालीन हैं; रात दिन किसी बाहुआकमण की आशंका से भयभीत रहने के कारण ये नगर बहुत संकुचित और भट्टे रूप में बसाये गये हैं। परन्तु शुकनीति के आधार पर नगर निर्माण का जो ढंग, ज्ञात होता है उस के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता बहुत उन्नत अवस्था तक पहुँच चुकी थी।

आचार्य शुक ने विस्तृत से राजधानी का जो खाका खींचा है, उसके आधार पर हम तत्कालीन नगरनिर्माण कला का अनुमान सुगमता से कर सकते हैं। राजधानी का स्थान ऐसा होना चाहिये—“जो स्थान बहुत उपजाऊ और जल पूर्ण हो, जिस पर अच्छे २ बाग लगाए जा सकें, जहां लकड़ी आदि सुगमता से प्राप्त हो सके, जो स्थान किसी ऐसी नदी के निकट हो जिस से कि

पञ्चविंशतिमिर्दण्डैभूजः स्यात् परिवर्तने ।

कैरयुत संख्याकैः क्षेत्रं तस्य प्रकीर्तिम् ॥ २०८ ॥

स्तरभूजैः समं प्रोक्तं कष्ट भू परिवर्तम् ॥ २०९ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

समुद्र में जाया जा सके, जिससे पर्वत बहुत दूर न हो, जो सुन्दर और समतल हो, ऐसे स्थान पर राजधानी बनानी चाहिये ।”<sup>१</sup>

राजधानी का चित्र यह होना चाहिये—“वह आधे चांद के समानगोलाई लिये हुए हो, अथवा चौकोन हो; उस के चारों ओर मोटी दीवाँ और खाड़ी होनी चाहिये । वह अनेक भागों में विभक्त हो । राजधानी के मध्य में राजसभा भवन होना चाहिये । इस में पर्याप्त मात्रा में कूर्ण, तालाब और बाबड़ियाँ होनी चाहियें । राजधानी में सड़कें, उद्यान, उपवन, नलके आदि यथेष्ट परिमाण में हों; यात्रियों के लिये धर्मशालाएं तथा सरायें भी होनी चाहियें । राजसभा भवन के चारों ओर राजमहल होने चाहियें; गौ, घोड़े और हाथियों के रहने के लिये अलग स्थान होना चाहिये । महल चतुर्भुज न हो कर पञ्चभुज, सप्तभुज आदि होने चाहिये, केवल साधारण कमरे और साधारण मकान ही चतुर्भुज होने चाहिये; राजमहलों के चारों ओर सुदृढ़ दीवारें हो, जिस की प्रत्येक दिशा में एक एक फाटक हो । यह दीवार सुदृढ़ मशीनों ( तोपों ) से सुरक्षित हो; इस के अन्दर तीन बड़े आंगन होने चाहियें । फाटकों पर रात दिन पहरा रहना चाहिये ।”<sup>२</sup>

१. नाना वृक्षलताकीर्णे पशु पक्षिगणावृते ।  
सुबृहदकथान्ये च तृणकांष्टमुखे सदा ॥ २१३ ॥  
आसिन्धु नौगमाकूले नातिद्वार महीधरे;  
सुरम्य सम भूदेशे राजधानीं प्रकल्पयेत् ॥ २१४ ॥
२. अर्धचन्द्रां वर्तुलां वा चतुरशां सुशोभनाम् ।  
सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशनीम् ॥ २१५ ॥  
सभामध्यां कूपशापी तडागादि युतां सदा ।  
चतुर्दिन्दु चतुर्द्वारां सुमार्गाराम वीथिकाम् ॥ २१६ ॥  
द्वृढ़सुरालय मठ पान्थशाला विराजिताम् ।  
कल्पयित्वा वसेत् तत्र सुगुप्तः सप्रजो दृपः ॥ २१७ ॥  
राजगृहं सभामध्यं गवाक्षगज शालिकम् ।  
प्रशस्तवापी कूदादि जलयन्त्रैः सुशोभितम् ॥ २१८ ॥  
सर्वतः स्यात् समभुजं दक्षिणोच्चमुदङ्ग गतम् ।  
शालां विना नैकभुजं तथा विषम बाहुकम् ॥ २१९ ॥  
प्रायः शाला नैकभुजा चतुः शाल विना युभां ।  
शत्र्वाच्चधारि संयुक्तं प्राकारं सुषुयन्त्रकम् ॥ २२० ॥  
सत्रिकज्ज चतुर्द्वारे चतुर्दिन्दु सुशोभितम् ।  
दिवारात्रै सशक्तास्त्रैः प्रतिकशासु गोपितम् ॥ २२१ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

राजनिवास का क्रम इस प्रकार होना चाहिये—“पूर्व की और राजा का स्नानगार, पाकशाला, भोजनालय, उपासना गृह और कपड़े धोने के भवन होने चाहियें । दक्षिण की ओर शयनगार, पानोगार, विहार भवन, रोदनगृह, भण्डार और परिचारक गणों के कमरे होने चाहियें, पश्चिम की ओर राजकीय पशुशाला, गोशाला, हस्तिशाला, मृगशाला आदि होनी चाहिये और उत्तर की ओर शब्दागार, व्यायामशाला, घुड़साल, रथ आदि रखने के कमरे, पुस्तकालय, अन्वेशण विभाग के भवन और रक्षकों की बैरकें होनी चाहियें । ये भवन राजा की इच्छानुसार बनने चाहियें । राजनिवास के उत्तर की ओर राजा की शिल्पशाला होनी चाहिये ।”<sup>१</sup>

**भवन निर्माण**—एक भवन ( Hall ) की दीवार की ऊँचाई उसे की लम्बाई की अपेक्षा तृप्ति या इस से अधिक हो । भवन की चौड़ाई उस की लम्बाई का है या इस से अधिक हो । यह परिमाण एक तल्हा मकानों के लिये ही है, दुमझले मकानों का अनुपान इस से भिन्न होना चाहिये । एक भवन के कमरों को एक दूसरे से जुदा करने के लिये दीवारों या खम्बों से काम लेना चाहिये । एक घर में तीन, पांच, या सात कमरे होने चाहिये । साथ-रणतया मकानों के फर्श की ऊँचाई मकान की कुल ऊँचाई से तृप्ति हो । पास के घरों की खिड़कियां आमने सामने नहीं होनी चाहिये । खपलैल से बनी हुई छतें बीच में से ऊँची होनी चाहियें ताकि उन पर पानी न खड़ा हो सके । कमरे की छत और फर्श कमज़ोर या भुके हुए न हों ।”<sup>२</sup>

१. वस्त्रादि मार्जनार्थं च स्नानार्थं यजनार्थकम् ।

भोजनार्थञ्च पाकार्थं पूर्वस्थां कल्पयेत् गृहाङ् ॥ २२३ ॥

निद्रार्थञ्च विहारार्थं मानार्थं रोदनार्थकम् ।

धान्यार्थं घरठादार्थं दासी दासार्थमेव च ॥ २२४ ॥

उत्सर्गार्थं गृहाङ् कुर्याद्विचिष्टस्यामनुक्रमात् ।

गोमृगोद्ग गजाद्यार्थं गृहाङ् प्रत्यकृ प्रकल्पयेत् ॥ २२५ ॥

रथवाज्यच्च शस्त्रार्थं व्यायामायामिकार्थकम् ।

वस्त्रार्थकन्तु द्रव्यार्थं विद्याभ्यासार्थं मेव च ॥ २२६ ॥

धर्माधिकरणं शिल्पशालां कुर्यात् उद्देश गृहात् ।

२. पञ्चमांशाधिकच्छ्राया मिन्निविस्तरतो गृहे ॥ २२८ ॥

कोष्ठ विस्तार बहुआंश स्थूला सा च प्रकीर्तिता ।

एकमध्येरिदं मानं कर्ध्वमूर्ध्वं समन्ततः ॥ २२९ ॥

सम्मैष्मभृत्तिभिर्विष्यि पृथक्षोष्टानि संन्यसेत् ।

त्रिकोष्ठं पञ्च कोष्ठं वा सप्त कोष्ठं गृहं स्मृतम् ॥ २३० ॥

**सभा भवन—** राष्ट्र की समस्याओं तथा शासन प्रबन्ध के मामलों पर विचार करने के लिये 'सभा भवन' बनाया जाता था । राजसभा तथा मन्त्री परिषद् की बैठकें इसी भवन में होती थीं ।<sup>१</sup> यह भवन बहुत सुन्दर और खूब विस्तार वाला होता था—“सभा भवन के कमरों की दीवारों में यथेष्ट दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिये । मध्य के कमरे (Hall) की चौड़ाई पास के कमरों की चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिये । भवन की ऊँचाई उस की चौड़ाई का त्रैया इस से अधिक होनी चाहिये । बीच का बड़ा कमरा एक तल्ला और दोनों भुजाओं के कमरे दो तल्ले होने चाहिये । सभा भवन खूब सुन्दर हो, इस के अन्दर उत्तम २ स्तरम् और बाहर यथेष्ट सड़कें होनी चाहिये । सभा भवन में फल्गुरे, चादू यन्त्र, बड़े २ पंखे, क्लौक, दर्पण और चित्र लगे होने चाहिये ।”<sup>२</sup>

“सभा भवन के पूर्व और उत्तर में मन्त्रियों, लेखकों, सभा के सदस्यों और अधिकारियों के रहने का प्रबन्ध हो । इसी ओर काफ़ी अन्तर छोड़ कर सेना के निवास स्थान होने चाहिये ।”<sup>३</sup>

**सरायें—** शुक्रनीति के अनुसार आवागमन के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध करना राष्ट्र का कार्य है । अतः आचार्य शुक्र ने जहां सड़कों के सम्बन्ध में

द्वारार्थं ग्रहण्धा भक्तं द्वारस्याशौ तु मध्यमौ ॥ २३१ ॥

गृहणीठं चतुर्ष्वशमुच्छ्रायस्य प्रकल्पयेत् ॥ २३२ ॥

विस्तारार्थं मध्योद्वा छदिः खर्पर सम्भवा ।

पतितं तु जलं तस्यां सुखं गच्छति वाप्यवः ॥ २३३ ॥

हीना निन्ना छदिर्न स्यात् तादूक् कोष्ठस्य विस्तरः ॥ २३४ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

१. एवं विधा राजसभा मन्त्रार्था कार्य दर्शने ॥ २४० ॥

२. परितः प्रतिकोष्ठे तु धातायन विराजिता ।

पार्श्वं कोष्ठात् तु द्विगुणो मध्यं कोष्ठस्य विस्तरः ॥ २४५ ॥

पञ्चमांशाधिक तूचं मध्यं कोष्ठस्य विस्तराद् ।

विस्तारेण समं तूचं पञ्चमांशाधिकं तु वा ॥ २४६ ॥

कोष्ठकानाञ्च भूमिर्वा छदिर्वा तत्र कारयेत् ।

त्रिभूमिके पार्श्वं कोष्ठे मध्यमं त्वेकभूमिकम् ॥ २४७ ॥

पृथक्कृतमान्तरिक्षोष्ठा चतुर्मार्गागमा शुभा ।

जलोर्धवं पाति यन्त्रैश्च युता सुस्वर यन्त्रकैः ॥ २४८ ॥

धातप्रेरक यन्त्रैश्च यन्त्रैः कालप्रबोधकैः ।

प्रतिष्ठिता च स्वादर्शेस्तथा च प्रतिरूपकैः ॥ २४९ ॥

३. तथा विधामात्पलेख सभ्यधिकृत शास्त्रिका ॥ २५० ॥

कर्तव्याश्च पृथक् त्वेतास्तदर्थाच्च पृथक् पृथक् ।

उद्ग द्विशत इत्यां प्राप्तं सेना संवेशनार्थिकाम् ॥ २५१ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

खूब चित्तार से निर्देश दिए हैं वहां यात्रियों के आराम के लिये निवास स्थानों के प्रबन्ध का बणेत भी किया है। इन सरायों का निरीक्षण करना नगर तथा आम के अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य होता था। यह निरीक्षण राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों दृष्टियों से किया जाता था—“प्रत्येक नगर में एक एक सराय होनी चाहिये। प्राम के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन सराय का स्थान निरीक्षण करें। जब सराय में कोई यात्री आए तो सराय के प्रबन्धकर्ता को उस से निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए—तुम कहाँ से और किस उद्देश्य से आए हो ? तुम ने कहाँ जाना है ? तुम्हारे साथ और आदमी हैं या नहीं ? तुम्हारे पास कोई हथियार या सवारी है ? अपनी जाति, कुल और निवास स्थान का ठीक २ पतों दो ?—ये सब बातें प्रबन्धकर्ता को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेनी चाहिये। यात्री से हथियार लेकर उसे कह देना चाहिये कि वह सराय में खूब सावधान होकर सोए। रात को सराय में ज़ितने आदमी हीं उन की गिनती कर के दरवाजा बन्द कर देना चाहिए। प्रातः काल सब यात्रियों को जगा कर उन्हें हथियार दे देने चाहिये। रात को सराय पर पहरा रहना चाहिये। यात्रियों को नगर की सीमा तक विदाई देने के लिये नगर के किसी आदमी को साथ कर देना चाहिए।”<sup>१</sup>

**विद्याएँ**—पिछले अध्याय में हम ६४ कलाओं ( Arts ) का वर्णन कर चुके हैं। यहां ३२ विद्याओं ( Sciences ) का निर्देश कर देना उपयोगी होगा। ये विद्याएँ निम्नलिखित हैं—<sup>२</sup>

१. ग्राम द्वयान्तरे चैष पान्थ शालां प्रकल्पयेत् ॥ २६६ ॥

नित्यं सन्मार्जिताञ्चैव ग्रामपैश्च सुगोपिताम् ।

तत्रागतन्तु सम्पृच्छेत् पान्थं शालाधिषः सदा ॥ २७० ॥

प्रयातोसि कुतः कथ्यात् क्रान्तद्वसि चतुर्वद ।

सपहायोऽसहायो वा किं सशक्तः सवाहनः ॥ २७२ ॥

काजातिः किं कुलं नाम स्थितिः कुत्रास्ति ते चिरम् ।

इति पृष्ठा लिखेत् सायं शक्तं तत्य प्रगृह्ण च ॥ २७२ ॥

सावधान मना भृत्या स्वार्पं कुर्वति शासयेत् ।

तत्रस्यात् गणयित्वा तु शाला द्वारं पिधाय च ॥ २७३ ॥

संरक्षयेद् यामिकैश्च प्रभाते तालू प्रबोधयेत् ।

शक्तं द्यात् च गणयेत् द्वारमुद्घात्य मोचयेत् ॥ २७४ ॥

कुर्यात् सहायं सीमान्तं तेषां ग्रामं जनः सदा ॥ २७५ ॥ ( शुक्र० अ० १ )

२. ऋग्यजुः साम चार्यवाँ वेदा शारुद्धनुःक्रमात् ।

गान्धर्वश्चैव तन्माणिं उपवेदाः प्रकीर्तिताः ॥ २७ ॥

१. वेद	...	...	...	४
२. उद्वेद	...	...	...	४
३. वेदाङ्ग	...	...	...	६
४. दर्शन	...	...	...	६
५. इतिहास	...	...	...	१
६. पुराण	...	...	...	१
७. स्मृति	...	...	...	१
८. नास्तिक मत	...	...	...	१
९. अर्थशास्त्र	...	...	...	१
१०. कामशास्त्र	...	...	...	१
११. शिल्प शास्त्र	...	...	...	१
१२. अलंकार	...	...	...	१
१३. काव्य	...	...	...	१.
१४. देश भाषा	...	...	...	१
१५. अवसरोक्ति	...	...	...	१
१६. यज्ञ मत	...	...	...	१

योग ... ३२

शुकनीति में इन विद्याओं का विस्तृत परिचय भी दिया गया है; हम इन में से कुछ विद्याओं का संक्षिप्त परिचय मात्र देना ही पर्याप्त समझते हैं—‘नास्तिक मत’ का अभिप्राय उस दार्शनिक सम्प्रदाय से है जो वेदों की प्रामाणिकता और ईश्वर की सत्ता को सत्रीकार नहीं करते। राज वंशों की तालिका तथा चरित्र वर्णन को पुराण कहते हैं। ‘अर्थशास्त्र’ में राजनीति ( politics ) और अर्थशास्त्र ( economics ) दोनों ही अन्तर्गत हैं। बातचीत और शिष्टाचार की विद्या में खूब प्रवीण होना ‘अवसरोक्ति’ में

शिक्षा व्याकरण कल्यो निहत्तं ज्योतिषं तथा ।

छन्दः षडङ्गानीमानि वेदान्तं कीर्तितानि हि ॥ २८ ॥

मीमांसा तर्क सांख्यानि वेदान्तो योग एवच ।

इतिहासः पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम् ॥ २९ ॥

अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमलङ्कृतिः ।

काव्यानि देश भाषावसरोक्तिर्यावर्णं मतम् ।

देशादि धर्मा द्वार्तिशदेता विद्याभिसंज्ञिताः ॥ ३० ॥ ( शुक्रो शा० ४, iii.)

## ( २४१ ) भारतवर्ष का इतिहास ।

शामिल है। भिन्न २ देशों की भाषा में प्रवीणता प्राप्त करना 'देश भाषा' कहाता है। 'यत्वन मत' का अभिग्राय दार्शनिकों के उस सम्प्रदाय से है जो कि विराकार ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु वेद की प्रामाणिकता नहीं मानते।<sup>१</sup>

**राजकीय पत्र**—चतुर्थ अध्याय में हम राजकीय मुद्रा तथा लिखित राजाज्ञाओं का वर्णन कर चुके हैं। शुकनोति के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रा से अंकित हुए बिना राष्ट्र का कोई भी नियम राष्ट्र में प्रामाणिक रूप से प्रचलित नहीं किया जा सकता। उस समय राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न २ वृत्तलेख्य भी ( Documents ) प्रकाशित किये जाते थे। ये वृत्तलेख्य १६ प्रकार के थे। इन के नाम तथा कार्य निम्नलिखित हैं—<sup>२</sup>

१. जय पत्र—न्यायालय का निर्णय।

२. आज्ञापत्र—अशीनस्थ राजाओं और ज़िलाध्यक्षादियों को विशेष अधिकार देकर उन्हें कोई विशेष कार्य सौंपना।

३. प्रज्ञान पत्र—पुरोहितों को राजकीय निर्देश।

४. शासन पत्र—प्रत्ति को सूचना ( Govt. notifications )।

५. प्रसाद पत्र—कुछ के रूप में राजकीय आय का कुछ भाग देना।

६. भोग पत्र—कुछ समय के लिए किसी को कोई वस्तु देना।

७. भाग पत्र—सम्पत्ति का विभाग।

८. दान पत्र—कोई चोज़ किसी को दे देना।

९. क्रय पत्र—खरीदना या बेचना।

१०. सादि पत्र—गिरवी का वर्णन पत्र जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर होते थे।

११. सत्य पत्र—दो नगरों का पारस्परिक समझौता।

१२. संवित पत्र—संधी।

१३. शृण पत्र—उद्धार।

१४. शुद्धि पत्र—प्रायश्चित्त का प्रमाण पत्र।

१५. सामग्रिक पत्र—उत्तराइण स्टौक कम्पनियों का कागज ( Share paper.)

१६. क्षेत्र पत्र—दो व्यक्तियों का किसी मामले पर वह का समझौता जो न्यायालय में जाने से पूर्व हो जाय।

१. शुक्र० अ० ४, iii. होक्त ३२ से ६४ तक

२. शुक्र० अ० २ होक्त २९९ से ३१५ तक।

इन सब लेखण पत्रों पर अपने २ विभाग को राजकीय मुद्रा लगाती थी, मुद्राक्षित होने के अनन्तर ही ये प्रामाणिक माने जाते थे ।

**खनिज** — आचार्य शुक्र ने सुमन्त के कार्यों का वर्णन करते हुए उसे खानों से प्राप्त होने वाली आय की गणना खनने का भी निर्देश दिया है<sup>१</sup>। खनिज कर उन दिनों राष्ट्रीय आय का एक छठम साधन था । खनिजों पर जिस प्रकार की दर से खनिज कर लगा करता था उस का वर्णन हम राष्ट्रीय आय के प्रकरण में कर चुके हैं । केवल कानों से निकाले जाते समय तक ही खनिजों पर राष्ट्रीय निरीक्षण सीमित न था अदितु लोहार, सुनार आदि खनिज पदार्थों के व्यवसाइयों पर भी सरकार का यथेष्ट नियन्त्रण रहता था, इन्हें सरकार की ओर से यथायोग्य सहायता भी दी जाया करती थी ।<sup>२</sup> धातुओं में धोखे से मिलावट करने वाले को सरकार दण्ड देती थी ।<sup>३</sup>

खनिजों से हम मुख्यतया धातुओं का ही अभिप्रय लेते हैं । शुक्रनीति में ७ धातुओं का वर्णन है—“सुवर्ण ( सोना ), रंजत ( चाँदी ), ताम्र ( ताम्बा ) वङ्ग ( टीन ), सीसा ( सीसां ), रङ्गक ( रंगा ), और लोह ( लोहा ) । इन के अतिरिक्त अन्य धातुएँ संकर होती हैं, जो इन में से किन्हीं धातुओं को परस्पर मिलाने से बनती हैं । इन में सोना सर्वोत्तम है, फिर क्रम से अन्य धातुएँ श्रेष्ठ हैं ।<sup>४</sup>

इन धातुओं को मुख्यतया चार कार्य में प्रयुक्त किया जाता था—१. अभूषण, २. सिक्के, ३. दवाइयाँ और ४. सजावट । अभूषण दो प्रकार के होते थे—१. शारीरिक शोभा बढ़ाने के लिए खीं और पुरुष भिन्न २ प्रकार के के आभूषण धारण किया करते थे । “पुरुषों का आभूषण धारण करना कोई

१. शुक्र० श्र० २. ह्ल० १०५ ।

२. शुक्र० श्र० ४. iv. ह्ल० ४३ ।

३. शुक्र० श्र० ४ v ह्ल० ३३० ।

४. सुवर्णं रजतं तच्च वङ्गं सीसं च रङ्गकम् ।

लोहं च धातवः सम् ह्येषामन्ये तु सङ्कराः ॥ ८८ ॥

यथा पूर्वं तु श्रेष्ठं स्यात् स्वर्णं श्रेष्ठं तर्मं मतम् ।

वङ्गं ताम्रं भवं कांस्यं पित्तलं ताम्रं रंगजम् ॥ ८९ ॥

( शुक्र० श्र० ४ ii )

५. न भूषयत्यलङ्कारो न राज्यं न च यौवधम् ।

तं विद्या न धनं ताङ्गं याङ्गं सौजन्यं भूषणम् ॥ २३४ ॥

विचित्र बात नहीं है आज कल भी पुरुष सोने की जंजीर और अंगूठी आदि के रूप में अभूयण धारण करते हैं । ii राजकीय इनाम जो पदक आदि के रूप में किसी सेवा के बदले दिये जाते थे । इन पदकों को चिन्ह रूप में राजकीय सेवक धारण करते थे । इन की भिन्न २ श्रेणियां ( Orders ) थीं । राजा का चिन्ह सब से मुख्य ( grand master of the orders ) समझा जाता था । सिक्खों का वर्णन हम आठवें अध्याय में कर चुके हैं । पूर्वोक्त ६४ कलाओं में से १० कलाएं ऐसी हैं जिन का सम्बन्ध सनिजों-मुख्यतया धातुओं से है— धातुओं को औपचारियों में मिलाना, धातुओं का संश्लेषण और विश्लेषण दो धातुओं को मिला कर नकली धातु बनाना, क्षार और लवण बनाना, धातुओं की साफ करना, उन पर पौलिश करना, धातुओं को रंगना, आभूयण बनाना, धातुओं से चित्रकारी के काम लेना, उनके यन्त्र, वर्तन आदि बनाना ।

नकली धातुओं की धरीक्षा करने के लिये शुक्रनीति में दो उपाय बताए गए हैं—“भिन्न २ धातुओं के एक समान भार के भिन्न २ खरड लिए जाय तो उन सब के आयतन में अन्तर होगा । सोने का ढुकड़ा सब से छोटा होगा वर्तों कि वह सब से अधिक भारी होता है ॥”<sup>३</sup> यह सिद्धान्त धातुओं की अपेक्षिक घनता पर आधित है । इस आपेक्षिक घनता के आधार पर धातुओं की परख की जा सकती है । दूसरा उपाय निम्नलिखित है— “दो समान आकार (आयतन) के धातु खण्डों को ले लिया जाय, इन में से एक शुद्ध धातु का हो और दूसरे में मिलावट हो । इन दोनों खण्डों को तोला जाय तो इन के भार में अन्तर होगा ॥”<sup>४</sup> इस भार के अन्तर से उसकी मिलावट पहचानी जा सकती है । सब धातुओं का पारस्परिक आपेक्षिक भार जान कर यह परख

१. यत्कार्ये नियुक्ता ये कार्याङ्कैरङ्गयेच्च तात् ।

लोहजैस्तावजै रीतिभवै रजत सम्भवैः ४ २३४ ॥

सौवर्ये रत्नजैर्वर्त्य यथा योग्यै स्वलाङ्कृतैः ।

ग्रविदानाय द्वारान् दस्त्रैर्च रुकुटैर्पि ॥ ४२४ ॥

धाद्य धाहन भेदैश्च भृत्याद्यु कुर्यात् पृथक् पृथक् ।

स्वविशिष्टं च यच्चिच्चन्हं न दद्याद् कस्यविन्दृयः ॥ ४२५ ॥

( शुक्र० अ० २ )

२. शुक्र० अ० ४. iii ७५ से ८० तक ।

३. मानं सममपि स्वर्णं ततु स्यात् पृशुलाः परे ॥ ६० ॥

४. एक छिद्र समाकृष्टे समरखण्डे द्वयोर्यदा ।

धातोः सूत्रं मानसमं निर्दुष्टस्य भवेत् तदा ॥ ६१ ॥

करनी चाहिये। उदाहणोंसे और ताम्बे के एक ही समान आयतन वाले खरडों के भार में १६ और ८ का अनुपात होगा।

आचार्य शुक्र के समय सोने और चाँदी के अपेक्षिक मूल्य का अनुपात ४ और १६ था।<sup>१</sup> आज कल यह अनुपात १ और २४ तक पहुँच गया है। इस प्रकार चाँदी का मूल्य तब से लेकर अब तक के अन्तर में बहुत गिर गया है। भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह बात विशेष महत्वपूर्ण है।

इन सब फुटकर प्रत्याणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्रनीति-सार कालीन भारत की भौतिक सभ्यता उस समय के अन्य संसार की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थी।

### धर्म और सामाजिक दशा।

शुक्रनीतिसार द्वारा उस समय की धार्मिक था सामाजिक दशा का अनुमान करना बहुत कठिन है। आचार्य शुक्र ने अपने इस ग्रन्थ में धर्म रुधर्णन नहीं किया है। प्रकरण वश उन्होंने आचार की महत्ता को बहुत हुख्यता दी है। राजा के वैयक्तिक चरित्र के आदर्शों पर विचार करते हुए उन्होंने उसे पूर्णतया संयमी, दयालु, निष्पत्ति सेवी और सद्गा होने का आदेश दिया है। खास कर इन्द्रिय निग्रह पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया है। इस के लिये नहुष, रावण आदि कामी राजाओं के ऐतिहासिक दृष्टांत भी दिए हैं।<sup>२</sup>

**शराब और जूआ—** परन्तु तत्कालीन सर्व साधारण समाज की धार्मिक दशा बहुत उन्नत नहीं जान पड़ती। उस समय शराब पीना, जूआ खेलना और वैश्याओं का नाच आदि कार्य प्रारम्भ हो चुके थे। तथापि सरकार इन आतों को मनुष्य समाज की कमज़ोरी ही समझती थी, इस लिये खुले आम यह कार्य करने की आव्हा न थी, सरकारी आव्हापत्र ( Licence ) लेकर ही शराब बेची जाती थी।<sup>३</sup> शिकार के लिये भी आव्हापत्र लेना आवश्यक था। शराब की दूकानें शहर से बाहर होती थीं। शराबी के बल उन्हीं दूकानों पर ही

१. रजतं शोङ्खगुणं भवेत् स्वर्यस्य मूल्यकम् ॥ ६२ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ii. )

२. शुक्र० अ० १ स्तोक ८८ से ११४.

३. शुक्र० अ० १ स्तोक ३०१-२.

( २४६ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

शराब पी सकते थे; अपने धरों में नहीं । ये शराब को दुकाने के बाल रात के समय ही खुलती थीं ।<sup>१</sup>

**प्रतिमा निर्माण**— उस समय पौराणिक देवताओं का प्रतिमानिर्माण प्रारम्भ होचुका था । शुक्रनीति में प्रतिमा निर्माण और प्रतिमा खापन समारोह आदि का विस्तार के साथ वर्णन है । “देव-मन्दिर के आँगन में देवता के वाहन (सवारी) की मूर्ति की खापना करनी चाहिये । मुख्य-वाहन गरुड़ है । उसकी मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये—मूर्ति की बाहुएँ, चौंच, आँखें और पंख होने चाहिये । वह मनुष्य के आकार की हो परन्तु उस के मुंह पर चौंच लगी हो, सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच हो; उस के हाथ बंधे हों, और सिर नीचे को झुका हो; उस की आँखें अपने प्रभु के चरण कमलों की ओर झुकी हुई हों ।”<sup>२</sup>

“जिस जिस देवता के जो जो पक्षी, दोर या बैल वाहन हैं उन को प्रतिमा को उन देव-मन्दिरों के आँगन में बैठाना चाहिये ।”<sup>३</sup> इस के बाद बैल आदि की मूर्ति का वर्णन किया गया है ।

देव मूर्तियों में मुख्यतया गणपति, शक्ति, बाल, सप्तरात्मा और पैशाची मूर्तिका वर्णन किया गया है । हम उदाहरणके लिये गणपतिकी मूर्ति का संक्षिप्त स्वरूप यहाँ उद्धृत करते हैं— “गणपति (गणेश) की मूर्ति का मुंह हाथी की तरह और शेष शरीर मनुष्य के ढंग का होना चाहिये । उस के कान लम्बे, पेट मोटा, कन्धे, हाथ तथा पैर छोटे परन्तु मोटे होने चाहियें; सूँड लम्बी और बांयाँ दाँत टूटा हो, सूँड और दाँत खब सुन्दर ढंग से मुड़े हों; सारा शरीर खब गढ़ा हुवा और मोटा हो, वह अपने वाहन पर सवोर हों ।” इसके अनन्तर मूर्ति के अंगों का ठोक-ठोक माप दिया गया है ।

१. गङ्गा गृहं पृथक् प्रामात् तस्मिन् रतेन् मद्याह ॥ ४२ ॥

म दिवा मद्य यान्तु राष्ट्रे कुर्याद्वि लक्ष्मन ॥ ४३ ॥ ( शुक्र० अ० ४. iv. )

२. देवतायाज्ञु पुरुषो मरुष्ये वाहनं न्यसेत् ।

द्विबाहुर्गदः प्रोक्तं दुचञ्जु स्वलिपिं युक् ॥ १६७ ॥

नराकृतिश्च तु मुखो मुकुटी कवचाङ्गदी ।

यदुश्चर्लिन्य शीर्वः सेव्यपादाङ्ग लोचनः ॥ १६८ ॥

३. वाहनत्वं गता ये ये देवतानां च यजिताः ।

कामं ऊप्य धरास्ते ते तथा सिंह वृषदयः ॥ १६९ ॥

४. गणाननं नराकारं ध्वस्त कर्णं पृथूदरम् ।

पृथूर्धकिम् गहन यीन स्कन्धाद्विप्र पार्षिनम् ॥ १७० ॥ ( शुक्र० अ० ५. iv. )

“शिल्पी को चाहिये कि वह मूर्ति को युवावस्था युक्त ही बनाएं, आवश्यकता हो तौ बालकपन का रूप भी दिया जा सकता है परन्तु बुढ़ापे का रूप कभी नहीं देना चाहिये ।”<sup>१</sup>

इस प्रकार मूर्ति स्थापन का उद्देश्य क्या था, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । शायद इन पौराणिक देवताओं की प्रतिमा-पूजा उस समय प्रारम्भ हो चुकी हो; अथवा इन का उद्देश्य पुराणों में वर्णित ईश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों के प्रतिनिधि रूप आलंकारिक देवताओं की भावपूर्ण मूर्तियाँ स्थापित करना ही हो;— जिस प्रकार कि आजकल पाश्चात्यदेशों में ‘स्वतन्त्रता’ ‘लक्ष्मी’ ‘सरस्वती’ आदि की भावपूर्ण मूर्तियाँ बनाई जाती हैं । शुक्रनीति में जहाँ इन देव-मूर्तियों के निर्माण का वर्णन खूब विस्तार के साथ किया गया है वहाँ इन की पूजा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया । इसी कारण हमें उस समय मूर्तिपूजा प्रारम्भ हो गई थी, यह स्थापना करते हुए संकोच होता है । पूजा के उद्देश्य के बिना ही प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में हम अधिक विस्तार के साथ अपनी “पुराणमत पर्यालोचन” नामक पुस्तक में लिख चुके हैं । शुक्रनीति में इस सम्बन्ध में केवल एक ही श्लोक उपलब्ध होता है— “ध्यान योग की सिद्धि के लिये प्रतिमा निर्माण किया जाता है ।”<sup>२</sup> परन्तु केवल इसी एक प्रमाण के आधार पर कोई निश्चित स्थापना नहीं की जा सकती ।

सरकार और देव मंदिर— यह प्रतीत होता है कि तत्कालैन भारतवासी प्रायः इन उपर्युक्त देवों की प्रतिमाएँ ही मन्दिरों में स्थापित किया करते थे । सरकार स्वयं धर्म में कोई हस्ताक्षेप न करती थी, परन्तु क्योंकि प्रजा की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना उस का कार्य था, अतः जनता की इच्छा परं वह उपर्युक्त मन्दिरों का निर्माण कराती थी । इन देवताओं के नाम पर होने वाले मेलों तथा उत्सवों का प्रबन्ध भी सरकार ही करती थी । परन्तु यह बात विशेषतया ध्यान में रखने योग्य है कि आचार्य शुक्र ने स्वष्टि शब्दों राजा को प्रजा के परम्परागत प्रचलित उत्सवों में ही भाग लेने का आदेश दिया है । उसे स्वयं

षृंहच्छुर्ण्डं भद्रं वामरदमीर्षित वाहनम् ।

ईषत् कुटिल दायडाग्रं वामशुश्रद्दमदच्छिणम् ।

सम्ध्यस्थि धमनो गूङ् कुर्यान्मानमितं सदा ॥ १६८ ॥

१. क्षवित्तु बालं सदूर्णं सदैव तरुणं वपुः ।

मूर्तीनां कल्पयेच्छल्पी न वृद्धं सदृशं क्षवित् ॥ २०१ ॥ ( शुक्र० अ० ४. vi. )

२. ध्यान योगस्य उरिदुर्घै प्रतिमा लक्षणं स्मृतम् ॥ ४२ ॥ ( शुक्र० अ० ४. iv. )

अपनी इच्छा से किसी धार्मिक मामले में दखल नहीं देना चाहिये, और किसी धार्मिक प्रथा में परिवर्तन लाने के लिये राजशक्ति का उपयोग भी न करना चाहिये—

“राजा को चाहिये कि वह राष्ट्र में इन देव-मन्दिरों की स्थापना करे और प्रति वर्ष इन के उत्सवों का प्रबन्ध करे । देव-मन्दिर में अप्रमाणिक परिमाण वाली और टूटी मूर्ति को नहीं रखना चाहिये, देव-मन्दिरों की मुरम्मत कराते रहना चाहिये । देव-मूर्तियों के निमित्त से उनके सन्मुख जो नाच आदि कराया जाता है उसे देख कर राजा को स्वयं भोगी नहीं बनना चाहिये । सर्वसाधारण प्रजा में जो त्योहार और उत्सव परम्परा से चले आरहे हैं, राजा को केवल उन्हीं उत्सवों के मनाने का प्रबन्ध करना चाहिये । उसे प्रजा की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मनानी चाहिये और प्रजा के दुख में दुख ।”<sup>१</sup>

**आश्रम व्यवस्था**— शुक्रनीति में ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों का वर्णन उपलब्ध होता है— “ब्राह्मण के लिये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार आश्रम हैं, शेष तीन वर्णों के लिये चौथे आश्रम को छोड़ कर अन्य सब आश्रमों का विधान है । ब्रह्मचर्य में विद्याभ्यास, गृहस्थ में सब का पालन, वानप्रस्थ में संयम और स्वाध्याय तथा सन्यास में मोक्ष-प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये ।”<sup>२</sup>

**चारी व्यवस्था**— शुक्रनीति के समय जन्म से वर्ण व्यवस्था मौजूद होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । राजा का कर्तव्य था कि वह सब वर्णों में

१. एवं विधाश् नूपो राष्ट्रे देवाश् संस्थापयेत् सदा ।

प्रति सम्बत्सरं तेषां उत्सवाश् सम्यगाचरेत् ॥ २०२ ॥

देवालये मान हीनां मूर्तिं भग्नां न धारयेत् ।

ग्रासदांश्च देवाङ्गीर्णानुद्गुत्य यत्ततः ॥ २०३ ॥

देवतां तु उरस्कृत्य नत्यादीश् वीच्य सर्वदा ।

न मनः स्वोपभोगार्थं विदध्यात् यत्तो नृपः ॥ २०४ ॥

प्रजाभिर्विधृता ये ये ह्यस्वादासंश्च पालयेत् ।

प्रजानन्देन सन्तुष्येत् तद्दुःखैर्दुःखिनो भवेत् ॥ २०५ ॥ ( शुक्र० अ० ४. iv. )

२. ब्रह्मचारी गृहस्थ्य वानप्रस्थी यतिः क्रमात् ।

चत्वार आश्रमाश्चैते ब्राह्मणस्य सदैव हि ।

आन्देषामन्त्य हीनाश्च चत्र विद् शूद्रं कर्मणाम् ॥ १ ॥

विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात् सर्वेषां पालने गृही ।

वानप्रस्थः संदमने सन्यासी मोक्ष साधने ॥ २ ॥ ( शुक्र० अ० ४. iv )

अव्यवस्था न आने दे; जिस वर्ण के लोग अपने वर्ण के विरुद्ध कार्य करते थे उन्हें सरकार की ओर से दण्ड मिलता था।<sup>१</sup> आचार्य शुक्र ने इन चार वर्णों के बही कर्तव्य बताए हैं जो कि मनु आदि अन्य स्मृतिग्रन्थों तथा धर्मग्रन्थों में वर्णित हैं। अतः हम उनके विस्तार में न जाकर वर्ण व्यवस्था के स्तर पर विचार करेंगे।

यह प्रतीत होता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था का आधार मुख्यतया जन्म को ही माना जाता था। साथ ही बड़ी कड़ाई से वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन किया जाता था। सरकार का कर्तव्य था कि वह प्रजा में वर्णसंकरता न आने दे, सब वर्णों को अपने २ मार्ग पर बलने के लिये शिक्षित और उत्साहित करे।

प्रत्येक वर्ण को ठीक उसी प्रकार के कर्तव्य पालन करने होते थे जो कि परम्परा से चले आते थे। उन्हें सामूहिक रूप से भी अपने कर्तव्यों में परिवर्तन करने का अधिकार था, यह करने पर वे राजा द्वारा दण्डित हो सकते थे। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिये भिन्न-भिन्न चिह्न निश्चित थे।<sup>२</sup>

परन्तु आचार्य शुक्र स्वयं केवल जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानने के पक्ष में नहीं है। उनका विचार है कि किसी वर्ण में जन्म होने पर भी प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। उनका कहना है—“जिस प्रकार वृक्ष की उत्तमता बीज के अच्छा होने और जमीन के उपजाऊ होने पर निर्भर होती है उसी प्रकार वर्ण की उत्तमता जन्म और कर्म दोनों के आधार पर आन्तित है। विश्वामित्र, वसिष्ठ, मातङ्ग, नारद आदि सब ऋषि अपने जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं थे परन्तु अपने कर्मों के कारण वे ब्राह्मण बन गए।”<sup>३</sup>

१. वर्त्यन्तम्यथा दशक्षा या वर्णाश्रम जातयः ॥ ३ ॥ ( शुक्र० अ० ४, iv.)

२. कुलान्यकुलतां यज्ञिति स्तुकुलानि कुलीनताम् ।

यदि राजोयेष्वितानि दशतोऽयिष्वितानि च ॥ ४ ॥

३. स्व स्वज्ञात्युक्त धर्मैः यः पूर्वोर्वरितः सदा ।

तमाचरेच सा जातिर्दर्शवा खादन्यथा नृैः ॥ ३६ ॥

जाति वर्णाश्रमाद् सर्वदृ पृथक्विन्दै सुलक्षयेत् ॥ ४० ॥

४. कदचिद्बीजमाहात्म्यात् ज्ञेयमाहात्म्यतः क्वचित् ।

नीचोन्तमत्वं भवति शेषत्वं त्रेत्र बीजतः ॥ ३७ ॥

विश्वामित्रो वसिष्ठश्च मातङ्गो नारदादयः ।

तयो विशेषैः सम्प्रस्ना उत्तमत्वं म जापितः ॥ ३८ ॥ ( शुक्र० अ० ४, iv.)

पेसा प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्र धर्म और राजनीति इन दोनों को विलुप्त पृथक् रखना चाहते थे । उनका कहना है कि धर्म का राजनीति में कोई दबल न हो और राजनीति वहीं तक धर्म का आश्रय ले जहाँ तक की उस का सम्बन्ध प्रजा की प्रसन्नता तथा अन्य सामाजिक बातों से है । धार्मिक उत्सवों का वर्णन करते हुए हम इस बात का एक प्रमाण पहले ही दे चुके हैं । राजकर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्र ने जाति या वर्ण को भूल जाने की सलाह दी है— “जो कर्मचारी विश्वासपात्र और गुणी हों उन्हें ही नियुक्त करना चाहिये, जाति या कुल के आधार पर ही किसी को नियुक्त करना ठीक नहीं । मनुष्य के कर्म, स्वभाव और गुणों की ही पूजा करनी चाहिये जाति और कुल की नहीं; जाति और कुल अच्छा होने से ही कोई अंतिक अच्छा नहीं हो जाता । जाति और कुल की पूछताछ तो केवल भोजन और विवाह में ही करनी चाहिये ॥”<sup>१</sup>

इन चार वर्णों के अतिरिक्त यवन लोग जो उत्तर पश्चिमीय भारत में रहते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे । वे वैदों की प्रमाणिकता ही स्वीकार नहीं करते थे ।

**खियों की स्थिति**— भारत वर्ष में उन दिनों स्वीकार समाज की दशा अत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी । खियों के पास कोई अधिकार शेष नहीं रहा था, वे केवलमात्र पुरुष की सहायका ही समझी जाती थीं । एक प्रकार से उन की पृथक् सत्ता ही नष्ट कर दी गई थी । इस दृष्टि से यह काल इतना अधिक पतित हो चुका था कि आचार्य शुक्र से स्वतन्त्र विचारक और विद्वान नीतिज्ञ भी इस सम्बन्ध की सामाजिक कुरीतियों का विरोध नहीं कर सके हैं । शुक्रनीति सार में खियों के आठ दुर्गुणों का वर्णन किया गया है—“खियों के आठ स्वाभाविक दोष हैं— भूठ बोलना, साहस, कपटता, मूलता, लोभी पन, अपवित्रता, निर्दयता और घमरड ॥”<sup>२</sup> कैसे बुरे ढंग से संसार भर के सम्पूर्ण

१. भूत्यं परीक्ष्येन्नित्यं विश्वस्त्यं विश्वसेत्सदा ।

नैव जातिर्न कुलं केवलं लक्ष्येदपि ॥ ५४ ॥

कर्मशील गुणः पूज्यास्तथा जाति कुलेन हि ।

न जात्या न कुलैनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५५ ॥

विवाहे भोजने नित्यं कुल जाति विवेचनम् ॥ ५६ ॥ ( शुक्र० अ० २. )

२. शुक्र० अ० ४. iv. शो० ३५.

३. अनन्तं साहसं माया मूर्खत्वं शतिलोभिता ।

अशोचं निर्दया दर्पः खीणामष्टौ स्वदुर्गुणः ॥ ११६४ ॥

दोषों को लियों के माथे मढ़ा गया है! “पति को चाहिये कि वह अपनी पत्नी की अन्य घर बालों के विरुद्ध शिकायतों पर बिना स्पष्ट साक्षी प्राप्त किए विश्वास न करे।”<sup>१</sup> परन्तु इसके बाद ही लियों पर दया कर के एक और नियम बना दिया गया है—“१६ वरस की आयु के बाद पुत्र को और १२ वरस की आयु के बाद कन्या को मारजा और गाली देना अच्छा नहीं है।”<sup>२</sup>

उन दिनों स्वयंवर की प्रथा का सर्वथा अभाव हो चुका था। कन्या के विवाह में उस के माता पिता का ही दबल होता था—“युवक और युवती का विवाह उन के धन, कुल, शील, रूप, विद्या, बल और आयु के आधार पर उन के माता पिता को कर देना चाहिये। परन्तु विवाह में माता पिता का धन का अधिक ख्याल सही रखना चाहिये। पुरुष अगर गरीब है परन्तु वह विद्यावान्, बुद्धिमान और स्वरस्थ है तो उस के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना चाहिये। इन सब में से किसी एक ही चीज़ के आधार पर विवाह करना अच्छा नहीं है।”<sup>३</sup> “विवाह में कन्या पुरुष के रूप को, माता उसके धन को, पिता उस की विद्वत्ता को, और सम्बन्धी उस के कुल को देखते हैं, अन्य बराती केवल मिठाई चाहते हैं।”<sup>४</sup>

शुक्रनीति में लियों को जो दिनचर्या बताई गई है, वह संक्षेप में इस प्रकार है—“जप, तप, तीर्थयात्रा, देवपूजा, यज्ञ आदि धार्मिक कर्तव्य खीं को पति के बिना अकेले नहीं करने चाहिये। उस की विति के बिना सत्ता ही नहीं है। खीं को पति से पहले ही उठ कर शौच आदि से निवृत होने के अनन्तर विस्तरा लपेट कर कपड़े बदल लेने चाहिये। इस के बाद घर में

१. न प्रियाकथितं सम्यग्मन्येतानुभवं विनः ।

आपराधं मातृ स्नुषाभातुं पल्लि स्पतिनजम् ॥ १६३ ॥

२. षोडशाब्दात् परं पुत्रं द्वादशाब्दात् परं चियम् ।

न ताङ्गेत् दुहृ वाक्षैः पीडयेन्न स्नुषादिकम् ॥ १६४ ॥

३. दृष्टा धनं कुलं शीलं रूपं विद्यां बलं वयः ।

कन्यां दद्यादुत्तमं चेन्मैत्रीं कुर्यादशात्मनः ॥ १६५ ॥

भार्यार्थिनं वयो विद्या रूपिणं निर्धनंत्वयि ।

न केवलेन रूपेण वयसा वा धनेन च ॥ १६० ॥

४. कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् ।

ब्रात्पवाः कुलमिष्टन्ति मिष्टाचमितरे जन्मः ॥ १७२ ॥ ( शुक्र० अ० ३ )

चौका बुहारी कर के आग और घास की सहायता से यह के बर्तन साफ़ करने चाहिये । यज्ञपात्र व्योंकि चिकने होते हैं, अतः उन्हें गरम पानी से धोना चाहिए । इस प्रकार के अन्य कार्य करके उसे अपने श्वसुर आदियों को नमस्कार करना चाहिये, और तदनन्तर अपने पति, पिता या अन्य सम्बन्धियों के दिए हुए सुन्दर वस्त्र अलंकार आदि पहिन लेने चाहिये । स्त्री को शुद्धता पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म से पति की आशा का पालन करना चाहिए, छाया की तरह पति का अनुसरण करना चाहिये । उसे अच्छे कामों में पति के मित्र और तरह और घर के कामों में दासी की तरह बरतना चाहिए । पति को भोजन करवा कर तदनन्तर स्वयं भोजन करके घर के हिसाब किताब का पूरा विचरण रखना चाहिए । स्त्रियों का पति ही देवता है । शूद्र और किसानों की स्त्रियों को चाहिये कि वे खेतीबाड़ी के काम में अपने पतियों की मदद किया करें ॥ ३ ॥

**सती प्रथा**— पति के देहान्त के अनन्तर स्त्री के कर्तव्यों पर विचार करते हुए शुकनीति में उसे सती हो जाने तक की भी सलाह दी

१. जपे तपस्तीर्थसेवा प्रद्रष्ट्यां मन्त्र साधनम् ।-

देवपूजां नैव कुर्यात् स्त्रीशूद्रस्तु पर्ति विना ।  
न विद्यते पृथक् खीणां त्रिवर्गं विधि साधनम् ॥ ५ ॥  
पत्न्युः पूर्वं समुत्थाय देह शुद्धि विधाय च ।  
उत्थाप्य शयनीयानि कृत्वा वेशम् विशेषधनम् ॥ ६ ॥  
मार्जनैर्लेपनैः प्राप्य सानलं यवधाङ्गम् ।  
शोधयेद् यज्ञपात्राणि त्रिधान्त्युज्येत वारिणा ॥ ७ ॥  
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसचंद्रविषानि च ।  
कृतपूर्वाहू कृत्येयं स्वशुरावभिवादयेत ॥ १० ॥  
तास्यां भवते पितृभ्यां वा भ्रातृमातुल बान्धवै ।  
वस्त्रालङ्घार रत्नानि षट्दत्त्वाच्येव धारयेत ॥ ११ ॥  
मनोवाक्षर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ।  
क्षयेवानुगता स्वच्छा सदीव हितं कर्मसु ।  
दासीष दिष्ट कार्येन्दु भार्या भर्तुः सदा भवेत् ॥ १२ ॥  
पर्ति च तदनुशाता शिष्टमक्षाद्यमात्मना ।  
भुक्त्वानयेदहः शेष सदाय व्यव चिन्तया ॥ १४ ॥  
द्विजस्त्रीकामयं धर्मः प्रायोन्यासामपीच्यते ।  
कृषि पश्यादि पुङ्कृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिकाः ॥ २६ ॥ ( शुक्रा० अ० ४- vi. )

गई है— “पति को मृत्यु के बाद स्त्री को उस के साथ सती हो जाना चाहिये अथवा पुनर्विवाह न करके ब्रह्मचर्य वत का पालन करते हुए शेष आयु व्यतीत करनी चाहिये ।”<sup>१</sup> इस के अगले ही श्लोकों में स्त्री को उपदेश दिया गया है—“स्त्री का पति के समान और कोई मालिक नहीं है, उस के समान और कोई सुख नहीं है अतः स्त्री को चाहिये वह धन दौलत आदि को लात मार कर पति की ही शरण ले ।”<sup>२</sup>

**स्त्रियों के अन्य अधिकार—** स्त्रियों को इतनी दुर्दशा कर दी गई, थी कि उन्हें न्यायालय में साक्षी देने का भी अधिकार नहीं रहा था, वे केवल स्त्रियों के अभियोग में ही साक्षी दे सकती थीं क्योंकि उन अभियोगों में पुरुषों का साक्षी होना कठिन है। अन्य अभियोगों के लिये शुक्रनीति में लिखा है—“क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही पाप करने वाली और भूट बोलने वाली होती हैं अतः उन की साक्षी नहीं लेनी चाहिये ।”<sup>३</sup>

आर्थिक मामलों में भी शुक्रनीति में स्त्रियों को विलकुल पराधीन माना गया है, उन की अपनी कामर्दी<sup>४</sup> भी वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकार नहीं किया गया। “स्त्री, पुत्र और दास<sup>५</sup> इन तीनों का किसी धन पर अधिकार नहीं होता, ये लोग जो कुछ कमाते हैं इस पर उनके स्वामी का ही अधिकार हो जाता है ।”<sup>६</sup>

परन्तु जब स्त्री अकेली हो, अर्थात् जब तक उस का विवाह न हुवा हो, अथवा वह विवधवा हो चुकी हो, तब उसे भी अपने पिता या पति की जायदाद में से कुछ भाग भाग देना आचार्य शुक्र ने स्वीकार किया है—“एक मनुष्य के देहान्त के बाद उस की पत्नी और उस के पुत्रों को उस की जायदाद का एक समान भाग मिलना चाहिये । कन्या को पुत्र की

१. मृते भर्तरि संगच्छेद् भर्तुर्वा पालयेद् ब्रतम् ।

परवेशम् रुचिर्न स्यात् ब्रह्मचर्यं स्त्रिया सती ॥ २८ ॥

२. नास्ति भर्तृ समो नाशो नास्ति भर्तृ समं सुखम् ।

विसृज्य धनं सर्वस्वं भर्ता वै शरणं स्त्रियाः ॥ ६० ॥ ( शुक्र० श्र० ४. iv. )

३. बालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री पापाभ्यासाच्च कूट कृत् ॥ १०१ ॥

४. भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।

यन्ने समधिगच्छन्ति यस्मैते तस्य तद्वनम् ॥ २४५ ॥

\* इस श्लोक द्वारा उस समय “दास प्रया” की समा प्रतीत होती है ।

( २५४ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

अपेक्षा आधा भाग मिलना चाहिए । पिता को सृत्यु के बाद पुश्टों के समान कन्याओं को भी उपर्युक्त अनुपात से दाय भाग देना चाहिये । इस जायदाद पर खियों का पूर्ण वैयक्तिक अधिकार है, वे इस धन को चाहे जिस कार्य के लिये व्यय कर सकती हैं” ।

खी का उस धन पर भी पूर्णतया वैयक्तिक अधिकार होता है जो धन कि विवाह के बाद उस के माता पिता उसे उपहार स्वरूप भेजते हैं या स्वयं पति उस के वैयक्तिक व्यय के लिये उसे जो कुछ देता है । ३

इस प्रकार इस दृष्टि से शुक्रनीतिसार कालीन भारत बहुत अवनत प्रतीत होता है ।

१. समान भागिनः कार्यः पुत्रा स्वस्य च वै खियः ।

स्वभागार्थहरा कन्या दोहित्रस्तु तदर्थमाक् ॥ २८८ ॥

मृतेऽधियेऽपि पुत्राद्या उक्त भागहरास्मृताः ॥ ३०० ॥

२. सौदायिकं धनं प्राप्य खीणां स्वान्वयमिष्यते ।

विक्रये चैव दाने च यथैवं स्यावरेष्वपि ॥ ३०३ ॥

कढ़या कम्यया वापि पत्न्युः पितृ गृहाच्च यत् ।

मातृ पित्रादिभिर्दत्तं धनं सौदायिकं स्मृतम् ॥ ३०४ ॥ ( शुक्र० अ० ४. ७. )



## चतुर्थ भाग

भारतीय सम्यता का विदेशों से प्रसार

---

इतदेश प्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजमनः ।  
सं व्य चरित्रं शिष्ठेरन् पूर्थिष्यां सर्व मानवाः ॥

( महु )

## \* प्रथम अध्याय \*

### चीन और भारत

**पूर्व बचन**— महाभारत काल से लेकर बौद्धकाल से पूर्व तक की सभ्यता पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। भौतिक सभ्यता तथा राजनीतिक उन्नति की दृष्टि से इस काल का भारतवर्ष भी प्राचीनतम काल के भारतवर्ष की तरह बाकी सम्पूर्ण संसार की अपेक्षा अधिक उन्नत प्रतीत होता है। भारतवर्ष की भौतिक सभ्यता इन दिनों इतनी उन्नत हो चुकी थी कि संसार के अन्य देशों में भी उसका प्रसार प्रारम्भ हो गया था। उस समय भारतवर्ष सबे अर्थों में संलग्न की सभ्यता का गुरु था। सुग्रसिद्ध स्मृतिकार मनु के शब्दों में—“इस देश में उत्पन्न तथा इसी देश में शिक्षित हुए हुए ब्राह्मणों द्वारा ही प्राचीनकाल से संसार के अन्य सब देश सभ्यता और आचार पौरी शिक्षा लेते रहे हैं।”<sup>१</sup>

भारतवर्ष का विदेशी सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते। इस देश के प्राचीन साहित्य में भी जहाजों, नौकाओं और समुद्र-यात्रा आदि का वर्णन है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा भारत के साथ अन्य देशों के तटकालीन सम्बन्धों की सूचना मिलती है। इस सम्बन्ध के रामायण और महाभारत के प्रमाण हम अपने इसी ऐतिहास में यथास्थान उद्धृत कर चुके हैं, मनुस्मृति के प्रमाण हम इसी अध्याय में आगे चल कर देंगे। उसी प्रकरण में ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धृत कर के भी इस व्यापना की पुष्टि की जायगी।

इस विदेशी सम्बन्ध के प्रकरण में चीन और भारत का प्राचीन सम्बन्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष की तरह चीन की सभ्यता भी

१. रत्नेश प्रसूतस्य सकाशाद्य जन्मनः।

स्वं स्वं चरितं शिवेरक्ष पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनुः।

अत्यन्त प्राचीन है, एक समय चीन भी संसार के सब से अग्रगण्य देशों में गिना जाता था । उस उन्नत दशा में भी चीन भारतवर्ष का सब से बड़ा शिष्य था । भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को, उसके धार्मिक और दार्शनिक विचारों को तत्कालीन चीन ने भली प्रकार अपना लिया था । इसके बाद जब मध्य-काल में भारतवर्ष ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली, तब सम्पूर्ण चीन भी महात्मा बुद्ध के नाम पर चले हुए सम्प्रदाय का अनुगामी हो गया । आज भी आवादी की दृष्टि से चीन संसार भर का सब से बड़ा देश है, और उसके अधिकांश घासी भारतीय बौद्ध-धर्म के ही अनुगामी हैं । इस अध्याय में हम चीन और भारत के बौद्ध काल से पूर्व के सम्बन्ध का वर्णन करेंगे ।

( १ )

### प्राचीन धर्मों की समानता.

**भारत और चीन का प्राचीन साहित्य** — तत्कालीन भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्ध का सब से बड़ा प्रमाण दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और धर्म में बहुत अधिक समानता का होना है । कई साहित्यिक मुहावरे दोनों देशों के साहित्य में बिलकुल एक ही रूप में पाये जाते हैं—

१. चन्द्रमा में हिरण की कल्पना— चा पिङ्ग नामक चीनी राजा ( ३३२ ई० यू० से २६५ ई० यू० ) ने अपनी “ब्रह्म गश्चावली” नामक कविता में कहा है— “चन्द्रमा पर बैठ कर देखता हुया खरगोश किस चीज़ की आशा करता है ?”

संस्कृत में चन्द्रमा का नाम “शशाङ्क” भी है जिसका अर्थ है “खस्तोश के चित्र वाला ।” श्री हर्ष चरित में आता है—

शशो यदस्यार्पित शशीति चोक्तम् ।

अर्थात् कर्मोक्ति चन्द्रमाँ में शशक है इसी लिये उसे “शशी” कहते हैं ।

२. कूप मरड़क— संस्कृत में जिस व्यक्ति का अनुभव बहुत संकुचित हो, उसे “कूप मरड़क” ( कुपं का मेड़क ) कहते हैं । इसो प्रकार द्योइस्म के १७ वें अध्याय में आता है— “कूपं का मेड़क सुम्भु के मेड़कों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जान सकता ।”

३. शास्त्रों और उपनिषदों में मनुष्य शरीर के अन्दर ही ६ द्वार और सात ऋणि गिनाए गए हैं ।

I. परमेकं नवद्वारम् । ( कठोपनिषद् )

चीनी साहित्य में आता है— I. “गर्भ योनियों के शरीर में ८ द्वार होते हैं और अर्थहर योनियों शरीर में ८ द्वार होते हैं ।”<sup>१</sup>

II. “मनुष्य शरीर में देखने हुन्ते आदि के लिये ७ द्वेद होते हैं ।”<sup>२</sup>

४. रथ पति— संस्कृत में राजा को रथपति कहा जाता है— निरक्त के तृतीय अध्याय में हम पढ़ते हैं—

यज्ञ संयोगात् राजा स्तुति लभते । राज संयोगाद् युद्धेय कारणानि । तेषां रथः प्रथम गदमी भवति ।

चीनी कांगज़ी ग्रन्थ के १४ वें खण्ड के द्वितीय भाग में भी राजा को “रथों का स्वामी” कहा है ।

दोनों देशों के प्राचीन साहित्य की तुलना करते हुए हम इतने ही प्रमाण देना पर्याप्त समझते हैं ।

परम्परा से विद्यादान— जिस प्रकार छाचीन भारत में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को परम्परा पूर्वक विद्या दी जाती थी उसी प्रकार विद्यादान करने की प्रथा चीन में भी प्रचलित थी । प्रश्नोपनिषद् में आता है—

ओम् शुकेशा च भरिद्राजः शौघ्यश्च सत्यकामः,  
सौर्यायणी च गार्यः कौशलाश्च वलायनोः ।  
भार्गवो वेदर्भिं कवचन्यो कात्ययनस्ते हैर्ग्यं,  
ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मन्देशमाणः ।  
शप हवै तत्सर्वं वज्ञन्तीति तेह समित्पाणयो  
भवन्तं पितॄपलादमुपसन्धः ॥

( प्रश्नोपनिषद् )

इसी प्रकार चीनी कांगज़ी ग्रन्थ के छठे अध्याय में कहा है—“मैंने यह विद्या फक्षा से सीखी, उन जे इसे लेजिङ्ग के पोते से सीखा, लेजिङ्ग के पोते ने शैशटी मिच्चू से...”<sup>३</sup>

अन्य साहित्यक समानताएँ— इस के अतिरिक्त चीनी धर्म ग्रन्थों में बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो उपनिषद् वाक्यों के अक्षरशः अनुवाद प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ—

१. Kwangze Book. XXII. S. B. E. Part II. Page 63.

२. Text of Toism. S. B. E. Part II Page 297.

चौथी धर्म प्रन्थि	उपनिषदें
<p>१. आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ताओ (प्राचीन चीन का ईश्वर) क्या है । इस का परम तत्व सुगृह् रहस्य में छिपा हुआ है । इस को पराकाशा अन्यकार और शान्ति में है । जब यह आत्मा को अपनी बाहुओं में निश्चलता पूर्वक पकड़ लेता है तब इस का बाह्य शरीर स्थं छीक हो जाता है ।</p> <p>तुम शान्त रहो, तुम पवित्र रहो अपने शरीर को अधिक परिश्रम में डाल कर अपनी जीवन शक्ति को विक्षुब्ध मत करो, इस प्रकार तुम विराग्य हो सकोगे ।</p> <p>तुम्हारे अन्दर क्या है इस पर सदैव निगरानी रखो, अपनी उस वृत्ति को जो बाह्य विषयों से तुम्हारा सम्बन्ध कराती है बन्द रखो । अधिक ह्यान धातक है ।</p>	<p>१. अप्रमत्तेन वेदव्याख्यानं शरवत्तमयोऽभवेत् । ( मुण्डक २।२।४ ) यदो पञ्चावतिष्ठन्ते ह्यानानि मनसा सह । बुद्धिश्वर न विचेष्टति तमाहुः परमाणुं गतिम् ॥ ( कठघली ) न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नान्यदेवैः तपसा कर्मणां वा । ह्यान प्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्तुतं एश्यते निष्कलं ध्यायमानः । ( मुण्डक ३।१।६ ) एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । ( मुण्डक ३।१।६ ) दह्यन्ते धमायमाताज्ञां धातूर्णा द्वियथा मलाः ।</p>
<p>२. सूक्ष्म सावधान होकर तीर की तरह तन्मय होने से ही वह प्राप्त किया जातकर्ता है । जब सब इन्द्रिये मन और बुद्धि जान पूर्वक निश्चल हो जाती हैं तब परम गति प्राप्त होती है । वह ग्रांथ से देखा नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वह किसी इन्द्रिय के लिये मापदण्ड नहीं है । जब ज्ञान के प्रसाद से आत्मा शुद्ध और निरचेष्ट हो जाता है तभी उस का अनुभव किया जा सकता है । यह सूक्ष्म आत्मा चिन्त से ही जाना जाता है जिस में प्राण यांश प्रकार से प्रविष्ट है । जिस प्रकार धातुओं को पिघलाने वर उन के मल नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्रायश्चित्त करने से मन के मैल नष्ट हो जाते हैं ।</p>	

३. सूक्ष्म सावधान होकर तीर की तरह तन्मय होने से ही वह प्राप्त किया जातकर्ता है । जब सब इन्द्रिये मन और बुद्धि जान पूर्वक निश्चल हो जाती हैं तब परम गति प्राप्त होती है । वह ग्रांथ से देखा नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, वह किसी इन्द्रिय के लिये मापदण्ड नहीं है । जब ज्ञान के प्रसाद से आत्मा शुद्ध और निरचेष्ट हो जाता है तभी उस का अनुभव किया जा सकता है । यह सूक्ष्म आत्मा चिन्त से ही जाना जाता है जिस में प्राण यांश प्रकार से प्रविष्ट है । जिस प्रकार धातुओं को पिघलाने वर उन के मल नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्रायश्चित्त करने से मन के मैल नष्ट हो जाते हैं ।

चरित्री धर्म ग्रन्थ	उपनिषदेः
<p>मैं तु म्हारे साथ प्रकाश के उष्ण- तम शिखर पर चलगा जहां कि हम वास्तविक झोत पर पहुँच जायगे ।</p>	
<p>२. जिस प्रकार कपड़ोंसे शरीर ढका जाता है उसी प्रकार इस ने सम्पूर्ण जगत् को ढका दुःख है ।  ( Part I. ch. xxx. )</p>	<p>२. ईशावास्य मिदे लब्धे वर्तिकात्म जगत्वां अगत् ।<sup>३</sup></p>
<p>३. इसे महान् से महान् और सूक्ष्म से वस्तुओं में भी पुकारा जा सकता है ।</p>	<p>३. अणोरम्योयान् यतो मणीयान् ।<sup>४</sup> ( कठ० )</p>
<p>४. हम इसे सुनना चाहते हैं परं सुन नहीं पाते अतः इसे 'अश्राव्य' कहते हैं । हम इसे पकड़ना चाहते हैं परं पकड़ नहीं पाते अतः इसे 'अस्पर्श' कहते हैं ।  उस का वर्णन नहीं किया जा सकता इसी से हम उस के सब गुणों की इकट्ठा देखने का यत्न करते हैं और "एकत्व" को प्राप्त कर लेते हैं ।</p>	<p>४. नायमीत्यो प्रवचेन लभ्यो म मेधया न बहुधा श्रुतेन । न सन्दृशा तिष्ठति रूपमस्य म चक्षुवा पश्यति कथितैनम् । हृदामनीषी मनसामिल्लक्षी य पतदिदु अमृतास्ते भवन्ति । नैव धाचा न मनसा प्राप्तुशब्दो न चक्षुषा । अस्तीति ब्रुवतोऽन्यन्य कथं तदुपलभ्यते । ( कठ ) पद्मावतोऽन्यानत्येति ।<sup>५</sup> ( ईश )</p>

१. चंसार की प्रस्त्रेक वस्तु में दृश्य की बत्ता है ।
२. वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान् से महान् है ।
३. वह सुनने से नहीं जाना जा सकता, उसे बुद्धि या विद्या द्वारा भी नहीं जान  
सकते । उस का रूप किसी को दिखाई नहीं दे सकता, आंखों से उसे किसी भी  
नहीं देखा । अपने हृदय द्वारा जो विवृति उसे जान पाते हैं वे अमृत हो जाते  
हैं । वह वाणी मन या आंखों से प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह है यह कहते  
हुए भी प्राप्त नहीं होता । वह स्थिर है परन्तु दौड़ने वाले उस से पिछड़ जाते हैं ।

चीनी धर्म ग्रन्थ	उपनिषदें
<p>हम उस से मिलते हैं परन्तु उस का अग्रभाग नहीं देख पाते, हम उस का अनुसरण करते हैं परन्तु उस की पीठ नहीं देख पाते ।</p> <p>( Part. I Book vii )</p>	
<p>जो उसे जानता है । वह उस का धर्णन नहीं कर सकता, जो उस का वर्णन करता है वह उसे नहीं जानता । तो क्या उस का “न जानना” ही “जानना” नहीं ? और “जानना” ही “न जानना” नहीं है ? परन्तु कौन कह सकता है कि इसे न जानने वाला अवश्य ही इसे जानता है !</p> <p>( Kwangze book Part I. Book xxii )</p>	<p>५. यो नस्तद्वेद तद्वेद । नो न वेदैति वेद च । यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानता विज्ञातमेवि- जानताम् ।</p>
<p>६. यह पहले भी येसा ही था जैसा कि अब है । यह सब के शरीरों को घटाता और सजाता है ।</p> <p>( Kwangze book xxii. and vi. )</p>	<p>६. गहूरेष्टु पुराणम् ।<sup>१</sup> ( कठ बह्ली ) त्वष्टा विश्वकर्मा ।<sup>२</sup> ( ऋ० ८१४ )</p>

यज्ञ — भारतवर्ष के प्राचीन तम काल के कर्मकालड का एक बड़ा भाग यह हैं । चीन के प्राचीन इतिहास में भी यह कर्मकालड इसी रूप में उपलब्ध होते हैं । प्रो० हर्थ का कथन है— “राजा शू-किङ्ग और उसके वंशजों

- 
- ४. जो उसे नहीं जानता वही उसे जानता है । जो उसे जानता है वह नहीं जानता । जो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ वह वास्तव में उसे नहीं जानता, जो उसे समझता है वही उसे जानता है ।
  - ५. वह प्राचीन काल से रहस्यमय और यक रस है ।
  - ६. उसी ने वह संसार और वे शरीर घड़े हैं ।

का वृत्तान्त पढ़ने से प्रतीत होता है कि बलिदान की क्रियाएँ चीनी अध्यात्म-जीवन का मुख्य भाग हैं, चाहे ये बलिदान शाँगती ( परमात्मा ) के नाम पर हों अथवा उसके आधीनस्थ अन्य छोटे देवताओं के नाम पर हों या अपने बापदादाओं की आत्माओं के प्रति हों। इन बलिदान की क्रियाओं ने अब तक भी कुलीन चीनियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर अधिकार किया हुवा है। अब तक भी वहाँ जो व्यक्ति जितना अधिक कर्मकारड़ी होता है वह समाज में उतना ही ऊँचा समक्षा जाता है। राजा के लिये भी कर्मकारड़ी होना आवश्यक होता है। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पर इस प्रकार के बलिदानों का प्रभाव चाहुंचंश ( १२ शताब्दि ६० पू० ) के उदय से भी पूर्व से चला आ रहा है। चाहुंचंश के राज्य काल में ही ये प्रथाएँ पूर्ण रूप से विच्छिन्न होकर स्थिर प्रथाएँ बन गईं।”

प्राचीन आर्य ऋतु सम्बन्धी यज्ञ किया करते थे क्योंकि वे अग्नि को अहुत अधिक पवित्र करने वाला समझते थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्यतया इन्हीं ऋतु सम्बन्धी यज्ञों का वर्णन है। प्रतीत होता है कि प्राचीन चीनी लोग भी ऐसे ही यज्ञ किया करते थे। डाकूर लेगे ने ‘शिकिङ्ग का इतिहास’ नामी पुस्तक की भूमिका में लिखा है—“चीन में प्राचीन काल से ही अग्नि अत्यन्त पवित्रता के सन्मान वाला समझा जाता है। वहाँ प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ में राष्ट्रीय अग्नि इस उद्देश्य में सुलगाई जाती थी कि उसके द्वारा ऋतु के बुरे प्रभावों से रक्षा हो। इस प्रयोगन के लिये किन्हीं विशेष वृक्षों की लकड़ी ही काम में लाई जाती थी। इन अग्नियों का प्रबन्ध एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होता था। राजा टिं कूह काओ सेन ( २१६० ई० पू० से २०८५ ई० पू० ) के राज्य काल में इस प्रकार का प्रबन्ध प्रारम्भ हुआ था।”

भारतवर्ष के इतिहास में भी एक ऐसा काल आ चुका है जब कि यज्ञ बलिदान आदि का क्रिया क्राएँड,—जिसका उद्देश्य परमात्मा और उसकी इच्छा के अनुकूल वैयक्तिक और सामाजिक कर्म करना था,<sup>१</sup> बिगड़ कर पशुबलि के रूप में परिवर्तित हो गया। सम्भवतः इस का प्रभाव चीन पर भी पड़ा। इस अंश में भी चीन ने अपनी मातृभूमि भारत का अनुकरण किया, डाकूर लेगे का

१. बीद्रायन गृह परिभाषा सूक्त में यज्ञ का यही अभिप्राय बताया है—“स चतुर्थं च्छेष्य उपास्यस्य,— स्वाध्याय यज्ञो, जपयतः, कर्म यज्ञः मानवश्चेति तेषां परम्पराद्वशुणोन्तरे वीर्येण। ब्रह्मचारी—गृहस्थ—वानप्रस्थ—यतीनां विशेषेण प्रत्येकः। सर्व एवैतं गृहस्थस्या प्रतिषिद्धाः क्रियात्मकत्वात्। ( १।१। २०-२३ )

कथन है— “चीन में बलिदानोत्संबंध करने से पूर्व मुख्यतया राजा स्था उसके साथियों को उपवास आदि पवित्र होने के साथन करने होते थे । इन उत्सवों में सभी आधीनस्य राजे भी सम्मिलित हुआ करते थे । सुगन्धित द्रव्यों की आड़तियें हृदय को आकर्षित करती थीं । एक कार्यकर्ता जो मुख्य द्वार में चैढ़ा होता था प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति की सूचना ऊँची आवाज़ से देता जाता था । मुख्य बलि—लाल बैल-का बलिदान राजा स्थां अपने हाथों से करता था । बलिदान के बहुत से अन्य पशु भी होते थे । यह के शेष सब कार्यकर्ता अपने २ काम पर लगे होते थे । ये काम थे— मरे हुए पशु को कोड़े लगाना, मांस को उबालना या भूनना, उसको सूख्लों और तस्तियों पर रख कर याहिकों के लिये लाना । राजमहल से राज महिलाएँ आकर गाती बजाती थीं, उस समय शराद का प्याला भी चक्र लगा रहा होता था ।”

भारतीय तान्त्रिक रूपों के साथ यह वर्णन पूरी तरह मेल खाता है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों का कथन है कि यह पात्र लकड़ी के बनाए जाने चाहिये । इसी प्रकार कांड़ी पुस्तक के बारहवें भाग में लिखा है— “सौ वर्ष पुराने दृश्य के एक भाग को काट कर एक यह पात्र घड़ना चाहिये जिसके एक ओर बैल की मूर्ति भी बनी हो ।”

**सृष्टात्माओं के लिये श्राद्ध**— प्राचीन भारत में पितृ यज्ञ या पूज्य व्यक्तियों की सेवा एक गृहणी का आवश्यक कर्तव्य समझा जाता था । परन्तु कालान्तर में पितृयज्ञ का अभिग्राय मृत पितरों के नाम पर बलि चढ़ाना और ब्राह्मणों को भोजन देना समझा जाने लगा । शीकिङ्ग पुस्तक के डाकूर लेगे द्वारा किए गए अनुवाद से प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की इस विकृत प्रथा का भी हृव्य हृव्य अनुसरण किया— “चीनी लोगों में चिरकाल से यह विश्वास चला आता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म रूप से मौजूद रहती है और उस मनुष्य के वंशजों का कर्तव्य होता है कि वे उस की आत्मा को सन्तुष्ट करने के लिये कुछ धार्मिक क्रियाएँ किया करें । चीनी धर्म ग्रन्थों में राजमन्दिरों में होने वाले इस प्रकार के कर्मकाण्डों के लिये सुगन्धित द्रव्यों की आवश्यकता बताई है । साथ ही इस सम्बन्ध के धन्यवाद पूर्ण गीत और प्रार्थनाएँ आदि भी लिखी हैं । इस श्राद्ध क्रिया के काल, पात्र, विधि स्थान आदि का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है । इन क्रियाओं द्वारा मृत पितरों की आत्माएँ हवि को स्वीकार करने के लिये बुलाई जाती थीं ।”

**परमात्मा सम्बन्धी विचार—** शीकड़ के वृत्तान्तों द्वारा प्रतीत होता है कि प्राचीन चीनी लोग एक ही देवता के उत्तरासक थे। देवराज शाङ्कुती की सर्वसाधारण चीनी लोग ईश्वर के समान पूजा करते थे। चीन की प्रत्येक जाति में किसी न किसी नाम से शाँगती की उपासना अवश्य की जाती थी। शीकड़ पुस्तक के अनुवाद की भूमिका में डाकूर लेगे ने लिखा है— “प्राचीन चीन में परमात्मा के लिये जो शब्द प्रयुक्त किया जाता था उसका अर्थ ‘शासक’ है। ‘शासक’ शब्द से परमात्मा की सर्वोच्चता भली प्रकार घोषित होती है; राजा की आज्ञा मानने से ही ईश्वर प्रसन्न होगा और उसकी आज्ञा मांग करने से ईश्वर का अवज्ञे गिरेगा। जब प्रजाएँ पाप करती हैं तब ईश्वर उन को तूफान, झाँঁঢ়ি, दुर्भिक्ष आदि द्वारा दण्ड देता है।”

जिस प्रकार चीनी लोग ‘शासक’ शब्द द्वारा शाँगती का सम्बोधन करते थे उसी कार निष्ठलिखित वेदमन्त्र में भी इसी भाव द्वारा ईश्वर को स्वरण किया है— “जगत के सप्ताह और विष्वात् वरण की मैं स्तुति करता हूँ। वरण ने सूर्य के सामने पृथ्वी को इस प्रकार फैलाया है जिस प्रकार कि कसाई चमड़े को फैलाता है। उसने वनों में वायु को फैलाया है, घोड़ों में बल और गौओं में दूध दिया है, मनुष्य में बुद्धि और पानी में आग ( बादल में विजली ) रखकी है, आकाश में सूर्य और पहाड़ों में सोमलता को पैदा किया है। जब वह भूमि से दूध दुहना चाहता है तब वह उसे और कृषि को सींचता है। उसी के द्वारा पर्वत बादलों में ढके रहते हैं।”

मैक्टीकल की “इरिडियन थीज़म” पुस्तक का निष्ठलिखित उद्घरण वैदिक शाँगती के गुणों को स्पष्ट करता है— “यह वरुण सब से ऊँचे लोकों में विराजमान है और मनुष्यों का निरीक्षण कर रहा है। उस के सहस्रों दूत संसार की सब सीमाओं तक जाते हैं और मनुष्यों के कायों को खबर लाते हैं। यद्यपि उसमें अनेक गुण हैं तथापि मुख्यतया वह सामाजिक सदाचार का ही निरीक्षक है। अन्य सब वैदिक देवताओं की तुलना में वह एक ऐसा देवता है जिस के सन्मुख जाते ही भक्त लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। वह सदैव भलाई और बुराई का निरिक्षण करता रहता है। वह उरम रक्षक सब स्थानों को मानने बिल्कुल समीप से देखता है। केवल दो व्यक्ति भी जहाँ बड़ी गुपता से कोई सलाह कर रहे होते हैं वहाँ यह तीसरा व्यक्ति-वरुण-अवश्य उपस्थित होता है। भुलोक से परे भी कोई ऐसा थान नहीं है जहाँ जाकर प्राणी वरुण से छिप सकें।

**आध्यात्म सिद्धान्त**—भारत और चीन दोनों देशों के आत्मा और प्रकृति आदि के सम्बन्धी प्राचीन दार्शनिक विचार भी एक ही प्रकार के हैं। भारतीय सिद्धान्तों की ध्वनि ही चीनी प्रन्थों में पाई जाती है। प्रो० विनय कुमार सरकार ने अपनी “Chines Religion through Hindu Eyes” नोमक पुस्तक में लिखा है—“चीनी दर्शनों में द्वैत तथा अद्वैत सम्बन्धी विचार और ब्रह्म के सम्बन्ध में असीम पन, अज्ञेयवाद, आदि की कल्पनाएं प्राप्त होती हैं। द्वैत के उदाहरण के लिये चीनी यड्डु और यिन तथा भारतीय पुरुष और प्रकृति, सर्व और पृथ्वी, खी और पुरुष के उदाहरण लिये जा सकते हैं। सात आठ शताब्दि पूर्व के चीनी और भारतीय कर्मकारण, विचार, आदर्श आदि हृबहू मिलते हैं।”

**पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त**—पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धान्त वैदिक सिद्धान्तों में आधारभूत है। प्राचीन चीन में भी यह सिद्धान्त इसी रूप में प्रचलित था। कांग्जी पुस्तक ( १६६ ) में लिखा है—“वह उत्पादक सच मुख महान है। वह तुम्हें किस रूप में परिवर्तित करे ? वह तुम्हें कहां दे जायेगा वह तुम्हें चूहा या कीट पतङ्ग बना डाले ?”

( Text of Toism S.B.E. Part I. Page 244 )

II. थेशाङ्कु पुस्तक में लिखा है—“मनुष्य के भाग्य में सुख या द्रुख के आने का कोई विशेष द्वार नहीं है; वे तभी आते हैं जब उन्हें मनुष्य स्वयं बुलाता है। अच्छे बुरे कामों के साथ छाया की तरह उन का फल लगा रहता है।”

**जगत की उत्पत्ति**—वेद और शास्त्रों का कथन है यह सब हृश्य जगत अपनी वर्तमान अवस्था की उत्पत्ति से पूर्व अयक्त रूप में मौजूद था—

तम आप्नीत्तमसागृहमये ( कठवेद १०.१२६. ३ )

“जगत की उत्पत्ति से पूर्व यह सब अन्धकारमय था।” मनुस्मृति के श्रथम अध्याय का पांचवा श्लोक है—

आसीदिदं तमो भूतमप्रक्षातमस्तरम् ।

अप्रत्यर्थमविच्चेयं प्रसुम्भित्वं सर्वतः ॥

“उत्पत्ति से पूर्व यह जगत अन्धकारमय था; उस समय की अवस्था कहलक्षण नहीं किबा जा सकता, उसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। उस का कोई खूल रूप नहीं था अतः उसे इन्द्रियों के ज्ञान से समझा ही नहीं जा सकता था।”

इसी प्रकार कांगड़ी पुस्तक के सातवें भाग में लिखा है—“सब वस्तुएं क्रमशः अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर अदृश्य हो जाती हैं।”

( Text of Toisms S.B.E. Part I. Page 134 )

इसी प्रकार १० वें भाग में आता है—“इस कथन से तुम्हारा क्या अभिप्राय है कि इस का कोई आदि और अन्त नहीं। कांगड़ी ने उत्तर दिया—यह परिवर्तन, बनना और बिगड़ना, निरन्तर सभी वस्तुओं में बराबर होता रहता है। परन्तु हम नहीं जानते कि वह कौन सी शक्ति है जो सब वस्तुओं को जारी रखती है।”

यजुर्वेद का कथन है—

“यथा पूर्वमकल्पयत्”

“ईश्वर ने संसार को उस रूप में पैदा किया जिस में कि यह पहले था।”  
पैदान्त दर्शन का सूत्र है—

न कर्मादिति वेत्त्रात्मादित्वात् ( २ । १ । ३५ )

“कर्म ही संसार के जीवों में विषमता और दुःख आदि का कारण नहीं हो सकता। क्यों कि सृष्टि के प्रारम्भ में सब जीव कर्म रद्दित थे—यह युक्ति ठीक नहीं है क्यों कि संसार का प्रारम्भ ही नहीं है।

चीनी विद्वान् लिज्जू का कथन है—“जीवन को किसी ने पैदा नहीं किया जीवन में परिवर्तन लाने वाला स्वयं परिवर्तन शील नहीं है। जो स्वयं पैदा न हो वही जीवन को पैदा कर सकता है। स्वयं अपरिवर्तन शील ही दूसरे में परिवर्तन ला सकता है। जीवन उत्पन्न नहीं होता अपि तु परिवर्तित होता है। इसी से उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सदैव विद्यामान रहते हैं।”

दोनों सिद्धान्तों में कितनी अधिक समानता है

योग और प्राणायाम—भारत और चीन के प्राचीन तपस्वियों के जीवन का मुख्य भाग योग और प्राणायाम है। शिवसंहिता में लिखा है—

सुखोभने मठे योगी पद्मासन समन्वितः ।

आसीनोपि संविशत् पद्मनाभ्यासमाचरेत् ॥

समकायः प्राञ्जलिष्ठ प्रणाम्य च गुरुहृ सुधी ।

दण्ड वामेच विघ्नेशं जल यत्तम्बिका युनः ॥

ततश्च उज्जाङ्गुहीन निश्चय पिंगला सुधी ।  
 ईड्षा पूरयेद्वायुं यथा शक्त्या तु कुम्भयेत् ॥  
 ततस्त्वक्त्वा पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥

अर्थात् “योगी एक सुन्दर और रमणीय घर में कुशासन पर बैठ कर पश्चासन लगाए हुए प्राणायाम का अभ्यास करे । पहले वह सीधा बैठ कर अपना शरीर स्थिर कर के हाथ जोड़ कर अपने गुरु को नमस्कार करे, इस के बाद दायं हाथ के अंगूठे से पिंगला ( नाक का दायां छेद ) को बन्द करे और इडा ( दायां छेद ) द्वारा फेफड़ों को भर कर कुम्भक करे और फिर वायु को पिंगला द्वारा धीरे धीरे छोड़े । ”

चीनी ग्रन्थों में लिखा है “( i - ) मनुष्य अपने स्वास्थ्य धन-प्राण वायु-का निरोध कर के ताथो मार्ग के उच्चतम पदों को प्राप्त कर सकता है । ( ii ) वह अपना मुख बन्द कर के नाक को बन्द करे और इस प्रकार प्राण वायु को अन्दर बन्द करने से उस के जीवन को श्रम जनक थकावद्दूर होगी । ( iii ) वह अपने होंठ चिपका लेवे, अपने जबड़ों को भींच ले, अपनी आँखों और कानों से न देखे न सुने । इस अवस्था में वह अपने अन्दर के भावों पर विचार करे । वह दीर्घ श्वास ले और उसे एक दम छोड़े । ”

### निष्ठाम् कर्म— गीता का कथन है—

युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ॥  
 श्रयुक्तः काम चारेण फले सक्तो विवर्धयते ॥

“योगी पुरुष कर्म फल की आशा को छोड़ कर खिर शान्ति प्राप्त करता है । योग रहित अस्थिर मति मनुष्य फलेच्छा के वश में हो कर बन्धन में बंध जाते हैं । ”

इसी प्रकार कांगड़ी पुस्तक के पन्द्रहवें भाग में लिखा है—

“जो मनुष्य सब वस्तुओं को भुला देता है और फिर अपने पास रखता है, जिसकी शान्तिनिस्सीम है उसको सब अमूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं । ”

**पूर्ण योगी और जीवन मुक्त— भारतीय और चीनी योगियों के सम्बन्ध के निम्नलिखित उदारणों द्वारा दोनों की समानता की तुलना भली प्रकार कही जा सकेगी—**

चीनी ग्रन्थ	भारतीय शास्त्र
<p>जब हम सोते हैं तब आत्मा अन्दर जागृत रहता है, जब हम जागते हैं तब शरीर स्वतन्त्र हो जाता है।</p> <p>Text of Toims. S.B.E. PartI. P. 336</p> <p>क्वा शरीर को बिखरे हुए वृक्ष की तरह और मन को बुझे हुए चूने की तरह बनाया जा सकता है।</p>	<p>समाधि, सुशुस्ति और मुक्ति में आत्मा विश्राम करता है और इस का स्वरूप ब्रह्म सर हो जाता है। ( सांख्य ११६ )</p> <p>जिस प्रकार गरम पर्याप्त परडाला गया पानी चारों ओर से संकुम्भित होकर सूखता जाता है, उसी प्रकार यह प्राण निरन्तर अन्दर और बाहर आता हुआ अधिक परीक्षण के कारण अपना कार्य छोड़ने लगता है और शरीर अधिक शिथिल पड़ जाता है। ( वाचस्पति कृत योग टीका २५० )</p> <p>योगी रुई से छेकर परिमाणु तक की सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा ध्यान योग का अभ्यास करके स्वयं सूक्ष्म रूप हो जाता है तब उस में आकाश में उड़ सकने और पानी पर चल सकने की शक्ति आजाती है। वह मकड़ी के जाले पर चल सकता है, वह सूर्य की किरणों पर सैर कर सकता है। इस प्रकार वह अपनी इच्छानुसार सब कहीं जा सकता है। ( व्यासकृत योग भाष्य ३। ४२ )</p> <p>मन का, शरीर की परवाह न कर के, बाह्य स्तम्भन करने को यहां विदेह कहते हैं। इस के द्वारा प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और योगी दुसरे मनुष्य शरीर में भी प्रवेश कर सकता है।<sup>३</sup> ( योग० ३। ४३ )</p>
<p>१. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चकाश गमनम् ।</p> <p>२. वहिरकल्पिता वृत्तिर्भिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणकृया ।</p>	

१. कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात् लघुतूल समापत्तेश्चकाश गमनम् ।

२. वहिरकल्पिता वृत्तिर्भिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणकृया ।

चीनों ग्रन्थ	भारतीय शास्त्र
<p>हैं, वह अपनी अन्तरात्मा से बात करने लगता है। वह शूल्य स्थान में भी पदार्थों को देखता है और अपने को देवताओं के साथ रहता हुआ अनुभव करता है। उसे एक अपूर्व आनन्द होता है उस की आत्मा अन्दर ही यथेच्छ भ्रमण कर सकती है।</p> <p>( Text of Toism. S.B.E. II, Pages 270-71. )</p>	<p>बस्तुओं के स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा उनके सम्बन्धों पर विचार करने से योगी को सूक्ष्म भूतों का भी ज्ञान हो जाता है, वह भूत और भविष्य को भी जान सकता है। वह दिव्य स्पर्श करता है, स्वर्गीय सुगन्ध सूंघता है, स्वर्गीय स्वाद लेता है। ये सब आनन्द उसे खिर रूप से प्राप्त हो जाते हैं।<sup>१</sup></p> <p>( योग० ३। ४४ )</p> <p>उदान पर जय प्राप्त करने से जल और कांटे आदि योगी को नहीं सता सकते, वह आकाश में भी उड़ सकता है।<sup>२</sup></p> <p>( योग० ३। ३६ )</p> <p>भावों पर विचार कर के योगी दूसरे के मन को बात जान सकता है।<sup>३</sup> ( योग० ३। ३६ )</p> <p>आसनों की सिद्धी करके योगी सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है।<sup>४</sup> ( योग० ४८ )</p> <p>हे अर्जुन मात्रा, स्पर्श, सरदी, गरमी, विजय, हार, सुख, दुख, इन सब सब की परवाह छोड़ कर तुम</p>

१. स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्व संयमाद् भूतजयः ।

२. उदान जयाज्जल पङ्क कशटकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिष्ठ ।

३. प्रत्यस्य पर वित्तज्ञानम् ।

४. शीतोष्णदिभिर्द्वृन्दैरान जयान्तभिमूयते । ततो द्विवानभिघातः ।

ग्रन्थ	भारतीय शास्त्र
<p>पूर्ण रूप से अपने में धारण कर लिये हैं, वह बालक के समान निष्पाप है। उसे विशैले जीव नहीं काटेंगे। शिकारी जानवर उस पर नहीं टूटेंगे।</p> <p>( Text of Toism.)</p>	<p>सुखी हो सकोगे। * ( गीता ) पूर्ण अद्विता के पालन और परमामाता की समीपता से मनुष्य सर्वधन भय रहित हो जाता है। *</p> <p>( योग २ । ३५ )</p> <p>ऐसे मनुष्य के पास आकर उन जीवों की दुश्मनी भी नष्ट हो जाती है जो कि स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं; उदारणार्थ घोड़ा और भैंस, चूहा और बिल्ली, तथा सांप और नैबला अदि। *</p> <p>( योग २ । ३५ का वाचस्पति भाष्य )</p>

इस प्रकार सिद्ध होता है कि दोनों देशों के प्राचीन साहित्य और विचारों में बहुत अधिक समानता है। इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम दोनों देशों के साहित्य के अन्य भी वीसियों प्रमाण दे सकते हैं परन्तु हमारी आपना को पुष्ट करने के लिए इतने ही प्रमाण पर्याप्त होंगे। अब हम इस अध्याय के अगले प्रकरण में ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि चीन की मातृभूमि भारत वर्ष है और चीनी सभ्यता का विकास भी भारतीय सभ्यता से ही हुआ है।

४. मात्रा स्पर्शस्तुकौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा: ।

ग्रागमापायिनो निष्या तांसितिच्छस्त भारत ॥

५. शाश्वतिक विरोधा श्रावि यश्च महिष मूषक मार्जराहि नकुलादयोऽपि भगवतः प्रतिष्ठिताहिंस्य संनिधानात्तद्विसामुकारिषो वैरं परित्यजन्ति ।

( २ )

## ऐतिहासिक प्रमाण

साधारणतया यह समझा जाता है कि संसार भर के सम्पूर्ण देशों का पारस्परिक सम्बन्ध पश्चिम की इस नई सम्भवता के कारण ही खापित हो सका है। आज प्रायः सम्पूर्ण संसार साहित्यिक और आर्थिक दृष्टि से एक हो चुका है, राजनीतिक दृष्टि से भी अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित होने में अब देर नहीं है। इस सम्भवता के विकास से पूर्व विभिन्न देशों में गरस्तर कोई सम्बन्ध नहीं था; उन दिनों अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य का कोई नाम भी न जानता था। खास कर पूर्वीय देशों पर तो यह लाझ़उन और भी अधिक जौर से लगाया जाता है। परन्तु ज्यों ज्यों प्राचीन इतिहास की खोज अधिक होती चली जाती है यह मिथ्या विश्वास, जो कि लगभग एक निश्चित तथ्य की तरह समझा जाने लगा था, खण्डित होता चला जाता है।

दुर्भाग्य से पूर्वीय देशों का प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास आज पूरी तरह प्राप्त नहीं होता। इस लिये उन के प्राचीन सम्बन्धों को विस्तार से जान सकना प्रायः असम्भव हो गया है, तथापि उन के प्राचीन सम्बन्धों की सत्ता सिद्ध करने वाले प्रमाण आज भी बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकरण में हमें भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों के विस्तार में न जाकर केवल उनकी सत्ता ही सिद्ध करनी है।

प्राचीन काल में एशियाई देशों का सम्बन्ध केवल पूर्व तक ही सीमित नहीं था, अपितु सुदूर अमेरिका तक एशियाई सम्भवता—जिस का केन्द्र भारतवर्ष था—का प्रसार हो चुका था। सुप्रसिद्ध अमेरिकन चिद्रान डाकूर सेपिर वर्षों की खोज के अनन्तर इस परिणाम पर पहुँचे हैं—“अमेरिका के उत्तरीय भाग में रहने वाले मूल निवासियों ( Red Indians ) की भाषा का विकास प्राचीन चीनी, तिब्बती और स्यामी भाषाओं से ही हुवा है। प्राचीन चीनी भाषा और इन अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा में बहुत कम अन्तर है। आश्चर्य है कि प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean ) के दोनों ओर के सुदूर तटों की भाषा में इतनी समानता क्यों है। ऐसा प्रातीत होता है कि किसी प्राचीन काल में चीनी लोगों के कुछ जट्ये शल भाग से पर्वत और मैदानों को लांघते हुए कैनाडा हो कर अमेरिका पहुँचे होंगे और उन्होंके द्वारा अमेरिका के मूल-वासी भाषा सम्भवता आदि सीख सके होंगे।”<sup>१</sup> इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट प्रतीत

होता है कि उस प्राचीन काल में भी चीन और एशिया जैसे सुदूर देशों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुवा था ।

महा कवि कालिदास का समय ईसवी सम्वत के प्रारम्भ होने से पूर्व ही माना जाता है । महाकवि कालिदास के समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन और भारत का पारस्परिक व्यापार बहुत अधिक उन्नत अवस्था तक पहुँच चुका था । चीनी रेशम और चीनी कपड़े का भारत में खूब प्रचार हो चुका था । कालिदास के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ शकुन्तला में एक श्लोक आता है जिस का अर्थ है—“मैं अपने शरीर को आगे ले जा रहा हूँ परन्तु मेरा अव्यवस्थित चित्त उस प्रकार पीछे भाग रहा है जिस प्रकार कि जहाज़ का चीन देश का बना पाल जहाज़ को बायु से उलटी दिशा में ले जाने पर पीछे की ओर भागता है ।”<sup>1</sup>

इसी प्रकार कालिदास के समकालीन रघुनन्दन ने अपनी यात्रात्म नामक पुस्तक में लिखा है—“यात्रा से पूर्व मृदुद्रव्यों से खूब मालिश करे, सुगन्धित मालाएँ पहने और चीन देश के बने हुए सुन्दर कपड़े धारण करे ।”<sup>2</sup>

**चीन और भारत का सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ—** भारत और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध उस प्राचीन काल से चला आता है जब कि चीन में सब से प्रथम मनुष्यों ने बसना शुरू किया । भारतवर्ष प्राचीन चीन की मातृ भूमि है । भारतीय लोग ही चीन देश में जाकर बसे । इस ऐतिहासिक तथ्य का अविष्कार सब से पूर्व रायल एशियाटिक सोसाइटी के प्रधान सर विलियम जोन्स ने ही किया है । इस से पूर्व समझा जाता था कि चीन को आवाद करने का श्रेय तिब्बत या अरब को ही है । चर्तमान चीनी जाति का उद्भव चीन देश में ही हुआ है यह बात मानने वालों की संख्या बहुत कम है ।

संस्कृत साहित्य में ‘चीन’ शब्द बहुत खानों पर प्रयुक्त हुवा है, इस का अभिप्राय मौजूदा चीन देश से ही है । मनुस्मृति के अनुसार चीनी जाति के लोग भारतीय क्षत्रिय वर्ण के ही मनुष्य हैं—“पौरङ्ग, ओड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पलव, चीनी, किरात, धनद और खश ये

1. गच्छति पुरः शरीरं धार्ति पश्चादसंस्थितं चेतः ।

चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीषमानस्य ॥ ( शकुन्तल )

2. सर्वाम्भुमनुलिप्येत् चन्दनेन्दु मदुद्रव्यैः ।

सुगन्धि मालाय भस्तैश्चीन चेतेः सुशोभनैः ॥ ( यात्रा तत्त्व )

सब जातियाँ एक समय भारतीय क्षत्रिण वर्ण में ही अन्तर्गत थीं, उस समय ये जाति भेद न थे । पीछे से जब ये जातियाँ दूर देशों में जाकर बस गईं और भारतीय ग्राहण इनके आचार आदि का नियन्त्रण न रख सके तब ये सब जातियाँ शूद्र ही गईं ॥<sup>३</sup>

सर चिलथम जोन्स ने भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि सिद्ध करते हुए एक बहुत मनोरञ्जक प्रमाण दिया है : उनका कथन है— “संस्कृत के एक विद्वान काश्मीरी परिणित ने मुझे एक ‘शक्ति संग्रह’ न मक प्राचीन पुस्तक, जो कि काश्मीरी अक्षरों में लिखी हुई थी, दिखाई । इस पुस्तक में एक अध्याय चीन देश पर भी था । इस पुस्तक में बताया हुआ था कि चीन देश में भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग जाकर ही आबाद हुवे हैं । चीन देश २०० भागों में विभक्त है आदि । वह परिणित वर्तमान भूगोल के सम्बन्ध में बहुत कम ज्ञान रखता था । मैंने उसके सामने एशिया का एक नकशा रख कर उसे काश्मीर का स्थान दिखा दिया और पूछा कि अपनी पुस्तक के आधार पर बनाओ कि वह चीन देश कहाँ है ? उसने शीघ्रता से अपनी अड़ली वर्तमान चीन के पश्चिमोत्तर भाग पर रखकर कहा— चीनी लोग सब से पूर्व इस स्थान पर बसे थे, परन्तु मेरी पुस्तक में वर्णित ‘महार्चीन’ का चिस्तार इस स्थान से लेकर पूर्व दक्षिणीय समुद्र तक है ।” जब भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में जगह २ चीन का वर्णन उपलब्ध होता है और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता और धर्म में इतनी अधिक समानता है तब भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि न मानने के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।

रामायण में चीन देश के लिये आता है कि उस देश में रेशम के कीड़े पैदा होते हैं ।<sup>४</sup>

इस प्रकार इन सब प्रमाणों से प्रतीत होता है कि भारत और चीन का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है ।

भारतवर्ष के प्राचीन धर्म, सभ्यता, साहित्य आदि में बहुत अधिक समानता है इसलिए इस अध्याय के पूर्वांक में सिद्ध कर चुके हैं । दोनों

३. गनकैस्तु क्रियालोपादिभा उचिय जातयः ।

वृषत्तर्वं गता लोके ब्राह्मणानामदर्शनात् ॥

पौवद्वकाष्ठौड्वविद्वः काम्पोजा यवमाः शकाः ।

पारदाः पद्मावचीनाः किराता चनदा खशाः । (मनुस्मृति)

४. भूमिष्ठ कोष क्राराणं भूमिष्ठ रजताकराम् । (किञ्चिकान्या कांच्छ ४० । २५ )

देशों का व्यवसायिक और व्यापारी सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है—यह सिद्ध हो चुका है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि भारतवर्ष को चीन की मातृभूमि क्यों माना जाय, चीन को ही भारत की मातृभूमि क्यों न मान लिया जाय। यह समस्या बहुत जटिल नहीं है। जब स्पष्ट रूप से भारतीय साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि भारतीय क्षत्रिय वर्ण के लोग ही चीन देश में जाकर आवाद हुवे हैं तब दूसरे पक्ष का कोई प्रमाण उपस्थित न होने से इस स्थापना में शंका करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तथापि इस सम्बन्ध में हम एक और गुक्ति देना चाहते हैं।

प्रो० मैक्समूलर का कथन है कि ऋग्वेद संसार का सब से प्राचीन ग्रंथ है; इससे प्राचीन ग्रंथ कम से कम वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता। वह ऋग्वेद का निमाणकाल कम से कम २५०० वर्ष ₹० पूर्व मानते हैं; उनका कथन है कि ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता तो २५०० ₹० पूर्व से भी बहुत पुरानी है। इसी प्रकार अन्य पाण्डवात्य पुरातत्व वेता और विचारक भी ऋग्वेद को संसार का प्राचीन तम ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु ताओं मार्ग की प्राचीनता अधिक से अधिक ₹००० ₹० पूर्व समझी जाती है। इस अवस्था में वैदिक शिक्षाओं का उद्भव ताओं मार्ग से होना सर्वथा असम्भव प्रतीत होता है।

एक और बात भी है। चीनी और भारतीय साहित्य में जो जो बातें समानता लिये हुए पाई जाती हैं उन का पूर्ण और विकसित वर्णन हमें भारतीय साहित्य में ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये योग और प्राणायाम को लिया जा सकता है। भारतीय शास्त्रों में इन दोनों की जितनी विस्तृत और विकसित व्याख्या है, चीनी धर्म ग्रन्थों में उस का दर्शायें भी प्राप्त नहीं होती। ताओं मार्ग में केवल प्राणायाम द्वारा होने वाली थोड़ी सी सिद्धियों का ही वर्णन है परन्तु योग दर्शन में प्राणायाम और योग का विविध सहित पूर्ण वैज्ञानिक रूप से वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्रह्मविद्या का जो विस्तृत वर्णन उपनिषदों में है वह ताओं मार्ग के ब्रह्म सम्बन्धी उपदेशों में कहाँ।

चीन देश को आवाद करने का सथा वहाँ सभ्यता का प्रकाश फैलने का श्रेय प्राचीन भारतीयों को ही प्राप्त है; चीनी लोगों के प्राचीन आदि-पुरुष भारतीय क्षत्रिय ही थे। इस का प्रमाण हम मनुस्मृति द्वारा इस

प्रकरण के प्रारम्भ में ही दे चुके हैं। इस प्रसङ्ग में मनुस्मृति की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ निर्देश करना अप्रासङ्गिक न होगा। बहुत से ऐतिहासिकों का विचार है कि यद्यपि सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु के सिद्धान्त भी आचार्य शुक्र के सिद्धान्तों की तरह बहुत प्राचीन हैं परन्तु वर्तमान मनुस्मृति के रूप में उपलब्ध होने वाले ग्रन्थ का निर्माण काल मध्ययुग में, इसी सम्बन्ध प्रारम्भ होने के बाद, ही है। परन्तु हमारी सम्भति में मनुस्मृति का यह स्वरूप भी पर्याप्त प्राचीन है। यह कम से कम महात्मा बुद्ध के जन्म से तो पूर्व का ही रूप है। कर्मों कि जहाँ मनुस्मृति में अपने समय के आचार विचार, सिद्धान्तों और आदर्शों का विस्तार के साथ वर्णन है वहाँ बौद्ध आचार विचारों का ज़िक्र भी नहाँ किया गया; अगर मनुस्मृति का निर्माण काल महात्मा बुद्ध के बाद होता तो यह बात सर्वथा असम्भव थी। इसी प्रकार बौद्ध धर्म ग्रन्थ धर्म पद में कुछ ऐसे श्लोक आते हैं जो मनुस्मृति के श्लोकों का पाली संस्करण मात्र ही प्रतीत होते हैं। अगर मनुस्मृति का निर्माण काल बौद्ध धर्म के अर्विभाव के बाद होता तो यह बात भी असम्भव था। हम उदाहरण के लिये केवल दो श्लोक मात्र देना ही पर्याप्त समझते हैं—

मनु	धर्म पद
अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।	अभिवादन सीलस्स नित्यं बुद्दा पचमिनम् ।
वृत्तवारि तस्य वर्धन्ते आशुर्विद्या यशोबलम् ॥ १२१ ॥	वृत्तवारि धर्मावहृन्ति आनुयवणपी सुलम् ॥ viii ६ ॥
न तेन वृद्धो भवति । येनास्य पलितं शिरः ।	न तेन चेतो सीहोती चेतस्स पालितं सिरो ।
यौं वै युवाण्यधीयान- स्तं देवाः स्याविरं विदुः ॥ १५६ ॥	परिपक्वो वचो तस्मं मधिजितोति बुधवति ॥ xi. ५ ॥
( मनु अ० २	

इस का कारण यही प्रतीत होता है कि मनुस्मृति के ये श्लोक बौद्ध काल से पूर्व इन्हे अधिक सर्वथिय हो चुके होंगे कि धर्मपाद के कर्त्ताओं ने भी उन्हें इसी रूप में रखना उचित समझा हागा। इसी प्रकार महाभारत में भी बहुत से स्थानों पर मनुस्मृति के श्लोक छब्बू उसी रूप

में उपलब्ध होते हैं और उनका मनुस्मृति से लिया जाना महाभारत कारने स्वयं स्वीकार किया है। इन युक्तियों के आधार पर मनुस्मृति की प्राचीनता में सन्देह नहीं रहता।

चीन के सम्बन्ध में महाभारत का एक और प्रमाण दे कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे। शान्तिर्व में महाराज युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न करते हैं—“यवन, किरात, कान्धारी, चीनी, शबर, वर्बर, शक, तुगार, कङ्ग, पल्लव, अंग, मद्रक, पौराङ्ग, पुलिन्द, अरटु, काच और म्लेच्छ जातियाँ जो कि भारतीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के संकरत्व से पैदा हुई हैं किस प्रकार धर्म की रक्षा करेंगी? और इन जातियों को मेरे जैसे राजा किस प्रकार के नियमों में रखें?” इन श्लोकों से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये सब देश पहले भारतीय ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों द्वारा उपतिवेशों के रूप में बसाये गए थे, परन्तु धीरे धीरे परिस्थितियों के प्रभाव से इनका अपना मातृभूमि से सम्बन्ध कम होता गया।

**प्राग्बौद्ध कालीन भारत का चीन पर प्रभाव**—उपर्युक्त प्रकार से से चीन देश भारतीयों द्वारा ही आवाद किया गया। इस का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि चीन निवासी प्रत्येक दूषि से अपनी मातृभूमि के धर्म, आचार, विचार, प्रथाओं आदि को ही आदर्श समझ कर उनका अनुकरण करते रहे। प्राचीन चीन पर भारत वर्ष का यह नैतिक प्रभाव बहुत समय तक कायम रहा। इस सम्बन्ध में बहुत से प्रमाण हम इस अध्याय के पहले हिस्से में दे चुके हैं।

महात्मा बुद्ध के उदय से पूर्व भी भारतवर्ष का चीन देश पर बहुत बड़ा प्रभाव था; चीन देश का साहित्य स्वयं इस का साक्षी है। प्रसिद्ध चीनी

१. यवनाः किरता गान्धाराश्चीनाः शबर्वर्बराः ।  
शकास्तुवाराः कङ्गाश्च पल्लवाश्चान्प्रमद्रकाः ॥ १३ ॥
- उष्ट्राः पुलिन्दा ग्रारटुः काचा म्लेच्छाश्च सर्वशः ।  
ब्रह्मचत्र प्रसूताश्च वैश्या शूद्राश्च मानवाः ॥ १४ ॥
- कर्त्तुं धर्मं चरिष्यन्ति सर्वे विषयं वासिनः ।  
मद्विष्टु कर्त्तुं स्थाप्या सर्वे वै दस्युजीविनः ॥ १५ ॥

विद्वान् यांतसाई ने १५४८ में एक ग्रन्थ लिखा था जिसे हू या ने १७७६ में पुनः सम्पादित किया था । इस पुस्तक के पादरी कृष्ण द्वारा किए अनुवाद का निष्ठ लिखित उद्धरण हमारी उपर्युक्त स्थापना को पूरी तरह पुष्ट करता है—“यह सम्भव है कि इसी प्रान्त द्वारा वर्तमान चीनी साम्राज्य की नींव रक्खी गई हो । अत्यन्त प्राचीन काल में भारतवर्ष के मो-ली-ची राज्य का आह-यू नामक राजकुमार यूनन प्रान्त में आया । इस राजकुमार के पुत्र का नाम ती-मोगेङ्ग था । सम्भवतः यह कुमार भी अपने पिता के साथ आया और इस ने अपने पिता का यहां राज्य स्थापित करने में सहायता दी । कालान्तर में राजा ती-मोगेङ्ग के क्रमशः नौ पुत्र हुए । ये नौ पुत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और उन्होंने भिन्न २ जातियों की नींव डाली ।

“पहले पुत्र मौङ्ग-कू-फू ने साम्राज्य के सोलहवें भाग को बसाया (मालून नहीं कि यह स्थान कौन सा है) । दूसरे पुत्र मौङ्ग-कू-लिन ने त्वाफन या तिब्बत का राज्य बसाया । तीसरे पुत्र मौङ्ग-कू-लू ने हैन-रैन या चीन देश को बसाया । चौथे पुत्र मौङ्ग-कू-फू ने मैनत्साई राज्य बसाया । पांचवे पुत्र मौङ्ग-कू-तू ने मौङ्गशी (सम्भवतः मङ्गोलिया) राज्य को बसाया । छठे पुत्र का नाम भी मौङ्ग-कू-तू था, इस ने लीअन (सम्भवतः स्याम) देश को आबाद किया । सातवें पुत्र मौङ्ग-कू-लोन ने अनाम देश बसाया । आठवां लड़का मौङ्ग-कू-सङ्ग प्राचीन यज्ञीस जाति का पूर्व पुरुष है । नौवें पुत्र मौङ्ग-कू-नव ने पर्व-इब या पेह-इब को आबाद किया ।

भिन्न २ राजवंशों के साथ ही साथ यूनन देश का नाम भी बदलता रहा । यह नाम चाहुं वंश से लेकर मिङ्ग वंश ११२२ ई० पूर्व से ६६० ई० पश्चात् तक रहा ।

इसी पुस्तक में एक हिन्दू प्रान्त की सरकार का वर्णन इस प्रकार किया गया है—‘यहां की सरकार की रवना इस प्रकार थी—नियामक विभाग, सिविल और सैनिक कार्यों का नियन्त्रण करने के लिए आठ मन्त्री थे; प्रबन्ध विभाग के नी मुख्य अधिकारी थे, इन मन्त्रियों पर एक समापति था; जन संख्या (गणना) का एक अध्यक्ष था; सैनिक कार्यों के लिए एक विज्ञ सलाहकार था; जनता के कार्यों तथा व्यापार-संघों के दो मुख्य अधिकारी थे; सरकारी समेपत्ति के प्रबन्ध के लिए तोन अधिकारी थे; एक घोड़ों और पशुओं का अध्यक्ष था; एक प्रधान सेनापति और रसद विभाग का अध्यक्ष था । यहां यज्ञ-चैङ्ग-फू आदि नाम के द अधिकारी थे । दो ब्रिगेड के अध्यक्ष थे ।

१७ अधिकारी भिज्ञ र प्रान्तों में नियुक्त थे । ताली राज्य के पूर्वीय भाग में देना के ३५ अधिकारी नियुक्त थे ।”

यह वर्णन एक प्राचीन चीनी हिन्दू प्रान्त की सरकार का है । पाठक इस फौ तुलना भारतीय नीति ग्रन्थों-मनुस्मृति, शुक्लनीति, शान्ति पर्व, कौटिल्य-अर्थशास्त्र आदि—में वर्णित शासन पद्धति से करें । इन दोनों शासन पद्धतियों में बहुत अधिक समानता है । इस पद्धति में भारतीय अष्ट प्रधान, मन्त्री-सभा आदि हूबहू उसी रूप में पाये जाते हैं । इस प्रकार चीनी साहित्य स्वयं दोनों देशों के ग्राम्यद्वाकालीन सम्बन्ध की साक्षी देता है ।

**भारतीय राजकुमार**—श्रीयुत् दलाल का कथन है कि उपर्युक्त भारतीय राजकुमार, जिस ने चीन देश को आबाद किया, का वर्णन पुराणों में भी है—“यद्गृह्णताई द्वारा वर्णित भारतीय राजकुमार आह-यू का वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है । हमारी सम्मति यह राजकुमार आह-यू वास्तव में पौराणिक साहित्य में सुप्रसिद्ध राजा पुरुरवा का पुत्र ‘आयु’ ही है ।” टीड के राजसान में अबुल गाज़ी द्वारा वर्णित उह्लेख से भी इस सापना की पूर्णतया पुष्टि होती है । वह उह्लेख इस प्रकार है—

“एक औंगक्ष के दो लड़के थे, एक का नाम था कियम ( सूर्य ) और दूसरे का नाम था आय अथवा आयु ( चन्द्र ) । इन में से आयु तातारि लोगों का पूर्व पुरुष है । आयु वा आह-यू के जन्म के सम्बन्ध में पुराणों और चीज़ी ग्रन्थों में जो वर्णन उपलब्ध होता है उस में भारी समानता है । पुराणों ( विष्णु पुराण, IV. I. ) के अनुसार बुद्ध ने इडा को देखा, जब वह उस के समीक्ष रहने लगी तब उस से पुरुरवा नामक एक पुत्र मुवा, इस पुरुरवा का बड़ा लड़का ही आयु था । चीज़ी ग्रन्थों के अनुसार आह-यू भी एक तारे का ही पुत्र था, वह तारा फो ( बुद्ध नक्षत्र ) था । यह नक्षत्र भी आह-यू को माता पर यात्रा में ही आसक्त हुआ था । इस आह-यू ने २२०७ ई० पू० राज्य किया । इसी सम्बाट ने चीनी साम्राज्य को ६ भागों में विभक्त किया ।”<sup>१</sup>

**भगदर्रे**—महाभारत में वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर के समकाल में चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा शासन कर रहा था, वह

१. विष्णु पुराण भाग ३, चार्चाय ८

२. Modern Review August, 1916.

राजा महाभारत के भारतीय महायुद्ध में भी सम्मिलित हुवा था । युद्ध में इस ने कौरवों का पक्ष लिया था, इसी युद्ध में ही इस की मृत्यु हुई । इस के कारण कौरवों की बहुत अधिक सेना वृद्धि हुई थी ।

**उपसंहार—** अन्त में हम सर विलियम जोन्स के हन शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्त करते हैं—“हमें अत्यन्त प्राचीन चीन लोगों में ऐसे विश्वास और धार्मिक कृत्य प्राप्त होते हैं जो कि प्राचीन तम भारतीय विश्वासों और धार्मिक कृत्यों के साथ हूँबूँ मेल खाते हैं । इनको चीनी विचारक और चीनी सरकारें भी प्रोत्साहित ही करती रही हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों और चीनी धर्म ग्रन्थों के बहुत से विधानों में समानता है । प्राचीन हिन्दुओं के मृतक संस्कार, श्राद्ध आदि भी इसी रूप में प्राचीन चीनियों में भी पाये जाते हैं । इतना ही नहीं अपितु बहुत सी प्राचीनतम भारतीय कथाएँ और हिन्दू काल की ऐतिहासिक घटनाएँ कुछ विगड़े हुए रूप में चीनी साहित्य में उपलब्ध होती हैं । ये सब समाजताएँ श्रीयुत् ले डैरिटल और श्रीयुत बैली ने अनथक खोज के बाद सिद्ध की हैं । यह समझना कि बौद्ध धर्म के साथ ही साथ ये सब बातें चीनी साहित्य और चीनी सभ्यता में प्रवेश कर गई होंगी—भारी भूल होगी । क्योंकि इन में बहुत सी प्रथाएँ ऐसी हैं जो बौद्ध सभ्यता के एक दम प्रतिकूल हैं । उदाहरणार्थ यहाँ में पशुबैल की भारतीय प्रथा अहिंसाग्राण बौद्ध धर्म अपने साथ चीन में ले ही नहीं जा सकता था । ये सब प्रथाएँ प्राचीन वैदिक कालीन हिन्दू धर्म के साथ ही पूरी तरह मेल खाती हैं ।” “इन सब प्रमाणों से भली प्रकार सिद्ध होता है कि प्राचीन हिन्दू और चीनी लोग प्रारम्भ में एक ही जाति के थे । परन्तु जब उन में से कुछ लोग सुदूर चीन देश में जाकर बस गए तब हजारों वर्षों के बाद क्रमशः चीनी लोग तो अपनी प्राचीन सभ्यता, धर्म, भाषा आदि को प्रायः भूल से गए परन्तु भारत वर्ष में वह सभ्यता अवनत नहीं हुई ॥

इस प्रश्नाएँ भारतवर्ष और चीन के प्राचीन बौद्ध कालीन सम्बन्ध की सत्ता, और उनकी यातायापरिक घनिष्ठता भली प्रकार सिद्ध हो चुकी । इस काल के बाद तो, अर्थात् बौद्ध काल में, यह सम्बन्ध और भी घनिष्ठ हो गया । भारतीय प्रचारकों के अनवरत यत्न से सारे का सारा चीन महात्मा बुद्ध के सम्प्रदाय का अनुयायी हो उठा । उस काल का वर्णन हम यथासान अपने इतिहास के लगड़ों में करेंगे ।



## \* द्वितीय अध्याय \*

### भारत और ईरान



भारत और ईरान के मध्यकालीन पारस्परिक सम्बन्ध के सब से बड़े जीवित और प्रमाण वर्तमान भारतवासी पारसी लोग ही हैं। ये लोग आज से बहुत कालपूर्व भारत में आकर बसे थे। अब तो भारतवर्ष ही इन लोगों की मातृभूमि बन चुका है। परन्तु प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता को ईरान ने बड़ी उत्करण से स्वीकार किया था तथा भारतीय प्रथाओं और विचारों को अपनाया था—यह बात सिद्ध करने के लिये कुछ प्रमाण देना आवश्यक होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय भारतीय आर्य लोग ही ईरान में जाकर आवाद हुए होंगे। इसी से इस देश का नाम “आर्य-स्थान” पड़ा होगा, जो कि अब बिगड़ते बिगड़ते “ईरान” हो गया है। पारसियों का प्राचीन धर्म ग्रन्थ “जिन्दावस्था” है। इसी ग्रन्थ को वे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। जिन्दावस्था में बहुत सानों पर ‘आर्य’ शब्द प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये—

“आर्यों के प्रताप के कारण”<sup>१</sup>

“मज्दा के द्वारा को गई आर्यों की कीर्ति के कारण”<sup>२</sup>

“हम मज्दा द्वारा स्थापित की हुई आर्यमहिमा के प्रति आहुति देते हैं।”<sup>३</sup>

“आर्यों के देश किस प्रकार उपजाऊं बनेंगे?”<sup>४</sup>

“देखो, आर्यजाति उस के प्रति तर्पण करती है।”<sup>५</sup>

इन उद्घरणों से प्रतीत होता है कि जिन्दावस्था में जिन प्राचीन ईरानी लोगों की प्रार्थनाएँ वार्णित हैं वे अपने को आर्यजाति का ही मानते थे। इस बात की सिद्धि के लिए कि ईरान के प्राचीनतम महापुरुष ईरान देश

I. Serozah 1, 9. V. II. P.7.

2. " I. Bud. 1. 25. Vol. II. P.11

3. " II. 9. P. 15.

4. " 1 Bud. 9.

5. " 1 " 3. 4. P. 108.

के नहीं थे, एक प्रमाण देना अप्रासङ्गिक न होगा । ज़िन्दावस्था में ऋषि जोराष्ट्र का वर्णन बहुत सम्मान व श्रद्धा के साथ किया गया है । इस ऋषि जोराष्ट्र के सम्बन्ध में विद्वान् विचारक स्पीगल का कथन है कि यह ईरानी का न होकर अदन का था ।

इसी प्रकार कुछ अन्य पाञ्चात्य विद्वानों का मत है कि ज़िन्दावस्था धास्तव में “छन्दोवस्था” का अपभ्रंश है । अर्थात् उपनिषदों की शिक्षा को ही छन्दोवस्था के रूप में लिखा गया था । इस बात की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे ।

**सम्बन्ध शिथिल कब ढुवा ?**— हमारी सम्मति में कम से कम महाभारत काल तक तो भारतवर्ष और ईरान का पारस्परिक सम्बन्ध पर्याप्त धनिष्ठ रहा होगा । उस काल के बाद ही इस सम्बन्ध में शिथिलता आनी प्रारम्भ हुई होगी । महाभारत में “पारस” देश का नाम कई शानों पर आया है । साथ ही महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों की बहुत सी बातें ज़िन्दावस्था के साथ खूब मेल खाती हैं—

१. पारस देश के धर्मग्रन्थ पहलवी भाषा में लिखे हुए हैं । पहलवी भाषा बोलने वालों के लिये संस्कृत साहित्य में “पल्हच” नाम आता है । यह नाम महाभारत में अनेक बार आया है ।<sup>१</sup> इसी प्रकरण में पारसीक, यज्ञन, हरद, खश आदि नाम भी साथ ही आये हैं । ये पारसीक फ़ारसी और पल्हच पहलवी भाषा का प्रयोग करते थे ।

२. महाभारत में लिखा है कि गौ को नहीं मारना चाहिये ; जो लोग यज्ञों में पशुहत्या करते हैं, वे धूर्त हैं । इसी प्रकार ज़िन्दावस्था में लिखा है कि परमात्मा ने गोरक्षा के लिये ज़रुरुष्ट को नियुक्त किया ।

३. धार्मिक दृष्टि से महाभारत का काल भारत में अवनति का काल था । इसी समय से कलियुग ( पापयुग ) का प्रारम्भ माना जाता है । ज़िन्दावस्था में लिखा है— “लोग परमात्मा को भूल रहे हैं ; पुराने समय में स्वर्णीय काल था जब कि सब लोग धर्मानुकूल आचरण करते थे । ” इससे प्रतीत होता है कि यह वर्णन महाभारत का समकालीन ही है ।

४. बहुत से पारसी विश्वास भारतीय विश्वासों के आधार पर ही यनाएं हुए प्रतीत होते हैं । उदाहरणार्थ पारसियों में कुत्ता पवित्र समझा जाता है । इस का वात्सविक कारण पारसी ग्रन्थों में यही बताया गया है कि जब चरवाहे सो रहे होते हैं तब कुत्ता गौओं की रक्षा करता है अतः वह पवित्र है । भारतीयों को तरह ईरानवासी भी गोमूत्र को बहुत पवित्र समझते हैं । एक समय वे बड़े की शुद्धि के लिए उस पर गोमूत्र ही छिड़का करते थे । भारतीय धर्म ग्रन्थों की तरह ज़िन्दावस्था में भी गौ को माता पाता गया है ।

५. 'यास्ता' पारसीयों की धर्म पुस्तकों में से एक है । इस के ४६ वें और ४७ वें अध्याय में ज़रदूष ने ईश्वरीय धर्म के प्राचीन तम स्तरप का वर्णन किया है । यास्ता के ४३ वें अध्याय में "अङ्गिरा" का भी नाम आता है । भारतीय ग्रन्थों के अनुसार अङ्गिरा एक महर्षि हुआ है, जिसे संसार की उरपति के प्रारम्भ में अथर्व वेद का ज्ञान हुआ था ।

६. पारसी ग्रन्थ 'होवा युष्ट' में अथर्व वेद का वर्णन भी आता है । वहाँ लिखा है— “कृशानु राजा बड़ा दुष्ट था । उसने आज्ञा दी थी कि कोई अथर्व वेद का ज्ञान “आपय, अविष्ट्य” आदि न पढ़े । इसी कारण उसे राजसिंहासन से उतार दिया गया । महाभारत के अनुसार अथर्ववेद का प्रारम्भ “शशो देवी रभिष्ट्य आपो- -” मन्त्र से होता है । “आपो” और “अविष्ट्य” ये दोनों शब्द इसी मन्त्र में आते हैं । अतः सम्भवतः इन दोनों शब्दों के द्वारा उस समय अथर्व वेद का ग्रहण हो किया जाता होगा ।

७. ज़िन्दावस्था में “काबा उसा” नामी एक महापुरुष का वर्णन आया है । वैदिक साहित्य में “कवि पुत्र उपना” नामक एक महान् व्यक्ति का वर्णन है, संस्कृत साहित्य में इसी को 'काव्य' और 'उपना' नाम दिये गये हैं ।

इस प्रकरण में वर्णित ज़रदूष का समय भिन्न २ विद्वान भिन्न २ मानते हैं । महाशय रङ्गैन्थस के अनुसार वह १८०० वर्ष ₹० पू० में हुआ । यूनानी विद्वान एरिस्टोटेल और प्लेटो उसे ७००० ₹० पू० और महाशय बारेसस २२०० ₹० पू० का मानते हैं ।

उपर्युक्त तुलनाओं से प्रतीत होता है कि महाभारत काल तक भारत और ईरान का सम्बन्ध पर्याप्त घनिष्ठ था, तथा ईरान की सभ्यता और विचार भारतीय सभ्यता और विचारों के आश्रय पर विकसित हुए । साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल तक ईरान देश तथा ईरानी जाति की

पृथक् सत्तों भली प्रकार मौजूद थी । दूसरे शब्दों में भारतीय सभ्यता महाभारत काल तक उस देश में ईरानी सभ्यता का रूप धारण कर चुकी थी । अरन्तु दोनों देशों का सम्बन्ध इस समय भी पर्याप्त घनिष्ठ होगा ।

ज़िन्दावस्था का निर्माण काल महाभारत ग्रन्थों के निर्माण के समकालीन या उससे कुछ पूर्व प्रतीत होती है, क्योंकि इस में “चियास” (व्यास) का वर्णन भी उपलब्ध होता है ।

**धर्मों की समानता**— पारसी धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्थान रूप से वेदों से ली गई प्रतीत होती हैं । बहुत से वैदिक देवताओं तथा ईश्वर के नाम ज़िन्दावस्था में उसी रूप में पाये जाते हैं । उदाहरण के लिये—

१. ज़िन्दावस्था में ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम “असुरमज्ज्वा” है । यह शब्द वास्तव में वैदिक शब्द “असुरमेधा” का विगड़ा हुआ रूप है । वेद में अनेक श्लोकों पर ईश्वर के लिये “असुर” शब्द प्रयुक्त किया गया है । वहाँ इस का अर्थ “प्राणों को धारण करने वाला” और “प्रलय कर्ता” है ।<sup>१</sup> इसी प्रकार ईश्वर के मित्र, नाराशंसी, अर्यमन्, ब्रह्मन्, भग आदि नाम भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होते हैं । ३३ वैदिक देवताओं के अनुसार ज़िन्दावस्था ने भी ३३ देवता ही माने हैं ।

२. वैदिक यज्ञों का वर्णन भी ज़िन्दावस्था में प्राप्त होता है । वहाँ “सोम यज्ञ” तथा “गोमेध” को “होम” तथा “गोमेज़” नाम से लिखा है । इन यज्ञों का अभिप्राय कृषिपरक है । इसी प्रकार वैदिक “वर्णेष्ठि” यज्ञ को ज़िन्दावस्था में “दास” नाम दिया गया है ।

३. चार वैदिक वर्णों के अनुसार ही पारसी धर्म ग्रन्थों में इत्त चार वर्णों का वर्णन है—

I. हरिस्तरन ( Horistoran ) — ब्राह्मण.

II. नूरिस्तरन ( Nuristoran ) — क्षत्रिय.

१. श्राव ते हेडो नमोभित्व यज्ञेभिरीमहे हविर्निः ।

ज्यज्ञस्माभ्युत्तु प्रचेता राजन्नेनाविश्यग्नः कृतानि ॥ [ कृ० १ । २४ । १४. ]

यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो विश्वन्धुत्पुरुस्य वेधवः ।

मुषानस्तथेदस्त ॥ [ कृ० ८ । २० । १७. ]

III. सोसिस्तरन ( Sositoran ) — वैश्य.

IV. रोज़िस्तरन ( Rozistoran ) — शूद्र.

ध. वैदिक ग्रन्थों की तरह पारसी धर्म ग्रन्थों में ब्रह्मचर्य पर बहुत बल दिया गया है। उन के अनुसार वीर्यनाश एक भयङ्कर पाप है।

**अन्य समानताएं**—पारसी लोगों की बहुत सी प्रथाएँ भारतवासियों की प्राचीन प्रथाओं से बिल्कुल मिलती हैं—

भारत वासियों की तरह पारसी लोग भी सोना, चाँदी, पीतल और मिट्ठी के बर्तनों को क्रमशः कम पवित्र समझते हैं। ईरान में भी गर्भिणी और अतुमति खो से छूत रखकी जाती थी।

प्राचीन पारसी पुरोहितों के लिए वैदिक पुरोहितों की तरह यज्ञोपवीत पहरना, यज्ञ करना, अध्यापन, अध्ययन, संयमियों की तरह रात्रि जागरण, उपचास आदि व्रत करना आवश्यक होता था। प्राचीन पारसी ब्राह्मण भी भारतीय ब्राह्मणों की तरह निर्धनता का जीवन ही व्यतीत करते थे।

पारसी ग्रन्थ 'महा दू' में लिखा है—“शब्द भी ब्रह्म है।”

'यामा' के अनुसार प्राचीन पारसी लोग गायत्री का जाप करते थे।

'सिरोजा' के अनुसार—“परमात्मा सहस्राक्ष है—”

'यामा' के अनुसार—“परमात्मा के १०१ नाम पूज्य हैं।”

दोनों सभ्यताओं की समानता के लिए इन्हें प्रमाण देना ही पर्याप्त है।

**जिन्द अवस्था**— यह नाम भी वैदिक नाम है। “जिन्द” शब्द “छन्द” का अपभ्रंश है। अवस्था का अर्थ है, ज्ञान। इसका अभिप्राय “छन्द ज्ञान” अर्थात् “मन्त्र ज्ञान” हुआ।

**भाषाओं में समानता—**

जैन्द भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से ही हुआ है। यह बात सिद्ध करने के लिये विशेष युक्तियां देने की आवश्यकता नहीं है। नीचे दिए हुए कुछ शब्दों द्वारा हमारी यह स्थापना स्वयं पुष्ट होजायगी—

संस्कृत

जैन्द

अर्थ

( संस्कृत 'स' जैन्द में 'ह' होगा है। )

असुर  
सोम

अहुर  
होम

परमेश्वर  
वनस्पति

( २८६ )

भारतवर्ष का इतिहास ।

संस्कृत

जेन्द्र

अर्थ

सत

हृष्ट

सात

सेना

हेना

फौज

( संस्कृत 'ह' जेन्द्र में 'ज' होगया है । )

हस्त

ज़स्त

हाथ

होता

ज़ोता

हवन कराने वाला

आहुति

आज़ुति

आहुति

बाहु

बाज़

बाहु

अहि

अज़ि

सांप

( संस्कृत 'ज' जेन्द्र में 'ज' होगया है । )

जानु

ज़ानु

घुटना

धज्ज

घज्ज

घज्ज

अज्ञा

अज़्जा

बकरी

जिङ्गा

हिङ्गा

जबान

( संस्कृत 'ध' जेन्द्र में 'स्प' हो गया है । )

धेश्वर

घिस्प

संसार

अश्व

अस्प

घोड़ा

( संस्कृत का पहला 'ध' या 'स्व' जेन्द्र में 'क' हो गया है । )

श्वसुर

क्षसुर

ससुर

स्वप्न

क्षप्न

सप्ना

संस्कृत 'त' जेन्द्र में 'थ' हो गया है । )

मित्र

मिथ्र

मित्र

मन्त्र

मन्थ्र

मन्त्र

( संस्कृत 'भ' जेन्द्र में 'फ' हो गया । )

गृभ

गृफ

एकड़ना

गोमेभ

गोमेज़

खेती करना ।

संस्कृत

जैनद

अर्थ

( इन शब्दों में कोई अन्तर नहीं आया । )

पशु	पशु	पशु
गो	गाव	गाय
उक्षन्	उक्षन्	बैल
यव	यव	जौ
वैद्य	वैद्य	वैद्य
वायु	वायु	वायु
इषु	इषु	वाण
रथ	रथ	रथ
गन्धर्व	गन्धर्व	गाने वाले
अर्थवन	अर्थवन	यज्ञ ऋषि
गाथा	गाथा	पवित्र पुस्तक
इष्टि	इष्टि	यज्ञ
छन्द	ज्ञन्द	ज्ञान

वैदिक शब्द—

अस्मै	= अहमै	कस्मै	= कहमै
श्वान	= स्थान	श्वः	= स्य
शुने	= सुने	शूनस्	= सूनो
शुना	= शुनाम्	पथिन्	= पथात्
पथ	= पथा	पथ्यनक्ष	= पन्नानो
कृणोमि	= किरिनाउमि	गमयति	= जमयति
येषाम्	= हयूनाम्	श्वान	= स्थानम्
श्वास	= श्यास	भृष्णामि	= गैरिनामि
पन्थ	= पश्च		

इसी प्रकार अन्य भी बहुत से समान शब्द उड़ते किये जासकते हैं । कितने काल के व्यवधान में ये शब्द इस रूप में परिवर्तित हुए इस सम्बन्ध में अभी तक शब्दशास्त्र लुप हैं ।

इन सब प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पारसी सभ्यता का विकास भारतीय वैदिक सभ्यता से ही हुआ है ।



## \* तीसरा अध्याय \*

### एसनीज़ लोग और भारतीय आर्य

~~~~~

एसनीज़ लोगों का वास पैलस्ट्राइन देश में था। एसनीज़ एक विशेष प्रकार के सम्प्रदाय का नाम था, जो कि देश या जन्म के आधार पर संगठित नहीं था। इस जाति की अनेक शाखाएँ थीं, इन में से एक मुख्य शाखा का नाम 'थैराप्यूट्स' था। ऐसा प्रतीत होता है कि एसनीज़ सम्प्रदाय ने भी भारतीय सभ्यता और चैदिक विचारों को भली प्रकार अपना लिया था। बहुत से एसनीज़ रीति-स्थिवाज और विचार भारतीय ही प्रथाओं और विचारों से हृश्छृ मिलते हैं।

थैराप्यूट्स— थैराप्यूट्स लोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ बेलियन कुमारी फेराज़ा के अनुसार संक्षेप में कुछ बातें यहाँ लिखी जाती हैं— “सम्पूर्ण एसनीज़ जाति में थैराप्यूट्स लोग ही अपने पास कुछ भी धन नहीं रखते थे। परन्तु फिर भी वे सब से अधिक सम्पन्न थे; क्योंकि उन की आवश्यकताएँ बहुत ही कम थीं। लोभ, जो कि अन्याय की ओर ले जाने वाला है, से वे सर्वथं मुक्त थे। थैराप्यूट्स सदैव ब्रह्मान की ओर ही अपना ध्यान रखते थे। अपनी जाति की प्राचीन रीति के अनुसार वे दार्शनिक विचारों को भी आलंकारिक रूप में ही लिखा करते थे। वे लोग अतिथि संस्कार के लिये बड़े उत्सुक रहते थे; अन्य देशों से आए हुए लोगों के लिये उनके द्वारा सदैव खुले रहते थे। उनकी संख्याएँ भी धर्म और परोपकार के लिये ही बनाई जाती थीं। वे सदैव खूब प्रसन्न रहते थे। किसी व्यक्ति का सम्मान वे उस के जन्म और जाति के आधार पर नहीं अपितु उस के गुणों के आधार पर ही करते थे।

“थैराप्यूट्स लोग सदैव पैथागोरियन दार्शनिकों के विचारों के आधार पर अनिवार्य परब्रह्म के ध्यान में लोन रहते थे। ईश्वर का यह पवित्र नाम जैट्रोग्रेमेशन (Jetragrammation) है; आज कल इस का अनुवाद “जहोवा” किया जाता है। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न भाव भरे हुए हैं; ईश्वर के सब गुण हन भावों में समा जाते हैं। इसी नाम के आधार पर प्राचीन एसनीज़ साहित्य में लिखा है कि ईश्वर के मुख्य नाम के अक्षरों से

ही संसार उत्पन्न हुवा है, और स्थिर है । थेराप्यूट्स लोग परमेश्वर के इस नाम के मूलमन्त्र का रहस्य अपने शिष्यों को बहुत गुप्त रीति से बताया करते थे ।

थेराप्यूट्स लोगों के उपर्युक्त वर्णन में भारतीय तपस्वी ब्राह्मणों के वर्णन से कितनी अधिक साम्यता है इसका निर्णय पाठक स्वयं कर सकते हैं । एक चात का और हम स्वयं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । ईश्वर का सर्वोच्चम वैदिक नाम “ओ३म्” है । यह ओ३म् भी चतुष्पाद है इस के प्रत्येक पद में अनेक भाव भरे हुए हैं । मुण्डकोपनिषद् और यजुर्वेद में इस की विस्तृत व्याख्या की गई है । एसनीज़ साहित्य की तरह वैदिक साहित्य की भाषा में हम कह सकते हैं कि ओ३म् के चार अक्षरों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है ।

एसनीज़ लोग—इस जाति के लोग मृत सागर (Dead Sea) के किनारों पर फैले हुए थे । यह जाति जन्मया देश के आधार पर नहीं थी । इसे एक विशेष सम्प्रदाय कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । यह तपस्वियों का एक विशाल समुदाय था । इस के कई विभाग थे, जिन में से थेराप्यूट्स का उर्णन हम कर चुके हैं । एसनीज़ सम्प्रदाय की बहुत ही बातें भारतीय प्राचीन तपस्वियों से बहुत अधिक मिलती हैं । उद्धरणार्थ Encyclopædia of Religion and Ethics के आधार पर एसनीज़ लोगों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ उद्दृत करते हैं—^१ “ये लोग पैलस्टाइन और सीरिया में क्षोपड़ियाँ डाल कर शथवा कुक्कों के तले रहते थे । ये लोग सदैव ईश्वर भक्ति में मग्न रहते थे ; पशु-हत्या या बलिदान कभी न करते थे । शहरों से बाहर छोटे छोटे दल बना कर रहते थे । वे तर्क को व्यर्थ और छान मार्ग में धारक समझते थे ; प्राचार शास्त्र के अध्ययन पर बहुत अधिक ध्यल देते थे ; प्राचीन प्रथाओं का अक्षरशः पालन करते थे । उपासना के लिये सब ने अलग अगल स्थान ले रखते थे । प्रातःकाल ईश्वरोपासना के बाद अपना सारा समय ये लोग आचार शास्त्र के प्राचीन नियमों और व्यवस्थाओं के अनुशीलन में लगते थे । ये लोग भिन्न भिन्न छन्दों में कविता भी किया फरते थे । सप्ताह के अन्तिम दिन अवकाश मनाते थे ; उस दिन सब लोग एक स्थान पर जमा होकर अपनी आयु के क्रम से बैठते थे । एक व्यक्ति धर्म-ग्रन्थ को ऊँची आवाज़ में पढ़ता था और श्रीष्ट सब खूब ध्यान से उसे सुनते

१. Encyclopædia of Religion and Ethics.—“Essenes.”

by James Moffat.

थे। बीच २ में शंकासमाधान भी किया जाता था। वे लोग तपस्या, दया, पवित्रता, न्याय, भ्रातृभाव आदि के अनुकूल अपने जीवन को ढालने का यज्ञ करते थे, उन के जीवन का मूलमन्त्र था— मनुष्य, ईश्वर! और सत्य से प्रेम। प्रतिदिन वे तपस्या पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के लिये यज्ञ करते थे। अपने पास धन रखने को वे लोग पाप समझते थे, लोभ का समूल नाश करने का यज्ञ करते थे। यशकामना को बाधक समझ कर वे इन्द्रिय दमन के लिये यज्ञ करते थे। उन लोगों में पूर्ण रूप से साम्यभाव था। उन की सब वस्तुओं पर प्रत्येक एसनोज़ का समान अधिकार था। यहाँ तक कि भोजन, चब्ब, घर्तन आदि आवश्यक वस्तुएँ भी सब लोगों की समान सम्पत्ति (Common property) समझी जाती थीं। अपनी आजीविका के लिये शहरों में जाकर वे कुछ घरटे काम भी करते थे और अपनी सम्पूर्ण आमदनी को प्रतिदिन इकट्ठा कर लेते थे।

“एसनोज़ लोग विवाह से घृणा करते थे। अपने सम्प्रदाय में वे अन्य लोगों के बालकों को, उन की परीक्षा लेकर, शामिल करते थे। धन को वे बाल्डनीय वस्तु न समझ कर आपस में भ्रातृभाव बढ़ाने का यज्ञ करते थे। सूर्योदय से पूर्व सांसारिक बातों के सम्बन्ध में वे एक शब्द भी न बोलते थे; इस समय तक वे प्राचीन काल से चली आती हुई प्रार्थनाओं का ही पाठ करते रहते थे। सूर्योदय के बाद वे नित्यकर्म करके उपडे पानी से खान करते थे। उनकी भोजन शालाएँ खूब स्वच्छ रहती थीं। सब लोगों के बैठने का एक समान ही प्रबन्ध होता था, एक ही प्रकार का भोजन बनता था। भोजन करते हुए वे बिल्कुल शान्त रहते थे। प्रार्थना के कुछ गीत गा कर ही वे भोजन प्रारम्भ करते थे। भोजन समाप्त करने पर पुनः प्रार्थना की जाती थी। उनका वचन शपथ से भी बढ़कर होता था।

“उनके सम्प्रदाय में जो कोई शामिल होना चाहता था, पहले उसकी परीक्षा ली जाती थी। उसे एक सफेद रस्सी और मेखला धारण कराई जाती थी।

“वे ज़रा सा अपराध करने पर स्वयं दण्ड लेने को उत्सुक रहते थे। बड़े आज्ञा का वे सम्मानपूर्वक पालन करते थे। अपने कार्यों के अनुसार वे आर श्रेणियों (वर्णों) में विभक्त हुए हुए थे। इन चार वर्णों में से सब से निचले वर्ण का व्यक्ति उत्तम वर्ण के व्यक्ति को दूर भी नहीं सकता था, अगर वह दूर ले तो उत्तम वर्ण के व्यक्ति को पवित्र होने के लिये ज्ञान करना पड़ता था। इनकी आयु खूब लम्बी होती थी। वे अपने शरीर को अत्यन्त कष्ट देते थे। परन्तु इस में वे दुख अनुभव नहीं करते थे।”

“उन का हृदय विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है परन्तु आत्मा अजर और अमर है। शरीर को वे आत्मा का पिंजरा मात्र ही समझते थे।”

यह उपर्युक्त वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में ही दिया गया है। पाठक सुगमता से इस की तुलना भारतीय तपस्त्वयों के जीवन से कर सकते हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत, मेखला, वर्ण-ध्यवस्था, आत्मा की नित्यता आदि सम्पूर्ण वातों द्वारा यही सिद्ध होता है कि एसनीज़ लोग पूर्ण रूप भारतीय सभ्यता के ही अनुयायी थे। यहाँ तक कि एसनीज़ लोगों के बार वर्णों का वर्णन करते हुए विश्वकोश के सम्पादक को ख्यां भारतीय वर्ण-ध्यवस्था की याद हो आई है।

इस तुलना की पुष्टि में एक और प्रमाण देकर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। एसनीज़ लोगों के धर्म ग्रन्थों में अधिकांश रूप से उपनिषदों की वैदिक शिक्षा की ही व्याख्या करने का यत्न किया गया है। इस के लिये एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा—ईयोपनिषद् में “अहमस्मि” वाक्य आता है। इस की व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थ एक्सोडस (Exodus) के शब्दों में ही इस प्रकार है—“ईश्वर ने मोज़िज़ को बताया—मैं हूँ, मैं ही वही हूँ; तुम्हें इसराइल के बच्चों से कहना साहिये कि उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।”^१ इसी प्रकार अन्य भी बहुत से उपनिषद् वाक्यों की व्याख्या एसनीज़ धर्म ग्रन्थों में ग्राप्त होती है।

इस प्रकार संक्षेप में हमने एसनीज़ जाति के साहित्य और प्रथाओं में भारतीय प्रथाओं और विचारों का संबिंदेश सिद्ध कर दिया है। एसनीज़ जाति का प्रारम्भिक इतिहास इतना अन्धकारमय है कि उस के प्रारम्भ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पेतिहासिक स्थापना करना अभी तक लगभग असम्भव है। फिर भी अगर प्राचीन साहित्य और रीतिवाजों के आधार पर कोई स्थापना की जा सकती है तो वह यही कि एसनीज़ जाति की सभ्यता का मूल स्रोत ही नहीं अपितु उसका पथ प्रदर्शक भारतीय सभ्यता ही है।

१. “I am that I am and God send unto Moses—I am that I am, and he said thou shall say unto the children of Isarail—He hath sent me to you.”

* चतुर्थ अध्याय *

भारत और पश्चिमी एशिया

पश्चिमी एशिया के प्राचीन देशों में भारतीय संस्कृति के ग्रसार से ही सम्यता का विकास हुआ था। इतना ही नहीं, हमारा विचार है कि इन में से कुछ देश बहुत समय तक भारत के उपनिदेशों के रूप में भी रहे होंगे। हमारे इस विचार की पुष्टी में सब से बड़ा प्रमाण वर्तमान सिन्ध और पञ्चाब में प्राप्त होने वाले प्राचीन नगरों के अवशेष है। पश्चिमी एशिया से हमारा अभिग्राय, बैरवलोन, सीरिया और अरब से है। प्रारम्भ में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण देकर हम इन देशों की सम्यता पर भारतीय सम्यता का असर सिद्ध करने के लिये प्राचीन साहित्य में से प्रसारण उद्भूत करेंगे।

मोहन जोदड़ो—यह शान वर्तमान सिन्ध प्रान्त के मध्य में अवस्थित है। पिछले कुछ वर्षों से यहां विस्मय कारी प्राचीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा नगर हज़ारों वर्ष पूर्व किसी दैवीय कोप के कारण भूमि में समा गया होगा। अभी तक इस ऐतिहासिक शान की खुदाई बहुत ही कम हुई है, अणकल अन्वेशण का कार्य जारी है; इस लिये इस शान पर प्राप्त हुई वस्तुओं द्वारा इतनी शीघ्र कोई निश्चित स्थापना करना अनुचित होगा। इस समय तक जो खोज हुई है, वह इस प्रकार है—

मोहन जोदड़ों का अर्थ है चिस्यय कारी टीला। इस की ऊंचाई ३० से लेकर ४० फीट तक है। एक समय सिन्ध नदी इस टीले के पास से ही बहा करती थी। सिन्ध नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण ही यह शान टीले के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस को खुदाई सन् १६२३ से प्रारम्भ हुई है। सब से पूर्व यहां मिट्टी और पत्थर की कुछ मुहरें प्राप्त हुई थीं जिन पर मैसो-पोर्टिया की सुमेरियन लिपि से मिलते जुलते अक्षर बने थे। इन मोहरों पर शैल शौर पीपल के वृक्ष के भी चित्र हैं। खुदाई से निकलने वाले घर बहुत ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे। घरों और गलियों का क्रम ऐसा है कि उस के द्वारा सफाई, स्वास्थ्यरक्षा, वायु का आवागमन भली प्रकार हो सके। गन्दे पानी को शहर से बाहर निकालने के लिये नालियों का ढंग की बहुत उत्तम है। घरों के अन्दर ही स्नानागार और कूप अ.दि भी उपलब्ध हुए हैं।

एन के अस्तिरिक मिट्टी, पत्थर, गोर्सलीन (खोनी मिट्टी), प्राथो दांत, सोन, चांदी, अकीक, बिल्डौर, शंख, हड्डी, पकाई हुई मिट्टी के सुन्दर सुन्दर खिलौने हथियार, बर्टन आदि भी प्राप्त हुए हैं ।

सफेद पत्थर की बनी हुई मनुष्य की कुछ सूक्ष्मियां भी प्राप्त हुई हैं । इन के मुंह की बनावश प्राचीन असीरियन लोगों से बहुत कुछ मिलती है । कुछ चांदी के चौकीर ढुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर वैविलोनिया की प्राचीन लिपि से मिलते जुलते कुछ अक्षर बने हैं । उस समय की भौतिक सभ्यता के परिचायक ताम्बे के बर्टन, औजार, आरी आदि तथा चांदी के गहने, सूख्यां, छरधनी, सोने के मुलम्बे वाले ताम्बे के दाने, सोने के हार, बहुत ही बारीक और सुन्दर बने हुए सोने के आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं । कुछ घरों में मनुष्यों की ठठिरियां भी मिली हैं ।

खुदाई से जिल्ह नगर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, उस नीचे की एक और, उस से भी प्राचीन तम, नगर के अवशेष प्रतीत होते हैं । यह दोहरी खुदाई अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्राचीन तम नगर के नष्ट हो जाने पर उस के खण्डरातों पर कालान्तर में दूसरा नगर बसाया गया होगा । यह नगर भी नष्ट हो गया । अभी तक इसी नगर के अवशेषों की ही खुदाई हो रही है । यह बाद का बसा हुआ नगर भी आज से कम से कम ५००० वर्ष पुराना है । अर्थात् यह वैविलोनिया के प्राचीनतम नगर का समकालीन है । इन मकानों के निर्माण में कच्चे और पक्के दीनों प्रकार की ईंटें व्यवहार में लाई गई हैं ।

खुदाई में बहुत से मन्दिर (उपासना गृह) भी प्राप्त हुए हैं । इन में सब से बड़े मन्दिर की रचना वैविलोनिया के प्राचीन मन्दिरों से मिलती है । एक पश्चासन लगाए हुए मनुष्याकार देवता का चित्र भी प्राप्त हुआ है, इस चित्र में दाईं और बाईं ओर दो मनुष्य खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं ।

इन घरों के निर्माण में एडास्टर का उपयोग भी किया गया है । घर से नालियों में पानी गिराने के लिये मिट्टी के एकाये हुए नल लगे हैं । प्राचीन मिश्र और वैविलोन के घरों से मुकाबला करने पर यहां की भवन निर्माणकला अधिक उज्ज्ञत प्रतीत होती है । कुछ अन्वेशकों का विचार है कि इन घरों में प्रयुक्त किया हुया एडास्टर मैसोपोटेमिया से यहां लाया जाता होगा ।

हरप्पा--यह स्थान पञ्चाब के मिल्टूगुमरी जिले में है । एक समय रावी नदी इस स्थान के समीप बहा करती थी । इस स्थान पर खुदाई करने से अधिकांश उसी ढंग की बस्तुएं प्राप्त हुए हैं जिस ढंग की बस्तुओं मोहन जोकड़ों में प्राप्त

हुई हैं। इस स्थान के आस पास लगभग ५० मील के घेरे में इसी प्रकार के अनेक टीले हैं, इन की खुदाई करने से, अनुमान है कि, ५००० वर्ष पूर्व की सम्यता का सिलसिलेवार इतिहास प्राप्त हो सकेगा।

हरप्पा में एक पक्की ईंटों की २० दुहरी दीवारों वाला मकान भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यहाँ के मिट्टी के पकाए हुए नल, रड्डीन बर्तन, मसालों की बनावट आदि मोहन जोड़ों में प्राप्त वस्तुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है।

बहुत से अन्वेशकों का विचार है कि ये अवशेष प्राचीन भारतवर्ष की द्राविड़ियन जाति की सम्यता के घोतक हैं। जब भारतवर्ष में द्राविड़ियन सम्यता पर्याप्त विकसित हो चुकी तब व्यापार आदि द्वारा, आज लगभग ५००० वर्ष पूर्व, पश्चिमी एशिया,—असीसिया, मैसोपोटामिया, बैबिलोन आदि—में उस का प्रसार प्रारम्भ हुआ। इस के कुछ काल अनन्तर ही उत्तर से आर्य जाति ने भारत पर आक्रमण कर के उस पर अपना अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के प्रभाव से भारतवर्ष में से द्रविड़ियन सम्यता का हास होना प्रारम्भ होगया। कुछ लोगों का विश्वास है कि आज से लगभग ४००० वर्ष पूर्व भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर भाग पर असीरियन लोगों ने आक्रमण किया। भारतीय आर्य परास्त हुए और असीरियन लोग इस भाग में अपनी सम्यता का प्रसार करने में सफलता प्राप्त कर सके, इसी कारण पश्चिमोत्तर भारत और बलोविस्तान में इस सम्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं।

हमारी खापना है कि वैदिक सम्यता संसार की प्राचीन सम्यताओं में प्राचीनतम है। भारतीय सम्यता के एक भाग द्वारा ही पश्चिमीय एशिया में सम्यता का प्रसार हो सका। हम भारतीय इतिहास को अँग्रेजी ऐतिहासिकों के दृष्टिकोण से नहीं देखते। भारतीय इतिहास के प्रारम्भ में ही भारतीय सम्यता को तुच्छ समझकर कुछ आधार रहत खापनाओं को आधार मान लेना हमें पसन्द नहीं है। अभी तक उपर्युक्त ऐतिहासिक स्थानों की खोज बहुत अपूर्ण है। इसलिये उसके आधार पर इस समय तक कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

अन्य ऐतिहासिक प्रमाण—असीरिया और बैबिलोन के पुरातत्व क्षात्र में विशेषज्ञ डाकूर साइस³ का कथन है कि बैबिलोन और भारत का सम्बन्ध ३००० ई० पू० में भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। जिस समय कि

1. His lecture on the origin and growth of Religion among the Babylonians. 1882.

ईविलोन का सम्मान उर बनसे चालडी लोगों के उर प्राप्ति पर भी शासन कर सका था । इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि उर में प्राप्ति हर ग्रामीन अवशेषों में भारतीय सागून की लकड़ी के टुकड़े भी मिले हैं । सम्बन्धितः यह लकड़ी प्रालादार के जहाज़ों द्वारा वहाँ ले जाई जाती होगी । इसी प्रकार ईविलोन के ग्रामीन वर्गों की सूचि में एक प्रकार के रेजामी वस्त्र के लिये “सिन्धु” नाम आता है । यह कपड़ा भारत से वहाँ ले जाया जाता होगा इसी कारण इसका “सिन्धु” नाम पड़ा । श्रीयुत हैविट का विचार है कि इन्हीं ईविलोन लोगों द्वारा ही भारतीय व्यापारियों का नाम सिन्धु से “हिन्दू” होगया होगा, जिस के द्वारा कि फ़ालान्तर में भारतवर्ष का नाम हिन्दोस्तान होगया ।

पश्चिमी एशिया के सम्बन्ध में कठिपय विशेषज्ञों और पुरातत्त्व वैद्याओं का विचार है कि असीरिया, ईविलोन और भारतवर्ष आदि देशों का पारस्परिक व्यापार इन्हें प्राचीन काल से नहीं अपितु ७ शताब्दि ई० पू० से ही प्रारम्भ होगा है । इस समय भारत और इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये वे लोग अनेक प्रमाण देते हैं । कोई भी पुरातत्त्व वैद्या इस समय भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध से असहमत नहीं है । इमएस काल से ग्रामीन काल के सम्बन्ध की सत्ता ही सिद्ध कर रहे हैं, अतः इन लोगों की युक्तियाँ यहाँ देना व्यर्थ होगा ।

श्रीयुत कैनेडी का कथन है कि ७ शताब्दि ई० पू० भारत और ईविलोन में परस्पर समुद्र द्वारा व्यापार प्रारम्भ होगया था । तब भारतीय व्यापारियों ने अरब और अफ्रीका के सामुद्रिक तटों पर अपने उपनिवेश भी बना रखे थे । यह व्यापार अरब समुद्र और पश्चिमया की खाड़ी के मध्य से ही होता था । इस समय तक ईविलोन में भी बहुत से भारतीय उपनिवेश बस चुके थे ।

भारत और पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सम्बन्ध की साक्षी बाइबल द्वारा भी ग्रास होती है । बाइबल के ग्रामीन भाग (Old Testament) में कहा है—“भोजिक काल (१४६१ ई० पू० से १४५० ई० पू० तक) में लोग हीरों की, विशेष कर भारतवर्ष से लाए गए हीरों की, खूब कदर करते थे । कठिपय उत्तम हीरे सुदूर पूर्व (Far east) से भी आते थे । ”

ग्रामीन सीरियन साहित्य से भी भारत और सीरिया के ग्रामीनतम सम्बन्ध की सत्ता सिद्ध होती है । एक सीरियन ग्रन्थ में लिखा है कि जब

1. Prof. V. Bells article on “A Geologist's contribution to the History of India.” I. A. August 1884.

सीरिया पर १०१५ ई० पू० में राजा सोलोमन राज्य कर रहा था उस समय वहाँ भारतवर्ष से हाथीदाँत, कपड़े, कवच, मसाले आदि आया करते थे । एक और पुस्तक में लिखा है कि राजा सोलोमन के समय एक जहाज पर भारत से सोना, कीमती लकड़ी, हीरे आदि आए । पादरी टी० फौक^१ का कथन है कि राजा सोलोमन के काल में ये भारतीय जहाज भारत के दक्षिण प्रदेश से ही जाया करते होंगे ।

हेरोडोटस ने लिखा है कि भारतवर्ष में स्कोना संसार भर के सब देशों से अधिक है । उसने सोना खोदने वाली चींटियों का वर्णन भी किया है । उसके कथनानुसार भारतवर्ष से बैबिलोन में हीरे और बढ़िया कुत्ते जाया करते हैं ।

पश्चासन—मैसोपोटेमिया और भारत का प्राचीन सम्बन्ध हम मोहम्मदोद्दो और हरण्या के वर्णन में सिद्ध कर चुके हैं । मैसोपोटेमिया में एक बड़ी सी मोहर प्राप्त हुई है, पुरातत्व वेत्ताओं का विचार है कि यह मोहर कम से कम २८५० ई० पू० की है । इस मोहर के मध्य में मनुष्य का चित्र है जो कि एक विशेष आसन लगा कर बैठा हुआ है । यह आसन भारतीय “पश्चासन” से बिल्कुल मिलता है । इस मोहर के नीचे अरबी अक्षरों से मिलते जुलते अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है ।^२

महाशय आर० एन्थोवन का विश्वास है कि प्राचीन काल में मैसोपोटेमिया से ही भारतवर्ष के लोगों ने पश्चासन।लगाना सीखा है । मिठ० एनथोवन अंग्रेज हैं, आप प्राचीन भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को सह नहीं सकते । पश्चासन जैसी भारतवर्ष की प्राचीन चीज़ को अन्य देशों से लिया गया बताना एक चमत्कार नहीं तो क्या है । प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक शानों पर पश्चासन का चरण प्राप्त होता है । योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए ऋषि व्यास ने स्पष्ट शब्दों में पश्चासन का जिकर किया है ।^३

भौतिक सभ्यता—मैसोपोटेमिया के वासियों ने भौतिक सभ्यता की अधिकांश बातें भारतवर्ष से ही सीखी हैं, उदाहरणार्थ लिखना, ईटें बनाना,

1. Indian Antiquary, Vol. VIII.

2. The Journal of the Royal Asiatic Society for G. B. and I. for October 1922.

3. “स्त्रिय बुखमासनम् ॥ ४६ ॥” (योग । साधन याद)

स्थाया—पश्चासनम्, भद्रासनम् आदि ।

ज्योतिष, माप और जल प्रावेन की कथा आदि। परन्तु महाशय एन्थोवन का कथन है कि ये सब बातें भी भारतवर्ष ने मैसोपोटेमिया से ही सीखी हैं। उन के कथनानुसार छः या सात शताब्दि पूर्व भारत और मैसोपोटेमिया का पारस्परिक व्यापार प्रारम्भ हुआ। तब जो भारतीय व्यापारी मैसोपोटेमिया गए, उन्हीं के द्वारा भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अर्गों का भारतवर्ष में प्रचार हो पाया। उन का यह कथन नितान्त भ्रमपूर्ण है। हम वैदिक साहित्य के प्राचीनतम प्रमाणों द्वारा यह बात बात सिद्ध करेंगे कि उपर्युक्त सब बातें भारतवर्ष ने वैदिक सभ्यता के मूल स्रोत वेदों द्वारा ही सीखी हैं।

वेद के कई मन्त्रों द्वारा लेखन कला का प्रकार स्पष्ट सिद्ध होता है। हम केवल एक ही प्रमाण देना पर्याप्त समझते हैं। अर्थवेद के एक मन्त्र का अर्थ है—“वेद की पुस्तक को हम जिस स्थान से उठायें उसे फिर उसी स्थान पर रखदें।”^१

मन्त्र में ‘वेद’ शब्द आता है, प्रकरण को देख कर यहाँ उस का कोई और अर्थ किया ही नहीं जा सकता। इस मन्त्र से पूर्व जो दो मन्त्र आए हैं उनके द्वारा वेद का अभिप्राय वेद पुस्तक ही सिद्ध होता है।^२

यजुर्वेद में पकी हुई ईंटों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी मन्त्र में संख्याएँ भी गिनाई गई हैं। मन्त्र का अर्थ है—“इस यज्ञ कुण्ड में, कुण्ड के परिमाण के अनुसार, एक, दस × दस = सौ, सौ × दस = हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, समुद्र, मध्य, अन्त या परार्थ जितनी भी ईंटें लगी हैं वे सब मेरा इस जन्म और अगले जन्म में कल्याण करने में सहायक हों।”^३ इसी मन्त्र में परिमाण का वर्णन भी आगया है।

उयोग्यतिष सम्बन्धी मन्त्र तो वेद में जगह प्राप्त होते हैं; वेद में ज्योतिष सम्बन्धी मन्त्रों की सत्ता से कोई इकार नहीं करता इस कारण उदाहरणार्थ मंत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जल प्लावन की कथाओं में भारतीय ब्राह्मण

१. यस्मात् कोशात् उदभासेदं तस्मिन्नन्तरवदधम एन्म् ॥ श्रावर्ष १८ । ७२ । १.

२. ग्राव्यचसश्च व्यवसश्च विलं दिश्यामि मायया ।

तथ्यामुद्भृत्य वेदं ग्रथ कर्माणि कृशमहे ॥ श्रावर्ष १८ । ७१ । १.

स्तुता मयावरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ॥ ग्रावर्ष १८ । ७१ । १.

३. इमा मे ग्रन्थ इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दश च दश च शतं च शतं च सहस्रं च
सहस्रं च चायुतं चायुतं च नियुतं च प्रयुतं च प्रयुतं चार्बुदं च व्यवृद्धं च
समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्थश्चैता मे ग्रन्थ इष्टका धेनवः सन्त्वमुत्रामुलिमङ्गोके ॥

यजु० १७ । २.

प्रन्थों में वर्णित जल प्लावन कथा की प्राचीनता हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में सिद्ध कर चुके हैं ।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मैसोपोटेमिया और ईरान में भौतिक सभ्यता का प्रसार भारतवर्ष द्वारा ही हुआ । क्योंकि वेदों की प्राचीनता का पांच, छः शताब्दि ई० पू० मानना तो स्वयं ही हास्यास्पद होगा । सरमार्शल की शापना है कि भारतवर्ष में, भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का विकास मैसोपोटेमिया और ईरान द्वारा हुआ, धीरे धीरे भारतीयों ने इस सब बातों को पूरी तरह अपना कर भारतीय बना डाला । परन्तु ऊपर दी हुई युक्तियों के आधार पर हम इस से सर्वथा प्रतिकूल शापना करते हैं कि भारतवर्ष से भौतिक सभ्यता के उपर्युक्त अंगों का प्रसार मैसोपोटेमिया और ईरान आदि देशों में हुआ । धीरे धीरे उपर्युक्त देशों ने इस भारतीय सभ्यता की भली प्रकार अपना लिया ।

चालडी और वैदिक साहित्य— १६ वीं शताब्दि के उत्तरार्ध में मैसोपोटेमिया प्रान्त में जो चालडी साहित्य प्राप्त हुआ है, वह पुरातत्व वेत्ताओं के लिये विशेष महत्वपूर्ण वस्तु है । यह साहित्य ईसा से लगभग ५ हज़ार वर्ष पुराना है । बहुत से पाश्चात्य ऐतिहासिकों का चिचार है कि इस चालडी सभ्यता के सन्मुख भारतीय सभ्यता बहुत ही नवीन है । उनका कथन है कि ईसा से केवल २००० वर्ष पूर्व ही भारतीय आर्यों, जो कि अभी तक मध्य एशिया में ही रहते थे, का असीरियन और वैविलोनियन लोगों से सम्बन्ध हुआ । इसी समय से ही आर्य लोगों ने खेती करना, धातु के औज़ार बनाना, मकान बनाना, विनियम मध्यम का प्रयोग, लेखन कला आदि सीखा ।

हमारी शापना है कि इस प्राचीन चालडी साहित्य का आधार वेद है । और चालडी भाषा बोलने वाली पश्चिमी एशिया की प्राचीन जातियाँ सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा के लिए भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति की झणी है । इन जातियों का भारतवर्ष से सम्बन्ध आज से छः सात हज़ार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है । यह सम्बन्ध कब प्रारम्भ हुआ, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते । यह चालडी साहित्य जिस समय लिखा गया था उस समय तक असीरियन लोग भारतीय सभ्यता के आधार पर अपनी सभ्यता भली प्रकार विकसित कर चुके थे । साथही यह भी सम्भव है कि ख्मारिक रूप से प्राचीन असीरियन सभ्यता का थोड़ा बहुत प्रभाव भारतीय सभ्यता पर भी पड़ा हो । यह कहना कि वैदिक सभ्यता का ड्रूम आज से केवल ४००० वर्ष प्राचीन है,

चतुर्थ भाग। (२६६)

निसान्त भ्रमपूर्ण है ; स्वर्य चालडी साहित्य में ही बहुत से वैदिक शब्द उसी अभिग्राय में प्राप्त होते हैं जिस में कि वे वेद में प्रयुक्त किये गये हैं । इसके कुछ प्रमाण हम पहले भी उद्धृत करते चुके हैं । उनके अतिरिक्त निम्नलिखित वैदिक शब्द चालडी साहित्य में कुछ विकृत रूप में प्राप्त होते हैं—

I. सुप्रसिद्ध असीरियन शब्द “जहोवा” वैदिक “यहू” शब्द का अपन्नंश है । यह ईश्वर का नाम है । वैदिक साहित्य में “यहू” वरुणदेव के लिये प्रयुक्त छोटा है ।

II. चालडी शब्द “अबजु” वैदिक शब्द “अप्सु” का विकृत रूप है । चालडी साहित्य में अबजु का अर्थ जल सम्बन्धी ही है । वैदिक संस्कृत में इन्द्र के लिये “अप्सुजित” (जलों का विजेता) नाम आया है ।

III. चालडी साहित्य में बड़े के लिये “उरु” शब्द आया है । वेद में भी “उरु” शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । वेद में “उरु क्षय” “उरु गाय” आदि शब्द आते हैं । “उरु लोक” और “उरु वशी” भी इसी का उदाहरण हैं ।

इसी प्रकार बहुत से अन्य शब्द भी उद्धृत किये जा सकते हैं ।

पश्चिमी एशिया की जातियों के बहुत से देवी देवता भी भारतीय पौराणिक देवी देवताओं के आधार पर ही कलिपत किये गये हैं । परन्तु यह समानताएँ ग्राचीनतम काल की नहीं हैं । उदाहरणार्थ—

| | |
|-----------|----------------|
| मैमिरेमिस | = शमीरमा देवी. |
| निनस | = लीलेश्वर. |
| मक्का | = मोक्षस्थान. |
| अरकोलन | = अस्त्रलन. |
| मनावेग | = महाभागा. |
| अस्सीडा | = अमायास. |

हिन्दू और भारतीय सम्यता

निम्नलिखित तालिका द्वारा हमें सम्यताओं जो समानता भली प्रकार प्रदर्शित हो सकती हैं—

| हिन्दू | भारतीय |
|--|---|
| १. नियोग— “बोऽन कहता है कि मैं मोलान की स्त्री रथ को अपनी स्त्री बनाता हूँ जिससे कि उसके मृत पति का नाम बना रहे, उसकी जायदाद भी उसी के वंश में बनी रहे, और रथ का वंश नष्ट न होजाय। | १. “किसी और व्यक्ति को पति बना कर सन्तान उत्पन्न कर।” |
| २. पवित्र और अपवित्र जन्म— मूसा का कथन है कि वे पशु, जिन के खुर चिरे हुए नहीं, यथा सूअर आदि, अपवित्र हैं; पक्षियों में चील अपवित्र है। | २. मनु का कथन है—“विष्णु खाने वाले, नगरों में रहने वाले और बैचिरे खुरों वाले पशुओं का मांस नहीं खाना चाहिए।” ^२ |
| ३. शब स्पर्ष— “जो व्यक्ति मृत-देह को छूएगा वह सात दिन तक अपवित्र रहेगा। मृतक के घर में प्रवेश करने से भी मनुष्य अपवित्र होजाता है।” | ३. “शब को छूने वाले एक दिन या तीन दिन के बाद पानी से खाना करके शुद्ध होते हैं।” |
| ४. सूतक— “पुत्र उत्पन्न करने अथवा रजस्वला होने के सात दिन बाद तक स्त्री अपवित्र रहती है। यदि बालिका उत्पन्न हो तो वह १४ दिन अपवित्र रहती है और उस की पूर्ण शुद्धि ६० दिन के बाद होती है।” | ४. रजस्वला होने पर अथवा पुत्र उत्पन्न करने पर कुछ दिन तक स्त्री को सूतक रखना चाहिये। सूतक माता पिता का ही होना चाहिये, पिता भी अगर माता को न छूए तो अकेली माता को ही सूतक रखना चाहिये। ^३ |
| <p>१. आन्यमिच्छस्य सुभगे पर्ति मत् । वेद</p> <p>२. क्रव्यादान्यकुनान्स्वर्वाहू तथा ग्रामनिवासिनः ।
अनिर्दिष्टारचैक षफान टिट्टर्म च विवर्जयेत् ॥ मनु. ५ । ५१.</p> <p>३. अन्वा चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रिरेव दिनैखिभिः ।
शब स्पृश्याविशुद्धयन्ति त्र्यहादुदकं दरिनः ॥ मनु. ५ । ५१.</p> <p>४. यथेद्शावमा शौचं स पिश्डेतु विधीयते ।
जननेष्यवते वस्त्रालिपुणं शुद्धिमिच्छुता ॥ मनु. ५ । ५१.
..... माता पित्रोस्तु सूतकस् ।
सूतकं मातुरेवस्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ मनु. ५ । ५२.</p> | |

| हिन्दू | भारतीय |
|---|---|
| ५. तपस्यी-जहोवा का कथन है कि मैंने भीग विलास हीन तपस्यी सत्तों को सब उपभोग के योग्य वस्तुएँ दी हैं परन्तु वे लोग उन्हें फिर मेरे (परमात्मा) प्रति ही समर्पित कर देते हैं । | ५. भारतीय तपस्यी का वैदिक ग्रन्थों में यही वर्णन प्राप्त होता है । |
| ६. मांस इनषेत्र— “तुम में से जो व्यक्ति, चाहे वह इसराइल वंश का हो अथवा किसी अन्य वंश का, रुधिर या मांस खाएगा उस पर मेरा भारी कोप गिरेगा ; मैं उस को नष्ट कर दूँगा ।” | ६. साधारण अवस्थाओं में द्विजों को मांस नहीं खाना चाहिये । आपन्ति काल आने पर भी विधि विहित मांस ही खाना चाहिये, अन्यथा भयंकर दण्ड मिलता है । |
| “क्योंकि खून शरीर का भाग है इस लिये मैं इसराइल के वंशजों को रुधिर भक्षण से रोकता हूँ । जो इस का सेवन करेगा वह नष्ट हो जायगा ।” | |
| “अग्रेन और इसराइल के वंशजों से कहो कि वे परमात्मा की आङ्गा और चर्चनों पर ध्यान दें । जो व्यक्ति किसी बैल, बकरी, भेड़, या ऐसे ही किसी अन्य जीव को देव-पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर मारेगा वह हत्या का पाप करेगा । और यदि वह मांस खाएगा, तो भयंकर दण्ड का भागी होगा । | |

इस प्रकार हिन्दू सभ्यता और भारतीय सभ्यता में बहुत अधिक समानता प्रतीक्षा होती है । उपर्युक्त हिन्दू उद्धरण हमने बाइबल के Old Testament में से दिये हैं ।

१. नायादविधिना मांसं विधिज्ञोनापदि द्विजः ।

जग्धाक्षविधिना मांसं प्रेत्यतैत्यतेऽक्षश ॥ मनु. ५ । २५.

* पाँचवाँ अध्याय *

भारत और यूनान.



पूर्व और पश्चिम के दो देशों का प्राचीन इतिहास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, पूर्व में भारतवर्ष और पश्चिम में यूनान। भारतवर्ष द्वारा सम्पूर्ण पश्चिम महाद्वीप ने सभ्यता का पाठ सीखा और यूनान ने यूरोप के देशों को सभ्यता की शिक्षा दी। दोनों देशों ने संसार के इतिहास में सदा के लिये अमर रहने वाले ऋषियों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। भारतवर्ष के बाल्मीकि, गौतम, कपिल, कगाद, व्यास आदि ऋषि और यूनान के होमर, सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो, हैरोडोटस आदि कवि और विचारक सदैव के लिए संसार की सभ्यता के गुरु माने जाते रहेंगे। भारतवर्ष और यूनान क्रमशः पूर्व, पश्चिम के सर्व, चाँद हैं। इन दोनों द्वारा ही पूर्व और पश्चिम सभ्यता के उज्ज्वल प्रकाश द्वारा प्रकाशित हो पाये हैं। परन्तु हमारा विश्वास है कि यह प्रकाश माने के लिये पश्चिम का चाँद पूर्व के सर्व का झणी है। भारतवर्ष और यूनान के पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध के जो ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हैं वे हम अन्त में देंगे, उस से पूर्व यूनान के साहित्य तथा दार्शनिक विचारों में भारतीयता की भलक दिखाने का यत्न किया जायगा।

रामायण और इलियड— रामायण की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन कविवर बाल्मीकी ने एक श्रेष्ठतम् काव्य के रूप में किया है। इसी की छाया को लेकर यूनान देश के आदिकवि होमर ने इलियड नामी सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की। कविकुल गुरु बाल्मीकी और कविवर होमर के दून दोनों काल्यों में असाधारण समानता है। निम्न तालिका द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार रामायण के कथानक को लेकर इलियड की रचना की गई है।

| इलियड | रामायण |
|---|--|
| १. इलियड के मुख्यान्त्र दो भाई हैं, जिन में परस्पर अत्यन्त प्रेम है, जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। | १. रामायण के राम और लक्ष्मण की जोड़ी जगद्विसिद्ध है। |

| इलियड | रामायण |
|--|---|
| २. इन दोनों को इनके पिता आर्गस ने राज्य से निकाल दिया था । | २. पिता की आङ्गा से बन जाते हुए राम के साथ ही लक्ष्मण ने भी राज्य छोड़ दिया था । |
| ३. इलियड की नायिका हैलन नाम की एक रुपवती कन्या है जो माता के पेट से पैदा नहीं हुई । | ३. रामायण की नायिका सीता को भी पृथिवी से ही पैदा पुरे माना जाता है । |
| ४. इलियड का नायक मैनिलस हैलन को उसके पिता के द्वारा किए गए स्वयंवर में, अन्य सब प्रतिद्वन्द्वियों को नीचा दिखा कर, बरता है । | ४. राम ने स्वयंवर में अपने प्रातं-स्पर्धी राजाओं को नीचा दिखा कर सीता का वरण किया । |
| ५. राज्य से बहिष्कृत होने पर एक बार मैनिलस की अनुपस्थिति में पेरिस उसके घर आता है, और उस की धर्मपत्नि हैलन को चुरा कर समुद्र पार बसे हुए द्वाष्ट नगर में लेजाता है । | ५. राम की अनुपस्थिति में रावण सीता को चुरा फिर समुद्र पार लड़ा मैं लेगया । |
| ६. द्वाय के महल समतल भूमि से बहुत ऊँचाई पर बने हुए थे । | ६. लड़ा का राजधानी साधारण भूमितल से बहुत ऊँचाई पर बसी पुरी थी । |
| ७. एक ऊँचे महल पर चढ़ कर द्वाय के एक मुख्य व्यक्ति ने द्वाय सेना के सेनापतियों के नाम शिनाए थे । | ७. विभीषण ने एक ऊँची पहाड़ी पर चढ़ कर लड़ा के सेनापतियों के नाम भी श्रीराम को बताए थे । |
| ८. द्वाय के युद्ध में यूनानी सेना अनन्त थी । प्रांटे की सम्मति में उस की संख्या लगभग १ लाख थी । सेना में ११२६ जहाज़ और रथ तथा अश्वारोही आदि भी थे । | ८. लंका के युद्ध में राम की धार्म सेना अनन्त थी । युद्ध में रथों का घर्णन भी आता है । |
| ९. द्वाय सेना के सेनापति हैकूर के बाण फिर उस के तर्फस में लौट आते थे । | ९. रावण के बाण पुनः उस के तर्फस में लौट आते थे । |

| इलियड | रामायण |
|--|--|
| १०. अकिलस के भयानक गर्जन से द्राय नगर की सेना कर्व उठती थी। | १०. हनुमान की भारी गरज से लंका की सेना दहल जाती थी। |
| ११. इलियड में अपशकुन दिखाने के लिये जीयस द्वारा खून की वर्षा कराई जाती है। | ११. रामायण में अपशकुन या असाधारण घटना दर्शाने के लिए खून असद की वर्षा का वर्णन किया गया है। |
| १२. जीयस का पुत्र मरने को था कि खून बरसा। | १२. रावण की मृत्यु के पूर्व खून की वर्षा हुई। |
| १३. द्राय का और मार्स जब पलास द्वारा मारा जाकर भूमि पर गिरा तब उसके द्वारा ७ एकड़ ज़मीन घिर गई। | १३. कुम्भकर्ण जब मरकर भूमिपर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई पहाड़ भूमि पर गिर पड़ा है। |
| १४. इलियडमें जोव (Jove) सोना बरसाता है। | १४. रामायण में कुछेर सोने आदि की वर्षा करता है। |
| १५. मैनिलस को पुनः उसकी पत्नि हैलन प्राप्त हो जाती है। | १५. राम पुनः सीता को प्राप्त कर लेता है। |
| १६. द्राय के युद्ध में देवता लोग आकाश में बैठकर दर्शक रूप से युद्ध देखते हैं। | १६. लंका के युद्ध को देवगण चिमानों में बैठ कर देखा करते थे। |
| १७. एकिलस जब भूख के कारण मरने के करीब था तब इन्द्र ने मिनवर्ण के हाथ उसके लिये अमृत भेजा। | १७. सीता ने जब अशोक घाटिका में भोजन का त्याग कर दिया तब स्वयं इन्द्र ने उसे अमृत लाकर दिया। |
| १८. हैक्टर ने द्राय शहर के मुख्य फाटक छा लोहे से बना हुआ विशाल दरवाजा, जो कि पत्थर की दीवार में लगा हुआ था, उखाड़ डाला। द्राय के युद्ध में कई महारथी बड़ी २ शिलाएँ उठा कर शत्रु सेना पर फेंकते थे। | १८. रामायण में हनुमान द्वारा लंका के विशाल फाटक के तोड़े जाने का धर्जन है। लंका के युद्ध में राक्षस और बानर बड़ी २ शिलाएँ एक दूसरे पर फेंकते थे। |
| १९. द्राय में सब से अधिक बुद्धि-मान परटीनर था जो कि पेरिस के दुष्कृत्य से सहमत न था। | १९. लंका में विभीषण सब से अधिक बुद्धिमान था; यह रावण के पापकार्य से सहमत न था। |

| इलियड़ | रामायण |
|--|---|
| (क) द्राय में जाकर मैनीलस और उसका छोटा भाई ओडेसस दोनों अवश्य मारे जाते थदि वहाँ परेटीनर न होता । | (क) लंका में जाकर हनुमान का बनाव लगायग असम्भव था यदि वहाँ विभीषण न होता । |
| (ख) पटीएनर ने पूरे यज्ञ से पेरिस को उपदेश दिया था कि तुम हेलन को लौटा दो । | (ख) विभिषण ने भरसक यज्ञ किया था कि रावण सीता को लौटा दे । |
| (ग) हताश होकर एण्टीनर पेरिस का पक्ष छोड़कर मैनीलस से मिल गया । | (ग) विभीषण ने निराश होकर रावण का पक्ष छोड़ दिया और श्रीराम की शरण ली । |
| (घ) पेरिस के मारे जाने पर एण्टीनर ही द्राय का राजा बना । | (घ) रावण के बध हो जाने पर विभीषण ही लंका का राजा बना । |
| (२०) होमर ने इलियड़ में ग्रीक सेना का सेनापति एक ऐसा अक्ति रक्खा है जिसे कि ग्रीस के राजा ने “विश्वकर्मा” के बनाए शक्ति दिए थे । इस सेनापति को इन्द्र (Jove) ने अपना रथ, घोड़ा और सारथी भी दिया था । | (२०) राम को ताड़का का बध करने के लिये विश्वामित्र ने दैवीय अस्त्र दिये थे । लंका के युद्ध में भी इन्द्र ने उसे विश्वकर्मा के बनाए अस्त्र तथा अपना रथ, घोड़े और सारथी दिये । |

केवल उदाहरण मात्र के लिये ही इलियड़ और रामायण की थोड़ी सी समानताएँ यहाँ उद्धृत की गई हैं । चतुर्तः सम्पूर्ण इलियड़ अन्ध ही रामायण की छाया को लेकर लिखा गया प्रतीत होता है । दोनों ग्रन्थों में इतनी अधिक समानता सिद्ध करने से हमारा अभिप्राय कविचर होमर के महाकाव्य की महत्ता कम करना नहीं है ; हम केवल यही सिद्ध करना चाहते हैं कि कविकुल गुरु बालमीकी का यह “रामायण” काव्य इतना अधिक पसन्द किया गया कि जिन देशों का सम्बन्ध उन दिनों भारतवर्ष से था, उन सुदूरवर्ती देशों के प्रतिभाशाली लेखकों ने भी रामायण के आधार पर ही अपने प्रसिद्ध काव्यों की रचना की । यह समानता भारतवर्ष और यूनान का पारस्परिक नैतिक सम्बन्ध सिद्ध करने वाली है ।

मनु और मिनौस — सुप्रसिद्ध नीतिकार मनु ने भारतवर्ष में, समाज शाख के सिद्धान्तों का एक विशेष रूप में प्रतिपादन किया है। मनु महाराज के अनन्तर उनके सिद्धान्तों का अनुसरण करने वालों में “मनु” शब्द एक उपाधि के रूप में प्रयुक्त होने लगा। नीति शाख की भाषा में इस समूह को हम “मानव सम्प्रदाय” कह सकते हैं। हमारा अनुमान है कि मानव सम्प्रदाय के कतिपय आचार्य समय २ पर विदेशों में भी गए, और वहाँ जाकर उन्होंने मनु महाराज के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार के एक आचार्य यूनान में भी गए, और उन्होंने वहाँ मानव सिद्धान्तों का प्रचार किया। यह आचार्य यूनान देश के इतिहास में मिनौस नाम से प्रसिद्ध हैं। यूनानी ग्रन्थों के अनुसार मिनौस क्रीट प्रांत का प्राचीनतम शासक है। क्रीट के प्राचीनतम राजवंश की नीति इसी ने डाली थी। मिनौस ने क्रीट में एक विशेष प्रकार की नीति को जन्म दिया। इह उनी जन्मभूमि यूनान नहीं थी। कुछ प्राचीन यूनानी कथाओं के आधार पर वह मनुष्य की सत्तान ही न था; वह सूर्यदेव का पुत्र था।^१ परन्तु वर्तमान यूनानी ऐतिहासिक उस के जन्म को खोज करने के लिए यहाँ कर रहे हैं।

भारतीय ग्रन्थों के अनुसार मनु महाराज भी सूर्यवंशी थे। भारतवर्ष में सूर्यवंश की नीति मनु ने ही डाली थी।

दार्शनिक विचारों में समानता — यूनानी और भारतीय दार्शनिक विचारों में परस्पर इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के प्राचीन दर्शन शाखों से थोड़ी बहुत परिचिति रखने वाला मनुष्य भी स्वयं इस समानता को अनुभव करने लगता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धान्त मुख्यतया छः भागों में विभक्त हैं ये छहों प्रकार मिलते जुलते रूप में प्राचीन यूनानी सभ्यता में भी पाये जाते हैं। हम यहाँ बहुत संक्षेप से उदाहरण के लिये कुछ समानताएँ उद्धृत करेंगे—

| यूनानी | भारतीय |
|---|---|
| १. यूनानी विद्वान हैरोडोटस का कथन है— “वास्तव में ईश्वर एक ही | १. “वह वास्तव में एक है, परन्तु बुद्धिमान् उसे भिन्न २ नामों से याद |

1. Encyclopædia Britannica, “Minos”.

| यूनानी | भारतीय |
|---|--|
| है ; वर्तमान देवता—जिनकी पूजा की जाता है—वास्तव में उसी एक महान शक्ति के भिन्न २ रूप हैं । प्राचीन लोग भी यही मानते थे, परन्तु पीछे से इन देवताओं की पृथक् पृथक् पूजा चल पड़ी ।” ^१ | करते हैं ।” ^२ यह वैदिक सिद्धांत है । वर्तमान पौराणिक देवताओं का मूल स्रोत ईश्वर के भिन्न नाम ही हैं । सभी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्प्राप्ति में इसकी भली प्रकार व्याख्या की है । |
| २. यूनानी यूसेबियस (Eusebius) का कथन है—“यूनान की वर्तमान समय में प्रचलित प्राचीन गाथाएँ (Mythology) प्राचीन धर्म का विकृत और परिवर्तित रूप हैं ।” ^३ | २. भारतवर्ष की पौराणिक गाथाएँ भी प्राचीनधर्म का विकृत रूप हैं, बहुत से भारतीय आचार्यों का यही मत है । |
| ३. यूनानी दार्शनिक गेनोफेनस (Xenophanes) का कथन है कि संसार और ईश्वर वास्तव में एक ही हैं, यह एक ही सत्य, स्थिर और परिवर्तनशील है ।” | ३. वेदान्त का सिद्धान्त है कि प्रकृति और ईश्वर वास्तव में एक है, वही एक अविनाशी है । ^४ |
| ४. अरिस्टोफेन की एक सुप्रसिद्ध कविता का अनुवाद निम्नलिखित है—“प्रारम्भ में यहाँ अन्यकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । यह अन्यकार स्थिर और गूढ़तम था । तब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न तारे थे—कुछ भी नहीं था । बहुत समय बाद इस सर्वत्र व्याप्त अन्यकार से ही प्रेम (काम) की उत्पत्ति हुई । इस, सब को प्यारी, वस्तु के सुनहरे पद्म थे ; उनसे यह सब | ४. “उस समय न कारण रूप प्रकृति थी, न कार्य रूप, न पृथिवी लोक था, न यह फैला हुआ आकाश था, न यह चमकते हुए तारे थे । तब न मृत्यु थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन था ; तब वह अकेला ही बिना वायु के श्वास ले रहा था, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था । तब केवल अन्यकार था ; इस गूढ़तम अन्यकार में ही यह कारण और कार्य रूप प्रकृति तप की |

1. History of Greece, vol. i. Page 10.

2. “एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्ति ।” वेद.

3. Praep. Eevan. Lib. ii. cap. 1.

4. “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” वेदान्त.

| यूनानी | भारतीय |
|---|---|
| <p>ओर फड़फड़ाता था । इसी प्रेम से ही मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । इसी से प्रकाश की उत्पत्ति हुई । जब प्रेम नहीं था तब यहाँ न मनुष्य थे, न देवता थे । तब संसार भर की सब वस्तुएँ एक दूसरे में व्याप्त थीं ।”</p> <p>५. एम्पेडोकलीस का कथन है कि “जो चीज़ एक समय विद्यमान नहीं है वह कभी विद्यमान हो ही नहीं सकती, जो चीज़ एक समय उपस्थित है उसका नाश हो ही नहीं सकता ।”</p> | <p>महिमा से बिलीन हुई हुई थीं । इस से सब से पूर्व इच्छा (काम) की उत्पत्ति हुई ; जो कि मन की शक्ति है उसी काम से यह सब संसार पैदा हुआ ।^१</p> <p>५. सुप्रसिद्ध सांख्य सिद्धांन्त “सत्कार्यवाद” संश्लेष में इस प्रकार है—</p> <p>“निभन्नलिखित कारणों से सत्कार्यवाद सिद्ध होता है—जो चीज़ नहीं है, उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता ; उपादान का ग्रहण नहीं होता ; एक चीज़ से सब कुछ नहीं बनाया जा सकता ; जो चीज़ जो कुछ बनाने में समर्थ है उस से केवल वही चीज़ ही बनाइ जा सकती है ; कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है ।”^२</p> <p>गीता में कहा है— “जिस वस्तु की सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो वस्तु नहीं है उसकी सत्ता असम्भव है ।”^३</p> |
| <p>१. नासदासीक्षो सदासीक्षदानीं नासीद्वजो नो व्योमा पुरोयत् ॥ १ ॥</p> <p>न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्ह आसीत्प्रकेतः ।</p> <p>आमोदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्गुण्यस्त्र परः किञ्चुनाप ॥ २ ॥</p> <p>तम असीक्षमसा गूढमयेऽप्रकेतं सक्षिलं सर्वमा इदम् ।</p> <p>तुच्छेनाभ्यिहितं तदासीक्षपवस्तम्भिना जायतैकम् ॥ ३ ॥</p> <p>कामस्तदग्ये समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ॥ ४ ॥</p> | <p>ऋग्वेद १० । १२८.</p> |

२. असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्वं सम्भवा भवात् ।
- शक्तस्य शक्त्य करणात् कारणभावात् सत्कार्यम् ॥ ५ ॥ सांख्य कारिका.
३. नामनो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । गीता २ । १६.

| शून्यानी | भारतीय |
|--|--|
| <p>६. प्रसिद्ध दार्शनिक वृक्ति का कथन है कि शून्यान के प्लूटोर्च, क्लेमन्स, एलक्ज़ड्रीनस, औरफस आदि विचारकों के मतानुसार यह सम्पूर्ण विश्व एक दिन क्षय होजागया। और पीछे से इसकी राख (अवशेष) से इसी प्रकार के नए जगत की उत्पत्ति होगी। सम्भवतः औरफस जैसे यह विचार मिश्र के लोगों से लिया था।^१</p> <p>७. टिमोथस के मतानुसार—“औरफस ने अपने ग्रन्थ में घोषणा की है कि ईश्वर वास्तव में एक है, उसी के तीन भिन्न भिन्न नाम हैं।^२</p> <p>कुडवर्थ का कथन है—“वास्तव में जूपिटर, नैप्चून और प्लूटो—इन तीनों देवताओं की काई पृथक् सत्ता नहीं है। एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये तीन भिन्न २ नाम हैं। एक प्राचीन मूर्चि में जूपिटर की वास्तव में तोब आँखें प्राप्त हुई हैं। यह तीन आँखों वाला ईश्वर ही है। लोग इस से भिन्न कल्पनाएँ करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर सर्व, पृथ्वी और समुद्र की रक्षा करता है अतः उसको तीन आँखें बनाई गई हैं। तीन आँखों का यह अभिप्राय ठीक है या नहीं इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते। परन्तु इससे यह अवश्य स्पष्ट होजाता है कि जूपिटर, नैप्चून और प्लूटो वास्तव में एक ही ईश्वर के भिन्न २ नाम हैं।”^३</p> | <p>६. वैदिक साहित्य तो प्रलय और उत्पत्ति के सिद्धान्त का जन्मदाता ही है। वैद के अनेक मन्त्रों में प्रलय और सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है। अर्थात् वैद के एक मन्त्र का अर्थ है—“तब प्रलय हो गया..... तदन्तर ईश्वर ने सम्पूर्ण विश्व को पहले की तरह फिर से बनाया।”^४</p> <p>७. भारतीय पौराणिक साहित्य में जगह २ त्रिमूर्ति और उसकी महत्ता का वर्णन है। यह त्रिमूर्ति ही जगत को पैदा करती है, उसे स्थिर रखती है और अन्त में उसका नाश कर देती है। इस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश—ये तीन महादेवता सम्मिलित होते हैं। पौराणिक युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में मुख्यतया इन्हीं तीन देवताओं की पूजा होती रही है।</p> <p>वैद में भी ईश्वर की तीन आँखों का वर्णन है—“हम उस तीन आँखों वाले ईश्वर की स्तुति करते हैं।”^५ इन तीन आँखों से ईश्वर की द्यलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक के निरीक्षण करने की शक्ति का अभिप्राय है।</p> |

१. Seneca, Natural. Lib. iii. Chap. 30.

२. ततो रात्रि अजायत्... असौ धाता यथा पूर्वमक्लयत् ॥ क० १०। १००। १-३.

३. Intellectual system, book i, chap. iv. sect. 17.

४. Intellectual system, book i, chap. iv. sect. 32.

५. द्यम्बकं यजामहे सुगन्धिदुष्टि वर्धनम्।

| यूनानी | भारतीय |
|---|---|
| <p>C. कोलब्रुक का कथन है— “यह देख कर हमें आश्र्य होता है कि पैथागोरस और ओसेलस (Ocellus) के बहुत से सिद्धान्त भारतीय दार्शनिकों से बहुत मिलते हैं। पैथागोरस ने स्वर्ग, पृथिवी और मध्यलोक का वर्णन किया है। उसका कथन है कि मध्यलोक में राक्षस, स्वर्ग में देवता और पृथिवीलोक में मनुष्य रहते हैं।”</p> <p>“पैथागोरस अनुभव करने वाले भौतिक अंग (मन) को चेतन आत्मा से पृथक् समझता है। इसमें से एक शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, और दूसरा अमर है। साथ ही वह आत्मा के इस सूल दृश्य आवरण के अतिरिक्त उसका एक सूक्ष्म अदृश्य आवरण भी स्वीकार करता है।... मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय विचारक ही इन ग्रीक दार्शनिकों के गुरु हैं।”</p> | <p>C. भारतीय शास्त्रों और वेदों में तीन लोकों का वर्णन है— द्यूलोक, मध्यलोक और पृथिवी लोक। पौराणिक विश्वासोंके अनुसार तीन भिन्न २ लोकों में देवता, मनुष्य और राक्षस निवास करते हैं। साथ ही वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार मन और आत्मा भिन्न २ हैं। इन में से आत्मा नित्य और स्वभाव से पवित्र है।</p> <p>उपनिषदों में सूक्ष्म शरीर और सूल शरीर का वर्णन किया गया है। आत्मा का यह सूक्ष्म शरीर रूपी आवरण बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता।”</p> |
| <p>इस प्रकार हम ने बहुत संक्षेप में थोड़े से उदाहरण भारतीय और यूनानी दार्शनिक विचारों की साम्यता सिद्ध करने के लिये पेश किये हैं। अन्य भी बहुत से प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी शापना को पुष्ट करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त हैं। केवल हमारा ही नहीं बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन विचारकों का भी यह दृढ़ विश्वास है एक यूनानी दर्शनकार भारतीय दार्शनिकों के छाणों हैं। अन्त में हम प्रो० रिचर्ड गार्व के इन शब्दों के साथ इस प्रकरण को समाप्त करते हैं— “यूनानी और भारतीय दर्शनों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के दर्शनों का अध्ययन करने वाला कोई भी विद्यार्थी इसे अनुभव किये बिना नहीं रह सकता। कहीं कहीं तो दोनों के विचार एक ही प्रतीत होने लगते हैं।”²</p> | |

1. Loc. Cit. 44I et. seq.

2. Philosophy of ancient India. by R. garb. Page. 32.

पुनर्जन्म का सिद्धान्त— भारतवर्ष के प्राचीनतम विचारक भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । यूनान के श्रेष्ठतम दार्शनिकों ने भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । मैट्टो का कथन है— “आत्मा ही मनुष्य की अपनी घस्तु है ; शरीर में आत्मा ही मुख्य है ।” मृत्यु के बाद आत्मा पुनः इस पृथिवी पर लौट आती है और मनुष्य या किसी अन्य जीव का शरीर धारण करती है ।”^१ भारतीय विचारकों के अनुसार आत्मा ज्ञान के बिना मुक्त नहीं हो सकता ।^२ मैट्टो भी इसी सिद्धान्त को मानता है— “कोई व्यक्ति सामाजिक गुणों में पूर्णता प्राप्त करके भी बिना ज्ञान के दैवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, वह मनुष्य अगले जन्म में किसी सामाजिक जीव—यथा चीटी, मनुष्य आदि—का शरीर धारण करके चाहे अपनी पूर्ण सामाजिक उन्नति क्षमों न करले, परन्तु ज्ञान के बिना वह देवताओं की श्रेणी में नहीं आ सकता ।”^३ इसी प्रकार पैथगोरस का कथन है— “यदि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार न करके यह मान लिया जाय कि मनुष्य का जन्म एक बार ही होता है तो मनुष्य समाज में जो जन्म से ही विषमताएँ प्राप्त होती हैं उनका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा । कुछ लोग दीन और क्षीण शरीर के साथ जन्म लेते हैं और कुछ लोग सम्पन्न धर्मों में सुन्दर तथा बलिष्ठ शरीर के साथ जन्म लेते हैं । यह देखकर किसी स्थिर न्यायकारी व्यवस्थाएँ की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है । यह बात ठीक है कि इस जन्म से पूर्व हमारे अनेक जन्म ही चुके हैं और भावी में भी अनेक जन्म होंगे । आवागमन का यह क्रम सर्वत्र व्याप्त है और आत्माओं की दशा का भेद-भाव पुनर्जन्म का प्रबल प्रमाण है । सब आत्माएँ भूतपूर्व जन्म में अपनी स्वतन्त्रता का असमान उपयोग करती हैं, इसी से इस जन्म में उन में असमानता नज़र आती है । मनुष्य में बुद्धि-भेद इसलिए होता है कि मनुष्य जन्म न मालूम किस आत्मा ने किस जीव-योनि के बाद प्राप्त किया होता है । बास्तव में यह पृथिवी एक जहाज़ के सदृश है और हम सब प्राणी उन यात्रियों के समान हैं जो कि भिन्न २ दिशाओं की ओर जा रहे होते हैं । सभी प्रकार के अनेक श्रेणियों में विभक्त

1. Dialogues of Plato, Vol. V. P. 120

2. The Idea of Immortality. Pattison. P. 37.

3. अतेज्ज्ञानात् मुक्तिः ।

4. Phaedo, 82

शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पूर्वकृत मानसिक विकल्पों और कर्मों के फल ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि आत्मा पर मानसिक संकल्पों या शारीरिक क्रियाओं के संस्कार पड़ते रहते हैं। क्रमशः काल तथा अवस्था के अनुसार ये पूर्वजन्म के संस्कार लुप्त या प्रकट होते रहते हैं।” पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए योग दर्शन में यह युक्ति भी बड़ी प्रबलता से दी गई है। उपनिशदों में भी इन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

वर्ण व्यवस्था—भारतीय सम्भवा और वर्ण व्यवस्था का परस्पर एक विशेष सम्बन्ध समझा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार सामाजिक-अमविभाग ही है। यूनानी दर्शनिक प्लेटो ने भी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। देश रक्षक क्षत्रियों के सम्बन्ध में उसने लिखा है—“नगर के सम्पूर्ण निवासियों में से केवल इन्हीं को सोने या चाँदी को छूने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सोना, चाँदी उन्हें अपने घरों में भी नहीं रखना चाहिए, न इसे जेब में डाल कर शूपना चाहिए, न इसके द्वारा शारीर आदि पीठी चाहिए। जब ये लोग भूमि, मकान और धन के वैयक्तिक रूप से स्वामी हो जाते हैं तब वे रक्षकों के स्थान पर व्यापारी और किसान (वैश्य) बन जाते हैं। अन्य नागरिकों के मित्र न होकर कष्टदायी ज़मीदार बन जाते हैं। तब ये लोग बाहर के शत्रुओं की अपेक्षा अन्दर के शत्रुओं से ही अधिक भयभीत रहते हैं, इस प्रकार सम्पूर्ण राष्ट्र विनाश की ओर खिसकता चला जाता है। इसी कारण, मेरा मन्तव्य है कि, हमारे रक्षकों को उपर्युक्त भ्रकार से ही रहना चाहिए॥”¹

संस्कार—पैथागोरस न केवल पुनर्जन्म के सिद्धान्त को ही स्वीकार करता है अपिनु वह बालक पर अच्छे प्रभाव डालने के लिए संस्कारों को भी महत्वपूर्ण समझता है। गर्भावान के सम्बन्ध में उसका कथन है—“जब माता पिता यह जानते हैं कि बालक की आत्मा यह जन्म लेने से पूर्व भी विद्यमान थी तब उन्हें गर्भाधान को एक आत्मा के नये जन्म लेने का आह्वान मात्र समझ कर हो, उसे एक पवित्र कार्य की तरह करना चाहिये; क्योंकि जन्म लेने वाली आत्मा पर माता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता और पिता, दोनों को गर्भाधान और ऋतुचर्या की पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। माता जब गर्भस्थी हो तब उसके स्वाथ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बालक को

ईश्वरीय नियमों के असुकूल सात बरस तक माता के आचीन ही रखना चाहिये ; इस समय तक पिता का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिये ।” भारतीय शिक्षाओं के अनुसार भी बालक को पाँच बरस तक “मातृमान” बनाने का यज्ञ करना चाहिए ।

बचपन के लिये वर्णित बहुत से भारतीय संस्कार कुछ विकृत रूप में प्राचीन यूनान में भी पाये जाते हैं । यूनान के एटिक प्रान्त में बालक के जन्म के बाद एम्पिड्रोमिया (Ampidromia) नाम का एक समारोह किया जाता था । इस में परिवार के लोग बालक को गोद में लेकर अश्वि के चारों ओर चक्र लगाते थे । यह समझा जाता था कि इस के द्वारा बालक पवित्र हो जायगा ।¹

प्राचीन यूनान में गार्हपत्य अश्वि की सत्ता भी प्रतीत होती है—“प्रत्येक घर में एक “पवित्र अंगोठी” होती थी, इस में दिन रात अश्वि प्रज्वलित रखी जाती थी । यह समझा जाता था कि इस के द्वारा घर पवित्र रहेगा । प्रत्येक नगर में भी किसी पवित्र स्थान पर नगर की शान्तिरक्षा के उद्देश्य से सम्पूर्ण नगर की अश्वि प्रति समय प्रज्वलित रखी जाती थी ।”²

शित्ता पद्धति—पैथागोरेस की पाठशाला का वर्णन भारतवर्ष के प्राचीन गुरुकुलों से बहुत कुछ मिलता है । इस पाठशाला में—“प्रातः काल स्नान के पश्चात् विद्यार्थी फूल हाथ में लेकर उपासनागृह में जाते थे, जिस से कि आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । इस के बाद पढ़ाई होती थी । बड़े विद्यार्थी वृक्षों की छाया में बैठ कर ही पढ़ा करते थे । विद्यार्थी प्रतिदिन अपने से बड़ों के लिये ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे । ये लोग सूर्य के प्रकाश को उच्च जीवन तथा रात के अन्धकार को पापिष्ठ जीवन का प्रतिनिधि समझते थे । इस पाठशाला में सदैव मधुर रस युक्त सादा भोजन ही विद्यार्थियों को दिया जाता था । भोजन सदैव निरामिश होता था । दोपहर को पुनः प्रार्थनाएँ की जाती थीं । दोपहर के बाद विद्यार्थी शारीरिक व्यायाम किया करते थे । व्यायाम के बाद स्नान्याय और उपासना होती थी; उस के बाद प्रातः काल पढ़े हुए पाठ पर मानसिक मनन किया जाता था । सूर्यास्त हो जाने पर पुनः ईश्वर से उच्च स्वर में प्रार्थनाएँ पढ़ी जाती थीं, उपासना के गीत गाए जाते थे । प्रार्थना के अनन्तर कुछ विशेष वृक्षों की लकड़ियाँ जला कर पवित्र प्रार्थनाओं के उत्तरण के साथ इस में सुगन्धित द्रव्यों की आहुतियां दी जाती थीं । यह कार्य तब

1. Cults, V: P. 356.

2. Op. cit., vol V, PP. 350-354.

तक होता था जब तक आकाश में तारे न निकल आवें । दिन का कार्य रात्रि-
मोजन के साथ समाप्त होता था । मोजन के बाद छोटे बालकों को बड़े विद्यार्थीं
ज़ोर ज़ोर से पाठ याद कराया करते थे ।^१

इस वर्णन में बहुत स्पष्ट रूप से यह का वर्णन भी आजाता है ।

सत्युग— भारतीय साहित्य के अनुसार प्राचीन काल से सुखपूर्ण
काल माना जाता है । यह समझा जाता है कि उस समय लोग शान्त, सच्चे
और आपस में प्रेम करने वाले थे । इसी सत्युग को पञ्चम के देशों
में “गोदान एज” नाम से कहा जाता है । प्लेटो ने भी इस सत्युग और
कलियुग का वर्णन किया है—“एथीनियन ने कहा—‘इस पृथिवी पर बीमारियाँ,
अकाल और उपद्रव फैल गए । इन से चरवाहों और पर्वत निवासियों को छोड़
कर और कोई भी नहीं बच सका । ये लोग भी इस लिये बच गए कि इन में
धोखेबाज़ी नहीं थी, परस्पर प्रेम था ।’

“नोशियन ने कहा—‘प्रारम्भ में मनुष्य एक दूसरे को सचमुच प्यार
करते थे क्यों कि वे संख्या में कम थे और संसार में उन के लिये बहुत स्थान
था । कोई किसी को एक स्थान से हटने के लिये न कहता था । तब न गरीबी
थी, न भावों के विकार थे, न सौदे होते थे । वे सोने और चांदी तक के भी
लोभी नहीं थे । उनमें न कोई धनी था न गरीब । अगर हम उन का कुछ साहित्य
प्राप्त कर सकें तो हमें उस में इन बातों के पर्याप्त प्रमाण मिल जावेंगे ।’^२

शिक्षा के सिद्धान्त— प्लेटो ने शिक्षा के जिन आधार भूत सिद्धान्तों
का वर्णन किया है वे भारतीय शिक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से सर्वथा मिलते
हैं । हम प्लेटो के कुछ उद्दरण यहाँ देते हैं, पाठक सृष्टि दयानन्द द्वारा उल्लिखित
सत्यार्थप्रकाश के शिक्षा सम्बन्धी समुलास में इन्हीं सिद्धान्तों को पायेंगे—^३

१. शिक्षा बाधित होनी चाहिये ।
२. शिक्षा देना राष्ट्र का कर्तव्य है ।
३. बालक और बालिकाओं को एक ही साथ कदापि शिक्षा नहीं देनी चाहिये ।

1. Pythagoras. P. 80-81.

2. The Laws of Plato. Book III.

3. १ से ३ तक The Laws of Plato. ४ से ११ तक Plato's Republic.

४. शिक्षा-काल में विद्यार्थियों के आचार पर कठोर नियन्त्रण रखना चाहिये ।
५. विद्यार्थियों को अश्लील साहित्य और गन्दी कविताएं नहीं पढ़ानी चाहिये ।
६. चाहे राजा के लड़के हों और चाहे किसान के, सब को एक साथ शिक्षा देनी चाहिये ।
७. घड़ी अवस्था में विद्यार्थियों को गाना और नाचना भी सिखाना चाहिये ।
८. बालक और बालिका को क्रमशः ३० और २० बरस की आयु तक ब्रह्मचारी रहना चाहिये ।
९. स्त्री और तुलषि को शिक्षा का समान अधिकार है ।
१०. शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त 'सादा रहना और उच्च विचार' होना चाहिये ।
११. विद्यालय और महाविद्यालय शहर से दूर एकान्त स्थान पर बनाने चाहिये ।

देवताओं में समानता— भारतवर्ष में जिन पौराणिक देवताओं का वर्णन प्राग्वौद्धकालीन साहित्य में पाया जाता है, उन में से कतिपय देवताओं का इस से मिलता जुलता वर्णन ही प्राचीन यूनानी साहित्य में भी प्राप्त होता है। इन वर्णनों में इतनी समानता देख कर दोनों देशों के नैतिक सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ देवताओं का वर्णन दिया जाता है ।

यम और प्लूटो— भारतीय साहित्य में इस का वर्णन इस प्रकार है। यम भयंकर काले रंग वाला है; उस को आंखें धधकते हुए अङ्गुरे के समान लाल हैं, वह मैंस पर बैठ कर चलता है; उस के सिर पर मुकुट है, हाथ में डरडा रहता है, इसी से उस का नाम 'दण्डवर' है। वह मृत्यु का देवता है इसी से उस का नाम 'श्राद्धदेव' है। मृतात्माएं वैतरणी नदी पार करके यम के दरवार में पहुँचती हैं।

यूनान के प्लूटो देवता का वर्णन इस प्रकार है—वह भयंकर भूरे शरीर वाला है। उस के चेहरे की मुस्कराहट बहुत भयंकर होती है। उस के हाथ में एक डरडा रहता है। प्लूटो मृत्यु का देवता है; मृतात्मायें उस के दरवार में पहुँचती हैं।

कृष्ण और अपोलो— कृष्ण का वर्णन इस प्रकार है— कृष्ण गोपाल है, उस के हाथ में एक दिव्य अश्व है, उस ने सांप को मारा। कृष्ण संगीत का बड़ा प्रेमी है। उस का रंग श्याम है। हाथ में एक बांसुरी रहती है।

अपोलो के एक हाथ में ढाल और पीठ पर तर्कस है; दूसरे हाथ में एक विशेष वाद्य यन्त्र है। यह भी चरवाहा है, इस ने एक भयंकर सांप को मारा। यह संगीत का विशेष प्रेमी है।^१

काली और लावर्न— काली देवी की जो मूर्ति “कालीघाट” पर स्थापित है उस में केवल उस का सिर ही है शरीर नहीं है। काली को चोरों और डाकुओं से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। लावर्न का भी केवल सिर ही स्वीकार किया जाता है; वह भी चोरों से रक्षा करने वाली देवी है।^२

बैल— भारतीय देवताओं में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, बैल महादेव का धाहन है, अतः बैल बड़ा पवित्र समझा जाता है। आज्ञ कल मन्दिरों में बैल की भी पूजा की जाती है। प्राचीन एथन्स में बैल को इसी प्रकार बड़ा पवित्र और अद्वितीय समझा जाता था। बैल का धध करना भारी पाप समझा जाता था। यह कार्य करने पर फांसी तक की सज्जा दी जाती थी।^३

ऋतुयज्ञ— भारतवर्ष के वैदिककाल में ऋतुयज्ञ किये जाते थे। प्रत्येक ऋतु के प्रारम्भ होने पर उस ऋतु की उपज और फल आदि की आहुतियां यज्ञ में दी जाती थीं। प्राचीन यूनान में भी इसी प्रकार के ऋतु यज्ञों का वर्णन उपलब्ध होता है— “प्रत्येक मास के प्रारम्भ में कुछ विशेष वृक्षों के पत्ते और उस ऋतु की उपज के आनाज आदि को शहद में भिगो कर प्राचीन प्रथा के अनुसार आग में डाला जाता था। इस अग्नि में वनस्पतियों की आहुतियां ही दी जाती थीं। एथन्स में रोटी और पके हुए अश्व की आहुतियां दी जाती थीं। फल, शहद और बेकरी ऊन भी कुछ लोग अग्नि के अर्पण करते थे।”^४

अन्य समानताएं— यूनानी और भारतीय विवारों की कुछ और समानताएं दिखा कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे।

1. Hindoo Religion. Introduction. P. 34

2. " " " P. 37.

3. Potter's Antiquities of Greece. Vol. I. P. 217

4. Greek Native Offerings. P. 53

अहिंसा— भारतीय विचारकों ने अहिंसा को परम धर्म स्वीकार किया है।^१ यूनानी दर्शनिक ग्रेनोफेनीज़ ने आचार्य पैथागोरस के सम्बन्ध में लिखा है— “एक बार वह किसी मार्ग पर जारहे थे, उन्होंने देखा कि कोई अकिञ्चित कुत्ते को बड़ी वेददी से मार रहा है; तब दयार्द्ध होकर उन्होंने कहा— ‘अपना हाथ रोक लो; इसे मारो नहीं। इस की करुणा पूर्ण चीखों द्वारा मैं इस में एक मनुष्य के समान आत्मा को देख रहा हूँ, जो कि तुम्हारी मार से कष्ट अनुभव कर रही है।’”^२

इस वर्णन को पढ़ कर स्वयं अंग्रेज़ विद्वान् डाक्टर कुक को भी इस में भारतीयता की गन्ध आई है।

यूनानी स्मृतिकार ग्रेनोकेटीस का कथन है—“अपने बजुगों का सम्मान करो और देवताओं को फलों की भेंट चढ़ाओ, जानवरों के मांस नहीं।”^३

सत्य— यूनानी साहित्य में लिखा गया है— “एक बार पैथागोरस से पूछा गया कि मनुष्य देवता किस प्रकार बन सकता है। उसने उत्तर दिया— ‘सत्य भाषण द्वारा। सब से बड़े देवता ओरोमगदस (अहुर मङ्गा) के विषय में भी कहा जाता है कि उसका शरीर प्रकाशमय है और उस की आत्मा सत्य स्वरूप है।’”

भारतीय साहित्य में भी सत्य को सब से अधिक महता दी गई है। वेदों में कहा है कि यह पृथक्की सत्य के आधार पर ही स्थित है। “योग दर्शन में आता है कि सत्य द्वारा श्रेष्ठतम अवस्था प्राप्त की जा सकती है।”^५

पञ्चभूत— भारतीय दर्शनिक इस संसार की उत्पत्ति पञ्चभूतों द्वारा हुई मानते हैं। उनका कथन है कि शून्य प्रलयावस्था से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी पैदा

१. अहिंसा परमोधर्मः ।

२. K. Cook's The Fathers of Jesus. P. 314.

३. Higher Aspects of Greek Religion P. 45.

४. K. Cook's The Fathers of Jesus. P. 335.

५. सत्येनोत्तमिभाष्यमिः । (अथवेद्)

६. सत्य प्रतिष्ठाधरं क्रियाकलाप्रवस्त्रम् ॥ ३१ ॥ योग, साधन याद्.

हुई।^१ पैथागोरस के शिष्य दार्शनिक एम्पेडोकलीस का कथन है— “सब से पहले शून्य (Chaos) से भाकाश पैदा हुआ, उससे आग, उसके द्वारा पृथिवी, उससे पानी और वायु पैदा हुए।^२ दोनों सिद्धान्तों में पञ्चभूत एक समान ही माने गए हैं परन्तु उनके कमों में कुछ अन्तर अवश्य है।

इस प्रकार इन सब समानताओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता, साहित्य तथा रीतिरिवाजों का प्राचीन यूनान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। इतने प्रमाण उपस्थित होते हुए दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध से इन्कार किया ही नहीं जा सकता। ये सब प्रमाण प्राचीन बुद्ध के जन्म के अनन्तर तो दोनों देशों का पारस्परिक सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ठ होगया। इस समय भारत और यूनान के व्यापारिक सम्बन्धों के पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। मौर्यकाल में तो यूनान ने भारतवर्ष पर असफल आक्रमण भी किया था। इन सब बातों का वर्णन यथास्थान अगले खण्डों में किया जायगा।

१. एतास्माद्वा तस्माद्वा आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरङ्ग्निः, आग्नेरापः, अच्छूयः पृथिवी ।

२. W. Ward's History, Literature & Mythology of the Hindoos.

* छटा अध्याय *

इटली और भारत.

—३३३—

प्राचीनकालीन भारत और इटली के पारस्परिक सम्बन्धों के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण प्रायः प्राप्त नहीं होते। परन्तु दोनों देशों के प्राचीन धर्मों का अनुशीलन करने से उनमें इतनी अधिक समानता प्रतीत होती है कि इन दोनों देशों के प्राचीन सम्बन्ध की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है। इस समानता को सिद्ध करने के लिए हम बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ उद्धृत करेंगे। यह मान लेना कि इतनी अधिक समानता अवानक संयोगवश ही होगई है, कदापि लागुक न होगा। दोनों देशों के प्राचीन देवताओं की गाथाएँ (Mythology) वजा उनके अवरुपों की समानता संक्षेप में यहाँ दी जाती है।

जेनस (Janus) और गणेश—जेनस इटली के मुख्य देवताओं में से एक है। इसके दो सिर माने जाते हैं। रोमन लोग जेनस को पिता मानते थे। यह सब वस्तुओं का उत्पादक माना जाता है। देवताओं में इसकी संख्या प्रथम है। यह मार्गों का रक्षक और मङ्गल कार्यों का प्रवर्तक है। बहुत प्राचीन काल में रोम का वर्ष मार्च मास से प्रारम्भ होता था, परन्तु पीछे से जेनस के नाम पर ही वर्ष का प्रथम मास जनवरी को बना दिया गया। सम्पूर्ण देश में इसके १२ मन्दिर थे। जेनस को ही नये उत्पन्न हुए बालक का अधिष्ठाता माना जाता था।

भारतीय गणेश भी देवताओं में अग्रगण्य हैं। जेनस की अलौलिक बुद्धि दिखाने के लिये उसके दो सिर बना दिये गए हैं परन्तु गणेश की असाधारण बुद्धि बताने के लिए उस पर सब जीवों से बड़े हाथी का सिर लगा दिया गया है। गणेश देवताओं में प्रथम है, अतः किसी कार्य को प्रारम्भ करते हुए गणेश का ही आवाहन किया जाता है। इसी कारण, पीछे से कोई भी ग्रन्थ प्रारम्भ करने पर “श्रीगणेशाय नमः” लिखा जाने लगा। सभी मङ्गल कार्यों में गणेश की मूर्त्ति स्थापित की जाती है। मार्गों, मैदानों और मन्दिरों के द्वारों पर भी गणेश की मूर्त्ति स्थापित की जाती है। यात्रा से पूर्व और विवाह के प्रारम्भ में इसी की पूजा की जाती है।

इस प्रकार इन दोनों देवताओं के स्वरूप में बहुत कुछ समानता है ।

सैटर्न (Saturn) और सत्यव्रत— पुराणों में शतपथ ब्राह्मण की छाया लेकर जल-प्रावन की एक मनोरञ्जक कथा थाती है । इसके सम्बन्ध में विस्तार से हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में लिख चुके हैं । यहाँ प्रसङ्ग वश उस कथा को संक्षेप में उद्धृत करना अनुचित न होगा । वैवस्वत मनु नदी के किनारे आचमन करने वैठे तो उमके हाथ में एक छोटी सी मछली आगई । मछली ने रोकर कहा—“मेरी रक्षा करो, नहीं तो बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जायगी ।” दयाद्वय होकर मनु ने उसे एक कुराड में डाल दिया, परन्तु मछली इतनी बड़ी होगई कि कुराड में उसका समाना कठिन होगया, तब मनु ने उसे क्रमशः तालाब, नदी और समुद्र में रक्खा । समुद्र में रखते समय वह समझ गये कि यह मछली नहीं स्वयं देवता हैं ! उन्होंने उससे इस रूपरिवर्तन का कारण पूछा । उत्तर मिला—“अब संसार में जल-प्रावन आने वाला है उसी से मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ ।” क्रमशः जल-प्रावन आया और चला गया । सृष्टि फिर से बनी । भागवत और मत्स्य पुराण में लिखा है कि विष्णु की कृपा से उस युग का ‘सत्यव्रत’ मनु को बनाया गया और सम्भवतः उसी के नाम से उस युग का नाम “सत्य-युग” पड़ा ।

रोमन लोगों में यही सत्यव्रत सैटर्न नाम से प्रसिद्ध है । इटली के पुराने सिक्कों पर सैटर्न के लिए जो चिन्ह पाया जाता है वह भी विशेष महत्व का है । उन सिक्कों पर सैटर्न का प्रतिनिधि जहाज़ का मस्तूल है । जहाज़ के मस्तूल का सम्बन्ध यदि मनु के जलविष्वव के समय जहाज़ बनाने से जोड़ने का प्रयत्न किया जाय तो यह खेंचातानी न होगी ।

पोमी (Pomey) ने एलैज़ेरियन लोलीहिस्टर से एक उद्घरण दिया है जिससे सैटर्न की कहानी पर बहुत प्रकाश पड़ता है । एलैज़ेरियन का कथन है कि सैटर्न ने असाधारण वृष्टि होने के विषय में भविष्यद्वाणी करते हुए आज्ञा दी थी कि जलविष्वव से मनुष्यों, पशुओं तथा कीट पतङ्गों को बचाने के लिये एक विशाल नौका (जहाज़) का निर्माण किया जाय ।

प्लेटो ने एक स्थान पर एक दन्तकथा का वर्णन किया है जिसके अनुसार सैटर्न और साईबेल दोनों को थेटिस (Thetis)—समुद्र-की सन्तान बताया गया है । इन कथाओं के अनुसार सैटर्न का जल-विष्वव के साथ पूरा पूरा सम्बन्ध जुड़ जाता है । प्लेटो का कथन है कि सैटर्न का अर्थ “समय” है और सैबेल का अर्थ “पृथिवी” (Space) है । जलविष्वव के बाद ‘समय’ और

‘पृथिवी’ की लड़की (सिरिस) अब्र की “बहुतायत” उत्तम हुई ।

सिरिस (Seres) और श्री— सिरिस सैटन की लड़की है । यह सौभाग्य और धन सम्पत्ति की प्रतिनिधि है । सिरिस के शब्दार्थ हैं “बहुतायत”—अर्थात् धन सम्पत्ति की बहुतायत । भारतीय साहित्य में भृगु ऋषि की कथा श्री, जिस के कमला और लक्ष्मी दो और नाम भी हैं, धन सम्पत्ति की देवी समझी जाती है । श्री का अर्थ ही सम्पत्ति है । सिरिस और श्री दोनों खियां हैं । भारतवर्ष में गवा के निकट जो श्री को मूर्त्ति उपलब्ध हुई है वह रोम की सिरिस की मूर्त्ति से बहुत कुछ मिलती है । दोनों ने छाती के नीचे एक सी पेटी बांध रखती है ।

जूपिटर (Jupiter) और इन्द्र— ओशिद की एक कविता द्वारा यह पता लगता है कि जूपिटर विजली (वज्रपात), स्वतन्त्रता और अधिकार का देवता है । रोमन लोग अनेक जूपिटरों को मानते थे । इन में से एक जूपिटर स्वयं आकाश का है जिसकी इन्तियन नामक मूर्त्ति बना कर पूजा की जाती है । जूपिटर सब देवताओं का राजा है । सर विलियम जोन्स के अनुसार जूपिटर शब्द का विकास इस प्रकार हुआ है—

Dives Petir (दिवस पिटर) = (द्यौपितर) आकाश का राजा

Dives petir (दिवस पिटर) = Diespetir (डाइस्पीटर)

Diespetir = (डाइस्पीटर) = Jupiter (जूपिटर)

भारतीय साहित्य में विजली, अधिकार और स्वतन्त्रता का देवता इन्द्र ही है । इन्द्र ही सब देवताओं का राजा है, इन्द्र का एक नाम है द्यौ पिता, इस का अर्थ “आकाश का राजा” है ।

रोमन साहित्य में जूपिटरों के लिये दूसरा शब्द इन्तियस जाव (Ennius Jove) प्रयुक्त हुआ है; यह इन्तियस भी इन्द्र शब्द से बहुत मिलता है । इन्द्र वज्र धारण करता तथा जोव भी वज्रधारी है ।

जूनो (Juno) और पार्वती— जूनो एक देवी है जो ओलम्पियस पर्वत पर निवास करती है, इसी से उस का नाम (Olympian Juno) रखा गया है । पर्वत की पुत्री पार्वती कैलास पर्वत पर निवास करती है । दोनों देवियां यूनानी और भारतीय साहित्य में खीजनोचित उदारता, प्रेम, गरमीरता आदि गुणों के लिये प्रसिद्ध हैं ।

पार्वती का पुत्र मोर पर सवार होकर देश सेना का सेनापति बनता है, उधर जूनो का पुत्र भी देवताओं का रक्षक (Warden) बनता है। छः मुख और बाहर आंखों वाला स्कन्द पार्वती की रक्षा करता है, उधर इतने ही मुख और आंखों वाला भार्गस जूनों की रक्षा करता है।

मिनर्वा (Minerva) और दुर्गा— रोमन साहित्य में दो मिनर्वाओं का वर्णन है। प्रथम मिनर्वा हथियारों वाली देवी है। यह ओज और मन्त्र पूर्ण देवी है, सदैव दुष्टों और पापियों का संहार करने में तत्पर रहती है। दूसरी ओर दुर्गा भी राक्षसों से युद्ध करती रहती है, युद्ध में विजय प्राप्त कर के यह “बणडी” कहलाने लगती है। भारतीय साहित्य में दुर्गा ही शक्ति की प्रतिनिधि समझी जाती है।

मिनर्वा (Minerva) और सरस्वती— यह द्वितीय मिनर्वा शत्रु धारण नहीं करती। यह शान्तिमयी देवी रोमन साहित्य में बुद्धि और विद्या की प्रतिनिधि समझी जाती है। मिनर्वा वाणी की देवी है, रोमन देश का एक ब्राचीन व्याकरण इसी देवी के नाम से प्रसिद्ध था। मिनर्वा संगीत कला की प्रेमी है, उस के हाथ में सदैव एक बिलायती बीणा (Flute) रहती है। इधर सरस्वती भी विद्या और बुद्धि की प्रतिनिधि है; वह बाणी की देवी है। उस के हाथ में सदैव एक बीणा रहती है, वह संगीत की भी अधिष्ठात्री देवी है।

बहुत से गाथायिङ्गों (Mythologists) विशेष कर गिरीष्टस का कथन है कि रोमन “मिनर्वा” और मिश्र की “इसिस” ये दोनों देवियाँ वास्तव में एक ही हैं। प्लूटोर्न ने मित्रीसैस के एक इसिस-मन्दिर पर खुदा हुवा यह वाक्य उद्घृत किया है जो कि भागवत के एक श्लोक के अर्थ से सर्वथा मिलता है—“मैं ही सम्पूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य हूँ। मेरा पर्दा अब तक किसी भी मरणधर्मा ने नहीं उठाया।” इस प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि मिश्र का “इसिस” और भागवत का “ईश्वर” एक है।

जूनो (Juno) और भवानी— भवानी और जूनो में बहुत समता है, जूनो रोमन लोगों में संतति की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती है। यह मूर्त्ति मनुष्य और खी दोनों आकारों में बनाई जाती है। भारत की भवानी देवी का चित्र अपने पति शिव से सदा हुवा बनाया जाता है। यह भवानी संस्कृत साहित्य में जगदम्बा या जगन्माता कहाती है। यह संतति की

अधिष्ठात्री देवी है । खी पुरुष के सम्मेलन द्वारा यह अर्धनारीश्वर बनाया गया है ।

डायोनीसस (Dianisos) और राम— प्राचीन रोमन साहित्य में डायोनीसस के बहुत से नाम पाये जाते हैं । उसने वहाँ सर्वसाधारण के लिए कानून बनाय, लोगों के भगड़ें का निर्णय किया । सामुद्रिक व्यापार की उन्नति की और समुद्र पार के देशों को विजय किया, भारतीय श्रीराम का चरित्र भी इससे मिलता जुलता है । राम भी एक भारी विजेता था; बानरों की सहायता से उसने समुद्रपार लड़ा का विजय किया । समुद्र पर पुल बांधा । जिस प्रकार राम के चरित्र के आधार पर रोम में भी एक काव्य की रचना की गई । बालमीकी की रामायण और नोनस की डायोनीशिया (Dianisica) दोनों समान श्रेणी के ग्रन्थ हैं ।

कृष्ण और मूसा— पौराणिक साहित्य के अनुसार कृष्ण गोपियों में विहार करता है । गौओं को चराता है । एक बार उसने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था । रोमन मूसा अप्सराओं (परिण्यों) के साथ आमोद प्रमोद करता है । मूसा ने पर्नेशस (Purnasus) पर्वत को उठाया था । कृष्ण संगीत का प्रेमी है, मूसा को परियाँ गाना सुनाती हैं ।

इस प्रकार बहुत संक्षेप से दोनों देशों के कतिपय सुख सुख देवताओं की तुलना हमने पाठकों के सन्मुख रख दी है । यह स्पष्ट है कि इतने देवताओं में इतनी गहरी समानता थी ही, अचानक नहीं आसकती । इस कारण दोनों देशों के सम्बन्ध की सत्ता प्राचीन काल में भी खीकार करनी ही पड़ेगी ।

रीतिरिवाज— अब संक्षेप से दोनों देशों के प्राचीन रीतिरिवाजों की तुलना करने का यत्न किया जायगा । प्राचीन इटली के विवाह सम्बन्धी निम्नलिखित नियम भारतीय प्रथाओं से बहुत मिलते थे—

१. विवाह में कन्या का पिता अग्नि की साक्षी रख कर जलाञ्जलि के साथ कन्यादान करे ।
२. विवाह के समय वर वधु का हाथ अपने हाथ में ले, और दोनों एकही पात्र में भोजन करें । (भारतवर्ष में एक ही पात्र में मधुपर्क लेने की प्रथा थी ।)
३. विवाह से कुछ समय पूर्व ही मँगनी होजाती थी । उसके बाद एक नियत समय के अनन्तर विवाह होता था ।

५. मँगनी के बाद कोई विशेष कारण उपस्थित होजाने पर मँगनी और विवाह में दो से पाँच बर्दी तक का अन्तर पड़ जाता था ।
६. पूर्ण युवावस्था आने से पूर्व अगर विवाह ही भी जाय तो कन्या अपने पिता के घर में ही रहती थी ।^१
७. विवाह की अन्तिम प्रथा यह थी कि कन्या एक बार अवश्य पति के घर जाती थी । इस समय खूब गाना बजाना होता था । (भारत की “गौने” की प्रथा इससे मिलती है ।)
८. एक वंश के वंशजों में परस्पर विवाह न होसकता था । वर की सात पीड़ियाँ और बधु की पाँच पीड़ियाँ से बाहर ही विवाह किया जासकता था । मँगनी करके विवाह न करना बहुत लज्जा जनक समझा जाता था ।
९. अमिनारिणी ल्ली का अपने दहेज पर अधिकार न रहता था, पति भी उसकी जायदाद लौटाने को वाधित न होता था ।
१०. ल्ली इन अवस्थाओं में पति को त्याग सकती थी—पति नपुंसक हो, अपराधी हो, नीच हो, कोटी हो, विरप्रवासी हो या किसी स्पर्श रोग का रोगी हो ।

भारतवर्ष में भी विवाह के सम्बन्ध में यही प्रथाएँ प्रचलित थीं । मनु का कथन है—“कन्यादान पानी के साथ होना उचित है । पुरोहित की उपस्थिति में यज्ञाश्रि के सन्मुख कन्या को चख्ताभूषणों से सजाकर पति के अर्पित करना चाहिए । विवाह एक गोत्र या एक कुल में नहीं करना चाहिए ।”^२

राज नियम—दीनों देशों के बहुत से प्राचीन राज नियमों में भी पर्याप्त समानता है । रोम के निष्पत्तिकृत राज नियम प्राचीन भारतीय नियमों से बहुत समानता लिये हुवे हैं—

1. Leg. 66, i. Digest of Justinian.

2. Sec. 10. De, Spousabious.

३. अद्विरेव द्विजाग्रामां कन्यादानं विशिष्यते ॥ ३५ ॥

यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विके कर्म छुर्वते ।

अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ३८ ॥

अपपिष्ठा च या मातुः असपिष्ठश्च या पितुः ।

स प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैयुने ॥ ५ ॥ मनु० अ० ३,

१. परोपकारार्थे लिये हुए धन पर व्याज नहीं होता ।
२. उधार ली हुई वस्तु यदि स्वयं ही नष्ट होजाय, उसमें उधार लेने वाले का दोष न हो तो वह उसकी हानी का उत्तरदाता नहीं ।
३. यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के लिए उधार ली गई हो ; और लेने वाला उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसे लौटा देना चाहे तो वस्तु का स्वामी उसे लेने को बाधित नहीं है ।
४. यदि उधार दी हुई वस्तु की विशेष आवश्यकता होने से उसके वास्तविक स्वामी को कोई हानी होरही हो, तो उधार लेने वाला अवधि से पूर्व भी उस वस्तु को लौटाने के लिए बाधित किया जा सकता है ।
५. किसी व्यक्ति को विश्वासपात्र समझ कर यदि उसके पास कोई वस्तु रखी जाय तो उसे धरोहर समझना चाहिए ।
६. यदि विश्वास पर रखी हुई धरोहर को चोर चुरा कर लेजाय या उसे राजा छीन ले अथवा वह किसी और आकर्सक कारण से नष्ट होजाय, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को लौटाने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि यह आपत्ति आने से पूर्व वस्तु का स्वामी अपनी वस्तु माँग चुका हो तो उस व्यक्ति को उस वस्तु का मूल्य और देरी का दरड़ भी देना होगा ।
७. बिना स्वामी की आज्ञा के उसकी धरोहर को काम में लाने वाला व्यक्ति दरड़ का भागी होगा । ऐसा करने पर उसे उस वस्तु का मूल्य व्याज सहित देना होगा ।

याज्ञवल्क और मनु ने भी ऋण और धरोहर के सम्बन्ध में इन्हीं नियमों का प्रतिपादन किया है । मनु का कथन है— “यदि धरोहर पर रखबी हुई वस्तु चोर चुरा ले, पानी में डूब जाय अथवा वह आग से जल जाय या किसी और कारण से नष्ट होजाय तो वह व्यक्ति उसे लौटाने को बाधित नहीं ।”^१ “यदि धरोहर रखबी हुई वस्तु का कोई व्यक्ति उपभोग करले तो उसे उस वस्तु का व्याज सहित मूल्य लौटाने को बाधित किया जा सकता है ।”^२

१. चौराहतं ज्ञेनोऽप्तमश्चिना दग्धमेव वा ।

नष्टः स्यायदि तत्मात्स न संहति किञ्चन ॥

२. त भोक्तव्यो बलादधि भुज्ञानो वृद्धिसुत्सर्जेत् ।

मूल्येन तोषयेच्चैनमधिस्तेनोन्यशा भवेत् ॥

चतुर्वर्ण—भारत की तरह प्राचीन रोम में भी समाज आर भागों में विभक्त था—

१. पुरोहित (Priests) = ब्राह्मण.
२. शासक (Senators) = क्षत्रिय.
३. साहूकार (Patricions) = वैश्य.
४. दास (Pleabions) = शूद्र.

धार्मिक आचार विचार—प्राचीन रोम के बहुत से धार्मिक आचार विचारों में भारतीयता की गन्ध आती है—

१. प्राचीन रोमन लोग पुरोहित का बहुत सम्मान करते थे। उनके कथन का लोगों पर जादू के समान असर होता था। उन्हें रोमन उत्सवों में दान में मिले हुवे वर्ण पहिन कर ही सम्मिलित होना होता था। उनके अग्निकुरड़ की आग पवित्र समझो जाती थी, उस आग को साधारण कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता था।

भारतवर्ष में भी ब्राह्मण पुरोहितों के घर में सदैव यज्ञाद्वि प्रज्वलित रखी रहती थी। समाज में पुरोहितों का बहुत सम्मान था। उनके विस्तरों पर और कोई व्यक्ति नहीं सो सकता था; उनकी प्रत्येक वस्तु को पवित्र समझा जाता था;

२. प्राचीन रोमन न्यूमिना (Numina) तथा कतिपय अन्य देवताओं की पूजा बिना कोई मूर्त्ति बनाए किया करते थे। राजकीय फोरम के निकट पवित्र अग्नि सदैव जलती रहती थी।

प्राचीन भारत में भी देवताओं की पूजा बिना प्रतिमा के ही कीजाती थी, गृहस्थी लोग गार्हपत्याद्वि प्रज्वलित रखा करते थे।

३. प्रत्येक रोमन नियत समय पर यज्ञ अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा किया करता था। इन पूजाओं को विधिपूर्वक करते हुए ही कोई व्यक्ति धार्मिक समझा जाता था। भारत में भी यज्ञ विधान के लिए समय निश्चित था। यज्ञ करने वाले व्यक्ति पुण्यवान् समझे जाते थे।

४. भोजन के समय एक थाली में पवित्र भोजनों को रखकर उस पर, घर में सर्वदा जलने वाली अग्नि का कुछ भाग डाला जाता था। इसमें सभी

देवताओं के नाम पर एक एक आहुति दी जाती थी, साथही कुछ सुगन्धित द्रव्य भी डाला जाता था ।

यह किया भारतीय बलिवैश्वदेवयज्ञ से मिलती है ।

५. अमीर लोग भोजन करने से पूर्व एक विशेष थाली में भोजन की प्रत्येक वस्तु का थोड़ा थोड़ा भाग रख कर एक नौकर के हाथ उसे, घर के सामने सदैव जलते रहने वाले, अश्विकुण्ड में डालने के लिये भेजते थे । नौकर धार्यास आकर जब तक यह नहीं कह देता था कि देवता प्रसन्न हैं, तब तक वे भोजन न करते थे ।

यह किया भी भारत की “बलि किया” की प्रथा से मिलती है ।

६. रोमन लोगों का यह विश्वास था कि गर्भ स्थित वस्त्रे तथा उसकी माता की रक्षा जूनो लूसीनो (Juno-Lucino) देवता के अतिरिक्त अन्य २० देवता भी करते हैं । अतः पुत्र उत्पन्न होते ही संस्कार किया जाता था ।

भारतवर्ष में बालक या बालिका के उत्पन्न होने पर जातकर्म करने की प्रथा थी ।

७. बालक के जन्म से १० दिन के अन्दर और कन्या के जन्म से ८ दिन के अन्दर उन का नाम रखा जाता था ।

प्राचीन आर्यों में नामकरण संस्कार ११ वें दिन किया जाता था ।

८. बालक अपनी आयु के सत्रहवें वर्ष के बाद किसी गृह देवता के मन्दिर में जाकर अपने पुराने कपड़े उतारता था । इस समय कुछ दान, पूजा की जाती थी, पुरोहित को कुछ भेंट भी दी जाती थी, कुछ धन जूषिटर के सन्दुक में डाला जाता था ।

यह त्योहार भारतीय समावर्तन संस्कार से काफ़ी मेल खाता है ।

९. स्लर्गीय पितरों की स्मृति में उनकी मृत्यु के दिन एक सहभोज किया जाता था । यह प्रथा श्राद्ध से मिलती है ।

१०. विवाह के समय वर और वधु भेड़ की खालों से ढकी हुई कुर्सियों पर बैठते थे । इस समय जूषिटर को रक्तहीन बलि दी जाती थी ; सब लोग एक विशेष प्रकार की रोटी खाते थे । भोजन के बाद लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे । वर के साथी उससे हँसी मज़ाक करते थे । ये प्रथाएँ भी भारतीय विवाहों की प्रथाओं से कुछ अंश तक मेल खाती हैं ।

(३२८)

भारतवर्ष का इतिहास ।

१५. लोगों का विश्वास था कि मृतक का अन्तर्येष्टि कर्म विधिपूर्वक करने से उसको आत्मा को एक विशेष सुख अनुभव होता है। मृतक के बंशजों का यह कर्तव्य था कि वे उसका अन्तिम संस्कार करें। यह न करने वाला व्यक्ति पापी समझा जाता था।

१६. मृतक को गाड़ देने के बाद, उस किया में सम्मिलित होने वाले लोग अपने को तब तक अपचित्र समझते थे जब तक वे एक विशेष संस्कार न कर लेते थे।

महाभारत में रोम निवासियों का वर्णन आया है; महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में ये लोग भी अपनी भेंट लाय थे।^१

ये सब प्रथाएँ भारतवर्ष की प्राचीन प्रथाओं के परिवर्तित और विकृत-रूप प्रतीत होती हैं। इन प्रमाणों के आधार पर हम बड़ी दृढ़ता के साथ यह स्थापना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी ये दोनों देश पर्याप्त घनिष्ठ सम्बन्ध से जुड़े हुए थे। साथ ही भारतीय सभ्यता का प्रभाव इस सुदूर देश पर भी पड़ा था। अन्यथा इतनी अधिक समानताओं का होना सच्चिदा असम्भव था।

१. शौल्णीकानन्दवासांश् रोमकाश् पुरुषादकाश् । महाभारत सभाः



* सातवाँ अध्याय *

ड्रूइड लोग तथा आर्यजाति.

प्राचीन समय में, जब कि इंग्लैण्ड में ऐंग्लो-सैक्सन आदि जातियाँ आबाद नहीं हुई थीं, तब वहाँ कैल्ट (Celt) जाति के लोग रहा करते थे। घर्तमान ऐतिहासिकों का विचार है कि आज से लगभग छाई हजार वर्ष पहले पूर्व दिशा से आकर ये लोग यहाँ आबाद हुवे थे। इस कैल्ट जाति के पुरोहितों और धर्माचार्यों को 'ड्रूइड' कहा जाता था। ये ड्रूइड लोग प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों की तरह समाज के आचार तथा रीतिरिवाजों का निरीक्षण किया करते थे। इनका एक विशेष सम्प्रदाय समझा जाता था। ड्रूइड लोगों तथा भारतीय ब्राह्मणों में अत्यधिक समानता है। धर्म, रीतिरिवाज़, संगठन आदि सभी हृषियों से इन दोनों में बहुत कम भेद प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैल्ट लोगों के ये धर्माचार्य किसी समय भारतीय सभ्यता तथा रीतिरिवाज़ों के अनुयायी होंगे। इस अध्याय में अत्यन्त संक्षेप से इन दोनों में पारस्परिक समानता दिखाने का यत्न किया जायगा।

दार्शनिक विचार और रीतिरिवाज़— ड्रूइड लोगों तथा भारतीय ब्राह्मणों के धार्मिक और दार्शनिक विचारों तथा प्रथाओं की समता इस तालिका द्वारा भली प्रकार स्पष्ट होजायगी—

| ड्रूइड | वैदिक |
|---|---|
| <p>१. "ड्रूइड लोग आत्मा को अमर मानते थे। उन का विश्वास था कि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। रोमन लोगों का कथन है कि ड्रूइड लोग, इस आत्मा की अमरता के सिद्धान्त की बदौलत ही मीत से नहीं उत्ते थे।"¹</p> | <p>१. मनु का कथन है—“सत्यक कर्म करने वाले दैवीय योनि प्राप्त करते हैं, राजसिक कार्य करने वाले मानुषीय और तामसिक आचरण वाले पाश्चायिक योनि प्राप्त करते हैं।”²</p> |

1. Historian's History of the world vol. xviii.

2. देवत्वं सात्विका यन्ति मनुष्यत्वं च राजसः ।

प्रियकृत्यं तामसा नित्यं इन्द्रेषा विशिष्य गतिः ॥ मनु ७२. ४८

| द्रूइड | वैदिक |
|--|---|
| २. डायोडोरस सिक्यूलस ने द्रूइडों के इस सिद्धान्त की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है कि आत्मा एं अमर हैं, वर्षों की नियत संख्या के बाद वे फिर जन्म लेती हैं, और दूसरा शरीर धारण करती हैं । ^१ | २. "यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, न यह कहीं से आया है न इस ने कोई रूप परिवर्तन किया है; यह जन्म नहीं लेता, नित्य है, प्राचीन है; इस मर जाने वाले शरीर में इस की मृत्यु नहीं होती ।" ^२ |
| ३. स्ट्रैबो (Strabo) का कथन है कि हमारे देश के प्राचीन ड्रूइड लोग आत्मा और संसार के अमरत्व को स्वीकार करते थे । उनका यह भी विश्वास था कि अद्वितीय और जल इस संसार में सब कहीं व्याप्त है । ^३ | ३. "न यह मारता है, न मारा जाता है ।" ^४ |
| ४. ड्रूइड लोगों के अनुसार धर्म का उद्देश्य वैर्यांकक आचार का सुधार, शान्ति-प्रचार, परोपकार तथा अच्छे कार्यों के लिये उत्साहित करना था । निम्नलिखित साधनों से मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है— | "सब और जल ही जल था ।" ^५
"जिस प्रकार आग सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है ।" ^६ |
| क. ईश्वर पर विश्वास रखना
ख. सत्याचरण
ग. धैर्य का कभी त्याग न करना । | ४. आत्मिक उज्ज्ञाति के लिये यम नियमों का पालन आवश्यक है । अहिंसा सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह ये यम हैं । तप, स्वाध्याय ईश्वर भक्ति ये नियम हैं । ^७ |

I. Celtic Religion. by Prof. Edward Anwyll.

२. Prof. E. Anwyll's Celtic Religion. •

३. Historian's History of the World.

४. न जायते विषयते वापि कश्चित् नायं कुतश्चित् वभूव कश्चित् ।

शर्जो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ कठ. २ : १२

५. नायं हन्ति न हन्यते । कठ २ । १६

६. अग्नेतं सदिलं सर्वमा इदम् । क्षग्वेद १०।१२८ । ३

७. ग्रनिर्यज्ञैको भ्रवनं प्रविष्टः । कठोपनिषद्

८. अहिंसा सत्यमल्लेय ब्रह्मचर्यापिग्रहा यमाः ॥ योग दर्शन.

शौचसंतोषतः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥

| झूँड | वैदिक |
|---|--|
| ५. झूँड लोग बड़ी अवस्था हो जाने पर नगर से दूर जंगलों में जाकर निर्जन गुफाओं और कुटियों में रहा करते थे। | ५. आयु के तीसरे भाग में नगर छोड़ कर बन में चले जाना चाहिये। वहाँ एकात्म में रह कर नित्यकर्म निवाम पूर्वक करते हुए जितेन्द्रिय हो कर रहना चाहिये। ^१ |
| ६. बनों में निवास करने वाले झूँड लोग अपने आचरण की पवित्रता के कारण समाज में विद्वानों की अपेक्षा भी अधिक मान प्राप्त करते थे। | ६. किसी वृक्ष के नीचे रहते हुए वानप्रस्थी को सुखों की इच्छा छोड़ कर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये। ^२ |
| ७. झूँड लोग कुछ उच्च विद्याओं को बिल्कुल गुप्त रखा करते थे, वे रहस्य अपात्र लोगों पर प्रगट नहीं किये जाते थे। | ७. अयोग्य अपात्र को रहस्यपूर्ण विद्या देने की अपेक्षा वह विद्या साथ लेकर मर जाना ही अच्छा है। विद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा—“मैं तेरा खजाना हूँ; मेरी रक्षा कर। मुझे अयोग्य को मत दे।” ^३ |
| ८. उच्च धार्मिक विद्या विद्यालयों में भी विशेष उच्च कुलों के योग्य बालकों को ही ही जाती थी। | ८. विद्या ने ब्राह्मण से कहा-मुझे पवित्र जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को ही दे। ^४ |
| ९. झूँड लोग न केवल अपने को धार्मिक विद्याओं के विद्वान ही समझा करते थे अपितु वे प्राकृतिक विद्याओं, | ९. राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों से वेद, दरडनीति (Politics) तर्कशास्त्र और ब्रह्म विद्या भावित सब |
| १. संत्यज्य ग्रान्थमाहारं सर्वं चैत्र परिच्छदम् ।
मुचेऽपि भार्यां निषिद्धं वनं गच्छेत् सहैव वा ॥ ३६ ॥
ग्राग्निहोत्रं समादाय गृह्णां चान्मि पांरच्छदम् ।
ग्रामादरशयं निःसूत्य निषेद्धितेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु श्र० ६
२. आप्रयस्तः सुखार्थेऽपु ब्रह्मचारी धराशयः ।
शरणेष्वमयज्ञौ वै वृषभूतं निषेतनः ॥ ३६ ॥ मनु श्र० ६.
३. विद्यायैव सर्वं कामं कर्तव्यं ब्रह्मवदिना ।
शापद्यापि त्रि धोरतायां न स्वेमामिरिषे वृपेत् ॥ ११३ ॥
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवद्यिष्टेस्म रुद्र मातृ ॥
श्रूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवस्त्रम् ॥ ११४ ॥ मनु श्र० २.
४. यमेव तु शुर्विविद्यामिष्यतं ब्रह्मचारिणाम् ।
तस्मै मा ग्रुहि विश्राय निधियाया प्रमादिने ॥ ११५ ॥ मनु श्र० २ | |

| ड्रूइड | वैदिक |
|---|---|
| नक्षत्र विद्या, विज्ञान, निकितसा आदि में भी अपनै को अत्यन्त प्रचीण समझते थे। वे इन सब विद्याओं को भी, जितना उन का ज्ञान था, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। | विद्याएं सीखे । १
ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे दरडनीति, आदि उपाङ्गों सहित वैदिक विद्या का अध्ययन करें । २ |
| १०. तत्कालीन कैलट जाति के धार्मिक कार्य और समारोह विना ड्रूइड लोगों की उपस्थिति के न हो सकते थे। इन्होंने ड्रूइड पुरोहितों द्वारा ही लोग देवताओं के प्रति बलियाँ चढ़वाया करते थे ये लोग कविता भी किया करते थे। देश में सदैव, लड़ाई और शान्ति दोनों कालों में, इन की अत्यन्त आवश्यकता समझी जाती थी। अगर कभी लड़ाई इन लोगों की अनुमति के बिना प्रारम्भ कर दी जाती थी तो ये उसे बीच में ही रुकावा भी देते थे। | १०. पढ़ना, पढ़ना, यज्ञ करना कराना, दान देना. लेना—ये ब्राह्मणों के कार्य हैं। राजा को चाहिये कि वह सदैव ब्राह्मणों को वज्रीफे देता रहे । ३
सदैव प्रत्येक कार्य को ब्राह्मणों की सलाह लेकर ही करना चाहिये, उन्हें प्रत्येक बात में प्रामाणिक समझना चाहिये । ४ |
| ११. ड्रूइड लोगों की सभाओं द्वारा ऐ कैलट जाति के लोग अपने पारस्परिक विवादों का निर्णय करवाया करते | ११. राजा जब स्वर्यं किसी मामले का निर्णय न करना चाहे तब उसे इस कार्य के लिए किसी विद्वान् ब्राह्मण |
| <p>१. वैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दश्हनीति च शाश्वतसीम् ।
आन्तीक्रिकीं चाम्भविद्यां वार्तार्द्धमांशु लोकतः ॥ ४३ ॥ मनु अ० ७.</p> <p>२. धर्मेणाधिगतो वैस्तु वेदः सपरिष्टुं हणः।
ते शिष्टा ब्राह्मणा चेयाः श्रुतिग्रन्थ्यत्वं हेतवः ॥ १० ० ॥ मनु अ० १२.</p> <p>३. ग्राध्यापनमध्ययनं यजनं यजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ मनु १, ८८.
वियमाणो उप्याददीत न राजाऽपेचियात्करम् ।
न च ब्राह्मस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसद् ॥ १३३ ॥
श्रुतवृत्ते विदित्यास्य वृत्तिं धर्मां प्रकल्पयेत् ।
संरक्षेत्सर्वतस्यैनं पिता पुत्रमित्यैरसम् ॥ १३५ ॥ मनु ७.</p> <p>४. अनाम्नातेजु धर्मेजु कथं स्यादिति चेद्वयेत् ।
यं शिष्टा ब्राह्मणा शूद्रः स धर्मः स्यादयंकितः ॥ मनु १२, १०२</p> | |

| इन्हें | वैदिक |
|---|---|
| थे। ये सभायें एक तरह से अदालतों का काम भी करती थीं। | को नियुक्त करना चाहिए। यह ब्राह्मण तीन अन्य ब्राह्मणों की सभा के साथ इस मामले पर विचार करे। ^१ |
| १२. ये लोग नक्षत्रों की गति पृथिवी की स्थिति आदि समस्याओं पर खूब विचार करते थे। प्रत्येक कार्य में नक्षत्रों की स्थिति का ख्याल रखा जाता था। | १२. वैदिक किशाओं में भी नक्षत्रों की गति और स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। |
| १३. इन्हें बालकों को २० बरस की आयु तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रखा जाना था; इस समय में वे सप्त पूर्वक विद्याम्यास किया करते थे। | १३. वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बाले विद्यार्थी को ३६ बरस गुरु के पास रह कर ब्रह्मचर्य पूर्वक विदाम्यास करना चाहिये। ^२ |
| १४. इन्हें लोग ही कैलं बालकों को शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा के ग्रन्थ प्रायः छन्दों में बद्ध थे। इन्हें लोग इस कार्य को बहुत पसन्द करते थे। वे बालकों को मुफ्त पढ़ाया करते थे; बालकों के पिता अपनी इच्छानुसार उन्हें भोजनादि दिया करते थे। उसी से इनका निर्वाह होता था। ^३ | १४. प्राचीन भारत में भी बालकों की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में ही थी। पाठ्यग्रन्थ भी प्रायः छन्दों में बद्ध होते थे। ब्राह्मण इस कार्य को बहुत पसन्द करते थे। इन ब्राह्मणों का निर्वाह भी अपने यजमानों के इच्छापूर्वक दिये गये दान द्वारा ही होता था। |
| १५. यदि कोई इन्हें अपने किसी अधिकार का अनुचित उपयोग करता था तो उसे धार्मिक कृतयों से बहिष्कृत करने का दण्ड दिया जाता था, | १५. धार्मिक कार्यों से अपराधियों को बाह्यकृत करने की प्रथा भारत में भी थी—“बीमार, गुरु के विशद आचरण करने वाले, व्याजखोर तथा |

१. Celtic Literature by E. Anrvyll.

२. यदा स्वर्यं न कुर्यात् नृपतिः कार्य दर्शनम् ।

तदा नियुक्तजीयाद्विद्वान्व ब्राह्मणं कार्य दर्शने ॥ ६ ॥

सोस्य कार्याणि संपश्येत्सम्बैरेव विभिर्वृतः ।

सभामेव प्रविश्याग्रामासीनः स्थित यथ वा ॥ १० ॥ मनु ४० ८

३. पट्टिंशदाविकं चर्य गुरौ वैवेदिकं ग्रन्तस् ।

तदर्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥ मनु ० ३

| ड्रूइड | वैदिक |
|---|--|
| यह दण्ड इन लोगों में सब से कठोर माना जाता था । इस दण्ड द्वारा दण्डित लोग बड़ी बुरी हालत में हो जाते थे । समाज के सब अधिकारों से वे वञ्चित रह जाते थे । ^१ | यज्ञों का त्याग करने वाले ब्राह्मण को धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित नहीं करना चाहिये । ^२ इस के अन्य बहुत से प्रमाण भी स्मृति ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं । |

इन सब प्रमाणों द्वारा प्राचीन इड्लैरेड के ड्रूइड और भारतीय ब्राह्मणों में बहुत अधिक समानता सिद्ध होती है । ड्रूइड लोग भी कैल्ट लोगों के दिमाग पर ठीक उसी प्रकार शासन करते थे जिस प्रकार कि प्राचीन भारतीय जाति के मस्तिष्क पर तत्कालीन ब्राह्मण लोग । सर्वसाधारण जनता के प्रत्येक सामाजिक या वैयक्तिक कार्यों में इन से सलाह ली जाती थी, लोग इन्हीं के आदेशों का पालन करते थे । ये लोग समाज में व्यवस्था और शान्ति बनाए रखने के लिये पूर्ण यत्न करते थे । इन की आज्ञा मान कर लोग द्वेष, शत्रुता आदि का भी त्याग कर देते थे । युद्ध प्रारम्भ होजाने पर भी यदि ड्रूइड लोग उस लड़ाई को अच्छा न समझ कर उसे रोक देने की आज्ञा देते थे तो लड़ाई बन्द कर दी जाती थी । इनका अपना आचार बहुत अच्छा होता था । सीजर का कथन है कि ड्रूइड लोग एक अलग वर्ण (Caste) की तरह थे, जो वर्ण कि क्षत्रियों से भिन्न था । ये लोग तत्कालीन इड्लैरेड के कवि, धर्माचार्य, पुरोहित, शिक्षक, व्यायकर्ता आदि होते थे । कुछ लोगों का विश्वास है कि शक्तिशाली गौल लोगों के दार्शनिक और तत्ववेत्ता इन्हीं ड्रूइड लोगों के शिष्य थे ।

हमारा विचार है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारतवर्ष की कोई जाति, या भारतीय सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हुई कोई अन्य एशियाई जाति इड्लैरेड में जाकर आबाद हुई, और उस ने अपनी सभ्यता तथा आचार की बदौलत वहाँ के कैल्ट निवासियों से श्रद्धा वं सन्मान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की ।


1. Historian's History of the World.

2. ग्रेग्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनवी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोर्चैव त्यक्ताग्निवर्धुषितस्या ॥ १५३ ॥ मनु० ग्र० ३.

* आठवाँ अध्याय *

भारत और अमेरिका



सन् १८६२ में जेनेवा के प्रसिद्ध पर्यटक कोलम्बस ने अमेरिका का 'अनुसन्धान' किया था। इससे पहले यूरोप के निवासी इस विस्तृत महाद्वीप के सम्बन्ध में कुछ भी न जानते थे। परन्तु प्राच्यदेशों के 'अर्धसभ्य' लोग १५ बीं सदी से बहुत पूर्व अमेरिका से परिचित थे। डे गिगेस के अनुसार चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि प्राचीन चीनी लोगों को अमेरिका का परिचान था। वे येशिया की सीमा से बहुत दूर चीन के पूर्व में 'फाड़-सन्ग' नाम के एक प्रदेश की सत्ता मानते थे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह 'फाड़-सन्ग' अमेरिका के सिवाय और कोई न था।¹ प्रसिद्ध चुरात्तरवेता पारावे के अनुसार 'फाड़-सन्ग' चीन से २०००० ली की दूरी पर स्थित था। मोशिये पोथियक के अनुसार एक 'ली' ४८६ गज़ के बरावर होता है। इस प्रकार हिसाब लगाने से ज्ञात होता है, कि 'फाड़-सन्ग' कैलेकोर्निया को कहते थे। इस सम्बन्ध का एक प्रमाण हम चीन के अध्याय में २७२ पृष्ठ पर उद्धृत कर चुके हैं।

प्राचीन जापानी लोग भी अमेरिका से परिचित थे। वे इस देश को 'फाड़-सो' कहते थे। इन प्राच्यदेशों का अमेरिका के साथ व्यापारिक और धार्मिक सम्बन्ध स्थापित था। चीनी और जापानी लोग व्यापार के निमित्त वहाँ आया जाया करते थे। पाँचवीं सदी के अन्त में चीन के अन्तर्गत 'की-पिन' देश से बौद्धप्रचारक 'फाड़-सन्ग' में बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिए गये थे।²

केवल चीन और जापान का ही नहीं, भारत और अमेरिका का पारस्परिक सम्बन्ध भी बहुत प्राचीन है। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पाताल देश और उसके निवासियों का चर्चा है। महाभारत काल में दिश्विजय करता हुवा अर्जुन पातालदेश में भी पहुँचा था, और वहाँ 'नागों' पर विजय प्राप्त कर

1. The Human Species by A. De Quatrefages, P. 202

2. Ibid, P. 204-5

पातालदेश की राजकन्या उत्तरी के साथ उसने विवाह किया था ।^१ भारतीय साहित्यमें अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर पातालदेश का वर्णन आया है। परन्तु इस अध्याय में हम भारतीय साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत और अमेरिका का सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपितु अमेरिका के वास्तविक निवासियों की सभ्यता और धर्म के आधार पर यह सिद्ध करेंगे, कि भारत और अमेरिका में बहुत प्राचीन समय से सम्बन्ध स्थापित था ।

मैक्सिको के प्राचीन निवासियों को 'एज्टेक' कहते थे । जब कोलम्बस ने अमेरिका का 'अनुसन्धान' किया, तो सब से पूर्व स्पेनिश लोगों ने वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किये । स्पेनिश लोगों ने 'एज्टेक' सभ्यता को नष्ट कर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की । 'एज्टेक' लोग सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुवे न थे । वे बड़े बड़े नगरों में निवास करते थे । उन्होंने विशाल इमारतों का निर्माण किया था । उनका धर्म बहुत उच्चत और विकसित था । यद्यपि 'एज्टेक' लोगों की ख्याता अब बहुत कुछ नष्ट होनुकी है, परन्तु उसके विषय में हमें बहुत सी बातें मालूम हैं । यदि हम इस आश्र्वयज्ञक सभ्यता का ध्यान पूर्वक अनुशीलन करें, तो हमें भारतीय सभ्यता और धर्म से बहुत कुछ एकता ज्ञात होगी । हम दोनों सभ्यताओं के सम्बन्ध और सादृश्य को प्रदर्शित करने के लिये कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं—

१. चतुर्युग की कल्पना—प्राचीन मैक्सिकन या 'एज्टेक' लोग संसार को अनादि मानते हुवे सम्पूर्ण काल को चार युगों में विभक्त करते थे । उनके मत में, प्रत्येक युग हजारों वर्षों का होता था । वे मानते थे कि, प्रत्येक युग के अन्त में किसी महाभूत या मूलतत्त्व के द्वारा सम्पूर्ण मनुष्य जाति का विनाश होआता है, और उसके बाद फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है ।^२ चतुर्युगी का यह विश्वास भारतीय साहित्य में अनेक स्थानों पर पाया जाता है ।^३ मनुस्मृति में चारों युगों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है ।^४ मैक्सिकन लोगों और भारतीयों की इस कल्पना में स्पष्टतया सादृश्य दृष्टिगोचर होता है ।

१. महाभारत—सभापर्व ।

२. History of the Conquest of Mexico by W. H. Prescott P. 31

३. भारतीय साहित्य में चतुर्युगी के वर्णनों के लिये Asiatic Researches, Vol. II का सातवां अध्याय देखिये ।

४. मनुस्मृति अध्याय १ होक ७०-८८

२. जलप्रावन का विश्वास- 'एजटेक' लोग जलप्रावन पर विश्वास रखते थे। प्राचीन अनेक जातियों में जलप्रावन सम्बन्धी विश्वास उपलब्ध होते हैं। याइवल की पुरानी गाथाओं, कालिडयन लोगों के प्राचीन अधिष्ठों और यूनानियों के विस्तृत साहित्य में जलप्रावन की बात मिलती है। 'एजटेक' लोगों का विश्वास था कि जलप्रावन के पश्चात् दो व्यक्ति जीवित बचेथे। पहले व्यक्ति का नाम 'कोक्सकोक्स' था और दूसरी उसकी धर्मपत्नी थी। जलप्रलय के बाद जब सम्पूर्ण पृथिवी जलाप्तिवित हो गयी, तब ये व्यक्ति ही एक नौका में बच सके। एक पर्वत की उपत्यका में इन्हें आश्रय मिला। पीछे से इन्हीं के द्वारा सम्पूर्ण भानव जाति की उत्पत्ति हुई।

'एजटेक' लोगों के प्राचीन अमरीकन पड़ौसी 'मिचॉ अकेन' लोग थे। वे भी जलप्रावन पर विश्वास रखते थे। वह भी मानते थे कि जलप्रलय के बाद सब प्राणियों के नष्ट हो जाने पर केवल एक ही व्यक्ति बचा इस का नाम 'टेप्पी' था। जिस नौका पर यह बचा, उस में इस के सिवाय सब प्रकार के प्राणियों और पक्षियों का भी एक एक प्रतिनिधि बचाया गया था। पीछे से इन्हीं के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई।¹

यह दिखलाने की आवश्यकता नहीं, कि प्राचीन अमरीकन लोगों की ये गाथायें भारतीय विश्वासों से वितनी अधिक मिलती जुलती हैं। हम अपनी पुस्तक के पहले खण्ड में भारतीय साहित्य में जो भी जलप्रावन सम्बन्धी गाथायें मिलती हैं, उनका विस्तार के साथ उल्लेख कर चुके हैं।² अतः उन्हें यहां फिर उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। मत्स्य, अश्व, भागवत आदि पुराणों तथा महाभारत और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों के वृत्तान्त इस से बहुत मिलते हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनानी, हिन्दू और कालिडयन लोगों की तरह अमेरिकन लोगों ने भी जलप्रावन का विश्वास भारतीय साहित्य से ही लिया था।

३. चोलुला का बुर्ज- वर्तमान पैबला नगरी के समीप अमेरिका में एक विशाल स्तम्भ वा बुर्ज उपलब्ध होता है, जिसे कि 'चोलुला का बुर्ज' कहते हैं। यह १८० फीट ऊंचा है और कच्ची ईटों का बना हुआ है। प्राचीन विश्वासों के अनुसार इस बुर्ज का निर्माण दैत्य लोगों ने प्रलय के पश्चात् किया था। वे लोग समझते थे कि इस बुर्ज के द्वारा वे अन्तरिक्ष वर्ती बादलों के समीप पहुँच

1. Prescott. Conquest of Mexico P. 561-2

2. भारतवर्ष का इतिहास प्रथम खण्ड (द्वितीय संस्करण) पृ० १८०-१८८।

सकेंगे । पर देव लोग इसे न सह सके । उन्होंने इस प्रथल को नष्ट करने के लिये आकाश से अग्नि वर्षी प्रारम्भ की, और दैत्यों को अपना प्रथल छोड़ना पड़ा ।¹

अमेरिकन लोगों की यह गाथा अनेक रूपों में प्राच्यदेशों में भी उपलब्ध होती है । हिब्रू लोगों का 'बेबल का बुर्ज' चोबुला के बुर्ज से बहुत कुछ मिलता है । सर चालियम जोन्स के अनुसार वह बुर्ज का विश्वास भारतीय साहित्य में भी उपलब्ध होता है कि पुराणों में वर्णित बलि राजा की कथा; स्तम्भ फाड़ कर शेर का निकलना आदि रूपान्तर द्वारा बुर्ज सम्बन्धी प्राचीन विश्वास के सादृश्य को सिद्ध करते हैं ।

४. मृतकों का दाह—प्राचीन मैक्सिकन लोग मृतकों का दाह किया करते थे । यीछे से अश्वियां और राख को एक बर्तन में सञ्चित कर के उसे एक स्थान पर रख कर ऊपर से समाधि बना दी जाती थी । कालीं लिखता है कि “निस्सन्देह मृत लाशों को जलाने का यह तरीका, अवशिष्ट राख को एक बर्तन में सञ्चित करना, फिर उसके ऊपर एक समाधि का निर्माण करना…… ये सब बातें ईजिपृ और हिन्दुस्तान के रिवाजों का स्मरण करा देती हैं ।”²

इसी सम्बन्ध में विचार करते हुवे ऐतिहासिक प्रेस्कोट लिखते हैं—“मृत शरीर को जलाना कोई विशेष बात नहीं है । शरीर को किसी प्रकार समाप्त हो करना ही है । परन्तु जब हम देखते हैं कि यीछे से अवशिष्ट राख को एक बर्तन में एकत्रित किया जाता है………… तब सादृश्य बहुत थढ़ जाती है । इतनी सूक्ष्म सदृशता का पाया जाना सामान्य बात नहीं है । यद्यपि केवल इस एक बात का मिल जाना अपने आप में कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, पर जब इसे अन्य बातों के साथ मिला कर देखा जाता है, तो प्राच्य देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध की सम्भावना बहुत थढ़ जाती है ।”³

1. Prescott. Conquest of Mexico. P. 582

2. Asiatic Researches. Vol III. P. 486.

‘This event also seems to be recorded by ancient Hindus in two of their Puranas, and it will be proved, I trust, on some future occasion that the lion bursting from a pillar to destroy a blaspheming giant, and the dwarf who beguiled and held in derision the magnificent Beli, are one and the same story related in a symbolical style.’

3. See the quotation of Carl in. Prescott—conquest of Mexico. P. 586

Foot note 37.

4. Prescott—‘Conquest of Mexico.’ P. 587.

५. भाषा की समानता—प्राचीन अमेरिका में अनेक प्रकार की भाषायें बोली जाती थीं । ये परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं । परन्तु इन में अनेक समानतायें भी विद्यमान थीं और आश्चर्य यह है, कि ये समानतायें भारतीय भाषाओं में भी बहुत कुछ पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ, समास के द्वारा बहुत बड़े भाव को एक छोटे से शब्द वा पद में ले आना संस्कृत व सभी प्राचीन भारतीय भाषाओं की बड़ी भारी विशेषता है । यही बात अमेरिकन भाषाओं में भी पाई जाती थी । इसी प्रकार शब्द रचना, इडियम आदि के विषय में भी अनेकविधि समानतायें ध्यान देने योग्य हैं ।”^१

६. वैज्ञानिक सादृश्य—ऐतिहासिक ब्रेस्कोट ने प्रदर्शित किया है कि मैकिसकन लोगों की वर्षगणना, मासविभाग, मासों और दिनों के नाम आदि प्राच्य देशों की वर्षगणना आदि से बहुत कुछ भिन्नते जुलते हैं । इसे वे ‘वैज्ञानिक सादृश्य’ के नाम से पुकारते हैं । इन वैज्ञानिक सादृश्यों का भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर देना आवश्यक है । प्राचीन मैकिसकन लोग चन्द्रमा के अनुसार अपनी वर्षगणना करते थे । दिनों और मासों को सूचित करने के लिये मैकिसकन लोग अनेक पशु पक्षियों के नाम प्रयुक्त करते थे । भारत तथा अन्य प्राच्य देशों में भी इस कार्य के लिये प्राणियों के नाम प्रयुक्त किये गये हैं ।^२ मैप, शृष्टि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीष आदि भारतीय नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं ।

७. अनुश्रुति Tradition—प्राचीन मैकिसकन या एजटेक लोगों में यह अनुश्रुति विद्यमान थी कि उनकी सभ्यता का मूल पश्चिम या उत्तर पश्चिम में है । सम्पूर्ण ह्यूमेनिका महाद्वीप में निवास करने वाली जातियों में यह अनुश्रुति किसी न किसी रूप से विद्यमान थी । एजटेक लोगों में तो यह लिखित रूप से भी पाई जाती है ।^३ यह ध्यान रखना चाहिये, कि अमेरिकन लोगों के लिये पश्चिम या उत्तर पश्चिम एशियाटिक देश वा प्राच्य देश ही होंगे । अमेरिकन अनुश्रुति के अनुसार ‘केट्साल कट्टल’ नाम का एक शुभ व्यक्ति प्राच्य देशों से उन के देश में आया था । इस की दाढ़ी बहुत लम्बी थी, कद ऊँचा, बाल काढ़े और रङ्ग शुम्ब था । इस ने अमेरिका निवासियों को कृषि की शिक्षा दी, घातुओं का प्रयोग सिखलाया और शासन व्यवस्था की कला में निपुणता प्राप्त कराई ।

1. Ibid. P. 588-9

2. Ibid. P. 587.

3. Ibid. P. 589.

'केट्सालकटल' अमेरिकन लोगोंके लिये इतना अधिक लाभकारक और उपयोगी सिद्ध हुआ कि पीछे से उसकी देवता को तबह पूजा होने लगी । इस रहस्य-मय व्यक्ति ने अमेरिका में सत्युग (Golden age) का प्रारम्भ किया । इस के प्रभाव से पृथिवी पुष्टों और फलों से परिपूर्ण हो गई । इतना बड़ा अनाज होने लगा कि एक व्यक्ति एक सिट्टे से अधिक न उठा सकता था । नानाविध रंगों की कास उपने लगी । अभिप्राय यह है कि उस दैषी पुरुष के प्रभाव से अमेरिका में नवीन युग प्रारम्भ हो गया ।¹

परन्तु यह 'केट्सालकटल' बहुत समय तक अमेरिका में न रह सका । किसी देवता के प्रकार से— कारण क्या था, इसका हमें पता नहीं है— इसे देश छोड़ कर जाना पड़ा । जब वह मैकिसकन खाड़ी के समीप पहुंच गया, तब उसने अपने अनुयायीों से विदाली और समुद्र पार करके वापिस चला गया ।²

यह 'केट्सालकटल' कौन था ? इस में सन्देह नहीं कि यह प्राच्यदेशों का रहने वाला था और इस का वर्णन सूचित करता है कि यह आर्यजाति का था । हम केवल अनुमान नहीं कर रहे हैं । हमारे पास इसके लिये इड प्रमाण विद्यमान हैं । यह 'केट्सालकटल' कौन था, इसे स्पष्ट करने के लिये रामायण का अनुशीलन करना चाहिये । वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड में एक बड़ी मनोरञ्जक और उपयोगी कथा मिलती है । उस में राक्षसों की उत्पत्ति की कथा लिखते हुवे 'सालकटंकट' वंश के राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन किया है । इन का विनाश विष्णु ने किया और उस से पराजित होकर 'सालकटंकट' वंश के राक्षस लोग—जिनका मूल निवास स्थान लङ्घाद्वीप था—पाताल देश में चले गये । इनका नेता सुमाली था । रामायण में लिखा है—³

"हे कमलेक्षण राम ! इस प्रकार वे राक्षस सम्मुखयुद्ध में विष्णु के द्वारा पराजित होगये और उनके बहुत से नायक युद्ध में मारे गये ।

"जब वे लोग विष्णु के साथ युद्ध न कर सके, तो अपनी पत्नियों को लेकर अपना देश लङ्घाद्वीप छोड़ कर पाताल चले गये ।

"हे रघुसत्तम ! वे राक्षस सालकटंकट वंश के थे, उन का पराक्रम बहुत प्रत्यात है । उनके नेता का नाम 'सुमाली' था ।

1. Prescott, Conquest of Mexico. P. 21.

2. Ibid— P. 30

“जिन राक्षसों का तुम ने विनाश किया है, वे ‘पौलस्त्य राक्षस’ हैं। सुमाली, माल्यवान्, माली आदि जिन राक्षसों के नेता थे, वे रावण के राक्षसों से अधिक शक्ति शाली थे।”^१

इस तरह स्पष्ट है कि विष्णु द्वारा पराजित होकर सालकट्टकट राक्षस पाताल देश या अमेरिका में चले गये। मैकिनकन ‘केइसालकटल’ और भारतीय ‘सालकट्टकट’ में कितनी समानता है। वे दोनों एक ही शब्द के रूपान्तर हैं। मैकिनकन इतिहास के अनुसार जो ‘केइसालकटल’ देवता प्राच्य देशों में उस देश के निवासियों को कृषि, धातुविद्या तथा शास्त्रविद्या लिखाने में समर्थ हुआ था, वह ‘सालकट्टकट सुमाली’ के सिवाय अन्य कोई न था।

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं, कि राक्षसलोग ग्रामीन भारत की एक जाति विशेष ही थे। वे भी अन्य लोगों की तरह से थे। रावण आदि राक्षसों का वेद, शास्त्र आदि आर्य साहित्य में कुशल होना इस अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में प्रदर्शित कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि राक्षस लोग भारतीय ही थे, वे अन्य भारतीयों की तरह सम्भवता आदि की दृष्टि से बहुत उच्चत थे। भौतिक सम्भवता की दृष्टि से तो वे अन्य भारतीयों की अपेक्षा भी आगे बढ़े हुवे थे। यदि उन का नेता अमेरिका वा पाताल देश में जाने के लिये राजनीतिक कारणों से वापरित हुवा हो, और वहां उस के डारा सम्भवता का प्रचार हुवा हो, तो इस में वास्तव्य ही ल्या है ?

‘केइसालकटल’ या ‘सालकट्टकट’ के फिर पातालदेश वा अमेरिका से लौट कर आने की कथा भी रामायण में लिखी है। रामायण के अनुसार—

“बहुत समय तक विष्णु के भय से डरा हुवा सुमाली पातालदेश में विचरण करता रहा। इसके पश्चात् वह लौट आया और पुत्रों पौत्रों के साथ

१. ‘एवं ते राजसा राम हरिणा कमलेन्द्रण !

कुशः संयुगे भग्ना हतप्रयर नायकाः ॥ २१ ॥

शशकुर्वन्नस्ते विष्णुं प्रतिपोद्धृ वलर्दिताः ।

त्यक्त्वा लङ्घनं गता वस्तुं पातालं सहपत्न्यः ॥ २२ ॥

सुमालिनं समासाद्य राज्ञं सं रघुसत्तम !

स्थिताः प्रख्यातवीर्यस्ते दंशे सालकट्टकटे ॥ २३ ॥

ये त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राजसाः ।

सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरः सराः ।

सर्वं सते महभागा रावणा द्वूलवत्तराः ॥ २४ ॥

बालमीकोरामायण, उत्तर काशड, ग्रन्थ सर्ग,

लङ्घा में निवास करने लगा ।”^१

इस विषय को बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय और अमेरिकन इतिहास एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। भारत का ‘सालकटंकट’ ही अमेरिका का ‘केटसालकटल’ है।

इस प्रकार इस विवेचना के पश्चात् यह परिणाम निकालना असङ्गत नहीं है कि अमेरिकन सभ्यता का मूल भारतवर्ष ही है। ऐतिहासिक प्रेस्कोट अमेरिकन सभ्यता का मूल ढूँढने का प्रयत्न करते हुवे इस परिणाम पर पहुंचे हैं—

“The Reader of the preceding pages may perhaps acquiesce in the general conclusions—not startling by their novelty.

First, that the coincidences are sufficiently strong to authorize a belief that the civilization of Anahuac was in some degree influenced by that of Eastern Asia.

And, secondly, that the discrepancies are such as to carry back the communication to a very remote period ; so remote that this foreign influence has been too feeble to interfere materially with the growth of what may be regarded in its essential features as a peculiar and indigenous civilization.”^२

हम श्रीयुत प्रेस्कोट के इस उपसंहार से सामान्यतया सहमत होते हुवे क्रेवल इतना और कहना चाहते हैं, कि पूर्वीय एशिया नहीं—अपितु भारतीय सभ्यता ने प्राचीन अमेरिकन सभ्यता पर प्रभाव डाला था। निससन्देह, पूर्वीय एशिया का भी अमेरिका के साथ सम्बन्ध था, और इस सम्बन्ध में भी अमेरिका के धर्म और सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला, परन्तु पूर्वीय एशिया की सभ्यता और धर्म का आदिस्रोत भी तो भारतवर्ष ही है। ‘सालकटंकट’ द्वारा भारत की जो सभ्यता अमेरिका पहुंची, उसका ही सबसे अधिक प्रभाव हुवा।

१. ‘विरात्सुमाली व्यचरद्वासतलं स राजसो विष्णुभयाद्वितस्तदा ।

पुत्रैष्य पौत्रैष्य समन्वितो बली ततस्तु लङ्घामवस्तुनेश्वरः ॥

रामायण उत्तरकाश्छ ग्रष्मसर्ग श्लो. २९.

तथा उत्तरकाश्छ का नवमसर्ग देखिये.

२. Prescott. Conquest of Mexico. P. 598.

* नौवाँ अध्याय *

भारत और अफ्रीका.



अफ्रीका के मूल निवासी आजकल नितान्त असम्यता की दशा में पाप जाते हैं। लोग उन्हें असम्य, बर्बर, और जंगली कहते हैं। वे प्रायः नशावस्था में रहते हैं, किसी किसी प्रान्त में तो पुरुष और स्त्रियें बिलकुल नंगी रहती हैं, वे अपनी लज्जा बचाने के लिए केवल विशेष अड्डों के सम्मुख एक पत्ता लटका कर ही सन्तुष्ट हो लेते हैं। उन लोगों में कोई लिपि नहीं है। सम्यता की साधारण वस्तुओं से भी वे कोसों परे हैं। इसी कारण क्रमशः उनकी जनसंख्या घटती चली जारही है।

परन्तु इन असम्य नींगो लोगों में भी कुछ ऐसे विशेष गुण वैयक्तिक और सामूहिक रूप से पाये जाते हैं कि उन्हें देखकर सम्यताभिमानी लोगों को भी अत्यन्त आश्चर्य होता है। इन नींगो लोगों में कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जिन्हें देख कर यह प्रतीत होते लगते हैं कि ये असम्य लोग भी एक समय संसार की किसी उच्च सम्यता के सम्पर्क में रहे होंगे। स्थर्यं नींगो लोगों का यही विश्वास है कि प्राचीनतम् काल में उनकी जाति बहुत सी ऐसी बातों को जानती थी जिन्हें कि वे लोग आजकल नहीं जानते। हमारा विचार है कि किसी सुदूर प्राचीन काल में हिमालय के निकट से ही वर्तमान नींगो लोगों के पूर्वज क्रमशः ईरान और अरब को पार कर अफ्रीका में प्रवेश कर पाये होंगे। अथवा कुछ प्राचीन भारतीय आर्यों ने इस देश में पहुंच कर इन लोगों को सम्य बनाने का लक्ष किया होगा। बाद में प्राचीन शिक्षाओं को भूल कर नींगो जाति क्रमशः वर्तमान दशा को पहुंच गई। आज इस सम्बन्ध में कोई भी चेतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, अतः निश्चित स्थापना करना सर्वथा असम्भव ही होता। परन्तु भारतीय और नींगो सम्यता की परीक्षा करके हम यह स्थापना पूर्वतया निश्चित रूप से कर सकते हैं कि ये दोनों सम्यताएँ एक ही श्रेणी की हैं, और नींगो सम्यता का स्रोत भारतीय सम्यता है। इस सम्बन्ध में संक्षेप से कुछ प्रमाण और युक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जायगी।

संस्कारों की प्रथा— भारतीय सभ्यतामें मनुष्य जीवन पर संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव स्वीकार किया गया है। वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन में आने वाले सब छोटे बड़े परिवर्तनों का प्रारम्भ संस्कारों से ही होता चाहिए, इसी सिद्धान्त के अंधार पर द्विजों के लिये १६ संस्कारों का विधान किया गया है। इन आवश्यक संस्कारों के अतिरिक्त समय २ पर आवश्यक नुसार अन्य संस्कारों के लिए भी निर्देश किया गया है। अगर कभी नया घर बनाना हो तो उसके लिए भी संस्कार करना आवश्यक है।

वर्तमान अफ्रीकन लोगों में जो प्रथाएँ विद्वतरूप में आजकल प्राप्त होती हैं उनके अनुसार एक अफ्रीकन व्यक्ति के जीवन में भी संस्कारों की अत्यन्त महत्ता है। वहाँ बालक के जन्म से लेकर उसके पूर्ण जीवन में सभ्य समय पर अनेक समारोह किये जाते हैं। इन में से बहुत से समारोह भारतीय संस्कारों के विकृत और परिवर्तित रूप ही प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये यहाँ कुछ संस्कारों का निर्देश किया जायगा।

जातकर्म— नींगो लोगों में बालक के उत्पन्न होते ही एक साधारणा सा परिवारिक उत्सव किया जाता है। दाई बालक की नाभी की नाड़ी को काट डालती है; और उसके अङ्गों को अपनी सूचि के अनुसार ढालने का प्रयत्न करती है। इसके बाद आशीर्वाद लम्बन्धी कुछ प्राचीन गीत बोल कर उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का जाता है।^१

अफ्रीका के एक द्वादश में यह प्रथा है कि जब पहला बालक पैदा होता है तब एक विशेष उत्सव किया जाता है। एक स्थान पर चारों ओर चूना ढाला जाता है। बालक के उत्पन्न होने पर आग जलाई जाती है और बालक को शीघ्रता से उसके धूएँ में से निकाला जाता है। इस सभ्य प्रार्थना के शब्द भी बोले जाते हैं।^२

वैदिक जातकर्म संस्कार भी बालक के उत्पन्न होते ही किये जाने वाला एक परिवारिक संस्कार है।

अन्न प्राशन— अफ्रीकन बालक को तब तक सूखे भोजन करने को नहीं दिया जाता, जब तक कि किसी वस्तु को स्वर्यं पकड़ कर उठा सकने की

1. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 36.

2. Customs of the World. Vol. I, P. 6.

शक्ति बालक में नहीं आजाती । कुछ लोग इस समय भी बालक को शूल भोजन देना प्रसन्न नहीं करते ; वे इस प्रकार का भोजन उसे तभी देते हैं जब कि वह स्वयं घर से बाहर निकलने लायक होजाता है । इस समय भी एक साधारण परिवारिक उत्सव किया जाता है ।^१

मुरडन — जब नींगो बालक कुछ बड़ा होजाता है, उसके प्रथम बार बाल काटे जाते हैं । बाल काटने से पूर्व बालक की माता उसके माथे पर अपने दूध की कुछ बूंदे डालती है, तब स्वयं अपने हाथों से उसके बाल काटती है । इन बालों को जंगल की धनी धास में फेंक दिया जाता है^२— कई प्रान्तों में मुरडन करते हुए सिर पर बालों का एक गुच्छा (चोटी) छोड़ दिया जाता है ।^३

मेखला — वैदिक प्रथाओं के अनुसार बालक को बहुत छोटी अवस्था में ही मेखला धारण कराई जाती थी । इस मेखला^४ का वर्णन अर्थव वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आता है । अफ्रीका में बालक को मेखला धारण कराने की प्रथा है । जब बालक छुटनों के बल चलने लायक होजाता है तब उसकी कमर में रुई का एक तागा बाँध दिया जाता है ; वहाँ इस तागे को 'पुरी' कहते हैं । यह प्रायः एक वर्ष की अवस्था में बाँधा जाता है । जब तक बालक को 'पुरी' धारण नहीं कराई जाती तब तक पति पत्नि के लिए समागम करना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता है । बालक जब तक तीन वर्ष की आयु का नहीं होजाता तब तक माता ही उसका पालन करती है । इस समय तक सन्तान पैदा करना अच्छा नहीं समझा जाता । इस प्रकार दो बालकों के जन्म में प्रायः कम से कम तीन वर्ष का अन्तर अवश्य रखवा जाता है ।^५

यह सब प्रथाएँ पूरी तरह भारतीय प्रथाओं से मेल खाती हैं ।

वैदारम्भ — वैदिक प्रथा के अनुसार शिक्षा प्रारम्भ करने पर यह संस्कार करना चाहिये । अफ्रीका में भी कुछ ऐसे पेशे हैं जिन्हें प्रारम्भ करते हुए एक विशेष संस्कार करवाना होता है । इन में से एक पेशा गड़रिये का है । इन बालकों को आबादी से दूर रखा जाता है ; इनका बस्तों में आना मना होता है । गांव की खियें भोजन लेकर इन्हें उसी स्थान पर दे आती हैं ।

1. Customs of the World. Vol. I. P. 47.

2. Ibid. P. 12.

3. Ibid. P. 50.

4. Ibid. P. 55. & 59.

जिस दिन यह संस्कार किया जाता है उस दिन सड़क पर कुछ विशेष सुगन्धित लकड़ियों द्वारा आग जलाई जाती है। बालकों को जब इस की गन्ध आती है तब वे वहाँ आते हैं और उस आग के ऊपर से कूद जाते हैं। इस दिन उन के बाल भी काटे जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कार्य किये जाते हैं।^१

ये सब बातें भारतीय देशमध्ये संस्कार से बहुत मिलती हैं। इस प्रथा में तो यज्ञार्थी का विकृत रूप भी आज तक पाया जाता है। आग पर से कूदना सम्भवतः यज्ञ कुराड के चारों ओर परिक्रमा करने का विकृत रूप हो।

इन बालकों के नित्य कर्मों में से एक कार्य अश्वि के चारों ओर दैठना भी है, शायद यह प्रथा ऐनिक अश्विहोत्र का विकृत रूप है।

मृतक संस्कार— अफ्रीकन लोगों में यद्यपि मुरदे को गाड़ने की ही प्रथा है तथापि इसी अवसर पर किये जाने वाले एक कार्य से प्रतीत होता है कि सम्भवतः किसी प्राचीन काल में ये लोग शब को जलाया करते होंगे। आज कल जब शब को गाड़ा जाता है तब उस के निकट ही अश्वि भी प्रज्वलित की जाती है। यह अश्वि शोक का चिन्ह समझी जाती है। जब किसी बड़े आदमी की मृत्यु होती है तब एक साल तक भी इस आग को प्रज्वलित रखा जाता है।^२

इसी प्रकार बहुत से अन्य नीओ त्यौहारों को भी भारतीय संस्कारों से तुलना की जा सकती है। परन्तु हमारी स्वापना पुष्ट करने के लिये इतने ही प्रमाण पर्यात हैं।

चन्द्र दर्शन— अफ्रीकन लोगों में बालक को पूर्णचन्द्र के दर्शन कराने की प्रथा है।^३ कई प्रान्तों में यह प्रथा है कि माता बालक के सन्मुख एक जलती हुई लकड़ी लेकर उसे चाँद की ओर फेंकती है और कहती है—“यह तुम्हारा चाँद है।”^४

भारतवर्ष में भी बालकों को चन्द्र के दर्शन कराने की प्राचीन प्रथा है।

1. The Life of a South African Tribe. Vol. I. P. 15.11.

2. Ibid. P. 341

3. Customs of the World. Vol. 1. P. 1.

4. The Life of a South African Tribe, Vol. I. Page 51

निरामिष भोजन— भारतीय आर्य शाकाहारी होने थे ; वे मांस भक्षण को घृणित कार्य समझते थे । दक्षिण अफ्रीका के बन्तु नामक प्रान्त में लोग प्रायः अभी तक निरामिषभोजी ही हैं; वे मांसभक्षण को बुरा समझते हैं । उन में कम लोग ही कभी कभी मांस खाते हैं ।^१

अग्नि पूजा— यज्ञ विकृत होकर यहाँ अग्नि पूजा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं । अग्नि को ये लोग पवित्र समझते हैं । भारतीय मन्त्रयों के अनुसार भी अग्नि पावक है । विशेष कर “न्योफा” वृक्ष की लकड़ी के द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि बहुत पवित्र समझी जाती है । त्योहारों में इस लकड़ी की आग को काम में लाया जाता है ।^२

ब्रह्मचर्य— वेदों में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा गाई गई है । अथर्ववेद में कहा है—“ब्रह्म वर्य से देवना लोग मृत्यु को भी जीत लेते हैं ।”^३ प्राचीन भारत में ब्रह्म वर्य साधन के लिये बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता था । जिस से कि वे सुगमता से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें । इस के लिये उन्हें तपस्या, सादगी, स्त्रात्वक भोजन आदि का अभ्यास कराया जाता था । अफ्रीका के लोगों में आज भी ब्रह्मचर्य की महिमा उसी प्रकार गाई जाती है । पूर्व अफ्रीका के नीओ लोगों की एक कहावत का अर्थ है—“मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, अगर दिन रात तुम संयम पूर्वक रहो तो यह तुम्हारी आङ्गा मानेगी ।”^४

इस ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के लिये अफ्रीका के कुछ प्रान्तों में नीओ लोग विशेष यज्ञ करते हैं । वे अपने बालकों, को कुछ बड़ी आयु हो जाने पर आबादी से दूर रखते हैं । उन्हें पेड़ों की छालों के कपड़े पहनने को देते हैं । जिस प्रकार कि प्राचीन भारत में ब्रह्मचारियों को बल्कल वस्त्र पहिनने को दिये जाते थे । ये कपड़े कुछ विशेष पवित्र वृक्षों की छाल से बने होते हैं ।

एक प्रान्त में प्रथा है कि बालकों को आबादी से दूर किसी के निरोक्षण में रखा जाता है । उन्हें नमकीन पानी से सिर धोने की आङ्गा नहीं होती क्यों

1. The Life of South African Tribe, Vol ii. P. 32

2. " " " " ii. P. 32

3. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघत ॥ अर्थव० ब्रह्मचर्य मृत्यु

4. To Khastum. by Rev. G. Lloyd.

5. " " " "

कि वहाँ सातुन का काम नमकीन पानी से ही लिया जाता है । उन्हें अपने माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जाता । वे किसी ढ्यो को देख नहीं सकते । जब ये बालक अवधि पूरी कर के घरों को वापिस आते हैं तब एक विशेष स्थोहार किया जाता है ।¹

विवाह— अफ्रीकन लोगों के विवाह के सम्बन्ध की बहुत सी बातें भारतीय विवाहों से समानता लिए हुवे हैं । शोङ्क प्रान्त में आदर्श विवाह की अवस्था २५ बरस मात्री जाती है । उनका कथन है— “प्राचीनकाल में नौजवान निश्चिन्तता और प्रसन्नता से आयु व्यतीत करते थे । वे २५ बरस तक नाच आदि में सम्मिलित न होते थे । कोई लड़का २५ बरस की आयु से पूर्व विवाह न करता था ।”² वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार भी विवाह की आयु २५ बरस ही है ।

अफ्रीकन लोगों में एक व्यक्ति के गोत्र से समीप सम्बन्ध रखने वाले आठ गोत्रों में परस्पर विवाह नहीं ह सकता । विवाह के लिए गांव और समूह (Tribe) का बन्धन नहीं है ।³

ये लोग विवाह को एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं । विना विवाह के सन्तान उत्पन्न करना घोर पाप समझा जाता है । यदि किसी कुमारी बालिका से सन्तान उत्पन्न हो जाय तो उसे भयंकर दण्ड प्रिया जाता है । कई थानों पर तो इस अपराध पर मृत्यु दण्ड भी दिया जाता है ।⁴

विवाह से पूर्व एक विशेष संस्कार किया जाता है, जिस में सब आस पास के लोग मिल कर सहभोज करते हैं । जिस व्यक्ति का विवाह होना होता है, वह धर्माचार्य के पास जाकर आशीर्वाद लेता है ।⁵ यह प्रथा भारतीय समावर्तन संस्कार से मिलती है ।

ये सब प्रथाएँ भारतीय विवाह सम्बन्धी सिद्धान्तों से मिलती हैं ।

यज्ञानी की साच्ची— प्राचीन भारत में यज्ञ एक पवित्र कार्य समझा जाता था, अतः जब ब्राह्मण लोगों से कभी न्याय कराया जाता था

1. The Customs of the World. vol. II. P. 17.

2. The Life of a South African Tribe Vol. ii. P. 100.

3. Ibid P. 246.

4. Customs of the World. Vol. I. P. 10.

5. To Khastum. by Rev. G. Llyd.

तब वे यज्ञस्त्रि के सन्मुख बैठ कर ही उस मामले पर विचार किया करते थे। अफ्रीका में भी इस से मिलती जुलती प्रथा ही प्रचलित है। वहाँ जब किसी मामले का निणय करना होता है तब एक विशेष स्थान पर गांव के लोग और उन के मुखिया एकत्र होते हैं। इस शुद्ध स्थान के मध्य में एक विशेष लकड़ी की पवित्र अस्त्र जलती रहती है। इस के चारों ओर बैठ कर ही किसी मामले का निणय किया जाता है।¹

शिखा — प्रारम्भ में जब बालक के केश काटे जाते हैं तब उस पर बालों का एक गुच्छा छोड़ दिया जाता है। परन्तु पीछे से बड़े होने पर प्रायः लोग इस गुच्छे को भी काट देते हैं। सम्पूर्ण अफ्रीका में किसी प्रान्त के नीचो लोगों का एक समूह प्रपने सिर पर सम्पूर्ण जीवन के लिए बालों की चोटी (शिखा) रखते हैं। वे इसे सुन्दरता के लिये रखे हुवे बाल ही कहते हैं; परन्तु सुन्दरता के लिये सिर के मध्य में बालों की चोटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में सम्पूर्ण अफ्रीका के लोग शिखा रखा करते होंगे परन्तु पीछे से मुसलमानी प्रभाव के कारण अन्य सब समूहों ने चोटी कटवा डाली; केवल इन लोगों की चोटी ही बाकी बची है।

भिक्षा — प्राचीन भारत में गुरुकुलों के विद्यार्थी स्वयं भिक्षा मांग कर उसी के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। ब्रह्मचारी जिस घर के द्वार पर “माता, भिक्षा दो!” का नाद करते थे; उस घर की गृहपति अपने अच्छे से अच्छे भोजन के साथ उस याचना का उत्तर देती थी। अफ्रीकन मसाई लोगों में कुछ विकृत रूप में आज भी यह प्रथा पाई जाती है। मसाई नौजवान नवयज्ञवान काल में घर छोड़ कर चल देते हैं। वे जिस गाँव में जाते हैं वहाँ की लियाँ पूरे यंत्र से उनका आतिथ्य करती हैं। अगर उन से पूछा जाय कि तुम इन नौजवानों को इतने प्रेम से क्यों भोजन देती हो, तो वे उत्तर देती हैं कि हमारा पुत्र भी किसी दूसरे गाँव में इसी प्रकार भिक्षा मांग रहा होगा। इस देशाटन काल में मसाई नौजवान पूर्णरूप से संयम का जीवन व्यतीत करते हैं।

इसी प्रकार इन असभ्य लोगों में भी अतिथि सत्कार आदि कुछ अन्य उत्तम गुण भी पूर्ण रूप से पाते जाते हैं।

1. To Khastum, by Rev. G. Lloyd.

प्रार्थनाएँ- किसीमु से लगभग २० मील दूर एक 'नन्दी' पहाड़ी है । यहाँ के लोगों में तलाक की प्रथा भी नहीं है, ये लोग केवल एक बात पर ही तलाक करते हैं— अगर पति सर्वशा बन्धा हो । इस पर्वत पर एक मन्दिर है । इस में नीओ लोग अपने संस्कार किया करते हैं । इस अवसर पर एक प्रार्थना की जाती है, जिसका अर्थ है—“ईश्वर, हमें स्वास्थ्य दो, हमें दूध दो, हमें शक्ति दो, हमें उत्तम अन्न दो, हमें सब कुछ उत्तम दो, हमारे बच्चों और पशुओं की रक्षा करो ।”^१ इस का भाव एक वेद मन्त्र के इस अर्थ से बहुत कुछ मिलता है—“हे अज्ञों के स्वामी ! हमें अन्न दो, वह अन्न उत्तम और शक्ति उत्पन्न करने वाला हो, हमें सामर्थ्य दो, अपने आशीर्वाद से हमारे परिचार और पशुओं की रक्षा करो ।”^२

अफ्रीकन लोगों के सम्बन्ध में केवल हमारी ही यह धारणा नहीं है । ख्ययं अफ्रीकन लोगों का विश्वास है कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज बहुत कुछ जानते थे; वे बहुत सुखो और सम्पन्न थे; उनकी बातों को आज हम भूल चूके हैं ।^३

इस प्रकार इन उपर्युक्त प्रमाणों से भारत और अफ्रीका प्राचीन सम्बन्ध भली प्रकार पुष्ट होता है ।

१. असिस कोनेच सपोन.
असिस कोनेच चेको.
असिस कोनेच उइन्तो.
असिस कोनेच पाक
असिस कोनेच की तुकल नेमिई.
असिस तुक-द-इच लक्कोक अक तुका.
२. अन्नपते अन्नस्य नोदेहि अनमीवस्य सुष्मणः,
प्रप्रदातारं तारिश उर्जन्तो देहिद्विप्रदे चतुष्पदे ॥
३. The Life of South African Tribe, vol. II, P. 409.



* दसवाँ अध्याय *

भारत और मिश्र



अर्धाचीन पाञ्चान्त्र्य पुरातत्व वेत्ताओं के लिये मिश्र संसार के अन्य सब देशों से अधिक महत्वपूर्ण देश है। मिश्र में हज़ारों वर्षों के पुराने जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं वे अत्यन्त विस्मयजनक हैं। संसार के यात्री इस गौरवपूर्ण देश में जाकर इसकी अवशिष्ट प्राचीन स्मृतियों को देखकर सम्मान और कौतुक ले भावों से भर जाते हैं। इस देश के आज से हज़ारों वर्ष पूर्व बने हुए पौने पाँच सौ फीट ऊँचे पिरामिड समुच्च आश्र्य की बस्तुएँ हैं। मिश्र में ऐसी अनेक लाशें पाई गई हैं जिनकी बाल अभी तक सुरक्षित रूप से उनके पिञ्जर पर जड़ी हुई हैं; अनुमान है कि ये लाशें कम से कम ४ हज़ार वर्ष पुरानी हैं। इन प्राचीन अवशेषों को देखकर इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि एक समय मिश्र देश की सभ्यता बहुत उन्नत हो चुकी होगी।

उस काल में जबकि मिश्र सभ्यता की उन्नत दशा में था, भारतवर्ष संसार की सभ्यता का गुरु था। उन दिनों संसार भर में भारत और मिश्र इन दोनों देशों का भाष्य सूर्य प्रचण्ड तीक्ष्णता से चमक रहा था। उस समय तक पश्चिम का यूनान देश भी उन्नत अवस्था प्राप्त नहीं कर सका था।

पुरातत्व वेत्ताओं के सन्मुख यह एक समस्या है कि मिश्र देश की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ। हमारी यह दृढ़ स्थापना है कि मिश्र की सभ्यता का विकास वैदिक सभ्यता के आशार पर ही हुआ है। भारतवर्ष को यह गौरव प्राप्त है कि वह पक्ष प्राचीन सभ्यतम् देश की सभ्यता का भी गुरु है। अपनी यह स्थापना पुष्ट करने के लिये कुछ प्रमाण हम यहाँ उपस्थित करेंगे।

प्रलय और उत्पत्ति— मिश्र के प्राचीन साहित्य में प्रलय का जो वर्णन किया गया है वह वैदिक साहित्य के प्रलय के वर्णन से बहुत मिलता है। “बज” का कथन है— “मिश्री साहित्य के अनुसार एक समय था जब न यह आकाश था, न यह पृथिवी थी; तब सब और केवल अनन्त पानी ही पानी था, यह गाढ़तम अन्धकार से आवेषित था। यह प्रारम्भिक जल बहुत समय तक इसी अवस्था में रहा। इसी जल में सब वस्तुओं के मूलतत्त्व विद्य-

मान थे, जिन के द्वारा बाद में सब वस्तुओं तथा इस संसार की उत्पत्ति हुई । अन्त में इस प्रारम्भिक जल जै उत्पत्ति की इच्छा अनुभव की । उत्पत्ति का दूसरा कार्य कीटाणु या अण्डे की रचना था । इस अण्डे से “रा” (सूर्यदेव) की उत्पत्ति हुई । इसकी चमकती हुई आकृति में सर्वव्यापक की दैवीय शक्ति विद्यमान थी ।”^१

वेद में सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में कहा है— “तब न सत था न असत, न वायु था न यह आकाश । तब सब ओर गाढ़तम अन्धकार था ; ये सब वस्तुएँ इसी गाढ़तम अन्धकार में प्रचलन थीं । इसी अन्धकार में सब कुछ बिना किसी पहिजान के व्याप्त था । बाद में “इच्छा” की उत्पत्ति हुई । यह इच्छा ही उत्पत्ति का प्रारम्भिक मूल है ॥”^२ “तब केबल मात्र निस्तश्य जल ही विद्यमान था । इस जल में सब वस्तुएँ अणु रूप से विद्यमान थीं । वह सर्वशक्तिमान इस जल के अन्दर, बाहर सब कहीं व्याप्त था ।”^३

इन दोनों वर्णनों में आश्रयजनक समानता है । प्रसङ्ग वरा यह कह देना भी अनुचित न होगा कि बहुत से वर्तमान वैज्ञानिकों का भी यही विश्वास है कि संसार की उत्पत्ति की प्रथमावस्था जल ही थी ।

मात (Maat) और ऋत — मिश्री लोगों का विश्वास है— “मात, जो कि नियम, व्यवस्था, क्रम आदि की देवी है, सूर्य को प्रतिदिन नियत समय पर पैदा करती और नियत समय पर अस्त करती है, इसमें कभी बाधा उपस्थित नहीं होती।”^४ यह मात वास्तव में ईश्वर की एक शक्ति है । श्रीयुत वेलिस के कथनानुसार ‘वैदिक साहित्य में ऋत ईश्वर की वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रक्षारण में व्यवस्था कायम है ।’^५ एक वेद मन्त्र में आता है कि ईश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में ऋत और सत्य को पैदा किया । ^६ वहाँ ऋत का अभिप्राय संसार के नियमों की स्थिरता और व्यवस्था ही है ।

1. Egyptian Religion. by Bagde.

2. तम आसीत्मसा गूढ़मग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ॥ ३ ॥

कामस्तदग्रे समर्वताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ॥ ४ ॥ ऋग्वेद १० । ११८ ।

३. आपो ग्रामे विश्वमायद्व गर्भं दधाना ग्रामुता शतताः ।

यासु देवेष्वधि देव आसीत् कस्मै देवाय इविषा विधेम ॥ ६ ॥ अर्थव. ४ । २.

4. Egyptian Religion. Badge.

5. The Cosmology of the Rig Ved. by Wallis.

६. ऋतञ्ज सत्यज्ञानभिद्वातपतः” ग्रादि । ऋग्वेद. दशम मण्डल.

**प्राचीन मिश्री साहित्य और वेद— निष्पलिखित तालिका द्वारा
प्राचीन मिश्री साहित्य में वैदिक अष्टवाओं की भलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होजायगी—**

| मिश्री ^१ | वैदिक |
|--|---|
| १. जब यहाँ कुछ नहीं था, तब वह अकेला यहाँ उपस्थित था। | १. उससे पूर्व यहाँ और कुछ भी नहीं था। ^२ |
| २. ईश्वर एक है। उस अकेले ने ही इस सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति की है। | २. वह पहले अकेला ही था, और कोई वस्तु नहीं थी। उस अकेले सूक्ष्म से यह विद्यमान जगत उत्पन्न हुआ। ^३ |
| ३. ईश्वर की सत्ता व्यक्त नहीं होती, कोई मनुष्य उसके स्वरूप को नहीं आनता। | ३. वह सब भूतों में छिपकर प्रकाशित हो रहा है। ^४ |
| ४. वह अपने प्राणियों में स्वयं एक रहस्य है। | ४. वह देवों में विचित्र है। ^५ |
| ५. ईश्वर सत्य स्वरूप है, वह सत्य द्वारा ही रहता है। | ५. पूर्ण सत्य द्वारा ही वह सब कहाँ व्याप्त है। ^६ |
| ६. ईश्वर ही जीवन है। उसी के द्वारा मनुष्य जीता है। | ६. प्राण ऊपर विराजमान रहता है, उसी प्राण द्वारा सब प्राणी जीवित हैं। ^७ |
| ७. ईश्वर देव और देवियों का पिता है। | ७. ईश्वर के उच्छिष्ठ (यज्ञ दोष) पर ही सब देव आश्रित हैं। ^८ |
| ८. आकाश उसके सिर पर आश्रित है, यह पृथिवी उसके पैरों का सहारा है। | ८. द्यूलोक उस विराट् ब्रह्म का शिर स्थानीय है और यह पृथिवी उसके पादस्थानीय। ^९ |

१. ये प्रमाण Badge के Egyptian Religion से उदृधृत किये गये हैं।

२. तस्माद्ब्रह्मनन्य पः; किञ्चुनास। छान्दोग्यः।

३. सोम्येदमग्रासीदमेकमेवाद्वितीयः; तस्मादसतः सज्जायत। छान्दोग्यः।

४. स सर्वेषु भूतेषु गूढात्मानं प्रकाशते। कठ०।

५. चित्रं देवानाम्। वेदः।

६. सत्येनोर्ध्वंनयति। ग्रथर्वेदः।

७. प्राणोर्ध्वंमेति अजानात्, प्राणेन जातानि जीवन्ति। छान्दोग्य उपस्थिष्ठः।

८. उच्छिष्ठाज्ञनिरे सर्वे दिवि देव उपस्थिताः। ग्रथर्वेदः।

९. शीर्षर्ण्य यौ समवर्नत पञ्चः; भूमिः। वेदः।

वर्ण व्यवस्था— पादरी लुसेल का कथन है कि भारतवर्ष और मिश्र दोनों देशों में एक समानता बहुत ही स्पष्ट रूप में पाई जाती है ; यह समानता वर्णव्यवस्था की है । उनका कथन है— “दोनों देशों के निवासी विविध श्रेणियों में बड़े हुए हैं ; इन सब श्रेणियों के अधिकार, सम्मान, स्थिति आदि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं । ये वर्ण अपरिवर्तनीय हैं, पीढ़ियों तक जाने वाले हैं । हिन्दुओं का विभास है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैरों से पैदा हुए । यूनानी ऐतिहासिक हैराडोट्स के अनुसार मिश्री लोग भी प्राचीन काल में इसी प्रकार चार वर्णों को स्वीकार करते थे । उसने स्थूल भी समाज के चार विभाग किये हैं ।.....पीछे से समाज में तीन वर्ण सम्मानीय माने जाने लगे— पुरोहित तथा धूर्माचार्य, सैनिक लोग और शिल्पी तथा व्यापारी । यह स्पष्ट ही है कि मज्जदूर आदि इन तीन वर्णों में अन्तर्गत नहीं होते, उनका एक अलग बौद्धा वर्ण मानना ही होगा ।”¹ भारतवर्ष में भी पीछे से समाज में केवल द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य-ही सम्मान योग्य समझे जाने लगे ; शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा ।

धीरे धीरे मिश्र में वर्णव्यवस्था के बन्धन बहुत कठोर होगये थे । यूनानी ऐतिहासिकों का कथन है— “मिश्र में एक पेशे के लोग दूसरे पेशे में शामिल नहीं किए जाते थे । उनमें समाज के मुख्यतया तीन भाग थे— पुरोहित, सैनिक, और किसान । ये सब लोग भिन्न २ स्थानों पर रहते थे । इन्हें भूमि समान रूप से बटी हुई थी ।”² पीछे से भारतवर्ष में भी वर्णव्यवस्था के बन्धन इतने ही कड़े हो गये थे ।

सामाजिक और परिवारिक जीवन— मिश्री तथा भारतीय परिवारों के रीतिवाज और संगठन परस्पर बहुत मिलते हैं । मिश्र निवासियों के साधारण जीवन की बहुत सी छोटी छोटी बातें भारतीयों के जीवन से बहुत कुछ मिलती हैं । इनमें से किसी अकेली बात का कोई बड़ा महत्व नहीं है, परन्तु जब हम ऐसी छोटी छोटी अनेक बातों में अत्यन्त साहृदय देखते हैं तब दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता । श्रीयुत पेट्री की “सोशल लाइफ इन एन्शेण्ट ईजिप्ट” नामक पुस्तक के आधार पर मिश्री जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कुछ बातें यहाँ उद्धृत की

1. Ancient and Modern Egypt. Introduction by Rev. Michael Russel.
P. 24-25.

2. Social Life in Ancient Egypt. by W. M. F. Petrie. P. 11. & 12.

जाती हैं— “पुरुष आजीविका का कार्य करते थे और हिंदू खाली समय मिलने पर चरखा चलाती थीं, कपड़े बुनती थीं और संगीत का अभ्यास करती थीं।”^१ “देवताओं को जब बलि अर्पित की जाती थीं तब राजा को भी मुख्य पुरोहित के समुख खड़े रहना होता था। पुरोहित कुछ विशेष प्रार्थनाएँ पढ़कर राजा के स्वास्थ्य तथा राज्य के लिए प्रार्थना करता था, अन्त में राजा की स्तुति के कुछ वाक्य भी पढ़े जाते थे।”^२ “राजा माँस भक्षण किया करता था; इस कार्य के लिए उसकी जो पशुशाला थी उसमें एक भी गाय न थी, कारण यह था कि गाय का माँस खाना पाप समझा जाता था।”^३ मिश्री लोगों के धार्मिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी था— “देवताओं को अन्न की बलि देने में कभी कमी मत करो।”^४ ऐसा प्रतीत होता है कि अन्न की बलि के लिए पवित्र समझा जाता होगा। पशुओं को चरागाहों से भगा देना बुरा समझा जाता था। मिश्री लोगों के पुरोहित बहुत साफ़ रहते थे; वे प्रायः पेड़ के रेशों (सन आदि) से बुने हुए कपड़े पहिनते थे। उनके चरू सदैव उजले रहते थे।^५

चार ऋषि— भारतीय लोगों का यह विश्वास है कि संसार के प्रारम्भ में जब मनुष्य सृष्टि बनी, तो उसमें सबसे पूर्व चार ऋषि पैदा हुए। इन चारों को ही ईश्वर ने एक एक वेद का ज्ञान दिया। मिश्री प्राचीन गाथाओं के अनुसार भी सृष्टि के प्रारम्भ में चार ही मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है— “सब से पूर्व यह पृथिवी चारों ओर जल से ढकी हुई थीं; जब कुछ जल सूखा तो शेष जल में एक अण्डा या एक फूल पैदा हुआ, इस अण्डे से “रा” की उत्पत्ति हुई, उससे चार बालक पैदा हुए। उनके नाम केव, नट, शू, और टेपन्ट हैं। इन्हीं चारों से वर्तमान मनुष्य जाति पैदा हुई।”^६ भारतीय प्राचीन पौराणिक गाथाओं के अनुसार भी ब्रह्मा की उत्पत्ति कपल पुष्प से हुई, इसी ब्रह्मा ने अग्नि, वायु आदि चारों ऋषियों को जन्म दिया। इस प्रकार दोनों गाथाओं में बहुत अधिक समानता है।

1. Social Life in Ancient Egypt, by Flinders Patrie. P. 27.

2. Ibid. P. 35.

3. Ibid. P. 55.

4. Ibid. P. 67.

5. Ibid. P. 1000.

6. Ancient Egypt from Records, by M. E. Monkton Jones. P. 26.

और History of Ancient Egyptians, by Breasted. P. 47.

यम की तुला— भारतीय साहित्य के अनुसार यम मृत्यु का देवता है । जो आत्माएँ यह लोक छोड़कर जाती हैं, उनका वह न्याय करता है । उसके पास एक पाप और पुण्य तोलने की तराजू है ; इसी तराजू के आधार पर वह आत्माओं का न्याय करता है । प्राचीन मिश्री लोग भी अपने मृत्यु देव मात (Maat) के पास एक ऐसा ही तराजू मानते थे जिससे वह आत्माओं के पाप पुण्य को तोल कर न्याय किया करता है ।¹

यज्ञाग्नि— भारतीय शास्त्र यज्ञाग्नि की पवित्रता प्रतिपादित करते हैं । उसके अनुसार यज्ञाग्नि में बाधा देना अनुचित है । प्राचीन मिश्री दण्ड विधान को देखने से यह प्रतीत होता है कि वे लोग भी किसी विशेष अग्नि को इतना पवित्र समझते थे कि उस के बुझाने को पाप माना जाता था । वहाँ बहुत से अपराधों को गिनाते हुए एक विशेष पवित्र आग को बुझाना भी पाप माना गया है ।² ऐसा प्रतीत होता है कि यह, किसी विशेष अग्नि के प्रति इस प्रकार सम्मान का भाव यज्ञाग्नि का, विकृत रूप है ।

सूर्यवंश— पौराणिक ग्राहण कथानकों के अनुसार भारतवर्ष का सर्व प्रथम पुरुष सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु है । यह सत्यवत मनु प्रलयकारी जलपूत्रावन में स्वयं भगवान की कृपा से बच पाया था । इसी ने दुबारा इस पृथिवी पर मनुष्य जाति की बुनियाद डाली । यह आदि मनु सूर्य वंशी था । इसके वंशज इसी कारण सूर्यवंशी कहाये । मिश्री विश्वासों के अनुसार मिश्र का आदि पुरुष 'रा' भी सूर्यदेव का ही पुत्र था । इसने मिश्र में अपने वंश की नींव डाली ।³ जलपूत्रावन की कथा भी मिश्री साहित्य में पाई जाती है । मिश्री साहित्य के अनुसार 'रा' का जन्म नील नदी की भयङ्कर प्रलयकारी बाढ़ के के दिन हुआ था । मिश्री लोग उसी दिन से अपना वर्ष प्रारम्भ करते हैं ।⁴

इभ और इबु— हाथी का एक संस्कृत नाम "इभ" है । प्राचीन मिश्र में हाथी दाँतको "इबु" कहा जाता था । इन दोनों शब्दों में बहुत अधिक व्यापार होता है । प्रो० लासेन (Lassen) का कथन है— "संस्कृत के 'इभ' तथा 'इबु' इन दोनों शब्दों में इतनी अधिक समानता है कि इन दोनों का मूल

1. The Teaching of Amen-em-apt. by E. A. Wallis Badde. P. 32.

2. Ibid. P. 39.

3. History of the Ancient Egyptians. by Breasted. P. 267.

4. Children of the Sun. by W. J. Perry. P. 442.

एक ही स्वीकार किये बिना कार्य नहीं चल सकता। सम्भवतः यह नाम भारत-वर्ष से भारतीय हाथी दाँत के साथ ही मिश्र में पहुंचा हो ।”^१

नाग पूजा— पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पृथिवी शेषनाग के सिर पर ठहरी हुई है। शेषनाग सप्तर्षी का राजा है। यही मान कर भारत में शेषनाग की पूजा भी की जाती है। शेषनाग भी भारतीय देवताओं में गिने जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन मिश्र में एक समय यह विश्वास भी था कि यह संसार “सर्पदेव” से पैदा हुआ है। यह मान कर सर्पदेव की वहाँ पूजा भी की जाती थी।^२ यह सर्पदेव भारतीय शेषनाग के मिश्री थवतार प्रतीत होते हैं।

आदिम और अतुम— संस्कृत साहित्य में “आदिम” संसार के प्रथम पुरुष को कहते हैं। इसका अर्थ ही है—“प्रारम्भ में पैदा होने वाला।” भारतीय विश्वासों के अनुसार यह प्रथम पुरुष ‘आदिम’ बिना मैथुन के स्वयं पैदा हुआ। मिश्र में प्रथम उत्पन्न हुवे पुरुष को ‘अतुम’ कहते हैं। यह “अतुम” शब्द “आदिम” से बहुत मिलता है। यह अतुम भी स्वयं ही पैदा हुआ। अतुम कहता है— ‘मैं अतुम हूँ; मैंने यह आस्पान, ये प्राणी और यह दुनियाँ बनाई हैं। मैं ही वंशों को चलाता हूँ, मैं जीवन का स्वामी हूँ, देवों को उन की अभीष्ट बस्तुपं देता हूँ।’^३

भाषाओं में समानता—संस्कृत और मिश्री भाषा के बहुत से शब्द परस्पर बहुत मिलने हैं। ये शब्द इन्हे अधिक हैं कि उनकी समानता को देखकर उस बात से इन्कार किया ही नहीं जा सकता कि मिश्री भाषा का उद्धव संस्कृत भाषा से ही हुआ है। स्थानाभाव से हम बहुत कम समान शब्दों की सूची यहाँ उद्धृत करते हैं—^४

| संस्कृत | | मिश्री | |
|---------|-------|--------|-----------------------|
| शब्द | अर्थ | शब्द | अर्थ |
| आदि | आरम्भ | आत | जिस से आरम्भ होता है, |

1. Our Past, Present and Future, by Gurudatta Vidyarthi. M. A.
P. 19.

2. India in Primitive Christianity. by Lillie. P. 36.

3. Book of the Beginning. by Vol. I. by Gerald Massey. P. 145.

4. The Natural Genesis. Vol. II. by Gerald Massey P. 507-519.

| संस्कृत | | पिंशी | |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| <u>शब्द</u> | <u>अर्थ</u> | <u>शब्द</u> | <u>अर्थ</u> |
| अक | मोडना | अक | मोडना |
| अश्व | आंख | अख | देखना |
| अदि | सीमा | अन्तु | सीमा |
| अन्त | समाप्ति, सीमा | अन्तु | विभाग, भूमि की सीमा |
| आपः | पानी | आप | या आब-पानी |
| अपूर्प | पूरा | पूर | रोटी |
| अर्क | धूप | रेख | गरमी |
| अर्म | आंख की बीमारी | रेम | रोना |
| आरुह | चढ़ना | अरु | चढ़ना |
| असु | श्वास, पानी | अश | गीला |
| आत्मा | आत्मा | आत्मु | सातवों सृष्टि की रचयिता
आत्मा |
| बहु | अधिकता | बहु | देना |
| भेक | मेंडक | हेका | मेंडक के सिर वाला देवता |
| कन्दू | वानर | कान्त | बन्दरी |
| दन्श | काटना | टन्श | काटना |
| दाव | अग्नि | देव | अग्नि |
| द्रिति | काटना | तत् | काटना |
| द्रिव | आकाश | तेप | आकाश |
| कार्मर | लोहार | कार | लोहार |
| खन | खोदना | कन | खोदना |
| माता | माता | मत य) | मात—माता |
| मन्यु | साहस | मेन | हृदय |
| नाग | सांप | नैक | सांप |
| नर | मनुष्य | ब्रा | मनुष्य |
| नाश | नाश | नशेष | नाश |
| मत | झुकना | नत | झुकना |
| पच | पकाना | पेल | पकाना |
| परि | चारों ओर | परि | चारों ओर |
| पूर | बाहर | पूर | बाहर निकला |

| संस्कृत | | मिश्री | |
|---------|-----------|--------|-------------|
| शब्द | अर्थ | शब्द | अर्थ |
| पुण्य | फूल | पुण्य | फूल |
| राज्य | राज्य | रेक | राज्य करना |
| रसना | जिहा | रस | जिहा |
| रथ | रथ | उर्त | रथ |
| सम | साथ | सम | इकट्ठे होना |
| शान्त | शान्त | स्नातम | शान्त |
| सत | सर्वोत्तम | सत | उत्तम |
| सेवा | पूजा | सेव | पूजा |
| शिला | चट्टान | सेर | चट्टान |
| स्ना | स्नान | सन्ता | स्नान |
| संप | आराम | सुब | शान्ति |
| श्वास | श्वास | सास | श्वास |
| स्वेत | सफेद | हृत | सफेद |
| तन | खींचना | तुन | खींचना |
| उरु | बड़ा | उरु | बड़ा |
| उषा | प्रातःकाल | उषा | प्रातःकाल |
| घास | घर | आस | घर |

इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं, परन्तु हमारी स्थापना पुष्ट करने के लिए इन्हें उदाहरण ही पर्याप्त हैं।

आत्मा की अमरता में विश्वास—भारतीय साहित्य में आत्मा की अमरता पर जितना अधिक बल दिया गया है, उन्हें बल से संसार के किसी अन्य देश के साहित्य में इस का प्रतिपादन नहीं होगा। इस कारण इस बात को सिद्ध करते के लिए वैदिक साहित्य में से कोई उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन मिश्री लोगों का भी आत्माकी अमरता में विश्वास था। वे आत्माको “का” (Ka) कहा करते थे। उनका विश्वास था कि मृत मनुष्य का आत्मा दूबते हुए सूर्य या ‘रा’ के साथ नीचे की ओर चला जाता है। मिश्र की प्राचीन पुस्तक “मृतकी की पुस्तक” द्वारा उनके परलोक सम्बन्धी विश्वास ज्ञात होते हैं। इस पुस्तक में मृतकों के लिए को जाने वाली प्रार्थनाएँ अङ्कित हैं। इस से यह भली प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन मिश्री लोगों का

आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था । साथ ही वे कमफल के सिद्धान्त को भी मानते थे ।

एक ईश्वर में विश्वास— वेदों की शिक्षा के अनुसार ईश्वर एक है । उस की विभिन्न शक्तियों के कारण उस के अनेक नाम हैं—‘बह एक ही है । विद्रान् लोग उसी एक को इन्द्र, मिश्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, रथ, सुपर्ण, गुरुत्वन्, यम, मातरिश्वा-आदि विविध नामों से पुकारते हैं ।’^१ प्रायः मिश्री लोग भी एक ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार करते थे । उन का कथन यह कि अन्य देवता उसी एक सबै शक्तिमान ईश्वर के अङ्ग रूप ही हैं । दूसरे शब्दों में ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण उस के विभिन्न नाम हैं । इस बात को पुष्टि के लिये श्रीयुत ली पेज की पुस्तक में से मिश्री लोगों की कुछ प्रार्थनाएं उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा । परमात्मा का कथन है—“मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला हूँ । मैंने देवताओं को वह आत्मा दी है जिस से वह जीवन देते हैं । जब मैं आंख खोलता हूँ तब रोशनी हो जाती है, और जब मैं आंख बन्द करता हूँ तब अन्धेरा हो जाता है ।”

“सब देवता एक बड़े स्वामी को स्वीकार करते हैं । वह बड़ा स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जगत का शासन करता है । वह मनुष्यों को, धर्मान, भविष्य और भूत को, मिश्र निवासियों और परदेशियों को आज्ञा देता है । सर्व मरण उस के आधीन है; वायु, जल, वृक्ष और अौषधियां- सब उसी के शासन में हैं ।”

“उसी की कृपा से हाथ काम करता है, पैर चलते हैं, आँखें देखती हैं, हृदय उत्साहित होता है, हाथ शक्तिसम्पन्न होता है और देवताओं, पुरुषों तथा अन्य प्राणियों के शरीर तथा मुख में चेष्टा भी उसी की प्रेरणा से होती है । बुद्धि और भाषा, हृदय और जिहा सब उसी के अनुग्रह के फल हैं ।”

“आओ, हम उस देवता की प्रशंसा करें जिसने आकाश को ऊपर उठाया है, जो “नट” की छाती पर अपने प्रकाश मरण को फैलाता है, जिसने देवताओं और पुरुषों की सन्तति को पैदा किया है, जिसने सब भूमियों, सब देशों और सब महासमुद्रों को बनाया है ।”

“हे सब जड़ चेतन के निर्माता ! नियम के चलाने वाले ! देवताओं के पिता ! मनुष्यों के रचयिता ! पशुओं के कारीगर ! अमाज के स्वामी ! चेतन के प्राणियों के लिये भोजन तैयार करने वाले ! अद्वितीय ! एक मात्र स्वामी !

१. इन्द्रं मित्रं वरुणामग्निमाहुरथो दिव्यस्स मुष्यर्णे गुरुत्वाऽऽ ।

रक्तं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ वेद ॥

देवताओं के अधिष्ठिति ! अनस्त नामग्रारी !...हृत्यादि ।”

इन सब प्रार्थनाओं से यह भली प्रकार सिद्ध होजाता है कि मिश्री लोग एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाले थे । ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त की स्तुतियों से बहुत मिलती हैं ।

सदाचार के सिद्धान्त — मिश्री लोगों के सदाचार के सिद्धान्त भी भारतीय सदाचार के नियमों से बहुत मिलते हैं । इस बात की पुष्टी के लिये यहाँ मिश्री लोगों के सदाचार सम्बन्धी मुख्य मुख्य नियमों को लिख देना मात्र ही पर्याप्त होगा—

१. किसी को डराना अनुचित है क्योंकि ईश्वर डराना पसन्द करता ।
२. गरीबों की सहायता करनी चाहिए ।
३. अपने माल पर सन्तुष्ट रहो । जो ईश्वर ने दूसरों को दिया है उसे छीनने का अन्त मत करो ।
४. पूर्ण मनुष्य के सामने यदि सिर झुकाओगे तो ईश्वर तुम से प्रसन्न होगा ।
५. अगर तुम विदान हो तो अपने पुत्र को ऐसा बनाओ कि परमात्मा उस से प्रसन्न हो ।
६. जो तुम पर आश्रित है उसे प्रसन्न रखो ।
७. अगर तुम छोटे से बड़े या निर्धन से धनी बन गये हो तो दूसरों पर कठोरता मत करो । ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है उस की रक्षा करो ।
८. परमात्मा ओङ्का पालन को पसन्द करता है ।
९. अच्छा पुत्र परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है ।

कर्नल आल्काट का मत — भारत और मिश्र दोनों देशों के धार्मिक विचारों में इतनी अधिक समानता देखकर कर्नल आल्काट इस परिणाम पर पहुंचे हैं— “हमारे पास यह मानने के लिये काफी पुष्ट प्रमाण हैं कि ८ हज़ार वर्ष पूर्व भारतवर्ष ने कुछ यात्रियों को स्वानं किया; जिन यात्रियों ने वर्तमान ईजिष्ट के तत्कालीन वासियों को सभ्यता और कलाओं में दीक्षित किया । ईजिष्ट के प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता मिं० ब्रूस की भी यही सम्मति है । उन की राय है, कि वे लोग इण्डो जर्मन जाति के काकेशस परिवार से सम्बन्ध रखने वाले थे और वे इतिहास के प्रारम्भ काल से बहुत पूर्व स्वेज़ के उक्त अन्तर्रातीय पुल को लांघ कर नील नदी के किनारे जा वसे थे । मिश्र निवासियों का कथन है कि वे किसी पवित्र लोक से यहाँ आये थे ।”^१

1. The Theosophist. March. 1881.

कुछ अन्य विद्वानों के मत— श्रीयुत वेलिस बज का कथन है—
“मेरी सम्मति में मिश्र की सम्यता का विकास पञ्चमी एशिया के पूर्वीय भाग
और उससे भी दूरस्थ देश (भारत) से हुआ ।”^१

श्रीयुत ब्जर्नस्ट्रेज्ना का भी यही मत है कि भारतीय सम्यता द्वारा ही
मिश्र में सम्यता का प्रसार हो पाया ।^२ इसके लिये वे निम्नलिखित युक्तियाँ
देते हैं—

“१. हेराडोटस, प्लौटो, सोलन, पैथगोरस, फिलोस्ट्रेटस आदि सूप्रसिद्ध
यूनानी विचारकों का भी यही मत है कि मिश्र ने भारत से ही धर्म की
दीक्षा ली ।

“२. अनेक अन्य विद्वानों की भी यही राय है कि मिश्र का धर्म दक्षिण
से प्रारम्भ हुआ । मिश्र के प्राचीनतम मन्दिरों की रचना से भी यही बात सिद्ध
होती है । उन मन्दिरों की रचना भारत के प्राचीन मन्दिरों से बहुत मिलती है ।
दक्षिण में उस समय भारत के सिवाय कोई और ऐसा देश नहीं था जिससे
कि मिश्र धर्म और सम्यता की दीक्षा ले सके ।

“३. जैसोदस, जूलियस, अफ्रीकेनस और यूसोवियस ने अबीदीस
और सायस के मन्दिरों के जो पुराने चिह्ने सुरक्षित दशा में हम सक पहुँचाये
हैं, उनमें यह लिखा है कि मिश्र का धर्म भारत से आया ।

“४. हिन्दुओं का इतिहास मिश्र के इतिहास से बहुत पुराना है ।”^३

इन तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणों के आधार पर श्रीयुत प्रिन्स भी इसी
परिणाम पर पहुँचे हैं कि मिश्रने सम्यता और धर्म की दीक्षा भारतवर्ष से
ही ली थी । हम भी बिना किसी टिप्पणी के उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर
श्रीयुत प्रिन्स का अनुमोदन करते हैं ।

1. The Teaching of Amen-am-apt. Introduction by Wallis Budge.

P. XV.

2. Theogomy of the Hindoos by Comet Bjornstjerna.



शब्दानुक्रमणिका.

—३८५—

- | | |
|---|---|
| अकिलस, ३०४ | अप्रतापी, ९१ |
| अकृष्ण पच्चा, १९७ | अप्रतीपि, ९१ |
| अकूर, ७८, ८०, ८२, | आधु, २९९ |
| आगुलमक, १७६, | आधुजित, २९९ |
| अग्नि, ३३७ | आफामिस्तान, १२७ |
| अग्नि पूजा, ३४७ | आफोकेनस, ३८२ |
| आग्न्याज्ञ, १६६, १८१ | आछु, २९९ |
| आङ्गदेश, २६, ३०, ६३, ७६, ८५, ८७, ९५, १०८, | आङ्गुलगाजी, २७९ |
| आङ्गारक, ४६ | आभिष्ठ, ७४ |
| आङ्गिरा, २८३ | आभिमन्यु, १५ ७४, ८६ |
| आजातशत्रु, ४००, ९०५, | आभियुक्त, १६९ |
| आतिम, ३४७ | आभियोगी, १६६, १६८ |
| आर्थर्ववेद, २८३, २९७, ३०८, ३४५, ३४७, | आभिष्टये, २८६ |
| आदत्ताज्ज, १७६ | आभिसार, ७५ |
| आदन, २८२ | आमरता, ३५८ |
| आर्धिसोम कृष्ण, ९८ | आमात्य, १३१, १३३, १३४, १३७, १०७, २०७, २१४ |
| आयिकारी, १५७ | आमुखत, ८१ |
| आनाम, २७८ | आमेलिका, २७२, ३३६, ३३८ |
| आनु, २९ | आम्बष, ७७, ८३ |
| आनुविन्द, ७७ | आम्बा, ३८ |
| आन्धक, ७५, ७७, ७८, ८२, ८५ | आमुतायु, ८१ |
| आन्धिक वृज्जितंघ, ८८, ८७, ९०१ | आमुथायु, ८१ |
| आनन्दीनाज्ज, १० | आरट, २७७ |
| आनन्दराष्ट्र सचिव, १३७ | आरब, १८६, २८५, ३४६ |
| आनन्दप्राशन, ३४४ | आरब समुद्र, २८५ |
| आन्यगमा, १०४ | आरसी, ७८ |
| आन्देयणविभाग, २१८ | आरस्यार, १५३ |
| आपोलो, ३५६ | |

आरोन, ३०१
 अरिस्टोफेन, ३०७,
 अरिस्टोटेल, २८३, ३०२
 अरुणधती, ५४
 अर्जी, १६५
 अर्जुन, ३५, २७, ४८, ५६, ७७, ९६, १७७, २७०, २८५
 अर्थशास्त्र, २४१
 अर्थी, १५८, १६०, १६१, १६३, १६७
 अर्थसंचिव, १३१ १३२, १९७
 अर्द्धचन्द्रघूह, १८२
 अधनारीश्वर, ३२३
 अर्थमन, २८४
 अलंकार, २४१
 अल्काट, ३८१
 अल्कप, १०९
 अतकाश, २११
 अवन्ती, ७७, ८३, ८८, १०२
 अवन्ती मुत्र, १०८
 अवन्ती का राज्य, १०७
 अवन्ती का हौराज्य, ८३
 अवगेष, ३५१
 अवसरोक्ति, २४१
 अविदोस, १८३
 अविष्टये, २८३
 अशनिश्चल, ९
 अशिष्ठित, १७६
 अशोक, १६, १०२
 अशोक वाटिका, ३०४
 अश्मक, १०२
 अश्वचिकित्सा, ५७
 अश्वित्यामा, ५३
 अश्वेधयज्ञ, २८, ४३, ५८, ८६, ८७, ८८
 अश्वविद्या, ५७
 अश्वसूच, ५८
 अश्वात्स, ७४

अश्राव्य, २६१
 अष्टकुल, १०६
 अष्ट्र प्रधान मस्तक, १३१ १३२ २७९
 अष्टादश पुराण, ३
 अनार, १७६
 अतीत्या, १०४
 असुर, ३५, २७४
 असुरमेधा, २८४
 अस्पर्श, २६१
 अस्सन या अशोक, १०८
 अख, १८४, १८९
 अस्वामिक, १८७
 अहर्मास्य, २९१
 अहिङ्कर, १०८
 अहिंसा, ३११
 अहुरमज्दा, २८४

आ

आक, १८८
 आकर, १८७
 आग्नेयास्त्र, १८२
 आटिवक, १५३
 आतपत्र, ८८
 आत्मा, २८६, ३५८
 आदिम, ३५७
 आन्तिक कर, १५८
 आन्प, ७६, ७७, २७६
 आन्पक, ७७, ८३
 आपय, २८३
 आपो, २८३
 आभीर, ८८
 आमूरण, २२८
 आय घ्यय, २१३, २१५
 आयात कर, २०४
 आयु, २७९

आयुर्वेद , ५०,६९
आवेदन , १६०,१६१
आत्मयक , १७८,१८७
आर्गस , ३०३,३३२
आयस्थान , २८१
आग्रम व्यवस्था , २४८
आसन , ११५,१५१
आसाम , ७६,७२९
आसेध , १६७
आहार , २६८,२७८
आहुक , ७५,८२
आहुर , ७९
आत्मात्र , २४२,२४५

इ

इङ्गलैस्ट , १४८,२२४,२२८
इच्छा , ३५२
इटली , ३२३
इडा , २७९
इतिहास , २४९
इनाम , २१३
इनियन , ३२१
इन्कारी , १६७
इन्द्र , ११५,१२७,३०४,३०५,३२१
इन्प्रस्थ , ८६,८७,८८,१०८
इतियड , २०२,३०३,३०४,
इंजियस लोव , ३२१
इसराइल , २०१,३०१
इसिस , ३२२
इसिसमन्दिर , ३२२

ई

ईरान , २८१,२८५,३४३,
ईशोपनिषद् , ३८१
ईश्वर , ३६०

उ

उग्रकर्णी, ७८
उग्रमेन , ८०, ८२
उच्चिष्ट , ३५३
उच्जैन , १०७
उत्कल , ७८
उत्तम , २४४
उत्तम पशु , २२८
उत्तर , १७४
उत्तर देश , २६२
उत्तर पाञ्चाल , १०८
उत्त्वन्ति , ३५१
उदगन ९८, १०७
उपनिवेश , ३२
उपवेद , २३१
उपासना गृह , २३८
उमापति , ११५
उर प्रान्त , २८५
उर वनस्चार्डी , २४५
उरु , २८८
उरुनाद , २८८
उरुलोक , २८८
उरुषशी , २८८
उरुचत्र , २८८
उलूपी , ३३८
उशना , ११४, ११७ ११८,
उसना , २८३

ऊ

ऊन , ३१६

ऋ

ऋग्वेद , २७५
ऋण , २१८
ऋणपत्र , २४२
ऋत , ३५२

(३६६)

भारतवर्ष का इतिहास ।

शत्रुघ्न, २७६

कर्त्तव्यक्, २७६

ए

एकत्व, २८१

एकात्मक, १८

एकायन्त, १६

एकधार, १८०

एकमोडम, २८१

एकिलस, ३

एजटिक, ३३६, ३३७, ३३८

एटिक, ३१३

एडम स्थिय, २०६

एन्टीनर, २०४

एथन्स, ३१६

एन्थीनियन, ३१४

एन्थोवन, २८६, २८७

एम्पीड्रोमिया, ३१४

एम्पेडोकलीस, ३०८

एलेक्ज़ाण्डर, ३२०

एलेक्ज़द्रीनत, ३०९

एशिया, १०४, २७३, ३३८

एस्ट्रोज, २८८, २८९, २९०, २९१

एंगलो सैक्सन, ३२८

ओ

ओह, २७३

ओडेसस, ३०५

ओइम, २८८

ओरोमगदस, ३१९

ओलिम्पियम, ३२१

ओविद, ३२१

ओविरिंस, १०६

ओस्कर, ३१०

ओ

ओौगक्स, २७८

ओौजार, २१९

ओौदुम्बर, ८३, ३८३

ओौरफ़्स, ३०८

ओौशनस, ११४

क

कङ्ग, २७७

कच, ११४

कठोपनिषद्, २५८

कटवङ्गी, २८२

कणाद, ३०२

कनिष्ठ युद्ध, १०३

कन्यादान, ३७

कपिल, ३०२

कपिलवस्तु, ११०

कपोतरोम, १६

कमल, ३५५

कमला, ३२१

कमर्श्यट, १४

कमीशन, १५४

कम्बोज, ३०, ३२, ७६, १०६, २७३

कर, २०१

करज, १८०

करतंग्रह, २०३

करसचिव, २०७

करचिद्गान्न, ३०३

करुण, ८४, ८७

कर्ण, ७६

कर्म काश्ची, २०८

कर्मचिद्गान्न, २८६

कर्षक, २०७

कला, २२०

कलिंग, ८, १६, ३०, ७६, १०२

- कर्लिंग राजपुत्री, ३७
 कलियुग, ४४, ३८२
 कलहण, १०१, १०२
 कवच, १००
 कविपुत्र, ११४
 कश्यप, २८
 का, ३५९
 काकवर्ण, ४५
 कांबी, ७६
 काच, २७७
 कालाम, ११०
 काने, २००
 कानून, १६३
 कानूनदा, १६३
 कान्यारी, २७७
 कावा उसा, २८३
 कामदेव, १८७
 कामन्तक, ११४, ११७, ११८
 कामशास्त्र, २४१
 काम्पिल्य, ५०२
 कारोगर, २२५
 कारुष, ७४
 कार्पोसिक, ६१
 कालयवन, ८७
 कात्ती, ७६, ३१६, ३३२
 काली घाट, ३१६
 काली दास, २७३
 कालीं, ३३८
 काठय, ११४, २८३
 काशी, ६८, ७४, ८५, १००, १०२, १०७, १०८
 काशिराज, ३७, ३८
 काश्मीर, ३०, ८८, १०१, १०२, १२२
 किसूद्ध, ३४८, ३५०
 कियम, २७९
 कियूल, २७९
 किरात, ६३, ७७, ८३, १७६८, २१८, २३३, २७३, २७७
 क्रिया, १६८
 किसान, २२५
 कीचक, ४६, ४७
 कीर्तिवर्धन, ८४
 कीपिन, ३३५
 कुक, २१७
 कुकुर, ७५, ८२
 कुकुर, ७७
 कुख्छ ग्राम, १०८
 कुन्ती, ४३, ४४, ४६, ८५
 कुन्तल, ७७
 कुमारी अन्तरीप, २९
 कुम्भक, २६८
 कुम्भकर्ण, ३०४
 कुरुदेश, ८८, १०८
 कुरुक्षेत्र, ८०
 कुवेर, ३०४
 कुल, १५७, १५८, २२५
 कुलिन्द, ८८५
 कुश, १०२
 कुशीनगर, १२२
 कूटयुद्ध, १८४, १८५
 कूपमण्डूक, ८५८
 कृतवर्मा, १२, ५३, ७७
 कृतपुर्लम, १७६
 कृष, ५३
 कृशानु, २८३
 कृषक, २८१
 कृषि, २१०, २१२, २३०, ३३१
 कृषि तथा कर सचिव, १३१
 कृष्ण, ३८, ४०, ४७, ६८, ७५, ७८, ८०, ८१, ८२, ८८
 ८७, ८८, ९०, ९६, १०१, ११८, १८४, ३१६,
 ३३३,
 केकप, ७५, ७६,

(३६८)

भारतवर्ष का इतिहास ।

केव, ३५४
फेरल, ७६१
फोल्ट, ३२८, ३३०, ३३२
केशव, ८१
फेरसपुत्र, ११०
फेनेडी, १८५
फैलास, ३२९
कोइला, १६८
कोकस कोकस, ३३७
कोट, ६८
कोलम्बस, ३३८, ३३९
कोलत्रुक, ३१०
कोलीय, ९१०
कोशला, ७६१
कोशल राज्य, ८८६, १००, १०२, १०४
कौटिल्य शार्य शाच, ८३, ११४, ११७, ११८, १५३, २५९
कौरव, ७४, ८८
कौशाम्बी, ८८, ८८८, १०७, १०८
क्रायपत्र, २४२
क्रौञ्च व्यूह, १६२
क्लेमन्स, ३०६
क्लार्क, २७८
क्लौक, २३८
क्लैटसाल्कटल, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३
क्लांग्जी, २५८, २६४.

ख

खगोल्ड, १०२
खनिज, २४३
खनिज कार, २००
खनिनेत्र, २१
खलासी, २१९
खश, ६३, ६७, १२२, २७३, २८३
खारद्वयन, ६५

ग
गंगा, ८८, ८८, १०८
गण १५१, १५२, १५६, १५७, २१८, २२५
गणेश, २४६, ३१८
गणाक, १५७, १५८
गणपति, २४५
गणराज्य, ७८, ८३, १०८
गण्डक, १२२
गद, ७७
गदा, १९०
गन्धक, १८८
गन्धर्व जाति, ४०
गन्धर्व विद्या, ३७
गया, ३२१
गरुड़, २४५
गर्भ विद्या, ५८
गवाही, १६८, १७०
गच्छति, १२
गान्धर्व विद्या, ५८
गान्धार, ७६, १०८
गार्हपत्याग्नि, ३१३
गिरि दुर्ग, १२२
गिरिब्रज, ८४, ८०, ८१
गिरोल्ड, ३२२
गिर्लड, २२४
गीता, ३, २६८, ३०८
गुजरात, १२१
गुड़, ४०
गुग्ग, १२७, १२८, १२९, १४०, १४२
गुलमीधूत, १७८
गुस्ताव शौपर्ट, ११६
गृहस्थ, २४८
गैलरी, ४५
गोधर, १०२
गोनन्द I, १०१

गोनल्ल II, १०९
गोमी, ३३
गोमेज, २८४
गोमेघ, ८४
गोला, १८६, १८८, १८९
गोलियां, १८८
गोशाला, ३८
गोसंख्य, ६०
गौतम, ३०
गौता, ३२४
गौल, ३३४
गृजैनोफेन्स, ३१७
गृजैनोफेन्स, ३०७, ३१७
गृजैन्थस, ८३

घ

घुड़साल, ३८
घोड़े, १७८

च

चक्र, १८०
चयहाल, १५३
चमड़ी, ३२२
चतुर्युग, ३३६
चतुर्वर्ण, ३२६
चन्द्र, २७०
चन्द्र दर्शन, ३४६
चन्द्रवंश, ८८, ९६, १९
चमार, २२२
चम्बा, १०८
चरागाह, ३४, ३५५
चापिङ्ग, २५८
चाषटी, २८८
चाहू वंश, २८३, २७८
चिकुर्ज, ४७
चित्तामणि कोश, १५३

चित्र सेन, ७५
चित्राङ्गद, १६
चीन, ३०, ६८, २५७, २६३, २६४, २७३, २७४,
२७५, २७७, २७८, २८०

चीनी कपड़े, ७३
चीनी रेशम, ७३
चूलिक, ७७
चेटि, ६४, ८४, ८७, १०८
चेल, ७६
चोटी, ३४५, ३४८
चोबुला का बुर्ज, ३३७, ३३८
चोल, ३०, ६२, ७५

छ

छन्द, २८५
छन्द ज्ञान, २८५
छन्दोवस्था, २८२
छल, १६१
छावनी, १८१, १८३

ज

जहाजात, २०१, २३२
जहु, १८९
जनक, ८४
जनमेजय, ८७, ११७
जमानत, १६४, १६५
जयद्रथ, ७६
जयपत्र, २४२
जयपुर, १०८
जयसेन, ९०
जयत्सेन, ९०
जरदूद्ध, २८३
जरासन्ध, ४५, ८४, ८६, ८७, ९०, ९१, १०१
जलझावन, ३२०, ३३७, ३५६
जल विहार, ४०
जलोदरी, ४८
जातकर्म, ३२७, ३४४

(३७०)

पारतवर्ष का इतिहास ।

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| जाति, २२५ | टोइज्म, २५८ |
| बाढ़, ३९ | टोना, ३९ |
| जामदग्न्य, ३८ | टौड़, २७९ |
| जिन्द, २८५ | द्राविक, ४४ |
| जिन्दावस्था, २८१, २८३, २८५, २८७ | द्राय, ३०३ ३०४, ३०५ |
| जिरह, १६६ | ड |
| जीयस, ३०४ | डाकूर, २०८ |
| जीवनमुक्त, २८८ | डायोडोरस, ३३० |
| जुपीटर, ३०९, ३०९ | डायोनिसस, ३२३ |
| जुर्मना, २०४ | डायोनिशिया, ३२३ |
| जुलाहा, २१९ | डेमिगेस, ३३५ |
| जुहोबा, २८८, २८८, ३०१, ३२७ | डेरोक्लियन, १०५ |
| जूता, ३५, २४५ | द्रिल, १२ |
| जूनो, ३२१, ३२९ | त |
| जूनो जूविनो, ३२७ | तरव, १६८ |
| जूरी, १५१, १५६, १५७, १५८, १६८ | तन्त्रपाल, ६० |
| जूलीयस, ३६८ | तन्त्री, २७९ |
| जनेवा, ३३५ | तम्बू, २१९ |
| जेनस, ३१९ | तलवार, १८७, १८०, ११९ |
| जेद्रेड्रेमेशन, २८८ | तलाक, ३५० |
| जैनधर्म, १०९ | तस्का, १५१, १०७, १०८ |
| जैतोदस, ३६८ | तस्कर संघ, १५२ |
| जोब, ३०४ | तस्कराहित, १०७, १०८ |
| जोराङ्ग, २८२, | तचक ९७ |
| जोहरी, २१९ | तचशिला, ८७ ८७, १०२, १०८ |
| ज्या, २१९ | तात्पो, २८०, २८८, २०७, २७५ |
| ज्योतिष, ५४ | ताड़का ३०५ |
| ज्योतिषी, २०७, २०८ | तान्त्रिक, २४८ |
| ज्याइशट स्टॉक कम्पनी, २२५ | तान्त्रिक सम्प्रदाय, ४७ |
| ट | तात्प यत्र, ७३ |
| टायर, १३ | तात्पलिय, ३० |
| टीकूह का ओसेन, २८३ | तारतार, २७९ |
| टिमोथस, ३०८ | ताली, २७३ |
| टेज्यी, ३३७ | तिक्कत, २७८ |
| टेनैस, १०४ | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ली-मोहनेग, २७८ | दासी, ३७ |
| तुरगीगण, १९१ | दास प्रथा , ५१ |
| तुर्वसु, २१ | दिह्नी, ५ |
| तुषार, २७७ | दीर्घ वेणु, ८३ |
| तोप १८६, १८८, १८९, १९१, १९२ | दुःखद, १९९ |
| तोपची, २१९ | दुर्गा, ३२२ |
| तोल, २३३ | दुर्गनिर्माण, ८ |
| त्वाफन, २७८ | दुर्योधन, १६, ३७, ६४, १४८ |
| थ | दूत, १३२, १३३, १३४, २१४ |
| येराष्ट्रूट्स, २८८, २८९ | देवता, ११५ |
| येशाक्त, २६६ | देवमन्दिर, १४४, २४८ |
| योहन, ३४८ | देवगानी, २१ |
| द | देवाची, २३ |
| दण्ड, ९०, १९७ | देवभाषा, २४१ |
| दण्डक, १२७ | दैत्य, ११५ |
| दण्डधर, ९० ३१५ | दैविक, १६८ |
| दण्डनीति, २०, ११४ | दैवी साक्षी, १७२ |
| दत्तात्र, १७६ | दौवारिक, १४८ |
| दमयन्ती, १८७ | द्राविड़, ३०, ७५, २७३ |
| दस्त, ८३ | द्राविडियन, २९४ |
| दरिद्र पोषण नियम २८ | दुष्पद, ३५, ७४ |
| दर्शन २७१ | दुस्तु, २१ |
| दर्शनी, २८४ | द्रोण, ४५, १७७ |
| दशार्थ ७४ | द्वारक, १०८ |
| दशार्थ, ७५ | द्रौपदी, ५ |
| दलाल, ७३, २७८ | द्वैधीभाव, १५५, १९१, १६२ |
| दहेज, ३७ | द्वैराज्य शासन पदुति, ९३ |
| दक्षिण कोशल ८६, | ध |
| दण्णिणपाञ्चाल, १०८ | धनद, २७३ |
| दान, १९२ | धनुषद, ५८, ५९ |
| दानपत्र, २४९ | धनुष, २१८ |
| दाम, २२८, २३० | धर्मपद, २७६ |
| दामोदर, १०१ | धर्म, २३२, २४५ |
| दाराध्यक्ष, ५२ | धर्मयुद्ध, १८४, १८५ |
| दास, ३६, २८४, ३२६ | धर्मसचिव, १३२ |

धर्मसार्थ, ३५४
धर्मधिकारण, १५८, १६०
धर्मसंस्थन, १५९
धृतराष्ट्र, ५२, ५३, ५६
धृष्टकेतु, ७४, ८८
धृष्टद्युम्न, ७४

न

नकुल, ५७, ५९
नारासंघ, २३५
नठ, ३५०, ३६०
नन्दी, ३५०
नन्दीशर्थन, ३४, ३५
नमक, २०२
नमूर्चि, १९४
नर्यलि, ४७
नहुष, १८७, ३४५
नचन, १८४
नक्षत्र विद्या, ४४
नाग, ३३५
नाग कुल, १०२
नाग पूजा, ३५७
नागरिक, ३२
नाचने वाले, २१८
नाटक, ७३
नातात्मक, ८८
नामकरण संस्कार, ३२७
नारद, ५, ५८, ७८, ७९, ८१
नारायणसी, २८४
नारायणाच्च, ९
नालाज्ज, १८८
नालिकाच्च, ६, ८, १८७
निच्छु, ९८
निधि, १९७
नियमित राजतम्ब, १५०
नियमित राज सत्ता, १५०
नियामक सभा, २४
नियोग, ४१, ४३, ४४, ३००
निरामिष भोजन, ३४७

निरामित्र, ९१
निरीक्षक, १४२
निरुक्त, ५८
निरुपिक विभाग, १३०
नियोत कर, २०४
निर्वृत्ति, ९७
निष्काम कर्म, २६८
नींगो, ३४३, ३४४, ३४५, ३४७, ३४८
नीनन, १०४
नील, १८८
नूरिस्तन, २८४
नैयन्त्र, ३०८
नैल, १०४
नैषध, १९६
नोनस, ३२३
नोशियन, ३१४
न्त्योका, ३४७
न्यायविभाग, १५४
न्याय ठवस्या, १५४, १७५
न्याय सचिव, १३२
न्याय सभा, १५५, १६१
न्यायाधिकारी, १६०
न्यायाधीश, १३२, १४१, १४५, १६५, १६१
१६८, १७०, १७२, २२२
न्यायाध्यक्ष, ५७
न्यायालय, ५७, १५८, १५९, १६१, १६२, २४३
न्यूमिना, ३२६

प

प-ई-इब, २७८
पटचत्वर, ८२
पटीश १८०
पञ्चतम्ब, ११४, ११७
पञ्चनद, ७६
पञ्चभूत, ३१७
पञ्चाब, १२१, ८४२
पञ्चित, १३३, १३४, १६६, २१४
पञ्चितामात्य, १३१
पञ्चासन, २६८

- पर्याय, २२६
 परन्तप, १०७
 परपुरज्ञाय, ८८
 परञ्जीराम, ४३
 पराशर, ११४
 परिचारक, २३८
 परीक्षित, ९६
 पर्वीगत, ३२३
 पर्वत, १२२
 परस्तव, २७३, २७७
 परहंश, ३८२
 परिवर्त अंगीठी ३१३
 पशुकर, २०१
 पशुपति, ४७
 पशुबलि, ४७
 पशुशाला, २३८
 पश्चिमीय एशिया, २८४, २८५
 पश्चिमीथमगाथ, ७५
 पहलवी, ३८२
 पाकशाला, २३८
 पाञ्चाल, ७४, ८८, ८८, १०२, १०८
 पाटलो पुत्र, १०३
 पाषड़ु; ४३, ४४
 पाषड़ेय, ३०, ६०, ७५
 पाषड़व ७४, ८७, ९१, १०६
 पाताल देश, ३३५, ३४०
 पानागार, ३३८
 पारा, १००
 पारक, ८३
 पारद, २७३
 पार्सिटर, ७३, ८७
 पार्वती, ३२२
 पालक, ९४
 पासी, २८१
 पासीक, २८२
 पिङ्गला २६८
 पिञ्जर, ३५१
 पियोलक, ६३
 पिठ्यलीवन, ११०
 पिरामिड, ३५१
 पिशाच विवाह, ३७
 पुकुड़ाती, १०८
 पुष्ट्र, ७६, ८७
 पुनर्जन्म, २८६, ३११
 पुराण, ६, ८८, २४१
 पुरी, ३४५
 पुरु, २१, २२
 पुरुषा, २७८
 पुरोधा, १३३
 पुरोहित, २०, २७, १३२, १३३, १४६, १४८
 २७५, २७८, ८४२, ३२४, ३२८, ३५५
 पुलक, ९३, ९४
 पुलिन्द १०२,
 पुष्यमित्र, ८४
 पुस्तकालय, २३८
 पूग, १३१, १५१, २२४
 पूर्ण योगी, २६८
 पूर्वदेश, ६२
 पूर्वन्याय १६७
 पूर्वीय कोशल, ७४
 पूर्वीय मगध, ७६
 पूर्वीयसंघ, १८५
 पृथक, १०८
 पृथिवी ३२०
 पेन्शन, २१२
 पेरिस ३०३, ३०४, ३०५
 पे-इव, २७८
 पैशागोरम, ३१०, ३१२, ३१७
 पैशागोरियन, २८८
 पैबला ३३७
 पैलस्टाइल, २८८
 पैशाची २४६
 पोटलि १०८
 पोमी, ६२०
 पोलीस, १३३, १५७, १८१, १८८
 पोलीहिस्टर २८३, ३२०
 पौष्ट्र ८३, ८४, २७७
 पौराणिक २०८

- पौरव, १०२
 पौरवंश, ८८
 पौलसस्त्य, ३४१
 पथाज, ४०
 प्रोटे, ३०३
 प्रजातस्त्र राज्य, ८१, ८५, १०८
 प्रजापति, ३२४
 प्रजासत्तात्मक राज्य, ९८
 प्रदक्षिणा, २३, ५२
 प्रतिनिधि, १८, १३२, १३३, १३५, १६८, २१४,
 २१५
 प्रतिमानिमण्ड, २४६
 प्रतिवादी, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७
 प्रतिक्षा, १८
 प्रतिक्षापत्र, १६५
 प्रतीय, २३
 प्रत्यर्थी, १५८, १६१, १६३, १६७
 प्रत्यवस्कन्दन, १६७
 प्रदीप, १३
 प्रद्यम्न, ७८
 प्रद्योत, ८३, ८४, ८८, १०७
 प्रद्योतवंश, ८३, १०२
 प्रदर्शनी, २६
 प्रधान, १३१, १३३, १३४, १३५, १४०, २१४,
 २१५
 प्रधानामात्य, १३३, १३४, १४०, १४८
 प्रलय, ३५१
 प्रश्नोपनिषद्, २५८
 प्रशादपत्र, २४२
 प्रसेनजित, १००, १०७
 प्रस्थ, २३४
 प्रचानपत्र, २४२
 प्राचीनद्विकाल, १०७
 प्राग्योगितिष, ७६, ८७
 प्राङ्गिवाक, १३२, १३३, १३४, १३५, १५४,
 १५७, १५८, २१४
 प्राणायाम, २६७, २८६, २७५
 प्रार्थना, ३५०
 प्रिन्स, ३६२
 पेट्रो, ३४४
 प्रेस्कॉठ, ३३८, ३३९, ३४२
 पूरुषार्च, ३०९, ३२२
 पूर्णटो, ३०८, ३११, ३१२, ३१४, ३२०
फ
 फ़िबिरा, २३८
 फाइरो, ३३५
 फाइरना, ३३५
 फिजिशिया, १०४, १०२
 फोरम, ३२८
 फौज, १९१
 फ्रांस, १८६
ख
 खंगाल, १२१
 खज, ३५१
 खजट, १८७, २०७
 खजाने वाले, २१८
 खड़ई, १२१, २२५
 खन्दूक, १८८, १८७, १८८, १८९,
 खझ, ८०, ८२
 खक्की, १८७
 खबर देश, ३०, २२७
 खल, ७७
 खलभद्र, १०१
 खलराम, ८८
 खलि, ४३, ३३८
 खलिदान, २६३
 खलिकिया, ३२७
 खलिघैसदेवयन, ३२७
 खहुतरयत, ३२१
 खुविकाह, ५, ३५, ३७
 खुरूष, ११५
 खाइबल, २८३, ३०१, ३३७
 खाण, १८०, १८२, २१८
 खालद, १७५, १८८, १८७, १८८, १८२, २१८

| | भ |
|--|--------------------------------|
| धारा, २४६ | |
| धाली, १८४ | |
| धास्मीकि, ३०३, ३०५, ३२३ | |
| धालविवाह, ४९ | |
| धास्तीक, २३, ७६, ८३ | |
| धाहुदरेड, १०५ | |
| धाहुदन्तक, ११५ | |
| धाहद्रय, ६० ८१ | |
| धार्मसंपत्य दर्शनीतिशास्त्र, ११५ | |
| धिमितार, ८५ १०७, १०८, १०९ | |
| धीर्थी, २२६ | |
| धुङ्ग ५५, ८८, १०२, १०७, १०८ १०९ ११०,
११३, १२०, १४५, २७१, २७५, २८० | |
| धुङ्गनबल, २७८ | |
| धुङ्गेलखण्ड, १०८ | |
| धुली, ७० | |
| धृहन्तकमी, ५१ | |
| धृहद्रय, ४४, | |
| धृहन्तल, ७६, १०४ | |
| धृस, ३६१ | |
| धैक मैन, १८६ | |
| धैवत का दुर्ज, ३३८ | |
| धैविद्या १०५, १०४ | |
| धैविलोन, १०४, २८२ | |
| धैल, ३१६ | |
| धैली, २८० | |
| धौडिन, १८७ | |
| धौध, ८२ | |
| धौहा, ३०८ | |
| धौष्ठचर्य, २४८, २५२, ३४७ | |
| धौष्ठग, २४४ | |
| धौष्ठियां, २७५ | |
| धौष्ठण, २४८, २४९, २६४, २६५, २६६, २६८, २६९, २७४, २८४, २८८, २८९, २९५, २९६, २९७ | |
| धौष्ठणा ग्रन्थ, २६६, २८४, २८७ | |
| धौष्ठदन, १०८ | |
| धौष्ठप्राप्तिसि, २४८ | |
| धौष्ठ हस्ता, ४८ | |
| | म |
| | मग, १०८, २८४ |
| | मगदत्त, ७६, ८४, ८७, २७८ |
| | मझ्हार, २३८ |
| | मद्र, १७८ |
| | मद्रा, ५४ |
| | मद्रकार, ८५ |
| | मधन, २३७ |
| | मधन निर्माण, २३८ |
| | मधानी, ३२३, ३२४ |
| | मध्याभद्रप, ५३ |
| | माग, १८७ |
| | माग पत्र, २४२ |
| | मागवत तुराज, ४०, ३२०, ३२३, ३२४ |
| | मारद्वार्ज, ५७ |
| | मारत, २५७, ३८२ |
| | मार्गव, ४८६ |
| | माला, १८०, १८२ |
| | मिच्छा, २४९ |
| | मीख, २१७ |
| | मीम, ७७ |
| | मीम, ७८, ८५, ११७ |
| | मीमक, ८७, ८७ |
| | मीमपर्व, ५५ |
| | मृग, ५७, ३२१ |
| | मृगपुत्र, ११४ |
| | मुक्ति, १८८ |
| | मूल, ११९ |
| | मूण्डा, ११८ |
| | मृति, ७०४ |
| | मृत्य, २११ |
| | मोज, ७६, ७५, ८०, ८१ |
| | मोजनालय, २३८ |
| | मौजपत्र, २४२ |
| | मीतिक सम्पत्ता, २४२ |
| | म |
| | मगध, ८४, ८५, ८७, ८८, १०२, १०३ |
| | मगथ के राजवंश, ८० |

- मगध के राज्य, १०७
 मकराल्यह, ४८२
 मखौलिया, २५९
 मध्यामत्र, ११४
 मझोलिया, २७८
 मज्जदूर, ३५४
 मवूरा, २८१
 मष्टी, १८८, २०१, २२७, २२८
 मनस्य,
 मनस्य देश, ६४, ७४, १०८, २५७
 मनस्य पुराण, ५०, ३२०
 मनस्य राज, ७४
 मशुरा, १०८
 मदन, १८७
 मदयन्ती, ४४
 मद्रक, २७७
 मद्रदेश, ४२, ७६
 मद्रास, १२१
 मध्य, २११
 मधुपक्कि ३२५
 मध्यदेश, ५४, ७६, ८४, ८८
 मध्यभारत, ७७, ८४
 मध्यम वेन्न, २११
 मध्यस्थ, १५१
 मनु, ४३, ११४, २३४, २४८, २५७, २७६, ३००
 ३०८, ३२४
 मनुस्मृति, १८८ २५४, २७६, २७८; २८६
 मन्द, २११
 मन्दिर, २०१, २८२
 मन्द्र, १७८
 मम्यातुर, ४४
 मञ्चचिन्नन, २६
 मञ्चसूच, ४८
 मञ्चशान, २८५
 मन्त्री, १३१, १३३, १३४, १४५, १४७, १८०,
 १८५, २४४, २७८
 मान्मथरिष्यह, १३१, १४७, १४८, २३८
 मन्त्रमहल, १२६, १३०, १३१, १३२, १८२
 मन्त्रमना, २४८
 मन, ६५
 मण्डल, ६६
 मङ्ग, १०८
 मशीन, १८७
 मसाई, ३४८
 महाचीन, २७३
 महाजन, २०१, २२४
 महादेव, ३१६,
 महापञ्चनन्द, १०२
 महाबल, ८१
 महाबृ, २८५
 महाभारत, (सम्पूर्णे पुस्तक में प्राप्तः)
 महाभारतकाल, ८३, ८१, ८३, ८८, ११४
 महाभारतयुद्ध, ८३, ८८, ९०, ९१, ९६, १००
 महाराज, १८६
 महाराष्ट्र, १२१
 महावीर, १०८
 महेश, ३०९
 मायडलिक राजा, १८४
 मात, ३५२, ३५६
 मातहु, २४८
 माद्री, ५७, ६४
 माधव, ७५
 मानव धर्मशास्त्र, ११६
 मानव सम्प्रदाय, ३०५
 मानुष्य, १६८
 मानुषी साक्षी, १७२
 मान्धाता, २४
 मार्ग, २२६
 मार्जरि, ८०, ८१, ८३
 मार्जरिलीय, ८०
 मार्ग्यत, १८७, २८८
 मार्ग, ३०४
 मालव, ७७, ८३
 मालावार, २८५
 माली, ३४९
 मालयान, ३४९
 माहिमक, ७७
 माहिमती, ४०
 मिल्लियंश, २७८
 मिथाकेन, ३३७

मित्र, २८४
मिथिला, १०२, १०९
मिश्र, २८६
मिचिसैस, ३२२
मिनर्वा, ३०४, ३२३
मिनौस, ३०६
मिट्टगुपती, २८२
मिल, १४६
मिश्र, १७८, २८३, ३५५, ३५५
मिश्रबन्धु, ६३
मिश्रोसाहित्य, ३५३
मुकुल, ८४
मुख्तन संस्कार, ३४५
मुख्तकोपनिषद्, २८८
मुहर्षि, १५८
मुहमाल, १५८
मुद्रा, १४७, १८२, १७७, २३४, २४३
मुद्राङ्कन, २४३
मुद्रापट्टि, २०५, २०७
मुद्रापत्र, १७०
मुनाफा, २२७
मुसलमान, १८३, १८८
मूर्जक, ८४
मूल्य, २२७, २२९, २३०
मूसा, ३००, ३२३
मृग, १७८
मृगशाला, ३३८
मृग्युक, ४४
मृगक संस्कार, ३४६
मृतसागर, २८८
मेकल, ७६
मेखला, २८१
मेलिकल, २८५
मैकलमूलर, २७५
मैक्सिको, ३२८
मैत्रास्थनीज, ६३
मैया, १७६
मैनास्वर्द, २७८
मैनीलस, ३०३, ३०४, ३०५
मैसोपोलिया, २८४

मैसरिक हीलिङ्ग, ५८६
मोजेर, २८१
मोजिककाल, २८५
मोरिय, ११०
मोलान, ३००
मो-ली-ची, २७८
मोश्ये पोथियक, ३३५
मोहन जोदडो, २८२, २८४, २८६
मोहर, १६१
मौङ्ग, २७८
मौङ्ग कू-तू, २७८
मौङ्ग कू-नव, २७८
मौङ्ग कू-लीन, २७८
मौङ्ग-कू-तू, २७८
मौङ्ग-कू-लीन, २७८
मौङ्ग-कू-सङ्क, ४७८
मौङ्ग-आ, २७८
मौयकाल, ३१८
मौल, १७६
मूलेच्छ, २७७
मूलेच्छावार्य, १६
य
यह्नचैङ्गु, २७८
यजुर्वेद, २४२, २६७, २८८, ३१४
यदु, २१, २२, ४०
यक्षीस, २७८
यम, ३१५
यम की तुला, ३५६
यमुना, १०८
ययाति, २१, २२, ११६
यथन, ३०, २५०, २७३, २७७
यथन मत, १४१, १४२
यह्न, २४८
यश, २६२, २६४
यज्ञ पात्र, ३५६
यज्ञात्मि, ३४८, ३४९
यज्ञोपवीत, २८१
यादव, ७७, ८८, ११४

- याज्ञवल्क, ३२५
 यान, ११५, १५१
 यानिकास्त्र, १८७
 यामा, २८५
 यात्रा, ४८३
 यांगत्साई, २७८
 युक्त प्रान्त, १२१
 युधिष्ठिर, ६, ३५, ३८, ४८, ५८, ६०, ६१, ६५, ६८
 युहु नीति, १५७, १९१
 युहु विभाग के डाक्टर, ६
 युहु सचिव, १३१, १८५
 युहु सामग्री, ७, ९, ८८, ८८, ८९, १०८, २७८, ३२८
 युग्मान, ७५
 युधराज, १८८, १२८, १३८, १४८, २९४, २१५
 यूनान, ३०१ से ३१६
 यूक्लीन, २७८
 यूरोप, ३०, २८२
 यूसेक्यियस, ३०७, ३८८
 योग, २६७, २४५, २८८, ३१७
 यौधेय, ८३
- र**
- रघुनन्दन, २७३
 रश, २१८, २७९
 रथ सूत्र, ५८
 रा, ३५३, ३५५, ३८६
 राजकीय पत्र, २४२
 राजकीय सेना, २१७
 राजगृह, ८५, १०७, १०८
 राजतरंगिणी, १८, १०९, १०१, १०२, १२४
 राजधानी, ३७, २८८
 राज द्रूत, ११
 राजपुर, १८
 राजबुद्ध, १५७
 राजमार्ग, २२६
 राजदंश, ८४
 राजसभा भवन, २३७, २३८
 राजसूय, यज्ञ द३, ८८
 राज्यविन्द, २६
- राज्याधिकारी, १८५
 राज्याभिवेक, २६
 राम १२८, १८८, ३०२, ३०५, ३२३, ३४०
 रामगांव, ११०
 रामायण, २४८, २५७, ३०२, ३०५, ३८६, ३८७, ३४१
 राय चौधरी, ७३
 रायण, १२७, २४५, ३०३, ३०८, ३०५
 रावी, २८२
 राष्ट्रीय आय, १८७
 राष्ट्रीय व्यय, २०८
 राजस, ५, ७४
 राजस-विवाह, ३७
 रिचर्ड गार्ड, ३१०
 रियङ्ग्य, ८८, १५४
 रक्षणी, ३७
 रसेल, ३५४
 रेवक, ७७
 रैवतक, ६८
 रोज़िस्तरन, २८५
 रोदन मृह, ३३८
 रोम, ३१८, ३२८, ३२९
 रोमक, ३०
 रोहिणी, ४४
 रंगशाला, ४५
- ल**
- लव, १०२
 लहरी, ३२१
 लक्ष्मण, ३०२, ३०३
 लालन, ३१६
 लासेन, ३५८
 लिखित, १८०, १७८
 लिङ्गु, २८७
 ली अन, २७८
 लेपेज, ३८०
 लेखक, १४८, १५८, २३८
 लेख पत्र, १४१, १५७, १८०, २१३, २१४, २२४
 लेखा, २१४
 लेगे, २६३, २६४
 लेक्सिकल, २८०

- संग्रह. १८८
सैम्य. १३
लोकोर. १०२
लंका. १२१. ३०३. ३०४. ३४०, ३४१
- च**
- चकील. १६३. १६४. १७०
चक्र. ८४
चित्ति. १०५
चर्णव्यवस्था. २४८. २८१. ३१५. ३४६
चत्स. ७६
चत्सराज. १०८
चत्स या वंश का राज्य. १०७
चनाधर्ज. २५
चन दुर्ग. २३२
चन प्रबन्ध. ३४
चन्य सेना. २३२
चर्ति चर्थन. ८४
चर्धि चर्धन. ८४
चरण. २६५
चसिष्ट. ४३. ५४. २५८. ३५४
चसुमना. २५
चागुरिक. १५३
चाचस्पति. २६८
चाणिज्य. १०२
चाणिज्य कर. १८८
चादी. १६०. १६३. १६४. १६५. १६६
चानप्रस्थ. २३२. २४८
चान होत्र. २३२. २४८
चाम देव. २५
चायु चुराण. ८४
चारण्ड. १६०
चारणावत. ५३
चार्ना. ५८
चार्ताबिद. ६०
चार्ता विद्या. ५८
चारेसस. २८३
चासुदेव. ८१
चिशास. २८४
- चिंगह. ११५. १८१
चिचित्र वीर्य. ३८. ४१. ४३
चिदुर. ३५४. ५५६.
चिदर्भ ७७
चिदेह. १४४. १०८
चिधन सचिव. १३१
दिनश कुमार सरकार. २६६
चिनिमय. २०५
चिनिमय माध्यम. २०५. २०९. २३०
चिन्धाचत. ७५ द३
चिन्द, ७७
चिप्र. ८१
चिभीषण. ३०३, ३०४, ३०५
चिभु. ८३
चिमान. ४३
चिराट. ६३. ७४. १०८
चिवाह. ३२३. ३२४. ३४८
चिलियम जोन्स. २६३. २८०
चिरिंश. २१
चिश्चल्पकर्णि. ५८
चिश्चलाक्ष. ११५
चिश्वकर्मि. ६५. ६७. ३०५
चिश्वजित. ८०
चिश्वमित्र. ३०५
चिश्वयूष. ८४
चिष्णु. ३०९. ३१०. ३४०
चिष्णु पुराण. ८०. ८२. १७९
चीतहोत्र. ८४. १०२
चीरजित. ८०
वृत्त लेख्य. २४२
चृष्णी. ७५. ७८. ८८. ८३. ८५
वृगपर्वा. ११४
वृत्तविद्या. ५४
चेतन. १६३. १८४. २१०. २११. २१२.
चेद. २४१
चेदाङ्ग. ३४१
चेदान्त. ११८, २६९
चेदारम्भ. ३४५
चैन. ८१
चैलिस चत. ३५६, ३८२

- बेश्या. २१८
 बैज्जन का राज्य. १०८
 बैदिक राजा. ३५५
 बैदूर्य. ६४
 बैद्य. ७
 बैराग्य. १०८
 बैवस्वत मनु. ३२०
 बैशम्प्रयन. ८८
 बैशाली. १०८
 बैश्य. २७७. २८५. ३२६. ३५४
 बंग. ३०. ६३. ७६. ८३. ८४. ८७
 ब्रह्म के विभाग. २०७
 ब्रह्मसाय. १०३. २१७. ३२२. ५३१
 ब्रह्मस्थापिका समा. १४८
 ब्रह्महात्. १६३
 ब्राज. २०४
 ब्राह्मार. २१७. २१८
 ब्राह्मारिक संघ. २१७
 ब्रायाम शाला. २६८
 ब्रायास. ३४. ४३. ६५. ८८. ११४. २८४. २९६.
 ३०२
 ब्रूह. १०२.
 ब्रूहाभ्यास. ८
- श**
- शक, २७३, २७७
 शकट, १२
 शकट व्यंह, १८२, १८२
 शक वर्ण, ८५
 शकुनि, ७६
 शकुन्तला, २७३
 शक्ति, २४२
 शतम्भी, ७, ७०
 शतधन्वा. १६
 शतपथ ब्राह्मण, ३२०, ३३७
 शतानीक, ८८
 शनिष्ठा, २१, ११४, ११५, ११७, ११८, १२३
 १२५, १२६
 शमीक, ८६
- शयनागार, २३८
 शरदाष्टायनि, ४३
 शमिष्ठा, ११४
 शत्रव, ४०, २४५
 शत्य, ७६
 शत्रर, १५३, २७७
 शशाङ्क, २५८
 शस्त्र, १८४, १८७, १८२
 शश्वागार, २३८
 शश्वत, १७४, १८६, १८८
 शहर के संघ, २२५
 शाक्य, ११०
 शाङ्कती, २६३, २६५
 शान्तनु, २३, ४२
 शान्तिदेव, २७८
 शान्तिपर्व, ११०
 शालि होत्र, ५८
 शास्त्राज, ३८, ६७, ८५
 शास्त्रायन, ८५
 शासक, २६१
 शासन पत्र, २४२
 शासन प्रबन्ध, १७५,
 शासन व्यवस्था, १८५, १७५
 शास्त्रज्ञ, २०८
 शिकार, २३२
 शिकारी, २९८
 शिखा, ३४८
 शिला लेख, ७३
 शिर्ष, २७७, २१८
 शिर्ष शाला, २३८
 शिर्ष शास्त्र, २४१
 शिर्षी, २७, १२५, २१८, २३१, ३५४
 शिव, ४७, ११५
 शिव संहिता, २६७
 शिवाजी, १३१, १३२
 शिवी, ७६, ८३

शिशुनाग, ९५, १०७
 शिशुनागवंश, ८५
 शिशुपाल, ८४, ८७, ८८
 शिच्छापद्मनि, ३५३
 शिक्षित, १७६
 शीकिङ्ग, २६४, २६५
 शोध भूत्य, २११
 शुक्लिमती, १०८
 शुक्र, (सम्पूर्ण तृतीय भाग में)
 शुक्रनीति, (सम्पूर्ण तृतीय भाग में)
 शुल्क, १८७, १८८
 शुचि, ८२
 शुद्धिपत्र, २४२
 शुद्धोदन, १४५
 शू, ८५४
 शूकिङ्ग, २६५
 शूद्र, २११, २७७, २८५, ३२६, ३५४
 शूरसेन, ७६, ८५, १०२, १०८
 शृणाल, १६
 शैषनाग, ३५७
 शंकर, ८६, ११५
 श्येन लूह, १८२
 श्रीम, २०१
 श्राद्ध, ५३, २६४
 श्राद्धदेव, ३१५
 श्रावस्ती, १०७
 श्री, १२१
 श्री कृष्ण, ६४
 श्रुतप्रवा, ८१
 श्रुतज्ञाय, ९१
 श्रुतायुध, ७६, ७७
 श्रेणीमन्त, ८३
 श्रेष्ठ भूत्य, २११
 श्रेष्ठ वेतन, २११
 श्रोत्रिव, १२

ष
 षड्गुण, १८१
 स
 सहृ, १५१, १५६, २२३
 सहृ राज्य, ८३
 सङ्करण, ७८
 सचिव, १३१, १३३, १३४, १३५, १८५
 सत्युग, ३४०
 सती प्रथा, २५२
 सत्कार्यवाद, ३०८
 सत्य, ३१७
 सत्यजित, ८२
 सत्यपत्र, २४२
 सत्यभासा, ८८
 सत्यवती, ४२
 सत्यव्रन, ८२, ३२०, ३५६
 सदाचार, ३६१
 सन्धि, ११५ १८१
 सन्यास, २४८
 सम्राट, २४६
 सम्राट जंघ, १८६
 समर्पि, ४४
 सभा, १४८, १५४, १५६, १५८, १६०
 सभाध्यक्ष, १२१
 सभापति, २७८
 सभाभृत, २३८
 सभासद, १४८
 सभास्तार, १५७
 सभ्य, १५८, १६०
 सम, २११
 समय, ३२०
 समावत्सन, ३२७
 समाप्तिय, १८१
 समाचार वाहक, १४१
 समुद्र, १२३

| | |
|----------------------------------|--|
| समूह, ३४८ | मित्य, १०४, १०५, १०६, १२१, २६२ |
| संखित पत्र, २४२ | सिन्धु, ७६, २६४ |
| सरकार, २४७ | निरिस, ३२७ |
| सरल वृक्ष, १८८ | सिरोज़ा, २८४ |
| सरस्वती, ३२३ | निहंपुर, ३० |
| सराय, २३६, २४० | सिंहल द्वीप, ६२ |
| सर्पबूह, १९० | सीज़र, ३२४ |
| सर्वतोभद्र व्यूह, १९२ | सीता, १२८, ३०३, ३०४, ३०५ |
| सहदेव, ७५, ८७, ९०, ९३ | सीरिया, २८२, २८५, २९६ |
| साइस, २८४ | सीले, (भूमिका ५) |
| साइमैन, १०४ | सुकराम, २०२ |
| साइबेल, ३२० | सुचल, ८२ |
| सागर, १८६ | सुदर्शन द्वीप, ५४ |
| सात्यकि, ७५ | सुदचिणा, ७६ |
| सात्यत, ७५ | सुदोम्या, ४३ |
| सादि पत्र, २४२ | सुनार, २१९ |
| साद्यस्क, १७६ | सुनेत्र, ८३ |
| साधन, १६८ | सुभद्रा, ३७, ११८ |
| साधारण पश्च, २२८ | सुमति, ८२ |
| साम, १४८, १८२ | सुमाली, ३४०, ३४१ |
| सामयिक पत्र, २२३, २४२ | सुमित्र, १०० |
| सामन्त, २०८ | सुमेरिया, २८२ |
| सामाजिक दशा, २४५ | सुमन्त्र, १३१, १३२, १३४, १३६, २०७, २७३ |
| साम्बाज्यवाद, २९, ३४, ८७, ८८, ८९ | सुवर्च्छा, २१ |
| सायस, ३६२ | सुवर्च्छी, १८८ |
| सार, १७६ | सुवर्ण १०२ |
| सारंगधर्ज, ७५ | सुब्रत, ८१, ८२ |
| सार्वभौम समाट, ४ | सुरक्षा, ८१ |
| सालकट्टकट, ३४०, ३४१, ३४२ | सुराष्ट्र, ३० |
| साहित्य परिषद, १२६ | सुरेन्द्र, १०२ |
| साहूकार, ३२६ | सुशमी, ७६ |
| साक्षी, १६८ | सुसुमार, १०८ |
| सिकन्दर, १०३ | सुस्थल, ८५ |
| सिक्के, ७३ | सुचन, ८१ |
| सिक्कूलस, ३३० | सूतक, १६० |

| | |
|--|---------------------------------|
| सूची व्यूह, १८२, १८२ | संग्रह, ११५ |
| सूत, २४ | संस्पर्क, ४८ |
| सूतक, ३०० | संस्कार, ३१२, ३४४ |
| सूद, २१७, २१८ | स्कन्द, ३२२ |
| सूबेदार, १८१ | स्टाम्प पेपर, १७० |
| सूर्य, २७८, ३५७ | स्ट्रैबो, ३३० |
| सूर्य वंश द४, द८, १००, ३५८ | स्ट्राक्टन, २०९ |
| सूर्यक, ८५ | स्ट्रोरोबेट्स, १०५, १०६ |
| सेनजित, ९१ | स्लोमक, १६० |
| सेना, १८३, २०८, २०९, २१७, २३८ | स्थानीय स्वराज्य, १५१, १५२, १५३ |
| सेना निर्माण, १७६ | स्थावर, ११५ |
| सेनापति, १७५ | स्थिर सेना, ४, १७५ |
| सेना प्रबन्ध, १७५ | स्त्रातक, २४, ३८, ४५, ५४ |
| सेना चिभाग, १७५ | स्त्रानगार, २३८ |
| सेपिर, २७२ | स्त्रृही १८८ |
| सैटन, ३२०, ३२१ | स्पीगल, २८१ |
| सैनिक, १८२, १८३, १८४, १८५, १८४, १८५,
२२१, ३५४ | स्मृति २४१ |
| सैनिक गणना, १८४ | स्याम, २७८ |
| सैन्य पालन, १८० | स्वगमा, १७५ |
| सैन्य प्रबन्ध, ५ | स्वयं गुरुम्, १७६ |
| सैमीरेमित्र, १०३, १०४, १०५, १०६ | स्वयंवर, १८, १९, ३७ |
| सोम, ५४ | स्वयं सेवक सेना, ५ |
| सोमकवंशी, १० | स्वर्ण मुद्रा, २०५ |
| सोम यज्ञ, २८४ | स्वराष्ट्र सचिव, २८ |
| सोमवित, ४० | स्वीकृत, मुद्रा, २०७ |
| सोमधि, ५० | स्वीकृति, १६७ |
| सोमाधि, ५० | स्वीय, १७६ |
| सोमन, ३६२ | खियों की स्थिति, २५० |
| सोलोमन, २९६ | ह |
| सोसिस्तरन, २८५ | हथियार, २१८ |
| सौदासर्चि, ११४ | हनुमान, ३०४, ३०५ |
| सौदास, ४३ | हरक्यूलीज़, १०३ |

(३८)

मारतवर्ष का इतिहास ।

| | |
|--|-----------------------------------|
| हरिवंश पुराण, १०७, १८६ | होवायुष, २८३ |
| हरिस्तरन, २८४ | हर्ष, १८६ |
| हर्य, २६० | हर्षचरित, २५८ |
| हस्तिशाला, २३८ | ह्यूनसांग, १२१ |
| हस्तिसूत्र, ४८ | हंसपाद, ७७ |
| हस्तिनापुर, ८८, ८९, ९६, ९७, ९८, १००, १०८ | क् |
| हस्त्यायुर्वेद, ५९ | क्षत्रिय, २७७, २८४, ३२४, ३२६, ३५४ |
| हाथी, १७७ | क्षद्रक, ७७, ८३, ११७ |
| हिन्दू, २८५ | क्षुद्रक मालव, ८३ |
| हिन्दुकुश, २८ | क्षुर प्रान्त, १०० |
| हिन्दू, २८८, ३०१ | क्षेम, ८२ |
| हिमालय, ३०, ६२, | क्षेमक, ८८ |
| हीन वेतन, २११ | क्षेम पत्र, २४२ |
| हूया, २७८ | क्षेव धर्म, ९५ |
| हेलन, ३०३, ३०४, ३०५ | क्षेवज, ९५ |
| हैकटर, ३०३, ३०४ | ल |
| हैनरैन, २७८ | त्रिगत, ७६, ८३ |
| हैविद, २८५ | त्रिनेत्र, ८२ |
| हैरोडोटस, ६१, २८६, ३०२, ३०६, ३५४, ३६२ | त्रिविष्टप, ९६ |
| हैहय, ८८, १०२ | ल |
| होम, २८४ | ज्ञाति, ८० |
| होमर, ३०३, ३०५ | ज्ञात्रिक, १०९ |

